पंचदश माला, खंड 10, अंक 5

शुक्रवार, 30 जुलाई, 2010
8 श्रावण, 1932 (शक)

30 जुलाई 2010

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 86
Dated 11 May 2011

(खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

राजीव शर्मा
सम्पादक

© 2010 **लोक सभा सचिवालय**

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 10, पांचवां सत्र 2010/1932 (शक)]

अंक 5, शुक्रवार, 30 जुलाई, 2010/8 श्रावण, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 100	3-125
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150	125-773
सभा पटल पर रखे गए पत्र	773-794
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
सातवां प्रतिवेदन	794
प्राक्कलन समिति	
(एक) छठा प्रतिवेदन	
(दो) विवरण	795
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
146वां प्रतिवेदन	795
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
223वां और 224वां प्रतिवेदन	796
'जनजातियों की सुरक्षा' के बारे में दिनांक 12.3.2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2601 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण	
डॉ. तुषार चौधरी	796-798
सभा का कार्य	798
वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010	799-800
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	801-802
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	801-820
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	821-822
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	821-824

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 30 जुलाई, 2010/8 श्रावण, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : क्वैश्चन नं. 81 श्री गणेश सिंह।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आज प्रश्न काल चलने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आज प्रश्न काल चला लें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष महोदया,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : नेता, प्रतिपक्ष कुछ कह रही हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया है लेकिन वे बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : नेता, प्रतिपक्ष को बोलने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आज प्रश्न काल चलने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आज प्रश्न काल चला लें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, पिछले चार दिन से हम लोग महंगाई पर चर्चा मांग रहे हैं, इसके पहले हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था जिसे आपने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद हमने कल नियम 184 के तहत नोटिस दिया और आपसे प्रार्थना की है कि आप प्रश्न काल को स्थगित करके उस नोटिस पर चर्चा करायें। लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि मतदान के किसी नियम के अंतर्गत हम चर्चा नही करायेंगे। यहां प्रणब दा बैठे हुए हैं, वे सदन के नेता हैं...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : अध्यक्ष महोदया, इन्होंने चार दिनों तक हाउस नहीं चलने दिया और बात सरकार पर डाल रहे हैं, यह क्या बात है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रणब दा, मैं आपका समर्थन चाहूंगी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

इन्होंने चार दिन हाउस नहीं चलने दिया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपका नियम 184 का नोटिस मेरे विचाराधीन है। आप कृपया प्रश्न काल चलने दीजिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं नेता, सदन से और संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष जी, इसी कनसर्न पर इन्होंने चार दिन निकाल दिये हैं, ये हाउस को नहीं चलने दे रहे हैं...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, नियम 184 के लिये इंतजार करना होता है।...*(व्यवधान)* ये हाउस में आकर विघ्न डालते हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह मतदान इस पर नहीं होगा कि कौन सरकार के साथ है और कौन सरकार के साथ नहीं, बल्कि इस पर होगा कि कौन इस वक्त आम आदमी के साथ हैं, कौन महंगाई के साथ हैं,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आज प्रश्न काल चलने दीजिये। आपका नोटिस मेरे विचाराधीन है...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, इसलिए सरकार को मतदान से किसी तरह से कोई गुरेज नहीं होनी चाहिये। इसलिये मेरा

आपसे निवेदन है कि आप प्रश्न काल को स्थगित करके हमारे नियम 184 के अंतर्गत दिये गये नोटिस को स्वीकार करके तुरंत चर्चा शुरू करवाईये।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदया, चार दिन इनके कारण हाउस नहीं चला। अगर हाउस नहीं चला तो इनके कारण नहीं चला। ये लोग एक ही बात पर शोर करते हैं, क्वेश्चन ऑवर के लिये यहां आकर बोलते हैं। और सारा दिन ये लोग सिर्फ यही करते हैं... *(व्यवधान)* फिर ये लोग रूल्स की बात करते हैं लेकिन हम कहते हैं कि हम चर्चा करने के लिये तैयार हैं। उस पर चर्चा हो जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलाने दीजिये। प्रश्न काल चलाइये।

श्री गणेश सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

इस समय श्री मंगनीलाल मंडल, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री अखिलेश यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विद्युत की मांग और आपूर्ति

*81 **श्री गणेश सिंह :**
श्री सी. राजेन्द्रन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों के स्रोत-वार और राज्य-वार उत्पादित विद्युत तथा विद्युत की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में उत्पादित विद्युत, विद्युत की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने झारखंड सहित देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर की कोई समीक्षा/इसका आकलन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने एवं विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं या किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) देश में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 (जून, 2010 तक) में विभिन्न स्रोतों नामतः, ताप, जल विद्युत, नाभिकीय स्रोतों से उत्पादित तथा भूटान से आयात की गई विद्युत क्रमशः 7,04,469 मिलियन यूनिट (एमयू), 7,23,794 मि.यू., 7,71,551 मि.यू. तथा 2,00,315 मि.यू. थी। सकल विद्युत उत्पादन का वर्षवार, स्रोत-वार विवरण नीचे दिया गया है-

स्रोत	कुल ऊर्जा उत्पादन (मिलियन यूनिट)			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (जून, 2010 तक)
थर्मल	5,58,990	5,90,101	6,40,876	1,66,316
हाइड्रो	1,23,424	1,13,081	1,06,680	27,731
न्यूक्लीयर	16,776.9	14,713	18,636.4	5,243
भूटान आयात	5,277.94	5,899	5,358.57	1,025
कुल	7,04,469	7,23,794	7,71,551	2,00,315

इनमें जून, 2010 माह के अनंतिम आंकड़े शामिल हैं।

राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

देश में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में (जून, 2010 तक) ऊर्जा तथा व्यस्ततमकालीन मांग, दोनों के संबंध में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है-

वर्ष/अवधि	ऊर्जा (निवल)				व्यस्ततमकालीन (निवल)			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी		मांग	पूर्ति	कमी	
	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(%)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(%)
2007-08	739343	666007	73336	9.9	108866	90793	18073	16.6
2008-09	777039	691038	86001	11.1	109809	96785	13024	11.9
2009-10	830594	746644	83950	10.1	119166	104009	15157	12.7
2010-11 (जून-10 तक)	221013	194829	26184	11.8	119437	103003	16434	13.8

मि.यू.= मिलियन यूनिट मे.वा.= मेगावाट

टिप्पणी= उपर्युक्त आंकड़े निवल आंकड़े हैं और इनमें आनुषंगिक खपत शामिल नहीं है।

*इनमें जून, 2010 माह के अनंतिम आंकड़े शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में (जून, 2010 तक) ऊर्जा तथा व्यस्ततमकालीन दोनों रूपों में राज्यवार मांग एवं आपूर्ति की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान विद्युत की मांग की 6.35% की संयोजित वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) ने उसी अवधि में विद्युत उत्पादन में वृद्धि की 5.21% की दर को पीछे छोड़ दिया है। इसके मुख्यत: निम्नलिखित कारण हैं-

(i) सामग्री की नियमित आपूर्ति न होने, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति में देरी आदि के कारण नई परियोजनाएं चालू करने में विलंब।

(ii) जल विद्युत परियोजनाओं तथा कुछ जलाशयों के आवाह क्षेत्रों में विलंबित एवं अपर्याप्त वर्षा।

(iii) कुछ ताप विद्युत उत्पादक यूनिटों, अधिकतर राज्य क्षेत्र यूनिटों को कम संयंत्र भार गुणांक।

(iv) कोयले तथा नाभिकीय ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता।

(v) विद्युत की चोरी, विद्युत का अविवेकपूर्ण उपयोग करने सहित उच्च समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां।

(घ) देश में वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान ऊर्जा (मि.यू.) तथा व्यस्ततमकालीन (एमडब्ल्यू) के संबंध में मांग एवं आपूर्ति के मध्य कमी अंतर क्रमश: 9.9% से 11.8% और 11.9% से 16.6% के बीच था। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में (जून, 2010 तक) ऊर्जा तथा व्यस्ततमकालीन के संबंध में झारखंड में मांग एवं आपूर्ति के मध्य अंतर क्रमश: 4.7% से 13.3% और 0.2% से 13% के बीच रहा। वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है-

वर्ष	देश में कमी		झारखंड में कमी	
	ऊर्जा (%)	व्यस्ततमकालीन (%)	ऊर्जा (%)	व्यस्ततमकालीन (%)
2007-08	9.9	16.6	13.3	9.0
2008-09	11.1	11.9	4.7	0.2
2009-10	10.1	12.7	7.8	13.0
2010-11 (जून, 2010 तक)	11.8	13.8	6.2	1.7

*अनंतिम

(ङ) देश में मांग-आपूर्ति अंतर को कम करने/विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं-

(i) पूर्व योजनाओं की अपेक्षा 11वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि।

(ii) चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी।

(iii) वर्तमान उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग हेतु जल, थर्मल, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन एवं रख-रखाव।

(iv) स्वदेशी स्रोतों से ताप विद्युत केंद्रों को कोयले की आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयले के आयात पर बल।

(v) देश में जल विद्युत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल विद्युत नीति, 2008 प्रारंभ की गई।

(vi) 50,000 मेगावाट हाइड्रो पहल शुरू की गई, जिसके अंतर्गत सीईए ने कुल 50,000 मेगावाट की 162 जल-विद्युत स्कीमों की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है।

(vii) देश में गैस आधारित विद्युत केंद्रों के लिए केजी बेसिन (डी-6) से गैस का आबंटन।

(viii) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अतिरिक्त विद्युत का दोहन।

(ix) आर्थिक पैमाने पर लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।

(x) पुरानी और असक्षम उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(xi) हानि को कम करने के लिए एक प्रमुख उपाय के रूप में उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

(xii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कुशलता तथा मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहित करना।

विवरण-I

गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में राज्यवार एवं स्रोतवार विद्युत उत्पादन

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली		स्रोत	30.6.10. के अनुसार क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक उत्पादन (मि.यू.)			
				2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अप्रैल 10 जून. 10**)
1		2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र	बीबीएमबी	हाइड्रो	2866.3	10959.9	11109.1	9371.3	2362.2
	दिल्ली	थर्मल	1440.4	10935.5	11017.8	10152.8	2398.4
	हरियाणा	थर्मल	3046.59	13332.2	15884.6	18154.9	4071.6
		हाइड्रो		269.5	282.4	235.4	#
		कुल	3046.59	13601.7	16167.0	18390.4	4071.6

1		2	3	4	5	6	7
	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	3290	13945.4	14466.5	14452.3	4904.2
		कुल	3290	13945.4	14466.5	14452.3	4904.2
	जम्मू और कश्मीर	थर्मल	175	0.0	0.3	12.5	0.0
		हाइड्रो	2260	8919.6	9871.0	11422.4	3948.0
		कुल	2435	8919.6	9871.3	11434.9	3948.0
	पंजाब	थर्मल	2620	16456.7	18066.4	20295.7	4627.2
		हाइड्रो	1051	4602.5	4227.7	3499.3	876.0
		कुल	3671	21059.3	22294.2	23795.0	5503.2
	राजस्थान	थर्मल	4613.13	22974.7	24034.0	25553.7	6774.8
		हाइड्रो	411	1399.6	671.0	352.1	13.7
		न्यूक्लीयर	11802	2480.3	2255.4	3488.3	1572.6
		कुल	6204.13	26854.6	26960.4	29394.0	8361.1
	उत्तर प्रदेश	थर्मल	12985.14	83147.5	83722.6	86513.6	22782.4
		हाइड्रो	501.6	922.9	1097.1	947.3	138.7
		न्यूक्लीयर	440	674.0	740.4	817.6	235.7
		कुल	13926.74	84744.4	85560.2	88278.4	23156.8
	उत्तराखंड	हाइड्रो	3026.35	9715.2	11325.0	9779.6	2572.0
		कुल	3026.35	9715.2	11325.0	9779.6	2572.0
कुल (उत्तरी क्षेत्र)			39906.5	200735.6	208771.3	215048.7	57277.4
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	थर्मल	6980	28341.6	42084.4	51518.0	13546.6
		हाइड्रो	120	262.7	291.7	279.9	22.6
		कुल	7100	28604.3	42376.1	51797.9	13569.2

1		2	3	4	5	6	7
	गोवा	थर्मल	48	327.0	324.8	320.9	83.0
		कुल	48	327.0	324.8	320.9	83.0
	गुजरात	थर्मल	10533.81	51887.2	51305.2	61137.2	17483.6
		हाइड्रो	1990	5672.5	2860.8	2956.8	733.2
		न्यूक्लीयर	440	2035.9	1212.9	1068.1	249.6
		कुल	12963.81	59595.6	55379.0	65162.1	18466.4
	मध्य प्रदेश	थर्मल	6192.5	40396.8	42659.5	43596.5	10787.3
		हाइड्रो	2395	6169.5	4827.6	4830.2	838.7
		कुल	8587.5	46566.3	47487.1	48426.7	11626.0
	महाराष्ट्र	थर्मल	12642	66980.6	65965.0	69767.2	16932.8
		हाइड्रो	2887	6236.1	5204.4	5740.3	2127.9
		न्यूक्लीयर	1400	7339.4	6298.0	7990.9	2006.1
		कुल	16929	80556.2	77467.4	83498.4	21066.8
कुल (पश्चिमी क्षेत्र)			45628.3	215649.4	223034.4	249206.0	64811.4
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	थर्मल	10599.7	59616.0	63949.6	73400.7	19691.8
		हाइड्रो	3666.35	9872.5	8160.4	5880.4	683.4
		कुल	14266.05	69488.5	72110.0	79281.1	2035.2
	कर्नाटक	थर्मल	3534.42	13324.5	14785.8	19586.0	4926.8
		हाइड्रो	3585.4	14785.0	13154.1	12651.4	2766.1
		न्यूक्लीयर	660	2495.4	2688.2	3225.6	663.7
		कुल	7779.82	30605.0	30628.1	35462.9	8356.6
	केरल	थर्मल	768.18	2486.6	3619.1	3658.5	864.0
		हाइड्रो	1831.5	8424.5	5911.8	6710.4	1641.0
		कुल	2599.68	10911.1	9530.8	10368.8	2505.0

1		2	3	4	5	6	7
	लक्षद्वीप	थर्मल		28.7	28.1	29.3	#
	पुदुचेरी	थर्मल	32.5	375.3	258.2	227.3	51.0
	तमिलनाडु	थर्मल	7138	47493.9	47129.6	47024.8	12116.7
		हाइड्रो	2108.2	6432.8	5369.5	5614.9	954.8
		न्यूक्लीयर	440	1751.9	1517.6	2046.1	515.7
		कुल	9686.2	55678.6	54016.7	54685.9	13587.1
कुल (दक्षिणी क्षेत्र)			34364.3	166987.1	166571.8	180055.2	44875.0
पूर्वी क्षेत्र	अंडमान और निकोबार	थर्मल	40.05	195.7	200.5	214.0	26.7
		हाइड्रो		8.4	10.0	11.1	#
		कुल	40.05	204.1	210.5	225.0	26.7
	बिहार	थर्मल	2870	6976.6	9741.7	12036.3	3342.1
		हाइड्रो		57.8	51.1	30.2	#
		कुल	2870	7034.4	9792.8	12066.5	3342.1
	डीवीसी	थर्मल	3650	14802.7	15320.7	14690.6	4096.7
		हाइड्रो	143.2	451.3	432.1	198.1	204
		कुल	3793.2	15254.0	15752.8	14888.7	4117.1
	झारखंड	थर्मल	1550	4623.0	5420.9	5557.7	1377.3
		हाइड्रो	130	210.8	237.6	115.7	2.2
		कुल	1680	4833.8	5658.5	5673.4	1379.5
	उड़ीसा	थर्मल	3890	31907.1	29962.9	30773.6	8086.4
		हाइड्रो	2027.5	7874.8	5714.3	3920.0	1300.6
		कुल	5917.5	39781.9	35677.2	34663.6	9387.0
	सिक्किम	थर्मल		0.2	0.1	0.1	#

1		2	3	4	5	6	7
		हाइड्रो	570	476.6	2265.7	2968.1	827.8
		कुल	570	476.8	2265.9	2968.2	827.8
	पश्चिम बंगाल	थर्मल	7775	38380.5	40232.3	42238.9	11240.2
		हाइड्रो	977	756.0	945.5	1110.8	247.9
		कुल	8752	39136.5	41177.7	43349.7	11488.2
कुल (पूर्वी क्षेत्र)			23622.8	106721.6	110535.4	113865.1	30568.3
	अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	405	1552.0	1591.1	1053.0	420.9
	असम	थर्मल	590	2851.1	3110.0	3133.2	694.3
		हाइड्रो	325	1555.3	1400.5	1184.8	121.6
		कुल	915	4406.5	4510.4	4318.0	815.9
	मणिपुर	थर्मल	36	0.9	0.0	0.3	0.0
		हाइड्रो	105	604.8	497.6	381.4	128.3
		कुल	141	605.7	497.6	381.7	128.3
	मेघालय	हाइड्रो	206	888.2	742.4	675.0	49.7
	मिजोरम	थर्मल		2.7	2.5		#
	नागालैंड	हाइड्रो	75	361.7	312.5	257.6	29.0
	त्रिपुरा	थर्मल	211.5	1244.7	1274.4	1282.5	313.7
		हाइड्रो		36.0	50.5	49.8	#
		कुल	211.5	1280.7	1324.9	1332.3	313.7
कुल (उ.पू.क्षे.)			1953.5	9097.4	8981.5	8017.5	1757.4
आयात	भूटान (आयात)	हाइड्रो		5277.9	5899.1	5358.6	1025.3
			145475.3	704469.0	723793.6	771551.1	200314.8

*राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान

**अनंतिम

#25 मेगावाट और संस्थापित क्षमता वाले विद्युत स्टेशन से उत्पादन, जिनको सीईए द्वारा 01.04.2010 से मानीटर नहीं किया जा रहा है।

विवरण-II

2007-08 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2007-मार्च, 2008				व्यस्ततकालीन अप्रैल, 2007-मार्च, 2008			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष कमी		व्यस्ततम-कालीन मांग	व्यस्ततम-कालीन पूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,446	1,446	0	0.0	275	275	0	0.0
दिल्ली	22,439	22,301	-138	-0.6	4,075	4,030	-45	-1.1
हरियाणा	29,353	25,652	-3,701	-12.6	4,956	4,821	-135	-2.7
हिमाचल प्रदेश	5,992	5,814	-178	-3.0	1,061	1,010	-51	-4.8
जम्मू और कश्मीर	11,782	8,362	-3,420	-29.0	1,950	1,439	-511	-26.2
पंजाब	42,372	38,795	-3,577	-8.4	8,672	7,340	-1,332	-15.4
राजस्थान	36,738	35,597	-1,141	-3.1	6,374	5,564	-810	-12.7
उत्तर प्रदेश	62,628	51,335	-11,293	-18.0	11,104	8,568	-2,536	-22.8
उत्तराखंड	7,047	6,845	-202	-2.9	1,200	1,150	-50	-4.2
उत्तरी क्षेत्र	219,797	196,147	-23,650	-10.8	32,462	29,495	-2,967	-9.1
छत्तीसगढ़	14,079	13,409	-670	-4.8	2,421	2,188	-233	-9.6
गुजरात	68,747	57,614	-11,133	-16.2	12,119	8,885	-3,234	-26.7
मध्य प्रदेश	41,560	35,700	-5,860	-14.1	7,200	6,436	-764	-10.6
महाराष्ट्र	114,885	93,846	-21,039	-18.3	18,441	13,575	-4,866	-26.4
दमन और दीव	1,774	1,580	-194	-10.9	240	215	-25	-10.4
दादरा और नगर हवेली	3,388	3,372	-16	-0.5	460	424	-36	-7.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गोवा	2,740	2,707	-33	-1.2	457	408	-49	-10.7
पश्चिमी क्षेत्र	247,173	208,228	-38,945	-15.8	38,277	29,385	-8,892	-23.2
आंध्र प्रदेश	64,139	61,511	-2,628	-4.1	10,048	9,162	-886	-8.8
कर्नाटक	40,320	39,230	-1,090	-2.7	6,583	5,567	-1,016	-15.4
केरल	15,663	15,284	-379	-2.4	2,918	2,730	-188	-6.4
तमिलनाडु	65,780	63,954	-1,826	-2.8	10,334	8,690	-1,644	-15.9
पुदुचेरी	1,841	1,841	0	0.0	276	276	0	0.0
लक्षद्वीप	24	24	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	187,743	181,820	-5,923	-3.2	26,777	24,368	-2,409	-9.0
बिहार	9,155	7,933	-1,222	-13.3	1,882	1,243	-639	-34.0
डीवीसी	13,387	13,039	-348	-2.6	1,852	1,803	-49	-2.6
झारखंड	5,139	4,458	-681	-13.3	865	787	-78	-9.0
उड़ीसा	18,846	18,500	-346	-1.8	3,142	2,905	-237	-7.5
पश्चिम बंगाल	29,020	27,902	-1,118	-3.9	5,283	4,987	-296	-5.6
सिक्किम	284	267	-17	-6.0	69	66	-3	-4.3
अंडमान और निकोबार द्वीपमसूह	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	75,831	72,099	-3,732	-4.9	12,031	10,699	-1,332	-11.1
अरुणाचल प्रदेश	391	302	-89	-22.8	101	75	-26	-25.7
असम	4,816	4,412	-404	-8.4	848	766	-82	9.7
मणिपुर	530	501	-29	-5.5	119	97	-22	-18.5
मेघालय	1,620	1,232	-388	-24.0	455	279	-176	-38.7
मिजोरम	288	246	-42	-14.6	97	58	-39	-40.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नागालैंड	377	334	-43	-11.4	91	88	-3	-3.3
त्रिपुरा	777	686	-91	-11.7	171	141	-30	-17.5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	8,799	7,713	-1,086	-12.3	1,742	1,347	-395	-22.7
अखिल भारतीय	739,343	666,007	-73,336	-9.9	108,866	90,793	-18,073	-16.6

लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टेंड एलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

नोट : व्यस्ततमकालीन पूरी की गई और ऊर्जा उपलब्धता, दोनों, विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) को दर्शाता है। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों की खपत में शामिल किया गया है।

2008-09 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2008-मार्च, 2009				व्यस्ततकालीन अप्रैल, 2008-मार्च, 2009			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष कमी (मि.यू.)	(%)	व्यस्ततम-कालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम-कालीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,414	1,414	0	0.0	279	279	0	0.0
दिल्ली	22,398	22,273	-125	-0.6	4,036	4,034	-2	0.0
हरियाणा	29,085	26,625	-2,460	-8.5	5,511	4,791	-720	-13.1
हिमाचल प्रदेश	6,260	6,241	-19	-0.3	1,055	1,014	-41	-3.9
जम्मू और कश्मीर	11,467	8,698	-2,769	-24.1	2,120	1,380	-740	-34.9
पंजाब	41,635	37,238	-4,397	-10.6	8,690	7,309	-1,381	-15.9
राजस्थान	37,797	37,388	-409	-1.1	6,303	6,101	-202	-3.2
उत्तर प्रदेश	69,207	54,309	-14,898	21.5	10,587	8,248	-2,339	-22.1
उत्तराखंड	7,841	7,765	-76	-1.0	1,267	1,267	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	227,104	201,951	-25,153	-11.1	33,034	29,504	-3,530	-10.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़	14,866	14,475	-391	-2.6	2,887	2,830	-57	2.0
गुजरात	67,482	60,851	-6,631	-9.8	11,841	8,960	-2,881	-24.3
मध्य प्रदेश	42,054	34,841	-7,213	-17.2	7,564	6,810	-754	-10.0
महाराष्ट्र	121,901	95,761	-26,140	-21.4	18,049	13,766	-4,283	-23.7
दमन और दीव	1,797	1,576	-221	-12.3	240	215	-25	-10.4
दादरा और नगर हवेली	3,574	3,457	-117	-3.3	504	443	-61	-12.1
गोवा	2,801	2,754	-47	-1.7	466	413	-53	-11.4
पश्चिमी क्षेत्र	254,475	213,715	-40,760	-16.0	37,240	30,153	-7.087	-19.0
आंध्र प्रदेश	71,511	66,673	-4,838	-6.8	11,083	9,997	-1,086	-9.8
कर्नाटक	43,168	40,578	-2,590	-6.0	6,892	6,548	-344	-5.0
केरल	17,645	15,562	-2,083	-11.8	3.188	2,751	-437	-13.7
तमिलनाडु	69,668	64,208	-5,460	-7.8	9,799	9,211	-588	-6.0
पुदुचेरी	2,020	1,773	-247	-12.2	304	275	-29	-9.5
लक्षद्वीप	24	24	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	204,012	188,794	-15,218	-7.5	28,958	26,245	-2,713	-9.4
बिहार	10,527	8,801	-1,726	-16.4	1,842	1,333	-509	-27.6
डीवीसी	14,002	13,699	-303	-2.2	2,217	2,178	-39	-1.8
झारखंड	5,361	5,110	-251	-4.7	889	887	-2	-0.2
उड़ीसा	20,519	20,214	-305	-1.5	3,062	2,987	-75	-2.4
पश्चिम बंगाल	31,289	30,290	-999	-3.2	5,387	5,379	-8	-0.1
सिक्किम	343	330	-13	-3.8	97	95	-2	-2.1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	236	184	-52	-22	40	38	-2	-5
पूर्वी क्षेत्र	82,041	78,444	-3,597	-4.4	12,901	11,789	-1,112	-8.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरुणाचल प्रदेश	426	271	-155	-36.4	130	79	-51	-39.2
असम	5,107	4,567	-540	-10.6	958	797	-161	-16.8
मणिपुर	556	477	-79	-14.2	128	95	-33	-25.8
मेघालय	1,713	1,386	-327	-19.1	457	293	-164	-35.9
मिजोरम	330	269	-61	-18.5	100	64	-36	-36.0
नागालैंड	475	436	-39	-8.2	95	86	-9	-9.5
त्रिपुरा	800	728	-72	-9.0	167	156	-11	-6.6
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	9,407	8,134	-1,273	-13.5	1,820	1,358	-462	-25.4
अखिल भारतीय	777,039	691,038	-86,001	-11.1	109,809	96,785	-13,024	-11.9

#लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टेंड एलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

नोट : व्यस्ततमकालीन पूरी की गई और ऊर्जा उपलब्धता, दोनों, विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) को दर्शाता है। निवल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों की खपत में शामिल किया गया है।

2009-10 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2009-मार्च, 2010				व्यस्ततकालीन अप्रैल, 2009-मार्च, 2010			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष कमी (मि.यू.)	(%)	व्यस्ततम-कालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम-कालीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	1,576	1,528	-48	-3	308	308	0	0
दिल्ली	24,277	24,094	-183	-0.8	4,502	4,408	-94	-2.1
हरियाणा	33,441	32,023	-1,418	-4.2	6,133	5,678	-455	-7.4
हिमाचल प्रदेश	7,047	6,769	-278	-3.9	1,118	1,158	40	3.6
जम्मू और कश्मीर	13,200	9,933	-3,267	-24.8	2,247	1,487	-760	-33.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	45,731	39,408	-6,323	-13.8	9,786	7,407	-2,379	-24.3
राजस्थान	44,109	43,062	-1,047	-2.4	6,859	6,859	0	0.0
उत्तर प्रदेश	75,930	59,508	-16,422	-21.6	10,856	8,563	-2,293	-21.1
उत्तराखंड	8,921	8,338	-583	-6.5	1,397	1,313	-84	-6.0
उत्तरी क्षेत्र	254,231	224,661	-29,570	-11.6	37,159	31,439	-5,720	-15.4
छत्तीसगढ़	11,009	10,739	-270	-2.5	2,819	2,703	-116	-4.1
गुजरात	70,369	67,220	-3,149	-4.5	10,406	9,515	-891	-8.6
मध्य प्रदेश	43,179	34,973	-8,206	-19.0	7,490	6,415	-1,075	-14.4
महाराष्ट्र	124,936	101,512	-23,424	-18.7	19,388	14,664	-4,724	-24.4
दमन और दीव	1,934	1,802	-132	-6.8	280	255	-25	-8.9
दादरा और नगर हवेली	4,007	3,853	-154	-3.8	529	494	-35	-6.6
गोवा	3,092	3,026	-66	-2.1	485	453	-32	-6.6
पश्चिमी क्षेत्र	258,528	223,127	-35,401	-137	39,609	32,586	-7,023	-17.7
आंध्र प्रदेश	78,996	73,765	-5,231	-6.6	12,168	10,880	-1,288	-10.6
कर्नाटक	45,550	42,041	-3,509	-7.7	7,942	6,897	-1,045	-13.2
केरल	17,619	17,196	-423	-2.4	3,109	2,982	-127	-4.1
तमिलनाडु	76,293	71,568	-725	-6.2	11,125	9,813	-1,312	-11.8
पुदुचेरी	2,119	1,975	-144	-6.8	327	294	-33	-10.1
लक्षद्वीप	24	24	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	220,576	206,544	-14,032	-6.4	32,178	29,049	-3,129	-9.7
बिहार	11,587	9,914	-1,673	-14.4	2,249	1,509	-740	-32.9
डीवीसी	15,199	14,577	-622	-4.1	1,938	1,910	-28	-1.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	5,867	5,407	-460	-7.8	1,088	947	-141	-13.0
उड़ीसा	21,136	20,955	-181	-0.9	3,188	3,120	-68	-2.1
पश्चिम बंगाल	33,750	32,819	-931	-2.8	6,094	5,963	-131	-21
सिक्किम	388	345	-43	-11.1	96	94	-2	-2.1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	87,927	84,017	-3,910	-4.4	13,220	12,384	-836	-6.3
अरुणाचल प्रदेश	399	325	-74	-18.5	95	78	-17	-17.9
असम	5,122	4,688	-434	-8.5	920	874	-46	-5.0
मणिपुर	524	430	-94	-17.9	111	99	-12	-10.8
मेघालय	1,550	1,327	-223	-14.4	280	250	-30	-10.7
मिजोरम	352	288	-64	-18.2	70	64	-6	-8.6
नागालैंड	530	466	-64	-12.1	100	96	-4	-4.0
त्रिपुरा	855	771	-84	-9.8	176	173	-3	-1.7
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	9,332	8,296	-1,036	-11.1	1,760	1,445	-315	-17.9
अखिल भारतीय	830,594	746,644	-83,950	-10.1	119,166	104,009	-15,157	-12.7

#लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टेंड एलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

2010-11 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति (जून, 2010 तक) (अनंतिम)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा अप्रैल, 2010-जून, 2010				व्यस्ततकालीन अप्रैल, 2010-जून, 2010			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष कमी (मि.यू.)	(%)	व्यस्ततम-कालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम-कालीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	448	448	0	0	261	261	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	7,752	7,721	-31	-0.4	4,628	4,581	-47	-1.0
हरियाणा	8,559	7,713	-846	-9.9	5,605	4,951	-654	-11.7
हिमाचल प्रदेश	1,846	1,778	-68	-3.7	1,083	1,043	-40	-3.7
जम्मू और कश्मीर	3,383	2,552	-831	-24.6	2,100	1,503	-597	-28.4
पंजाब	12,099	10,814	-1,285	-10.6	8,532	7,764	-768	-9.0
राजस्थान	11,167	10,929	-238	-2.1	6,821	6,203	-608	-9.1
उत्तर प्रदेश	19,970	15,908	-4,062	-20.3	10,662	9,386	-1,276	-12.0
उत्तराखंड	2,501	2,163	-338	-13.5	1,494	1367	-127	-8.5
उत्तरी क्षेत्र	67,725	60,026	-7,699	-11.4	35,877	32,395	-3,482	-9.7
छत्तीसगढ़	2,408	2,320	-88	-3.7	2,913	2,759	-154	-5.3
गुजरात	19.267	17,732	-1,535	-8.0	10,181	9,277	-904	-8.9
मध्य प्रदेश	11,004	8,510	-2,494	-22.7	6,880	5,514	-1,366	-19.9
महाराष्ट्र	34,846	27,088	-7,758	-22.3	19,766	15,402	-4,364	-22.1
दमन और दीव	484	466	-18	-3.7	239	239	0	0.0
दादरा और नगर हवेली	1,030	1,030	0	0.0	502	490	-12	-2.4
गोवा	835	806	-29	-3.5	544	453	-91	-16.7
पश्चिमी क्षेत्र	69,874	57,952	-11,922	-17.1	39,560	32,142	-7,418	-18.8
आंध्र प्रदेश	20,112	18,409	-1,703	-8.5	12,018	10,396	-1,622	-13.5
कर्नाटक	12,254	10,990	-1,264	-10.3	7,642	6,627	-1,015	-13.3
केरल	4,514	4,400	-114	-2.5	3,052	2,916	-136	-4.5
तमिलनाडु	20,098	18,462	-1,636	-8.1	11,440	9,940	-1,500	-13.1
पुदुचेरी	543	514	-29	-5.3	319	289	-30	-9.4
लक्षद्वीप	6	6	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	57,521	52,775	-4,746	-8.3	32,214	29,054	-3,160	-9.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	3,041	2,475	-566	-18.6	2,073	1,451	-622	-30.0
डीवीसी	3,923	3,532	-391	-10.0	1,981	1,931	-50	-2.5
झारखंड	1,452	1,362	-90	-6.2	964	948	-16	-1.7
उड़ीसा	5,450	5,393	-57	-1.0	3,079	3,060	-19	-0.6
पश्चिम बंगाल	9,718	9,298	-420	-4.3	6,162	5,637	-525	-8.5
सिक्किम	93	92	-1	-1.1	81	80	-1	-1.2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60	45	-15	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	23,677	22,152	-1,252	-6.4	13,436	12,304	-1,132	-8.4
अरुणाचल प्रदेश	109	88	-21	-19.3	96	73	-23	-24.0
असम	1,235	1,116	-119	-9.6	899	843	-56	-6.2
मणिपुर	126	103	-23	-18.3	90	89	-1	-1.1
मेघालय	313	242	-71	-22.7	281	191	-90	-32.0
मिजोरम	84	69	-15	-17.9	70	57	-13	-18.6
नागालैंड	134	118	-16	-11.9	100	95	-5	-5.0
त्रिपुरा	215	188	-27	-12.6	185	149	.36	-19.5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2,216	1,924	-292	-13.2	1,720	1,451	-269	-15.6
अखिल भारतीय	221,013	194,829	-26,184	-11.8	119,437	103,003	-16,434	-13.8

#लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टेंड एलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

*82. **श्री महेश जोशी :**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी किसी व्यापक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या को स्थिर, करने हेतु राज्यों को गई वित्तीय सहायता सहित सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं तथा इस संबंध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक उद्देश्य गर्भनिरोधन की अपूरित आवश्यकता को पूरा करना, मानव संसाधन सहित स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आधारभूत ढांचे का विकास करना, अंतरक्षेत्रीय प्रचालनात्मक कार्यनीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और स्थाई आर्थिक प्रगति, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के अपेक्षित स्तर पर वर्ष 2045 तक एक स्थाई जनसंख्या प्राप्त करना है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति द्वारा यथा परिकल्पित जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, परिवार नियोजन और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं हेतु ग्राम स्तर पर सेवा प्रदान करने के कार्य के सम्मिलन, और स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाली व्यापक कार्यनीतियों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन योजना के घटकों के रूप में किया जा रहा है।

जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों के अनुसरण में निम्नलिखित विशिष्ट पहलें की गई हैं:-

- बंध्यीकरण कराने वाले व्यक्तियों को बंध्यीकरण की विफलताओं, जटिलताओं और मृत्यु के लिए मुआवजा प्रदान करने तथा डाक्टरों को क्षतिपूर्ति बीमा कवर प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 से राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है।
- बंध्यीकरण कराने वाले व्यक्तियों के लिए मुआवजा पैकेज सितम्बर, 2007 से बढ़ा दिया गया है अर्थात् सरकारी सुविधा केन्द्रों में वैसेक्टॉमी के लिए इसे 800 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और ट्यूबेक्टॉमी के लिए 800 रु. से बढ़ाकर 1000 रुपए तथा मान्यताप्राप्त प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में वैसेक्टामी के लिए सभी राज्यों में सभी श्रेणियों के लिए इसे बढ़ाकर एक समान 1500 रुपए किया गया है ताकि नो स्केलपल वैसेक्टामी की स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया जा सके।
- जन्म में अंतर रखने की विधि के रूप में आईयूडी 380-ए को गहन रूप से बढ़ावा देना क्योंकि यह 10 वर्षों तक कार्य करता है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पूरे वर्ष नियत दिवस, नियत स्थान पर परिवार नियोजन सेवाओं को बढ़ावा देना।
- प्रेरणा और संतुष्टि कार्यनीति जिनके अंतर्गत जनसंख्या स्थिरता कोष द्वारा लड़कियों की देरी से शादी (विवाह की कानूनी आयु के बाद), उनके बच्चों के जन्म में समुचित अंतर और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी जैसे उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- स्वास्थ्य संवर्द्धन और परिवार नियोजन, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए जनसंख्या स्थिरता कोष काल सेंटर स्थापित किए गए हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यकलापों के लिए राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 1951 में कुल प्रजन्नता दर 6.0 थी जो वर्ष 2008 में घटकर 2.6 हो गई है। 14 बड़े राज्यों ने पहले ही प्रजननता का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया है। 12 राज्यों ने 2.1 और 3.0 के बीच की कुल प्रजननता दर प्राप्त कर ली है। शेष 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, नागालैंड और दादरा एवं नगर हवेली में कुल प्रजननता दर 3.0 से अधिक है। राज्य-वार कुल प्रजननता दर संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकारी आधारभूत ढांचे द्वारा अल्पसेवित या सेवित विहीन क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार और जागरूकता सृजन के साथ-साथ मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में सेवा प्रदानगी, परिवार नियोजन, किशोर प्रजनन स्वास्थ्य और जन्नमार्गीय संक्रमण की रोकथाम और उपचार प्रबंधन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करती हैं।

विवरण-I

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 में जनसंख्या स्थिरीकरण पर योजना-वार, वर्ष-वार व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष के दौरान व्यय		
		2007-08	2008-09	2009-10 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
केन्द्र प्रायोजित योजनाएं				
क	नाको के लिए कंडोम	274.96	174.06	222.85
ख	परिवार कल्याण			
1.	निदेश एवं प्रशासन (राज्य परिवार कल्याण ब्यरो)	215.8	302.46	281.31
2.	गर्भनिरोधक का निःशुल्क वितरण	36.97	54.42	35.2
3.	आरसीएच फ्लेक्सीपूल के अंतर्गत परिवार नियोजन	339.51	438.87	450.3
	कुल	867.24	969.81	989.66
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं				
क	गर्भनिरोधकों का सामाजिक विपणन	26.71	25.13	22.05
ख	परिवार कल्याण से जुड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना	3.17	4.93	18.33
ग	अन्य योजनाएं			
1.	नियोजित मातृत्व-पितृत्व में पुरुषों की भूमिका	0.9	0.73	0.45
2.	अन्य मंत्रालयों में परिवार कल्याण कार्यक्रम	0.59	0.34	0.27
	कुल	31.37	31.13	41.1
	कुल योग	898.61	1000.94	1030.76

विवरण-II

कुल प्रजननता दर

क्र.सं.	राज्य	प्रजननता दर
1	2	3
	कुल प्रजननता दर 3.1 और अधिक	
1.	बिहार	3.9
2.	उत्तर प्रदेश	3.8
3.	मेघालय	3.8
4.	नागालैंड	3.7 (2005-06 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III)
5.	दादरा एवं नगर हवेली	(1999 नमूना पंजीयन प्रणाली)
6.	राजस्थान	3.3
7.	मध्य प्रदेश	3.3
8.	झारखंड	3.2
9.	छत्तीसगढ़	3.0
	कुल प्रजननता दर 2.6-3.0	
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.0 (2005-06 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III)
2.	मिजोरम	2.9 (2005-06 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III)
3.	लक्षद्वीप	2.8 (1999 नमूना पंजीयन प्रणाली)
4.	मणिपुर	2.8 (2005-06 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III)
5.	असम	2.6
6.	उत्तराखंड	2.6
7.	गुजरात	2.5
8.	हरियाणा	2.5
1	2	3
	कुल प्रजननता दर 2.2-2.5	
1.	दमन और दीव	2.5 (1999 नमूना पंजीयन प्रणाली)
2.	उड़ीसा	2.4
3.	जम्मू और कश्मीर	2.3
4.	त्रिपुरा	2.2 (2005-06 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III)
	कुल प्रजननता दर 2.1 और कम	
1.	चंडीगढ़	2.1 (2000 नमूना पंजीयन प्रणाली)
2.	कर्नाटक	2.0
3.	सिक्किम	2.0 (2005-06 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III)
4.	महाराष्ट्र	2.0
5.	दिल्ली	2.0
6.	हिमाचल प्रदेश	1.9
7.	पश्चिम बंगाल	1.9
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.9 (1999 नमूना पंजीयन प्रणाली)
9.	पंजाब	1.9
10.	आंध्र प्रदेश	1.8
11.	गोवा	1.8 (2005-06 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III)
12.	पुदुचेरी	1.8 (1999 नमूना पंजीयन प्रणाली)
13.	तमिलनाडु	1.7
14.	केरल	1.7

टिप्पणी: नमूना पंजीयन प्रणाली एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III से प्राप्त आंकड़े (छोटे राज्यों के लिए)

कुपोषण के कारण बच्चों की मौतें

***83. श्री प्रेमचन्द गुड्डू :**
श्री यशवन्त सिन्हा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बच्चों में कुपोषण के कारण शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुपोषण के कारण कितने शिशुओं की मृत्यु होने का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) यद्यपि कुपोषण शिशु मृत्यु का प्रमुख कारण नहीं है तथापि, यह संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता घटाकर रुग्णता एवं मृत्यु बढ़ा सकता है। वर्ष 2001-03 की अवधि के लिए भारत के महापंजीयक से उपलब्ध कराए गए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल शिशु मृत्यु में से 2 प्रतिशत मृत्यु पोषणिक कमियों के कारण हुई थी।

नमूना पंजीयन प्रणाली (एसआरएस), भारत का महापंजीयक (आरजीआई) के अनुसार वर्ष 2006 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 57 थी जो वर्ष 2008 में घटकर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 53 हो गई है।

(ग) भारत सरकार ने आसुरक्षित लोगों की स्वास्थ्य एवं पोषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं:-

क. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय

1. **चिकित्सा सम्पूरण**

- 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विटामिन ए की सम्पूरक खुराक।
- 10 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए आयरन एवं फॉलिक एसिड की सम्पूरक खुराक।
- दैनिक उपयोग के लिए आयोडीनयुक्त नमक को बढ़ावा देना।
- 2 महीने से अधिक आयु के बच्चों में अतिसार के उपचार के लिए जिंक की सम्पूरक खुराक।

2. **पोषणिक पुनर्वास केन्द्र (एनआरसी)**

गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का अंतरंग रोगी के रूप में उपचार प्रबन्धन करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में 609 पोषणिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, जहां माताओं को स्तनपान कराने के तौर-तरीकों के बारे में परामर्श दिया जाता है।

3. **उएकीकृत नवजात शिशु एवं बाल्यावस्था रुग्णता प्रबन्धन के बारे में स्वास्थ्य कार्मिक का प्रशिक्षण-**

सामुदायिक परिवेशों में गंभीर तीव्र कुपोषण सहित रोग के उपचार प्रबंधन के बारे में कौशल विकास तथा निवारक, संवर्धानात्मक और उपचारात्मक पहलुओं के संबंध में।

ख. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए उपाए-

- **सम्पूरक पोषण सहित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)**- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल करना और उनको 6 सेवाओं नामत: सम्पूरक पोषण, रोग प्रतिरक्षण स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाओं, स्कूल जाने से पहले की आयु में शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा का एक पैकेज प्रदान करना।

ग. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिलकर किए गए कार्यकलाप-

- **शिशु एवं बाल आहार कार्यक्रम-**

  शीघ्र ही स्तनपान शुरू करने (प्रसव के एक घंटे के भीतर) को बढ़ावा देना, 6 महीने की आयु तक केवल स्तनपान और स्तनपान जारी रखते हुए समय पर अनुपूरक आहार प्रदान करना।

- सहायक नर्स धात्रियों, आशाओं और आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनवाडी केन्दों में पोषण संबंधी परामर्श और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत **ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस।**

- जागरूकता बढ़ाने और स्तनपान और आहार विविधता सहित आहार संबंधी तौर-तरीकों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए **पोषणिक शिक्षा।**

[अनुवाद]

गुप्त बैंक खाते

*84. **श्री मोहन जेना :**

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा गुप्त रूप से स्विस बैंकों में खाते रखने की कोई सूचना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्विट्जरलैंड की सरकार से इस संबंध में सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने विदेशों में जमा काले धन का कोई आंकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने अमरीका द्वारा स्विट्जरलैंड की सरकार से कथित रूप से ऐसी सूचना प्राप्त किए जाने की तर्ज पर इस जमा धन के संबंध में ब्यौरा प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मौजूदा दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार (डीटीएए) के तहत स्विस परिसंघ में भारतीयों द्वारा रखे गए बैंक खातों के ब्यौरे मांगने के लिए समस-समय पर प्रयास किए गए हैं। तथापि, स्विस संघीय कर प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के बैंक जमाराशियों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, क्योंकि सूचना, भारत और स्विस परिसंघ के बीच डीटीएए के अनुप्रयोजन हेतु आवश्यक नहीं थी बल्कि यह सिर्फ भारतीय आन्तरिक कानूनों को लागू करने के लिए अपेक्षित थी। उन्होंने यह भी उत्तर दिया कि ऐसी सूचना, कर प्रशासन की सामान्य प्रक्रिया में स्विस कानूनों के तहत उनके पास नहीं थी।

2. भारत और स्विस परिसंघ के बीच मौजूदा डीटीएए के अनुसार स्विट्जरलैंड में बैंक जमा राशियों के संबंध में सूचना प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया है, अतः स्विट्जरलैंड से अप्रैल, 2009 में हमारे मौजूदा डीटीएए में सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित अनुच्छेद पर पुनः वार्त्ता की पेशकश की गई थी ताकि हम बैंक संबंधी सूचना प्राप्त कर सकें। स्विट्जरलैंड, इस अनुच्छेद के साथ-साथ मौजूदा डीटीएए के अन्य अनुच्छेदों पर पुनः वार्त्ता के लिए सहमत हो गया था और भारत और स्विस परिसंघ के बीच डीटीएए की पुनः वार्ता निष्पन्न हो गई है। संशोधित डीटीएए को शीघ्र प्रवृत्त करने के लिए मामले पर सक्रिय रूप से कार्यवाही की जा रही है। संशोधित डीटीएए के प्रवृत्त होने के बाद, भारत स्विट्जरलैंड से विशिष्ट मामलों में बैंक संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेगा।

3. इसके अतिरिक्त, प्रवर्त्तन निदेशालय ने भारतीय नागरिकों द्वारा फेमा, 1999 के संगत उपबंधों के उल्लंघन में स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने के कुछेक मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करके उपयुक्त कार्रवाई की है। स्विस प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार उपयुक्त कदम उठाए गए हैं।

(घ) और (ङ)

4. विदेशों में जमा काले धन की मात्रा का कोई प्रमाणनीय आकलन नहीं है।

(च)

5. संयुक्त राज्य अमरीका के अनुसार, न्याय विभाग ने 21 अगस्त, 2009 को प्रेस घोषणा की कि यूएसबी, जो कि स्विस परिसंघ का एक बड़ा बैंक है, ने फरवरी, 2009 में एक आस्थगित अभियोजन करार निष्पन्न किया और बैंक ने आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) से खातों को छिपाने में यू.एस. करदाताओं की मदद करने की बात स्वीकार की है। अपने करार के भाग के रूप में, यूबीएस ने यूबीएस के सीमा पार के कारोबार के कुछेक संयुक्त राज्य ग्राहकों की पहचान एवं उनके खातों की जानकारी संयुक्त राज्य सरकार को उपलब्ध करायी। इसके अलावा, उसी प्रेस घोषणा के अनुसार यूबीएस ने 4,450 अतिरिक्त यूबीएस ग्राहकों की पहचान एवं खाता संबंधी जानकारी देने की सहमति दी है, जिनके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि उन्होंने संयुक्त राज्य कानून का उल्लंघन किया है।

6. किसी भी स्विट्जरलैंड बैंक द्वारा ऐसी स्वीकारोक्ति प्रकाश में नहीं आई है कि उन्होंने भारतीय कर विभाग से खातों को छिपाने में भारतीय करदाताओं की मदद की है।

मुद्रास्फीति

*85. श्री बिभू प्रसाद तराई :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि लगातार जारी रही तथा मई 2010 में थोक मूल्यों में वृद्धि दो अंक तक पहुंच गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान मुद्रास्फीति को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) विभिन्न वस्तुएं कीमतों में अलग-अलग समय पर अलग-अलग उतार-चढ़ाव दर्शाती हैं।

पिछले तीन वर्षों में क्षेत्र-वार औसत मुद्रास्फीति नीचे सारणी में दिखाई गई है (सारणी-1)।

सारणी-1: डब्ल्यूपीआई में पिछले तीन वर्षों की क्षेत्र-वार औसत मुद्रास्फीति (%)

	भारांश (%)	2007-08	2008-09	2009-10	अप्रैल-10	मई-10	जून-10
सभी वस्तुएं	100.00	4.61	8.44	3.85	11.23	10.16	10.55
प्राथमिक वस्तुएं	22.03	7.52	10.20	11.00	17.06	16.60	16.28
ईंधन विद्युत प्रकाश तथा स्नेहक	14.23	0.96	7.46	-2.36	12.89	13.05	14.32
विनिर्मित उत्पाद	63.75	4.92	8.15	32.69	8.18	6.41	6.66
संमिश्र खाद्य वस्तुएं	25.43	3.57	7.59	8.72	15.16	14.56	12.73
संमिश्र खाद्य-भिन्न वस्तुएं	74.57	4.94	8.71	2.30	9.88	8.65	9.79
30 आवश्यक वस्तुएं	17.63	2.22	8.16	18.02	16.80	15.45	13.15

मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय ये हैं: चावल, उड़द और तूर के निर्यात और वायदा व्यापार पर चयनात्मक प्रतिबंध; चुनिंदा खाद्य-वस्तुओं पर शून्य आयात शुल्क; आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत खाद्य-वस्तुओं की लाइसेंसिंग, स्टॉक सीमाओं और आवा-जाही पर लगे प्रतिबंधों को हटाना; सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दालों और चीनी का आयात किए जाने की अनुमति देना; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित दालों और खाद्य तेलों का वितरण करना एवं गैर-लेवी चीनी का अधिक कोटा जारी करना।

इसके अतिरिक्त, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 15 मार्च, 2010 को मुख्यमंत्रियों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों का एक स्थायी केन्द्रीय दल गठित किया गया है जिसमें कृषि मंत्रालय नोडल एजेंसी का कार्य करेगा। इस केन्द्रीय दल की पहली बैठक 08.04.2010 को हुई थी।

इसके अलावा, मौद्रिक नीति की समीक्षा के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने और स्फीतिकारी संभावनाओं के बढ़ने पर रोक लगाने के लिए, सुधार प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर डाले बिना, पालिसी दरों में क्रमिक बढ़ोतरी की है (सारणी-2)।

सारणी 2 : पालिसी दरों में परिवर्तन

अधोलिखित तारीख से प्रभावी	रिवर्स रेपो दर	रेपो दर	प्रारक्षित नकद अनुपात
13 फरवरी, 2010	3.25	4.75	5.50
27 फरवरी, 2010	3.25	4.75	5.75
19 मार्च, 2010	3.50	5.00	5.75
24 अप्रैल, 2010	3.75	5.25	6.00
2 जुलाई, 2010	4.00	5.50	6.00
27 जुलाई, 2010	4.50	5.75	6.00

[हिन्दी]

खाद्य वस्तुओं में मिलावट

*86. **श्री विश्व मोहन कुमार :**
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने और फलों एवं सब्जियों के शीघ्र पकने हेतु कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक रसायनों का प्रयोग करने के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन रसायनों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मामलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) फलों और सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड गैस (एसीटिलीन गैस) के प्रयोग को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 44क क के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया है। तथापि, फलों और सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए ऐसे प्रतिबन्धित रसायनों के प्रयोग की रिपोर्टें उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई हैं जिनके अनुसार 28 जून, 2010 से 24 जुलाई, 2010 तक की अवधि के दौरान फलों को कृत्रिम रूप से पकाने और सब्जियों को रंगने के लिए ऐसे प्रतिबन्धित रसायनों के प्रयोग के संबंध में 35 प्राथमिकियां (एफआईआर) दर्ज की गई हैं। राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सामग्री में अपमिश्रण के मामलों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) कैल्शियम कार्बाइड से थोडी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और फॉस्फिन जैसी गैसें पैदा होती हैं, यदि उन्हें सीधे सांस द्वारा अंदर लिया जाए तो उनसे मिचली, उल्टी और सरदर्द हो सकते हैं।

(ङ) अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और खाद्य अपमिश्रण नियमावली, 1955 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के खाद्य सुरक्षा/खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरणों के आयुक्तों को सलाह दी गई है कि वे फलों को पकाने के लिए कार्बाइड गैस और अन्य खतरनाक रसायनों के प्रयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखें तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमावली के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करें। इस संबंध में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने की गतिविधि का पता लगाने के लिए गोदामों या ट्रीटमेंट चैंबरों में कार्बाइड गैस (एसिटिलिन गैस) का पता लगाने की प्रक्रिया भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित कर दी गई है।

विवरण

मिलावटी खाद्य वस्तुओं की प्रतिशतता के बारे में तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006			2007			2008		
		जांचे गए	मिलावटी	प्रतिशत	जांचे गए	मिलावटी	प्रतिशत	जांचे गए	मिलावटी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	11476	516	4.50	10920	367	3.36	12310	627	5.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	अरुणाचल प्रदेश	167	1	0.60	417	5	1.20	390	4	1.03
4.	असम	1161	69	5.94	1098	86	7.83	1220	84	6.89
5.	बिहार	1764	371	21.03	595	105	17.65	1474	230	15.60
6.	चंडीगढ़	353	44	12.46	155	15	9.68	121	10	8.26
7.	छत्तीसगढ़	135	32	23.70	10	4	40	165	39	23.64
8.	दादरा और नगर हवेली	32	4	12.5	12	0	0	72	7	9.72
9.	दमन और दीव	15	शून्य	शून्य	8	0	0	उ.न.	उ.न.	उ.न.
10.	दिल्ली	2911	223	7.66	3164	189	5.97	3178	212	6.67
11.	गोवा	306	6	1.96	434	6	1.38	341	12	3.52
12.	गुजरात	7111	337	4.74	6132	219	3.57	5994	297	4.95
13.	हरियाणा	2430	430	17.70	2582	313	12.12	3196	328	10.26
14.	हिमाचल प्रदेश	602	61	10.13	535	81	15.14	713	141	19.78
15.	जम्मू और कश्मीर	766	109	14.23	1184	176	14.86	उ.न.	उ.न.	उ.न.
16.	झारखंड	490	55	11.22	731	133	18.19	805	110	13.66
17.	कर्नाटक	1575	243	15.43	3588	447	12.46	5122	255	4.98
18.	केरल	12867	277	2.15	13468	326	2.42	14220	367	2.58
19.	लक्षद्वीप	उ.न.	उ.न.	उ.न.	शून्य	शून्य	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
20.	मध्य प्रदेश	2372	214	9.022	2423	246	10.15	1782	218	12.23
21.	महाराष्ट्र	15578	1597	10.25	13677	1420	10.38	15093	1382	9.16
22.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	59	1	1.69
23.	मेघालय	70	1	1.43	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	नागालैंड	127	4	3.15	111	9	8.11	154	5	3.25
26.	उड़ीसा	509	132	25.93	379	92	24.27	उ.न.	उ.न.	उ.न.
27.	पुदुचेरी	410	18	4.39	384	4	1.042	उ.न.	उ.न.	उ.न.
28.	पंजाब	3090	282	9.13	2327	429	18.44	3139	623	19.85
29.	राजस्थान	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
30.	सिक्किम	49	15	30.61	75	10	13.33	102	9	8.82
31.	तमिलनाडु	3109	399	12.83	5331	968	18.16	4322	711	16.45
32.	त्रिपुरा	515	25	4.85	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	उत्तर प्रदेश	16309	1740	10.67	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
34.	उत्तराखंड	418	19	4.55	252	34	13.49	254	23	9.6
35.	पश्चिम बंगाल	844	162	19.19	618	81	13.11	609	89	14.61
	कुल:	87561	7386	8.44	70610	5765	8.16	74835	5784	7.73

संकेत: उ.न. = उपलब्ध नहीं

वित्तीय घाटा

***87. श्री गुरुदास दासगुप्त :**
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2009-2010 में देश का वित्तीय घाटा 6.67 प्रतिशत रहा;

(ख) क्या यह घाटा अर्थव्यवस्था में बेहतर सुधार, जो कि बजट अनुमानों से अधिक था, के बावजूद हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 2009-10 (अनंतिम लेखाओं) में राजकोषीय घाटा 4,12,307 करोड़ रुपए रहा। मई, 2010 में वर्ष 2009-10 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का संशोधित अनुमान, जैसाकि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किया गया है, 62,31,171 करोड़ रुपए रहा इस प्रकार, वर्ष 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 6.62 प्रतिशत बैठता है।

(ख) और (ग) ब.अ. 2009-10 में राजस्व घाटा 4,00,996 करोड़ रुपए अनुमानित था, जो 2009-10 (अनंतिम लेखाओं) में मामूली रूप से बढ़कर 4,12,307 करोड़ रुपए हो गया अर्थात् 11,311 करोड़

रुपए की बढ़ोत्तरी हो गई। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में (नवीनतम सीएसओ आंकड़े) राजकोषीय घाटा बजट अनुमान 2009-10 के 6.43 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 2009-10 में (अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक) 6.62 प्रतिशत हो गया। यह बढ़ोत्तरी मुख्यतया कर और कर-भिन्न प्राप्तियों में कमी की वजह से रही जिसकी आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों और कुल व्यय में मामली कमी द्वारा की गई।

(घ) सरकार का मध्यावधिक उद्देश्य राजकोषीय समेकन के मार्ग पर लौटना है। बजट 2010-11 के साथ प्रस्तुत मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में राजकोषीय घाटे के लिए खाका तैयार किया गया था जिसमें वर्ष 2010-11 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान 5.5 प्रतिशत लगाया गया है। अगले दो वर्षों अर्थात् 2011-12 और 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा, सघउ का क्रमश: 4.8 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2010-11 में राजकोषीय घाटे में कमी का अनुमान निम्नलिखित आधार पर किया गया है, जैसे मुख्यतया केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) में वृद्धि के कारण कर राजस्व में बढ़ोत्तरी; ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी; और व्यय प्रबंधन में सुधार।

बचत लैम्प योजना

*88. श्री एम.बी. राजेश :
श्री सी. शिवासामी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बचत लैम्प योजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है तथा तापदीप्त बल्बों के स्थान पर कम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैंप (सीएफएल) का प्रयोग करने हेतु कितनी राजसहायता दी जा रही है;

(ख) राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न एजेंसियों का राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना तमिलनाडु सहित देश में तापदीप्त बल्बों के साथ पर सीएफएल का प्रयोग करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं या किये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) केन्द्र सरकार ने बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) स्कीम के लिए 48 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है। तापदीप्त बल्बों के स्थान पर कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सीएफएल) लगाने के लिए कोई राजसहायता नहीं दी जा रही है। भारत सरकार के संसाधनों का उपयोग कार्यक्रम के कार्यकलापों के पंजीकरण, निगरानी तथा बचत के सत्यापन हेतु किया जाता है, जिसके फलस्वरूप स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट्स जारी किए जाएंगे।

(ख) राज्यों में बीएलवाई स्कीम के कार्यान्वयन में लगी विभिन्न एजेंसियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार बीएलवाई के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ताओं की इन गतिविधियों के स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) परियोजना के रूप में पंजीकरण को सुगम बनाती है। चूंकि एकल सीडीएम परियोजनाओं का पंजीकरण महंगा है और अधिक समय लेने वाला है, इसलिए भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत सीडीएम गतिविधि कार्यक्रम (पीओए) पंजीकृत किया है। अब कोई भी आपूर्तिकर्ता किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक परियोजना विकसित कर सकता है और यदि यह पीओए अपेक्षाओं के पूर्णतया अनुकूल है तो इसे पीओए के अंतर्गत एक सीडीएम परियोजना के रूप में पंजीकृत करा सकता है। पीओए के अंतर्गत परियोजना के पंजीकरण में कुछ महीने लगते हैं जबकि एकल परियोजनाओं के पंजीकरण में 1.5 से 2 वर्ष तक लग जाते हैं। आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा में प्रायोगिक परियोजनाएं एकल परियोजनाओं के रूप में पंजीकृत की गई जो सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई थी। पीओए को दिनांक 29.04.2010 को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेन्ज (यूएन एफसीसीसी) के सीडीएम कार्यकारी बोर्ड के साथ पंजीकृत किया गया था। पीओए के अंतर्गत अनेक राज्य शामिल किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, 16 राज्यों में विद्युत वितरण कंपनियों ने प्रचालन के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में निवेशकों की पहचान करते हुए बचत लैम्प योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की है। अब तक, 158 लाख सीएफएल का वितरण एकल सीडीएम और पीओए परियोजनाओं के अंतर्गत पहले ही किया जा चुका है। तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड ने भी राज्य में बीएलवाई के कार्यान्वयन के लिए निवेशकों का चयन कर लिया है।

(ङ) अभी सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय किया जाना अपेक्षित नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	अधीनस्थ परियोजनाएं बीएलवाई पीओए	एकल	वितरण कंपनी का नाम	चिन्हित निवेशक	सीएफएल का वितरण (लाख में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	(क) आंध्र प्रदेश		एकल परियोजना विशाखापटनम (विजाग)	आंध्र प्रदेश लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल) की ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी	ओसराम इंडिया प्रा. लि.	3.5	पूरा किया गया सीएफएल वितरण
	(ख)	बीएलवाई पीओए के अधीन		आंध्र प्रदेश लिमिटेड की सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी	सी-क्वेस्ट कैपिटल		चिन्हित परियोजनाएं
2.	(क) हरियाणा		एकल परियोजना यमुना नगर और सोनीपत	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएन)	ओसराम इंडिया प्रा. लि.	5 गया	पूरा किया सीएफएल वितरण
	(ख)	बीएलवाई पीओए के अधीन		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएन)			चिन्हित परियोजनाएं
3.	छत्तीसगढ़		एकल परियोजना राजनंदगांव (सर्कल)	छत्तीसगढ़ स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीएसईबी)	बनयन एनवायरनमेंटल इनोवेशन्स प्रा./लिमिटेड	3.6	पूरा किया गया सीएफएल वितरण
4.	हिमाचल प्रदेश		एकल परियोजना	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबी)	एचपीएसईबी	56	पूरा किया गया सीएफएल वितरण
5.	(क) केरल	बीएलवाई पीओए के अधीन		केरल राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (दक्षिणी व उत्तरी क्षेत्र)	90	पूरा किया गया सीएफएल वितरण

1		2	3	4	5	6	7	8
	(ख)					ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (दक्षिणी व उत्तरी क्षेत्र)		चिन्हित परियोजनाएं
6.	(क)	पंजाब	बीएलवाई पीओए के अधीन		पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	सी-क्वेस्ट कैपिटल		चिन्हित परियोजनाएं
	(ख)					इंटरस्वेज एडवाइजर्स प्रा. लिमिटेड		चिन्हित परियोजनाएं
	(ग)					सिल्वर फर एडवाइजर्स प्रा.लि.		चिन्हित परियोजनाएं
	(घ)					एनर्जी एफसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड		चिन्हित परियोजनाएं
7.	(क)	मध्य प्रदेश	बीएलवाई पीओए के अधीन		मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	ग्रीन प्वाइंट एनर्जी लि.मि.		चिन्हित परियोजनाएं
	(ख)				मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड			चिन्हित परियोजनाएं
8.		उत्तर प्रदेश	बीएलवाई पीओए के अधीन		मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	बनयन एनवायरनमेंटल इनोवेशन्स प्रा./लिमिटेड		चिन्हित परियोजनाएं
9.		उत्तराखंड	बीएलवाई पीओए के अधीन		उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	इंटरस्वेज एडवाइजर्स प्रा. लिमि.		चिन्हित परियोजनाएं
10.	(क)	राजस्थान		एकल परियोजना	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	बनयन एनवायरनमेंटल इनोवेशन्स प्रा./लिमिटेड		चिन्हित परियोजनाएं

1	2	3	4	5	6	7	8
(ख)		बीएलवाई पीओए के अधीन		जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड			चिन्हित परियोजनाएं
11.	उड़ीसा	बीएलवाई पीओए के अधीन		उड़ीसा की सदर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी	बनयन एनवायरनमैंटल इनोवैशन्स प्रा./लिमिटेड		चिन्हित परियोजनाएं
12.	गोवा	बीएलवाई पीओए के अधीन		इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमैंट, गोवा सरकार	सिल्वर फर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड		चिन्हित परियोजनाएं
13.	कर्नाटक	बीएलवाई पीओए के अधीन		बंगलौर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी	एचपीएल इलैक्ट्रिक एण्ड पावर प्रा. लिमिटेड		चिन्हित परियोजनाएं
14.	पश्चिम बंगाल	बीएलवाई पीओए के अधीन		पश्चिम बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी	सी-क्वेस्ट कैपिटल		चिन्हित परियोजनाएं
15.	तमिलनाडु	बीएलवाई पीओए के अधीन		तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	सिल्वर फर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड		चिन्हित परियोजनाएं
16.	दिल्ली	बीएलवाई पीओए के अधीन		नेशनल दिल्ली पावर लिमिटेड	सी-क्वेस्ट कैपिटल		चिन्हित परियोजनाएं
	उप-योग विरित सीएसएल:					158.1	

पाद टिप्पणी

(1) 'बचत लैम्प योजना' स्कीम बीएलवाई पीओए और एकल सीडीएम परियोजना को शामिल करती है जिसने बीईई से मीटरिंग सहायता ली है।

(2) एचपीएसइबी एकल सीडीएम परियोजना के लिए पंजीकरण की शुरूआत।

(3) बीएलवाई पीओए पंजीकरण में शामिल करने के लिए केरल प्रस्ताव की शुरूआत हुई है।

[हिन्दी]

इन्फ्लुएन्जा ए एच1एन1 के मामले

***89. श्री अर्जुन राय :**
श्री सुरेश अंगड़ी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से पैन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा ए एच1 एन1 के नये मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष और चालू वर्ष का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कितनी रही और उनमें कितने व्यक्ति स्वस्थ हो गए एवं कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस विश्वमारी (पैन्डेमिक) की रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी सहायता दी गई;

(घ) क्या उक्त इन्फ्लुएन्जा के इलाज हेतु दवाओं की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) जी हां, महोदया। कैलेण्डर वर्ष 2009 और 2010 के लिए प्रयोगशाला संपुष्ट रोगियों एवं मौतों का राज्य/संघ क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) विश्वमारी इन्फ्ल्यूएंजा ए एच1एन1 के फैलाव और इसके दुष्प्रभावों को रोकने/सीमित करने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता देने हेतु भारत सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को स्थिति एवं आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए दलों को लगाया है। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के जरिये इंफ्लूएंजा जैसे रोग के क्लस्टरों का पता लगाने के लिए निगरानी की जा रही है। उपकरणों, उप-भोज्य वस्तुओं और रि-एजेंट्स के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोगशाला नेटवर्क को सुदृढ़ एवं समर्थित किया गया है एवं इसकी सहायता की गई है। सुदृढ़ की गई और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सौंपी गई प्रयोगशालाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं। भारत सरकार ने औषधियों, एन1एच1 वैक्सिन और निजी सुरक्षात्मक उपकरणों से राज्यों एवं संघ क्षेत्रों की सहायता की है (राज्य/संघ क्षेत्र वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III-V में दिये गए हैं)। राज्य/जिला स्तर पर प्रशिक्षण के लिए निधि आबंटित की गई हैं (ब्यौरे संलग्न विवरण-VI में हैं)। राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में निजी चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय चिकित्सा संघ को निधियां प्रदान की गई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में एक कार्यदल मीडिया योजना को क्रियान्वित कर रहा है। मुद्रण, श्रव्य एवं दृश्य मीडिया के माध्यम से जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या करें और क्या न करें एवं अन्य संबंधित सूचना को व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया है। राज्यों/संघ क्षेत्रों को दिशा निर्देश और मानक प्रचालनात्मक प्रक्रियाएं प्रदान की गई हैं। ऐसी सभी सूचनाएं वेबसाईट http://mohfw-h1n1.nic.in. में दी गई हैं।

(घ) जी नहीं, महोदया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

विश्वमारी इन्फ्लूएन्जा ए एच1एन1-राज्य/संघ क्षेत्र वार प्रयोगशाला सुनिश्चित रोगियों एवं मौतों की समेकित संख्या

(मई 2008 से 31 दिसम्बर, 2009 तक)*

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	समेकित प्रयोगशाला सुनिश्चित रोगी मई 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक	समेकित प्रयोगशाला सुनिश्चित रोगी मई 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक
1	2	3	4
1.	दिल्ली	8439	72
2.	आंध्र प्रदेश	777	52
3.	कर्नाटक	1872	131
4.	तमिलनाडु	2062	7

1	2	3	4
5.	महाराष्ट्र	4594	265
6.	केरल	1440	31
7.	पंजाब	114	33
8.	हरियणा	1887	33
9.	चंडीगढ़ (संघ क्षेत्र)	257	8
10.	गोवा	63	5
11.	पश्चिम बंगाल	135	0
12.	उत्तराखंड	129	10
13.	हिमाचल प्रदेश	14	7
14.	जम्मू और कश्मीर	93	2
15.	गुजरात	628	116
16.	मणिपुर	1	0
17.	मेघालय	8	0
18.	मिजोरम	4	1
19.	असम	47	1
20.	झारखंड	1	0
21.	राजस्थान	1918	149
22.	बिहार	7	0
23.	उत्तर प्रदेश	1215	14
24.	पुदुचेरी	87	6
25.	छत्तीसगढ़	46	2
26.	मध्य प्रदेश	20	8
27.	दमन और दीव	1	0
28.	उड़ीसा	26	3
29.	नागालैंड	2	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25	0
	कुल	25912	956

*पहला मामला मई 2009 में सूचित किया गया था।

इन्फ्लूएन्जा ए एच1एन1-राज्य/संघ क्षेत्र वार प्रयोगशाला सुनिश्चित रोगियों एवं मौतों की समेकित संख्या

(1 जनवरी 2010 से 25 जुलाई, 2010)

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	समेकित प्रयोगशाला सुनिश्चित रोगी 1 जनवरी, 2010 से 25 जुलाई, 2010	समेकित प्रयोगशाला सुनिश्चित मौते 1 जनवरी, 2010 से 25 जुलाई, 2010
1	2	3	4
1.	दिल्ली	1312	26
2.	आंध्र प्रदेश	129	12
3.	कर्नाटक	718	55
4.	तमिलनाडु	110	0
5.	महाराष्ट्र	2307	261
6.	केरल	1343	72
7.	पंजाब	62	7
8.	हरियणा	61	5

1	2	3	4
9.	चंडीगढ़ (संघ क्षेत्र)	63	0
10.	गोवा	2	0
11.	पश्चिम बंगाल	43	1
12.	उत्तराखंड	6	3
13.	हिमाचल प्रदेश	9	1
14.	जम्मू और कश्मीर	19	2
15.	गुजरात	905	194
16.	मणिपुर	1	0
17.	असम	5	1
18.	झारखंड	1	0
19.	राजस्थान	1462	49
20.	उत्तर प्रदेश	103	7
21.	पुदुचेरी	3	0
22.	छत्तीसगढ़	15	9
23.	मध्य प्रदेश	72	29
24.	उड़ीसा	3	1
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0
26.	दादर और नगर हवेली	1	1
	कुल	8757	736

विवरण-II

विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के साथ संबद्ध इन्फ्लूएन्जा ए एच1एन1 जांच हेतु सरकारी प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	राज्य	प्रयोगशाला का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	इंस्टीच्यूट ऑफ प्रीवेंटिव मेडिसीन, नारायणागुडा, हैदराबाद 500029 सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, नामपल्ली, हैदराबाद-500001.
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	रिजीनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, डिब्रुगढ़ पोस्ट बैग नंबर 13, पोर्ट ब्लेयर-744101
3.	असम	रिजीनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, डिब्रुगढ़ 786001
4.	अरुणाचल प्रदेश	रिजीनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, डिब्रुगढ़ 786001
5.	बिहार	राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टिच्यूट ऑफ मेडिकल, साइंसेज, पटना 800007

1	2	3
6.	चंडीगढ़	पोस्ट ग्रेजएट इंस्टिच्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च; सेक्टर-12, चंडीगढ़
7.	छत्तीसगढ़	नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 22, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110054
8.	दादरा और नगर हवेली	बीजे मेडिकल कालेज, अशर्वा, अहमदाबाद-380016 (गुजरात)
9.	दमन और दीव	हाफ्फकीन इंस्टिच्यूट, आचार्य डोंडे मार्ग, पारेल, मुम्बई 400 012.;
10.	दिल्ली	नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 22, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110 054
		वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टिच्यूट युनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली 110007
		आल इंडिया इंस्टिच्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंसारी नगर, नई दिल्ली 110016
11.	गोवा	नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 22, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110 054
		कस्तुरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल 576104 (प्राइवेट लेबोरेट्री अंडर आईडीएसपी)
12.	गुजरात	बीजे मेडिकल कालेज, अशर्वा, अहमदाबाद न्यू सिविल हास्पीटल, सूरत
13.	हरियाणा	नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 22, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110 054
		पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिच्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च; चंडीगढ़
14.	हिमाचल प्रदेश	सेंटल रिसर्च इंस्टिच्यूट, कसौली डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश 173204 इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला
15.	जम्मू और कश्मीर	नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 22, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110 054

1	2	3
16.	झारखंड	नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ कोलेरा एंड इंटेरिक डिजीजेज, बेलीघाटा, कोलकाता 700 010
17.	कर्नाटक	नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सांइसेज (निम्हांस); बंगलौर
		कस्तुरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल (प्राइवेट लेबोरेट्री अंडर आईडीएसपी)
18.	केरल	राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलजी तिरुवनंतपुरम-695 014
		कस्तुरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल
19.	लक्षद्वीप	राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलजी तिरूवनंतपुरम-695 014
20.	मध्य प्रदेश	डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट इस्टैब्लीशमेंट, झांसी रोड, ग्वालियर आरएमआरसी, जबलपुर, मध्य प्रदेश
21.	महाराष्ट्र	हाफ्फकीन इंस्टिच्यूट, आचार्य डोंडे मार्ग पारेल, मुम्बई 400 012.
		नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ वायरोलॉजी, (डब्ल्यूएचओ कॉलेबरेटिंग सेंटर), पुणे 411001
		नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ वायरोलॉजी, माइक्रोबियल कांटैन्मैंट सेंटर, पाशन, पुणे 411021
22.	मणिपुर	नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ कोलेरा एंड इंटेरिक डिजीजेज, बेलीघाटा, कोलकाता 700 010
23.	मेघालय	रिजीनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, डिब्रुगढ़-786001
24.	मिजोरम	नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ कोलेरा एंड इंटेरिक डिजीजेज, बेलीघाटा, कोलकाता 700 010
25.	नागालैंड	रिजीनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, डिब्रुगढ़-786001
26.	उड़ीसा	रिजीनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751016
27.	पुदुचेरी	जीपमेर, धन्वन्तरि नगर, गोरीमेडु, पांडीचरी-605 006

1	2	3
28.	पंजाब	पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिच्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च; चंडीगढ़
29.	राजस्थान	एडंवास बेसिक साइंसेज एंड क्लीनिकल रिसर्च लैबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलाजी एंड इम्यूनोलॉजी, स्वामी मान सिंह मेडिकल कालेज, जयपुर, राजस्थान
		डेजर्ट मेडिसीन रिसर्च सेंटर, पाली रोड, जोधपुर
30.	उत्तराखंड	आल इंडिया इंस्टिच्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंसारी नगर, नई दिल्ली 110016
31.	सिक्किम	नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ कोलेरा एंड इंटेरिक डिजीजेज, बेलीघाटा, कोलकाता
32.	तमिलनाडु	किंग इंस्टिच्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसीन ग्यूंडी, चेन्नई 600 032 क्रिस्चन मेडिकल कालेज, वेल्लोर 632 004 (प्राइवेट लेबोरेट्री अंडर आईडीएसपी)
33.	त्रिपुरा	नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ कोलेरा एंड इंटेरिक डिजीजेज, बेलीघाटा, कोलकाता 700 010
34.	उत्तर प्रदेश	संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआईएमएस), लखनऊ
35.	पश्चिम बंगाल	नेशलन इंस्टिच्यूट ऑफ कोलेरा एंड इंटेरिक डिजीजेज, बेलीघाटा, कोलकाता 700 010

विवरण-III

एच1एन1 का प्रबंधन करने के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को ओसेल्टामिविर की आपूर्ति के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	कैप्सूल	सिरप
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु	9,97,000	9,700
2.	कर्नाटक	8,82,000	7,800
3.	केरल	17,82,000	49,600
4.	आंध्र प्रदेश	8,27,000	8,000
5.	गोवा	42,000	600
6.	पुदुचेरी	80,000	900
7.	महाराष्ट्र	32,84,000	1,12,700
8.	राजस्थान	29,32,000	42,200
9.	उत्तर प्रदेश	15,57,000	17,800

1	2	3	4
10.	दिल्ली	6,22,000	6,200
11.	पश्चिम बंगाल	7,07,000	6,700
12.	जम्मू और कश्मीर	4,62,000	4,610
13.	हिमाचल प्रदेश	2,47,000	2,500
14.	झारखंड	5,22,000	6,100
15.	गुजरात	17,27,000	18,600
16.	उत्तराखंड	5,07,000	12,800
17.	मणिपुर	1,97,000	1,900
18.	मिजोरम	1,72,000	2,000
19.	नागालैंड	2,22,000	2,300
20.	अरुणाचल प्रदेश	3,22,000	3,300
21.	मेघालय	1,42,000	1,500
22.	सिक्किम	82,000	900
23.	असम	5,42,000	5,500
24.	त्रिपुरा	82,000	900
25.	पंजाब	4,52,000	5,440
26.	हरियाणा	4,42,900	9,900
27.	मध्य प्रदेश	10,82,000	11,900
28.	बिहार	7,97,000	8,300
29.	छत्तीसगढ़	3,62,000	3,700
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60,000	600
31.	दमन और दीव	40,000	400
32.	दादरा और नगर हवेली	20,000	200
33.	चंडीगढ़	32,000	700
34.	लक्षद्वीप	20,000	200
35.	उड़ीसा	6,12,000	6,100
	कुल	2,28.57,900	3,72,550

विवरण-IV

स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों को वैक्सीकृत करने के लिए विश्वमारी इन्फ्लूएंजा वैक्सीन की व्यवस्था

(राज्य/संघ क्षेत्र वार)

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	व्यवस्था की गई वैक्सीन की मात्रा
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2800
2.	आंध्र प्रदेश	80400
3.	अरुणाचल प्रदेश	7500
4.	असम	83900
5.	बिहार	55000
6.	चंडीगढ़	10,800
7.	छत्तीसगढ़	156500
8.	दादरा और नगर हवेली	1000
9.	दमन और दीव	600
10.	दिल्ली	19800
11.	गोवा	15000

1	2	3
12.	गुजरात	33200
13.	हरियाणा	15200
14.	हिमाचल प्रदेश	32900
15.	जम्मू और कश्मीर	15300
16.	झारखंड	9700
17.	कर्नाटक	124200
18.	केरल	79600
19.	लक्षद्वीप	600
20.	मध्य प्रदेश	23700
21.	महाराष्ट्र	34300
22.	मणिपुर	3100
23.	मेघालय	6500
24.	मिजोरम	9500
25.	नागालैंड	9500
26.	उड़ीसा	44500
27.	पुदुचेरी	8900
28.	पंजाब	19400
29.	राजस्थान	30600
30.	सिक्किम	3100
31.	तमिलनाडु	50000
32.	त्रिपुरा	24000
33.	उत्तर प्रदेश	29800
34.	उत्तराखंड	28900
35.	पश्चिम बंगाल	65300
	कुल	1135100

विवरण-V

राज्यों/संघ क्षेत्रों को एच1एन1 के लिए निजी सुरक्षात्मक उपकरणों की आपूर्ति के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	पीपीई	एन-95	त्रिपल लेयर मास्क
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु	3,000	2,000	38,000
2.	कर्नाटक	2,200	1,000	33,000
3.	केरल	10,500	19,500	4,53,000
4.	आंध्र प्रदेश	3,000	1,000	30,000
5.	गोवा	800	500	8000
6.	पुदुचेरी	1,000	500	13,000
7.	महाराष्ट्र	11,000	11,000	39,000
8.	राजस्थान	3,000	1,000	30,000
9.	उत्तर प्रदेश	2,500	1,500	31,000
10.	पश्चिम बंगाल	3,500	2,500	39,000
11.	जम्मू और कश्मीर	3,000	1,500	40,000
12.	हिमाचल प्रदेश	1,500	1,000	16,000
13.	झारखंड	1,000	500	13,000
14.	गुजरात	2,500	1,500	29,600

1	2	3	4	5
15.	उत्तराखंड	1,000	500	13,000
16.	मणिपुर	2,000	2,000	62,000
17.	मिजोरम	2,000	600	53,000
18.	नागालैंड	1,500	500	53,000
19.	अरुणाचल प्रदेश	1,500	500	53,000
20.	मेघालय	1,500	500	53,000
21.	सिक्किम	1,500	500	53,000
22.	असम	1,500	500	53,000
23.	त्रिपुरा	1,500	500	53,000
24.	पंजाब	2,500	10,500	35,000
25.	हरियाणा	1,000	500	13,000
26.	मध्य प्रदेश	2,000	1,500	35,000
27.	बिहार	2,500	1,500	33,000
28.	छत्तीसगढ़	1,000	500	15,000
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	800	500	8,000
30.	दमन और दीव	800	500	8,000
31.	दादरा और नगर हवेली	800	500	8,000
32.	चंडीगढ़	800	500	8,000
33.	लक्षद्वीप	800	500	8,000
34.	उड़ीसा	3,000	2,000	40,000
	कुल	78,800	70,100	14,69,600

विवरण-VI

जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए राज्यों को आबंटित निधियां

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षण कार्यशालाओं की संख्या	राशि भारतीय रुपए
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	821700
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	547800
3.	असम	3	821700
4.	बिहार	4	1095600
5.	छत्तीसगढ़	2	547800
6.	गोवा	1	273900
7.	हरियाणा	3	821700
8.	हिमाचल प्रदेश	2	547800
9.	जम्मू और कश्मीर	2	547800
10.	झारखंड	3	821700
11.	कर्नाटक	3	821700
12.	केरल	2	547800
13.	मध्य प्रदेश	6	1643400
14.	महाराष्ट्र	4	1095600
15.	मणिपुर	1	273900
16.	मेघालय	1	273900
17.	मिजोरम	1	273900
18.	उड़ीसा	4	1095600
19.	नागालैंड	1	273900

1	2	3	4
20.	राजस्थान	4	1095600
21.	सिक्किम	1	273900
22.	उत्तराखंड	2	547800
23.	उत्तर प्रदेश	8	2191200
24.	पश्चिम बंगाल	2	547800
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	273900
26.	दिल्ली	1	273900
27.	लक्षद्वीप	1	273900
28.	पुदुचेरी	1	273900
29.	गुजरात	6	564000
30.	त्रिपुरा	6	1378800
31.	तमिलनाडु	6	1970700
32.	पंजाब	6	1467000

भारतीय चिकित्सा परिषद में कथित भ्रष्टाचार

***90. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री इन्दर सिंह नामधारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) में भ्रष्टाचार के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले की जांच करने के लिए कोई जांच समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतीय चिकित्सा परिषद के कार्यकरण में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) जी, हां।

(ख) ज्ञान सागर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, पटियाला, पंजाब में एमबीबीएस छात्रों के चौथे बैच को शैक्षिक वर्ष 2010-11 में प्रवेश देने की अनुमति के नवीनीकरण की सिफारिश करने संबंधी तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अध्यक्ष को दिनांक 22.04.2010 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए ज्ञान सागर मेडिकल कालेज एवं अस्पाताल, पटियाला, पंजाब के छात्रों के चौथे बैच को शैक्षिक वर्ष 2010-11 में प्रवेश देने की अनुमति के नवीनीकरण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा की गई सिफारिशों की बैधता/सत्यता की जांच करने हेतु अपर सचिव की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्य समिति गठित की।

(ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अध्यादेश के जरिए दिनांक 15 मई, 2010 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भंग कर दिया था और परिषद के कार्य के संचालन हेतु बाद में दिनांक 15 मई, 2010 को एक छह सदस्य गवर्नर बोर्ड का गठन कर दिया था। मंत्रालय, अलग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मावन संसाधन विकास परिषद जैसे एक संरक्षी विनियामक निकाय का गठन करने पर भी विचार कर रहा है जिससे कि वर्तमान विनियामक ढांचे में सुधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में दक्ष कार्मिकों की आपूर्ति को बढ़ाने संबंधी दोहरे प्रयोजन को पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

प्रशामक परिचर्या

***91. डॉ. शशी थरूर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशामक परिचर्या (पैलिएटिव केयर) के अभाव में प्रत्येक वर्ष कैंसर, एड्स, पैरालिसिस जैसे असाध्य रोगों से पीड़ित बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों के पास प्रभावी प्रशामक परिचर्या सेवा उपलब्ध नहीं है जबकि यह राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का एक आवश्यक भाग है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रयोजन हेतु क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों द्वारा कितना बजट आबंटन निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस प्रयोजनार्थ संस्तुत एक आवश्यक औषधि, ओरल मारफीन उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार देश में दर्द राहत एवं प्रशामक परिचर्या को चिकित्सा शिक्षा का एक आवश्यक घटक बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (छ) अनुमान है कि चिरकारी गैर-संचारी रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है और कुल मिलाकर देश में 40 प्रतिशत से अधिक मृत्यु गैर-संचारी रोगों के कारण होती हैं। तथापि, प्रशामक परिचर्या की कमी के कारण होने वाली मौतों की संख्या का निर्धारण करना संभव नहीं है जिसका मूल रूप से उद्देश्य पीड़ा एवं संबद्ध समस्याओं के उपचार के जरिए रोगियों के जीवन स्तर को बेहतर करना है।

रोगियों के लिए प्रशामक परिचर्या राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का एक घटक है और 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में से 17 केंद्र प्रशामक परिचर्या सेवाएं प्रदान करते हैं। तथापि, अधिकांश क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में पूर्ण विकसित विभाग या एकक उपलब्ध नहीं हैं। केंद्र सरकार इन केंद्रों को सिविल निर्माण कार्य एव उपस्करों के लिए फंड्स प्रदान करती हे जबकि राज्य सरकार या संबद्ध संस्थाएं शेष कार्यकलापों के लिए सेवाएं और निधियां प्रदान करती हैं जिनमें कैंसर नियंत्रण के लिए निवारक, नैदानिक उपचार एवं प्रशामक सेवाएं शामिल हैं।

मार्फीन की उपलब्धता एवं इसका इस्तेमाल स्वापक औषध और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 तथा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 द्वारा अधिशासित किया जाता है।

चिकित्सा शिक्षा में कुछ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रशामक परिचर्या एक भाग है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

***92. श्री निलेश नारायण राणे :**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है एवं जिनका विद्युतीकरण किया जाना बाकी है तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जिन लोगों को बिजली मुहैया कराई गई है उनका वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए गांवों के विद्युतीकरण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया एवं कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई;

(घ) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात सहित राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो स्वीकृत किए गए प्रस्तावों तथा केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के गांवों का तेजी से विद्युतीकरण करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत देश में अब तक 1.18 लाख गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों को शामिल करते हुए और 2.46 करोड़ बीपीएल घरों के लिए विद्युत प्रदान करने के लिए 26353.51 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 573 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें से 15.07.2010 तक 81574 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है और 118 लाख, बीपीएल कनैक्शन जारी किए गए हैं। राज्य-वार कवरेज, उपलब्धि एवं शेष

का विवरण-I में दिया गया है। गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान 15.07.2010 तक आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण और बीपीएल कनैक्शन जारी करने के लिए मंजूर की गयी परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) संशोधित भारत निर्माण लक्ष्य में मार्च, 2012 तक 1 लाख गांवों का विद्युतीकरण और 1.75 करोड़ बीपीएल घरों के लिए विद्युत कनैक्शन जारी करना है। वर्ष 2010-11 के लिए, सरकार ने आरजीजीवीवाई की मंजूर की गयी परियोजनाओं के अंतर्गत 17500 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण और बीपीएल ग्रामीण घरों के लिए 47 लाख कनैक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शेष गांवों और बीपीएल कनैक्शन के कार्य 2011-12 में पूरे किए जाएंगे। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत किसी राज्य के लिए निधियों का कोई विशेष आबंटन नहीं होता है। निधियां पूर्व किश्तों की राशि के उपयोग एवं अन्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर मंजूर की गयी परियोजनाओं के लिए किश्तों में जारी की जाती हैं। 30.6.2010 को गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर की गयी परियोजनाओं के लिए निधियों को जारी करने के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-IV में दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) अब तक, 573 परियोजनाएं आरजीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर किए गए हैं, इन परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-V में है। 32 परियोजनाएं अब तक मंजूर नहीं की गयी हैं। इन 32 परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-VI में दिए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य के लिए 40292 विद्युतीकृत गांवों का व्यापक विद्युतीकरण और 1876391 बीपीएल कनैक्शन को जारी करने के कार्य को शामिल करते हुए सभी 34 परियोजनाएं 713.44 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत के साथ आरजीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर की गई हैं। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, महाराष्ट्र की कोई परियोजना अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है। इसी प्रकार, गुजरात राज्य के लिए 17934 विद्युतीकृत गांवों का व्यापक विद्युतीकरण और 955150 बीपीएल कनैक्शन को जारी करने के कार्य को शामिल करते हुए 25 परियोजनाएं 360.43 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत के साथ आरजीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर की गई हैं। गुजरात की कोई परियोजना आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।

(च) आरजीजीवीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(i) भारत सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति गठित की है जो परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने तथा कार्यान्वियन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक करती हैं।

(ii) राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिए जिला समितियों के गठन की सलाह दी गई है। सभी राज्यों ने जिला समितियों के गठन को अधिसूचित किया है।

(iii) आरजीजीवीवाई के कार्यान्वियन में आने वाली बाधाओं के समाधान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मासिक बैठक के आयोजन करने हेतु मंत्रालय द्वारा राज्यों से अनुरोध किया गया है।

(iv) भारत सरकार और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) सहमत कार्यक्रम के अनुसार योजना के तीव्र कार्यान्वियन हेतु सभी पणधारियों; संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा कार्यान्वियन एजेंसियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें करती हैं।

(v) परियोजनाओं के तीव्र एवं प्रभावी कार्यान्वियन हेतु उनका निष्पादन टर्नकी आधार पर किया गया है।

(vi) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के गुणवत्तापरक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र लागू किया गया है।

(vii) बीपीएल कनैक्शन प्रदान करने के लिए अनुदान राशि दसवीं योजना की 1500/- रुपए से बढ़ाकर ग्यारहवीं योजना में 2200/- रुपए कर दी गयी है।

(viii) विद्युत मंत्रालय द्वारा फोकस राज्यों में प्रगति की समीक्षा राज्य मुख्यालयों में करना।

(ix) लागत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए लागत मानको को ग्यारहवीं योजना की परियोजनाओं के लिए नीचे दिए अनुसार बढ़ाते हुए संशोधित किया गया है:-

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु लागत मानदंड

गैर-विद्युतीकृत गांव का विद्युतीकरण	मूल्य (लाख रुपये में)
क. सामान्य क्षेत्र में	13
ख. पहाड़ी, आदिवासी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में	18

विवरण-I

आर जीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर की गयी परियोजनाओं के लिए गैर-निर्विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण एवं बीपीएल कनेक्शनों को जारी करने की राज्य-वार एवं वर्ष-वार उपलब्धि

15.07.2010 को

क्र.सं.	राज्य का नाम	अ/र्नि-विद्युतिकृत गांव			बीपीएल घर		
		कवरेज	उपलब्धि	बाकी	कवरेज	उपलब्धि	बाकी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	—	2592140	2466149	125991
2.	अरुणाचल प्रदेश	2129	314	1815	40810	1817	38993
3.	असम	8525	2808	5717	991656	351563	640093
4.	बिहार	23211	19302	3909	2762455	1265973	1496482
5.	छत्तीसगढ़	1132	99	1033	777165	300849	476316
6.	गुजरात	0	0	0	955150	513925	441225
7.	हरियाणा	0	0	0	224073	123490	100583
8.	हिमाचल प्रदेश	93	3	90	12448	540	11908
9.	जम्मू और कश्मीर	283	72	211	136730	24920	111810
10.	झारखंड	19737	14035	5702	1691797	864910	826887
11.	कर्नाटक	132	59	73	891939	747652	144287
12.	केरल	0	—	—	56,351	16,510	39841
13.	मध्य प्रदेश	806	97	709	1376242	187581	1188661
14.	महाराष्ट्र	6*	0	—	1876391	814972	1061419
15.	मणिपुर	882	143	739	107369	6164	101205
16.	मेघालय	1943	145	1,798	116447	23,132	93315
17.	मिजोरम	137	15	122	27417	4,562	22855

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	नागालैंड	105	37	68	69900	6,055	63845
19.	उड़ीसा	17895	8040	9,855	3185863	1054878	2130985
20.	पंजाब	0	0	—	148860	23,765	125095
21.	राजस्थान	4454	2985	1,469	1750118	784748	965370
22.	सिक्किम	25	0	25	11458	230	11228
23.	तमिलनाडु	0	0	—	545511	492,987	52524
24.	त्रिपुरा	160	53	107	194730	34119	160611
25.	उत्तर प्रदेश	30802**	27741	—	1120648	870836	249812
26.	उत्तराखंड	1469	1495$	—	281615	216160	65455
27.	पश्चिम बंगाल	4573	4131	442	2699734	647041	2052693
	सकल योग	118499	81574	33,832	24645017	11845528	12799489

*सवेक्षण के उपरांत इन छः गांवों को विद्युतीकृत गांवों के तौर पर पहचान की गई है।

**क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण के उपरांत, गैर-विद्युतीकृत गांवों की वास्तविक संख्या डीपीआर के अनुसार कवर की गयी गांवों से कम थी। इसके अतिरिक्त, वे गांव जो गैर-विद्युतीकृत पाये गये थे, को पहले से ही मंजूर की गयी परियोजनाओं के अंतर्गत विद्युतीकृत कर दिया गया है।

$वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण के उपरांत, गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या में कवर की गयी गांवों की संख्या से भिन्नता थी और गैर-विद्युतीकृत पाई गई गांवों के कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

टिप्पणी: सर्वेक्षण के उपरांत आगे भी शेष बचे गांवों में कमी आने की संभावना है।

विवरण-II

आर जीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर की गयी परियोजनाओं के लिए गैर-निर्विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की राज्य-वार एवं वर्ष-वार उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य	2007-08 में	2008-09 में	2009-10 में	2010-11 में (15.07.2010 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	215	99

1	2	3	4	5	6
3.	असम	84	651	1198	875
4.	बिहार	3347	3098	2584	258
5.	छत्तीसगढ़	0	50	48	1
6.	गुजरात	0	0	0	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	3
9.	जम्मू और कश्मीर	1259	4933	7088	755
10.	झारखंड	0	46	22	4
11.	कर्नाटक	0	11	0	1
12.	केरल	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	15	69	5	8
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	
15.	मणिपुर	36	57	35	15
16.	मेघालय	0	90	47	8
17.	मिजोरम	0	0	0	15
18.	नागालैंड	0	0	14	23
19.	उड़ीसा	0	1427	5870	743
20.	पंजाब	0	0	0	0
21.	राजस्थान	633	158	773	426
22.	सिक्किम	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	0	0	13	40
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	2862	695	56	5

1	2	3	4	5	6
26.	उत्तराखंड	341	175	80	14
27.	पश्चिम बंगाल	724	596	326	25
	कुल	9301	12056	18374	3318

विवरण-III

आर जीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर की गयी परियोजनाओं के लिए बीपीएल कनैक्शन जारी करने का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2007-08 में	2008-09 में	2009-10 में	2010-11 में (15.07.2010 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	606750	945368	566518	120859
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	967	850
3.	असम	0	32718	189816	129029
4.	बिहार	64609	474277	560985	162891
5.	छत्तीसगढ़	15302	75592	145990	63965
6.	गुजरात	67944	116310	85931	233367
7.	हरियाणा	6907	16930	69453	30200
8.	हिमाचल प्रदेश	0	392	148	0
9.	जम्मू और कश्मीर	4062	3924	14163	2771
10.	झारखंड	2826	243830	555289	62965
11.	कर्नाटक	255421	226046	134949	11921
12.	केरल	6596	3394	6131	389
13.	मध्य प्रदेश	1099	76026	75477	34979
14.	महाराष्ट्र	56287	145715	429026	183944
15.	मणिपुर	1300	2056	1640	1168

1	2	3	4	5	6
16.	मेघालय	0	1264	17832	4036
17.	मिजोरम	0	0	378	4184
18.	नागालैंड	0	0	4368	1687
19.	उड़ीसा	72	144056	650678	260072
20.	पंजाब	0	0	19507	4258
21.	राजस्थान	246142	237727	208695	82948
22.	सिक्किम	0	0	66	164
23.	तमिलनाडु	0	296	383533	109158
24.	त्रिपुरा	0	0	22085	12034
25.	उत्तर प्रदेश	191576	251575	157263	14734
26.	उत्तराखंड	61642	50111	72382	10486
27.	पश्चिम बंगाल	32647	37181	345198	205443
	कुल	1621182	3084788	4718468	1748502

विवरण-IV

आर जीजीवीवाई के अंतर्गत राज्यवार वर्षवार व्यय की राशि

(रुपये करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2007-08 में	2008-09 में	2009-10 में	2010-11 में (30.06.2010 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	266.43	80.58	158.28	1.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	179.83	92.70	225.27	0.00
3.	असम	65.47	510.05	459.62	68.66
4.	बिहार	746.73	695.90	697.41	110.10
5.	छतीसगढ़	50.92	100.08	333.56	7.23

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	17.93	52.38	94.32	1.99
7.	हरियाणा	24.66	37.10	60.67	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.14	79.28	122.46	6.35
9.	जम्मू और कश्मीर	955.86	1068.58	750.48	0.00
10.	झारखंड	29.81	181.17	363.92	1.90
11.	कर्नाटक	325.43	68.10	67.60	15.21
12.	केरल	0.10	0.84	10.59	0.00
13.	मध्य प्रदेश	156.17	185.88	416.47	39.15
14.	महाराष्ट्र	16.80	139.53	200.77	32.67
15.	मणिपुर	5.31	39.36	63.14	0.00
16.	मेघालय	19.93	12.20	129.38	0.00
17.	मिजोरम	0.00	78.31	81.02	0.00
18.	नागालैंड	5.39	54.40	59.26	0.00
19.	उड़ीसा	176.80	994.65	998.65	115.85
20.	पंजाब	0.00	56.90	0.00	0.00
21.	राजस्थान	181.18	290.50	159.10	14.84
22.	सिक्किम	0.00	43.74	44.90	0.00
23.	तमिलनाडु	0.00	24.28	52.39	0.00
24.	त्रिपुरा	100.77	16.76	119.30	19.48
25.	उत्तर प्रदेश	565.26	86.84	192.92	1.49
26.	उत्तराखंड	137.66	78.53	102.06	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	81.17	623.35	619.18	3.85
	कुल	3749.75	5691.99	6582.65	440.14

विवरण-V

आर जीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कुल स्वीकृत परियोजनाएं		
		परियोजनाओं की संख्या	शामिल किए गए गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल किए गए बीपीएल घरों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	26	0	2592140
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	2129	40810
3.	असम	23	8525	991656
4.	बिकार	43	23211	2762455
5.	छत्तीसगढ़	14	1132	777165
6.	गुजरात	25	0	955150
7.	हरियाणा	18	0	224073
8.	हिमाचल प्रदेश	12	93	12448
9.	जम्मू और कश्मीर	14	283	136730
10.	झारखंड	22	19737	1691797
11.	कर्नाटक	25	132	891939
12.	केरल	7	0	56351
13.	मध्य प्रदेश	32	806	1376242
14.	महाराष्ट्र	34	6	1876391
15.	मणिपुर	9	882	107369
16.	मेघालय	7	1943	116447
17.	मिजोरम	8	137	27417
18.	नागालैंड	11	105	69900
19.	उड़ीसा	31	17895	3185863
20.	पंजाब	17	0	148860
21.	राजस्थान	40	4454	1750118
22.	सिक्किम	4	25	11458
23.	तमिलनाडु	26	0	545511
24.	त्रिपुरा	4	160	194730
25.	उत्तर प्रदेश	64	30802	1120648
26.	उत्तराखंड	13	1469	281615
27.	पश्चिम बंगाल	28	4573	2699734
	कुल	573	118499	24645017

विवरण-VI

चरण-II में विचार करने के लिए पहचान किये जाने वाले आरजीजीवीवाई परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजना वाले क्षेत्र
1	2	3
1.	छत्तीसगढ़	जसपुर नगर
2.	छत्तीसगढ़	कोरिया
3.	हरियाणा	गुड़गांव
4.	हरियाणा	फरीदाबाद
5.	कर्नाटक	दक्षिण कन्नडा

1	2	3
6.	कर्नाटक	उडुपी
7.	केरल	तिरूवनंतपुरम
8.	केरल	कोवलम
9.	केरल	एर्नाकुलम
10.	केरल	त्रिसूर
11.	केरल	कोट्टयम
12.	केरल	अलपुझा
13.	केरल	पथनमथीट्टा
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल
15.	मध्य प्रदेश	रायसेन
16.	मध्य प्रदेश	सिहोर
17.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद
18.	मध्य प्रदेश	विदिशा
19.	मध्य प्रदेश	बरवारी
20.	मध्य प्रदेश	खरगौन
21.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
22.	मध्य प्रदेश	राजगढ़
23.	मध्य प्रदेश	खंडवा
24.	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर
25.	मध्य प्रदेश	शाजापुर
26.	मध्य प्रदेश	मंदसौर
27.	मध्य प्रदेश	नीमच
28.	मध्य प्रदेश	भिंड
29.	मध्य प्रदेश	देवास
30.	तमिलनाडु	धर्मपुरी
31.	तमिलनाडु	तिरुनलवेली
32.	तमिलनाडु	उटकमंडलम

जनजातियों में साक्षरता

***93. श्री उमाशंकर सिंह :**

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जनजातियों के साक्षरता स्तर में वृद्धि करने के लिए राज्य-वार किए गए धनराशि के आबंटन एवं उपयोग का ब्यौरा क्या है तथा इसी अवधि के दौरान उनकी संगत साक्षरता दर कितनी रही;

(ख) क्या सरकार का विचार जनजातियों की साक्षरता में सुधार करने हेतु किसी राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकरण का गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया) : (क) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा और संबंधित सुविधाएं प्रदान करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (लाइन मंत्रालय) के प्रयासों को सम्पूरित करता है:-

1. अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों हेतु छात्रावास की योजना।
2. जनजातिय उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना
3. अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना

4. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिभा उन्नयन

5. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना

6. अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना

7. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा

8. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना

9. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (जिसके अंतर्गत एनजीओ की अन्य परियोजनाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे आवासीय, गैर-आवासीय विद्यालयों को भी सहायता दी जाती है।)

10. अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान (इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से 12 तक के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना एक घटक है)

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटन और व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 47.10% थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	2007-08		2008-09		2009-10	
		बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनुसूचित जनजाति लड़कियों एवं लड़कों के लिए छात्रावास।	37.00	37.00	66.00	65.00	64.00	64.00
2.	जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना।	20.00	20.00	30.00	30.00	41.00	41.00
3.	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।	201.24	200.03	248.00	225.86	270.95	270.867
4.	प्रतिभा उन्नयन।	1.75	1.38	2.00	0.73	2.00	0.50
5.	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।	26.00	26.00	32.00	31.03	45.00	30.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रावृत्ति।	1.00	0.14	2.00	0.0117	0.50	0.31
7.	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु उच्च श्रेणी शिक्षा।	10.00	1.05	10.00	1.22	4.00	1.75
8.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के बीच साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पांकेटों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।	19.75	19.75	60.00	40.00	50.00	33.50
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।	34.50	34.50	37.30	40.30	42.25	46.75
10.	अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान (इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु कक्षा 6 से कक्षा 12 हेतु एक लव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना एक घटक है।)	400.00	390.28	416.00	339.78	1000.00	399.10

बलात्कार पीड़ितों को राहत एवं उनका पुनर्वास

***94. श्री वैजयंत पांडा :**
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने मान्नीय उच्चतम न्यायालय के आग्रह के अनुसार बलात्कार पीड़ितों को राहत देने एवं उनका पुनर्वास करने की किसी योजना का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत क्या वित्तीय प्रावधान किये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में ऐसे पीड़ितों को दी गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार और यौन प्रहार पीड़ितों के लिए मुआवजे और पुनर्वास हेतु दिल्ली डामैस्टिक वीमैन्स फोरम बनाम् भारत संघ शीर्षक के दायर रिट याचिका (दांडिक) संख्या 362/93 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वर्ष 1995 में कानून के रूप में

एक स्कीम तैयार की। तथापि, वर्ष 2005 में प्रशासनिक स्कीम तैयार करने का निर्णय लिया गया, जो कि तैयार की गई। तब से इस स्कीम पर कई बार विचार-विमर्श किए जा चुके हैं। दिनांक 07 मार्च, 2010 को आयोजित किए गए राष्ट्रीय परामर्श के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने अप्रैल, 2010 में इस स्कीम में संशोधन किए।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अप्रैल, 2010 में प्रस्तावित स्कीम के प्रारूप में यह परिकल्पना की गई है कि स्वयं बलात्कार पीड़ित अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा आवेदन दायर किए जाने पर पीड़ित को वित्तीय सहायता एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाएं। संबंधित मामले की विशेष परिस्थितियों और प्रभावित महिला की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाई जा सकती है। इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर आपराधिक क्षति से राहत एवं पुनर्वास बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक यह स्कीम शुरू ही नहीं हुई है।

पीजीसीआईएल द्वारा पारेषण लाइनें

*95. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) कर्नाटक सहित पूरे देश में पारेषण लाइने बिछा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये लाइनें प्राय: कृषि भूमि के ऊपर से जाती हैं तथा किसानों को तारों के दोनों तरफ 60 मीटर के दायरे में फसल उगाने से रोका गया है जिनके परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप प्रभावित कृषि योग्य भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है जिनकी भूमि इसके कारण प्रभावित हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी हां, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), देश की केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी, विद्युत के अन्त:राज्यीय पारेषण हेतु पूरे देश में पारेषण लाइनों की स्थापना कर रहा है। पीजीसीआईएल ने अब तक समूचे देश में लगभग 77,500 सर्किट किलोमीटर (सर्किट कि.मी.) पारेषण लाइनों की स्थापना की है। इसमें से, लगभग 6830 सर्किट कि.मी. पारेषण लाइनें (4092 सर्किट कि.मी., 400 के.वी. एक्सट्रा हाई वोल्टेज एसी (ईएचवीएसी) लाइनें और 2738 सर्किट किमी + 500 केवी हाई वोल्टेज डीसी (एचवीडीसी) लाइन) कर्नाटक राज्य में स्थापित की गई तथा ये लाइनें कर्नाटक को निकटवर्ती राज्यों से जोड़ रही है।

(ग) किसानों को ऐसी लाइनों के किसी भी तरफ तारों के 60 मीटर के अंतर्गत फसल उगाने से नहीं रोका गया है अतएव कृषि योग्य भूमि की कोई बर्बादी नहीं हुई है।

(घ) से (छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन क्षमता

*96. **डॉ. गिरिजा व्यास :**
श्रीमती दीपा दासमुंशी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विभिन्न विद्युत परियोजनाएं अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम विद्युत का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की कोई समीक्षा कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) और (ख) विद्युत संयंत्रों का निष्पादन अनेक कारकों पर निर्भर होता है जैसे- संयंत्र (हाइड्रो, ताप, नाभिकीय) का प्रकार/श्रेणी, संस्थापित क्षमता, इकायों की आयु, इकाइयों का डिजाइन, मरम्मत (जबरन) तथा नियोजित अनुरक्षण हेतु बंदी, जल की उपलब्धता/ईंधन की मात्रा तथा गुणवत्ता। जैसे कि मॉनसून तथा गैर-मॉनसून मौसम के दौरान जल की उपलब्धता तथा साथ ही साथ सिंचाई संबंधी आवश्यकता से जल विद्युत केंद्रों का निष्पादन प्रभावित होता है, वैसे की ईंधन की उपलब्धता तथा इसकी गुणवत्ता से ताप विद्युत केंद्रों का निष्पादन प्रभावित होता है। अत: कुछ विद्युत संयंत्रों का वास्तविक निष्पादन, अधिकतर राज्य क्षेत्र में, उनकी संस्थापित क्षमता से भिन्न होता है।

संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) ताप/नाभिकीय उत्पादन इकाईयों की संस्थापित क्षमता के उपयोग का सूचक होता है। अप्रैल-जून 2010 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत पीएलएफ से कम पीएलएफ रखने वाले ताप विद्युत केंद्रों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। कम पीएलएफ के मुख्य कारणों में इकाईयों का पुरानापन, प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, जबरनबंदी की लंबी अवधि, डिजाइन कोयले से भिन्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति इत्यादि शामिल हैं।

कुछेक को छोड़कर अधिकतर जल विद्युत केंद्र अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। जो जल विद्युत केंद्र नवीकरण तथा आधुनिकीकरण अथवा खराबी, (वार्षिक/मुख्य अनुरक्षण के अंतर्गत आने वाली स्कीमों को छोड़कर), के कारण अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची विवरण-II पर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सभी उत्पादन केंद्रों (25 मेगावाट एवं अधिक) के उत्पादन निष्पादन की समीक्षा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा नियमित आधार पर की जाती है। देश के निम्न निष्पादन वाले ताप विद्युत केंद्रों के निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने वर्ष 1984 में संरचनाबद्ध ढंग से नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया था। सीईए ने "2016-17 तक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार एवं अपरेटिंग (एलईएंडयू) के लिए राष्ट्रीय भावी योजना" तैयार की है तथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के दिशा-निर्देश भी संशोधित किए हैं। 11वीं योजना के दौरान नवीकरण एवं आधुनिकीरण कार्यकलापों के लिए चिहिनत ताप एवं हाइड्रो इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है-

विवरण	परियोजनाओं की संख्या			अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)		
	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	कुल	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7
(क) थर्मल						
(i) एलई कार्य:						
(क) कार्यक्रम	20	33	53	2794	4524	7318
(ख) पूरा किया गया कार्य*	3	7	10	267	584	851
(ii) आर एण्ड एम कार्य:						
(क) कार्यक्रम	49	27	76	12950	6015	18965
(ख) पूरा किया गया कार्य**	42	18	60	10500	4350	14850

1	2	3	4	5	6	7
(ख) हाइड्रो						
आरएण्डएम कार्य						
(क) कार्यक्रम (संशोधित)	5	24	29	1714.2	6173.9	7888.1
(ख) पूरा किया गया कार्य***	3	11	14	1084.2	3110	4194.2

*31.03.2010 तक

**तालचेर टीपीएस की प्रत्येक 60 मेगावाट की 4 इकाईयों (जिन पर राष्ट्रीय भावी योजना में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के लिए पहले विचार नहीं किया गया था) के संबंध में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य को भी एनटीपीसी द्वारा पूरा किया गया था, (जो 10वीं योजना में पूरा नहीं हुआ था) शामिल है।

***30.6.2010 तक

(ङ) खराब निष्पादन वाले केन्द्रों की उत्पादन क्षमता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं-

(i) पुरानी तथा असक्षम उत्पादन इकाईयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार।

(ii) प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्यों में आने वाली बाधाओं के समाधान के लिए सीईए के अभियंताओं द्वारा संयंत्र प्राधिकारियों, भेल तथा अन्य संबद्ध एजेंसियों के साथ निरंतर बातचीत।

(iii) बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण के तरीकों को प्रारंभ करने के लिए बेहतर निष्पादन विद्युत यूटिलिटियों तथा अन्य विद्युत यूटिलिटियों के साथ सीईए की निरंतर बातचीत ताकि संयंत्र भार कारक में सुधार लाया जा सके।

(iv) कोयले के आयात पर बल, जिससे कमी को पूरा करने के अतिरिक्त कोयला आधारित विद्युत केन्द्रों के निष्पादन को सुधारने का लाभ होगा।

विवरण-I

2010-11 (अप्रैल-10-जून-10) के दौरान, राष्ट्रीय औसत पीएलएफ (76.7%) से कम संयंत्र भार कारक (उपयोग कारक) वाले ताप विद्युत संयंत्रों की सूची

क्षेत्र	राज्य	सेक्टर	स्टेशन का नाम	30.06.2010 के अनुसार क्षमता मेगावाट	2010-11 (अप्रैल-जून, 2010 राष्ट्रीय औसत पीएलएफ 76.7%
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	राज्य	राजघाट टीपीएस	135	54.3
	हरियाणा	राज्य	फरीदाबाद टीपीएस	55	6.1

1	2	3	4	5	6
			पानीपत टीपीएस	1360	72.4
	पंजाब	राज्य	जीएच टीपीएस-II (लेहरा मुहब्बत)	500	70.2
			जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	440	49.2
	राजस्थान	निजी	जलीपा कपूरदी टीपीएस	135	42.5
		राज्य	गिराल टीपीएस	250	16.4
	उत्तर प्रदेश	राज्य	हरदुआगंज टीपीएस	220	46.2
			ओबरा टीपीएस	1372	40.8
			पनकी टीपीएस	210	70.8
			परीछा टीपीएस	640	60.0
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	राज्य	कोरबा-II	200	73.4
			कोरबा-III	240	73.0
	गुजरात	राज्य	अकरीमोटा लिग्नाइट टीपीएस	250	67.5
			कच्छ लिग्नाइट टीपीएस	290	63.0
			सिक्क रेप. टीपीएस	240	55.7
			उकई टीपीएस	850	74.7
	मध्य प्रदेश	राज्य	अमरकंटक विस्तार टीपीएस	450	44.4
			संजय गांधी टीपीएस	1340	65.0
			सतपुड़ा टीपीएस	1142.5	62.5
	महाराष्ट्र	राज्य	भुसावल टीपीएस	470	71.3
			चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2340	19.0
			कोराडी टीपीएस	1040	53.0
			पारस टीपीएस	55	46.1
			पारली टीपीएस	670	68.2

1	2	3	4	5	6
दक्षिण क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	राज्य	रामागुंडम-बी टीपीएस	62.5	66.8
	कर्नाटक	राज्य	रायचूर टीपीएस	1720	57.8
	तमिलनाडु	केंद्रीय	नैवेली (विस्तार) टीपीएस	420	75.9
		राज्य	एन्नौर टीपीएस	450	42.0
			नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	630	69.9
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	केंद्रीय	कहलगांव टीपीएस	2340	64.2
			मुजफ्फरपुर टीपीएस	220	29.0
		राज्य	बरौनी टीपीएस	310	8.8
	डीवीसी	केंद्रीय	बोकारो "बी" टीपीएस	630	65.6
			चन्द्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	1250	35.3
			दुर्गापुर टीपीएस	340	68.8
			मेजिया टीपीएस	1340	71.1
	झारखंड	राज्य	पतरातू टीपीएस	770	13.0
			तेनघाट टीपीएस	420	48.2
	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय	फरक्का एसटीपीएस	1600	73.7
		निजी	चिनाकुरी टीपीएस	30	49.1
		निजी यूटिलिटियां	न्यू कोसीपुर टीपीएस	160	29.5
		राज्य	बांडेल टीपीएस	450	55.1
			डीपीएल टीपीएस	690	38.1
			कोलाघाट टीपीएस	1260	71.5
			सागरडिघी टीपीएस	600	62.6
			संथालडीह टीपीएस	730	19.7

विवरण-II

जो जल विद्युत केंद्र नवीकरण तथा आधुनिकीकरण अथवा खराबी (वार्षिक/मुख्य अनुरक्षण के अंतर्गत आने वाली स्कीमों को छोड़कर) के कारण अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहे हैं

परियोजना क्षमता	बंदी का कारण	वापिस शुरू होने की प्रत्याशित तारीख
रिहन्द (6x50 मेगावाट)	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के कारण यूनिट-4 और 5 (प्रत्येक 50 मेगावाट) क्रमशः सितंबर, 2008 एवं 15.11.2006 से बंद।	2010.11
जलढका-I (3x9 मेगावाट)	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के कारण तीनों यूनिटें (प्रत्येक 9 मेगावाट) 8.12.2007 से बंद।	2010-11
सबरीगिरी (6x50 मेगावाट)	यूनिट-4 आग के दौरान क्षतिग्रस्त हुई। यूनिट का पुनर्निर्माण कार्य 16.11.2009 को अवार्ड किया गया तथा पूरा होने की संभावित तिथि 31.10.2011 है।	2011-12
पेरयार (4x35 मेगावाट)	यूनिट नं. 1 नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य।	2010-11
बस्सी (4x15 मेगावाट)	यूनिट नं. 2 नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य।	2010-11
भाखड़ा (1325 मेगावाट)	अपरेटिंग क्षमता के कार्य के कारण 108 मेगावाट की यूनिट-2 26.4.10 से बंद।	2010-11
गंगूवाल (77.65 मेगावाट)	रनर ब्लेड टूटने के कारण 24.2 मेगावाट की यूनिट-2 20.4.2010 से बंद।	2010-11

एम्स जैसे अस्पतालों का उन्नयन

*97. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 19 अस्पतालों का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर उन्नयन करने की मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों के अलावा सरकार ने देश में छह और अस्पतालों को एम्स का दर्जा देने की सिफारिश योजना आयोग के पास अग्रेषित की है;

(ग) क्या बिहार राज्य सरकार ने भी मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कालेज को उन्नत करके एम्स का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) मुजफ्फरपुर मेडिकल कालेज के उन्नयन के लिए बिहार सरकार की ओर से प्रस्ताव प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तीसरे चरण में छह: मेडिकल कालेज संस्थानों के उन्नयन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के उपरांत ही प्राप्त हुआ था। बिहार राज्य में सरकारी मेडिकल कालेज, दरभंगा तीसरे चरण में उन्नयन हेतु अभिज्ञात संस्थानों में से एक है। सरकारी मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्नत किए जाने के लिए प्रस्तावित मेडिकल कालेजों की सूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

बच्चों की टीकाकरण

*98. **श्री भूदेव चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार, कितने प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण किया गया;

(ख) देश में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में कितना व्यय होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) रोग प्रतिरक्षण कवरेज के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित पिछले दो वर्षों में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। यद्यपि जिला स्तरीय परिवार सर्वेक्षण 2 (डीएलएचएस-2) (2002-04) तथा जिला स्तरीय परिवार सर्वेक्षण-3 (डीएलएचएस-3) (2007-08) के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतया प्रतिरक्षित बच्चों की प्रतिशतता संबंधी विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) नेमी प्रतिरक्षण एक चालू योजना है तथा प्रतिवर्ष रोग प्रतिरक्षण अनुसूची के अनुसार नवजात शिशुओं को प्रतिरक्षित करना होता है। अत: इस स्कीम पर होने वाला व्यय आवर्ती प्रकार का होता है। वर्ष 2010-11 के लिए नेमी प्रतिरक्षण संबंधी बजटीय आबंटन 450.00 करोड़ रुपए है।

विवरण

पूर्णतया प्रतिरक्षित कवरेज	डीएलएचएस-2 (2002-04)	डीएलएचएस-3 (2007-08)
भारत	45.9	54.1

राज्य	शहरी		ग्रामीण	
	डीएलएचएस-2 (2002-04)	डीएलएचएस-3 (2007-08)	डीएलएचएस-2 (2002-04)	डीएलएचएस-3 (2007-08)
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46.3	84.6	74.6	84.5
आंध्र प्रदेश	67.8	73.2	59.9	65.0
अरुणाचल प्रदेश	28.2	55.8	19.6	34.5
असम	26.7	55.3	14.4	50.0
बिहार	35.4	41.2	19.1	41.4

1	2	3	4	5
चंडीगढ़	54.2	74.2	48.3	61.1
छत्तीसगढ़	73.0	71.4	52.9	57.2
दादरा और नगर हवेली	100.0	73.3	79.5	53.4
दमन और दीव	81.5	78.2	51.6	87.8
दिल्ली	60.2	67.8	45.6	65.4
गोवा	71.2	97.4	90.7	91.8
गुजरात	66.2	66.8	48.1	51.4
हरियाणा	66.3	70.8	56.7	55.9
हिमाचल प्रदेश	83.7	87.8	78.3	81.9
जम्मू और कश्मीर		77.2		60.3
झारखंड	49.7	69.3	18.9	52.4
कर्नाटक	78.9	77.5	67.8	76.4
केरल	81.4	76.9	77.5	80.3
लक्षद्वीप			68.9	80.8
मध्य प्रदेश	51.0	54.5	22.8	31.4
महाराष्ट्र	70.3	72.7	71.2	67.8
मणिपुर	45.3	65.2	31.9	44.1
मेघालय	9.7	55.1	14.5	31.2
मिजोरम	43.1	58.8	28.5	45.6
उड़ीसा	56.1	74.4	52.8	61.0
पुदुचेरी	89.3	76.0	89.2	93.5
पंजाब	75.7	77.6	71.8	80.7
राजस्थान	43.5	58.5	18.0	46.7

1	2	3	4	5
सिक्किम	64.6	91.6	51.2	77.1
तमिलनाडु	92.5	81.4	90.7	84.4
त्रिपुरा	41.7	63.4	30.7	36.4
उत्तर प्रदेश	37.0	35.3	22.8	29.4
उत्तराखंड	53.7	72.7	41.3	61.3
पश्चिम बंगाल	48.5	76.3	51.0	75.7
राष्ट्रीय योग	61.1	63.1	40.0	50.4

*12-23 महीने की उम्र वाले बच्चे

शहरी परिवहन प्रणाली का विकास

***99. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी परिवहन प्रणाली की आयोजना एवं विकास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) एवं अन्य अग्रणी प्रौद्योगिकी संस्थानों को सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में इन संस्थानों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या शहरी परिवहन प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने के लिये सरकार द्वारा तैयार की जा रही कार्य-योजना को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा शहरी परिवहन के क्षेत्रों में श्रेष्ठ केन्द्रों के रूप में चुने गए चार संस्थान यथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, पर्यावरण आयोजना और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय केन्द्र (सीईपीटी), अहमदाबाद और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल शहरी परिवहन आयोजना और शिक्षा कार्य में लगाए गए हैं तथा वे शहरी परिवहन व्यवस्था की आयोजना और विकास में शहरों को सहायता भी कर रहे हैं।

(ग) और (घ) इन श्रेष्ठ केन्द्रों के साथ दिनांक 31 जून, 2010 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते ज्ञापन में वार्षिक कार्य योजना, संस्थानों को अनुदान राशि जारी करने हेतु तौर-तरीके, मॉनीटरिंग तंत्र मंत्रालय और राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को तकनीकी परामर्श देने की व्यवस्था करना, संबद्ध अनुसंधान आदि जैसे विषय शामिल हैं।

(ङ) और (च) राज्य स्तर पर किसी स्कीम/योजना का कार्यान्वयन करते समय राज्य से परामर्श करना एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार के परामर्श नियमित आधार पर किए जाते हैं।

शहरी फेरीवालों के संबंध में राष्ट्रीय नीति

***100. श्री हरीश चौधरी :**
श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी फेरीवालों के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कोई निदेश/विनिर्णय दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) जी हां। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने शहरी फरीवालों संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2004 में व्यापक संशोधन किया है और शहरी फेरीवालों संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2009 तैयार की है। इस संशोधित नीति का उद्देश्य फेरीवालों को बिना किसी परेशानी के ईमानदारी से आजीविका कमाने के लिए कानून सम्मत अनुकूल ढांचा मुहैया कराना है। इसमें नगर वेंडिंग कमेटी, शहर स्तर पर स्थानीय प्राधिकरण और योजना प्राधिकरण की भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है और राज्य सरकारों से यह आह्वान किया गया है कि फेरी कार्य करने के लिए फेरीवालो को अनुकूल माहौल प्रदान करें।

(घ) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर विभिन्न संगत मामलों में टिप्पणियां/निर्णय दिए हैं। माननीय न्यायालय के कुछ निर्देश/निर्णय इस प्रकार हैं:-

(i) दिल्ली नगर निगम बनाम गुरनाम कौर मामले में वर्ष 1988 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने नगर निगम प्राधिकारियों को हॉकिंग तथा गैर-हॉकिंग जोन बनाने और दिल्ली विकास प्राधिकरण से परामर्श करके पेवमेंट स्क्वेटरों को गैर-हॉकिंग जोनों से भिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। माननीय न्यायालय से यह भी सलाह दी कि स्कीम का प्रयास सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कम करना तथा निर्बाध यातायात में और फेरीवालों के पुनर्वास में बाधा पहुंचाने वाले सभी तरह के अतिक्रमणों को हटाया जाना चाहिए।

(ii) सौदन सिंह आदि बनाम नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अन्यान्य आदि के मामले में माननीय न्यायालय ने वर्ष 1989 में फैसला दिया था कि:

"परिस्थितियों के अनुसार यदि समुचित ढंग से नियंत्रित किया जाए जो पगडंडियों के छोटे ट्रेडर अल्पतर मूल्य दैनिक उपयोग की साधारण सामग्रियों को उपलब्ध कराकर आम लोगों की सुख सुविधा को बढ़ा सकते हैं। एक साधारण आदमी, जो बहुत धनी नहीं है, दिन भर का काम कर घर जाते समय नियमित बाजार जाए बिना उन सामग्रियों को ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी में उल्लिखित व्यापार या व्यवसाय को (मार्ग) पगडंडियों पर करने के अधिकार को, यदि समुचित ढंग से नियंत्रित किया जाए, तो उसे इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता हैं कि मार्ग मात्र आने-जाने के लिए हैं न कि अन्य प्रयोग के लिए है"।

(iii) सौदन सिंह तथा अन्य आदि बनाम नई दिल्ली नगरपालिका परिषद तथा अन्य आदि के मामले में माननीय न्यायालय ने वर्ष 1992 में यह निर्णय दिया था कि प्रत्येक नागरिक को राज्य के सार्वजनिक मार्ग को लाभार्थी के रूप में प्रयोग करने का अधिकार है लेकिन यह अधिकार ऐसे उचित प्रतिबंधों के अध्यधीन है जिन्हें राज्य लगाना चाहे।

(iv) महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन तथा अन्य बनाम नगर निगम, ग्रेटर मुंबई तथा अन्य के मामले में माननीय न्यायालय में वर्ष 2007 में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति की धारा 10.1 में यथा विचारित, विनियम बनाकर शहरी फेरीवाले राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वियन के लिए प्रक्रिया शुरू की है। न्यायालय ने आशा की कि राज्य अंश तैयार किए गए विनियम राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अनुरूप होंगे जो शहरी फेरीवाले को फेरी वर्क्स से आजीविका चलाने में मदद करेंगे।

(v) सुधीर मदान तथा अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम तथा अन्य के मामले में वर्ष 2007 में माननीय न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की संशोधित स्कीम को अनुमोदित किया तथा कहा कि चूंकि शहरी फेरीवालों संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार कर दी गई है। इसलिए तहबाजारी/वेण्डिग स्थलों आदि को विनियमित करने संबंधी स्कीमों को लागू करने में संबंधित प्राधिकारी उक्त नीति का यथोपित पालन करेंगे।

(vi) पत्री व्यापार मंडल दिल्ली बनाम दिल्ली नगर निगम टाउन हॉल तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय

ने 09.04.2009 को अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आदेश दिए कि:-

(i) आंचलिक वेंडिंग समिति समुचित अध्ययन के पश्चात पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथों की चौड़ाई को कम करने संबंधी अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी।

(ii) वार्ड वेंडिंग समिति की बैठक के लिए उसके सदस्यों को पर्याप्त समय देते हुए अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए। बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड अनुरक्षित किया जाना चाहिए।

(iii) दिल्ली नगर निगम को तेहबाजारी/विक्रय स्थल आबंटित सभी विद्यमान आबादकारो तथा फेरीवालों को फोटोयुक्त पहचान गणना करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। फोटोयुक्त पहचान गणना सभी भावी आबंटनों के लिए भी अनिवार्य किया जाना चाहिए।

वर्ष 2009 में राष्ट्रीय शहरी फेरी नीति को संशोधित करते समय न्यायालय के निर्देशों/निर्णयों पर यथोचित ध्यान दिया गया है। इस मंत्रालय द्वारा तैयार संशोधित राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य फेरीवाले को अपनी आजीविका चलाने के लिए अनुकूल पर्यावरण को बढ़ाना तथा उन्हें अपनी आजीविका के लिए फेरी कार्यकलाप जारी रखने हेतु फेरीवालों के समग्र हित में कार्य करने में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का मार्गदर्शन करना है।

मिलावटी दूध

921. **श्रीमती मीना सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया तथा मिलावटी दूध जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, की आपूर्ति देश के कई कस्बों/शहरों में की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के अंतर्गत दूध की गुणवत्ता/मानक की जांच के लिए तैनात एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सूचित किया है कि देश के कुछ भागों में मिलावटी दूध के उत्पादन के बारे में मीडिया में कुछ रिपोर्टें छपी हैं।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और नियमावली 1955 के कार्यान्वयन का कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को सौंपा गया है जिनको समय-समय पर ये निदेश दिए गए हैं कि वे दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखें और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी नियमावली, 1955 के उपबंध के अंतर्गत आवश्यक निवारक आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिलावटी दूध के बारे में 6 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

[अनुवाद]

भारत में माइक्रोफाइनान्स

922. **श्री पी. बलराम :**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइक्रोफाइनान्स नेटवर्क तथा इसकी संहिता का लक्ष्य वर्ष 2050 तक 100 मिलियन घरों तक माइक्रोफाइनान्स ले जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितने गांवों की पहचान की गई है;

(ग) क्या एमएफआई क्षेत्र का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वर्ष 2008-09 के दौरान 581 सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को 3732.33 करोड़ रुपए बैंक ऋण संवितरित किया गया है और

31.03.2009 की स्थिति के अनुसार 1915 सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के प्रति 5009.09 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। ये ऋण सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में गरीबों को उधार देने के लिए थे।

इसके अलावा, नाबार्ड ने सूचित किया है कि स्व-सहायता समूह बैंक संयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 61.21 लाख से अधिक बचत संयोजन एसएचजी और 42.24 लाख से अधिक ऋण संयोजन एसएचजी थे तथा इस प्रकार इस कार्यक्रम के तहत लगभग 8.6 करोड़ गरीब परिवारों को कवर किया गया है। इन समूहों में बकाया जमाराशि 5545.62 करोड़ रुपए तथा बकाया ऋण 22679.85 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

विनिवेश संबंधी शिकायतें

923. श्री प्रहलाद जोशी :
श्री गणेश सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी प्रत्येक शिकायत पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एनपीसी को लोकप्रिय बनाने के प्रस्ताव

924. श्रीमती जे. शांता : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई पेंशन योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने नई पेंशन योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण ने इस संबंध में सरकार से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ङ) नवीन पेंशन प्रणाली (एनपीसी) को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार और अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(i) 01 मई, 2009 से भारत के सभी नागरिक एनपीएस का लाभ उठा सकते हैं।

(ii) मार्च 2009 को उपस्थिति केन्द्रों (पीओपी) की संख्या 21 थी जिसे मार्च 2010 में बढ़ाकर 40 कर दिया गया है।

(iii) कम प्रवेश और अंतरण प्रभारों के साथ एनपीएस-लाइट शुरू किया गया है, ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अपने वृद्धावस्था के लिए बचत करने में सक्षम बनाया जा सके।

(iv) असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने, उन व्यक्तियों के लिए स्वावलंबन पहल की घोषणा की है, जो सरकार के किसी संवैधानिक सामाजिक सुरक्षा स्कीम के भाग नहीं है और जो वित्त वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान न्यूनतम 1000 और अधिकतम 12000 रुपए प्रतिवर्ष के अंशदान के साथ एनपीएस मे जुड़ते हैं। ऐसे अंशदाताओं के लिए भारत सरकार वर्ष 2010-11 में 1000 रुपए का अंशदान करेगी और यह लाभ तीन और वर्षों के लिए उपलब्ध होगा।

(v) स्वावलंबन स्कीम की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए संग्राहकों (एग्रिगेटर्स) को प्रोत्साहित करने के लिए पीएफआरडीए

ने एनपीएस में पंजीकृत प्रत्येक अंशदाता के लिए 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है।

(vi) वित्त मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ क्षेत्रों के प्रशासकों से स्वावलंबन योजना के अंशदाताओं के लिए इसी तरह के सह अंशदान योजनाओं की घोषणा पर विचार करने का अनुरोध किया है। इस घोषणा के प्रत्युत्तर में केन्द्रीय सरकार, दो राज्य नामत: हरियाणा और कर्नाटक ने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के विशिष्ट व्यावसायिक समूहों के लिए सह अंशदायी स्कीमों की घोषणा की है, जिसमें स्वावलंबन पहल के अंतर्गत अंशदाताओं के अंशदान और केन्द्रीय सरकार के अंशदान के अतिरिक्त 1200 रुपए प्रतिवर्ष का अंशदान करने का आश्वासन दिया गया है।

एनपीएस को लोकप्रिय बनाने के लिए, पीएफआरडीए ने, अन्य बातों के साथ-साथ, संवर्द्धनात्मक गतिविधियों पर आवश्यक खर्च का वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार से निधि की उच्चतर राशि आबंटित करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2006-07 के 5.00 करोड़ रुपए, वर्ष 2007-08 के 6.56 करोड़ रुपए और वर्ष 2008-09 में आबंटित 6.30 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2009-10 में 16.00 करोड़ रुपए और वर्ष 2010-11 में 16.00 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

[हिन्दी]

घरेलू पर्यटन

925. **श्री कीर्ति आजाद :**
श्री धनंजय सिंह :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कितने घरेलू पर्यटकों ने देश के विभिन्न राज्यों का राज्य-वार दौरा किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे अर्जित राजस्व का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में घरेलू पर्यटक के संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पर्यटन मंत्रालय पर्यटन से अर्जित राजस्व के राज्य-वार आंकड़े संकलित नहीं करता।

(ग) पर्यटन मंत्रालय पर्यटन संवर्धन में राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को समन्वित और उनका अनुपूरन करने, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रेरित करने, घरेलू बाजारों में संवर्धनात्मक एवं मार्केटिंग प्रयासों को सुदृढ़ करने और पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति संसाधन प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पर्यटन मंत्रालय देश में घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए अपनी मार्केटिंग विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विवरण

वर्ष 2007-2009 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी पर्यटक यात्राएं

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या (करोड़ रु. में)		
		2007	2008	2009
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1279.33	1326.85	1574.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.91	1.49	1.95
3.	असम	34.37	36.17	38.51
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.36	1.24	1.42
5.	बिहार	103.53	118.90	156.86
6.	चंडीगढ़	9.28	9.09	9.15
7.	छत्तीसगढ़*	4.14	4.43	5.12

1	2	3	4	5
8.	दादरा और नगर हवेली	4.73	5.05	5.07
9.	दमन और दीव	4.46	4.65	5.63
10.	दिल्ली**	23.88	21.33	20.41
11.	गोवा	22.09	20.20	21.27
12.	गुजरात	134.77	155.05	159.10
13.	हरियाणा	62.53	59.73	64.08
14.	हिमाचल प्रदेश	84.82	93.73	110.37
15.	जम्मू और कश्मीर	79.15	76.39	92.35
16.	झारखंड	49.06	60.30	76.10
17.	कर्नाटक	378.26	127.98	327.02
18.	केरल	66.43	75.91	77.89
19.	लक्षद्वीप	66.43	75.91	77.89
20.	मध्य प्रदेश	0.17	0.02	0.07
21.	महाराष्ट्र*	138.95	220.89	231.06
22.	मणिपुर	192.27	205.53	237.39
23.	मेघालय	1.01	1.12	1.24
24.	मिजोरम	4.58	5.50	5.91
25.	नागालैंड (R)	0.22	0.21	0.21
26.	उड़ीसा	59.45	63.58	68.92
27.	पंजाब	3.69	5.09	4.57
28.	पुदुचेरी	7.99	8.28	8.51
29.	राजस्थान	259.21	283.59	255.59
30.	सिक्किम (R)	3.29	4.61	5.48
31.	तमिलनाडु	702.55	982.85	1157.56
32.	त्रिपुरा	2.45	2.45	3.18
33.	उत्तर प्रदेश	1162.44	1248.43	1348.32
34.	उत्तराखंड	198.03	205.46	219.35
35.	पश्चिम बंगाल	185.81	193.14	205.29
	कुल	5265.64	5629.82	6500.39

*अखिल भारतीय वृद्धि दर का उपयोग करते हुए अनुमान

**दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए सैंपल होटलों के पर्यटक आगमन के आंकड़ों का उपयोग करते हुए अनुमान

(R) 2008 के लिए घरेलू पर्यटक यात्राओं के संशोधित आंकड़ें।

[अनुवाद]

जीएसटी के अंतर्गत रीयल इस्टेट

926. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रीयल इस्टेट को वस्तु तथा सेवा कर के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) इस संबंध में क्या दिशानिर्देश हैं; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकारों के क्या दृष्टिकोण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (घ) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कुछ अभिकल्प तत्व जैसे (रीयल इस्टेट) पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। हालांकि केन्द्र और राज्यों के बीच व्यापक समझ है कि कम से कम आरंभ में स्टैम्प ड्यूटी को जी.एस.टी. से बाहर रखा जाए।

ऊर्जा का संरक्षण

927. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा कुशलता ब्यूरो ने गत कुछ वर्षों में देश में बिजली की बचत में सहायता प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो मेगावाट तथा इसके मूल्य के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऊर्जा कुशलता ब्यूरो ने आगामी वर्षों में बिजली की और बचत करने के संबंध में कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) जी हां, ऊर्जा कुशलता ब्यूरो ने देश में बिजली की बचत में सहायता की है।

(ख) से (घ) XIवीं योजना में ऊर्जा कुशलता के लिए कार्य योजना: XIवीं योजना अवधि में ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों में वृद्धि करने के लिए और 2012 तक खपत को 5% (10,000 मेगावाट ऊर्जा बचत के समतुल्य) तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बीईई ने निम्नलिखित क्षेत्रों को लक्ष्य करते हुए कई कार्यक्रम/योजनाएं शुरू की हैं-

- घरेलू प्रकाश व्यवस्था
- व्यापारिक इमारतें
- उपकरणों के मानक तथा लेबलिंग
- कृषि/नगरपालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन
- एसएमई तथा बड़े उद्योग
- एसडीए का क्षमता निर्माण

विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त विवरण, साथ ही लक्ष्य परिहारित क्षमता को नीचे दर्शाया गया है:-

क्रम सं.	योजना का नाम	लक्ष्य (परिहारित क्षमता)
1	2	3
1.	घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा कुशल एवं उच्च गुणवत्ता वाले सीएफएल को बढ़ावा देने के लिए बचत लैम्प योजना	4,000 मे.वा.
2.	अंतोपयोग उपकरणों की ऊर्जा कुशलता के लिए मानक विकसित करने के के लिए और सूचना परक लेबल उपलब्ध कराने के मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम	3,000 मे.वा.
3.	ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 500 कि.वा. के संबद्ध भार वाले नए व्यापारिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन मानक निर्धारित करती है। विद्यमान भवनों में रेट्रोफिटिंग द्वारा भी ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा दिया जाता है।	500 मे.वा.
4.	कृषि डीएसएम एवं नगरपालिका डीएसएम का लक्ष्य कृषि एवं नगर पालिका क्षेत्रों में अदक्ष पंप-सेट्स, मार्ग प्रकाश व्यवस्था इत्यादि को बदलना है।	2000 मे.वा.
5.	25 ऊर्जा गहन समूहों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) में ऊर्जा दक्षता	500 मे.वा.

1	2	3
6.	राज्य निर्दिष्ट एजेंसियों (एस.डी.ए.) का क्षमता निर्माण, उनकी संस्थानिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपेक्षित है ताकि संबंधित राज्यों में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन में उन्हें सुविधा रहे।	–
7.	राज्य स्तर पर ऊर्जा दक्षता कार्यान्वियन कायम रखने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि।	–
8.	आम जन में क्षमता संबंधी जागरूकता पैदा करने तथा ऊर्जा संरक्षण की आदत डालने के लिए ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता अभियान।	–
	योग	10000 मे.वा.

स्कीमें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के ढांचे के अन्दर क्रियान्वित की जाती है। की गई पहलों के फलस्वरूप वर्ष 2007-08 एवं 2008-2009 के दौरान क्रमश: 623 मेगावाट तथा 1504 मेगावाट का क्षमता उत्पादन परिहारित किया गया, जिसका मूल्य उस अवधि के दौरान लगभग 13,000 करोड़ रुपए है।

पन बिजली का विकास

928. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पनबिजली विकास से संबंधित मुद्दों की जांच करने तथा इन्हें सुलझाने के लिए 2007 में एक कृतक बल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) सरकार ने देश में जल विद्युत विकास से संबंधित मुद्दों की जांच एवं उसका समाधान करने के लिए 2007 में विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में जल विद्युत परियोजना विकास संबंधी एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल का विचारार्थ विषय (टीओआर) जल विद्युत विकास से संबंधित सभी मुद्दों जैसे कि जल परियोजनाओं के विकास के लिए अपेक्षित स्थलों एवं स्वीकृतियों का आबंटन करना, वन, पर्यावरण एवं वन्यजीव संबंधी मुद्दे मेजबान राज्य को मुआवजा देना, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्वास मुद्दे, विद्युत उत्पादन की लागतों एवं लाभ की हिस्सेदारी करना, जल भंडारण, भंडारण परियोजनाओं के अनुप्रवाहवीय राज्यों के साथ जल विद्युत परियोजनाओं के नौवहन एवं बाढ़ में कमी की जांच एवं उसका समाधान करना है।

(ग) से (ङ) विचारार्थ विषय के अनुसार, कार्यदल को आधिदेशित नहीं किया गया है। बल्कि कार्य दल को निरंतर आधार पर जल विद्युत के विकास को बाधित करने वाले मुद्दों की जांच एवं उसका समाधान करने हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

ईसीजी तकनीशियनों तथा अन्य के बीच समानता

929. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में ईसीजी तकनीशियन के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को अन्य पराचिकित्सीय कर्मचारी तथा नर्सिंग कर्मचारियों के समान सुविधाएं, प्रोन्नति तथा ग्रेड वेतन प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ईसीजी तकनीशियनों तथा अन्य पराचिकित्सीय कर्मचारियों के बीच एकसमान सुविधाएं, इत्यादि कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (घ) केन्द्र सरकार के अस्पतालों में कार्य कर रहे ईसीजी तकनीशियनों को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अन्य परामेडिकल स्टॉफ के समान ही सुविधाएं, पदोन्नति और ग्रेड वेतन मिल रहे हैं।

[अनुवाद]

समेकित पशुधन विकास कार्यक्रम

930. **श्री एन. पीताम्बर कुरूप : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय विभाग ने केरल राज्य हेतु समेकित पशुधन विकास कार्यक्रम (जीवन रेखा) हेतु वर्ष 2008-09 के लिए वित्तीय सहायता की केवल पहली किश्त जारी की है;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कब जारी की गई तथा कितनी राशि जारी की गई;

(ग) शेष राशि को जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उस कार्यालय हेतु यह राशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (घ) केरल में समेकित पशुधन विकास के लिए व्यय विभाग द्वारा योजना आयोग की सिफारिश पर दिनांक 31.12.2008 को 3.00 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान (10.00 करोड़ रुपए का 30 प्रतिशत अनुदान का भाग) जारी किया गया था। आज की स्थिति के अनुसार, व्यय विभाग समेकित पशुधन विकास कार्यक्रम नाम से किसी भी कार्यक्रम के लिए सतत आधार पर निधियां जारी नहीं करता।

चूंकि, उपर्युक्त धनराशि एकबारगी अनुदान ही थी, इसलिए व्यय विभाग की ओर से कोई किस्त जारी नहीं की जानी है।

जेनेटिक औषधियां

931. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों/संस्थाओं को सभी पर्चियों पर ब्रांड नाम के साथ-साथ औषधियों के जेनेटिक नाम लिखने के संबंध में निदेश जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और मंत्रालय के अधीन/स्वायत्त/संस्थानों को निदेश जारी किए हैं कि वे उत्तम गुणवत्ता वाली जेनेरिक औषधें/दवाएं ही नुस्खे में लिखें। यह भी अनुदेश दिया गया है कि जब कभी केन्द्र सरकार के अस्पातालों/स्वायत्त संस्थानों द्वारा कोई ब्राण्डेड दवा नुस्खे में लिखी जाती है तो इसमें किसी अन्य समकक्ष जेनेरिक औषध/दवा भी निश्चित रूप से लिखी जाए।

राष्ट्रीय बाल नीति

932. **चौधरी लाल सिंह : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त नीति में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में संबद्ध एजेन्सियों से कोई सुझाव/जानकारी मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त संशोधित नीति में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बाल नीति यह निर्धारित करती है कि राज्य बच्चों को जन्म से पहले एवं जन्म के बाद और उनके पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक तथा सामाजिक विकास हेतु विकास के सभी स्तरों के दौरान पर्याप्त सेवाएं प्रदान करेगा। नीति में सुझाए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम, माताओं एवं बच्चों हेतु पूरक पोषण, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं आवश्यक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजक कार्यकलापों को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्गों के बच्चों हेतु विशेष उपाय, बाल शोषण का निवारण आदि शामिल हैं।

सरकार ने उक्त नीति की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

(ग) से (च) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नीति की समीक्षा के लिए विभिन्न भागीदार पक्षों से परामर्श कर रही है। नीति में संशोधन करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

एनटीपीसी द्वारा कोयला खानों का अधिग्रहण

933. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का विचार आस्ट्रेलिया में कोयला खानों का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कुल कितना निवेश अंतर्गस्त है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इस उद्देश्य हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) एनटीपीसी आस्ट्रेलिया में कोयला खानों में हिस्सेदारी के उद्देश्य अवसरों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है।

घरेलू स्रोतों से से उपलब्ध कोयला एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की जरूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। कोयले की कमी के कारण फरक्का, कहलगांव और तालचेर कनिहा के विद्युत स्टेशनों में उत्पादन की हानि हो रही है। एनटीपीसी अपनी जरूरत और घरेलू स्रोतों से कोयले की प्राप्ति के बीच बढ़ते हुए अंतर को पूरा करने के लिए देश के बाहर से कोयले का आयात कर रहा है। अतएव एनटीपीसी विदेशी भूमि पर कोयला खानों की प्राप्ति हेतु प्रयास कर रहा है ताकि वह अपने विद्युत संयंत्रों के लिए अपेक्षित मात्रा में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके।

पीएफसी द्वारा निधियों का आबंटन

934. **श्री आधि शंकर : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम लिमिटेड ने देश में नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं तथा बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण प्रदान किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु पीएफसी द्वारा आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। पीएफसी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान कर रही है। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जल विद्युत परियोजनाओं के लिए आबंटित निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	
	01.04.2007 से 31.03.2010	01.04.2010 से 26.07.2010
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	1257	920
जल (लघु)	565	–
जल (लघु)	10810	322
कुल (कुल)	11375	322

राजीव गांधी कंबाइंड साइकल विद्युत गृह

935. **श्री के.सी. वेणुगोपाल :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की केरल में राजीव गांधी कंबाइंड साइकल विद्युत गृह के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या परियोजना के विस्तार में कोई विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) एनटीपीसी का प्रस्ताव है कि कायमकुलम में 350 मेगावाट की क्षमता के मौजूदा नेफ्था आधारित राजीव गांधी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट (आरजीसीसीपीपी) का विस्तार किया जाए। प्रस्तावित विस्तार ईंधन के रूप में पुनःगैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) से 1050 मेगावाट (अभिहित) क्षमता का है। यह 12वीं योजना की परियोजना है। परियोजना के लिए भूमि एवं जल उपलब्ध है तथा 20 वर्षों की अवधि के लिए आरएलएनजी की लगभग 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की आपूर्ति के लिए गैस विक्रय करार पर (जीएमए) मै. पैट्रोनेट एलएनजी ऑफटेकर्स, मै. गेल, बीपीसीएल एवं आईओसीएल के सा 03.12.2009 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को 30.6.10 को आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ख) और (ग) एनटीपीसी ने पहले, 11वीं योजना में लाभ देने के लिए 1950 मेगावाट जोड़ते हुए कायमकुलम के आरजीसीसीपीपी के विस्तार पर विचार किया था। एनटीपीसी के आरएलएनजी/एनएनजी के प्रापण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) प्रक्रिया अपनाई थी। तथापि, चूंकि हर प्रकार से परिपूर्ण कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई, अत: परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य आगे नहीं बढ़ सका।

(घ) 20 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 1.2 एमटीपीएल आरएलएनजी की आपूर्ति के लिए एनटीपीसी द्वारा 03.12.07 को मै. पैट्रोनेट एलएनजी ऑफटेकर्स मै. गेल, बीपीसीएल एवं आईओसीएल के साथ गैस विक्रय करार (जीएसए) पर हस्ताक्षर किए गए। जीएसए के अनुसार, आरएलएनजी आपूर्ति जुलाई, 2004 में जनवरी, 2016 की समयावधि (विंडो) में शुरू किए जाने का कार्यक्रम है। जीएसएसए के अनुसार, गोरगोन, ऑस्ट्रेलिया से पूर्ण अनुबंधित मात्रा (=1.2 एमटीपीए) प्राप्त होने तक, विद्युत संयंत्र के चालू होने के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए परस्पर सहमत शर्तों पर ब्रिज आरएलएनजी का प्रबंध करने के लिए गेल/आईओसीएल/बीपीसीएल के साथ पार्श्व पत्र (साइड लैटर) पर भी हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

जेएनएनयूआरएम का मध्यावधि मूल्यांकन

936. **श्री अब्दुल रहमान :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार यह योजना नगरों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए आवश्यक मानदंड के रूप में राज्य प्रशासन के पुनर्गठन के संदर्भ में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा जेएनएनयूआरएम के मध्यावधि मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना की मध्यावधि पुनरीक्षा में यह पाया गया कि कई कड़े सुधार यथा, संपत्ति कर का संग्रहण, जलापूर्ति लागत वसूली, किराया नियंत्रण में सुधार इत्यादि अब भी लंबित पड़े थे; और

(घ) यदि हां, तो जेएनएनयूआरएम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा सही दिशा में समुचित कदम उठाने हेतु प्रेरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनआरयूएम) की मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार शहरीकरण कार्यक्रम देश भर में शहरी क्षेत्रों पर पुन: ध्यान केन्द्रित करने में प्रभावी रहा है तथा कई राज्यों में महत्वपूर्ण सुधारों के लिए सुसाध्य वातावरण तैयार करने में सहायक रहा है। यह शहरों की भौतिक अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश उत्प्रेरित करने में सफल रहा है। यह शहरी स्थानीय निकायों की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने में सफल रहा

है तथा उनको उनकी अभ्यस्तता से काफी वृहद स्तर पर परियोजनाओं के निष्पादन के योग्य बनाया है। यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस कार्यक्रम ने राज्यों में कई नए विचारों को पैदा किया है जिससे उनके द्वारा शुरू की गई शहरी रूपांतरण के संवेग को कायम रखने की उनकी योग्यता बढ़ जाएगी। इसमें राज्यों को पूरा किए जाने वाले विभिन्न कार्य मदों के बारे में भी अवगत कराया है तथा शासन में सुधार के लिए एक व्यापक कार्यढांचा प्रदान किया है। जेएनएनआरयूएम ने शहर सुधार की परिकल्पना को सड़क, फ्लाईओवर एवं यातायात प्रबंधन से लेकर सफाई, पानी तथा लोक परिवहन से संबंधित विषयों तथा अब शहरों में और अधिक मूलभूत आवश्यकताओं तथा अल्प-लाभ प्राप्त गरीबों के अधिकारों तथा उससे परे फैला दिया है।

(ग) सम्पत्ति कर संग्रह तथा क्षमता, पानी आपूर्ति लागत की वसूली, किराया नियंत्रण में सुधार, शहर योजना कार्यकलाप का हस्तांतरण तथा पानी आपूर्ति एवं सफाई का हस्तांतरण सहित सुधारों के कठिन समूहों पर विशेषतया प्रगति कम रही।

(घ) राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों/पैरास्टेटलों द्वारा सभी आवश्यक तथा वैकल्पिक सुधारों को मिशन अवधि अर्थात 2005-06 से 2011-12 के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा। जेएनएनआरयूएम के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सुधार से संबद्ध है तथा दूसरी तथा उसके बाद की किश्तें राज्य तथा शहरी स्थानीय निकाय/पैरस्टेटलों स्तर पर सहमति ज्ञापन के अनुसार आवश्यक एवं वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए अनुमत लक्ष्य की प्राप्ति की शर्त पर जारी किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों/पैरास्टेटलों द्वारा परियोजनाओं एवं सुधारों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की प्रत्येक माह समीक्षा करती है जिसमें चुनिंदा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को समीक्षा तथा कार्यान्वयन को तत्परता से निपटाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में शहरी विकास के राज्य सचिवों की एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।

मिशन के कार्यान्वयन हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सचिव (शहरी विकास) द्वारा क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठक ली जाती है।

बैंकों पर कराधान

937. **श्री पोन्नम प्रभाकर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत में बैंकों पर कराधान लगाने की यूरोपीय संघ की योजना का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) भारत इस विषय पर 'सर्व प्रयोज्य' समाधान पर सहमत नहीं हुआ और इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार का भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, यद्यपि यह कुछ अन्य यूरोपीय देशों के लिए उपयुक्त हो सकता है।

(ख) जी-20 बैठक में, भारत में बैंकिंग क्षेत्र पर कराधान के लिए भारत सहमत नहीं हुआ है क्योंकि हमारे बैंक सुदृढ़तापूर्वक विनियमित होते हैं, इसलिए हमने हाल ही के वित्तीय और आर्थिक संकट के दौरान कर दाताओं के धन का उपयोग करके अपने बैंकों की जमानत नहीं करवानी पड़ी है और हमारे पास सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) तथा नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) जैसे अन्य उपाय पहले से ही उपलब्ध हैं जो वित्तीय क्षेत्र में लागत को आरोपित करते हैं। हमने इस पर महत्व दिया है कि हम वास्तविक अर्थव्यवस्था में तीव्र और समावेशी विकास को समर्थन देने हेतु वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के पथ पर बने रहेंगे और वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थित स्थिरता को भी बढ़ाएंगे।

अन्य बातों के साा-साथ आस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील सहित अन्य अनेक देशों का भी यही विचार था कि 'सर्व प्रयोज्य' सभी के लिए समाधान नहीं हो सकता। अंत में जी-20 इस सिद्धांत पर सहमत हुआ कि वित्तीय क्षेत्र के उद्धार के लिए कर दाताओं को लागतों का भुगतान नहीं करना चाहिए। तथापि, यह इस बात पर भी सहमत हुआ कि इस उद्धार की प्राप्ति के लिए नीतिगत विकल्पों की व्यापक रेंज है और यथार्थ प्रणाली अलग-अलग देशों की परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए।

इन्दिराम्मा आवास कार्यक्रम

938. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला :** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से इन्दिराम्मा आवास कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसने केन्द्र सरकार को इंदिराम्मा आवास कार्यक्रम हेतु सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग

939. **श्री मिलिंद देवरा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग सेवा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों में इनका दायरा तथा इनके लाभ क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मोबाइल बैंकिंग से धन अपशोधन, आतंकवाद के लिए वित्त आदि का खतरा रहता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राइ) तथा भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का सीमांकन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों के संबंध में 08 अक्तूबर, 2008 को बैंकों को परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनकी समीक्षा करके दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को इन्हें और शिथिल किया गया था। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एकबारगी अनुमोदन के अध्यधीन भारत में कहीं भी मोबाइल बैंकिंग सेवा प्रदान कर सकते हैं। यह सेवा ग्राहक को 50,000 रुपए की दैनिक सीमा के अध्यधीन निधियों के अंतरण एवं सामान की खरीद से जुड़े लेनदेनों/सेवाओं दोनों के लिए दी जा सकती है। बैंकों द्वारा 1000 रुपए तक के लेनदेन बिना किसी "एण्ड टू एण्ड एन्क्रिप्शन" के सुकर बनाए जा सकते हैं। नकदी विप्रेषण के लिए मोबाइल फोन का उपयोग सुकर बनाने के उद्देश्य से, बैंकों को निधि अंतरण सेवा प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जिसमें प्राप्तकर्ता को नकदी में भुगतान करने के लिए अपने ग्राहकों के खातों से निधियों के अंतरण की सुविधा है। ऐसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता को निधियों में संवितरण की सुविधा एटीएम पर अथवा बैंक द्वारा कारवार सम्पर्की के रूप में नियुक्त किए गए किसी एजेंट (एजेंटों) के माध्यम से दी जा सकती है। ऐसे अंतरणों का अधिकतम मूल्य 5000 रुपए प्रति लेनदेन होगा। बैंकों को ऐसे लेनदेनों के वेग पर उपयुक्त उच्चतम सीमा, प्रति ग्राहक 25,000 रुपए प्रतिमाह के अधिकतम मूल्य के अध्यधीन, लगाने की अनुमति भी दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को मोबाइल बैकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अब तक 40 बैंकों को प्राधिकृत किया है। धनशोधन, आतंक के निधीयन, आदि की रोकथाम करने के लिए, मोबाइल बैंकिंग दिशानिर्देश जारी करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा गया है कि मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धनशोधन निवारण (एएमएल) तथा आतंकवाद के वित्तपोषण का विरोध करने संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

(ङ) से (छ) मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिनांक 19.11.2009 को सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालय दल (आईएमजी) का गठन मूलभूत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल आधारित डिलीवरी माडल शुरू करने के लिए संगत मानदंड तथा तौर-तरीके बनाने के लिए किया गया था, जिसमें टीआरएआई तथा भारतीय रिजर्व बैंक सदस्य थे। संबंधित विभिन्न एजेंसियों/विभागों द्वारा आईएमजी की रिपोर्ट की उन सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है जो सरकार ने स्वीकार कर ली हैं।

जनजातीय विकास हेतु नाबार्ड द्वारा धनराशि

940. **श्री मानिक टैगोर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने जनजातीय विकास परियोजनाओं हेतु धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा परियोजना-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के अंतर्गत इन सभी जारी की गई राशियों का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) नाबार्ड ने सूचित किया है कि वह मुख्यत: वृक्ष आधारित कृषि व्यवस्था/वाड़ी कहे जाने वाले छोटे बागों का विकास करके जनजातीय परिवारों को निरंतर उपलब्ध कराके जनजातीय विकास परियोजनाओं में सहायता दे रहा है। नाबार्ड इस प्रयोजन के लिए स्वयं के संसाधनों से सृजित अपनी जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) से वर्ष 2005-06 से इन परियोजनाओं से सहायता दे रहा है। पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में टीडीएफ के तहत मंजूर परियोजनाओं, शामिल किए गए परिवारों की संख्या, मंजूर सहायता और संवितरित धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	मंजूर परियोजनओं की संख्या	शामिल किए गए परिवारों की संख्या	मंजूर नाबार्ड टीडीएफ सहायता (करोड़ रुपए)	संवितरित नाबार्ड टीडीएफ सहायता (करोड़ रुपए)
2007-08	16	14538	49.20	10.68
2008-09	74	61924	202.87	28.05
2009-10	79	63113	236.19	53.52
2010-11 (जून 2010 तक)	16	15664	62.44	16.95

राज्य-वार ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि प्रत्येक टीडीएफ परियोजना की अवधि 5-7 वर्ष है। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाती है। योजनाबद्ध क्रियाकलापों और परियोजना को वास्तविक रुप से चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाने के आधार पर निधियां भी चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती हैं। पहले जारी की गई निधियों के उपयोग किए जाने के बाद की निधियां जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। परियोजना कार्यान्वयन के लिए निधियों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निधियों का कुछ भाग परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को अग्रिम रुप में जारी किया जाता है और बाद में पहले जारी की निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के बाद योजनाबद्ध क्रियाकलापों के आधार पर शेष राशि जारी की जाती है। नाबार्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए इन परियोजनाओं की नियमित रुप से निगरानी करता है और निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करता है। अत: चाहे मंजूर निधियों का दिनांक 30.6.10 की स्थिति के अनुसार पूरा उपयोग न भी किया गया हो, तब भी प्रत्येक परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा किए जाने के अनुसार निधियों का उपयोग किया जाएगा।

(ङ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि वाड़ी परियोजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि अनुसूचित जनजातीयों की जीविका में सुधार के लिए वाड़ी (छोटे बाग) विकास दृष्टिकोण अपनाने पर विचार करें। दो राज्य सरकारें अर्थात पश्चिम बंगाल और मेघालय ने अपने राज्यों में मंजूर मॉडल को अपना लिया है और क्रमश: 2 और 1 परियोजनाओं में 50% लागत के लिए अंशदान कर रहे हैं।

विवरण

दिनांक 30.06.2010 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार मंजूर और संवितरित जनजातीय विकास निधि शुरुआत (2005-06) से संचयी

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	पीआईए की संख्या	परिवारों की संख्या	नाबार्ड टीडीएफ सहायता*
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	318	0.85
2.	आंध्र प्रदेश	34	32	28381	107.79
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	1000	3.76
4.	असम	3	3	1500	5.14
5.	महाराष्ट्र एवं गुजरात-मधुमक्खी पालन	1	1		0.12
6.	बिहार	6	4	6430	25.01
7.	छत्तीसगढ़	29	17	23550	85.74
8.	दादरा और नगर हवेली	1	1	800	3.13
9.	गुजरात	8	4	6150	15.30
10.	झारखंड	9	2	8835	37.13
11.	कर्नाटक	7	7	6605	21.99
12.	केरल	2	2	691	2.62
13.	मध्य प्रदेश	17	13	15209	32.68
14.	महाराष्ट्र	9	8	9992	32.95
15.	मणिपुर	1	1	500	1.92
16.	मेघालय	3	1	1500	4.76
17.	मिजोरम	2	2	1000	22.75
18.	नागालैंड	3	3	1650	6.08
19.	उड़ीसा	19	16	17433	65.28
20.	राजस्थान	25	10	23034	73.66
21.	सिक्किम	2	2	700	3.19
22.	तमिलनाडु	2	2	1916	6.43
23.	उत्तर प्रदेश	5	5	4650	15.60
24.	उत्तराखंड	2	2	1600	5.14
25.	पश्चिम बंगाल	14	9	8550	27.04
	कुल	207	150	171994	606.06

*मंजूर परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, जिसे 5-7 वर्ष की परियोजना अवधि में चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाना।

पीआईए : परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

टीडीएफ : जनजातीय विकास निधि

स्त्रोत : नाबार्ड

जड़ी-बूटियों से निर्मित दवाइयां

941. श्री पी.टी. थॉमस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजातीय जड़ी-बूटियों से निर्मित दवाइयों तथा पारंपरिक दवाइयों के बारे में जनजातीय लोगों के ज्ञान को जुटाने एवं इनका उपयोग करने के बारे में अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्,

केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने औषधीय प्रयोजनों हेतु लगभग 8000 पादप प्रजातियों का उपयोग करते हुए भारत में तकरीबन 400 जातीय समुदायों की जनजातीय जड़ी-बूटीय औषधियों/प्रजाति-वनस्पति पर सूचना प्रकाशित की है। विभिन्न राज्यों में वन क्षेत्रों की प्रजाति-वानस्पतिक खोज के दौरान 11,400 से भी अधिक जनजातीय औषधीय पादप इकट्ठे किये गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने 9 खंड प्रकाशित किये हैं, जिनमें 2,100 से भी अधिक पादप प्रजातियों, जिनके वानस्पतिक नाम भी दिए गए हैं, के संबंध में बहु-विषयक सूचना दी गई है।

इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध लोक-साहित में उपलब्ध लोक-साहित्य में उल्लिखित अतिरिक्त पादपों के संबंध में भी प्रकाशन निकाले गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नवत है:

- उत्तरी भारत के लोक साहित्य में औषधीय पादप
- दक्षिणी भारत के लोक साहित्य में औषधीय पादप
- बिहार और उड़ीसा के लोक साहित्य में औषधीय पादप
- कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र के लोक साहित्य में औषधीय पादप
- उत्तरी भारत के लोक साहित्य में औषधीय पादप-भाग-II
- दक्षिणी भारत के लोक साहित्य में औषधीय पादप-भाग-II
- उड़ीसा के लोक साहित्य में औषधीय पादप-भाग-II

[हिन्दी]

ऋण हेतु फर्जी एजेंट

942. **श्री सुदर्शन भगत : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्जी एजेंटों द्वारा ऋण मंजूर करने के नाम पर व्यक्तियों को लूटने के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए फर्जी एजेंटों की राज्य-वार कितनी संख्या है; और

(ग) उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से सूचित किया है कि उनके पास इस मामले से संबंधित कोई सूचना नहीं है।

शहरीकरण

943. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित शहरीकरण के कारण शहरी क्षेत्र में उपलब्ध अवसंरचना पर दवाब बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरी क्षेत्र को परिभाषित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उक्त मानदंड में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के शहरी क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी हां।

(ख) 54वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 70% शहरी परिवारों को नल से पानी की सप्लाई प्राप्त थी, 20% को जल-मल निकासी व्यवस्था उपलब्ध थी और मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों द्वारा सृजित ठोस कचरे के केवल 30% का निपटान उपयुक्त तरीके से किया गया था।

(ग) किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र अधिसूचित करना राज्य सरकार का दायित्व है। भारत की जनगणना 2001 में शहरी क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार की गई है:

(i) नगर निगम, नगरपालिका, कैन्टोनमेंट बोर्ड अथवा अधिसूचित नगर समिति इत्यादि के पास सभी स्थान

(ii) निम्नलिखित मानदंडों को एक साथ पूरा करने वाले अन्य सभी स्थान:

- न्यूनतम 5000 जनसंख्या

- कार्यरत पुरुष जनसंख्या का न्यूनतम 75% कृषि-कार्य करता हो; और
- प्रति वर्ग किमी. न्यूनतम 400 जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग मील 1000)

(घ) जी नहीं। शहरी विकास मंत्रालय ने ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है जिसमें शहरी बुनियादी ढांचा और शासन पर उपमिशन-1 और शहरी गरीबों के लिए मूल सेवा पर उपमिशन-2 शामिल है जिसमें 65 चिहनित शहर शामिल हैं। इसके अलावा छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) और एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) हैं जिसके तहत अन्य शहर शामिल है।

[अनुवाद]

भारत तथा अन्य देशों के संबंध में एडीबी का पूर्वानुमान

944. **श्री के.आर.जी. रेड्डी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रही है;

(ख) आर्थिक विकास के संबंध में देश में विद्यमान कार्यशील अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में संवर्धन हेतु कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एशियाई विकास बैंक ने भारत तथा चीन के संबंध में सुदृढ़ विकास का पूर्वानुमान लगाया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) एशियाई विकास बैंक के नवीनतम प्रकाशन "एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2010" के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख एशियाई देशों की दरें नीचे दी गई हैं:

सारणी: सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर
(प्रतिवर्ष प्रतिशत में)

क्र.सं.	देश	2007	2008	2009
1.	चीन	13.0	9.6	8.7
2.	कोरिया	5.1	2.3	0.2
3.	भारत	9.2	6.7	7.2
4.	इंडोनेशिया	6.3	6.0	4.5
5.	मलेशिया	6.2	4.6	(-)1.7
6.	फिलीपीन्स	7.1	3.8	0.9
7.	थाईलैंड	4.9	2.5	(-)2.3
8.	वियतनाम	8.5	6.2	5.3
9.	सिंगापुर	8.2	1.4	(-)2.0

स्रोत: एशियाई विकास बैंक की एशियन डेवलपमैंट आउटलुक 2010

(ख) समावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार सड़कों, पत्तनों, हवाई पत्तनों, रेल, दूर-संचार, ऊर्जा, सिंचाई, शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति आदि जैसी उच्च स्तरीय भौतिक अवसंरचना के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवसंरचना के क्षेत्र में लगभग 20,11,521 करोड़ रुपए के सकल पूंजी निर्माण को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) और (घ) सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 शामिल है। इसके अलावा, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसेकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना आदि भी गरीबों को जीविकोपार्जन में सहयोग देने के लिए कार्यान्वयनाधीन है।

(ङ) और (च) एशियाई विकास बैंक ने "डेवलपिंग एशियाज रिकवरी गेन्ज मूमेन्टम" शीर्षक से जुलाई 2010 की विशेष टिप्पणी में वर्ष 2010 में चीन के लिए 9.6 प्रतिशत और भारत के लिए 8.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है। यह भी उल्लेख किया जाए कि आर्थिक समीक्षा 2009-10 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे सुधार के साथ वर्ष 2010-11 में लगभग 8.5+/-0.25 प्रतिशत की दर पर विकास कर सकती है और 2011-12 में 9 प्रतिशत के अंक को पार कर सकती है।

जनजातीय क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति

945. **श्री रामसिंह राठवा : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में बिजली की अबाधित आपूर्ति होती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) वर्ष 2009-10 के दौरान इन राज्यों में ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोतों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिए दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) विद्युत समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, आदिवासी क्षेत्रों सहित राज्य में विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटि के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं तथा व्यापक विद्युत पारेषण प्रणाली को शुरू करने राज्य सरकार के प्रयासों को केवल बढ़ावा देती है। राज्यों को आबंटित केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत का उपयोग राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपने पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को आपूर्ति हेतु किया जाता है।

यद्यपि राज्य स्तरीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति की देखरेख केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जाती है तथापि संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रवार और जिला-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति की देखरेख की जाती है। ऊर्जा और व्यस्ततम के संबंध में अप्रैल-जून, 2010 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्यों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

राज्य	ऊर्जा			व्यस्ततम		
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	कमी (%)	व्यवस्ततम मांग (मे.वा.)	व्यस्ततम पूर्ति (मे.वा.)	कमी (%)
गुजरात	19,267	17,732	8.0	10,181	9,277	8.9
महाराष्ट्र	34,846	27,088	22.3	19,766	15,402	22.1
राजस्थान	11,167	10,929	2.1	6,821	6,203	9.1

(ग) योजना आयोग द्वारा ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों के माध्यम से राज्यों में विद्युत की आपूर्ति हेतु कोई अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है।

बेंगलूरू के कंजेरी मे टीटीएमसी का निर्माण

946. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक का बीएमटीसी सितम्बर, 2008 में जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत "बेंगलुरू के कंजेरी में टीटीएमसी का निर्माण" परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कर्नाटक सरकार को संघ सरकार द्वारा 185 लाख रुपये चौथी किशत जारी की जानी है;

(ग) यदि हां, तो इस राशि को जारी करने में देरी के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) यह राशि कर्नाटक सरकार को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जी हां। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की चौथी एवं अंतिम किस्त सभी सुधारों के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात ही जारी की जाएगी जिनकी वचनबद्धता मूल करार ज्ञापन में सहमत समय सीमा के अनुसार प्राप्त किए जाने के लिए की गई थी। कर्नाटक सरकार ने कुछ राज्य स्तर/शहरी स्थानीय निकाय स्तर (यूएलबी)/वैकल्पिक स्तक के सुधारों जैसे जलापूर्ति का स्थानांतरण, ई-शासन, संपत्तिकर संग्रहण क्षमता, 100 प्रतिशत लागत वसूली जलापूर्ति एवं ठोस कचरा प्रबंधन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/अल्प आय वर्ग (एलआईजी) आवास के लिए 25% भूमि का निर्धारण और वचनबद्ध समय सीमा के अनुसार प्रशासनिक सुधार प्राप्त नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

डीडीए में भूमि आबंटन

947. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में भूमि आबंटन में अनियमितताओं की खबरें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान किसी अनियमितता की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व भवनों में आग लगने की घटना

948. **श्री रामकिशुन :**
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व भवनों में आग लगने के कारण कितनी क्षति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने अप्रैल माह के दौरान नई दिल्ली में राजस्व भवन में आग लगने की घटना के संबंध में कोई जांच गठित नहीं करायी है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पुनःप्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है;

(ङ) क्या देश में स्थित सभी राजस्व भवन अग्निरोधी हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पर्यटन परियोजनाएं

949. **श्री नरहरि महतो :**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन परियोजनाओं पर धनराशि व्यय न करने को देखते हुए सरकार ने विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए मानदंड कड़े करने तथा निधियों में कटौती करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नवीन निगरानी तंत्र स्थापित करने का फैसला किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आबंटित निधियों का समय पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ङ) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने प्रस्तुत प्रस्तावों में सामान्यतया परियोजनाओं के पूरा होने में अपेक्षित समय दर्शाते हैं, जो कि सामान्य तौर पर 12 से 36 माह अवधि के बीच होता है। उनके द्वारा पर्यटन मंत्रालय को समय-समय पर स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में, पूर्णता रिपोर्ट भेजी जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने का सुझाव दिया जाता है।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी की जिम्मेवारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर स्थल दौरों एवं समीक्षा बैठकों के माध्यम से क्रियान्वयन के प्रगति की निगरानी भी करता है। इस मामले पर पर्यटन मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलनों में भी विचार-विमर्श किया जाता है।

सुदूर विद्युतीकरण कार्यक्रम

950. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी :** क्या नवीन और नवीकरणीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े जिलों में सुदूर ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत अब तक हासिल की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय-बायो-गैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा उपकरणों और बायो-गैस संयंत्रों को स्थापित करने के लिए कोई स्थापन लागत निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम उन दूरस्थ अविद्युतकृत गांवों/बस्तियों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं जहां राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रिड संबद्धता व्यवहार्य नहीं है। ये गांव मुख्यत: देश के आर्थिक, सामाजिक अथवा औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में है। दिनांक 30 जून, 2010 की स्थिति अनुसार कार्यक्रम के तहत शामिल गांवों/बस्तियों का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय द्वारा दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत सौर ऊर्जा उपकरणों हेतु साथ ही साथ राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम के तहत बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना हेतु स्थापना लागतें निर्धारित नहीं की गई है। इसके स्थान पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)/सब्सिडी निर्दिष्ट की गई है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडी स्तरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता हेतु दिनांक 30 जून, 2010 की स्थिति के अनुसार शामिल किए गए गांवों/बस्तियों का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य	गांवों/बस्तियों की संख्या
1.	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	298
3.	असम	2157
4.	छत्तीसगढ़	682
5.	गुजरात	38

1	2	3
6.	हरियाणा	286
7.	हिमाचल प्रदेश	22
8.	जम्मू और कश्मीर	460
9.	झारखंड	513
10.	कर्नाटक	79
11.	केरल	607
12.	मध्य प्रदेश	400
13.	महाराष्ट्र	353
14.	मणिपुर	240
15.	मेघालय	163
16.	मिजोरम	20
17.	नागालैंड	11
18.	उड़ीसा	677
19.	राजस्थान	327
20.	सिक्किम	13
21.	तमिलनाडु	184
22.	त्रिपुरा	1006
23.	उत्तराखंड	730
24.	उत्तर प्रदेश	415
25.	पश्चिम बंगाल	1208

विवरण-II

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत वित्तीय अक्षय ऊर्जा विकल्पों हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

I. सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां

अधिकतम केन्द्रीय वित्तीय सहायता, राशि रु. में

एसपीवी प्रणाली	सामान्य श्रेणी राज्य	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित विशेष श्रेणी के राज्य
1	2	3
घरेलू रोशनी प्रणाली	5895	6165
मॉडल I		
घरेलू रोशनी प्रणाली	11250	11250
मॉडल II		
सड़क रोशनी प्रणाली	19602	20578

1	2	3
विधुत संयंत्र		मॉड्यूल, बैटरियां, इलैक्ट्रोनिक प्रणालियां, आंतरिक केबलिंग, संरचनाएं, सभी लोक निर्माण कार्य, घेराबंदी आदि सहित 3,15,000 प्रति किवा.। प्रति परिवार 3150 रु. के आधार पर आंकी गई अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता घरों के भीतर वितरण लाइनों, सेवा कनेक्शनों, फीटिंग और फिक्सरो की लागतों के लिए दी जाएगी।

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु उपरोक्त राशियां 1.11 के कारक से गुणा होंगी। उपरोक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता मूल्य उन लागतों पर आधारित है जिनमें बैटरी, इलैक्ट्रोनिक्स, लैम्प इत्यादि जैसे पार्ट और संघटकों के लिए वारंटी सहित पांच वर्षों हेतु बाह्य वार्षिक रखरखाव कॉनट्रेक्ट (एएमसी) और क्षेत्र, संस्थापना, कमीशनिंग में प्रणालियों की आपूर्ति शामिल है। पीवी मॉड्यूलों हेतु वारंटी, दस वर्षों के लिए होगी।

II. लघु पनबिजली परियोजनाएं

क्षेत्र	क्षमता	अधिकतम केन्द्रीय वित्तीय सहायता/किवा. (रुपये)
अन्य सभी राज्यों के मैदानी और अन्य क्षेत्र	10 किवा. तक	98100
	10 किवा. से अधिक और 100 किवा. तक	92700
	100 किवा. से अधिक और 1000 किवा. तक	68400
अन्य सभी राज्यों और द्वीप समूहों के अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र	10 किवा. तक	1,07,100
	10 किवा. से अधिक और 100 किवा. तक	10,01,700
	100 किवा. से अधिक और 1000 किवा. तक	77400
पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश (विशेष श्रेणी के राज्य)	10 किवा. तक	1,16,100
	10 किवा. से अधिक और 100 किवा. तक	1,10,700
	100 किवा. से अधिक और 1000 किवा. तक	86400

उपरोक्त कीमतों में सभी लोक निर्माण कार्य, गांवों के भीतर वितरण नेटवर्क, यातायात, संस्थापन और कमीशनिंग शुल्क तथा 5 वर्षों के लिए वार्षिक रखरखाव कॉनट्रेक्ट शामिल है। विद्युत संयंत्र से गांवों तक के ट्रांसमिशन लाइनों की लागत शामिल नहीं की गई।

III. बायोमास गैसीफायर परियोजनाएं

अधिकतम केन्द्रीय वित्तीय सहायता/किवा. (रुपये)

प्रणाली प्रकार	गैसीफायर रेटिंग	मैदानी	पहाड़ी क्षेत्र	पूर्वोत्तर
1	2	3	4	5
100 प्रोड्यूसर गैस	10 किवा. ई तक	68040	71442	74844

1	2	3	4	5
	>10 से 20 किवा. ई तक	48528	50954	53380
	>20 से 50 किवा. ई तक	49500	51975	54450
	> 50 किवा. ई	43726	45912	48099
दोहरा ईंधन	10 किवा. ई तक	60466 (63,000)	63489 (66150)	66512 (69300)
	>10 से 20 किवा. ई तक	40500	42525	44550
	>20 से 50 किवा. ई तक	36000	37800	39600
	>50 किवा. ई तक	31500	33075	34650

नोट: 1. कोष्ठक के आंकड़ों में तेल घनी के कारण लागत में वृद्धि शामिल है।

2. कीमतों में 5 वर्ष का वार्षिक रखरखाव कॉन्ट्रेक्ट (एएमसी) (2 वर्ष की वारंटी + 3 वर्ष), गांवों के अंदर वितरण नेटवर्क, सभी लोक निर्माण कार्य, यातायात शुल्क और संस्थापन तथा कमीशनिंग शुल्क शामिल है।

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों/क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की वर्तमान पद्धति

क्रम सं.	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) हेतु मदें	सीडीएम के अंतर्गत पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र		एनबीएमएमपी के अंतर्गत पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र	
		एक क्यूबिक मीटर	2-4 क्यूबिक मीटर	एक क्यूबिक मीटर	2-4 क्यूबिक मीटर
1	2	3	4	5	6
क.	**बायोगैस संयंत्र के लाभभोगियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (प्रति संयंत्र रु. में)**				
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य एवं सिक्किम (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)	11,700/-	11,700/-	14,700	14,700
2.	असम के मैदानी क्षेत्र	9,000/-	9,000/-	9,000	10,000
3.	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु का नीलगिरी, दार्जिलिंग जिले के सदर कुर्सूग और कलिंगपोंग सब-डिवीजन, सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3,500/-	4,500/-	4,000	10,000

1	2	3	4	5	6
4.	अन्य सभी	2,100	2,700	4,000	8,000
ख.	**5 वर्षों के लिए बारंटी सहित टर्न-की जॉब फी (प्रति संयंत्र रु. में)**	700		1,500	
ग.	**शौचालय से जुड़े बायोगैस संयंत्रों हेतु अतिरिक्त सीएफए (प्रति संयंत्र रु. में**	500		1,000	
घ.	**इंजनों/जेनसेटों और/अथवा बायोगैस आधारित रेफ्रिजरेटरों में बायोगैस का प्रयोग करके डीजल और अन्य पारंपरिक ईंधनों की बचत हेतु प्रोत्साहन**	2,500		5,000	

[हिन्दी]

सरकारी क्वार्टरों पर अवैध कब्जा

951. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **शहरी विकास मंत्री** सरकारी क्वार्टरों में अवैध कब्जा के बारे में 27 नवम्बर, 2009 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1401 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों की श्रेणी-वार संख्या क्या है जिनके खिलाफ सरकारी क्वाटरों में अवैध कब्जे या दूसरे को किराए पर देने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) भाग 'ग' के उत्तर में उल्लिखित संख्या के संबंध में नवीनतम की गयी कार्रवाई क्या है, नियमानुसार आचरण नहीं करने वाले दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी मकान में रह रहे ऐसे श्रेणी-। अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनका दिल्ली में मकान है और वे स्थानान्तरण होने के बावजूद दिल्ली में सरकारी आवास पर कब्जा बनाये हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) महोदया, संलग्न विवरण-। में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-।। में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-।।। में दिया गया है।

(घ) मकानों को खाली कराना अथवा अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को बेदखल करना एक सतत प्रक्रिया है और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

मकान का टाईप	अवैध कब्जे की शिकायतें	उप-किरायेदारी की शिकायतें
टाईप-ए	15	1241
टाईप-1एस	—	20
टाईप-बी	—	1681
टाईप-सी	—	884
टाईप-डी	—	54
हॉस्टल (डबल कमरा)	—	2
कुल	15	3882

विवरण-II

भाग-क

अनधिकृत कब्जाधारियों की स्थिति

मकान का टाईप	अतारांकित प्रश्न सं. 1401 के उत्तर में दिए गए मामलों की कुल संख्या	पहले ही खाली कराये गये क्वार्टर	रद्द करना वापस/नियमित किए गए	नियमितीकरण विचाराधीन	न्यायालय, में लम्बित	लम्बित मुकदमें
टाईप-ए	95	49	—		—	46
टाईप-बी	271	128	41		—	102
टाईप-सी	139	86	4		47	2
टाईप-डी	87	78	—		—	9
टाईप-ई	28	7	1	5	—	15
टाईप-एस	14	9	3	1	1	—
हॉस्टल	7	3	2	—	1	1
कुल	641	360	51	6	49	175

भाग-ख

उपकिरायेदारों की शिकायतों की स्थिति

क्र.सं.	प्राप्त कुल शिकायतें	3882
1.	रद्द किए गए आबंटन	1180
2.	उप किरायेदारी नहीं पाई गई	1500
3.	आंशिक उप किरायेदारी पाई गई	35
4.	जांच की जा रही	1167

विवरण-III

मकान टाईप	श्रेणी-I के अधिकारियों द्वारा कब्जे वाले	दिल्ली में अपना मकान	अपात्र जोन को अंतरण और पहले ही रद्द आबंटन
1	2	3	4
4	2606	184	—
4एस	707	37	1
5ए	1021	113	7

1	2	3	4
5बी	766	73	1
6ए	352	38	4
6बी	66	7	—
7	45	3	—
8	12	1	—
हॉस्टल (दो कमरे)	1191	15	—

पवन तथा सौर ऊर्जा संयंत्रों में निजी भागीदारी

952. **श्री सज्जन वर्मा : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पवन तथा सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को दिए जा रहे रियायतों/प्रोत्साहनों को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे संयंत्रों की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) से (ग) सरकार द्वारा पवन संभाव्यता वाले राज्यों में राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे 80% त्वरित मूल्यह्रास, पवन इलैक्ट्रिक जनरेटरों के कुछ संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क में छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से सृजित आय पर 10 वर्ष का कर-अवकाश उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र निवेश के माध्यम से वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध हैं। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चैन्नई द्वारा संभाव्यता वाले स्थलों की आगे और पहचान करने के लिए विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन सहित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संभाव्यता वाले राज्यों में पवन ऊर्जा निवेश को बढ़ाने के लिए अधिमान्य शुल्क दर उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने अभी हाल ही में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) की घोषणा की है जिसके अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत हेतु 0.50 रु. प्रति यूनिट की राशि दी जा रही है तो त्वरित मूल्यह्रास का लाभ प्राप्त नहीं करते हैं।

सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों हेतु ग्रिड सम्बद्ध और ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मौजूदा राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, सरकार ने अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की घोषणा की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20 मिलियन सौर लाइटों और 20 मिलियन वर्गमीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र की संस्थापना सहित 20,000 मेगावाट ग्रिड सौर विद्युत और 2000 मेगावाट ऑफ-ग्रिड सौर विद्युत क्षमता का सृजन करना है। ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रोत्साहनों में 30% सब्सिडी और/अथवा 5% ब्याज वाले ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता शामिल है। ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा घोषित टैरिफ से जुड़े उत्पादन आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सौर विद्युत परियोजनाओं की आरंभिक संस्थापना के लिए कम किए गए/शून्य सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से छूट के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

व्यक्तिगत प्लास्टिक कार्ड जारी करना

953. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :**
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) ने अपने लाभार्थियों को व्यक्तिगत प्लास्टिक कार्ड जारी करने का नया तरीका अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कार्ड जारी किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अभी तक भी ऐसे कार्ड जारी नहीं किए गए हैं और वे कार्ड की अनुलब्धता के कारण सीजीएचएस लाभ प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली सहित देश में सभी लाभार्थियों को ऐसे कार्ड जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली ने प्रत्येक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी को प्लास्टिक कार्ड जारी करने का कार्य शुरू कर दिया है। बनाए गए लगभग 25 प्रतिशत कार्ड अभी तक लाभार्थियों द्वारा नहीं लिए गए हैं। लाभार्थियों द्वारा कार्ड संचयन के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए पुराने कागज वाले कार्डों का प्रचालन बंद कर दिया गया है।

ऐसे लाभार्थियों जिन्होंने या तो कार्ड प्राप्त नहीं किए हैं या प्लास्टिक कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अपने आवेदन पत्र भेज सकते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी के लिए सभी नए आवेदकों को प्लास्टिक कार्ड जारी किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में आवेदन करना होगा।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रबंधन और मूल्यांकन प्रणाली

954. **श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत प्रबंधन और मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) नामक कार्यक्रम का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने संघ सरकार से उस हद तक आशोधन के लिए अनुरोध किया है कि पीएमईएस के सीडीपी मॉड्यूल में इस क्षेत्र को परस्पर (इंटर-से) प्राथमिकताकृत करने की जरूरत नहीं रहे;

(घ) यदि हां, तो क्या संघ सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) के लिए एक कार्यक्रम निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली (सीएमईएस) विकसित की गयी है।

(ख) इसका उद्देश्य जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन यूआईजी का प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन तथा विभिन्न कार्यकलापों के स्थिति की निगरानी करना है। यह एक सतत् कार्य वाला अनुप्रयोग है और यह नगर विकास योजना (सीडीपी), माड्यूल एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रस्तुती, मूल्यांकन एवं अनुमोदन सहित विकेन्द्रीकृत इनपुट एवं आउटपुट के लिए सुविधाओं सहित केन्द्रीकृत डाटा प्रक्रिया हेतु प्रणाली प्रदान करता है।

(ग) जी हां।

(घ) से (च) भारत सरकार, कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव पर सहमत है और पी.एम.ई.एस. में उचित संशोधन किया गया। बैंगलोर के सी.डी.पी. माड्यूल से संबंधित डाटा, तद्नुसार, क्षेत्र के परस्पर प्राथमिकता के बिना पी.एम.ई.एस. में दर्ज/अनुमोदित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र निवेश

955. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार सड़क, ऊर्जा, रेलवे आदि जैसी अपसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आगामी पांच वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र हेतु परियोजनाओं के लिए कितनी निधियों की आवश्यकता का अनुमान है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) वित्त मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान सड़क, विद्युत, रेलवे आदि जैसी अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अगले दो वर्षों, नामत: 2010-11 और 2011-12 के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में समग्र निवेश का अनुमान 9,88,375 करोड़ रु. लगाया गया है जिसमें निजी क्षेत्र से 3,77,640 करोड़ रु. शामिल हैं। प्रारंभिक अनुमान यह दशार्ते हैं कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में अवसंरचना क्षेत्र में निवेश का विस्तार 1000 बिलियल डालर तक हो जाना चाहिए।

विवरण

अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र का निवेश

2006-07 के मूल्यों पर करोड़ रु.

क्षेत्र	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (वास्तविक/अनुमानित)	2009-10 (सं.अ./ब.अ./पूर्वानुमानित)
विद्युत (एनसीई सहित)	54,497	50,215	55,237
सड़क एवं पुल	7,009	7,572	9,043
दूरसंचार	24,007	41,248	51,019
रेलवे (एमआरटीएस)	460	677	1,233
जलापूर्ति और स्वच्छता	65	81	97
पत्तन	3,888	5,733	6,593
हवाई अड्डे	4,600	4,711	4,615
भंडारण	906	1,281	1,552
तेल एवं गैस पाइप लाइन	8,836	9,620	10,476
कुल	1,04,268	1,21,138	1,39,865

[अनुवाद]

परम्परागत उपचारों संबंधी पेटेंट दावे

956. **श्री नरहरि महतो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने विभिन्न भारतीय परम्परागत उपचारों/औषधियों पर पेटेंट के दावे किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में मामले को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) से (ग) जी, हां। आयुष विभाग के अधीन स्वायत्त संगठन अर्थात केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ऐसे पेटेंट के संबंध में दावे किए हैं। संलग्न विवरण-I पर प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार, कुल 7 दावों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके अलावा, संलग्न विवरण-II पर प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार, कुल 32 दावे अंतिम रूप दिए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में है।

विवरण-I

भारत और विदेश में अंतिम रूप दिए गए पेटेंट की संख्या/तिथि

भारत में प्रदत्त

क्र.सं.	पेटेंट का नाम	प्रदत्त पेटेंट की संख्या/तिथी
1.	आयुष-64-एक मलेरिया रोधी संपाक	52863/तिथि 28.07.1980
2.	777 तेल-सोरयासिस हेतु रिग्टिन टिंगटोरिया से चिकित्सीय तेल को बनाने की एक प्रक्रिया	166740/तिथि 11.09.1987
3.	बाल-रसायन-बच्चों में सामान्य रोग प्रतिरोध हेतु एक जड़ी-बूटीय खनीजीय संपाक	196916/तिथि 07.07.2006
4.	आयुष घुट्टी-सर्दी एवं जुकाम हेतु "एक जड़ी-बूटीय खनीजीय औषध योग"	193336/तिथि 08.11.2004
5.	आयुष-56-चिकित्सीय रूप से संक्रिय मिर्गी रोधी संपाक बनाने की प्रक्रिया	141170/तिथि 28.07.1976
6.	ल्यूकेमिया के उपचार हेतु एक आयुर्वेर्दिक औषध योग बनाने की एक प्रक्रिया	191708/तिथि 23.08.1999
अमेरिका में प्रदत्त पेटेंट		
1.	भेषजीय आयुर्वेदिक संपाक	यूएस 6,939,56781 तिथि 06.09.2005

विवरण-II

अंतिम रूप दिए जाने वाले पेटेंट दावे की सूची

क्र. सं.	विषय	आवेदन संख्या	पेटेंट दाखिल करने की तिथि
1	2	3	4
1.	अस्थि संधि शोथ के लिए प्रभावकारी एक अभिनव जड़ी-बूटीय संघटन तथा इसको बनाने की प्रक्रिया	1241/डीइएल/2002	11.12.2002
2.	श्वसनी दमा के लिए प्रभावकारी एक अभिनव जड़ी-बूटीय संघटन तथा इसको बनाने की प्रक्रिया	1242/डीइएल/2002	11.12.2002

1	2	3	4
3.	श्वसनी दमा के लिए प्रभावकारी एक अभिनव जड़ी-बूटीय संघटन तथा इसको बनाने की प्रक्रिया	582/डीइएल/2003	08.04.2003
4.	जिंजिवाईटिस हेतु एक अभिनव यूनानी संपाक (वर्म-ए-लिसा)	आईपीआर/4.3.1/05044/05 (3102/डीइएल/2005)	22.11.2005
5.	यूनानी-2001 कैप्सूल दीदान (उदर कृमि/ दीदान-ए-शिकम	पेटेंट/4.4.1.6/06014/2006	17.05.2006
6.	यूनीम-2002 कैप्सूल हबीस (नजफुदम)	पेटेंट/4.4.1/05061/2006 215/डीइएल/2006	25.01.2006
7.	यूनीम-2003 कैप्सूल हुदर (आर.ए.)	पेटेंट/4.4.1.1/05062/2006 216/डीइएल/2006	25.01.2006
8.	यूनीम-2003 कैप्सूल मुबारक (पायरिया रोधी)	पेटेंट/4.4.1.2/05063/2006	25.01.2006
9.	यूनीम-2005 कैप्सूल नजला (नजला व जुकाम)	पेटेंट/4.4.1.3/05064/2006 218/डीइएल/2006	25.01.2006
10.	यूनीम-2006 कैप्सूल शकीका (माइग्रेन)	पेटेंट/4.4.1.7/06015/2006 1577/डीइएल/2006	04.07.2006
11.	यूनीम-2007 कैप्सूल साईरस (सर दर्द/सौदा)	पेटेंट/4.4.1.8/06016/2006 1642/डीइएल/2006	17.07.2006
12.	यूनीम-2008 कैप्सूल तिंकार (कब्ज)	पेटेंट/4.4.1.4/05065/2006 217/डीइएल/2006	25.01.2006
13.	यूनीम-2009 कैप्सूल मुसफ्फी (चर्म रोग)	पेटेंट/4.4.1.9/06017/2006 1576/डीइएल/2006	04.07.2006
14.	यूनीम-2010 कुर्स-ए-बेल (डायरिया/अतिसार)	पेटेंट/4.4.1.10/06018/2006	17.05.2006
15.	यूनीम-2011 कुर्स-ए-हैजा (हैजा एवं गैसीय आंत्रशोथ)	पेटेंट/4.4.1.11/06019/2006 1565/डीइएल/2006	03.07.2006
16.	यूनीम-2012 कुर्स-ए-मफासिल (आर.ए. हेतु शुगर कोटेड)	पेटेंट/4.4.1.5/05066/2006 214/डीइएल/2006	25.01.2006
17.	यूनीम-2013 कुर्स-ए-मुलय्यिन (कब्ज)	पेटेंट/4.4.1.12/06020/2006	17.05.2006

1	2	3	4
18.	यूनीम-2014 कुर्स-ए-मुकव्वी (सामान्य दुर्बलता)	पेटेंट/4.4.1.13/06021/2006	17.05.2006
19.	यूनीम-2015 कुर्स-ए-मुसफ्फी (चर्म रोग)	पेटेंट/4.4.1.14/06022/2006 1564/डीइएल/2006	03.07.2006
20.	यूनीम-2016 कुर्स-ए-सर्फा (कफ)	पेटेंट/4.4.1.15/06023/2006 1858/डीइएल/2006	18.08.2006
21.	यूनीम-2017 कुर्स-ए-तुर्श मुश्तही (एनोरेक्सिया)	पेटेंट/4.4.1.16/06024/2006 1645/डीइएल/2006	17.07.2006
22.	गठिया के उपचार हेतु एक सम्मिश्रित जड़ी-बूटीय औषध योग	आईपीआर/4.3.1.1/05045/2005 3060/डीइएल/2005	19.10.2005
23.	श्वेत दाग के उपचार हेतु एक अभिनव औषध योग और इसको बनाने की विधि	अनंतिम पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया में।	
24.	अस्थि संधि शोध, गाऊट एवं शियाटिका के उपचार हेतु एक अभिनव संघटन और इसको बनाने की विधि.	अनंतिम पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया में।	
25.	दुग्धस्त्राव में वृद्धि हेतु यूनानी लेक्टोगाऊन संबंधी एक नवीन यूनानी संघटन	अनंतिम पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया में। 1783/डीइएल/2007 (आईपीआर/ 4.4.1.4/07023/2007)	21.08.2007
26.	कायाकल्प करने संबंधी एक अभिनव यूनानी संघटन-यूनानी हर्बल टी	अनंतिम पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया में। 1732/डीइएल/2007 (आईपीआर/4.4.1.2/07021/2007)	14.08.2007
27.	साईनुसाईटिस के उपचार हेतु एक अभिनव यूनानी संघटन	अनंतिम पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया में। 1735/डीइएल/2007 (आईपीआर/4.4.1/07019/2007	14.08.2007
28.	एक्जिमा के उपचार हेतु एक अभिनव यूनानी संघटन (तेल के रूप में)	अनंतिम पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया में। 1752/डीइएल/2007 (आईपीआर/ 4.4.1.1/07020/2007	17.08.2007

1	2	3	4
29.	एक्जिमा के उपचार हेतु एक अभिनव यूनानी संघटन (कैप्सूल के रूप में)	अनंतिम पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया में। 1734/डीइएल/2007 (आईपीआर/4.4.1.3/07022/2007)	21.8.2007
30.	प्रोपोली एंटीऑक्सीडेंट हैप्टोप्रोटेक्टिव एजेंट के पेटेंट से संबंधित भारत में एक पेटेंट आवेदन पत्र	आईपीआर/4.3.16/08098/2009	4.5.2009
31.	स्कार और एकल औषध तुख्म-ए-कसूस (कस्कटा रीफ्लेक्सा) तथा इसके अपमिश्रकों अफ्तीमून विलायती (कस्कटा चाईनेंसिस) के अधिप्रमाणन हेतु किट से संबंधित एक पेटेंट आवेदन पत्र	आईपीआर/4.3.19/09025/2009	8.6.2009
32.	स्कार प्राईमर और यूनानी औषधियों तथा इसके अपमिश्रकों के अधिप्रमाणन हेतु किट से संबंधित एक पेटेंट आवेदन पत्र	आईपीआर/4.13.19/09069/2009	6.1.2010

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर बकाया कर

957. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर बकाया आयकर का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन कम्पनियों से कर वसूल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से बकाया कर की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एम एन सी) के विरुद्ध बकाया मांग के संबंध में एक अलग श्रेणी या वर्ग के रूप में कोई डाटाबेस अलग से अनुरक्षित नहीं किया जाता है। तथापि, 1 अप्रैल, 2009 की स्थिति के अनुसार, कम्पनियों के विरुद्ध कुल बकाया मांग 75,509 करोड़ रुपए थी जिसमें से 9748 करोड़ रुपए की राशि वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान वसूली गई। शेष मांग में आयकर आयुक्त (अपील), आई टी ए टी, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलों में बंद मांग शामिल है। इसके अलावा माग में ऐसी मांगें भी शामिल हैं। जिन्हें विभिन्न कारणों से वसूला नहीं जा सकता, जैसे कि संरक्षित मांग, न्यायालयों द्वारा स्थगन, परिसमापन के अधीन कम्पनियां, वसूली के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियों का न होना, विशेष न्यायालयों के अंतर्गत अधिसूचित मामले, बी आई एफ आर, आयकर समझौता आयोग के समक्ष मामले आदि।

(ग) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यथा निर्धारित बाकया कर देयों की वसूली के लिए अपनाए गए सांविधिक उपायों (जिसमें बैंक खाते की कुर्की, अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री आदि शामिल

हैं) के अलावा, प्रत्यक्ष करों की बकाया राशियों की वसूली को तेज करने के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय भी अपनाए जा रहे हैं।

(i) कार्यबल द्वारा बड़े मामले में राशि की वसूली की निगरानी।

(ii) आयुक्त (अपील) एवं आई टी ए टी के समक्ष पर्याप्त राशि वाले लम्बित मामलों की पहचान करना तथा ऐसी अपीलों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए इन प्राधिकारियों से अनुरोध करना ताकि चालू वित्त वर्ष के दौरान ही राशि संग्रहीत की जा सके।

(iii) आयकर निदेशालय (वसूली) के साथ-साथ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 10 करोड़ रुपए से अधिक बकाया राशि वाले सभी मामलों की निगरानी।

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

958. **श्री पी. कुमार :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) ने अवसरंचना वित्त कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस कदम से पीएफसी को निजी तथा समूह कंपनियों को और ऋण देने की अपनी क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) जी हां। पीएफसी ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में उसे आधारभूत वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया जाए-

(i) आईएफसी एकल कंपनी तथा कंपनी समूह को और ज्यादा ऋण दे सकती है। इससे पीएफसी को निजी क्षेत्र के कर्जदारों में और अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

(ii) बैंकों को आईएफसी में और ज्यादा अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इससे पीएफसी, विद्युत क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए बैंको से ज्यादा बड़ी राशि उधार लेने में समर्थ हो सकेगा।

(iii) बैंकों का आईएफसी से संपर्क, सेबी द्वारा पंजीकृत तथा आरबीआई द्वारा अधिकृत रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित ऋण रेटिंग के अनुसार जोखिम भारित होगा। पीएफसी के एएए श्रेणी की कंपनी होने के कारण, पीएफसी को दिए गए बैंक के वित्त की जोखिम मात्रा, मौजूदा लागू 100% की जोखिम मात्रा की तुलना में 20% होगी। निम्न जोखिम मात्रा कम होने से, बैंकों के द्वारा पीएफसी को प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरें प्रस्तुत करना अधिक सरल होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी अपनी विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) नीति को उदारीकृत किया है तथा आईएफसी को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत उनकी अपनी निधियों के 50% भाग तक ईसीबी लेने की अनुमति दे दी है। इससे पीएफसी अपनी विशाल ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आरबीआई के पूर्वानुमोदन के बिना, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अपनी निधि के 50% तक, ईसीबी बाजार हासिल कर सकने में समर्थ होगा।

(ग) और (घ) जी, हां। आरबीआई द्वारा पीएफसी का आईएफसी के रूप में वर्गीकरण करने से यह निजी क्षेत्र में विशिष्ट कर्जदार तथा साथ ही साथ कंपनी समूह को और अधिक ऋण देने का पात्र होगा। इससे यह एकल कर्जदार तथा साथ ही साथ कर्जदार समूह को अपनी निधि का अतिरिक्त 5% उधार देने का पात्र होगा।

राज्यों को बिजली का आवंटन

959. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश में कई राज्य-सरकारों ने केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से अतिरिक्त विद्युत आवंटन हेतु संघ सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) चूंकि देश में अधिकांश राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं इसलिए विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

समय-समय पर सीजीएस की अनावंटित विद्युत के अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध करते हैं। सीजीएम में अनाबंटित विद्युत विद्युत की मात्रा सीमित होने के कारण यह केवल अन्य स्त्रोतों से ही विद्युत उपलब्ध करवा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी समय केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों की समग्र अनाबंटित विद्युत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित रहती है, किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के आबंटन में वृद्धि अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आबंटन में केवल समतुल्य कमी के माध्यम से ही व्यवहार्य होती है।

अप्रैल, 2010 में महाजेनकों के चन्द्रपर टीपीएस के यूनिटों की बंदी के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने विद्युत के अतिरिक्त आबंटन हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया था। राज्य को 6.5.2010 से केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से 100 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

मातृत्व और शिशु देखभाल सुविधा का उन्नयन

960. **श्री कमल किशोर "कमांडो" : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश में मूलभूत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा मातृत्व एवं शिशु देखभाल सुविधा का उन्नयन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (ग) बुनियादी प्रसूति नवजात शिशु और बाल परिचर्या सेवाओं सहित बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सातों दिन 24 सों घंटे चलने वाले सुविधा केन्द्रों के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन और प्रचालनशुरू किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी व्यापक प्रसूति एवं बाल परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम रेफरल यूनिटों के रूप में उन्नत एवं प्रचालित किया जाता है।

राज्यों द्वारा उनकी वार्षिक परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में उपरोक्त कार्यकलापों के लिए निधियों का प्रावधान किया जाता है और भारत सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाता है और अनुमोदन किया जाता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति सूची में जाति का समावेश

961. **श्रीमती विजया चक्रवर्ती : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश में उड़ीसा के कोंडा/रेड्डी/कोंडा रेड्डी समुदाय के समावेश के संबंध में उड़ीसा सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) जी हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय को उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोंडा/रेड्डी/कोंडा रेड्डी के समावेश के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में शामिल करने, सूची से बाहर निकालने और अन्य संशोधन करने के लिए दावों का निर्धारण करने हेतु 15/06/1999 को सरकार द्वारा अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार प्रस्ताव प्रक्रियान्वित किया गया है।

[हिन्दी]

आयात शुल्क पर छूट

962. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आयात शुल्क पर छूट दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और ऐसी छूट सुविधा के आवेदन की मद-वार अवधि क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, नहीं। सरकार ने आयात शुल्क पर कोई छूट नहीं दी है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किसानों को ऋण

963. **श्री रुद्रमाधव राय :**
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना और पशुपालन के विकास हेतु किसानों को ऋण संवितरित करने के लिए कार्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया को निधियां उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैंक की शाखाएं उपलब्ध न होने के कारण ये निधियां किसानों को सफलतापूर्वक संवितरित नहीं की जा सकी हैं;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) कार्पोरेशन बैंक ने सूचित किया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) द्वारा कार्यान्वित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, प्रौद्योगिकी उन्नयन/विस्तारण/आधुनिकीकरण/स्थापना के लिए योजना के अंतर्गत, सरकार उन हितार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी, जिन्होंने उक्त उद्देश्य से कार्पोरेशन बैंक से ऋण लिया है। यह सब्सिडी राशि शाखाओं द्वारा फर्म का परिचालन शुरु होते ही संवितरित कर दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्पोरेशन बैंक द्वारा एमएफपीआई से प्राप्त सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत है:-

2008-09		2009-10		2010-11 (आज तक)	
राज्य	राशि (लाख रुपए में)	राज्य	राशि (लाख रुपए में)	राज्य	राशि (लाख रुपए में)
महाराष्ट्र	73.98	महाराष्ट्र	70.92	गुजरात	25.00
कर्नाटक	19.65	कर्नाटक	31.18		
गुजरात	126.25	आन्ध्र प्रदेश	17.68		
पश्चिम बंगाल	7.95				
तमिलनाडु	13.63				
कुल	241.46		119.78		25.00

कार्पोरेशन बैंक ने सूचित किया है कि उसे पशुपालन के विकास के लिए सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) कार्पोरेशन बैंक ने सूचित किया है कि जहां कही भी शाखाओं न उक्त उद्देश्य के लिए ऋण संस्वीकृत किए हैं, सब्सिडी का दावा किया जा चुका है और इसे संवितरित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

वस्तुओं की खेप के लिए नियम

964. **श्री उदय सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्तुओं की आयात और निर्यात खेप की त्वरित स्वीकृति के लिए नए नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या सीमा-शुल्क क्षेत्र में लायी गई निर्यात वस्तुओं को निर्धारित अवधि के भीतर जहाजों से बाहर भेजना होता है; और

(घ) यदि हां, तो नए नियम से आयातकों और निर्यातकों को किस हद तक लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) सरकार ने माल के आयात और निर्यात खेपों की तेजी से क्लियेरेंस के लिये साधारणतया कोई नये नियम नहीं बनाये हैं फिर भी कूरियर आयात एवं निर्यात (इलेक्ट्रानिक उद्घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियमन, 2010 को हाल ही में 5.5.2010 को अधिसूचित किया गया है। इनको लागू कर दिये जाने पर इनसे कूरियर कम्पनियों द्वारा वायुयान से आयात और निर्यात की खेपों को ढोने की बावत सीमा शुल्क उद्घोषणाओं को इलेक्ट्रानिक तरीके से दायर किया जा सकेगा और उसका प्रसंस्करण किया जा सकेगा और इस प्रकार ऐसे आयातों और निर्यातों का तेजी से क्लियेन्स हो सकेगा।

(ग) सीमा शुल्क क्षेत्र में लायी गई निर्यात वस्तुओं को जहाजों से बाहर भेजने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल टावरों, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से विकिरण

965. **श्री एम.के. राघवन :**
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोबाइल टावरों से उत्सर्जित विकिरण से मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कराए गए अध्ययन/सर्वेक्षण का नवीनतम ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिजर्च, चंडीगढ़ द्वारा मोबाइल फोनों, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग के दुष्प्रभावों के संबंध में कराए गए शोध का परिणाम क्या है;

(ङ) क्या सरकार उक्त शोध के मद्देनजर मोबाइल फोनों में विद्युत चुंबकीय तंरगों के निकलने के संबंध में कोई मानदंड बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) से (ग) मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के हानिकारक प्राभवों के बारे में अभी तक कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। साहित्य की समीक्षा से रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के जोखिम या खतरे के बारे में कोई निर्णायक प्रमाण स्थापित नहीं होता है। किन्तु बढ़ रहे वैज्ञानिक प्रमाणों से रेडियों फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जैव प्रभावों और प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में पता चलता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मोबाइल फोन बेस स्टेशनों से उत्सर्जित विकिरणों के कारण स्वास्थ्य खतरे के मुद्दे की जांच करने के लिए वर्ष 2006 में एक समिति गठित की थी। इस समिति की राय थी कि मोबाइल बेस स्टेशनों से रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष खतरे को दिखाने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है।

(घ) से (च) स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ ने मोबाइल फोनों, न कि दूसरे उपकरणों के प्रयोग, के दुष्प्रभावों का अध्ययन किया है और पाया है कि मोबाइल फोनों के लम्बे समय तक और गहन प्रयोग से आंतरिक कान को क्षति पहुंच सकती है। वर्ष 2006 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गठित समिति ने सिफारिश की कि अगले अनुसंधान के आंकड़े उपलब्ध होने तक एहतियात बरते जाने चाहिए।

दूरसंचार आयोग ने इलेक्ट्रोमैगनेटिक फील्ड एक्सपोजर को सीमित करने के लिए इंटरनेशनल कमीशन आन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्टशन (आईसीएनआईआरपी) के मार्ग निर्देशों को अपनाए जाने का अनुमोदन किया है।

[हिन्दी]

खाद्य पदार्थों में मिलावट

966. **श्रीमती मीना सिंह :**
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री गणेश सिंह :
श्री जगदीश ठाकोर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न खाद्य पदार्थों विशेषकर खाद्यान्नों में मिलावट की घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट हेतु हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या और उनके खिलाफ की गयी कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट को नियंत्रित करने के वर्तमान कानून अपर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नया कानून बनाने का है;

(ङ) क्या सरकार का विचार मिलावट के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कोई नया खाद्य आयोग गठित करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रदान की गई नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार खाद्य वस्तुओं में मिलावट का प्रतिशत वर्ष 2006 में एकत्र किए गए नमूनों में 8.44 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008 में 7.73 हो गया है। वर्ष 2007 08 के दौरान मिलावटी पाए गए खाद्य नमूनों की संख्या और शुरू किए गए अभियोजन की संख्या और दोष सिद्ध किए गए मामलों की संख्या, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है, निम्नानुसार है:-

वर्ष	जांचे गए नमूनों की संख्या	मिलावटी पाए गए नमूनों की संख्या	मिलावट का प्रतिशत	शुरू किए गए अभियोजन की संख्या	दोष सिद्ध किए गए मामलों की संख्या
2007	70610	5765	8.16	3902	2472
2008	74835	5784	7.73	3231	545

(ग) और (घ) इस समय, खाद्य की गुणवत्ता और सुरक्षा, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 द्वारा विनियमित होती है। इस अधिनियम का कार्यान्वियन राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया गया है जबकि मानकों का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा सांविधिक समिति जैसे कि केन्द्रीय खाद्य मानक समिति के माध्यम से किया जाता है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन खाद्य नमूने लेकर और उनको राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं में जांच करके तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन शुरू करके किया जाता है। हालांकि यह एक लंबी प्रक्रिया है।

देश में खाद्य सुरक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर विचार करते हुए संसद ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 पारित किया है जिसमें देश में विभिन्न खाद्य नियमों के अंतर्गत उपबंधों की विविधता को एकीकृत कर दिया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा मानकों, एक समान लाइसेंसिंग आदि का विनियमन किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत सरकार ने उक्त अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सितम्बर, 2008 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण गठित किया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठाता।

खाद्य तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन

967. **राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खाद्य और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) मौजूदा प्रयोगशालाओं का उन्नयन और नई प्रयोगशालाओं का सृजन एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाल ही में सरकार ने 3 नए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं जो कि (1) रक्सौल (बिहार) भारत-नेपाल सीमा, (2) सोनौली (उत्तर प्रदेश) भारत-नेपाल सीमा, और (3) मुम्बई स्थित है। हैदराबाद स्थित नई औषध परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का भी निर्माण किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टीएसपी के अंतर्गत स्कीमें

968. श्री अर्जुन मुंडा : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976 में संविधान की पांचवीं अनुसूची में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) को शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत चलायी जा रही स्कीमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत झारखंड सहित आंवटित तथा व्ययित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। टीएसपी के तहत कम-से-कम प्रत्येक राज्य की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की जनसंख्या के अनुपात में टीएसपी क्षेत्रों की निधियों के प्रवाह को सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के विचार से जनजातीय उपयोजना के तहत अपनी योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वियन का दायित्व राज्य सरकारों पर है। योजना के ब्यौरे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते हैं।

(घ) वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान विभिन्न राज्यों की टीएसपी निधि के प्रवाह के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। व्यय के ब्यौरे मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

वार्षिक योजना 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान टीएसपी के तहत अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसटी के जनसंख्या का % (जनगणना 2001)	वार्षिक योजना 2007-08			वार्षिक योजना 2008-09			वार्षिक योजना 2009-10		
			कुल सम्मत परिव्यय	किया गया आबंटन टीएपी	%	कुल सम्मत परिव्यय	किया गया आबंटन टीएसपी	%	कुल सम्मत परिव्यय	किया गया आबंटन टीएसपी	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	आंध्र प्रदेश	6.60	30500.00	2454.83	8.05	44000.00	3331.96	7.57	33496.75	2370.86	7.1
2.	असम	12.40	38000.00	33.58	0.88	5011.51	621.33	12.40	6000.00	55.28	0.9
3.	बिहार	0.90	10200.00	93.24	0.92	13000.00	117.00	0.90	16000.00	163.38	1.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	छत्तीसगढ़	32.40	7431.72	870.99	11.72	9600.00	3052.80	31.80	18310.32	लागू नहीं	—
5.	गोवा	12.10	1430.00	0.00	0.00	1737.65	212.00	12.20	2240.00	136.99	6.1
6.	गुजरात	14.80	16000.00	2361.60	14.76	21000.00	255.00	1.21	लागू नहीं	लागू नहीं	—
7.	हिमाचल प्रदेश	5.60	2100.00	189.00	9.00	2400.00	96.00	4.00	2700.00	243.00	9.0
8.	जम्मू और कश्मीर	10.90	4850.00	11.97	0.25	4500.00	20.00	0.44	5500.00	559.97	10.2
9.	झारखंड	26.30	6676.00	729.96	10.93	8015.00	4082.39	50.39	8200.00	5760.46	70.2
10.	कर्नाटक	6.60	17782.58	11.61	0.07	26188.83	1263.90	4.83	29500.00	1947.00	6.6
11.	केरल	1.10	6950.00	139.00	2.00	7700.00	84.70	1.10	8920.00	180.86	2.0
12.	मध्यप्रदेश	20.30	12011.00	1832.60	15.26	14182.61	2879.00	20.30	16174.17	3714.43	23.0
13.	महाराष्ट्र	8.90	20200.00	1798.00	8.90	21577.86	1920.43	8.90	लागू नहीं	लागू नहीं	—
14.	मणिपुर	34.20	1374.31	592.61	43.12	1660.00	567.72	34.20	2000.00	741.15	37.1
15.	उड़ीसा	22.10	5105.00	1257.00	24.62	7500.00	1699.73	22.66	9500.00	2171.48	22.9
16.	राजस्थान	12.60	11638.86	1431.17	12.30	13879.00	1748.75	12.60	17322.00	2115.48	12.2
17.	सिक्किम	20.60	691.14	135.16	19.56	852.00	83.62	9.81	1045.00	लागू नहीं	—
18.	तमिलनाडु	1.00	14000.00	3185.05	22.75	16000.00	160.00	1.00	17500.00	36.36	0.2
19.	त्रिपुरा	31.10	1220.00	408.05	33.48	1450.00	501.34	34.58	1680.00	575.91	34.3
20.	उत्तर प्रदेश	3.00	25000.00	लागू नहीं	—	35000.00	—	—	39000.00	546.00	1.4
21.	उत्तराखण्ड	0.10	4378.63	134.09	3.06	4775.00	143.25	3.00	लागू नहीं	लागू नहीं	—
22.	पश्चिम बंगाल	5.50	9150.00	721.07	7.88	11602.38	638.13	5.50	14150.00	963.55	6.8
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.30	1154.83	86.34	7.48	829.19	2.68	0.32	833.18	68.95	8.3
24.	दमन और दीव					155.00	2.54	1.64	154.34	13.66	8.9

(स्त्रोत : योजना आयोग)

[अनुवाद]

मुंबई की मेट्रो तथा मोनो रेल परियोजनाओं के लिए सुरक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण

969. श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की निर्माणाधीन मेट्रो रेल तथा मोनो परियोजनाओं के लिए सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा से संबंधित समझौता ज्ञापन पर संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि एमएमआरडीए की रेल प्रणाली के लिए कोच बनाने का कार्य मलेशिया की एक कंपनी कर रही थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ कितनी निधि नियत की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी, हां।

(ख) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार और परिवहन विभाग, यू.एस.ए. के बीच हस्ताक्षरित सहयोग करार की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में फेडरल ट्रांजिट एडमिनिसट्रेशन, परिवहन विभाग, यू.एस.ए और शहरी विकास, महाराष्ट्र सरकार के बीच सार्वजनिक परिवहन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी एक सहयोग परियोजना करार (सी.पी.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग परियोजना करार में मुम्बई में प्रशिक्षण संस्था के विकास और सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षा सहित परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य परस्पर संबंधी कार्य-कलापों की परिकल्पना की गई है।

(ग) फेडरल ट्रांजिट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस समझौता ज्ञापन से विशेषज्ञों तकनीकी सूचना, अनुसंधान और विकास तथा अनुभव के परस्पर आदान-प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

(घ) मोनोरेल के संबंध में परियोजना का निष्पादन लार्सन एंड टबरों लि. (एल.एंड.टी.) और मलेशिया के स्कोमी इंजीनियरिंग के सहयोग से किया जाता है।

(ङ) इस समझौता ज्ञापन में परिवहन प्रणाली की पर्यावरण स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार के बारे में सहयोग को रेखांकित किया गया है।

महाराष्ट्र सरकार और फेडरल ट्रांजिट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच सहयोग को छोड़कर धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन कोई मौद्रिक वचनबद्धता नहीं की गई है।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण के लिए विधेयक

970. डॉ. संजय जायसवाल :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा शेष विश्व में जनसंख्या वृद्धि की दर में कितना अंतर है;

(ख) क्या सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक नया विधेयक लाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूएनएफपीए) द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पापुलेशन 2009 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-10 की अवधि के दौरान विश्व के 1.2 प्रतिशत की तुलना में भारत की औसत वृद्धि दर (प्रतिशत) 1.4 है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आदर्श स्थावर संपदा विधेयक

971. श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री रामकिशुन :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) ने केन्द्र सरकार से प्रारूप आदर्श स्थावर संपदा (विकास का नियमन) विधेयक की समीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विधेयक के प्रारूप में स्थावर संपदा विनियामक को उद्योगों तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच एवं उद्योगों तथा ग्राहकों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभाने की अनुमति नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) मंत्रालय द्वारा आदर्श स्थावर संपदा (विकास का नियमन) अधिनियम, 20--------को एसोसिएटिड चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) समेत सभी बिजनेस चैम्बरों और अन्य स्टेक होल्डरों के सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

निवेशक सुरक्षा निधि

972. **श्री सुवेन्दु अधिकारी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के समय के दौरान केंद्र सरकार द्वारा खुदरा निवेशक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों को उनके कार्यकलापों में काफी कुशल एवं पारदर्शी बनाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) निवशकों के हितों की संरक्षा करने के लिए सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में अवरुद्ध राशियों द्वारा समर्थित आवेदनपत्रों की शुरूआत (प्रतिभूतियों के पुष्टिकृत आबंटन के बाद ही निवेशकों के खातों से निधियों नाम की जाती है), सार्वजनिक निर्गम के बंद होने और सूचीयन के बीच के समय को कम करना, म्यूचुअल फंडों में प्रविष्टि भार (एंट्री लोड) का उन्मूलन, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों के जरिए म्यूचुअल फंड योजनाओं के लेन-देन को अनुमति देना, म्युचुअल फंडो द्वारा विज्ञापनों में मानक चेतावनी में संशोधन और निवेशक शिकायतों के निवारण पर विशेष ध्यान देते हुए स्टॉक ब्रोकरों का निरीक्षण करना, शामिल हैं।

(ख) सेबी भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों को उनके कार्यकलापों में और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने का सतत् प्रयास कर रहा है।

(ग) स्टॉक एक्सचेंजों की कुशलता और पारदर्शिता को सुधारने की विभिन्न पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. बाजार अवसंरचना संस्थानों जिनमें स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं, के स्वामित्व और अभिशासन संबंधी मानदंडों की पुनरीक्षा।
2. स्टॉक एक्सचेजों में मध्यस्थता तंत्र की समीक्षा और मध्यस्थता कार्यवाहियों का अनिवार्य प्रकटन।
3. स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर विनियमनकारी आदेशों और मध्यस्थता पंचाटों का प्रकटन।
4. सेबी ने पूर्व-आरंभण (प्री-ओवन) सत्र में कॉल ऑक्शन को शुरू करने की अनुमति दी है।

कपास निर्यात

973. **डॉ. संजीव गणेश नाईक :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से कच्चे कपास के निर्यात पर कोई शुल्क लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस शुल्क से स्थानीय बाजारों में इस पण्य के मूल्य में मूल्य वृद्धि को रोकने में मदद मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में और क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) जी हां, कच्चे कपास के निर्यात पर 2500 रुपये प्रति टन की दर से निर्यात शुल्क लगाया जाता है। उक्त निर्यात शुल्क को 9 अप्रैल, 2010 से लगाया गया है जिससे कि कच्चे कपास की घरेलू आपूर्ति बढ़ाई जा सके और इसकी घरेलू कीमत आसान रखी जा सके।

(ग) और (घ) जी हां। अन्य उपायों के साथ-साथ कच्चे कपास पर निर्यात शुल्क लगाये जाने से कच्चे कपास के बाजार मूल्य में स्थिरता आयी है। कच्चे कपास का औसत घरेलू मूल्य माह अप्रैल, 2010 के 80.51 यू.एस. सेन्ट्स प्रति पाउण्ड से कम होकर जून, 2010 के महीने में 79.88 यू.एस. सेन्टस प्रति पाउण्ड हो गया था जबकि इसी अवधि के दौरान इसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 88.07 यू.एस. सेन्ट्स प्रति पाउण्ड से बढ़कर 90.05 यू.एस. सेन्ट्स प्रति पाउण्ड हो गया है।

(ङ) कपास मौसम 2009-10 में मूल्य को स्थिर रखने के लिए अभी इस स्तर पर कोई अन्य उपाय किये जाने के बारे में नहीं सोचा गया है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना

974. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनगर को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) जी हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय को गोवा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में धनगर (गौली) और उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में "धनगर" के समावेश के लिए उड़ीसा और गोवा राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में शामिल करने, सूची से बाहर निकालने और अन्य संशोधन करने के लिए दावों का निर्धारण करने हेतु 15/06/1999 को सरकार द्वारा अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार प्रस्ताव प्रक्रियान्वित किए गए हैं।

गैर-अनुमोदित दवाओं की बिक्री

975. **चौधरी लाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के बाजार में गैर-अनुमोदित दवाओं की अभी भी बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) से (ग) ऐसा सूचित किया गया है कि वर्ष 2007 में औषध महा नियंत्रक (भारत) (डीसीजी (आई) के कार्यालय ने 294 नियत खुराक मिश्रण (एफडीसी) की सूची तैयार की थी जोकि बाजार में उपलब्ध थी और जिसे राज्य लाईसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किया गया था लेकिन डीसीजी (आई) द्वारा अनुमोदित नहीं थी। डीसीजी (आई) ने संदर्भित नियत खुराक मिश्रण (एफडीसी) के लाईसेसों के निलम्बन के लिए राज्य औषध नियंत्रकों को निर्देश जारी किए हैं। तथापि, कुछ विनिर्मिता संघों ने इस प्रश्न पर कि क्या इन औषधों के सम्मिश्रणों के लिए राज्य लाईसिंग प्राधिकरणों द्वारा दिया गया अनुमोदन कानूनी रूप से वैध है, मान्नीय उच्च न्यायालय, मद्रास में एक रिट याचिका दायर की थी और डीजीसी (आई) के असंगत निर्देशों की समस्त आगे की कार्रवाई के लिए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण

976. **श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण का साठ प्रतिशत भाग एमएसएमई क्षेत्र के लिए नियत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 87,000 शाखाएं खोली हैं; और

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी राज्य-वार तथा बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) एमएसएमई क्षेत्र पर उच्च स्तरीय कार्यबल की सिफारिशों के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि एमएसई उधार में सूक्ष्म उद्यमों का हिस्सा चरणबद्ध रूप में 60% तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है अर्थात इसे वर्ष 2010-11 में 50%, वर्ष 2011-12 में 55% और वर्ष 2012-13 में 60% बढ़ाया जाए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, बैंकों को प्रतिवर्ष सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10% की वार्षिक वृद्धि करनी चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 जून, 2010 की स्थिति के अनुसार संलग्न विवरण-I और II में दिए गए विवरण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 85,210 बैंक शाखाएं कार्य कर रही हैं।

विवरण-I

30 जून, 2010 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कार्यरत राज्य-वार और जनसंख्या समूह-वार शाखाओं की संख्या

राज्य	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18	21			39
आंध्र प्रदेश	2490	1682	1800	1067	7039
अरुणाचल प्रदेश	51	29			80
असम	799	362	293		1454
बिहार	2404	924	459	255	4042
चंडीगढ़	24	1	251		276
छत्तीसगढ़	672	273	369		1314
दादरा और नगर हवेली	7	20			27
दमन और दीव		21			21
दिल्ली	56	37		2307	2400

1	2	3	4	5	6
गोवा	169	262			431
गुजरात	1540	1101	672	1355	4668
हरियाणा	749	550	978	135	2412
हिमाचल प्रदेश	765	178	68		1011
जम्मू और कश्मीर	551	192	259		1002
झारखंड	995	407	411		1813
कर्नाटक	2156	1267	1292	1398	6113
केरल	341	2883	1097		4321
लक्षद्वीप	8	3			11
मध्य प्रदेश	1778	1055	806	535	4174
महाराष्ट्र	2179	1563	1241	3110	8093
मणिपुर	35	20	25		80
मेघालय	126	32	51		209
मिजोरम	55	14	28		97
नागालैंड	38	52			90
उड़ीसा	1703	572	574		2849
पुदुचेरी	34	37	70		141
पंजाब	1192	1057	750	524	3523
राजस्थान	1781	1074	845	409	4109
सिक्किम	48	28			76
तमिलनाडु	1773	2005	1407	1098	6283
त्रिपुरा	115	59	54		228

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	4947	1958	1851	1562	10318
उत्तराखंड	592	335	258		1185
पश्चिम बंगाल	2369	658	977	1277	5281
कुल	32560	20732	16886	15032	85210

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. जनसंख्या समूह वर्गीकरण 2001 की जनगणना पर आधारित है।

जनसंख्या समूह ''ग्रामीण'' में 10,000 से कम की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं। जनसंख्या समूह ''अर्ध-शहरी'' में 10,000 से अधिक और 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं। जनसंख्या समूह ''शहरी'' में 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं और जनसंख्या समूह ''महानगरीय'' में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं।

विवरण-II

30 जून, 2010 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कार्यरत राज्य-वार और जनसंख्या समूह-वार शाखाओं की संख्या

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
एसबीआई और इसके सहयोगी बैंक	5938	5239	3322	2797	17296
राष्ट्रीयकृत बैंक	13601	9281	9377	8771	41030
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक	69	146	269	220	704
विदेशी बैंक	6	6	60	238	310
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	11727	2862	759	113	15461
गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंक	358	1544	1660	1860	5422
गैर-सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंक	861	1654	1439	1033	4987
कुल	32560	20732	16886	15032	85210

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. जनसंख्या समूह वर्गीकरण 2001 की जनगणना पर आधारित है।

जनसंख्या समूह ''ग्रामीण'' में 10,000 से कम की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं। जनसंख्या समूह ''अर्ध-शहरी'' में 10,000 से अधिक और 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं। जनसंख्या समूह ''शहरी'' में 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं और जनसंख्या समूह ''महानगरीय'' में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल हैं।

[हिन्दी]

तपेदिक के मामले

977. **श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में तपेदिक से ग्रस्त रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन रोगों के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस रोग से बचाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) जी नहीं। भारत में क्षयरोग व्याप्तता की अनुमानित दर (वर्ष में नये और पुराने दोनों प्रकार के क्षय रोग रोगियों की संख्या) घट रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व क्षयरोग रिपोर्ट, 2009 के अनुसार इस समय भारत में क्षय रोग की व्याप्तता 185 प्रति एक लाख जनसंख्या है जबकि इसकी तुलना में यह वर्ष 2007 में 283 प्रति एक लाख जनसंख्या थी।

तथापि, बेहतर सेवाओं और व्यापक कवरेज के कारण आरएनटीसीपी कार्यक्रम ने वर्ष 2008 में 1517333 रोगियों की तुलना में वर्ष 2009 में उपचार के लिए 1533309 रोगियों को पंजीकृत किया है।

वर्ष 2009-10 और 2008-09 के दौरान आरएनटीसीपी के अंतर्गत सूचित मौतों की संख्या क्रमश: 66204 और 64802 है जोकि संबंधित अवधि के दौरान पंजीकृत रोगियों का क्रमश: 4.3 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत है।

(ग) क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए डोट्स के रूप में व्यापक रूप से ज्ञात संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्तुत कार्यनीति है, देश में 100 प्रतिशत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी क्षय रोगियों को क्षय रोधी औषधियों की निशुल्क आपूर्ति सहित नैदानिक और उपचार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। देश में 12700 से भी अधिक माइक्रोस्कोपी केन्द्र स्थापित किए गए है। यथा संभव रोगियों के निवास स्थान के निकट उपचार केन्द्र (डीओटी केन्द्र) स्थापित किए गए है। सभी सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र डोट केन्द्र हैं। कवरेज को और बढ़ाने तथा समान पहुंच निश्चित करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन, प्राइवेट प्रेक्टिशनर शामिल है तथा समुदाय के स्वैच्छिक कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, महिला स्वयं सेवी समूह आदि भी समुदायिक डोट प्रदायकों/डोट केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं।

स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत नकदी रहित उपचार सुविधा

978. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :
श्री महाबल मिश्रा :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री जोस के. मणि :
श्रीमती रमा देवी :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कंपनियों ने प्रमुख अस्पतालों में रोगियों के उपचार के लिए उनके द्वारा वसूल किए जा रहे अत्यधिक शुल्क के कारण नकदी रहित उपचार सुविधा बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बीमा कंपनियों द्वारा इस सूची से राज्य-वार किन-किन अस्पतालों को बाहर किया गया है;

(ग) क्या बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) को वर्ष 2009 तथा 2010 के दौरान इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नकदीरहित उपचार सुविधा को इस प्रकार बंद किया जाना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार/इरडा द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि बीमा कंपनियों ने नकदीरहित चिकित्सा सुविधा को न तो बन्द किया है और नहीं ही समाप्त किया है बल्कि पालिसीधारकों के हित में स्वास्थ्य रक्षा खर्चों को नियंत्रित करने के लिए केवल नेटवर्क अस्पतालों की सूची को संशोधित किया है।

(ग) से (छ) इस मामले में आईआरडीए को पालिसीधारकों तथा अस्पतालों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्राधिकरण ने इस मामले को चार सरकारी बीमा कंपनियों के साथ उठाया है जिन्होंने आईआरडीए को सूचित किया है कि पैकेज दरों सहित 'प्रीफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क' (पीपीएन) प्रणाली का अंगीकरण बीमितों को भविष्य में अस्पताल में भर्ती होने के लिए पालिसी की बीमित राशि में बड़ी शेषराशि छोड़ते हुए प्रत्येक बार अस्पताल में भर्ती होने की लागत को कम करके लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा निम्नतर खर्च नवीकरण के समय पालिसी प्रीमियम पर भार को कम करेंगी। इस प्रकार, यह पीपीएन प्रणाली सभी स्वास्थ्य बीमा पालिसी धारकों के हित में है।

बीमाकर्ताओं द्वारा यह भी पुष्टि की गई थी कि आपातकाल और ट्रामा मामलों में सभी अस्पतालों में इस तथ्य का ध्यान रखे बिना के वे अधिमान्य प्रदाता नेटवर्क (प्रीफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क) का हिस्सा है अथवा नहीं, नकदी रहित सुविधा प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रगति

979. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक आबंटन के बावजूद जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत प्रगति निराशाजनक रही है तथा पांच प्रतिशत से कम स्थानीय अवसंरचना परियोजनाएं पूरी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने अब शहरी स्थानीय निकायों को अपने कार्य-निष्पादन रेटिंग के आधार पर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि बहुपक्षीय एजेंसियों से सीधे निधि जुटाने का अधिकार देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जी नहीं। 31,500/- रुपये की राशि 2005-06 से प्रारम्भ हो रहे सात वर्षों की मिशन अवधि के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना तथा शासन (यूआईजी) के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए तथा छोटे एवं मझोले शहरी अवस्थापना विकास शहर स्कीम के अंतर्गत परियोजना की मंजूरी के लिए 11,400 करोड़ रुपये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में आबंटित किये गये है, यूआईजी के अंतर्गत अनुमोदित 528 परियोजनाओं के लिए 27852.07 करोड़ रुपए तथा यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत अनुमोदित 763 परियोजनाओं के 10428.85 करोड़ रुपये उपर्युक्त प्रावधान के लिए प्रतिबद्ध एसीए है। अब तक यूआईजी के अंतर्गत 78 परियोजनाएं एवं यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत 114 परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूरी करने की रिपोर्ट की गई है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र मेघालय, उड़ीसा, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने जेएनएनयूआरएम के यूआई जी के अंतर्गत अपने सात वर्षों में आबंटन से या तो अधिक खर्च किया है या लगभग प्राप्त कर लिया है। अंडमान निकोबार, बिहार, गोवा, हरियाणा, झारखंड, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश तथा नागालैंड जैसे राज्यों का ही यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत अपने 7 वर्षीय आबंटन में कुछ शेष बचा हुआ है।

(ग) और (घ) जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं के ऋण को उठाने की प्रक्रिया को समर्थ करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) क्रेडिट रेटिंग को बीडा उठाया गया है। यह वित्त प्रदाता परियोजना से संबंधित मुद्दों में लगाने के शहरी स्थानीय निकायों तथा वित्तीय संस्थानों को प्लेटफार्म प्रदान करता है। फिलहाल मिशन शहरों में 63 शहरी स्थानीय निकायों को ड्राफ्ट एवं अंतिम रेटिंग्स सौंपे गए हैं। तथापि बहुपक्षीय अभिकरणों से निधियों जिसके लिए सरकारी गारंटी अपेक्षित है, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त की जाती है। सरकारी गारंटी अनपेक्षित निधियों के लिए एशियन विकास बैंक (एडीबी) को आपसी सहमत निबंधनों एवं शर्तों पर पिम्परी-चिंचवाड शहर, नागपुर सिटी बल्क जल आपूर्ति परियोजना तथा बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना में तीन परियोजनाओं (बस तीव्र ट्रांजिट परियोजना) को स्थानीय प्रचालन में शहरी स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा तथा शहरी स्थानीय निकायों को अप्रत्यक्ष रूप से विशेष परियोजना वेहिकल (एसपीवी) 100% को उधार देने के लिए अनुमति दी गई है। समान अन्य परियोजनाओं को उधार देने

जहां पर उधारकर्त्ता में बहुमत सरकारी निगमित हस्ती हो, को अनुमति दी गई है जो आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त करने, विशेष परियोजनाओं के लिए निर्भर है।

आंगनवाड़ी केंद्रों में भ्रष्टाचार

980. श्री असादुद्दीन ओवेसी :
चौधरी लाल सिंह :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सामानों की खरीद में अनियमितताओं की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है और इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार को प्राप्त होने वाली इस प्रकार की शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दी जाती है।

इन्फ्लुएंजा ए एच1 एन1 के लिए स्वदेशी टीका

981. श्री सोमेन मित्रा :
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इन्फ्लुएंजा ए एच1 एन1 के लिए टीका विकसित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त टीका बाजार में कब तक उपलब्ध होने की संभावना है;

(ग) आयातित टीकों की तुलना में स्वदेशी टीकों के लिए कितना मूल्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए कोई निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार ने देशीय वैक्सीन निर्माताओं को विश्व मारी वैक्सीन का विनिर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया है। 4 भारतीय कम्पनियों (सेरम इंस्टीट्यूट, पनेसिया बायोटेक और भारत बायाटेक, जेडियस केडिला) विश्वमारी वैक्सीन के विनिर्माण की प्रक्रिया में लगी हैं। जेडियस केडिला को छोड़कर इन सभी कंपनियों ने उन्नत बाजार कटिबद्धता करार किया है तथा इन तीनों कंपनियों को प्रत्येक को 10 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है। जेडियस केडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, अहमदाबाद और सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड, पुणे को भारत के औषध महानियत्रक द्वारा विपणन का अनुमोदन प्रदान किया गया है। उनकी विश्वमारी एच1 एन1 वैक्सीनें बाजार में उपलब्ध हैं। शेष दो देशीय विनिर्माताओं का नैदानिक परीक्षण चल रहा है।

(ग) मैसर्स सनाफी पाश्चर एसए, लियोन, फ्रांस से आयातित वैक्सीन की कीमत 5 यूरो प्रति खुराक थी। एच1 एन1 वैक्सीन की कीमत 3910 रु. प्रति वायल है, (जिसकी प्रत्येक वायल में 10 खुराके होती हैं) (ब्रांड नाम: वेक्सीफ्लू एस) मैसर्स जेडियस केडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा विनिर्मित।

सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड, पुणे द्वारा विनिर्मित लाइव एक्टीन्यूटीट एच1 एन1 वैक्सीन (ब्रांड नाम: नसोवेक) की कीमत 790 रु. प्रति वायल है (जिसकी प्रत्येक वायल में 5 खुराके होती हैं)।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने विश्वमारी वैक्सीनेशन के लिए अधिक जोखिम वाले समूह को प्राथमिकता दी है। तद्नुसार स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं को निशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है।

महाजन ऋण शोधन निधि

982. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्ण समिति ने किसानों को अपने ऋण का महाजनों को पुनर्भुगतान करने के लिए समर्थ बनाने हेतु "महाजन ऋण शोधन निधि" के सृजन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निधि का सृजन कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (घ) महाजन ऋण शोधन निधि की स्थापना के संबंध में प्रो. राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों का उद्धरण निम्नलिखित है:

''विशेषज्ञ समूह महाजनों के ऋण से ग्रस्त किसानों के बोझ को कम करने की आवश्यकता को महत्व देता है। यह बैंकों द्वारा किसानों को दीर्घावधि ऋण दिए जाने की एक-बारगी उपाय की सिफारिश करता है ताकि वे महाजनों को अपना ऋण चुका सकें। इसके अतिरिक्त यह समूह सिफारिश करता है कि पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई), कृषक-समूह और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जैसे सिविल सोसाइटी संगठनों को महाजनों के साथ समझौता-वार्ता द्वारा निपटान किए जाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। इससे वित्तीय समावेशन के उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। शीघ्र कार्यान्वयन के लिए इस योजना के तौर-तरीके नाबार्ड द्वारा तैयार किए जाएंगे। आपदाग्रस्त जिलों में इस योजना को परिचालित किए जाने की लागत केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अंशदान से ''महाजन ऋण शोधन निधि'' बनाकर पूरी की जाएगी। प्रारंभ में इस प्रयोजन के लिए 100 करोड़ रु. निर्धारित किए जाने चाहिए।

सरकार ने यह निधि नहीं बनाई है। तथापि, सरकार को इस समस्या के पहलुओं की जानकारी है और वह कृषक-समुदाय विशेषत: छोटे और सीमान्त किसानों की कठिनाइयों के प्रति सचेत है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना 2008 की घोषणा की थी, ताकि छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में सम्पूर्ण 'पात्र राशि' को माफ किए जा सके। योजना का ऋण माफी भाग इसकी निर्धारित तारीख अर्थात् दिनांक 30.6.2008 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जबकि योजना का ऋण राहत भाग दिनांक 30.6.2010 को पूरा किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बड़ी संख्या में ऐसे किसानों की समस्या की जांच करने के लिए नाबार्ड के अध्यक्ष श्री यू.सी. सारंगी की अध्यक्षता में कृषि मंत्रालय में एक कार्यबल भी गठित किया था जिन्होंने गैर-सरकारी महाजनों से ऋण लिया था, परन्तु जिन्हें कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा रहा है। इस कार्य बल के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ सभी श्रेणी के किसानों विशेषकर छोटे एवं सीमान्त किसानों, काश्तकारों, बंटाईदारों एवं मौखिक पट्टेदारों को उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें संस्थागम ऋण दायरे के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु उपायों का सुझाव देना शामिल था, ताकि ऐसे किसानों की अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सके तथा किसानों क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का प्रभाव बढ़ाने के लिए उपायों की जांच करके सुझाव दिए जा सकें।

[हिन्दी]

सौर विद्युत संयंत्र

983. **श्री अर्जुन राम मेघवाल :**
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के पश्चिमी भाग को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक विशेष जोन घाषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से अपने राज्यों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) राजस्थान के पश्चिमी भाग सहित देश में सौर ऊर्जा के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) सरकार पश्चिमी राजस्थान सहित समूचे देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की दृष्टि से सौर पार्कों के विकास हेतु

जोधपुर और जैसलमेर जिलों में हाल ही में स्थलों की पहचान की है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने राजस्थान में जून, 2010 के दौरान 9168 गांवों के पंचायत भवनों में प्रत्येक 1.12 किवा.पी. क्षमता के स्टैंडएलोन सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) विद्युत संयंत्रों की संस्थापना को मंजूरी दी है।

मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थानों, वन रेंज कार्यालयों और जांच चौकियों में 900 किवा.पी. के स्टैंडएलोन एसपीवी विद्युत संयंत्रों की संस्थापना हेतु परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, बालाघाट जिले में जनजातीय हॉस्टलों और पुलिस स्टेशनों में 500 किवा.पी. क्षमता के एसपीवी विद्युत संयंत्रों, और 28 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 280 किवा.पी. क्षमता के एसपीवी विद्युत संयंत्रों की संस्थापना हेतु परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीमों के अंतर्गत बनाओं, अपनाओं और चलाओ आधार पर विकासकर्त्ताओं द्वारा ग्रिड-सम्बद्ध और विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं।

(ङ) ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों हेतु उपलब्ध विभिन्न प्रोत्साहनों में 30% सब्सिडी और/अथवा 5% ब्याज वाले ऋणों के संयोजन के माध्यम से वित्तीय सहायता शामिल है। ग्रिड-सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा घोषित शुल्क दर से जुड़े उत्पादन आधारित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सौर विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना हेतु कम/शून्य सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क से छूट के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं।

कच्चे तेल पर आयात शुल्क

984. **श्री गोपीनाथ मुंडे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल के आयात पर प्रयोज्य शुल्क की विद्यमान दर कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार निकट भविष्य में इसमें संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) कच्चे पेट्रोलियम तेल के आयात पर लागू मूल सीमा शुल्क की मौजूदा दर यथा मूल्य 5% है। इसके अलावा ऐसे कच्चे पेट्रोलियम तेल के आयात पर सीमा शुल्क के पूर्ण योग पर '2% शिक्षा उपकर' तथा '1% सेकेन्डरी एवं उच्च शिक्षा उपकर' और 50 रुपये प्रति टन की दर से राष्ट्रीय आपदा एवं आकस्मिक शुल्क लागू है।

(ख) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव जांच के अधीन नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

मुद्रास्फाति का विस्तार

985. **श्री एम. आनंदन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीति प्राथमिक वस्तुओं से लेकर विनिर्माण तथा ईंधन तक विस्तृत होकर व्यापक आधार वाली बनती जा रही है; और

(ख) आम आदमी को मुद्रास्फीति से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित वर्षानुवर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति नवम्बर, 2009 के 5.55 प्रतिशत से बढ़कर जून, 2010 में 10.55 प्रतिशत हो गई है। समग्र मुद्रास्फीति में प्राथमिक वस्तुओं का योगदान नवम्बर, 2009 के 59.30 प्रतिशत से कम होकर जून, 2010 में 37.57 प्रतिशत हो गया है। तथापि, इसमें ईंधन का योगदान नवम्बर, 2009 के (-) 2.85 प्रतिशत से बढ़कर 26.90 प्रतिशत हो गया है और खाद्य-भिन्न विनिर्मित उत्पाद (भारांश 53.72 प्रतिशत) का योगदान भी नवम्बर, 2009 के 12.57 प्रतिशत से बढ़कर जून, 2010 में 27.39 प्रतिशत हो गया है।

(ख) सरकार मूल्य स्थिति पर निरंतर नजर रखती है और मूल्य स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर काबू पाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं - खाद्यान्नों के निर्यातों एवं वायदा व्यापार पर चयनात्मक प्रतिबंध; चुनिंदा खाद्य वस्तुओं पर शून्य आयात शुल्क; आयातित कच्ची चीनी और सफेद/परिष्कृत चीनी के मामले में लेवी संबंधी देयता को हटाना;

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत खाद्य-वस्तुओं की लाइसेंसिंग, स्टॉक सीमाओं और आवा-जाही पर लगे प्रतिबंधों को हटाना; सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दालों और चीनी का आयात किए जाने की अनुमति देना; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित दालों और खाद्य तेलों का वितरण करना एवं गैर-लेवी चीनी का अधिक कोटा जारी करना।

इसके अलावा, मौद्रिक नीति की समीक्षा के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने और स्फीतिकारी संभावनाओं के बढ़ने पर रोक लगाने के लिए, सुधार प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर डाले बिना, पालिसी दरों में क्रमिक बढ़ोतरी की है।

संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत भागीदारी

986. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट तथा भारत के वित्त मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक इसके द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई; और

(ग) इस भागीदारी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) जी महोदया। संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत वित्तीय और आर्थिक भागीदारी नई दिल्ली में 6 अप्रैल, 2010 को अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेट्री और वित्त मंत्री द्वारा शुरू की गई थी।

(ख) और (ग) इन भागीदारी में विचार-विमर्श हेतु तीन मुख्य क्षेत्रों-बृह्द आर्थिक नीति, वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना वित्त को केन्द्रित किया गया है। भागीदारी में वित्त मंत्री/ट्रेजरी सेक्रेट्री स्तर पर मंत्रिमंडल स्तर की वार्षिक बैठके परिकल्पित की गई हैं। विशिष्ट आर्थिक नीति के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कार्यकारी समूह और उप-मंत्रिमंडल स्तर की बैठकें आयोजित होनी हैं।

इन भागीदारी से दोनों देशों के बीच आर्थिक प्रतिबद्धता को मजबूत बनाने और भविष्य में अत्यधिक सहयोग एवं आर्थिक विकास के लिए एक आधारशिला का निर्माण करने में सहायता मिलने की आशा है।

भागीदारी शुरू होने के बाद, भागीदारी को शुरू किए जाने के दौरान चर्चित कार्ययोजना को स्वरूप प्रदान करने हेतु दोनों पक्षों ने अनेक कदम उठाए हैं। वित्तीय विनियमों और एक-दूसरे के ऋण प्रबंधन पर बेहतर समझ विकसित करने हेतु दोनों तरफ से अधिकारियों के दौरों की योजना बनायी गई है। बृहद आर्थिक नीति और वित्तीय क्षेत्र पर कार्यकारी समूहों की बैठकें यथा समय आयोजित की जाएगी।

आयुर्वेद तथा भारत की अन्य परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों का मानवीकरण

987. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एलोपैथिक औषधियों की तर्ज पर आयुर्वेद तथा यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा आदि जैसी अन्य परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक नई परीक्षण प्रणाली लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक उपचार के मानकीकरण के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था करने तथा आयुर्वेद की औषधियों तथा पद्धतियों की प्रभावकारिता को वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में चिकित्सा उपचार की परम्परागत भारतीय पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) से (घ) जी, हां। मंत्रिमंडल ने एथोपैथिक चिकित्सा भेषज संहिता आयोग की तर्ज पर भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता आयोग को स्थापित करने संबंधी अनुमोदन दे दिया है। ऐसा किए जाने से भेषज संहितागत मानकों को स्थापित करने का मार्ग

प्रशस्त होगा। संबंधित नियम और प्रमाणन के साथ समेकित इस प्रक्रिया से लोगों को उपलब्ध कराई गई औषधियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित होगी। इससे प्रतिष्ठित सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतराष्ट्र्य स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा अमरीकी खाद्य औषध प्रशासन आदि जैसे अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान एवं मानकीकरण कार्य शुरू करने में भी सहायता मिलेगी। इस अनुक्रम में यह भी अपेक्षा की जाती है कि इनसे भारतीय चिकित्सा पद्धति के विधिमान्यकरण से संबंधित अभिनव कार्य पद्धतियां सृजित होने के साथ-साथ औषध खोज के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे।

(ङ) सरकार ने इन चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इसी प्रयोजन के तहत देश के कई राज्यों में आरोग्य मेलों का आयोजन किया गया है। वृद्धावस्था परिचर्या के लिए आयुर्वेद, त्वचा विकारों के लिए यूनानी, मानस स्वास्थ्य के लिए योग, मातृ एवं बाल परिचर्या आदि के लिए होम्योपैथी की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाए गए हैं। दूरदर्शन, श्रव्य और मुद्रण मीडिया के माध्यम से मल्टीमीडिया अभियान चलाए गए हैं। इस संबंध में मैट्रो, बस शैल्टरों और सार्वजनिक स्थलों पर इश्तहारों का इस्तेमाल करके भी विज्ञापन दिए गए हैं।

डीटीसी के अंतर्गत एसईजेड से संबंधित कर लाभ

988. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू तथा अधिसूचना/विकास के अधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के पुनरीक्षित प्रारूप में देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई इकाइयों को कोई कर लाभ नहीं प्रदान किया जाता है,

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा इन पर अनुक्रिया का ब्यौरा क्या हैं, और

(ङ) अभी तक कार्य आरंभ नहीं करने वाली इकाइयों को कर लाभ प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) प्रत्यक्ष पर कोड के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधी कर लाभ विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के अधिनियमन किए जाने से पहले सात केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) के अलावा 12 राज्य/निजी क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किये गये थे। 576 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन दे दिये गये हैं जिनमें से 358 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) को अधिसूचित किया जा चुका है। कुल 114 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पहले से ही निर्यात कर रहे हैं। अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के राज्यवार वितरण के विवरण संलग्न हैं।

(ख) से (ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में अगस्त, 2009 में जारी किये गये मसौदा प्रत्यक्ष कर कोड (डीटीसी) में निम्नवत प्रस्ताव किया गया है:

(i) डीटीसी के प्रवर्तन की तारीख से पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपरों द्वारा उपयोग किए जा रहे लाभ से जुड़ी कटौतियों का बचाव किया जाना है।

(ii) समाप्त न हुई अवधि के लाभ से जुडी कटौतियों का बचाव नहीं किया गया है।

(iii) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के डेवलपरों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिटों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगाया जाना है।

(iv) डीटीसी के प्रवर्तन की तारीख के बाद प्रचालन आरंभ करने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र के डेवलपरों हेतु वर्तमान लाभ से जुड़े प्रोत्साहनों की जगह निवेश से जुड़े प्रोत्साहन।

इन प्रस्तावों पर बहुत सी सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच की जा चुकी है और जिन बड़े मुद्दों पर दांवधारियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, को चिन्हित कर लिया गया है। डीटीसी पर एक संशोधित विचार-विमर्श पत्र के रूप में इन मुद्दों का समाधान कर लिया गया है जिसे 15-06-2010 को जारी किया गया था। डीटीसी

पर संशोधित विचार-विमर्श पत्र में यह भी प्रस्ताव है कि डीटीसी के प्रवर्तन की तारीख से पहले प्रचालन आरम्भ करने वाली विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) यूनिटों के लिए बची हुई अवधि हेतु लाभ से जुड़ी कटौतियों का बचाव किया जाएगा

विवरण

अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों का राज्य-वार वितरण

राज्य	औपचारिक मंजूरी	अधिसूचित सेज	कार्यरत सेज
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	106	73	22
चंडीगढ़	2	2	1
छत्तीसगढ़	2	0	0
दिल्ली	3	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	4	2	0
गोवा	7	3	0
गुजरात	47	30	11
हरियाणा	45	32	3
हिमाचल प्रदेश	0	0	0
झारखंड	1	1	0
कर्नाटक	51	31	18
केरल	28	16	7
मध्य प्रदेश	14	6	1
महाराष्ट्र	108	6	15
नागालैंड	2	1	0
उड़ीसा	10	5	1
पुदुचेरी	1	0	0
पंजाब	8	2	0
राजस्थान	8	7	3
तमिलनाडु	70	57	21
उत्तर प्रदेश	34	17	6
उत्तराखंड	3	2	0
पश्चिम बंगाल	22	10	5
महायोग	576	358	114

द्वितीय पाली में एमबीबीएस पाठ्यक्रम

989. श्री के. सुधाकरण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार विशेषकर केरल राज्य सरकार से द्वितीय पाली में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एड्स का उपचार

990. डॉ. रत्ना डे :
श्री आधि शंकर :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :
श्री अर्जुन मुंडा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक पहचान किए गए एचआईवी/एड्स के मरीजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उनके कल्याण/पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार को प्राप्त हुई सफलता का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा एड्स से प्रभावित बच्चों, गर्भवर्ती महिलाओं, प्रवासी मजदूरों और अन्य गरीब मरीजों को निवारक तथा परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य-वार क्या नीति अपनाई गई है तथा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार एक ऐसी रणनीति तैयार करने का है जिसके अंतर्गत दूसरे शहरों में जाने वाले प्रवासियों को ट्रेन में सवार होने से पूर्व एचआईवी/एड्स की जानकारी वाली चिकित्सा किट प्रदान की जाएंगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) वर्ष 2009-10 में एकीकृत परामर्शी और परीक्षण केंद्रों में पता लगे एचआईवी पोसिटिव मामलों के ब्यौरे (राज्यवार) विवरण-I में दिए गए हैं। अभी तक पता लगे एड्स मरीजों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) एचआईवी/एड्स मरीजों के कल्याण/पुनर्वासन हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रमुख उपाय निम्न हैं :-

1. 278 एंटिरेट्रोवायरल उपचार केंद्रों (एआरटी) में एंटिरेट्रोवायरल उपचार शुरू किया गया जहां पर 3,22,561 मरीज मुफ्त उपचार प्राप्त कर रहे हैं। इन केंद्रों पर विभिन्न अवसरवादी संक्रमण के लिए भी उपचार मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मरीज के घर के समीप एआरटी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए 400 लिंक एआरटी केंद्र स्थापित किए गए हैं। एआरटी शुरू किए जाने से पूर्व मरीज को दाखिल करने और लघु (समयानुवर्ती) अवसरवादी संक्रमण के उपचार के लिए कुल 287 सामुदायिक उपचर्या केंद्र (सीसीसी) भी स्थापित किए गए है।

2. रेल मंत्रालय ने एआरटी केंद्र तक मरीज द्वारा यात्रा किए जाने के लिए रेल में 50 प्रतिशत छूट की अनुमति दी है।

3. कुछ राज्यों ने राज्य परिवहन बस द्वारा यात्रा किए जाने को भी मुफ्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों ने बच्चों की शिक्षा और विधवा पेंशन आदि की भी व्यवस्था की है।

(घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा वर्ष 2007 में बाल तथा एचआईवी/एड्स संबंधी नीति जारी की गई थी। नीति एक जीवन चक्र अवधारणा को निर्धारित करती है जिसका लक्ष्य एचआईवी रोकथाम, परामर्श, परीक्षण, परिचर्या और सहायता की एक सतत तथा समेकित प्रणाली मुहैया करवाई जानी है ताकि एचआईवी संक्रमण के अत्यधिक संभावित अथवा एचआईवी पोजिटिव या अन्यथा एचआईवी/एड्स प्रभावित बच्चों को उनकी पूर्ण क्षमता का विकास, अन्य बच्चों की भाति किए जाने के लिए समान लाभ तथा अवसर मिल सके।

एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चे के तत्काल स्वास्थ्य और व्यापक विकास को सुनिश्चित किए जाने के लिए निम्नलिखित सेवाएं महत्वपूर्ण तथा आवश्यक रूप से विचारणीय हैं। केन्द्र/राज्य सरकार कार्यक्रमों के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं :-

(क) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।

(ख) पोषण।

(ग) शिक्षा सहायता।

(घ) सामाजिक संरक्षण/आर्थिक सशक्तिकरण।

(ङ) विधिक निवारण।

(च) वैकिल्पक परिचर्या।

इसके अतिरिक्त, माता-पिता से शिशु में एचआईवी संक्रमण रोकथाम कार्यक्रम (पीपीटीओटी) का लक्ष्य एचआईवी (पोजिटिव) गर्भवती महिलाओं की खोज करना और उन्हें प्रोफलेक्टिक औषधि उपचार, सुरक्षित प्रसव पद्धति परामर्श तथा सहायता एवं सुरक्षित शिशु स्तनपान प्रणालियां मुहैया करवाना है ताकि माता से शिशु को हो सकने वाले एचआईवी संक्रमण की रोकथाम की जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एचआईवी (पाजिटिव) गर्भवती महिलाओं को भी परिचर्या, सहायता और उपचार सेवाओं से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए सहमति देने वाली गर्भवती महिलाएं एकल नेविरापाईन की खुराक, नियमित पूर्व प्रसव निरीक्षण और पर्यवेक्षित प्रसूति के

साथ सरकार द्वारा संचालित एआरटी केंद्रों में उपचार सेवाओं से संबद्ध रहती है।

हाल ही में, एनएसीओ ने एचआईवी रोकथाम और उत्प्रवासी श्रमिकों और उनकी पत्नियों के लिए उपचर्या सेवाओं के प्रावधान के लिए एक उत्प्रवासी एचआईवी नीति और कार्यनीतियां बनाई हैं। इस नीति का उद्देश्य स्रोत तथा पारगमन स्थानों पर उत्प्रवासियों की संवेदनशीलता और जोखिम का समाधान किए जाने के लिए सूचना तथा सेवाओं में पहुंच में सुधार लाना है।

उपर्युक्त नीतियां तथा कार्यक्रम आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना लक्षित जनसंख्या जिसमें निर्धन शामिल हैं, को कवर करते हैं।

(ङ) और (च) नीति के अंतर्गत, यह अभिकल्पना की गई है कि चुनिंदा क्षेत्रों में उन उच्च जोखिम संभावित उत्प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थानों के लिए चलने से पूर्व सूचना सहित जहां संभव हो एक सूचना किट मुहैया करवाई जाए।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 में पता चले एचआईवी पॉजिटिव रोगियों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	आईसीटीसीएस में पता चले एचआईवी पॉजिटिव रोगी
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46
2.	आंध्र प्रदेश	78045
3.	अरुणाचल प्रदेश	16
4.	असम	999
5.	बिहार	8130
6.	चंडीगढ़	1224
7.	छत्तीसगढ़	1956
8.	दादरा और नगर हवेली	53
9.	दमन और दीव	42
10.	दिल्ली	7707
11.	गोवा	895
12.	गुजरात	16071
13.	हरियाणा	3869
14.	हिमाचल प्रदेश	828
15.	जम्मू और कश्मीर	456
16.	झारखंड	1993
17.	कर्नाटक	50655
18.	केरल	2000
19.	मध्य प्रदेश	4136
20.	महाराष्ट्र	64005
21.	मणिपुर	2830
22.	मेघालय	127
23.	मिजोरम	1121
24.	नागालैंड	1534
25.	उड़ीसा	3651
26.	पुदुचेरी	475
27.	पंजाब	5240
28.	राजस्थान	7972
29.	सिक्किम	30
30.	तमिलनाडु	31601

1	2	3
31.	त्रिपुरा	153
32.	उत्तर प्रदेश	13837
33.	उत्तराखंड	748
34.	पश्चिम बंगाल	6640
	कुल	319085

विवरण-II

अप्रैल, 2010 तक एड्स मरीजो की संचयी संख्या

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	112163
2.	अरुणाचल प्रदेश	51
3.	असम	1373
4.	बिहार	8086
5.	चंडीगढ़	3297
6.	छत्तीसगढ़	2786
7.	दिल्ली	12106
8.	गोवा	1465
9.	गुजरात	23726
10.	हरियाणा	2598
11.	हिमाचल प्रदेश	1449
12.	जम्मू और कश्मीर	1000
13.	झारखंड	2367
14.	कर्नाटक	58841
15.	केरल	6668
16.	मध्य प्रदेश	6496
17.	महाराष्ट्र	107068
18.	मणिपुर	7876
19.	मेघालय	115
20.	मिजोरम	945
21.	नागालैंड	2104
22.	उड़ीसा	3934
23.	पुदुचेरी	922
24.	पंजाब	7179
25.	राजस्थान	11674
26.	सिक्किम	68
27.	तमिलनाडु	63276
28.	त्रिपुरा	185
29.	उत्तर प्रदेश	17573
30.	उत्तराखंड	866
31.	पश्चिम बंगाल	9586
	कुल	477843

बाल विवाह संबंधी यूनीसेफ की रिपोर्ट

991. **श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष (यूनीसेफ) की हाल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बाल विवाह में भारत

का पहला स्थान है तथा 24.5 मिलियन महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके निवारण के लिए उक्त रिपोर्ट में सुझाए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा बाल विवाह के निवारण के लिए क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (घ) सितंबर, 2009 की संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष (यूनीसेफ) की रिपोर्ट "प्रोग्रेस फॉर चिल्ड्रन-ए रिपोर्ट कार्ड आन चाइल्ड प्रोटेक्शन" में यह कहा गया है कि 20-24 वर्ष के आयु वर्ग में 2.45 करोड़ महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु (2007) होने से पहले ही हो गया था या वे पति के साथ रहने लगी थीं। परन्तु यह रिपोर्ट भारत में जारी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त ये आकलन 96 देशों पर आधारित है, जिनमें विश्व की 61% जनसंख्या है और इसमें चीन जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के आंकड़े शामिल नहीं है।

भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए रिपोर्ट में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई है।

भारत सरकार ने बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 को निरस्त करके उसके स्थान पर बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने एवं अपराधियों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करने की दृष्टि से "बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006" अधिनियमित किया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को 11 जनवरी, 2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया और इसे 1 नवंबर, 2007 से लागू किया गया है।

कस्बों/शहरों में जलापूर्ति

992. **श्री जे.एम. आरून रशीद :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
कुमारी मीनाक्षी नटराजन :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सहित इस समय संपूर्ण देश में ऐसे कितने कस्बे/छोटे शहर हैं जहां निवासियों को घरों में जलापूर्ति/पेयजल की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्र सरकार को उनके शहरों/कस्बों के निवासियों को घरों में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान उन्हें राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कारणों से विशेषकर तमिलनाडु राज्य के लिए धनराशि जारी नहीं किए जाने के कारण कितनी परियोजनाओं को लागू नहीं किया जा सका है तथा इसके अंतर्गत धनराशि जारी करने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास विभिन्न राज्यों की अनेक पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं अभी भी अनुमोदनार्थ लम्बित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त प्रस्तावों को मंजूर किए जाने तथा इसके अंतर्गत धनराशि जारी करने पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 58वें चक्र के अनुसार 73.6 प्रतिशत शहरी परिवारों को नलों से जलापूर्ति सुलभ है, 19.6 प्रतिशत परिवारों को नलकूप और हैंडपंप सुलभ है तथा 5.1 प्रतिशत को पंप सुलभ है। तथापि देशभर में 11 नगरों/शहरों को पाइपों से जल आपूर्ति सुविधा सुलभ नहीं है संलग्न विवरण-I। तमिलनाडु में ऐसा कोई नगर नहीं है जहां किसी परिवार को नल से जलापूर्ति सुलभ नहीं है। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत वर्ष 2004 में कटपार (गुजरात), जेरोन खालसा (मध्य प्रदेश) तथा सैरंग (मिजोरम) में जल आपूर्ति स्कीमें मंजूर की गई हैं और उनके चालू किए जाने की सूचना है।

(ख) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के घटकों-छोटे और मझोले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) तथा शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के संबंध में भेजी गई तथा

अनुमोदित परियोजनाओं तथा पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जारी राशियों का ब्यौरा क्रमश संलग्न विवरण-II से IV में संलग्न है।

(ग) तीन स्कीमों के तहत 1642 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने और अन्य पूर्व अपेक्षाएं पूरी करने पर धनराशि जारी की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार राशि जारी करने के लिए अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सभी अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धनराशियां जारी कर दी गई है।

(घ) से (च) राशियों की उपलब्धता और सफल तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं। तकनीकी मूल्यांकन के लिए कोई परियोजना शहरी विकास मंत्रालय में लंबित नहीं है।

विवरण-I

2001 की जनगणना अनुसार नलों से जल आपूर्ति सुविधा वाले परिवारों के न्यूनतम प्रतिशत (0%) वाले शहरों/नगरों की सूची

क्र.सं.	शहर/नगर	राज्य
1.	पहरपुर	बिहार
2.	कत्पर	गुजरात
3.	खर्सवन	झारखंड
4.	जेरोन खल्स	मध्य प्रदेश
5.	नैगर्हि	मध्य प्रदेश
6.	हेइरोक	मणिपुर
7.	ममित	मिजोरम
8.	सैरंग	मिजोरम
9.	जब्लुअम	मिजोरम
10.	खोदरमपुर	वेस्ट बंगाल
11.	उत्तर कलस	वेस्ट बंगाल

विवरण-II

पिछले तीन वित्त वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के तहत जारी राशियां

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य के नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	699.97	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0
3.	असम	561.49	0	0	0
4.	बिहार	46.87	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	31.79	0	0	0
6.	गोवा	0.00	0	0	0
7.	गुजरात	171.32	0	0	0
8.	हरियाणा	0.00	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	95.06	0	0	0
11.	झारखंड	96.18	0	0	0
12.	कर्नाटक	493.32	0	0	0
13.	केरल	0.00	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	149.79	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	234.42	0	0	0
16.	मणिपुर	124.25	0	0	0
17.	मेघालय	0.00	0	0	0

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	0.00	0	0	0
19.	नागालैंड	0.00	0	0	0
20.	उड़ीसा	161.32	0	0	0
21.	पंजाब	0.00	0	0	0
22.	राजस्थान	111.23	0	0	0
23.	सिक्किम	0.00	0	0	0
24.	तमिलनाडु	52.12	0	0	0
25.	त्रिपुरा	69.04	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	151.85	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0.00	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0	0
	कुल	3250.02			

विवरण-III

पिछले तीन वित्त वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान छोटे और मझौले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत जारी राशियां

जारी एसीए (करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 29-04-10 तक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	167.71	607.42	4.11	304.28	779.24
2.	असम	3.68				3.68
3.	बिहार		39.49			39.49
4.	दादरा और नगर हवेली		0.26	7.20		7.46
5.	गुजरात	26.79	121.70		46.51	148.49
6.	झारखंड	33.46				33.46
7.	जम्मू और कश्मीर	11.50	15.09		16.6	26.59
8.	केरल	26.43	82.92			109.35
9.	कर्नाटक	35.69	122.06		91.28	157.75
10.	मध्य प्रदेश	105.13	71.26		38.72	176.39

1	2	3	4	5	6	7
11.	महाराष्ट्र	101.75	707.19	87.11	124.72	896.05
12.	मणिपुर	6.44	22.01			28.45
13.	मिजोरम		6.99			6.99
14.	उड़ीसा	11.95	37.20			49.15
15.	पंजाब	11.04	12.67			23.71
16.	पुदुचेरी			15.67		15.67
17.	राजस्थान	1.78	60.98			62.76
18.	सिक्किम	7.35				7.35
19.	तमिलनाडु	89.09	152.64	13.99	19.32	255.72
20.	उत्तर प्रदेश	49.45	116.61	80.36		246.42
21.	पश्चिम बंगाल	15.79	100.34		10.99	116.13
	कुल	705.03	2276.83	208.44	652.42	3190.30

विवरण-IV

पिछले तीन वित्त वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान शहरी अवस्थापना शासन (यूआईजी) के तहत जारी राशियां

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	28054.63	6577.70	4981.78	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1738.20	0.00	1738.20	0.00
3.	असम	0.00	6321.15	6321.15	0.00
4.	बिहार	0.00	1811.14	5522.52	0.00

1	2	3	4	5	6
5.	चंडीगढ़ (यूटी)	1544.92	405.20	0.00	734.52
6.	छत्तीसगढ़	1272.80	0.00	12145.60	0.00
7.	गुजरात	5123.19	7871.78	8194.57	0.00
8.	हरियाणा	0.00	6168.61	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	1447.20	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	3338.33	2500.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	6682.46	3658.53	0.00
12.	कर्नाटक	863.98	2224.74	4109.86	0.00
13.	केरल	2873.37	0.00	1743.20	0.00
14.	मध्य प्रदेश	5162.80	9018.72	4004.27	0.00
15.	महाराष्ट्र	17151.75	28568.87	21083.43	0.00
16.	मेघालय	0.00	4353.69	0.00	0.00
17.	मिजोरम	378.41	0.00	756.82	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	3338.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	572.25	0.00
20.	राजस्थान	5149.20	10877.45	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	0.00	1663.87	0.00
22.	तमिलनाडु	4540.95	7351.93	10425.04	0.00
23.	त्रिपुरा	0.00	1760.85	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	14522.44	15465.50	25704.23	0.00
25.	उत्तराखंड	1523.85	942.46	4824.24	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	2382.83	14101.45	17219.80	1211.82
	कुल	95621.65	136342.10	146116.56	1946.34

[हिन्दी]

कैंसर आदि की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

993. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री प्रदीप माझी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन डी. बाबर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि की शेष अवधि के दौरान केन्द्र और राज्यों के बीच लागत भागीदारी के आधार पर कैंसर, मधुमेह, कार्डियोवसकुलर रोग और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका रोगवार विवरण क्या है तथा केन्द्र एवं राज्यों के बीच भागीदारी का अनुपात कितना होगा और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन राज्यों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने 1230.90 करोड़ रु. के अनुमानित परिव्यय से एक राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और घात रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम का अनुमोदन किया है, जिसमें से 499.38 करोड़ रु. राष्ट्रीय मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और घात की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम और 731.52 करोड़ रु. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए है, यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 80:20 की दर से लागत में भागेदारी करने के आधार पर है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य संवर्धन, मानव संसाधन सहित क्षमता निर्माण, शीघ्र निदान, विभिन्न स्तर पर गैर संचारी रोग (एनसीडी) प्रकोष्ठों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ प्रबंधन और एकीकरण पर ध्यान संकेन्द्रित करता है।

(ग) और (घ) प्रारंभ में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 100 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा।

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो का तीसरा चरण

994. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय चालू मेट्रो लाइनों तथा चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी) ने तीसरे चरण की मेट्रो रेल परियोजनाओं की कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया है क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी) ने तीसरे चरण की मेट्रो रेल परियोजनाओं की कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तीसरे चरण में लाइनवार कितना व्यय अंतर्ग्रस्त होने की संभावना है;

(घ) मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे चरण के वित्तपोषण की पद्धति का ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ अब तक संबंधित अभिकरणों द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) क्या तीसरे चरण के लिए निर्धारित धनराशि पर्याप्त है;

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(छ) दिल्ली मेट्रो रेल के तीसरे चरण का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) दिल्ली मैट्रो रेल निगम लि. (डीएमआरसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में वर्तमान में चालू मैट्रो लाइनों और निर्माणाधीन मैट्रो परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) डीएमआरसी ने दिल्ली मैट्रो फेज-III की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को और उसकी अग्रिम प्रति इस मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार प्रस्तावित मैट्रो लाइन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) प्रस्तावित वित्तपोषण पद्धति के बारे में संबंधित एजेंसियों द्वारा अभी तक अनुमोदन और वचनबद्धता नहीं की गई है।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

कारीडोर	कुल दूरी (किमी.)	स्टेशन	स्थिति
दिलशाद गार्डन-रिठाला	25.09	21	चालू
जहांगीरपुर-केन्द्रीय सचिवालय	17.36	14	चालू
केन्द्रीय सचिवालय-कुतुब मीनार	12.53	10	निर्माणाधीन, शुरू करने की लक्ष्य तारीख अगस्त, 2010
कुतुब मीनार-हुडा सिटी सेंटर (गुडगांव)	14.47	9	चालू
द्वारका सबसिटी-न्यू अशोक नगर	40.17	35	चालू
न्यू अशोक नगर-नोएडा सिटी सेंटर	7.00	6	चालू
द्वारका सेक्टर 9-21	2.76	2	निर्माणाधीन, शुरू करने की लक्ष्य तारीख सितंबर, 2010
यमुना बैंक-आनंद विहार आईएसबीटी	6.17	5	चालू
इन्द्रलोक-मुंडका	15.15	14	चालू
कीर्तिनगर-अशोक नगर	3.32	16	निर्माणाधीन, शुरू करने की लक्ष्य तारीख दिसंबर, 2010
केन्द्रीय सचिवालय-बदरपुर	20.16	2	निर्माणाधीन, शुरू करने की लक्ष्य तारीख सितंबर, 2010
एअरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एअरपोर्ट	19.50	5	निर्माणाधीन, शुरू करने की लक्ष्य तारीख सितंबर, 2010
द्वारका सैक्टर-21 से एअरपोर्ट तक	3.50	-वही-	-वही-

विवरण-II

क्र. सं.	कारीडोर	कुल लम्बाई (किमी.)	स्टेशनों की सं.	स्थिति (करोड़ रु.)
1.	आनंद विहार-धौला कुआं	25.66	16	5500.00
2.	मुकुंदपु-राजौरी गार्डन	12.40	8	3068.00
3.	मालवीय नगर-कालिंदी कुंज-नोएडा सेक्टर-18 (दिल्ली खंड केवल)	11.64	10	34.77.00
4.	अशोक पार्क-दिल्ली गेट	9.64	8	3066.00
5.	केन्द्रीय सचिवालय-लाल किला	6.80	6	2605.00
6.	जहांगीरपुरी-बादली	3.43	2	963.00
	कुल	69.57	50	18679.00

करों एवं शुल्कों के बिना पूर्णता लागत-21,161 करोड़ रु.

आर्थिक अपराध और विवाद

995. **श्री संजय दिना पाटील : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक अपराधों और विवादों के निपटान के लिए वर्तमान में कितने मंच तथा अधिकरण विद्यमान हैं;

(ख) उक्त प्रत्येक मंच/अधिकरण में तीन वर्षों से अधिक समय से कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) क्या सरकार की आर्थिक अपराधों और विवादों के निपटान के लिए विशेष विवाद समाधान पैनल तथा न्यायालय स्थापित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आर्थिक अपराधों और विवादों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ज्वारीय ऊर्जा

996. **श्री जगदानंद सिंह : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावना का कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य देशों, जिन्होंने इस ऊर्जा का वाणिज्यिक उपयोग भी शुरू कर दिया है, की तुलना में देश में ज्वारीय ऊर्जा के विकास में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की क्षमता के दोहन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) पूर्व के मूल्यांकनों के अनुसार, देश में ज्वारीय ऊर्जा संभाव्यता गुजरात में काम्बे की खाड़ी में लगभग 7000 मेगावाट तथा कच्छ की खाड़ी में लगभग 1200 मेगावाट और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में लगभग 100 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) फ्रांस, रूस, चीन, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण कोरिया ने ज्वारीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित की हैं। इन देशों में ज्वारीय विद्युत परियोजनाओं की कुल संस्थापित क्षमता लगभग 262 मेगावाट है।

इस मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में दुर्गादुआनी क्रीक में संस्थापित किए जाने के लिए पश्चिम बंगाल रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (वब्रेडा), कोलकाता को 3.75 मेगावाट क्षमता की एक प्रदर्शन ज्वारीय विद्युत परियोजना फरवरी, 2008 में मंजूर की। इस परियोजना का कार्यान्वयन एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से इस परियोजना की इंजीनियरिंग, प्राप्ति और निर्माण हेतु निविदाएं (बिड्स) आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है।

गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीपीसीएल), गांधी नगर द्वारा जीपीसीएल, अटलांटिक और परफेक्ट माइनिंग एंड एनर्जी सोल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के संयुक्त उद्यम के माध्यम से गुजरात की तटीय सीमा पर ज्वारीय विद्युत उत्पादन की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर एक अध्ययन करने के लिए दिसम्बर, 2009 में अटलांटिस रिसोर्सिस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (अटलांटिस), सिंगापुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एम्स जैसे संस्थानों की वर्तमान स्थिति

997. श्री यशवंत लागुरी :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :
श्रीमती जे. शांता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एम्स जैसी प्रत्येक संस्थाओं की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों/राज्यों की पहचान की गई है;

(ग) ये संस्थाएं कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगी;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने असम में बोडोलैंड क्षेत्र सहित देशभर के कतिपय जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कुछ एम्स आदर्श संस्थानों की स्थापना के लिए एक विशेष नीतिगत निर्णय लेने पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) सरकार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के प्रथम चरण के तहत बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर), और उत्तराखंड (ऋषिकेश) में एम्स जैसे 6 संस्थानों की स्थापना कर रही है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के प्रथम चरण में एम्स जैसे छ: संस्थानों के लिए आवासीय परिसरों का निर्माण कार्य अलग से शुरू किया गया है और यह सम्पूर्णता के विभिन्न स्तरों पर है। पैकेज-I का कार्य अर्थात् चिकित्सा महाविद्यालय/छात्रावास परिसर का निर्माण कार्य मई, 2010 के अन्तिम सप्ताह में शुरू हो चुका है। पैकेज-II अर्थात् अस्पताल परिसर के निर्माण के लिए आशय पत्र चयनित संविदाकारों को जारी कर दिये गये हैं। इन संस्थानों को दिसम्बर, 2012 तक संचालित किए जाने की संभावना है।

सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दूसरे चरण में एम्स जैसे दो और संस्थानों की स्थापनों का भी अनुमोदन दे दिया है जिसमें एक उत्तर प्रदेश और एक पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया जाएगा। इन संस्थानों के स्थान के बारे में संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

[अनुवाद]

यूलिप के अभ्यर्पण संबंधी प्रभार

998. श्री प्रबोध पांडा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) का विचार यूलिप के पालिसियों के अभ्यर्पण के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा अधिरोपित विभिन्न प्रकार के प्रभारों को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न बीमाकर्ताओं द्वारा यूलिप पालिसियों के अभ्यर्पण पर अधिरोपित प्रभारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आईआरडीए ने अभ्यर्पण के मामले में सभी बीमाकर्ताओं के लिए एक समान प्रभार लेने का सुझाव दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (च) पालिसीधारकों के हितों की सुरक्षा करने तथा अभ्यर्पण प्रभार संरचना को युक्तियुक्त बनाने के लिए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने 1 जुलाई 2010 को बीमा विनयामक एवं विकास प्राधिकरण (समाप्त सहबद्ध बीमा पालिसियों का संव्यवहार) विनियम, 2010 जारी किए है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह

निर्धारित किया गया है कि सहबद्ध बीमा पॉलिसियों पर पांच वर्ष के प्रश्चात् कोई अभ्यर्पण प्रभार नहीं लगाए जाएंगे। तथापि, प्रीमियम की गैर-अदायगी के लिए पालिसी समाप्त करने पर निम्नलिखित प्रभार लगाए जा सकते हैं:

पालिसी वर्ष के दौरान समाप्त	25,000/- रु. तक के वार्षिक प्रीमियम के लिए अधिकतम प्रभार	25,000/- रु. से अधिक के वार्षिक प्रीमियम के लिए अधिकतम प्रभार
प्रथम वर्ष	अधिकतम 3000/- रु. के अध्यधीन 20% (एपी अथवा एफवी) से कम	अधिकतम 6000/- रु. के अध्यधीन 6% (एपी अथवा एफवी) से कम
द्वितीय वर्ष	अधिकतम 2000/- रु. के अध्यधीन 15% (एपी अथवा एफवी) से कम	अधिकतम 5000/- रु. के अध्यधीन 4% (एपी अथवा एफवी) से कम
तृतीय वर्ष	अधिकतम 1500/- रु. के अध्यधीन 10% (एपी अथवा एफवी) से कम	अधिकतम 4000/- रु. के अध्यधीन 3% (एपी अथवा एफवी) से कम
चतुर्थ वर्ष	अधिकतम 1000/- रु. के अध्यधीन 5% (एपी अथवा एफवी) से कम	अधिकतम 2000/- रु. के अध्यधीन 2% (एपी अथवा एफवी) से कम
पंचम वर्ष तथा इससे आगे	शून्य	शून्य

एपी-वार्षिक प्रीमियम

एफवी-समाप्ति की तारीख पर निधि मूल्य

जापानी एंसेफ्लाइटिस के मामले

999. श्रीमती जयाप्रदा :

श्री बाल कुमार पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में जापानी एंसेफ्लाइटिस के कारण हुई मौतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गई जापानी एंसेफ्लाइटिस के टीके लेने से इंकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) जापानी इनसेफलाइटिस (जे.ई)/गंभीर इनसेफलाइटिस लक्षण (ए.ई.एस) के कारण विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में सूचित मौतों के राज्यवार ब्यौरे जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विगत दो वर्षों औा चालू वर्ष के दौरान देश में एईएस/जेई के कारण सूचित मौतों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008	2009	2010 (25.7.2010 तक)
1	2	3	4	5
1.	असम	99	92	29
2.	बिहार	45	95	0

1	2	3	4	5
3.	गोवा	0	3	0
4.	हरियाणा	3	10	0
5.	कर्नाटक	0	8	0
6.	मणिपुर	0	0	10
7.	तमिलनाडु	0	8	2
8.	उत्तर प्रदेश	537	556	94
9.	नागालैंड	0	2	0
	कुल	684	774	135

[हिन्दी]

आम निवेशकों पर कर का भार

1000. **श्री यशवंत सिन्हा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवेशकों/स्टॉक ब्रोकरों/ट्रेडरों पर लगाए गए करों का ब्यौरा क्या है और उक्त करों का आकलन किस रीति से किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टॉक ब्रोकर्स(एनएसई/बीएसई) इस संबंध में अपने निवेशक नहीं बता रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या स्टॉक ब्रोकर्स आम निवेशकों से सेवा कर, व्यापार कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी), स्टॉम्प ड्यूटी आदि के रूप में कर वसूल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) स्टॉक विनिमय में पारदर्शिता बनाए रखने तथा निवेशकों पर कर का भार कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किए गए किसी कम्पनी के इक्विटी शेयर व्युत्पत्ति अथवा इक्विटी उन्मुख यूनिट के क्रय अथवा विक्रय संव्यवहार के लिए ऐसे संव्यवहारों के मूल्य पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस.टी.टी) उद्गृहीत किया जाता है। व्यापार कर रहे सदस्यों के लिए स्टाम्प शुल्क, सेवा कर तथा आयकर का भुगतान भी अपेक्षित होता है। स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा इसकी दर राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है।

निवेशकों/शेयर दलालों/व्यापारियों की आय पर कर आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार विहित दर पर उद्गृहीत किया जाता है। अन्य स्रोतों से आय, पूंजीगत अभिलाभ तथा व्यापार एवं व्यवसाय से आय के कराधान से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर कर निर्धारण किया जाता है। कराधेय आय की संगणना उनके द्वारा दाखिल की गई आय की विवरणियों तथा बहीखातों जिसका उनके द्वारा कानून के तहत रख-रखाव करना अपेक्षित है, के आधार पर की जाती है।

निम्नलिखित ऐसी कराधेय सेवाएं हैं जो निवेशकों/शेयर दलालों/व्यापारियों पर सेवा कर उद्गृहीत करने योग्य हैं:

(क) शेयर दलाल द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(ख) प्रतिभूतियों में संव्यवहार के संबंध में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(ग) शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(घ) प्रतिभूतियों, माल एवं अग्रेषण संविदाओं के संबंध में संसाधन एवं निकासी गृह द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(ङ) अग्रेषण संविदाओं के संबंध में मान्यताप्राप्त/पंजीकृत संघों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(च) माल अथवा अग्रेषण संविदाओं में संव्यवहारों की निकासी अथवा समझौते के संबंध में मान्यताप्राप्त/पंजीकृत संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(छ) संविभाग प्रबंधन सहित आस्ति प्रबंधन तथा सभी प्रकार की निधि प्रबंधन सेवा;

(ज) शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;

(झ) बैंकिंग अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की गई आगार सेवा, किसी निर्गम सेवा के लिए बैंकर, निवेश, संविभाग अनुसंधान तथा सलाह;

(ञ) किसी निर्गम पर रजिस्ट्रार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं। कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त सेवा कर की दर (जो कि 10 प्रतिशत है, जिसमें शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर शामिल नहीं है) वर्तमान में लगाकर सेवा कर का निर्धारण किया जाता है।

(ख) से (ङ) शेयर दलालों द्वारा निवेशकों को संव्यवहारों पर उद्गृहीत करों के बारे में सूचित करना तथा इसे संविदा टिप्पणियों में पारदर्शी ढंग से उजागर करना अपेक्षित होता है। शेयर दलालों द्वारा निवेशकों से प्रयोज्य करों एवं शुल्कों का संग्रहण भी अपेक्षित होता है। पारदर्शिता को बनाए रखने के उपायों के संबंध में संविदा टिप्पणी का प्रारूप विहित किया जाता है ताकि एस.टी.टी., सेवा कर इत्यदि जैसे प्रयोज्य सरकारी उद्गृहणों के ब्यौरों का समावेश किया जा सके।

चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश

1001. **श्री प्रेमदास :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद के हालिया घोटाले के मद्देनजर, सरकारी मानदंडों के आधार पर चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश प्रदान करने के पर्याप्त उपबंध मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सभी चिकित्सा महाविद्यालय इस संबंध में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) प्रत्येक मेडिकल कालेज/संस्थान और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों को प्रतिवर्ष 50/100/150 प्रवेश के लिए मेडिकल कालेजों के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षा विनियमन, 1999 के अनुसार सुविधाएं प्रदान करनी अपेक्षित होती हैं।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा परिषद विनियमन, 1999 में निर्धारित आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले मेडिकल कालेज/संस्थानों को एक विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश देने की अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का विस्तार

1002. **श्री एल. राजगोपाल :**
श्री एस. सेम्मलई :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम) का विस्तार देश के कुछ और अधिक शहरों में करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पहचान किए गए शहरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे चिन्हित शहरों में अपेक्षित अवसंरचना प्रदान करने में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति कितनी मददगार होगी;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्यों से इसमें और अधिक शहरों को शामिल करने की मांगे/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना तथा शासन घटक के अंतर्गत 5 लाख तथा अधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित 28 शहरों/शहरी समूहों को शामिल करने का प्रस्ताव था:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	नगर का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	गंतूर
		वारंगल
2.	छत्तीसगढ़	दुर्ग-भिलाई नगर
3.	गुजरात	भावनगर
		जामनगर
4.	कर्नाटक	बेलगाम
		हुबली-धारवाड़
		मंगलूर
5.	केरल	कोझीकोड
6.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
7.	महाराष्ट्र	अमरावती
		औरंगाबाद
		भिवांडी
		कोल्हापुर
		शोलापुर
8.	उड़ीसा	कटक
9.	पंजाब	जालंधर
10.	राजस्थान	बीकानेर
		जोधपुर
		कोटा
11.	तमिलनाडु	सलेम
		तिरुचिरापल्ली
		तिरुपुर
12.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
		बरेली
		गाजियाबाद
		गोरखपुर
		मुरादाबाद

संसाधनों की कमी के कारण इन शहरों को जेएनएनयूआरएम के यूआईजी में शामिल नहीं किया जा सका।

(ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी शहरी क्षेत्रों में भवन अवस्थापना के सरकारी प्रयासों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जेएनएनयूआरएम इस प्रयोजन हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

(घ) और (ङ) जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के अंतर्गत शामिल करने के लिए अनुरोध वारंगल, करमसाद, गांधी नगर, हुबली धारवाड़, गुलबर्गा, बेलगाम, गया, बिहार शरीफ, पावापुर, नालंदा, राजगीर, सुलतानपुर-लोधी, करुक्षेत्र-पेहोवा, गुड़गांव, औरंगाबाद, वृंदावन, कुरनूल, जोधपुर, ग्वालियर, गुंतुर, पानीपत, बेल्लारी, कालीकट, दार्जिलिंग, कलिमपांग तथा कुरसांग, देवधर, संबलपुर, धुले, मालेगांव, कोल्हापुर, पोर्टब्लेयर, कैथल, सिलीगुड़ी, हल्दिया, अवरावती, सोलापुर तथा 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बिहार के सभी शहरों सहित बहुत से शहरों से प्राप्त हुए हैं।

पूर्वोक्तानुसार जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत और शहरों को शामिल करना संभव नहीं हैं वैसे जो शहर इस घटक के अंतर्गत नहीं आते हैं वे निधियों की उपलब्धता को देखते हुए जेएनएनयूआरएम के अन्य घटक अर्थात छोटे तथा मझोले शहर शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत शामिल होने के पात्र हैं।

संक्रामक और गैर-संक्रामक रोग

1003. श्री के.पी. धनपालन :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बदलती जीवन शैली के कारण होने वाले गैर-संक्रामक रोगों के उपचार के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में संक्रामक तथा जीवनशैली से उत्पन्न रोगों के फैलने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में तैयार की गई कार्य योजना तथा केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को संक्रामक रोग फैलने से रोकने के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2006 में प्रकाशित 'असंचारी रोगों के भार का मूल्यांकन' में कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोगों, अभिघात आदि की घटना और व्याप्तता के ब्यौरे दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये रोग तम्बाकू सेवन, शारीरिक अक्रियाशीलता, समुचित आहार की कमी (कम मात्रा में फलों और सब्जियों को लेना), मोटापा आदि के कारण पैदा होते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2001-03 के दौरान यौन संचारित संक्रमण की समुदाय आधारित व्याप्तता के बारे में एक अध्ययन किया है और यौन संबंध स्थापित करने में सक्रिय 5 से 6 प्रतिशत व्यक्तियों में एक या अन्य यौन संचारित संक्रामण/जननमार्गीय संक्रामण पाए गए हैं। यह अध्ययन जोन वार किया गया था।

(ङ) भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान 1230.90 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और अभिघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम का अनुमोदन किया है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य संवर्धन, मानव संसाधन सहित क्षमता निर्माण, शुरू में ही निदान और उपचार प्रबंधन और विभिन्न स्तरों पर असंचारी रोग क्लिनिकों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ एकीकरण पर जोर दिया गया है।

एड्स नियंत्रण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए देश में प्रत्येक नामोदिष्ट यौन संचारी संक्रमण/जन्नमार्मी संक्रमण क्लीनिक को 1,50,000 लाख रुपए का एकबारगी अनुदान प्रदान करता है। राज्यों को क्षमता निर्माण, स्टॉफ के प्रशिक्षण, उपभोज्यों के प्रापण और पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक क्लीनिक को 70 हजार रुपए का अनुवर्ती अनुदान दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता और मानकीकृत उपचार प्रदान करने के लिए पहले ही पैकेट बंद रंगीन कोड युक्त औषध किटों की शुरूआत की गई और उनको सभी यौन संचारी संक्रमण/जन्नमार्गी संक्रमण क्लीनिकों में उपलब्ध कराया गया है। उच्च जोखिम वाले आचरण के व्यक्तियों के लिए यौन संचारित सेवाओं को भी सुदृढ़ किया गया है।

[हिन्दी]

आयकर अपवंचन के मामले

1004. श्री राधामोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कर अपवंचन से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रत्येक मामला कब प्राप्त हुआ है;

(ग) उक्त मामले के निपटान में विलम्ब के मामले-वार क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रत्येक मामले के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) आयकर विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) जैसी जांच एजेंसियों समेत विभिन्न एजेंसियों एवं स्रोतों से कर अपवंचन के मामलों से संबंधित सूचना प्राप्त करता है। कर अपवंचन की ऐसी सूचना पूरे देश में फैल कर निर्धारण प्रभारों के साथ-साथ जांच निदेशालयों में भी प्राप्त की जाती है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) से आयकर विभाग में कर अपवंचन से संबंधित प्राप्त की गई सूचनाओं का ब्यौरा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में केन्द्रीय रूप से अनुरक्षित नहीं किया जाता है। अपेक्षित ब्यौरा संग्रहीत करने के

लिए व्यक्तिगत मामले के रिकार्डों की जांच करने की जरूरत होगी जिसमें काफी समय एवं प्रयास शामिल होगा, जो प्राप्त किए जाने वाले वांछित लक्ष्य के समनुरूप नहीं हो सकता।

(घ) संविधि द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर, प्रत्येक मामले में पता लगाई गई अप्रकट आय पर कर लगाने के लिए ऐसे मामलों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसरण में आवश्यक कार्रवाइयां की जाती है।

[अनुवाद]

अतुल्य भारत अभियान

1005. श्री मदनलाल शर्मा :
श्री संजय धोत्रे :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतुल्य भारत अभियान में राज्यवार कितने स्थानों को शामिल किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य सरकारों के लिए स्वीकृत धनराशि, उपयोग तथा व्यय की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यटन पर उक्त अभियान के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में भी उक्त अभियान को जारी रखने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय अपने केन्द्रीकृत ''अतुल्य भारत'' अभियानों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में एक संपूर्ण गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करता है। इस प्रकार के अभियान चलाना देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय का एक सतत क्रियाकलाप है। तथापि, इस प्रकार के केन्द्रीकृत अभियानों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों हेतु कोई भी निधि स्वीकृत नहीं की जाती है।

(ग) विदेशों में अभियान के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए वर्ष 2007 में एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया।

(घ) इस समय केंद्रीकृत ''अतुल्य भारत'' अभियानों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) वर्ष 2010-11 के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन के महत्व के बारे में जनसमूह और विभिन्न स्टेकहोल्डरों को सुविज्ञ बनाने के लिए अब तक टीवी और रेडियो पर सामाजिक जागरूकता अभियान रिलीज किया है। वर्ष 2010-11 के दौरान ''आतिथ्य सहित घरेलू संवधन एवं प्रचार'' और ''उत्तर पूर्व का संवर्धन'' शीर्ष (घरेलू संवर्धनों के लिए) तथा ''मार्केटिंग विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन एवं प्रचार'' शीर्ष (अंतर्राष्ट्रीय संवर्धनों के लिए) के अंतर्गत बजट आबंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

शीर्ष	रु. में
उत्तर-पूर्व के संवर्धन के साथ आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच)	70 करोड़
मार्केट विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन एवं प्रचार (ओपीएमडी)	275 करोड़

[हिन्दी]

बैंकों में आरक्षण नीति

1006. श्री मंगनी लाल मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों में प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित आरक्षित रिक्तियां को नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित कार्यान्वयन तथा उक्त बैंकों में आरक्षण नीति का पालन नहीं किए जाने के कारण सभी श्रेणियों के अतिरिक्त पदों का बैकलाग लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो आज तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) पिछली कुछ रिक्तियों के अलावा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में प्रत्येक वर्ग के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षणों को भरा जा चुका है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बैंकों ने सूचित किया है कि वे भारत सरकार की आरक्षण नीति का नीति का उचित कार्यान्वियन और अनुपालन सुनिश्चित कर रहें हैं और पात्र उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण न भरे गए आरक्षित पद नहीं भरे गए हैं।

(ङ) सरकार ने दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के पत्र सं. 21/2/2010-एससीटी (बी) के जरिए अनु.जा./अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित न भरे गए रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने के लिए बैंकों को निर्देश दिए हैं। समय-समय पर दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए गए है।

विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	श्रेणी	आज तक न भरे गए पद		
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	अधिकारी	—	3	—
		लिपिक	—	1	1
		अधिनस्थ	18	—	—
2.	आंध्रा बैंक	अधिकारी	2	1	2
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	—	12	2
3.	बैंक ऑफ बडौदा	अधिकारी	27	19	20
		लिपिक	4	14	14
		अधिनस्थ	1	13	19
4.	बैंक ऑफ इंडिया	अधिकारी	317	167	514
		लिपिक	63	379	78
		अधिनस्थ	—	—	—
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	अधिकारी	—	—	—

1	2	3	4	5	6
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	—	—	—
6.	केनरा बैंक	अधिकारी	1	7	8
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	—	—	—
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	अधिकारी	—	—	—
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	—	—	—
8.	कार्पोरेशन बैंक	अधिकारी	—	—	—
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	—	—	—
9.	देना बैंक	अधिकारी	8	8	24
		लिपिक	37	22	471
		अधिनस्थ	—	10	454
10.	इंडियन बैंक	अधिकारी	1	7	—
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	3	4	10
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	अधिकारी	—	13	—
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	—	—	—
12.	आई डी बी आई	अधिकारी	240	196	537
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	—	—	—

1	2	3	4	5	6
13.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	अधिकारी	5	—	—
		लिपिक	—	12	56
		अधिनस्थ	5	4	13
14.	पंजाब नैशनल बैंक	अधिकारी	2	67	8
		लिपिक	24	—	—
		अधिनस्थ	—	—	—
15.	पंजाब एंड सिंध बैंक	अधिकारी	—	46	1
		लिपिक	2	—	38
		अधिनस्थ	—	—	16
16.	सिंडिकेट बैंक	अधिकारी	—	6	—
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	—	4	—
17.	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	अधिकारी	240	154	412
		लिपिक	51	54	10346
		अधिनस्थ	46	74	111
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	अधिकारी	—	—	—
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	32	10	46
19.	यूको बैंक	अधिकारी	—	—	—
		लिपिक	9	15	37
		अधिनस्थ	—	—	—
20.	विजया बैंक	अधिकारी	79	75	25
		लिपिक	279	139	22

1	2	3	4	5	6
		अधिनस्थ	—	—	—
21.	भारतीय स्टेट बैंक	अधिकारी	—	—	—
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	—	—	—
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	अधिकारी	27	23	44
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	—	—	—
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अधिकारी	—	—	—
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	—	—	—
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	अधिकारी	1	7	9
		लिपिक	9	—	21
		अधिनस्थ	—	—	6
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अधिकारी	7	—	45
		लिपिक	17	21	—
		अधिनस्थ	—	—	22
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	अधिकारी	21	11	39
		लिपिक	—	9	—
		अधिनस्थ	—	—	1
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	अधिकारी	—	—	—
		लिपिक	—	—	—
		अधिनस्थ	—	—	—

अप्रत्यक्ष कर संग्रहण

1007. **श्री जगदीश शर्मा :**
श्री हर्षवर्धन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही के दौरान सीमा शुल्क, सेवा कर और अन्य करों जैसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत पृथक-पृथक कितनी धनराशि संग्रहित की गई है;

(ख) संग्रहण के अधिक/लक्ष्य से कम रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में अप्रत्यक्ष करों की बेहतर वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान मुख्य लेखानियंत्रक कार्यालय से एकत्रित सूचनाओं के आधार पर मौजूदा वित्तीय वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही में अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न शीर्षों यथा सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर से संग्रहित अनंतिम राजस्व क्रमशः 30,288 करोड़ रु. 27,773 करोड़ रुपये तथा 10,401 करोड़ रु. था।

(ख) अप्रत्यक्ष करों के लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। पूरे साल के लिए निर्धारित लक्ष्यों से वर्ष की प्रथम तिमाही के वास्तविक राजस्व संग्रहण की तुलना करना जल्दबाजी होगी।

(ग) राष्ट्रीय, आंचलिक एवं आयुक्तालय स्तर पर नियमित रूप से राजस्व संग्रहण की निगरानी तथा कारण संबंधी कारकों का विश्लेषण किया जा रहा है। कर अनुपालन का स्तर बढ़ाने के लिए लेखापरीक्षा एवं अपवंचन-निरोधक उपायों को भी सशक्त किया जा रहा है।

स्वास्थ्य परिचर्या उत्पादों का भ्रामक प्रचार

1008. **श्री ओम प्रकाश यादव :**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मर्दानगी बढ़ाने वाली दवाईयों जैसे अनेक स्वास्थ्य परिचर्या उत्पादों की उनके विनिर्माताओं द्वारा प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में आक्रामक तथा भ्रामक प्रचार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दवाइयों के संबंध में उक्त दावों की प्रमाणिकता की जांच के लिए कोई एजेन्सी नियुक्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे विनिर्माताओं/कंपनियों जिनका दावा भ्रामक पाए गए हैं, के विरुद्ध क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) अनेक रोगों जिनमें औषध एवं जादू-टोना से उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 में यथाविर्निदिष्ट यौन संबंधी नपुंसकता शामिल है, के उपचार के लिए औषधियों का विज्ञापन उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्जित है।

(ग) से (ङ) औषध एवं जादू-टोना से उपचार-(आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 का संचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सौपा गया है। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है।

[अनुवाद]

सूक्ष्म/असगठित क्षेत्र को ऋण देना

1009. **श्री प्रदीप माझी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूक्ष्म/असंगठित क्षेत्र को ऋण देने के लिए बैंकों को पुनः वित्त प्रदान करने हेतु किसी विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संवितिरत ऋण का राज्यवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त संवितरण की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए कोई सलाहकार दल/समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण को सुकर

बनाने एवं इसकी निगरानी करने के लिए 17 अगस्त, 2009 को सिडबी में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था। सरकार ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कमियों में से 4000 करोड़ रुपये की एक विशेष निधि लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वर्ष 2009-10 में प्रदान की। चूंकि, यह योजना वर्ष 2009-10 में लागू की गई थी, अत: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उधार देने के लिए 16 बैंकों एवं 6 राज्य वित्त निगमों (एसएफसी) को इस निधि के अंतर्गत अभी तक 4049 करोड़ रुपये की राशि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संवितरित कर दी गई है:

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	प्रमुख उधारदात्री संस्था का नाम	वित्तीय वर्ष 2010	
		सूक्ष्म	लघु
1	2	3	4
	बैंक		
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा	200	0
2.	बैंक ऑफ इंडिया	300	100
3.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	25	25
4.	केनरा बैंक	150	50
5.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	150	50
6.	कारपोरेशन बैंक	400	275
7.	आईडीबीआई बैंक लि.	400	50
8.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	50	25
9.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	50	25
10.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	300	0
11.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	30	0
12.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	20	20
13.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	25	25
14.	सिंडिकेट बैंक	425	455
15.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	50	0
16.	विजया बैंक	150	25
	उप-योग	2725	1125
	एसएफसी		
1.	एपीएसएफसी (आंध्र प्रदेश)	25	42
2.	केएफसी (केरल)	14	36
3.	केएसएफसी (कर्नाटक)	25	0
4.	एमपीएफसी (मध्य प्रदेश)	3	7
5.	टीआईआईसी (तमिलनाडु)	10	20
6.	डब्ल्यूबीएफसी (पश्चिम बंगाल)	0	17
	उप-योग	77	122
	योग	2802	1247

(ग) और (घ) प्रकोष्ठ के परिचालन की निगरानी करने के लिए सिडबी में सलाहकार दल का गठन कर दिया गया है। यह कारगर है क्योंकि सलाहकार दल में एसएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सिडबी और एमएसएमई उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि शामिल हैं।

[हिन्दी]

सुरक्षित पर्यटन हेतु आचार संहिता

1010. श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ''सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन'' हेतु एक आचार संहिता को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने संहिता को लागू करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इस संहिता का कब तक अनावरण का दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर प्रमुख पर्यटन गंतव्यों पर सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने "सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन" के लिए स्टेकहोल्डरों के साथ आचरण संहिता को अपनाया है, जो कि विशेषतया महिलाओं और बच्चों एवं पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों के शोषण से मुक्ति, सुरक्षा और गरिमा जैसे मूल अधिकारों के संबंध में मुख्यतया किए जाने वाले पर्यटन कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेकहोल्डरों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों का एक सेट है।

राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए संहिता के बारे में सभी स्टेकहोल्डरों को सुविज्ञ बनाने के लिए 30.07.2010 को एक कार्यशाला आयोजित की गई।

(ङ) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पब्लिक आर्डर' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। इसलिए, पर्यटकों के प्रति अपराध सहित, अपराध की रोकथाम करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत संयंत्रों की फ्लाई ऐश

1011. **श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित देश में ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश की मात्रा के पर्यावरणीय प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) फ्लाई ऐश के बारे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) थर्मल विद्युत संयंत्रों से आने वाली फ्लाई ऐश पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) के भाग के रूप में किया जाता है और इसके आधार पर ही परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस अध्ययन में राख के निपटान हेतु भूमि और जल की आवश्यकता, फ्लाई ऐश निकासी पर नियंत्रण हेतु योजनाएं, राख एवं राख उपयोग का प्रबंधन तथा राख निपटान के कारण भूतल एवं भूमिगत जल संसाधनों पर प्रभाव शामिल होता है।

(ग) फ्लाई ऐश के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा निम्नलिखित है-

(i) 210 मेगावाट अथवा इससे अधिक की 150 एमजी/एनएम 3 उत्पादन क्षमता के लिए

(ii) 210 मेगावाट से कम उत्पादन क्षमत के 300 एमजी/एनएम 3 के लिए

(घ) इस संबंध में ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित कदम उठा रहे हैं-

(i) फ्लाई ऐश के अंश की निकासी को रोकने के लिए उच्च दक्षता वाले इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) की संस्थापना।

(ii) राख के अंश को व्यापक रूप में फैलाने के लिए ऊंची चिमनी की संस्थापना।

(iii) शुष्क फ्लाई ऐश एकत्र करना ताकि इसके उपयोग को बढ़ाया जा सके और राखकुंड में इसके निपटारे हेतु जल के साथ उपयोग में न लाई गई राख को मिश्रित किया जा सके।

(iv) सीमेंट, ईंट बनाना, भूमि भरना, खान भरना तथा अन्य क्षेत्रों में फ्लाई ऐश के उपयोग को उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाने

के लिए प्रयास किए गए जिसके फलस्वरूप फ्लाईऐश का उपयोग 1996-97 में 9.64%, 2008-09 में 57.11% तक बढ़ गया है।

(v) संयंत्र की सीमा के बाहर गंदगी को कम करने के लिए संयंत्र क्षेत्र के आसपास 50 मीटर चौड़ी हरी पट्टी का प्रावधान।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 27 अगस्त, 2003 तथा 3 नवंबर, 2009 को संशोधन के साथ पठित दिनांक 14 सितंबर, 1999 की अधिसूचना में अनुबंधित है कि सभी कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्टेशनों अथवा अधिसूचना की तारीख से पूर्व प्रचालन वाले विस्तार यूनिटों ने इस अधिसूचना को जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर 100% फ्लाई ऐश उपयोग प्राप्त करना है। इस अधिसूचना के पश्चात शुरू किए गए नये कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्टेशनों या विस्तार यूनिटों ने चालू होने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर 100% फ्लाई ऐश का उपयोग करना है।

दूरसंचार कम्पनियों पर कर बकाया

1012. श्री रमेश राठौड़ :
श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक दूरसंचार कंपनी पर अन्य दूरसंचार कंपनी में अधिकांश हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आय कर विभाग द्वारा निर्धारित कर देनदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में यथा वित्तीय अनियमितताओं के अन्य मामलों में इन कम्पनियों को नोटिस जारी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस अवधि के दौरान कम्पनीवार क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई;

(घ) इस अवधि के दौरान ऐसी प्रत्येक कम्पनी से की गई वसूली का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं अथवा भविष्य में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) आयकर विभाग किसी अन्य कंपनी में बहुसंख्य हिस्सेदारी अधिग्रहीत करने पर किसी कंपनी की कर देयता की मात्रा का अलग से निर्धारण नहीं करता है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई करादेय आय की मात्रा निर्धारित करने के लिए संबंधित कंपनी के मामले में संवीक्षा कर निर्धारण की कार्यवाही का अंग होती है। इस प्रकार, अन्य टेलीकाम कंपनियों में बहुसंख्य हिस्सेदारी अधिग्रहीत करने के लिए टेलीकाम कंपनियों पर मात्रात्मक रूप से कर देयता के संबंध में कोई केंद्रीकृत डाटा नहीं है।

(ख) और (ग) कर निर्धारितियों को नोटिसों के निर्गम के संबंध में अलग से कोई डाटाबेस अनुरक्षित नहीं किया जाता है और इसलिए विभिन्न वर्षों के लिए प्रत्येक ऐसी कंपनी के मामलों की जांच करके ही सूचना एकत्र की जा सकती है।

(घ) किसी विशिष्ट क्षेत्र की कंपनियों से की गई वसूली का ब्यौरा भी केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, कुछ सुविख्यात मामलों (जिनमें 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार 10 करोड़ रुपए से अधिक बकाया मांग थी) में बकाया मांग में से वसूली का ब्यौरा, जो विभाग के पास उपलब्ध है, नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपए)

क्र. सं.	नाम	वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान नकद संग्रहण
1.	वोडाफोन एस्सर लि.	300
2.	वोडाफोन एस्सर गुजरात लि. पूर्ववर्ती नाम फैस्सेल लि.	15211
3.	भारत संचार निगम लि.	137893
4.	भारती एयरटेल लि.	686

(ङ) आयकर अधिनियम के अंतर्गत यथा निर्धारित बकाया कर देयों की वसूली के लिए अपनाए गए सांविधिक उपायों (जिसमें बैंक खाते की कुर्की, अचल संनत्ति की कुर्की एवं बिक्री आदि शामिल हैं) के अलावा, प्रत्येक करों की बकाया राशियों की वसूली को तेज करने के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय भी अपनाए जा रहे हैं।

(i) कार्यबल द्वारा बड़े मामले में राशि की वसूली की निगरानी।

(ii) आयुक्त (अपील) एवं आईटीएटी के समक्ष प्रर्याप्त राशि वाले लंबित मामलों की पहचान करना तथा ऐसी अपीलों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए इन प्राधिकारियों से अनुरोध करना ताकि चालू वित्त वर्ष के दौरान ही राशि संग्रहित की जा सके।

(iii) आयकर निदेशालय (वसूली) के साथ-साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 10 करोड़ रुपए से अधिक बकाया राशि वाले सभी मामलों की निगरानी।

[हिन्दी]

हेपेटाइटिस-बी टीकों की उपलब्धता

1013. श्री महेश्वर हजारी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस-बी के टीकों को उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संक्रामक बीमारी की रोकथाम हेतु कोई ठोस कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) सरकारी अस्पतालों में इन टीकों को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) भारत सरकार सरकारी अस्पतालों और चुनिंदा राज्यों और शहरों/जिलों में अन्य जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पहले से ही हेपेटाइटिस-बी वेक्सिन प्रदान कर रही है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इस रोग की रोकथाम के लिए देश के शेष भाग में शिशुओं को हेपेटाइटिस-बी के टीकाकरण के कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

जिन राज्यों में हेपेटाइटिस-बी का टीकाकरण किया जा रहा है:

1. आंध्र प्रदेश
2. हिमाचल प्रदेश
3. जम्मू और कश्मीर
4. कर्नाटक
5. केरल
6. मध्य प्रदेश
7. महाराष्ट्र
8. पंजाब
9. तमिलनाडु
10. पश्चिम बंगाल

उपर्युक्त 10 राज्यों के अतिरिक्त जिन शहरों/जिलों में हेपेटाइटिस-बी का टीकाकरण किया जा रहा है।

1. अंडमान और निकोवार द्वीपसमूह
2. दिल्ली
3. गोवा
4. लक्षद्वीप
5. पुदुचेरी
6. जोरहाट (असम)
7. शिवसागर (असम)
8. अहमदाबाद (गुजरात)
9. सूरत (गुजरात)
10. बडौदा (गुजरात)
11. पंचकुला (हरियाणा)
12. अम्बाला (हरियाणा)
13. सुन्देगढ़ (उड़ीसा)
14. जयपुर (राजस्थान)
15. कानपुर (उत्तर प्रदेश)

16. लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

17. नैनीताल (उत्तराखंड)

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को आंगनवाड़ी केन्द्रों का सौंपा जाना

1014. **शेख सैदुल हक :**
श्री पी. करुणाकरन :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंगनवाड़ी केन्द्रों को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायतों आदि को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव के बारे में कुछ संशय/विरोध हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (घ) समय-समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं, जिनमें उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों को गैर-सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं आदि को सौंपे जाने के विषय में चिंता व्यक्त की है। तथापि, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका कार्यान्वियन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि यह समुदाय द्वारा संचालित कार्यक्रम है, अतः, आरंभ किए जाने के समय से ही इस स्कीम में यह परिकल्पना की गई है कि कार्यक्रम कार्यान्वियन में स्वैच्छिक संगठनों, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं (जहां ये संस्थाएं कारगर ढंग से कार्य कर रही हों) को शामिल किया जाए।

सकल घरेलू उत्पाद

1015. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उपलब्धि की तुलना में लक्ष्य क्या हैं;

(ख) लक्ष्य की प्राप्ति में खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं;

(ग) अगले पांच वर्षों हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित हैं; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने तथा जीडीपी विकास दर बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (घ) सरकार द्वारा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए विशेष वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। 2005-06 से 2007-08 की अवधि में भारी उपभोग के साथ-साथ निवेश में तीव्र बढ़ोतरी होने से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 9.5 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई। लेकिन, वैश्विक वित्तीय तथा आर्थिक संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा जिसके परिणामस्वरूप इस वृद्धि में कमी आई और यह 2008-09 में 6.7 प्रतिशत रह गई। इस संकट के प्रतिकूल प्रभाव से उबरने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई राजकोषीय और अन्य नीतियों से 2009-10 में इस वृद्धि में उछाल (7.4 प्रतिशत) लाने में मदद मिली। ग्यारहवीं योजना (2007-12) में मूलतः 9 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि की परिकल्पना की गई थी; योजना आयोग के ग्यारहवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में पिछले तीन वर्षों में आर्थिक घटनाक्रमों के आकलन के बाद संपूर्ण योजनावधि के लिए संशोधित वार्षिक औसत वृद्धि का अनुमान 8.1 प्रतिशत लगाया गया है।

लंबी परिपक्वता वाली अवसंरचना परियोजनाओं हेतु अल्पावधि कोष

1016. **श्री वरुण गांधी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य रूप से अल्पकालिक वित्तपोषण करने वाले बैंकों का लम्बी परिपक्वता वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने के कारण मिसमैच हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आधारभूत परियोजना निधियन के कारण परिपक्वता असंगति (मिसमैच) की सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास यथा उपलब्ध परिपक्वता असंगति (मिसमैच) और आधारभूत ऋण से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(%)	के अंत में	एक वर्ष तक	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से ऊपर
पीएसबी	मार्च-08	2.7	1.4	2.9	-1.3
	मार्च-09	9.9	-2.4	0.6	-0.9
	मार्च-10	-0.1	-5.8	-1.1	-1.4
निजी बैंक	मार्च-08	-2.5	-3.8	0.6	0.7
	मार्च-09	6.0	-2.1	3.0	2.3
	मार्च-10	10.6	0.7	5.5	2.5
विदेशी बैंक	मार्च-08	0.9	-0.5	-0.3	-0.2
	मार्च-09	1.3	0.4	1.0	0.1
	मार्च-10	3.5	0.7	0.5	-0.4
सभी एससीबी	मार्च-08	1.0	-0.3	1.0	-0.5
	मार्च-09	4.2	-1.1	1.1	-0.1
	मार्च-10	2.9	-2.6	0.4	-0.5

संचयी असंतुलन (अंतर्वाह-बहिर्वाह) पर उपरोक्त आंकड़े संचयी बहिर्वाह के प्रतिशत के रूप में दर्शाए गए हैं।

डाक्टरों को उपहार

1017. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री अन्नत वेंकटरामी रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज उद्योग से डाक्टरों द्वारा उपहार तथा आतिथ्य स्वीकार करने पर प्रतिबंध सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद को हाल ही में संशोधित चिकित्सा आचार विनियमों में संशोधन करने का प्राधिकार प्राप्त है; और

(घ) उक्त संशोधन के पश्चात् भेषज कंपनियों से उपहार स्वीकार करते पाए गए डाक्टरों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद के परामर्श से भारतीय चिकित्सा परिषद् (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और आचार-शास्त्र विनियम, 2002 में दिनांक 10.12.09 में संशोधन कर चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे कदाचारों पर नियंत्रण करने के लिए कठोर उपाय किए हैं। संशोधन में डाक्टरों को स्वयं अथवा परिवार के सहयोग के लिए किसी फार्मास्यूटिकल और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग से कोई उपहार यात्रा सुविधाएं, आवभगत, नकद अथवा मौद्रिक लाभ या किसी अन्य प्रकार का अनुग्रह स्वीकार करना पूर्णतः वर्जित है। यदि चिकित्सक/चिकित्सा व्यवसायी को दोषी पाया जाता है तो चिकित्सा परिषद् ऐसा दंड लगा सकती है जो आवश्यक समझा जाए अथवा रजिस्टर से दोषी चिकित्सक का नाम एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा पूर्ण रूप से हटाये जाने का निदेश दे सकती है।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय चिकित्सा परिषद चिकित्सा आचार-शास्त्र विनियमों में संशोधन कर सकती है।

(घ) भारतीय चिकित्सा परिषद (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और आचार-शास्त्र) विनियम, 2002 में दिनांक 10.12.2002 को संशोधन के बाद मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा शेयर बाजार में निवेश

1018. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में बैंकों ने शेयर बाजार तथा म्युचुअल फंड में भारी निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस अवधि के दौरान इस निवेश में बैंकों को हुए लाभ/हानि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंकों द्वारा इस प्रकार का निवेश बैंकों की निवेश नीति के अनुरूप है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयर बाजार तथा म्युचुअल फंड्स में किए गए निवेश तथा उठाई गई हानि का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया कि शेयर/म्युचुअल फंडों (एमएफ) में बैंकों का निवेश पिछले कुछ वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है क्योंकि उन्होंने शेयर बाजार/एमएफ में निवेश को उच्च प्रतिफल अर्जित करने विशेषकर तब जब उनके पास अधिशेष चलनिधि हो, के लिए एक आकर्षक क्षेत्र के रूप में पाया। म्युचुअल फंडों में बैंकों का निवेश दो प्रकार का है: इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में निवेश तथा ऋणोंन्मुख म्युचुअल फंडों में निवेश। विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, पूंजी बाजार के सभी रूपों में (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनो) किसी बैंक का कुल निवेश (एकल आधार पर) पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उनकी शुद्ध मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समग्र उच्चतम सीमा के भीतर शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेन्चरों, इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों तथा जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के सभी निवेशों (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) में बैंकों का प्रत्यक्ष निवेश उनकी शुद्ध मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त उच्चतम सीमाएं अधिकतम अनुमत सीमाएं हैं और किसी बैंक का निदेशक मंडल, उसकी समग्र जोखिम प्रोफाइल तथा कारपोरेट रणनीति को ध्यान में रखते हुए बैंक के लिए निम्नतम सीमा अपनाने के लिए स्वतंत्र है। बैंकों से उच्चतम दरों का सतत् आधार पर अनुपालन अपेक्षित है। आरबीआई के अनुरोध पर, ज्यादातर वाणिज्यिक बैंकों ने सूचित किया है कि उन्होंने स्व-विनियामक के रूप में कार्य करने तथा ऋणोंन्मुख म्युचुअल फंडों में उनके निवेश पर बोर्ड अनुमोदित सीमाओं को अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं है।

विवरण

स्टॉक मार्केट निवेश का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		निवेश	हानि	निवेश	हानि	निवेश	हानि	निवेश	हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	स्टेट बैंक समूह								
1.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2423.22	शून्य	4614.17	शून्य	5668.99	शून्य	5762.32	शून्य
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	46.77	1.19	96.50	0.51	90.30	शून्य	94.09	शून्य
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	119.94	शून्य	238.01	शून्य	230.60	शून्य	203.12	शून्य
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	78.00	शून्य	111.00	शून्य	0.00	शून्य	1.00	शून्य
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	104.46	शून्य	148.99	शून्य	134.70	1.30	11.61	शून्य
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	87.56	शून्य	102.91	शून्य	28.85	शून्य	36.77	शून्य
7.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	36.97	शून्य	87.67	शून्य	15.03	0.94	16.74	शून्य
	सरकारी बैंक								
8.	इलाहाबाद बैंक	261.79	शून्य	439.35	शून्य	415.95	शून्य	529.37	शून्य
9.	आंध्रा बैंक	377.54	शून्य	427.82	शून्य	67.88	शून्य	304.76	शून्य
10.	बैंक ऑफ बड़ौदा	536.19	शून्य	763.08	शून्य	634.66	शून्य	775.89	शून्य
11.	बैंक ऑफ इंडिया	813.68	शून्य	657.22	शून्य	140.45	शून्य	577.87	शून्य
12.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	154.24	शून्य	176.53	शून्य	173.47	शून्य	183.57	शून्य
13.	केनरा बैंक	553.93	शून्य	1008.24	शून्य	937.49	शून्य	645.54	शून्य
14.	सेंट्रल बैंक इंडिया	226.94	शून्य	446.72	शून्य	469.30	शून्य	659.73	शून्य
15.	कारपोरेशन बैंक	191.71	शून्य	171.55	शून्य	135.96	शून्य	292.80	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	देना बैंक	95.50	शून्य	172.83	शून्य	84.38	शून्य	93.85	शून्य
17.	इंडियन बैंक	251.34	शून्य	424.17	शून्य	471.07	शून्य	419.24	शून्य
18.	इंडियन ओवरसीज बैंक	371.83	शून्य	577.24	शून्य	423.13	शून्य	365.73	शून्य
19.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	476.19	शून्य	368.17	शून्य	180.67	शून्य	237.45	शून्य
20.	पंजाब एंड सिंध बैंक	5.40	शून्य	19.02	शून्य	0.53	शून्य	15.24	शून्य
21.	पंजाब नैशनल बैंक	670.12	शून्य	816.20	शून्य	1030.49	शून्य	1196.19	शून्य
22.	सिंडिकेट बैंक	426.39	शून्य	424.58	शून्य	296.20	42.90	191.92	44.41
23.	यूको बैंक	234.00	शून्य	463.00	शून्य	493.00	शून्य	580.00	शून्य
24.	इंडियन बैंक ऑफ इंडिया	311.18	शून्य	446.79	शून्य	527.79	शून्य	547.66	शून्य
25.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	104.12	शून्य	199.96	शून्य	192.95	शून्य	231.22	शून्य
26.	विजया बैंक	108.15	शून्य	281.53	शून्य	248.81	शून्य	283.09	शून्य
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक								
27.	आईडीबीआई बैंक लि.	559.04	शून्य	551.14	शून्य	526.66	शून्य	1125.55	शून्य

विवरण

म्युचुअल फंड में निवेश का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		निवेश	हानि	निवेश	हानि	निवेश	हानि	निवेश	हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	स्टेट बैंक समूह								
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1096.89	शून्य	2696.10	शून्य	2107.05	शून्य	1432.09	शून्य
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	45.00	0.27	119.00	2.12	119.00	शून्य	124.00	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3655.00	शून्य	9632.12	शून्य	9661.07	शून्य	10198	शून्य
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	164.00	शून्य	172.47	शून्य	15.99	शून्य	32.85	शून्य
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	947.05	शून्य	12956.06	शून्य	19943.45	शून्य	9742.05	शून्य
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	81.00	शून्य	26.50	शून्य	20.00	शून्य	15.00	शून्य
7.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	73.60	शून्य	165.70	शून्य	3.00	4.53	7.25	4.09
	सरकारी बैंक								
8.	इलाहाबाद बैंक	214.60	शून्य	243.98	शून्य	2991.00	शून्य	1206.10	शून्य
9.	आंध्रा बैंक	5120.87	शून्य	3165.00	शून्य	1860.00	शून्य	8160.00	शून्य
10.	बैंक ऑफ बड़ौदा	98.68	शून्य	137.25	शून्य	169.76	शून्य	150.78	शून्य
11.	बैंक ऑफ इंडिया	67.49	शून्य	55.00	शून्य	42.28	शून्य	63.73	शून्य
12.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	98.00	शून्य	108.00	शून्य	103.00	शून्य	65.07	शून्य
13.	केनरा बैंक	922.14	शून्य	580.56	शून्य	409.36	शून्य	89.62	शून्य
14.	सेंट्रल बैंक इंडिया	578.55	शून्य	130.80	शून्य	130.80	शून्य	10927.19	शून्य
15.	कारपोरेशन बैंक	108.05	शून्य	50.63	शून्य	92.29	शून्य	4278.97	शून्य
16.	देना बैंक	0.50	शून्य	5.50	शून्य	5.50	शून्य	30.50	शून्य
17.	इंडियन बैंक	120.00	शून्य	80.00	शून्य	103	शून्य	79.00	शून्य
18.	इंडियन ओवरसीज बैंक	144.80	शून्य	0.00	शून्य	327.07	शून्य	696.03	शून्य
19.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	388.00	शून्य	810.00	शून्य	887.00	शून्य	9195.25	शून्य
20.	पंजाब एंड सिंध बैंक	शून्य	शून्य	5.00	शून्य	14.97	शून्य	21.25	शून्य
21.	पंजाब नैशनल बैंक	5.00	शून्य	35.00	शून्य	35.00	शून्य	35.00	शून्य
22.	सिंडिकेट बैंक	19.00	शून्य	86.50	शून्य	24.00	शून्य	0.00	शून्य
23.	यूको बैंक	14	शून्य	62	शून्य	72	शून्य	72	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	इंडियन बैंक ऑफ इंडिया	40.00	शून्य	135.86	शून्य	135.86	शून्य	135.86	शून्य
25.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	643.71	शून्य	194.96	शून्य	204.96	शून्य	302.52	शून्य
26.	विजया बैंक	385.85	शून्य	341.50	शून्य	153.82	शून्य	146.82	शून्य
	सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक								
27.	आईडीबीआई बैंक लि.	इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में कोई निवेश नहीं किया गया							

[अनुवाद]

सीजीएचएस दवाओं की खरीद हेतु प्रायोगिक परियोजना

1019. **श्री धनंजय सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दवाओं की खरीद हेतु सरकार द्वारा हाल ही में आरम्भ की गई प्रायोगिक परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ख) क्या प्रायोगिक परियोजना आरंभ किए जाने के पश्चात् सरकार की जानकारी में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उन स्रोतों का ब्यौरा क्या है, जिनसे सीजीएचएस लाभभोगियों हेतु दवाएं खरीद रहा है तथा कौन-कौन सी कंपनियां दवाओं की आपूर्ति में लगी हुई हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक से कितने मूल्य की दवाएं खरीदी गई;

(ङ) क्या इस प्रक्रिया में कोई केन्द्रीय एजेंसी लगी हुई है;

(च) यदि हां, तो क्या दवाओं की खरीद की प्रायोगिक परियोजना पर हो रहा व्यय दवाओं को इन्डेन्ट करने की पहले की प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक है; और

(छ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत कुशलता केन्द्रों के मुख्य प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर विनिर्माताओं द्वारा मासिक आवश्यकता आधार पर, न्यूनतम खुदरा मूल्य पर लगभग 25 प्रतिशत छूट पर 272 सामान्य रूप से नुस्खे लिखी गई औषधियों का क्रय किया जाता है। परियोजना के अंतर्गत कुशलता केन्द्रों को एक माह का अतिरिक्त (बफर) स्टॉक रखना होता है। सितम्बर, 2008 में 10 कम्प्यूटरीकृत कुशलता केन्द्रों में परियोजना को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरम्भ किया गया था। धीरे-धीरे इस परियोजना का विस्तार दिल्ली के सभी कम्प्यूटरीकृत कुशलता केन्द्रों तक कर दिया गया था और तद्उपरान्त इसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई, कोलकाता, नागपुर और चेन्नई में शुरू किया गया। परियोजना के कारण कुशलता केन्द्रों में औषधियों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है और इसीलिए औषधि विक्रेता से लोकल इन्डेंट की तुलना में जहां पर औषधि एक या दो दिनों के पश्चात् कम छूट पर उपलब्ध होती है, औषधियां तत्काल रूप से उपलब्ध रहती हैं (औसत छूट वैट सहित लगभग 12 प्रतिशत तक है)। वित्त मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन किया गया है जिससे यह उजागर होता है कि इस प्रणाली के माध्यम से क्रय किए जाने में वित्तीय बचतें होती हैं और उसने परियोजना के विस्तार की सिफारिश की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विनिर्माताओं से औषधियां क्रय की जा रही हैं। वर्ष 2008-09 की अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक द्वारा किए गए क्रय का मूल्य और कम्पनियों का नाम (सितम्बर, 2008 से और 2009-10 तक) संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) चिकित्सा भंडार डिपो, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना।

(च) जी, नहीं। औषधियों के क्रय के लिए प्रायोगिक परियोजना पर किया जा रहा व्यय दवाईयों की पूर्ववर्ती इन्डेंट प्रक्रिया की तुलना में अधिक नहीं है।

(छ) विगत दो वर्षों के तुलनात्मक ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान प्रायोगिक परियोजना में दवाईयों के क्रय पर किए गए व्यय

(विनिर्माता-वार)

क्र.सं.	कम्पनी	2008-09	2009-10
1	2	3	4
1.	एबट	750508	8557932
2.	एल्केम	2625942	17652653
3.	अरिस्टो	102644	7886598
4.	अस्ट्राजेनेका	1986175	20809425
5.	अवन्तिस	14308785	73808421
6.	बेयर	—	4507850
7.	कैडिला हेल्थ केयर	1524231	26675566
8.	सिप्ला	3598304	35393121
9.	डॉ. रेड्डी	2953331	3443471
10.	एल्डर	17692	6186112
11.	फ्रांको	—	7408165
12.	जर्मन	—	93275
13.	ग्लेनमार्क	484487	18319173
14.	जीएसके	522	12522055
15.	इपका लेब्स	463930	2455837
16.	जानसन एंड जानसन	—	4033032
17.	लुपिन	3643929	64820650
18.	मैकलाड्स	879966	10182056
19.	मेरिन्ड वोकहार्ट	727939	14163042
20.	ताइक्रो लैब्स	8669235	88690957
21.	नोवार्टिस	416699	7351714
22.	पेनेसिया	205554	3488252
23.	फाइजर	781263	6728350
24.	पीरामल हेल्थ केयर	—	21224163
25.	रैनबेक्सी	3267367	98613715
26.	आरपीजी लाइफसाइंस	—	1866210
27.	सरडिया	2134421	47143840
28.	श्रेया	—	2536744
29.	सोलवेन	246	16993678
30.	सन	9624638	42876655
31.	टोरेंट	2947363	1008856
32.	यूसीबी	715703	1536895
33.	यूकेम	309721	1286619
34.	यूनिक फार्मा	163	—
35.	यूएसवी	397494	—
36.	वेथ	—	—

1	2	3	4
37.	बोयाकेम	685961	—
38.	इंटास	147703	—
39.	जक्सनपाल फार्मा	1489863	—
40.	मास्कट	1372416	—
41.	मोदी मुंडी	433413	—
42.	मोलीकम	203691	—
43.	निकोलस	2010414	—
44.	आरपीजी	38744	—
45.	सिस्टोपिक	127335	—
46.	टेबलेट इंडिया	20375	—

विवरण-II

वर्ष 2007-09, 2008-09 और 2009-10 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में दवाईयों का वर्षवार क्रय

क्र.सं.	क्रय का माध्यम	2007-08 (रुपए में)	2008-09 (रुपए में)	2009-10 (रुपए में)
1.	एचएससीसी/सीधा क्रय	63,57,77,103	43,61,35,684	42,18,38,282
2.	जीवन रक्षा	65,00,00,000	63,71,00,000	75,31,95,369
3.	स्थानीय क्रय	1,75,82,00,000	1,88,36,27,417	12175,31,301
4.	संविदा दर	—	9,17,27,417	77,15,79,649
	कुल	3,04,39,77,103	3,04,85,90,518	3,16,41,42,601

जेएनएनयूआसाएम के अंतर्गत शहरों में बीआरटीएस

1020. **श्री एस. सेम्मलई : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मिशन शहरों का ब्यौरा क्या है जहां जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) आरम्भ किया गया है तथा परियोजनाओं की लागत तथा इसके अंतर्गत प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण का वर्तमान पांच शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) मिशन शहरों के लिए अनुमोदित द्रुत बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) के संबंध में परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन परियोजनाओं में व्यापक रूप से बस प्रणाली के संबंध में मेट्रो रेल सुविधाओं की प्रतिकृति की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006 तैयार की है जिसमें शहरी परिवहन कार्यक्रमों और परियोजनाओं की समन्वित आयोजना और कार्यान्वियन करने तथा शहरी परिवहन प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन के लिए एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में एकीकृत महानगर परिवहन एजेंसी (यूएमटीए) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु.)	अनुमोदन की तारीख	कुल एसीए वचनबद्धता (लाख रु.)	जारी एसीए (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा (i) एमजी रोड (ii) नुजी वेदू रोड (iii) येलूरू रोड 5(iv) रूट नं. (v) एसएन पुरम रोड (vi) लूप रोड के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली	15,264.00	26-03-07	7,632.00	3,816.00
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	विशाखापटनम (i) टनल सहित सिम्हाचलम परिवहन कोरीडोर (ii) पेन्दूर परिवहन कोरीडोर के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली	45,293.00	18-05-07	22,646.50	11,323.26
3.	गुजरात	अहमदाबाद	द्रुत बस परिवहन प्रणाली-12 किमी. लंबे मार्ग का निर्माण	8,760.00	11-08-06	3,066.00	2,299.50
4.	गुजरात	अहमदाबाद	द्रुत बस परिवहन प्रणाली	40,572.00	6-10-06	14,200.20	10,650
5.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद निगम के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली फेज-II	48,813.00	19-08-08	17,084.55	4,271.00
6.	गुजरात	राजकोट	द्रतु बस परिवहन प्रणाली-फेज-I (बिल्यू कोरीडोर भाग 1 का विकास)	11,000.00	20-7-07	5,500.00	4,125.00
7.	गुजरात	सूरत	सूरत के लिए बस परिवहन प्रणाली का विकास	46,902.00	07-03-08	23,451.00	5,862.75
8.	मध्य प्रदेश	भोपाल	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (21.715 किमी. लंबे) के लिए पायलेट कोरीडोर (नये मार्केट से विश्वविद्यालय तक)	23,776.00	10-11-06	11,888.00	2,972.00
9.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	द्रुत बस परिवहन प्रणाली-पायलेट परियोजना	9,845.00	11-08-06	4,922.50	2,461.24
10.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली पायलेट परियोजना (कटराज स्वरगेट हदपसर मार्ग 13.6 किमी.)	10,313.50	11-08-06	5,156.75	3,867.56
11.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली (फेज-I)	47,662.20	25-10-06	23,831.10	17,871.44

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (राष्ट्रमंडल युवा खेल 2008 के लिए अवस्थापना का विकास)	43,422.00	05-03-07	21,711.00	16,283.25
13.	महाराष्ट्र	पुणे	मुम्बई-पुणे राजमार्ग (8-5 किमी.) और औंधरावेत रोड (14.5 किमी.) कुल (23 किमी.) के लिए द्रुत बस परिवहन प्रणाली कोरीडोर	31,214.00	28-12-07	15,607.00	15,607.00
14.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे के लिए द्रुत बस परिवहन कोरोडोर के रूप में न्यू अलंदी रोड का सुधार और सुदृढ़ीकरण (विक्रांतवाड़ से 13.9 किमी. डिगही-आक्टरोई नाका तक)	3,703.00	19-08-08	1,851.50	462.88
15.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत बस परिवहन प्रणाली कोरीडोर-कालेवाड़ी-केएसबी चॉक से देहू-अलंदी रोड तक (ट्रंक मार्ग-7)-पीसीएमसी	21,920.00	21-11-08	8,768.00	2,192.00
16.	महाराष्ट्र	पुणे	द्रुत बस परिवहन प्रणाली-कोरीडोर-नासिक फाटा से वाकड़ तक (ट्रंक मार्ग-9)-पीसीएमसी	20,682.00	21-11-08	8,272.80	2,068.20
17.	राजस्थान	जयपुर	सी जोन बाईपास क्रासिंग से पानीपेंच वाया सीकर रोड तक द्रुत बस परिवहन प्रणाली परियोजना प्रस्ताव (पैकेज 1बी)	7,519.00	20-07-07	3,759.50	2,819.64
18.	राजस्थान	जयपुर	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (पैकेज-II) का निर्माण	14,400.00	28-12-07	7,200.00	1,800.00
19.	राजस्थान	जयपुर	द्रुत बस परिवहन प्रणाली (पैकज-IIIए एंड IIIबी) जयपुर	26,035.94	14-01-09	13,017.96	3,254.49
20.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता महानगर क्षेत्र में उल्तादंगा से गोरिया तक द्रुत बस परिवहन प्रणाली	25,291.0	16-06-10	8,851.85	0.00

दंत चिकित्सा कालेज

1021. **श्री मनीष तिवारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा सरकारी दंत चिकित्सा कालेजों सहित बड़ी संख्या में दंत चिकित्सा कालेजों की मान्यता समाप्त किए जाने से हजारों विद्यार्थियों का कैरियर अधर में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) एक बार मान्यता प्रदान न करते हुए कालेजों के लिए वार्षिक मान्यता प्रदान करने के क्या कारण हैं;

(घ) किसी चिकित्सा/दंत-चिकित्सा कालेज को प्रारंभिक मान्यता प्रदान किए जाने से पूर्व कौन से मूल मापदण्ड पूरे होने चाहिए और किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए;

(ङ) चिकित्सक का लाइसेंस प्रदान किए जाने से पूर्व चाहे चिकित्सा और दंत चिकित्सा विद्यार्थियों ने किसी भी कालेज से अपनी डिग्री पूर्ण की हो हेतु एक मानकीकृत परीक्षा न होने के क्या कारण हैं;

(च) क्या मंत्रालय द्वारा प्रशासित सभी विषयों हेतु एक सर्वव्यापक विनियामक को लाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) नए प्रवेश के लिए मान्यता और अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत बनाए गए डीसीआई विनियम, 2006 के प्रावधानों पर आधारित है। उन दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों जो अवसंरचना और शिक्षण संकायों के बारे में मानदण्डों को पूरा नहीं करते है, उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है।

नवीकरण अनुमति की गैर स्वीकृति के परिणामस्वरूप संबद्ध शैक्षणिक वर्ष के प्रथम वर्ष में नए प्रवेश बन्द हो जाएंगे। तथापि, विगत वर्षों में दाखिल विद्यार्थी अपने अध्ययन जारी रखेंगे।

राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार उत्तराखंड के केवल एक कालेज को ही बन्द करने की सिफारिश की है। तथापि, इस कालेज के विद्यार्थियों को अन्य दन्त चिकित्सा कालेजों में स्थानानतरित किया जा रहा है। शैक्षणिक वर्ष 2010-11 के लिए नये प्रवेश के लिए 37 कालेजों ने नवीकरण अनुमति से मनाही कर दी है और दो अन्य कालेजों में अवसंरचना, संकाय आद में कमियों के कारण सीटों की संख्या को कम कर दिया गया है।

(ग) और (घ) परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अवसरचनात्मक सुविधाओं और शिक्षण संकायों का चरणबद्ध तरीके से चरणबद्ध विस्तार पूरा होने तथा विद्यार्थियों के प्रथम बैच के अंतिम वर्ष की परीक्षा में भाग लेने के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद की सिफारिशों पर मान्यता प्रदान कर दी गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने पर किसी विशिष्ट दन्त चिकित्सा कालेज में विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि देने पर अनुमति के नवीकरण की प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(ङ) प्रत्येक राज्य अपना निजी तंत्र अपनाता है जिसमें उस विशिष्ट राज्य में स्थित दन्त चिकित्सा/मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों के चयन की प्रतिस्पर्धी परीक्षा शामिल है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव सभी राज्य सरकारों को उनके विचार जान्ने के लिए संचालित किया गया है। राष्ट्रीय परिषद स्थापित हो जाने पर देश में चिकित्सा/दन्त चिकित्सा शिक्षा और अन्य संबंद्ध स्वास्थ्य सेवाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

विद्युत वितरण, पारेषण और उत्पादन को सुकर बनाना

1022. **श्री सी. शिवासामी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में विद्युत वितरण, पारेषण और उत्पादन को सुकर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि देश में कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की जा सके?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : विद्युत संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत मंत्रालय सुसाध्यकर्त्ता के रूप में कार्य करता है और विद्युत क्षेत्र के सुधार हेतु राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देता है। देश में विद्युत क्षेत्र को सुधारने तथा विद्युत के वितरण, पारेषण एवं उत्पादन को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ये इस प्रकार है-

- सभी राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को गठित/अधिसूचित किया गया है। दो संयुक्त आयोग, एक मणिपुर और मिजोरम के लिए तथा दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और गोवा के लिए अधिसूचित किया गया हैं।

- अधिकांश राज्यों में राज्य विद्युत बोर्डों को अनबंडल्ड/निगमीकृत किया गया है।

- विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने के लिए वितरण यूटिलिटियों द्वारा कई कदम भी उठाए गए हैं। इनमें स्थिर मीटरों के साथ उपभोक्ता मीटरों को बदलना और मीटरिंग, बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार लाना; ऊर्जा लेखा परीक्षा हेतु 11 केवी फीडरों और वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग; अतिभारित वितरण प्रणाली का संवर्धन और ग्रामीण और कृषि फीडरों का पृथकरण करना शामिल है।

- देश में विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणाली का पुनरुद्धार करने के लिए, भारत सरकार ने सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को 15% तक कम करने के उद्देश्य से पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) शुरू किया है।

- देश में ग्रामीण विद्युतीकरण की गति को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शुरू की गयी है। इसका उद्देश्य मार्च, 2012 तक 1,00,000 गैर विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करना और 1.75 करोड़ बीपीएल घरों को बिजली के कनैक्शन उपलब्ध करना है। 31 मार्च, 2010 तक की स्थिति के अनुसार, 78,256 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है और 100.96 लाख बीपीएल घरों को बिजली के कनैक्शन जारी किए गए हैं।

- पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा राष्ट्रीय ग्रिड नेटवर्क की स्थापना को सरल बनाने के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान 220 केवी और उससे अधिक पर 20,700 मेगावाट की नई अंतर्क्षेत्रीय क्षमताओं को जोड़ने की परिकल्पना की गई है। 31, मार्च, 2010 तक 6,700 मेगावाट की अंतर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता चालू की गयी है।

- योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना के लिए 78,700 मेगावाट का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजनाओं विकासकर्त्ताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर, सीईए ने अनुमान लगाया है कि 62,374 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि, 11वीं योजना अभिवृद्धि के दौरान "पक्की संभावना के साथ" के साथ शुरू किए जाने की संभावना है। 19 जुलाई, 2010 की स्थिति के अनुसार 11वीं योजना के दौरान 24675 मेगावाट की क्षमता चालू की गयी है।

- विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कुछ उपायों में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की गहन निगरानी, उत्पादन क्षमता के ईष्टतम उपयोग हेतु जल विद्युत थर्मल, नाभिकीय और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन एवं अनुरक्षण कैप्टिव विद्युत संयंत्र से अतिरिक्त विद्युत का इस्तेमाल; कोयले के आयात की व्यवस्था करना; और पुराने और अकुशल उत्पादन यूनिट का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार शामिल है।

राजीव आवास योजना

1023. श्री बाल कुमार पटेल :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री गणेश सिंह :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को मलिन बस्ती मुक्त बनाने के लक्ष्य वाली प्रस्तावित राजीव आवास योजना (आरएवाई) को तैयार करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) भारत को मलिन बस्ती मुक्त बनाने के लिए आरएवाई के अंतर्गत कितने मकानों का निर्माण किया जाना है तथा इसमें कुल कितना व्यय होगा तथा चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या आरएवाई को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे वित्तीय संकट से निकालने हेतु निजी कंपनियों को शामिल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) आरएवाई को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए तथा योजना को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की सिफारिशों का ब्यौरा तथा सरकार द्वारा उस पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में है।

(ग) निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या तथा उस पर आने वाला कुल खर्च राज्यों के स्लम वासियों को संपत्ति का हक देने की इच्छा तथा स्लम मुक्त शहर एवं योजना तैयार करने पर निर्भर करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1270 करोड़ रु. बजट का आबंटन किया गया है।

(घ) से (च) जी नहीं। राजीव आवास योजना वित्तीय संकट से नहीं जूझ रही है। व्यावहारिकता अध्ययन तथा स्लम सर्वेक्षण तथा साझेदारों से परामर्श के पश्चात चुने गए स्लम पुनर्विकास माडल के आधार पर निजी कम्पनियों को शामिल करने का निर्णय राज्यों द्वारा लिया जाना है।

(छ) राजीव आवास योजना में कोई रुकावट नहीं आई। राजीव आवास योजना का प्रारंभिक चरण स्लम मुक्त शहर योजना द्वारा शुरू किया गया जिसके अंतर्गत 2009-10 के दौरान स्लम सर्वेक्षण, स्लम एमआईएस का विकास, स्लमों की जीआईएस मैपिंग, एमआईएस का जीआईएस के साथ एकीकरण तथा स्लम मुक्त शहर के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु राज्यों को 60 करोड़ रु. जारी किए किए गए हैं।

विवरण

राजीव आवास योजना की बारीकी से जांच करने तथा स्कीम की कार्य नीतियों, वित्तपोषण पद्धतियों और अन्य विशेषताओं पर सुझाव देने के लिए श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 26-4-2010 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- राजीव आवास योजना की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष किया जाना चाहिए।
- यह स्कीम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयमआरएम) का भाग होनी चाहिए।
- सुधारों का कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जाए तथा राज्यों के लिए धनराशि को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- निर्णय लेने में स्लम समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय सब्सिडी को आकर्षक बनाया जाना चाहिए।
- छोटे शहरों में सलम समस्याओं के समाधान के लिए पीपीपी पर कम बल दिया जाना चाहिए।
- मार्टगेज गाररंटी कोष सृजित किया जाना चाहिए।
- उचित कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए, शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर कारपोरेट संरचना उपयुक्त होनी चाहिए।
- लाभार्थियों के लिए रियायती दर पर दीर्घावधिक वित्त मुहैया कराने हेतु क्रेडिट योग्य वातावरण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।
- शहरी भूमि नीतियों को संशोधित किए जाने तथा समग्र बनाए जाने की आवश्यकता है।
- राजीव आवास योजना शहर योजनाओं को जेएनएनयूआरएम (यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी) में समेकन किया जाना चाहिए तथा तद्नुसार शहर अवस्थापना का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- राजीव आवास योजना के प्रारम्भ में ही राज्यों द्वारा मालिकाना हक का प्रावधान किया जाना चाहिए क्योंकि सम्पत्ति का अधिकार देने में समय लगेगा।
- प्रत्येक स्लम की स्थलाकृति पर आधारित कार्यनीतियों में लचीलेपन की अनुमति दी जानी चाहिए।

- स्वास्थाने स्लमों में कम से कम 30% किराया आवास की अनुमति दी जानी चाहिए।

सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

मंत्रालय ने उपर्युक्त टिप्पणियों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए स्कीम के पैरामीटरों को संशोधित किया है तथा संबंधी एजेंसियों/मंत्रालयों से परामर्श की प्रक्रिया में है। ''स्लम मुक्त शहर योजना'' स्कीम के अंतर्गत राजीव आवास योजना का प्रारम्भिक फेज शुरू किया गया है तथा स्लम सर्वेक्षण और स्लम एमआईएस, स्लमों का जीआईएस मानचित्रण, जीआईएस और एमआईएस का एकीकरण तैयार करने आदि जैसी विभिन्न प्रारम्भिक गतिविधियां शुरू करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उपर्युक्त स्कीम के प्रथम फेज का बजट 120 करोड़ रुपए है, जिसमें से वर्ष 2009-10 में 20 राज्यों के लिए 60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 2010-11 के लिए राजीव आवास योजना के लिए 1270 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया है।

प्रारूप लेखापरीक्षा विधेयक

1024. **श्री सुशील कुमार सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने एक वृहत प्रारूप लेखापरीक्षा विधेयक रोका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रारूप पूरा किए हुए कितना समय हो चुका है;

(ग) इस विधेयक में समाहित मुख्य उपबन्ध क्या हैं;

(घ) इस विधेयक को स्वीकृति के लिए संसद में प्रस्तुत करने में हो रहे अत्याधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने हेतु क्या समय-सीमा तय की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ङ) जी नहीं। मौजूदा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 को एक नए कानून जिसका शीर्षक है, ''सार्वजनिक धन की लेखा परीक्षा और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2010'' द्वारा प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से एक संशोधित प्रारूप विधेयक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा जून, 2010 में अग्रेषित किया गया है।

प्रारूप विधेयक के मुख्य खंडों में अन्य बातों के साथ-साथ परिवर्तित ढांचे और अभिशान की प्रक्रियाएं और राजकोष से बहिर्प्रवाहों की पद्धति, रिकार्डों और सूचना तक पहुंच के लिए अपेक्षित प्रवर्तन शक्तियां और संसद/राज्य विधानमंडलों में लेखापरीक्षा रिपोर्टों का समय पर प्रस्तुत किया जाना जैसे संबंधित मुद्दों के निपटान की मांग की गई है।

प्रारूप विधेयक में किए जाने वाले प्रस्ताव अभिशासन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हैं, अत: संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श की प्रक्रिया आरंभ की गई है और इसके पूरा हो जाने पर विधेयक के संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

इको-पर्यटन

1025. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :**
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में इको-पर्यटन के विकास हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी केन्द्रीय वित्तीय सहायता का राज्य-वार, परियोजना-वार ब्यौरा है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कई राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार, परियोजना-वार कितनी धनराशि अनुपयुक्त रही; और

(घ) देश में इको-पर्यटन का उचित विकास सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (घ) इको-पर्यटन सहित, पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियों की

उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनके साथ परामर्श करके अभिनिर्धारित परियोजना प्रस्तावों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर समीक्षा बैठकों और स्थल पर दौरों के द्वारा प्रगति को मानीटर करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उपयोग प्रमाण-पत्र, समापन प्रमाण-पत्र और प्रबंधन करार की प्राप्ति के बाद अंतिम किश्त जारी की जाती है। इको-पर्यटन की सतत तरीके से वृद्धि के बारे में स्टेकहोल्डरों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सुविज्ञ बनाने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने ''टाइगर्स अवर नेशनल ब्यूटीज'' और भारत के लिए सतत पर्यटन मानदंड पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने जैसी पहलें की हैं।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08, 2008-09, 2009-10 और 30 जून, 2010 तक) के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	31	146.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	41	111.21
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
4.	असम	15	44.55
5.	बिहार	15	39.23
6.	चंडीगढ़	14	27.82
7.	छत्तीसगढ़	6	24.27
8.	दादरा और नगर हवेली	3	0.24
9.	दमन और दीव	1	0.12
10.	दिल्ली	20	72.16
11.	गोवा	3	48.14
12.	गुजरात	12	34.30
13.	हरियाणा	24	59.72
14.	हिमाचल प्रदेश	28	76.78
15.	जम्मू और कश्मीर	93	159.52
16.	झारखंड	10	11.55
17.	केरल	30	12745
18.	कर्नाटक	22	105.20
19.	लक्षद्वीप	1	7.82
20.	महाराष्ट्र	11	58.90
21.	मणिपुर	25	73.44
22.	मेघालय	15	33.86
23.	मिजोरम	18	44.53
24.	मध्य प्रदेश	39	125.43
25.	नागालैंड	48	72.65
26.	उड़ीसा	30	99.69
27.	पुदुचेरी	13	24.21
28.	पंजाब	7	33.13
29.	राजस्थान	20	91.71
30.	सिक्किम	72	162.15

1	2	3	4
31.	तमिलनाडु	38	116.53
32.	त्रिपुरा	32	35.93
33.	उत्तर प्रदेश	22	75.79
34.	उत्तराखंड	8	66.04
35.	पश्चिम बंगाल	29	94.48
	कुल योग	796	2305.02

[हिन्दी]

तम्बाकू का बढ़ता उपयोग

1026. कुमारी मीनाक्षी नटराजन :
डॉ. किरोडी लाल मीणा :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 50 लाख लोग तम्बाकू के सेवन से मर जाते है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तम्बाकू, मद्य और धूम्रपान के सेवन से हुई मृत्यु का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" की पूर्व संध्या पर सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार जारी की गई/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने सार्वजनिक/कार्य स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में सार्वजनिक/कार्य स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध के कड़े अनुपालन हेतु विद्यमान निगरानी तंत्र क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) जी हां। व्यापक तम्बाकू स्थानिक मारी, 2009 पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में प्रतिवर्ष पांच मिलियन से अधिक लोग तम्बाकू के सेवन के कारण मर जाते हैं।

(ख) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) भारत में तम्बाकू नियंत्रण की रिपोर्ट के अनुसार तम्बाकू से होने वाले रोगों के कारण प्रतिवर्ष लगभग 8-9 लाख लोग मर जाते हैं। तम्बाकू के उपयोग से देश में मुख्यत: कार्डियोवेस्कूलर और फेफड़े संबंधी रोग होते हैं। आईसीएमआर के अनुसार पुरुषों में 50 प्रतिशत कैंसर और महिलाओं में 25 प्रतिशत कैंसर तम्बाकू के उपयोग के कारण होता है।

इस वर्ष "विश्व तम्बाकू रहित दिवस" की पूर्व संध्या पर भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से निम्नलिखित कार्यकलापों को सहायता दी गई थी:-

(i) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में "तम्बाकू एवं लिंग" पर एक राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी सह पैनल चर्चा आयोजित की गई थी (1.79 लाख रुपये)।

(ii) मुम्बई में एक जागरूकता अभियान के लिए कैंसर पेटेन्ट एड एसोशिएशन, मुम्बई को 2.5 लाख रुपये प्रदान किये गए।

(iii) जागरूकता सृजन कार्यकलापों के लिए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूवनंतपुरम, केरल को एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।

(ङ) और (च) जीएसआर संख्या 417 (ई) दिनांक 30.5.2008 के तहत अधिसूचित संशोधित धूम्र रहित नियम, 2008 तम्बाकू धूम्रपान के दुष्प्रभावों से धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों को बचाने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के निषेध का प्रावधान है। उक्त नियम की समीक्षा करने के पश्चात् जीएसआर संख्या 680 (ई) दिनांक 15.9.09 की अधिसूचना के तहत दोषियों/उल्लंघनकर्त्ताओं के

विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कुछ और अधिकारियों/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया हैं।

(छ) जीएसआर संख्या 417 (ई) दिनांक 30.5.2008 और जीएसआर संख्या 680 (ई) दिनांक 15.9.09 के तहत अधिसूचित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 की अनुसूची-III के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के निषेध के संबंध में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार एवं वाणिज्य का विनियमन, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 की धारा 4 का उल्लंघन करने के विरुद्ध जुर्माना लगाने और उसे वसूलने के लिए व्यक्तियों/अधिकारियों की सूची को अधिसूचित किया गया है।

इस नियम का कोई भी उल्लंघन 200 रुपये के जुर्माने के साथ एक दंडात्मक अपराध है।

उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए राज्य सरकार मुख्य रूप से उत्तरदायी है राज्यों को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार एवं वाणिज्य का विनियमन, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 के तहत विभिन्न प्रावधानों के संबंध में उल्लंघनों को सूचित करने वाली एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

इस विधि के प्रभावशाली क्रियान्वयन और निगरानी के लिए उल्लंघनों की सूचना देने हेतु सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन (विज्ञापन और व्यापार एवं वाणिज्य का विनियमन, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 के तहत एक टॉल फ्री हेल्प लाईन संख्या (1800 110 456) स्थापित की गई है।

[अनुवाद]

अनिवासी जमा से फिक्स्ड करैंसी की धोखे से निकासी

1027. श्री नीरज शेखर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर गोवा में आवास विकास वित्त कापोरेशन बैंक से फिक्स्ड करैंसी अनिवासी जमा की धोखे से निकासी/हस्तांतरण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस लापरवाही के दोषी बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को पीड़ित अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से इन मामलों के निपटान हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) अनिवासी भारतीयों को फिक्स्ड जमा की उक्त राशि को वापस लौटाना सुनिश्चित करने तथा अनिवासी भारतीयों की परिश्रम की कमाई के ऐसे दुर्विनियोजन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि उसे देश में स्थायी मुद्रा अनिवासी जमारशियों के कपटपूर्ण आहरण/अंतरण के संबंध में विशेष रूप से गोवा में एचडीएफसी बैंक से कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, विगत पांच वर्षों में उसे ''अनिवासी खातों'' के संबंध में 80 धोखाधड़ी मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से 9.07 करोड़ रुपये की कुल राशि अंतर्ग्रस्त थी। इन 80 मामलों में से, कुल 39.30 लाख रुपये की राशि के पांच मामलों की सूचना एचडीएफसी बैंक द्वारा दी गई है। एचडीएफसी बैंक द्वारा सूचित किए गए इन पांच मामलों में से श्री सुंदर सी. रामचंदानी के नाम में 4.87 लाख रुपये के एक मामले की सूचना पंजिम शाखा, गोवा में दी गई थी। एचडीएफसी बैंक द्वारा यह मामला भूतपूर्व सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब से लिया गया था। दो स्टॉफ सदस्यों के विरुद्ध उनकी चूकों के लिए चेतावनी आदेश जारी किए गए थे तथा अन्य चार धोखाधड़ी के मामलों में स्टॉफ की तरफ कोई कार्रवाई सूचित नहीं की गयी थी।

बैंक की, सामान्यत:, देश में स्थायी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों के कपटपूर्ण आहरण/अंतरण की शिकायतों सहित असंतुष्ट अधारकर्ताओं से प्राप्त किसी प्रकार की वास्तविक शिकायत को दूर करने के लिए एक सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली है।

ऋणों हेतु बैंकों को दिशानिर्देश

1028. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा ऋणों के उपबंध से संबंधित कौन से दिशानिर्देश प्रचलन में है;

(ख) क्या वरीयता क्षेत्र को हाल ही में पुन:परिभाषित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन दिशानिर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40% अथवा तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देनी अपेक्षित है। इसी प्रकार कृषि एवं कमजोर वर्गों के लिए इन बैंकों का लक्ष्य उनके एएनबीसी का क्रमश: 18% एवं 10% अथवा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, है। विदेशी बैंकों के लिए समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य एएनबीसी का 32% अथवा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, है। इस लक्ष्य के अंतर्गत, एमएसई एवं निर्यात क्षेत्र को की उधार का लक्ष्य क्रमश: 10% एवं 12% है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक कार्यदल की सिफारिशों पर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को, उधार के संबंध में दिशा-निर्देशों का आशोधन 30 अप्रैल, 2007 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, लक्ष्य एवं उपलक्ष्य, आदि से युक्त खंडों सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के संबंध में विद्यमान नीति की जांच करने, समीक्षा करने एवं इसमें परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी आशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भाग के रूप में केवल उन क्षेत्रों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था, जो जनसंख्या के अधिकांश वर्गों, कमजोर वर्गों तथा उन क्षेत्रों को प्रभावित करते है जो रोजगार जनित है जैसे: कृषि, एवं अतिसूक्ष्म तथा लघु उद्यम। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वित्त), लघु उद्यम (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वित्त), व्यष्टि ऋण, शिक्षा ऋण, आवास ऋण शामिल है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अधिदेशित लक्ष्य/उपलक्ष्यों के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करते है, बैंकों को नियमित आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को विवरणियां भेजना अपेक्षित है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा जिला/राज्य स्तर पर अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत स्थापित जिला स्तरीय परामर्शी समिति (डीएलसीसी), जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) तथा राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की तिमाही बैठकों में की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित, इन बैंकों को अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य को उधार में कमी की राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में परिचालित ग्रामीण आधारिक विकास निधि एवं अन्य निधियों में आबंटित करना भी अपेक्षित है।

[हिन्दी]

नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का विकास

1029. श्री अशोक कुमार रावत :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही योजनाओं को योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को कहां तक स्त्रोत-वार अब तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) उपरोक्त उक्त अवधि के दौरान ऊर्जा के इन स्त्रोतों के विकास हेतु सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ऊर्जा के इन स्त्रोतों के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) देश में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए मंत्रालय की कई संवर्धनात्मक स्कीमें/कार्यक्रम हैं। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) 11वीं योजना अवधि के दौरान 12,229 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता के संयोजन का लक्ष्य रखा गया है जिसकी तुलना में दिनांक 30.06.2010 तक प्रथम तीन

वर्षों और तीन माह की अवधि के दौरान लगभग 6917 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता का संयोजन किया गया है। लक्ष्यों और उपलब्धियों के स्त्रोतवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) 11वीं योजना अवधि के दौरान अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के विकास और संस्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 4000 करोड़ रु. का परिव्यय आवंटित किया गया है।

(घ) सरकार ने देश भर में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास और संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं और उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन जैसे पूंजी/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद एवं सीमा शुल्क।
- राष्ट्रीय बिजली नीति 2005 और राष्ट्रीय शुल्क दर नीति 2006 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसरण में अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शूल्क दर।
- स्थानीय कारकों पर निर्भर करते हुए अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से बिजली की खरीद के लिए एक न्यूनतम प्रतिशतता का निर्धारण करने हेतु सभी राज्यों को बिजली अधिनियम 2003 के अंतर्गत दिशा-निर्देश।
- ऐसी अधिमान्य शुल्क दरों के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा नियामक दिशा-निर्देश।
- त्वरित मूल्यह्रास का लाभ प्राप्त न करने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पवन विद्युत हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम।
- सौर ऊर्जा प्रणालियों, सौर प्रकाशवोल्टीय और साथ ही सौर तापीय की संस्थापना में तेजी लाने के लिए अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन आरंभ किया गया है जिसमें मार्च, 2013 तक प्रथम चरण के लिए 1100 मेगावाट के ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्रों, 200 मेगावाट के समतुल्य ऑफ-ग्रिड और अनुप्रयोगों और 7 मिलियन वर्गमीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र का अनुमोदित लक्ष्य शामिल है।

अन्य किए गए उपायों में क्षेत्र-विशिष्ट सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता और अक्षय ऊर्जा की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार और जनजागरूकता का सृजन करना शामिल है।

विवरण-I

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समर्थित स्कीमों/कार्यक्रमों के विवरण

1. **ग्रिड-इंटरएक्टिव/ऑफ-ग्रिड अक्षय विद्युत :**
   - **पवन विद्युत :** मेगावाट पैमाने के पवन फार्म/एरोजनरेटर/हाइब्रिड प्रणालियां
   - **बायो-विद्युत :** बायोमास विद्युत/सहउत्पादन
   - **लघु पनबिजली :** 25 मेगावाट क्षमता तक के लघु पनबिजली संयंत्र; पन चक्कियां/माइक्रो हाइडल संयंत्र
   - **सौर विद्युत :** ग्रिड-इंटरएक्टिव-सौर तापीय और सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, और राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु ऑफ-ग्रिड/विकेन्द्रित प्रणालियां
2. **ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा :**
   - **दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम :** अविद्युतीकृत दूरस्थ गांवों/बस्तियों में रोशनी/बिजली का प्रावधान
   - **ग्रामीण ऊर्जा/औद्योगिक ऊर्जा हेतु बायोमास गैसीफायर**
   - **बायोगैस कार्यक्रम :** खाना पकाने/रोशनी/खाद/लघु पैमाने पर विद्युत उत्पादन हेतु पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना
   - **सौर तापीय प्रणालियां :** राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत विकेन्द्रित सौर तापीय प्रणालियों/युक्तियों की संस्थापना (मुख्यतया खाना पकाने और कृषि उत्पादों को सुखाने के लिए और कुकर/ड्रायर)
3. **शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा**
   - बायोमास (गैर-खोई) सहउत्पादन/शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा

- **सौर जल तापन प्रणालियां :** राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत घरेलू, संस्थागत, वाणिज्यिक/औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए।
- **सौर वायु तापन/स्टीम उत्पादन प्रणालियां** - राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत संस्थाओं और उद्योग में सामुदायिक कुकिंग/अन्य अनुप्रयोगों हेतु।
- **हरित भवन :** सक्रिय अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और पैसिव डिजाइनों को शामिल करना।
- **सौर शहर :** ऊर्जा संरक्षण और अक्षय ऊर्जा युक्तियों/ प्रणालियों के प्रयोग के माध्यम से उनकी पारंपरिक ऊर्जा की खपत में कमी लाने की योजना।

4. **अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास :**

- नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिष्ठित संस्थाओं और उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता देना।

विवरण-II

11वीं योजना अवधि में ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता संयोजन के निर्धारित लक्ष्यों और दिनांक 30.6.2010 तक प्रथम 3 वर्षों और 3 माह के दौरान उपलब्धियों के विवरण

कार्यक्रम	11वीं योजना लक्ष्य (मेगावाट)	11वीं योजना के प्रथम 3 वर्षों और 3 माह के दौरान उपलब्धियां (30.6.2010 तक) (मेगावाट)
1	2	3
पवन विद्युत	9,000	4916.73
लघु पनबिजली	1,400	790.59
बायोमास विद्युत	500	376.30
खोई सहउत्पादन	1,200	795.70
सौर विद्युत	50	6.72
शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा	79	22.88
कुल	12,229	6917.17

[अनुवाद]

आरबीआई के कार्य

1030. श्री मनीष तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में सुधार के प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या आज की अर्थव्यवस्था में संसद के विभिन्न अधिनियमों द्वारा आरबीआई को सौंपें गए तथा उसके द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्य एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक विरोधाभास पर सरकार की क्या राय है;

(ङ) क्या विश्व में विभिन्न देशों में ऐसे अन्य कोई केन्द्रीय बैंक हैं जो आरबीआई के समान ही विविध कार्य करते हैं; और

(च) वित्ती स्थिरता बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार आरबीआई को सरकार द्वारा दिए गए अधिदेश का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) जी, नहीं। सुधार संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय बजट भाषण 2010-11 में वित्तीय स्थिरता एवं समष्टि विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण, अंतर, विनियामक समन्वय और वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन से संबंधित कार्य करने के लिए वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् (एफएसडीसी) नामक एजेंसी स्थापित करने की घोषणा की गई है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, ऋण आसूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005, आदि जैसे विभिन्न संविधियों के उपबंधों से निकलते हैं। इन संविधियों से भारतीय रिजर्व बैंक के लिए विभिन्न कार्यों का संपादन करना अनिवार्य हो जाता है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, देश का मौद्रिक प्रबंधन, विदेशी मुद्रा एवं सरकार के घरेलू ऋण का प्रबंधन, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, ऋण सूचना कंपनियों को विनियमन एवं पर्यवेक्षण आदि शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक को ये जिम्मेदारियां सौंपने का उद्देश्य बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सेवाओं के क्रमिक विकास हेतु समन्वित दृष्टिकोण रखना, देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समकालिक विकास एवं रख-रखाव को बढ़ावा देना और बाह्य व्यवहार एवं भुगतानों को सुकर बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रत्येक देश में केन्द्रीयबैंकों की भूमिका विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में विकसित की जाती हैं। कई कार्यों में अंतर्निहित स्वाभाविक सहक्रियाओं से भारतीय रिजर्व बैंक को देश के लाभ के लिए कीमत स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिलती है।

विकास, मुद्रा स्फीति एवं वित्तीय स्थिरता से संबंधित उत्पन्न घटनाओं एवं चुनौतियों के आधार पर प्रत्येक उद्देश्य को दिए जाने वाला महत्व बदलता रहता है। इन उद्देश्यों के बीच विभिन्न समयों पद उद्दश्यों की प्राथमिकता के जरिए कुछ अवसरों पर तालमेल की गुंजाइश को देखते हुए रिजर्व बैंक विविध उद्देश्यों में योगदान करने का प्रयास करता हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक पर लागू विविध जिम्मेदारियों में हितों का कोई टकराव नहीं है। वस्तुतः विविध कार्यों में अंतर्निहित सहक्रिया से भारतीय रिजर्व बैंक को अधिनियम में दिए गए अनुसार कीमत स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और "देश के हित के लिए उसकी मुद्रा एवं ऋण-व्यवस्था संचालन" के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करके अंतर्निहित लाभ मिलता है। तथापि, जब कभी हितों में टकराव का ऐसा कोई मुद्दा सामने आता है तब व्यवस्था की तैयारी की स्थिति पर निर्भर करते हुए टकराव को दूर करने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जाते है।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय रूप से, प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंकों की भूमिका विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में विकसित की जाती है, परन्तु कई सेन्ट्रल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की तरह विविध कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ फेडरेल रिजर्व इन युनाइटेड स्टेट्स बहुउदेशीय ढांचे के तहत कार्य करता है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्र की मौद्रिक नीति का संचालन करने, बैकिंग संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं विनियमन करने, वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय बाजारों से उत्पन्न होने वाले प्रणालीगत जोखिम को नियंत्रित रखने तथा राष्ट्र की भुगतान व्यवस्था का परिचालन करने आदि का कार्य शामिल है।

(च) व्यापक वित्तीय स्थिरता की समष्टिगत नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य के रूप में पहचान की जा रही है और प्रणालीगत विनियामक के रूप में केन्द्रीय बैंकों को इस संबंध में अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की विविध भूमिकाएं उसे पहले ही वित्तीय स्थिरता के लिए स्पष्ट अधिदेश प्रदान करती हैं।

पर्यावरण अनुकूल शहरी परिवहन

1031. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकासशील पर्यावरण अनुकूल शहरी परिवहन में निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनाशि का निर्धारण किया गया हैं; और

(ग) इस योजना हेतु सरकार के अतिरिक्त अन्य निवेशक कौन से हैं तथा इनके तौर-तरीके क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006 बनाई है जिसमें निजी परिवहन प्रणाली की तुलना में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन में निवेश करने को बढावा देने पर जोर दिया गया। इस संबंध में आगे आयोजना तैयार करना राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों का दायित्व है, क्योंकि शहरी परिवहन विषय शहरी विकास से जुडा हुआ है जोकि मूलतः राज्य का विषय है।

(ख) और (ग) भारत सरकार राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) के अनुरुप सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, इसलिए पर्यावरण अनुकूल शहरी परिवहन हेतु केन्द्र सरकार की अलग से कोई स्कीम नहीं है।

[हिन्दी]

कृषकों को ऋण

1032. **श्री धनश्याम अनुरागी :**
श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषकों को राज्य-वार और बैंक-वार संवितरित कुल और औसत ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रकार के ऋण संवितरण में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विरुद्ध कतिपय कथित अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की रिपोर्ट मिली है अथवा सरकार को इसकी जानकारी मिली है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष का उत्तर प्रदेश सहित बैंक-वार तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा बैंकों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) आज की तारीख के अनुसार आंध्र प्रदेश सहित राज्यों में कृषकों पर बकाया कुल तथा औसत ऋण का बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषकों पर दस हजार तक के बकाया ऋण को माफ करने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को संवितरित कुल और औसत ऋण का ब्यौरा सूचित किया हैं, जो निम्नानुसार है:

एजेंसी का नाम	2007-08	2008-09	2009-10 (अनंतिम)	2010-11 (अप्रैल 2010 तक)
वाणिज्यिक बैंक	18108761	22895131	27496268	1419021
सहकारी बैंक	4825819	4619181	5749992	792667
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2531165	2676468	3445622	346605
कुल	25465745	30190780	36691882	2558293
वित्तपोषित कृषि ऋण लेखों की संख्या (लाख)	439.34	456.10	482.30	35.23
संवितरति औसत ऋण (राशि रुपए में)	57,964	66,193	76,076	72,617

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (अप्रैल 2010 तक) के दौरान कृषि और संबंद्ध गतिविधियों के तहत राज्यवार, एजेंसीवार संवितरण क्रमश: सलंग्न विवरण-I, II, III, IV में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों को जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक के मुख्यालय को भेज दिया जाता है। यथा अपेक्षित सूचना को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) दिनांक (31 मार्च 2010-अनंतिम) को कुल और औसत बकाया कृषि ऋण के राज्य-वार और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-वार ब्यौरा (आन्ध्र प्रदेश सहित) संलग्न विवरण-V पर दिया गया है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंकों के संबंध में कुल बकाया ऋणों के राज्यवार ब्यौरे (आंध्र प्रदेश सहित) संलग्न विवरण-VI और VII में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) फिलहाल सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 2007-2008 के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के अन्तर्गत राज्य-वार/ एजेन्सी वार जी एल सी संवितरण

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य (संघ शासित क्षेत्र)	सरकारी क्षेत्र के सरकारी बैंक*	गैर-सरकारी क्षेत्र के सी बी*	कुल सहकारी बैंक*	सहकारी बैंक#	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक#	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	248671	31336	280007	0	0	280007
2.	नई दिल्ली	907471	470891	1378362	75	0	1378437
3.	हरियाणा	558268	64625	622893	581384	139936	1344213
4.	हिमाचल प्रदेश	90728	17620	108348	27233	11836	147417
5.	जम्मू और कश्मीर	9619	19956	29575	4085	5581	39241
6.	पंजाब	1347021	173485	1520506	800229	93912	2414647
7.	राजस्थान	528425	119555	647980	353687	222371	1224038
	उत्तरी क्षेत्र	3690203	897468	4587671	1766693	473636	6828000
8.	अरुणाचल प्रदेश	1931	0	1931	0	213	2144
9.	असम	50749	2470	53219	1451	10602	65272
10.	मणिपुर	4418	200	4618	208	6	4832
11.	मेघालय	2303	230	2533	385	1157	4075
12.	मिजोरम	1985	8	1993	500	1862	4355
13.	नागालैण्ड	2337	1503	3840	237	24	4101
14.	त्रिपुरा	6218	0	6218	519	2917	9654
15.	सिक्किम	1145	0	1145	220	0	1365
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	71086	4411	75497	3520	16781	95798

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	बिहार	181867	908	182775	35585	95236	313596
17.	झारखण्ड	46614	1194	47808	46	8710	56564
18.	उड़ीसा	203896	20886	224782	162345	51875	439002
19.	पश्चिम बगांल	465622	335397	801019	127522	43798	972339
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	372	3	375	304	0	679
	पूर्वी क्षेत्र	898371	358388	1256759	325802	199619	1782180
21.	मध्य प्रदेश	653548	84010	737558	343624	176720	1257902
22.	छत्तीसगढ़	53818	52577	106395	61321	25025	192741
23.	उत्तर प्रदेश	975375	63627	1039002	257863	481485	1778350
24.	उत्तराखंड	84295	13634	97929	39706	15377	153012
	मध्य क्षेत्र	1767036	213848	1980884	702514	698607	3382005
25.	दादरा और नगर हवेली	224	65	289	38	0	327
26.	दमन और दीव	1040	4	1044	147	0	1191
27.	गुजरात	679146	235399	914545	374500	80495	1369540
28.	गोवा	25051	1069	26120	553	0	26673
29.	महाराष्ट्र	802719	932049	1734768	540335	52297	2327400
	पश्चिमी क्षेत्र	1508180	1168586	2676766	915573	132792	3725131
30.	आंध्र प्रदेश	1776287	476312	2252599	235683	429036	2917318
31.	कर्नाटक	952803	320801	1273604	310026	290093	1873723
32.	केरल	751684	332556	1084240	410274	193126	1687640
33.	लक्षद्वीप	153	0	153	0	0	153

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	पुदुचेरी	21420	8947	30367	2610	0	32977
35.	तमिलनाडू	1884860	936255	2821115	153124	97475	3071714
	दक्षिणी क्षेत्र	5387207	2074871	7462078	1111717	1009730	9583525
	योग	13322083	4717572	18039655	4825819	2531165	25396639
	आरआईडीएफ** (सीबी का योगदान)	478	68628	69106			69106
	कुल योग	13322561	4786200	18108761	4825819	2531165	25465745

**राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नही है। #स्त्रोत नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय *आरपीसीडी, आरवीआई

विवरण-II

वर्ष 2008-2009 के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के अन्तर्गत राज्य-वार/ एजेन्सी वार जी एल सी संवितरण

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य (संघ शसित क्षेत्र)	सरकारी क्षेत्र के सरकारी बैंक	गैर-सरकारी क्षेत्र के सहकारी बैंक	कुल सहकारी बैंक*	एससीबी/ सीसीबी#	एलडीबी#	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	अन्य एजेन्सी	कुल कृषि ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चंडीगढ	364855	90317	455172					455172
2.	नई दिल्ली	1468576	739093	2207669	97				2207766
3.	हरियाणा	723801	176619	900420	413289	30697	147125		1491531
4.	हिमाचल प्रदेश	104420	11479	115899	28586	3277	11893	11775	171430
5.	जम्मू और कश्मीर	12601	31683	44284	2615	43	3947		50889
6.	पंजाब	1267493	382975	1650468	895634	34373	138221		2718696
7.	राजस्थान	555726	241473	797199	277306	18343	243264	2687	1338799
	उत्तरी क्षेत्र	4497472	1673639	6171111	1617527	86733	54450	14462	8434283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	अरुणाचल प्रदेश	2769	0	2769			197		2966
9.	असम	77245	4413	81658	1673		17467		100798
10.	मणिपुर	3450	0	3450	125		9		3584
11.	मेघालय	7996	78	8074	476		1138		9688
12.	मिजोरम	1304	0	1304	393		2073		3770
13.	नागालैण्ड	1004	6	1010	224		84		1318
14.	त्रिपुरा	19432	95	19527	290	61	8035		27913
15.	सिक्किम	945	107	1052	318				1370
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	114145	4699	118844	3499	61	29003	0	151407
16.	बिहार	272169	2111	274280	31658		143824		449762
17.	झारखण्ड	59127	2476	71603			14220		85823
18.	उड़ीसा	287657	55841	343498	142593		52412	1769	540272
19.	पश्चिमी बंगाल	644189	281065	925254	159293	13672	64463	7	1162689
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	864	62	926	224		84		1234
	पूर्वी क्षेत्र	1274006	341555	1615561	333768	13672	275003	1776	2239780
21.	मध्य प्रदेश	744011	167608	911619	251053	7585	172866		1343123
22.	छत्तीसगढ़	81442	23289	104731	59590	1567	28144		194032
23.	उत्तर प्रदेश	1205173	74179	1279352	204949	43893	588367		2116561
24.	उत्तरांचल	90381	31232	121613	41228		12967		175808
	मध्य क्षेत्र	2121007	296308	2417315	556820	53045	802344	0	3829524
25.	दादरा और नगर हवेली	664	41	705					705
26.	दमन और दीव	460	5	465					465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	गुजरात	647331	312122	959453	353590	7090	84762		1404895
28.	गोवा	10920	1446	12366	504			321	13191
29.	महाराष्ट्र	1377159	987707	2364866	405711		35237		2805814
	पश्चिमी क्षेत्र	2036534	1301321	3337855	759805	7090	119999	321	4225070
30.	आंध्र प्रदेश	2264773	690720	2955493	192416		366198		3514107
31.	कर्नाटक	1138948	333711	1472659	290929	20438	228758	1852	2014636
32.	केरल	1028248	650089	1678337	467542	26990	207598	1803	2382270
33.	लक्षद्वीप	92	0	92					92
34.	पुदुचेरी	24553	11944	36497	1648		277		38422
35.	तमिलनाडु	2020054	994862	3014916	163922	656	102838	2406	3284738
	दक्षिणी क्षेत्र	6476668	2681326	9157994	1116457	48084	905669	6061	11234265
	योग	16519832	6298848	22818680	4387876	208685	2676468	22620	30114329
	आरआईडीएफ**		76451	76451					76451
	कुल योग	16519832	6375299	22895131	4387876	208685	2676468	22620	30190780

**राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नही है। स्त्रोत: #नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय *आरपीसीडी, आरवीआई

विवरण-III

वर्ष 2009-2010 (अप्रैल 2009 से मार्च 2010) के दौरान कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के अन्तर्गत सहकारी बैंकों और आर आर बी द्वारा राज्य वार/एजेन्सी वार सतही स्तर पर ऋण संवितरण

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य (संघ शासित क्षेत्र)	एससीबी/ सीसीबी#	एलडीबी#	कुल सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल कृषि ऋण
1	2	3	4	5	6	7
1.	नई दिल्ली#	21		21	0	21

1	2	3	4	5	6	7
2.	हरियाणा#	979721	32659	1012380	195190	1207570
3.	हिमाचल प्रदेश	31848	3858	35706	15373	51079
4.	जम्मू और कश्मीर#	916		916	3770	4686
5.	पंजाब#	725942	29290	755232	178602	933834
6.	उत्तर प्रदेश	256420	60980	317400	669599	986999
7.	उत्तराखण्ड	43130	0	43130	11932	55062
	उत्तरी क्षेत्र	2037998	126787	2164785	1074466	3239251
8.	अरुणाचल प्रदेश#	20		20	105	125
9.	असम	2759		2759	15773	18532
10.	मणिपुर##	0		0	0	0
11.	मेघालय#	210		210	511	721
12.	मिजोरम#	95		95	26	121
13.	नागालैण्ड#	393		393	87	480
14.	त्रिपुरा	423	80	503	6703	7206
15.	सिक्किम	167		167	0	167
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	4067	80	4147	23205	27352
16.	बिहार	19701	0	19701	120544	140245
17.	छत्तीसगढ़	171279	3033	174312	164502	338814
18.	झारखंड	0	0	0	10116	10116
19.	उड़ीसा	278635	0	278635	63263	341898
20.	पश्चिमी बंगाल	88498	13452	101950	74069	176019
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	272	0	272	0	272
	पूर्वी-क्षेत्र	558385	16485	574870	432494	1007364

1	2	3	4	5	6	7
22.	गुजरात	414277	3239	417516	97434	514950
23.	गोवा#	408		408		408
24.	मध्य प्रदेश	235190	371	235561	88514	324075
25.	महाराष्ट्र	768220		768220	69393	837613
26.	राजस्थान	344606	28072	372678	321945	694623
	पश्चिमी क्षेत्र	1762701	31682	1794383	577286	2371669
27.	आन्ध्र प्रदेश	428174		428174	458843	887017
28.	कर्नाटक	336477	12004	348481	383520	732001
29.	केरल	169217	19625	188842	303450	492292
30.	पुदुचेरी	926	1	927	3876	4803
31.	तमिलनाडु	245089	294	245383	188482	433865
	दक्षिणी क्षेत्र	1179883	31924	1211807	1338171	2549978
	योग	5543034	206958	5749992	3445622	9195614
	वाणिज्यिक बैंक*					27496268
	कुल योग	5543034	206958	5749992	3445622	36691882

#अप्रैल से मार्च 2010 माह के आंकडे प्राप्त नही हुए है।

##भारतीय बैंक संघ (राज्य वार आंकडे अनुपलब्ध)

*मार्च 2010 माह के आकंडे प्राप्त नही हुए है। इसलिए सूचित आंकडे फरवरी 2010 के है।

विवरण-IV

अप्रैल 2010 तक कृषि एवं संबंध कार्यकलापों के अन्तर्गत राज्यवार/एजेन्सी वार जीएलसी संवितरण

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य (संघ शासित क्षेत्र)	एससीबी/ सीसीबी#	एलडीबी#	कुल सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल कृषि ऋण
1	2	3	4	5	6	7
1.	नई दिल्ली	0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2.	हरियाणा	101731	3084	104815	49204	154019
3.	हिमाचल प्रदेश	3053	368	3421	652	4073
4.	जम्मू और कश्मीर#	0		0	0	0
5.	पंजाब	175352	3849	179201	40738	219939
6.	राजस्थान	38613	578	39191	46361	85552
	उत्तरी क्षेत्र	318749	7879	326628	136955	463583
7.	अरूणाचल प्रदेश	0		0	0	0
8.	असम	95		95	507	602
9.	मणिपुर#	0		0	0	0
10.	मेघालय#	0		0	0	0
11.	मिजोरम#	0		0	0	0
12.	नागालैंड	14	0	14	0	14
13.	त्रिपुरा#	0	0	0	0	0
14.	सिक्किम#	0		0		0
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	109	0	109	507	616
15.	बिहार	0		0	1234	1234
16.	झारखण्ड	0	0	0	209	209
17.	उड़ीसा	31429	0	31429	13237	44666
18.	पश्चिमी बगांल	526	0	526	1204	1730
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18	0	18	0	18
	पूर्वी क्षेत्र	31973	0	31973	15884	47857
20.	मध्य प्रदेश#			0	0	0
21.	छत्तीसगढ़	13512	18	13530	1351	14881
22.	उत्तर प्रदेश#	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
23.	उत्तराखण्ड	3584	0	3584	932	4516
	मध्य क्षेत्र	17096	18	17114	2283	19397
24.	गुजरात	205563	42	205605	26748	232353
25.	गोवा#		0	0	0	0
26.	महाराष्ट्र	75907	0	75907	1391	77298
	पश्चिमी क्षेत्र	281470	42	281512	28139	309651
27.	आंध्र प्रदेश	153	0	153	19756	19909
28.	कर्नाटक	111895	1404	113299	101408	214707
29.	केरल	10236	206	10442	25774	36216
30.	पुदुचेरी	39	0	39	470	509
31.	तमिलनाडु	11398	0	11398	15429	26827
	दक्षिणी क्षेत्र	133721	1610	135331	162837	298168
	योग	783118	9549	792667	346605	1139272
	वाणिज्यिक बैंक*					1419021
	सकल योग	783118	9549	792667	346605	2558293

#माह अप्रैल 2010 के लिए आंकड़े उपलब्ध नही है।

*भारतीय बैंक संघ

विवरण-V

31 मार्च, 2010 (अन्तिम) की स्थिति के अनुसार कृषि ऋण बकाया तथा औसत ऋण बकाया का आरआरबी तथा राज्य का ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र. सं.	आरआरबी का नाम	राज्य	प्रायोजक बैंक	कुल कृषि ऋण खातों की संख्या	राशि	औसत ऋण बकाया
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश ग्रा. बैंक	आन्ध्र प्रदेश	एसबीआई	593860	160891.00	0.27

1	2	3	4	5	6	7
2.	आन्ध्र प्रगति ग्रा. बैंक	आन्ध्र प्रदेश	सिंडीकेट बैंक	542527	199668.00	0.37
3.	चेतन्य गोदावरी ग्रा. बैंक	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्रा बैंक	86029	33731.92	0.39
4.	डक्कन ग्रा. बैंक	आन्ध्र प्रदेश	एस बी एच	249640	62455.00	0.25
5.	सप्तगिरी ग्रा. बैंक	आन्ध्र प्रदेश	इंण्डियन बैंक	165949	62655.55	0.38
6.	अरुणाचल प्रदेश ग्रा. बैंक	आन्ध्र प्रदेश	एसबीआई	2479	475.02	0.19
7.	असम ग्रा. बैंक	असम	यूबीआई	145118	38244.05	0.26
8.	लांगपी देहाती ग्रा. बैंक	असम	एसबीआई	12179	2721.13	0.22
9.	बिहार क्षे. ग्रा. बैंक	बिहार	यूको बैंक	105476	20311.53	0.19
10.	मध्य बिहार ग्रा. बैंक	बिहार	पीएनबी	320320	117531.00	0.37
11.	समस्तीपुर ग्रा. बैंक	बिहार	एसबीआई	47954	10039.00	0.21
12.	उत्तर प्रदेश ग्रा. बैंक	बिहार	सैन्ट्रल बैंक	610611	148957.00	0.24
13.	छत्तीसगढ़ ग्रा. बैंक	छत्तीसगढ़	एसबीआई	102360	31225.58	0.31
14.	दुर्ग राजनदगांव ग्रा. बैंक	छत्तीसगढ़	देना बैंक	36283	12843.28	0.35
15.	सरगुजा ग्रा. बैंक	छत्तीसगढ़	सैन्ट्रल बैंक	37607	9645.00	0.26
16.	बड़ौदा गुजरात ग्रा. बैंक	गुजरात	बैंक ऑफ बडौदा	59802	22667.35	0.38
17.	देना गुजरात ग्रा. बैंक	गुजरात	देना बैंक	83156	49468.11	0.59
18.	सौराष्ट्र ग्रा. बैंक	गुजरात	एसबीआई	124464	56926.87	0.46
19.	गुड़गांव ग्रा. बैंक	हरियाणा	सिंडीकेट बैंक	89183	86387.97	0.97
20.	हरियाणा ग्रा. बैंक	हरियाणा	पीएनबी	133882	149001.00	1.11
21.	हिमाचल ग्रा. बैंक	हिमाचल प्रदेश	पीएनबी	38627	14493.00	0.38
22.	पर्वतीय ग्रा. बैंक	हिमाचल प्रदेश	एसबीआई	7620	2468.06	0.32
23.	इलाकाई देहाती बैंक	जम्मू-कश्मीर	एसबीआई	15158	2503.00	0.17

1	2	3	4	5	6	7
24.	कश्मीर ग्रा. बैंक	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर बैंक	15850	8996.00	0.57
25.	झारखण्ड ग्रा. बैंक	झारखंड	बैंक ऑफ इंडिया	73080	10909.27	0.15
26.	वनाचंल ग्रा. बैंक	झारखंड	एसबीआई	168165	16513.98	0.10
27.	कावेरी कल्पतरु ग्रा. बैंक	कर्नाटक	एसबी ऑफ मैसूर	135829	79755.96	0.59
28.	चिकमगलूर कोडागू ग्रा. बैंक	कर्नाटक	कार्पोरेशन बैंक	13686	11162.37	0.82
29.	कर्नाटक विकास ग्रा. बैंक	कर्नाटक	सिडीकेट बैंक	309704	200236.00	0.65
30.	कृष्णा ग्रा. बैंक	कर्नाटक	एसबीआई	224077	67463.56	0.30
31.	प्रगति ग्रा. बैंक	कर्नाटक	केनरा बैंक	391999	294702.00	0.75
32.	विश्वरैय्या ग्रा. बैंक	कर्नाटक	विजया बैंक	21212	8419.03	0.40
33.	नार्थ-मालावार ग्रा. बैंक	केरल	सिडीकेट बैंक	240838	85698.00	0.36
34.	साउथ मालावार ग्रा. बैंक	केरल	केनरा बैंक	522848	125593.00	0.24
35.	झाबुआधर क्षे. ग्रा. बैंक	मध्य प्रदेश	बैंक ऑफ बडौदा	20944	14310.05	0.68
36.	मध्य भारत ग्रा. बैंक	मध्य प्रदेश	एसबीआई	164568	72755.00	0.44
37.	महाकौशल आरआरबी	मध्य प्रदेश	यूको बैंक	6271	4557.21	0.73
38.	नर्मदा मालवा ग्रा बैंक	मध्य प्रदेश	बैंक ऑफ इंण्डिया	108365	89709.13	0.83
39.	रेवा सिद्धि ग्रा. बैंक	मध्य प्रदेश	यूबीआई	14254	8889.09	0.62
40.	सतपुरा नर्मदा क्षे. ग्रा. बैंक	मध्य प्रदेश	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	130842	85803.00	0.66
41.	शारदा ग्रा. बैंक	मध्य प्रदेश	इलाहाबाद बैंक	30804	13029.15	0.42
42.	विदिशा भोपाल आरआरबी	मध्य प्रदेश	एस बी इन्दौर	9745	10148.96	1.04
43.	महाराष्ट्र ग्रा. बैंक	महाराष्ट्र	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	180573	71014.69	0.39
44.	विदर्भा क्षे. ग्राम	महाराष्ट्र	सैन्ट्रल बैंक	83124	22851.18	0.27
45.	वेनगंगा कृष्णा ग्रा. बैंक	महाराष्ट्र	बैंक ऑफ इण्डिया	42485	20642.62	0.49

1	2	3	4	5	6	7
46.	माणिपुर ग्रा. बैंक	मणिपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डियन	2245	260.72	0.12
47.	मेघालय ग्रा. बैंक	मेघालय	एसबीआई	11250	3193.27	0.28
48.	मिजोरम ग्रा. बैंक	मिजोरम	एसबीआई	6415	4369.57	0.68
49.	नागालैण्ड ग्रा. बैंक	नागालैण्ड	एसबीआई	1335	181.39	0.14
50.	बैतरवी ग्रा. बैंक	उड़ीसा	बैंक ऑफ इण्डिया	55215	14724.00	0.27
51.	कलिगा ग्रा. बैंक	उड़ीसा	यूको बैंक	88610	20682.00	.23
52.	नीलाचल ग्रा. बैंक	उड़ीसा	आईओबी	65911	23230.00	0.35
53.	ऋषिकुल्या ग्रा. बैंक	उड़ीसा	आन्ध्रा बैंक	35592	9252.85	0.26
54.	उत्कल ग्रा. बैंक	उड़ीसा	एसबीआई	287094	81919.69	0.29
55.	पुदुवई भारतीयहार ग्रा. बैंक	पुदुचेरी	इण्डियन बैंक	9287	3156.24	0.34
56.	मालवा ग्रा. बैंक	पंजाब	एसवी ऑफ पटियाला	34837	38193.08	1.10
57.	पजांब ग्रा. बैंक	पंजाब	पीएनबी	64931	94196.71	1.45
58.	सतलुज ग्रा. बैंक	पंजाब	पंजाब-सिंध बैंक	9509	9027.00	0.95
59.	बड़ौदा राजस्थान ग्रा. बैंक	राजस्थान	बैक ऑफ बडौदा	121686	80000.10	0.66
60.	हडौती क्षे. ग्रा. बैंक	राजस्थान	सैन्ट्रल बैंक	40034	27076.52	0.68
61.	जयपुर थार ग्रा. बैंक	राजस्थान	यूको बैंक	71129	58115.90	0.82
62.	मेवाड आंचलिक ग्रा. बैंक	राजस्थान	बैंक ऑफ राजस्थान	6304	4074.38	0.65
63.	एम जी बी ग्रा. बैंक	राजस्थान	एसबीबीजे	121537	123728.25	1.02
64.	राजस्थान ग्रा. बैंक	राजस्थान	पीएनबी	142416	89878.00	0.63
65.	पल्लवन ग्रा. बैंक	तमिलनाडु	इण्डियन बैंक	88085	35793.04	0.41
66.	पाड़यंन ग्रा. बैंक	तमिलनाडु	आईओबी	438200	104626.00	0.24
67.	त्रिपुरा ग्रा. बैंक	त्रिपुरा	यूनियन बैंक	105001	15143.13	0.14

1	2	3	4	5	6	7
68.	इलाहाबाद ग्रा. बैंक	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद बैंक	484239	204705.72	0.42
69.	आर्यावर्त ग्रा. बैंक	उत्तर प्रदेश	बैंक ऑफ इण्डिया	363918	103591.02	0.28
70.	बलिया-इटावा ग्रा. बैंक	उत्तर प्रदेश	सेन्ट्रल बैंक	109232	28918.00	0.26
71.	बड़ौदा यू.पी. ग्रा. बैंक	उत्तर प्रदेश	बैंक ऑफ बड़ौदा	468888	141427.57	0.30
72.	काशी गोमती सयुंक्त ग्रा. बैंक	उत्तर प्रदेश	यूनियन बैंक	153482	51751.00	0.34
73.	क्षे. किसान ग्रा. बैंक	उत्तर प्रदेश	यूपीसीबी	35670	13859.79	0.39
74.	प्रथमा बैंक	उत्तर प्रदेश	सिंडीकेट बैंक	267702	139846.00	0.52
75.	पूर्वांचल ग्रा. बैंक	उत्तर प्रदेश	एसबीआई	280426	74558.00	0.27
76.	सर्वा यूपी ग्रा. बैंक	उत्तर प्रदेश	पीएनबी	256057	107096.33	0.42
77.	श्रेयास ग्रा. बैंक	उत्तर प्रदेश	केनरा बैंक	228615	123008.01	0.54
78.	नैनीताल अल्मोडा ग्रा. बैंक	उत्तराखंड	बैंक ऑफ बडौदा	14883	11082.91	0.74
79.	उत्तराचल ग्रा. बैंक	उत्तराखंड	एसबीआई	31043	6845.61	0.22
80.	बांगिदा ग्रा. बैंक	पश्चिम बंगाल	यूनियन बैंक	298349	85682.00	0.29
81.	पश्चिम बगां ग्रा. बैंक	पश्चिम बंगाल	यूको बैंक	89755	17070.00	0.19
82.	उत्तरबंगा क्षे. ग्रा. बैंक	पश्चिम बंगाल	सेन्ट्रल बैंक	86815	14015.00	0.16
	सकल भारत योग			11495244	4582927.57	0.40

विवरण-VI

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शसित क्षेत्र	ऋण बकाया (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)					
		एससीबी			(डीसीसीबी)		
		2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8601	10696	11925	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आन्ध्र प्रदेश	606454	597338	470398	802184	818986	607081
3.	अरुणाचल प्रदेश	14040	13152	12045	*	*	*
4.	असम	26693	28894	31175	*	*	*
5.	बिहार	62830	62830	62830	62411	62411	62411
6.	चंडीगढ़	2116	5082	5248	*	*	*
7.	छत्तीसगढ़	14543	35214	37355	81491	92693	95594
8.	दिल्ली	26177	32673	32601	*	*	*
9.	गोवा	33149	39287	49464	*	*	*
10.	गुजरात	218863	218620	178658	574789	650529	618579
11.	हरियाणा	291096	312416	279864	517963	568591	554673
12.	हिमाचल प्रदेश	107605	124770	139744	120130	126989	145628
13.	जम्मू और कश्मीर	7866	8772	8792	37629	44691	46620
14.	झारखण्ड				12053	13261	13261
15.	कर्नाटक	223766	280480	349255	480134	518298	600357
16.	केरल	219943	218621	241078	763319	847688	847688
17.	मध्य प्रदेश	209530	245012	229342	452350	526249	542275
18.	महाराष्ट्र	1001038	933100	883146	2242703	2458707	2292767
19.	मणिपुर	9624	12692	14507	*	*	*
20.	मेघालय	14630	19389	20602	*	*	*
21.	मिजोरम	11188	12277	12744	*	*	*
22.	नागालैण्ड	5406	5919	6340	*	*	*
23.	उड़ीसा	193761	200638	198128	312840	331346	383569

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	पुदुचेरी	14818	19692	20874	*	*	*
25.	पंजाब	340391	412303	472936	581549	716381	743308
26.	राजस्थान	205435	225721	172753	349278	429720	395946
27.	सिक्किम	1770	1730	3430	*	*	*
28.	तमिलनाडु	324296	333627	329601	913046	1100939	1241896
29.	त्रिपुरा	12889	13633	15515	*	*	*
30.	उत्तर प्रदेश	308403	362072	325861	413022	481504	462428
31.	उत्तराचल	18571	13479	13839	87813	106056	110362
32.	पश्चिमी बंगाल	197966	220646	217016	210551	250721	255024
	सकल भारत	4733458	5020776	4847066	9015254	10145760	10016467

* राज्य में कोई डीसीसीबी नहीं है।

विवरण-VII

वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान एससीएआरडीबी व पीसीएआरडीबी के पास बकाया ऋण का ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	ऋण बकाया					
		एएसीएआरडीसी			पीसीएआरडीसी		
		2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	1194.96	1115.64	1028.44			
2.	बिहार	9304.46	8605.26	6959.43			
3.	छत्तीसगढ़	21824.99	21110.89	20085.27	19206.14	18467.29	17119.68
4.	गुजरात	61849.85	66459.25	61357.11			

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	हरियाणा	192253.00	170791.00	174367.00	188205.00	162646.00	173179.00
6.	हिमाचल प्रदेश	27459.67	27658.00	26149.18	7664.00	7692.00	7334.00
7.	जम्मू और कश्मीर	1397.26	1184.52	843.02			
8.	कर्नाटक	128630.30	129826.21	133313.21	114156.26	122482.08	123561.03
9.	केरल	180427.52	176916.95	179043.89	182530.42	180585.23	182542.68
10.	मध्य प्रदेश	153930.92	148924.92	123801.25	128948.97	120912.33	100887.57
11.	महाराष्ट्र	130279.80	129473.46	116784.60	95000.49	90454.34	64040.63
12.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00			
13.	उड़ीसा	17856.00	17897.89	11014.99	12080.24	11614.10	3042.38
14.	पुदुचेरी	1250.02	1287.82	1117.04			
15.	पंजाब	210247.00	202344.12	201996.17	223583.02	211966.60	212843.02
16.	राजस्थान	154192.28	154892.72	144672.22	156584.63	156019.15	139251.94
17.	तमिलनाडु	126122.78	102348.17	53527.92	33802.46	31183.52	36394.42
18.	त्रिपुरा	1717.44	1990.38	2116.56			
19.	उत्तर प्रदेश	408370.00	405560.76	296025.84			
20.	पश्चिमी बंगाल	64860.15	70783.20	73671.41	49033.18	62974.99	62748.53
			1839171.16	1627874.55			
	सकल भारत	1893168.40	1839171.16	1627874.55	1210794.81	1176997.53	1122944.88

नोट : कुल बकाया ऋण में किसानों के बकाया ऋण शामिल है:

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण

1033. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री एस. सेम्मलई :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक से उदार वित्तीय सहायता और ऋण की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन हेतु परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूंजीगत निवेश अत्यन्त संसाधन और स्थल विशिष्ट है। संसाधन-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

स्त्रोत	प्रति मेगावाट आवश्यक पूंजीगत निवेश की श्रेणी (करोड़ रु.)
लघु पनबिजली	6.00-7.50
पवन विद्युत	5.50-6.00
बायोमास विद्युत	4.50-5.00
खोई सह-उत्पादन	4.30-5.00
शहरी/औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा	4.00-12.00
सौर विद्युत	15.00-20.00

(ग) और (घ) सरकार ने पूर्व में विश्व बैंक से 930 करोड़ रु. और एशियाई विकास बैक से 440 करोड़ रु. उधार लिए जिन्हें मार्च, 2008 तक पूर्ण रूप से उपयोग किया/चुका दिया गया। तब से अब तक इन संस्थाओं से कोई उधार नहीं लिया गया है।

विभिन्न राज्यों को ऋण का प्रवाह

1034. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ऋण का समान और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में इस संबंध में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के मुख्य कार्यकारियों की एक बैंठक आयोजित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में साम्यपुक्त और निर्बाध ऋण सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पर एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर ये विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। वर्तमान में, सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार देने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के प्रमुख वर्गों में, कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई), सूक्ष्म ऋण, शिक्षा ऋण और 20 लाख रु. तक के आवास ऋण शामिल है।

भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों के लिए निर्यात क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का एक भाग है।

घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) को ऋण देने के लिए (समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्र में न शामिल होने वाले मदों में निवेश, जो भी अधिक हो) के 40% का एक समग्र लक्ष्य तय किया गया है। कृषि और कमजोर वर्गों के लिए भी एएनबीसी क्रमश: 18% और 10% के उपलक्ष्य तय किए गए हैं।

विदेशी बैंकों के लिए, समग्र पीएसएल लक्ष्य एनबीसी का 32% है और एमएसई और निर्यात क्षेत्र को ऋण देने के लिए क्रमश: 10% और 12% के लक्ष्य तय किए गए है।

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत पीएसबी द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, राज्यों के मुख्यमंत्रियों/संघ क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासकों और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों (पीएसबी) के मुख्य कार्यकारियों के साथ क्षेत्रवार बैठकें की है। इन बैंठकों के दौरान पीएसएल के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण प्रवाह, वित्ती समावेशन के अंतर्गत प्रगति, सरकार प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत ऋण देने, ऋण अनुपात इत्यादि की समीक्षा की गयी थी।

बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या और राशि बढ़ाने; सूक्ष्म उद्यमों को ऋण में वृद्धि सुनिश्चित करने; स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) बैंक सहबद्धता, इत्यादि के निर्देश दिए गए है।

इसके अलावा, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मार्च 2012 तक 2000 से अधिक आबादी वाले सभी पर्यावासों में बैंकिंग सुविधाओं

के कवरेज के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के वित्तीय समावेश योजनाओं की कड़ी निगरानी करने की सलाह दी गई है। इसके अंतर्गत यह निगरानी की जाएगी कि ग्रामीण वासों के सभी निवासियों को, बैंक द्वारा अतिरिक्त सुविधा खाते खोलने के लिए शामिल किया जाए और यह एसएलबीसी बैठकों की अध्यक्षता वरिष्ठ स्तर पर हो और कम से कम एक बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाए और एसएलबीसी फोरम का उपयोग सरकार प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त और समय पर ऋण संवितरण सुनिश्चित करने के लिए हों।

[हिन्दी]

कांति और बरोनी ताप विद्युत संयंत्र

1035. डॉ. भोला सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कांति और बरौनी में ताप विद्युत संयंत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) बिहार के कांटी और बरौनी में मुजफ्फरपुर ताप विद्युत संयंत्रों की, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सूचित की गई वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

कांटी बिजली उत्पादन निगम लि. (केबीयूएनएल) का कांटी स्थिति मुजफ्फरपुर ताप विद्युत संयंत्र

यूनिट सं.	वर्तमान स्थिति
1	2
01 (110 मेगावाट)	नवीकरणीय एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार (आरएंडएम/एल.ई.) कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं तथा अवार्ड-पत्र (एलओए) जारी करने की तिथि अर्थात 15.4.2010 से 24 माह के भीतर पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।
02 (110 मेगावाट)	पुनरुद्धार कार्य करने के पश्चात, यूनिट 80-90 मेगावाट भार उत्पादन कर रही है।
विस्तार यूनिट (2x195 मेगावाट)	यह परियोजना निर्माणधीन है, कोयला संयोजन 12.11.2008 को अनुमोदित। बॉयलर, टरबाईन, जेनरेटर एवं सहायक की आपूर्ति, स्थापना जांच एवं चालू करने के लिए 1076 करोड़ रुपए का ठेका 13.03.2010 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को आवार्ड किया जा चुका है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) का बरौनी ताप विद्युत केंद्र

यूनिट सं.	वर्तमान स्थिति
1	2
1,2 और 3 (प्रत्येक 30 मेगावाट)	अपने गैर-मितव्ययी प्रचालन के कारण क्रमशः 2/83, 11/85 एवं 10/85 को निवृत्त।
4 एवं 5 (प्रत्येक 50 मेगावाट)	इन यूनिटों के आरएंडएम/एलई कार्य का 204.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का प्रस्ताव सीईए में अनुमोदन के लिए प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच के पश्चात, सीईए ने बीएसईबी को आर एंड एम कार्य के क्रियान्वयन की आवश्यकता की समीक्षा करने का सुझाव दिया क्योंकि प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था।
6 (210 मेगावाट)	पुनरुद्धार कार्य करने के पश्चात, यूनिट 60-70 मेगावाट भार उत्पादन कर रही है।
7 (210 मेगावाट)	आर एंड एम/एलई कार्य शुरू किए जा चुके हैं।

1	2
विस्तार यूनिट (2x250 मेगावाट)	बीएसईबी की बरौनी टीपीएस विस्तार में 2x250 मेगावाट यूनिटों को संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने बरौनी टीपीएस (यूनिट 6 एवं 7) तथा मुजफ्फरपुर टीपीएस (यूनिट-1 और 2) के आर एंड एम/एलई कार्यों हेतु बिहार के लिए विशेष योजना के अंतर्गत 1053 करोड़ रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया है, जिसमें से 407.74 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

मरीजों को मेडिकल सुविधाएं

1036. **श्री निशिकांत दुबे :**
श्री धनंजय सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों द्वारा निजी प्रयोगशालाओं की सांठ-गांठ से मरीजों के अनावश्यक महंगे परीक्षण लिखे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) से (ग) हालांकि चिकित्सकों द्वारा इस तरह के कार्यकलाप करने से संबंधित किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं मिली है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद के परामर्श से हाल ही में 10.12.2002 को भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियम, 2002 में संशोधन करके चिकित्सकों द्वारा किये जाने वाले गलत कार्यकलाप रोकने के लिए अधिक कड़े कदम उठाए जाएं। यह संशोधन चिकित्सक को किसी फार्मास्यूटिकल या संबंधित स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग से स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए उपहार, यात्रा सुविधा, आतिथ्य, नकद या वित्तीय लाभ या अन्य कोई सहायता स्वीकार करने का सख्त प्रतिषेध करता है। यदि चिकित्सक/चिकित्सा व्यवसायी दोषी पाया जाता है, तो उपयुक्त चिकित्सा परिषद इस प्रकार की आवश्यक समझी जाने वाली सजा दे सकती है या दोषी चिकित्सक का नाम पंजीकरण से हमेशा के लिए या विशिष्ट अवधि के लिए हटाने का निर्देश दे सकती है।

राज्य विद्युत बोर्डों का निष्पादन

1037. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबीज) के कार्य-निष्पादन का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्य विद्युत बोर्डों को भारी वित्तीय घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन राज्य विद्युत बोर्डों को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने और वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ङ) पीएफसी "राज्य विद्युत यूटिलिटियों की निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" का प्रकाशन करती हैं इस रिपोर्ट में सभी राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की राज्य विद्युत यूटिलिटियों (राज्य विद्युत बोर्ड/विकेन्द्रीकृत यूटिलिटियां/विद्युत विभाग) तथा सुधारात्मक उपायों (दिल्ली और उड़ीसा में डिस्कॉम) के परिणामस्वरूप सृजित निजी वितरण कंपनियां शामिल हैं।

यह रिपोर्ट राज्य विद्युत बोर्डों/विकेन्द्रीकृत यूटिलिटियों के वार्षिक लेखे (लेखा परीक्षित/अनंतिम) तथा वार्षिक लेखा तैयार न करने वाले राज्य विद्युत विभागों तथा यूटिलिटियों द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत वार्षिक संसाधन योजनाओं में दिए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित की जाती है। एटी एंड सी हानियों तथा प्राप्त की गई सब्सिडी आदि की गणना के लिए अतिरिक्त सूचना यूटिलिटियों में प्राप्त की जाती है। वर्ष 2006-07 से 2008-09 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन को शामिल करने वाली 7वीं रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पीएफसी अपनी रिपोर्ट में यूटिलिटियों द्वारा किए गए लाभों/हानियों का संलग्न करती है।

उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर लाभ/हानि का प्रोद्भूत आधार पर राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रोद्भूत आधार पर होने वाली हानियां 2006-07 से 13,108 करोड़ रुपये की तुलना में 2007-08 में घटकर 12,452 करोड़ हुई किन्तु ये हानियां 2008-09 में बढ़कर 22,941 रुपए हो गईं। हानि के मुख्य कारणों में अधिक एटीएंडसी हानियां तथा चालू खुदरा कीमतों द्वारा आपूर्ति की औसत लागत को कवर न कर पाना शामिल है।

राज्य विद्युत यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति के मुख्य कारणों में से एक कारण उच्च सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि लगभग 29.24% है (स्त्रोत: वर्ष 2007-08 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों की निष्पादन संबंधी पीएफसी की रिपोर्ट)।

सरकार द्वारा "पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम" (आर-एपीडीआरपी) 31.07.2008 को अनुमोदित किया गया था। इस में हानि में कमी के संदर्भ में वास्तविक, प्रदर्शनीय निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जानी हैं। भाग-क में, ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा तथा आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केंद्रों के लिए आधारभूत आंकड़ों तथा आईटी अनुप्रयोगों की स्थापना हेतु परियोजनाएं शामिल हैं तथा भाग-ख में नियमित वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं शामिल हैं।

कार्यक्रम 51,577 करोड़ रुपये का है। भाग-क (आधारभूत प्रणाली) में 10,000 करोड़ रुपये का तथा भाग-ख में 40,000 करोड़ रुपये का प्रत्याशित निवेश है। दोनों भागों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए प्रांरभिक निधियां ऋण के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। भाग-क परियोजनाओं के लिए ऋण की समग्र राशि इस परियोजना के पूरा होने पर अनुदान में परिवर्तित हो जाएंगी और भाग-ख की 50% तक ऋण (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90%) निरंतर आधार पर इस परियोजना में 15% एटी एंड सी हानि हासिल करने पर अनुदान में परिवर्तित हो जाएगी।

भाग-क के अंतर्गत 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 5288.47 करोड़ रुपये की लागत पर 1400 परियोजनाएं अनुमोदित की गई है और भाग-ख के अंतर्गत नौ राज्यों के लिए 5111.93 करोड़ रुपये की लागत से 376 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं हैं।

किसी राज्य विद्युत यूटिलिटी का सफल आईटी शक्तीकरण इसे ऊर्जा लेखा परीक्षा और लेखा प्रणालियों का एक अभिन्न भाग बनाएगा। इससे यूटिलिटियां संपूर्ण ऊर्जा प्रवाह का स्पष्ट लेखा देने तथा हानियों को कम करने में सक्षम हो सकेंगी।

विवरण

लाभ एवं हानि के राज्य-वार ब्यौरे (प्रोद्भूत आधार पर)

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
पूर्वी	बिहार	(855)	(585)	(1,005)
	झारखंड	(359)	(1,025)	(240)
	उड़ीसा	308	738	125
	सिक्किम	(26)	(30)	10
	पश्चिम बंगाल	(3,725)	364	345
कुल पूर्वी		(4,658)	(538)	(764)

1	2	3	4	5
उत्तर-पूर्व	अरुणाचल प्रदेश	(84)	(83)	(48)
	असम	(262)	(128)	(74)
	मणिपुर	(137)	(117)	(141)
	मेघालय	(97)	1	10
	मिजोरम	(73)	(44)	(74)
	नागालैंड	(97)	(81)	(68)
	त्रिपुरा	22	21	42
कुल उत्तर-पूर्वी		(724)	(430)	(352)
उत्तरी	दिल्ली	385	(104)	404
	हरियाणा	(420)	(625)	(1,419)
	हिमाचल प्रदेश	2	(25)	(32)
	जम्मू और कश्मीर	(1,251)	(1,372)	(1,279)
	पंजाब	(1,626)	(1,390)	(640)
	राजस्थान	0	(0)	(1,215)
	उत्तर प्रदेश	(4,288)	(4,489)	(6,540)
	उत्तराखंड	(334)	(504)	(465)
कुल उत्तरी		(7,532)	(8,509)	(11,121)
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	261	341	352
	कर्नाटक	437	301	(1,324)
	केरल	217	217	217
	पुदुचेरी	38	34	(70)
	तमिलनाडु	(1,219)	(3,512)	(7,132)
कुल दक्षिणी		(265)	(2,620)	(7,957)

1	2	3	4	5
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	437	464	774
	गोवा	125	139	158
	गुजरात	220	102	126
	मध्य प्रदेश	(981)	(1,827)	(3,124)
	महाराष्ट्र	269	675	(680)
कुल पश्चिमी		70	(446)	(2,747)
कुल योग		(13,108)	(12,542)	(22,941)

नोट - ( ) में दर्शाए गए आंकड़े हानि को दर्शाते हैं।

कोचीन में मेट्रो रेल

1038. **श्री एंटो एंटोनी :**
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने कोचीन में मेट्रो रेल परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है तथा केंद्र और राज्य के बीच वित्तपोषण का पैटर्न क्या होगा;

(ग) क्या कोचीन मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने में योजना आयोग की ओर से कोई आपत्ति आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली मेट्रो जैसी अन्य मेट्रो रेल परियोजनाओं के मामले में भी योजना आयोग ने ऐसी अपत्तियां उठाई थीं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या योजना आयोग मेट्रो रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी पर जोर दे रहा है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जी हां। केरल सरकार ने 2991.5 करोड रु. (राज्य करों को छोड़कर) की अनुमानित लागत से अलवाए से पेट्टा तक स्टैंडर्ड गेज पर कुल 25.3 किमी. लम्बे मेट्रो कॉरीडोर (पूर्णत: भूमोपरि) संबंधी कोचीन मेट्रो रेल परियोजना प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया है जिसे 50:50 के स्वामित्व वाले अनुपात में भारत सरकार और केरल सरकार के एक संयुक्त स्वामित्व वाले स्पेशल परपज वीकल द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

(ग) से (छ) योजना आयोग के कतिपय शर्तों के अध्यधीन "सिद्धांतत" अनुमोदन दे दिया है। कोच्ची मेट्रो परियोजना से जुडे मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17 मई, 2010 को एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सदस्य सचिव, योजना आयोग, वित्त सचिव, सचिव (शहरी विकास) और अपर सचिव (व्यय) ने भाग लिया था। शामिल मसलों पर विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि "शहरी विकास मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों के विचार जानने के लिए दोबारा से मंत्रिमंडल नोट को परिचालित करे और इस परियोजना को शुरु करने से संबंधित विकल्प मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करे"। तदनुसार कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

नकली दवाईयां

1039. **श्री प्रताप सिंह बाजवा :**
श्री सी.आर. पाटिल :
श्री सज्जन वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नकली और घटिया किस्म की औषधियों की बहुतायत के संबंध में किए गए किसी अध्ययन/सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) नकली दवाइयों के विनिर्माताओं से मूल निर्दोष विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस खतरे को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने और सुधार लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन औषध विनिर्माताओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके खिलाफ गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन (सीडीएसीओ) ने वर्ष 2009 में देश में नकली औषधियों की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान, हैदराबाद ने सांख्यिकीय सिद्धांत प्रदान किये थे। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में 100 विभिन्न फार्मेसी बिक्री केन्द्रों और महानगरों, बड़े शहरों, जिलों, नगरों और गांवों में स्थित बिक्री केन्द्रों से 9 उपचारी श्रेणियों के 29 विनिर्माताओं से संबंधित 61 ब्रांड की औषधियों के 24,136 नमूने एकत्रित किए गए थे। इस सर्वेक्षण से नकली औषधियों में मिलावट की मात्रा मात्र 0.046 प्रतिशत पाई गई।

(ख) और (घ) देश में नकली और मिलावटी औषधियों की जांच करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(i) औषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को संशोधित किया गया है जिसमें विनिर्माताओं तथा नकली और मिलावटी औषधियों के व्यापार के लिए कड़े दंड देने की व्यवस्था की गई है। कुछ अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है।

(ii) कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बनाए गए उपबंधों के संभावित दुरुपयोगों के खिलाफ उद्योग और अन्य स्टेक होल्डरों ने प्रत्यावेदन दिया है। उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए औषध परामर्श दात्री समिति द्वारा यथाअनुमोदित इन संशोधित उपबंधों के क्रियान्वयन संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकारों को जारी और संप्रेषित कर दिये गए हैं।

(iii) वर्ष 2001 में उत्तम विनिर्माण पद्धतियों से संबंधित औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची एम में संशोधन किया गया है और इसे विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए इस अनुसूची की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए औषध विनिर्माताओं के लिए इसे अनिवार्य तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान बना दिया गया है।

(iv) देश में नकली औषधियों के व्यापार का पता लगाने में सतर्क जनता की सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने एक विसल ब्लोअर स्कीम की घोषणा की है। इस निति के अंतर्गत विनियामक प्राधिकारियों को नकली औषधों के व्यापार के संबंध ठोस सूचना देने वाले सूचनाकर्त्ताओं को उपयुक्त पुरस्कार दिया जाएगा।

(ङ) पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य औषध नियंत्रकों से यथा एकत्रित परीक्षित नमूनों, घोषित नकली और घटिया औषधियों की संख्या तथा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गए हैं:-

विवरण

राज्यों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान जांच किए गए नमूनों की संख्या, मानक गुणवत्ता के अनुरूप घोषित नहीं किए गए नमूनों की संख्या, आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या एवं निर्णय लिए गए मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और जब्त की गई औषधियों का लगभग मूल्य दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	जांच किए गए नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता के अनुरूप घोषित नहीं किए गए नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी घोषित किए गए औषधि नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी औषधियों के निर्माण, बिक्री एवं वितरण के लिए आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	निर्णय लिए गए मामलों (जैसा कि पिछले कालम में उल्लिखित है) की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई औषधियों का लगभग मूल्य (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3539	35	6	6	3	शून्य	10,000,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	416	21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	1220	54	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	54	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	2955	385	17	10	2	शून्य	125,000
7.	हरियाणा	2146	138	2	41	76	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	420	6	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	772	39	1	13	शून्य	शून्य	250,000
10.	कर्नाटक	2583	217	शून्य	5	शून्य	1	15,000
11.	केरल	3984	218	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
12.	मध्य प्रदेश	2041	100	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	1	1	16	शून्य	1	7	1
14.	मणिपुर	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	255	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मिजोरम	7	1	शून्य	1	1	5	शून्य
17.	नागालैंड	40	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	976	91	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	2897	111	7	10	6	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	2732	135	5	4	1	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	3255	213	2	2	1	शून्य	शून्य
23.	त्रिपुरा	449	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	1475	48	5	7	शून्य	1	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	764	81	4	16	शून्य	5	1,00,000,00
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	166	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	619	31	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दादरा और नगर हवेली	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	35	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	304	44	2	1	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	351	24	3	सदर थाना, मेदिनीनगर में एफआईआर की गई है	1	1	1
35.	उत्तराखंड	254	7	शून्य	2	1	1	
	कुल	34738	2024	74	115	89	12	20390000

राज्यों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान जांच किए गए नमूनों की संख्या, मानक गुणवत्ता के अनुरूप घोषित नहीं किए गए नमूनों की संख्या, आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या एवं निर्णय लिए गए मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और जब्त की गई औषधियों का लगभग मूल्य दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	जांच किए गए नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता के अनुरूप घोषित नहीं किए गए नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी घोषित किए गए औषधि नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी औषधियों के निर्माण, बिक्री एवं वितरण के लिए आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	निर्णय लिए गए मामलों (जैसा कि पिछले कालम में उल्लिखित है) की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई औषधियों का लगभग मूल्य (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3962	82	5	1	1	शून्य	250,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	237	21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	1471	36	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	164	32	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	1984	269	4	5	शून्य	शून्य	14,000
7.	हरियाणा	1913	108	1	27	43	2	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	623	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	696	39	शून्य	9	शून्य	शून्य	410,000
10.	कर्नाटक	3094	224	01(vet)	24	शून्य	शून्य	1,324,000
11.	केरल	4228	222	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	1848	59	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	7038	633	20	शून्य	शून्य	37	शून्य
14.	मणिपुर	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	276	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मिजोरम	4	शून्य	शून्य	शून्य	4	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	46	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	1133	77	7	6	शून्य	4	शून्य
19.	पंजाब	914	30	6	4	1	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	1805	126	2	2	शून्य	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	1988	260	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	त्रिपुरा	381	14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	3548	74	16	28	4	64	700,000
25.	पश्चिम बंगाल	855	66	7	11	शून्य	7	1,10,000,00
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	90	2	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	52	4	2	2	शून्य	8	शून्य
30.	दादरा और नगर हवेली	19	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	41	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	283	31	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	131	9	4	1	1	1	1
35.	उत्तराखंड	273	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	39117	2429	77	120	54	122	13,598,000

राज्यों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान जांच किए गए नमूनों की संख्या, मानक गुणवत्ता के अनुरूप घोषित नहीं किए गए नमूनों की संख्या, आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या एवं निर्णय लिए गए मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और जब्त की गई औषधियों का लगभग मूल्य दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	जांच किए गए नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता के अनुरूप घोषित नहीं किए गए नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी घोषित किए गए औषधि नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी औषधियों के निर्माण, बिक्री एवं वितरण के लिए आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	निर्णय लिए गए मामलों (जैसा कि पिछले कालम में उल्लिखित है) की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई औषधियों का लगभग मूल्य (रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	4839	145	6	21	शून्य	शून्य	19,759,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	277	15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	4372	53	40	69	शून्य	33	शून्य
5.	गोवा	434	19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	1837	296	8	3	शून्य	शून्य	592,800
7.	हरियाणा	2517	159	7	11	शून्य	1	63143550
8.	हिमाचल प्रदेश	717	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	921	33	1	19	शून्य	शून्य	1,475,309
10.	कर्नाटक	3311	240	शून्य	6	शून्य	1	204,800
11.	केरल	4866	40	40	44	5	शून्य	61365
12.	मध्य प्रदेश	2183	69	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	7060	583	16	9	शून्य	13	9625000
14.	मणिपुर	26	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	42	3	शून्य		शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मिजोरम	156	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	147	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	1969	47	2	1	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	922	71	2	शून्य	शून्य	शून्य	31778212
20.	राजस्थान	1622	113	7	1	1	7	76505
21.	सिक्किम	20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	2543	423	शून्य	6	1	शून्य	शून्य
23.	त्रिपुरा	497	8	4	1	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	1489	133	17	9	1	67	18210126
25.	पश्चिम बंगाल	899	62	3	8	शून्य	5	12000000
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	67	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	588	28	3	10	5	6	477000
30.	दादरा और नगर हवेली	7	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	47	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	67	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	383	38	1	2	शून्य	शून्य	शून्य
35.	उत्तराखंड	120	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	45145	2597	157	220	11	133	157,403,667

नकली औषधियों के निर्माण, बिक्री एवं वितरण में लिप्त व्यक्तियों/कम्पनियों के ब्यौरे संबंधी सूचना दर्शाने वाला विवरण (2009-2010)

क्रम संख्या	राज्य	जांच किए गए नमूनों की संख्या	मानक गुणवत्ता के अनुरूप घोषित नहीं किए गए नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी घोषित किए गए औषधि नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी औषधियों के निर्माण, बिक्री एवं वितरण के लिए आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	निर्णय लिए गए मामलों (जैसा कि पिछले कालम में उल्लिखित है) की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई औषधियों का लगभग मूल्य (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	4647	97	1	1	शून्य	शून्य	57346568
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य (32 नमूनों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	549	22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	2955	48	27	41	शून्य	26	
5.	गोवा	656	19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	373	56	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	1517	36	8	10	शून्य	1	30,000
8.	हिमाचल प्रदेश	953	16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	1245	36	1	5	शून्य	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	3100	156	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	केरल	4506	169	शून्य	27 (3 नकली, 24 मानक गुणवत्ता के स्तर के नहीं)	6	शून्य	198000
12.	मध्य प्रदेश	477	22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	5877	378	9	9	शून्य	9	1,32,60,300

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	1	1	शून्य	अभियोजन आरंभ किया गया	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	75	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	1657	25	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	1968	112	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	1194	87	17	शून्य	शून्य	7	2,57,239
21.	सिक्किम	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	3770	419	3	2	शून्य	8	150000
23.	त्रिपुरा	352	20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	1403	88	27	57	शून्य	109	1,62,46,360
25.	पश्चिम बंगाल	1040	61	11	9	शून्य	8	7500000
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	113	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	539	22	6	2	शून्य	5	2,45,000
30.	दादरा और नगर हवेली	10	शून्य	1	1	डी एंड सी नियमों के तहत जांच चल रही है, इसी बीच निर्माण लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है	शून्य	55,00,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	दमन और दीव	51	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	26	11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	186	36	2	1	शून्य	शून्य	19,340
35.	उत्तराखंड	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	39248	1942	117	138	6	147	100752807

[हिन्दी]

डीडीए में ठेकेदार से बैंक गारंटी बांड

1040. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण को डीडीए में ठेकेदार से बैंक गारंटी बांड स्वीकार न किए जाने के कारण करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने डीडीए को कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में डीडीए ने क्या कार्रवाई की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसे ठेकेदारों से बैंक गारंटी बांड स्वीकार न किए जाने के कारण कोई घाटा नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उच्च क्षमता विद्युत पारेषण गलियारा

1041. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने देश में उच्च क्षमता वाले नौ विद्युत पारेषण गलियारों की स्थापना के लिए राज्य द्वारा संचालित पावर ग्रिड निगम की योजना का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गलियारों की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ धनराशि जारी की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने 58,061 करोड़ रुपए की अनंतिम लागत पर पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा देश में 9 (नौ) उच्च क्षमता विद्युत पारेषण गलियारों (एचसीपीटीसीएस) की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

इन 9 (नौ) उच्च क्षमता विद्युत पारेषण गलियारों के कार्यान्वयन से देश के पूर्वी/उत्तरी/पश्चिमी/दक्षिण क्षेत्रों में लक्ष्य लाभ प्राप्तकर्ताओं को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा

मध्य प्रदेश राज्य में प्रस्तावित विभिन्न स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी/पारेषण में सुविधा होगी। ये गलियारे नीचे दिए गए हैं:-

खंड	उच्च क्षमता विद्युत पारेषण गलियारा	करोड़ रुपए
(i)	एचसीपीटीसी-I: उड़ीसा में चरण I उत्पादन परियोजनाओं से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली	8,752
(ii)	एचसीपीटीसी-II: झारखंड में आईपीपी परियोजनाओं से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली	5,709
(iii)	एचसीपीटीसी-III: सिक्किम में आईपीपी परियोजनाओं से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली	1,304
(iv)	एचसीपीटीसी-IV: विलासपुर परिसर छत्तीसगढ़ आईपीपी परियोजनाओं से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली	1,243
(v)	एचसीपीटीसी-V: छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं सम्बद्ध पारेषण प्रणाली	28,824
(vi)	एचसीपीटीसी-VI: कृष्णापट्टनम क्षेत्र आंध्र प्रदेश में आईपीपी परियोजनाओं से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली	2,065
(vii)	एचसीपीटीसी-VII: तुतीकोरिन क्षेत्र तमिलनाडु में आईपीपी परियोजनाओं से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली	2,357
(viii)	एचसीपीटीसी-VII: श्रीकाकुलम क्षेत्र आंध्र प्रदेश में आईपीपी परियोजनाओं से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली	2,986
(ix)	एचसीपीटीसी-VII: अन्य क्षेत्रों को विद्युत के स्थानांतरण के लिए दक्षिण क्षेत्र में आईपीपी परियोजनाओं से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली	4,821
	कुल	58,061

इन गलियारों का कार्यान्वयन विभिन्न आईपीपी के चालू होने के ममय के अनुरूप विभिन्न चरणों में किया जाना है। तदनुसार पीजीसीआईएल ने इन 9 गलियारों हेतु परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने तथा निविदा आमांत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया है।

(घ) और (ङ) इस प्रयोग के लिए सरकार द्वारा निधियां जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन परियोजनाओं को उधार तथा आंतरिक संसाधनों के माध्यम से पीजीसीआईएल द्वारा कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

विद्युत अधिनियम, 2003 की समीक्षा

1042. **डॉ. संजय सिंह :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की सफलता के संबंध में अब तक कोई आकलन/समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र के कुछ राज्यों तथा पणधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के 2003 में अधिनियमन के बाद समय-समय पर समीक्षा की है। सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 में अब तक निम्नलिखित संशोधन किए हैं:-

(1) विद्युत संशोधन अधिनियम, 2003 (2003 का 57)

(2) विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 26)

विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2003 तथा 2007 की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

1. विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2003

(i) धारा 42 की उप धारा 2 में चौथे उपबंध के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है, जिसमें व्यवस्था है कि राज्य आयोग विद्युत संशोधन अधिनियम, 2003 के

प्रारंभ होने के 5 वर्ष बाद 1 मेगावाट से अधिक विद्युत की आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं के लिए नियमन द्वारा, इस प्रकार की खुली पहुंच की व्यवस्था करेगा।

(ii) मुख्य अधिनियम की धारा 121 को नई धारा से बदला गया है जिसमे अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का उल्लेख किया गया है।

(iii) मुख्य अधिनियम की धारा 139 और 140 को नई धाराओं से बदला गया है जिनमें निर्माण कार्यों में लापरवाही से रूकावट डालने अथवा क्षति पहुंचाने तथा जानबूझकर नुकसान पहुंचाने पर दंड का उल्लेख है।

(2) विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007

(i) मुख्य अधिनियम की धारा 6 को नई धारा से बदला गया है जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।

(ii) मुख्य अधिनियम की धारा 9 को संशोधित किया गया है जिसमें व्यवस्था है कि इस अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार केप्टिव उत्पादन संयंत्र से उत्पादित विद्युत की किसी लाइसेंसी को आपूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(iii) राज्य आयोगों द्वारा खुली पहुंच प्रारंभ करने तथा अधिभार एवं क्रोस सब्सिडीज में प्रगामी कमी लाने की व्यवस्था हेतु इस उप धारा के विभिन्न उपबंधों में क्रोस सब्सिडीज के लिए मुख्य अधिनियम की धारा 42(2) को संशोधित करते हुए 'विलोपित' शब्द हटा दिया गया है।

(iv) मुख्य अधिनियम की धारा 50 को नई धारा से बदला गया है जिसमें व्यवस्था है कि राज्य आयोग वितरण लाइसेंसधारकों के लिए एक विद्युत आपूर्ति कोड विनिर्दिष्ट करेगा।

(v) जांच एवं मूल्यांकन की कार्यविधि का उल्लेख करने वाली मुख्य अधिनियम की धारा 126 की उपधारा 3 और उपधारा 5 को नई उपधारा से बदल दिया गया है।

(vi) विद्युत चोरी की परिभाषा के क्षेत्र को विस्तार देते हुए मुख्य अधिनियम की धारा 135 में संशोधन किया गया है।

(vii) मुख्य अधिनियम की धारा 151 को यह उपबंध जोड़कर संशोधित किया गया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के अंतर्गत फाइल की गई किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय भी दंडनीय अपराध का संज्ञान ले सकता है। इसके अतिरिक्त, यह उपबंध भी किया गया है कि धारा 153 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय आरोपी पर मुकदमा चलाए बिना किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम होगा।

(viii) मुख्य अधिनियम की धारा 151 के बाद नई धाराएं 151 ए तथा 151 बी जोड़ी गई हैं। जिसमें जांच करने के लिए पुलिस की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और विद्युत की चोरी को एक संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध बनाया गया है।

[अनुवाद]

एटीएम निकासी सीमा को बढ़ाना

1043. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने एटीएम से दैनिक निकासी सीमा में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में ऐसा निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ग) बैंक एटीएम में नकदी आहरण की सीमा अपने ग्राहकों के

निकासी स्वरूप के आधार पर तय करते हैं। अधिकांश बैंकों ने एटीएम से प्रतिदिन निकासी की अधिकतम सीमा, वर्तमान में 25,000 रुपए और 50,000 रुपए के बीच रखी है। तथापि, कुछ बैंकों ने अपने उच्च वर्गीय ग्राहकों की सुविधा के लिए एटीएम से 1 लाख रुपए तक प्रतिदिन आहरण की सुविधा की अनुमति दी है।

चीनी की कमी संबंधी जांच

1044. श्री पूर्णमासी राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से देश में चीनी की कृत्रिम कमी के संबंध में एक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (शर्करा निदेशालय) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार चीनी की कृत्रिम कमी संबंधी कोई भी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सोवियत संघ गणराज्य में प्राप्त मेडिकल शिक्षा को मान्यता

1045. श्री रवनीत सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन हजारों योग्यता प्राप्त डॉक्टरों की मेडिकल डिग्रियों को मान्यता देने पर विचार कर रही है ज़िन्होंने भूतपूर्व सोवियत संघ में मेडिकल शिक्षा प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भूतपूर्व सोवियत संघ में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के पुनर्वास हेतु किसी योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) से (घ) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार भारत से बाहर किसी भी चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदान की गई प्राथमिक चिकित्सा अहर्ता रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक जो 15.3.2002 को या उसके पश्चात् भारतीय चिकित्सा परिषद या किसी राज्य चिकित्सा परिषद से अस्थाई या स्थाई पंजीकरण प्राप्त करने का इच्छुक हो, को इस निमित्त निर्धारित प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली जांच परीक्षा उत्तीर्णकरनी होगी।

[हिन्दी]

चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता

1046. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय सहायता केवल उन्हीं मरीजों को दी जाती है जो अपना उपचार सरकारी अस्पतालों में कराते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन मरीजों जो अपना इलाज निजी अस्पतालों में कराते हैं को सहायता प्रदान नहीं किए जाने के कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) भारत सरकार निर्धन मरीजों को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया करवाती है:- (i) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आर.ए.एन.) और (ii) स्वास्थ्य मंत्री का विवेकाधीन अनुदान (एच.एम.डी.एच.)।

आर.ए.एन. के अंतर्गत, प्रमुख जीवन घातक बीमारियों से ग्रस्त उन मरीजों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त किए जाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाती है, जोकि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस प्रकार के मरीजों को वित्तीय सहायता ''एक समय सहायता'' के रूप में उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को रिलीज की जाती हैं जिस अस्पताल में उपचार प्राप्त किया जाता है।

आर.ए.एन. योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार, विधान सभा सहित राज्यों/राज्य शासित प्रदेशों के लिए उनके द्वारा गठित की गई राज्य

रुग्णता निधियों में से, राज्य निधियों में उनके अंशदान की 50 प्रतिशत की सीमा तक सहायता अनुदान भी मुहैया करवाती है। पात्र मरीजों को सहायता मुहैया करवाए जाने के लिए योजना के अंतर्गत राज्य शासित प्रदेशों (विधान सभा रहित) को भी 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। विगत 3 वर्षों के दौरान अर्थात 2007-08 से 2009-10 तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को रिलीज किए गए अनुदानों संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान (एच.एम.डी.जी.) के तहत प्रमुख रुग्णता से ग्रस्त वे निर्धन मरीज जिनके परिवार की वार्षिक आय 75000 रुपये से कम है और जिनका सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में एक समय उपचार अपेक्षित है, वे वित्तीय सहायता प्राप्त किए जाने के पात्र हैं, बशर्ते कि प्रत्येक निजी मामले में यह अधिकतम 50,000 रुपये हो, संबंधित अस्पताल/संस्थान को वित्तीय सहायता रिलीज की जाती है।

(ग) और (घ) जवाबदेहिता और लागत प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित किए जाने के लिए आर.ए.एन. और एच.एम.डी.एच. के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में चिकित्सा उपचार प्राप्त किए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आर.ए.एन.) के अंतर्गत विगत 3 वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता

वर्ग	राज्य/संघ शासित प्रदेश	(लाख रुपये)
1	2	3
2007-08	(क) राज्य/संघ शासित राज्य (विधान सभा सहित)-	
	i. पश्चिम बंगाल	110.25
	ii. गोवा	30.00
	iii. हिमाचल प्रदेश	27.00
	iv. मध्य प्रदेश	87.50
	v. राजस्थान	100.00
	vi. पंजाब	45.25
	vii. एनसीटी, दिल्ली	70.00
	viii. पुदुचेरी	25.00
	(ख) संघ शासित राज्य (विधान सभा रहित)	
	i. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50.00
	ii. लक्षद्वीप	50.00
2008-09	(क) राज्य/संघ शासित राज्य (विधान सभा सहित)-	
	i. पंजाब	4.75
	ii. केरल	200.00
	iii. उत्तर प्रदेश	250.00
	iv. सिक्किम	47.50
	v. गोवा	30.00
	(ख) संघ शासित राज्य (विधान सभा रहित)	
	i. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50.00
200.-10	(क) राज्य/संघ शासित राज्य (विधान सभा सहित)-	
	i. पश्चिम बंगाल	215.56
	ii. छत्तीसगढ़	187.50
	iii. हरियाणा	25.00
	(ख) संघ शासित राज्य (विधान सभा रहित)-	
	i. लक्षद्वीप	50.00
	ii. दादरा और नगर हवेली	25.00

[अनुवाद]

विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सकों की उपलब्धता

1047. **श्री अम्बिका बनर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष 500 विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सक तैयार करने की योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में चिकित्सकों, नर्सों और सर्जनों की मौजूदा संख्या के अतिरिक्त 6 लाख चिकित्सकों, 10 लाख नर्सों और 2 लाख सर्जनों की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायो-केमिस्ट्री, फोरेंसिक और कम्युनिटी मेडिसिन जैसी प्री और परा क्लीनिकल विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सक तैयार किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) से (ङ) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सकों, नर्सों और पराचिकित्सीय व्यवसायियों की उपलब्धता में असंतुलन है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद के परामर्श से चिकित्सा प्रैक्टिशनरों की संख्या बढ़ाने और असंतुलन को दूर करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें मेडिकल कालेज अथवा मेडिकल संस्थान के लिए भूमि की आवश्यकताओं में ढ़ील, शिक्षक-विद्यार्थी के अनुपात में कमी, और अधिक मेडिकल कालेज खोलने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वत्तीय राज्यों में शिक्षण अस्पतालों की विस्तृत क्षमता में ढ़ील आदि शामिल हैं। राज्य मेडिकल कालेजों और नर्सों और परा चिकित्सकीय कार्मिकों के लिए शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने और उन्नत बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी योजनाएं शुरू की गई हैं। नौवें क्षेत्रीय परा चिकित्सीय विज्ञान संस्थान के रूप में विद्यमान क्षेत्रीय परा चिकित्सीय और उपचर्या विज्ञान (आरआईपीएएनएस) संस्थान का विकास करने के अतिरिक्त उपचर्या के लिए 269 एएनएम/जीएनएम विद्यालयों तथा एक राष्ट्रीय परा चिकित्सकीय विज्ञान संस्थान (एनआईपीएस) और 8 क्षेत्रीय परा चिकित्सकीय विज्ञान संस्थान की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा परा चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कालेजों को सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की गई है।

[हिन्दी]

विद्युत की आपूर्ति

1048. **श्री सज्जन वर्मा : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत उत्पादन इकाइयां उन राज्यों को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति कर रही हैं जहां ऐसी विद्युत उत्पादन इकाइयां अवस्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के विद्युत संयंत्रों से अपने हिस्से के अतिरिक्त अधिक विद्युत आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन यूनिटों से विद्युत आबंटन के दिशानिर्देशों में उस राज्य को 10% अतिरिक्त विद्युत के आबंटन की व्यवस्था की गई है, जहां पर थर्मल विद्युत संयंत्र स्थापित हैं (गृह राज्य)।

जल विद्युत संयंत्र के मामले में, अतिरिक्त आबंटन 23% (10% गृह राज्य का हिस्सा, 12% नि:शुल्क विद्युत और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1%) है।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने एनटीपीसी लिमिटेड की प्रस्तावित 4 x 660 मेगावाट गदरवारा थर्मल विद्युत परियोजना से राज्य के विद्युत का 80% आबंटित करने के लिए दिनांक 26.05.2009 के अपने पत्र के माध्यम से विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया है।

एनटीपीसी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में 2640 मेगावाट (4x660 मेगावाट) की क्षमता की गदरवारा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए 9.11.2009 को मध्य प्रदेश सरकार तथा एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लि. के साथ एक समझौता

ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी क्षेत्र में अन्य इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाभ के लिए एक क्षेत्रीय विद्युत परियोजना होगी।

इस परियोजना से विद्युत आबंटन का मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

जी-20 शिखर सम्मेलन

1049. **श्री पी. बलराम :**
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री राकेश सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टोरंटो में हाल ही में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत ने जी-20 समूह के चरणों में प्रोत्साहन वापिस लेने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक इस पर क्या प्रतिक्रिया मिली है; और

(ङ) शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इन मुद्दों के संबंध में क्या अंतिम समाधान निकाला गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) टोरंटो, कनाडा में 26-27 जून, 2010 को आयोजित हुए जी-20 शिखर सम्मेलन ने, स्थायी तथा संतुलित विकास की नींव रखते हुए, विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय संकट से सुधार और पिछले जी-20 शिखर सम्मेलनों के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रीय किया। शिखर सम्मेलन ने भ्रष्टाचार तथा विकास से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जी-20 कार्यकारी समूहों की स्थापना पर भी सहमति व्यक्त की। जिन मुख्य मुद्दों पर सहमति हुई, वे हैं:-

— **राजकोषीय समेकन :** वर्ष 2013 तक घाटे को कम करने के लिए तथा 2016 तक जीडीपी अनुपात की तुलना में सरकारी ऋण को कम करने या स्थिर रखने के लिए उन्नत अर्थव्यवस्था वाले उपायों सहित जी-20 राजकोषीय प्रोत्साहनों के जरिए तथा विकास के अनुकूल राजकोषीय समेकन योजनाओं को अपना कर निम्नलिखित पर सहमत हुआ है। जी-20 इस बात से सहमत है कि राजकोषीय समेकन योजनाएं विश्वसनीय, स्पष्ट रूप से सम्प्रेषणीय, राजकोषीय स्थितियों से विभेदक और आर्थिक विकास करने वाले उपायों पर केन्द्रित होनी चाहिए।

— **मजबूत, स्थायी तथा संतुलित विकास के लिए ढांचा :** जी-20 ने मजबूत, अधिक संतुलित और स्थायी विकास हासित करने के लिए तथा मजबूत, स्थायी और संतुलित विकास के लिए जी-20 ढांचे हेतु पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया (एमएपी) के दूसरे चरण की ओर बढ़ने के लिए प्रथम पारस्परिक आकलन प्रक्रिया (एमएपी) की नीतिगत सिफारिशें स्वीकार की है।

— **वित्तीय क्षेत्र विनियामक सुधार :** विनियामक सुधार हेतु जी-20 एजेंडा चार स्तंभो पर आधारित है, नामत: मजबूत विनियामक ढांचा, प्रभावी पर्यवेक्षण, दृढ़ निश्चय तथा व्यवस्थित संस्थाओं पर ध्यान देना तथा पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय आकलन और 'पीयर' समीक्षा।

— **आईएफआई सुधार :** जी-20 ने आईएफआई की वैधता विश्वसनीयता, तथा प्रभावशीलता को मजबूत बनाने के लिए दृढ़संकल्प लिया ताकि भविष्य में उन्हें मजबूत भागीदार बनाया जा सके। इसने सियोल शिखर सम्मेलन द्वारा कोटा सुधारों को पूरा करने के लिए आईएमएफ हेतु अभी भी जरूरी कार्य को तेज करने पर सहमति व्यक्त की।

— **विश्वव्यापी वित्तीय सुरक्षा तंत्र (जीएफएसएन) :** जी-20 ने पूंजीगत प्रवाह की अस्थिरता, वित्तीय संवेदनशीलता से निपटाने के लिए तथा वित्तीय संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत को स्वीकार किया। वित्त मंत्रियों से कहा जाता है कि वे सियोल शिखर सम्मेलन द्वारा विश्वव्यापी वित्तीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीति संबंधी विकल्प प्रस्तुत करें।

— **व्यापार संरक्षणवाद से लड़ना तथा व्यापार और निवेश का संवर्धन करना :** जी-20 ने वस्तुओं और सेवाओं में

व्यापार पर अवरोध खड़े करने अथवा नए अवरोध लगाने, से बचने के लिए नए निर्यात प्रतिबंधों को लगाने अथवा निर्यात तेज करने हेतु डब्ल्यूटीओ के असतत उपायों को कार्यान्वित करने के लिए जी-20 प्रतिबद्धता को अगले तीन वर्षों (2013 के अंत तक) तक नवीकृत करने पर सहमति व्यक्त की। जी-20 ने दोहा विकास दौर को यथाशीघ्र संतुलित तथा महत्वाकांक्षी निष्कर्ष तक लाने के लिए समर्थन देने पर भी सहमति व्यक्त की।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारत ने सुझाव दिया कि राजकोषीय समेकन 'चरणबद्ध रूप मे' होना चाहिए- उन देशों में शुरू होना चाहिए जो असाधारण राजकोषीय दवाब महसूस कर रहें हैं और जहां बाजारों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है, जबकि अन्य उन्नत देशों को अधिक अंशशेधित तेजी के लिए विकल्प देना चाहिए।

(ङ) भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे :

भारत द्वारा उठाए गए कुछ मुख्य मुद्दे निम्नलिखित थे:-

राजकोषीय समेकन के संबंध में : भारत ने सुझाव दिया कि राजकोषीय समेकन 'चरणबद्ध रूप में' होना चाहिए- उन देशों में शुरू होना चाहिए जो असाधारण राजकोषीय दवाब महसूस कर रहें हैं। और जहां बाजारों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है, जबकि अन्य उन्नत देशों को अधिक अंशशोधित तेजी के लिए विकल्प देना चाहिए।

रूपरेखा के संबंध में : भारत ने मोटे तौर पर पारस्परिक आकलन प्रक्रिया के अंतर्गत संस्तुत नीतिगत विकल्पों, पर सहमति व्यक्त की जैसे-वृद्धि अनुकूल राजकोषीय समेकन, विश्वव्यापी मांग को पुन- संतुलित करना, अधिक विनिमय दर का लचीलापान, सामर्थ्य वृद्धि बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार, तथा विकासात्मक अंतर को कम करना। हम सहमत थे कि अग्रणी देश में दूसरे चरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए तथा देशीय स्तर पर पारस्परिक आकलन के लिए परामर्शदात्री प्रणाली अपनायी जाए। हमने यह भी सुझाव दिया कि विकासशील देशों को अपनी कार्यनीतियों को पुन: संतुलित करने की जरूरत है ताकि वे निर्यात पर कम और घरेलू मांग पर अधिक भरोसा करे जिसमें वर्धित निवेश का माध्यम भी शामिल है जो वृद्धि के लिए दीर्घावधिक सामर्थ्य को तेज करेगा।

वित्तीय क्षेत्र विनियामक सुधारों के संबंध में : भारत ने रिटसवर्ग में सहमत हुए विनियामक सुधारों के लिए समय सीमा के अनुपालन की जरूरत पर बल दिया है। भारत ने सतर्क किया है कि पूंजी की लागत पर सभी सुधारों के संचलित प्रभाव का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए दीर्घावधिक पूंजी प्रवाह प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं हैं। भारत ने बैंकिंग क्षेत्र कर/लेवी पर एक आकार के रूप पर सहमति नहीं दी क्योंकि सभी की पहुंच ठीक नहीं होगी। भारत के मजबूत विनियम हैं, इसने बैकों की सुरक्षा के लिए कर दाताओं की राशि का उपयोग नहीं किया है और इसके पास अन्य उपाय हैं जैसे संविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) तथा नकद व्युत्क्रम अनुपात (सीआरआर) तथा वित्तीय क्षेत्र पर पहले से आरोपित लागतें। भारत ने वास्तविक अर्थव्यवस्था में शीघ्र और समावेशी विकास के समर्थन के लिए वित्तीय क्षेत्र सुधारों के मार्ग को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है।

आईएफआई सुधारों के संबंध में : भारत ने अप्रैल, 2010 में विश्व बैंक सुधारों के संबंध में हुए करार का स्वागत किया जिसमें मताधिकार और शेयर होल्डिंग सुधार तथा पूंजी की वृद्धि शामिल है। भारत ने सियोल शिखर सम्मेलन द्वारा आईएमएफ में कोटा सुधारों को पूरा करने के लिए दवाब डाला।

विश्वव्यापी वित्तीय सुरक्षा तंत्र के संबंध में : भारत ने तीन दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया जिसमें प्रथम, घरेलू सुरक्षा तंत्र, द्वितीय क्षेत्रीय वित्तीय सुरक्षा तंत्र तथा तृतीय विश्वव्यापी सुरक्षा तंत्र शामिल हैं जिसमें बहुपक्षीय संस्थाओं के लिए व्यापक भूमिका भी शामिल है।

संरक्षणवाद तथा दोहा विकास दौर के संबंध में : भारत ने इस बात पर बल दिया कि विकासशील देशों में विकास के लिए काफी सहायता की जा सकेगी यदि औद्योगिक देशों में नए संरक्षणवादी उपायों का मजबूती से विरोध किया जाए तथा व्यापार के विद्यमान अवरोध, विशेषरूप से जो विकासशील देशों को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें कम कर दिए जाए। इस संदर्भ में इसने दोहा विकास दौर के शीघ्र निष्कर्ष की जरूरत को रेखांकित किया।

इन मुख्य मुद्दों पर अंतिम प्रस्ताव अपर्युक्त (क) में दिया गया है।

[हिन्दी]

जनजातीय सांस्कृतिक पर्यटन

1050. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनजातीय सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन सहित पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

नर्सिंग विद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता

1051. **श्रीमती जे. शांता :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से नर्सिंग सेवाओं के विकास की योजना के अन्तर्गत मौजूदा नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालयों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत सरकारी नर्सिंग विद्यालय बेल्लारी स्थित जिला अस्पताल के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है और इस संबंध में धनराशि कब तक जारी की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) सरकार को नर्सिंग सेवाओं के विकास की योजना के तहत मौजूदा नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालय को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक को 25 लाख रुपये का अनुदान जारी करने के लिए 55 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। 10 संस्थानों को नर्सिंग संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता जारी कर दी गई है। इसका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए नर्सिंग सेवाओं के विकास की योजना के तहत 25 लाख रुपये प्रत्येक के लिए अनुदान जारी करने हेतु प्राप्त नर्सिंग संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव

क्र.सं.	संस्थानों का नाम
1	2
1.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अंबिकापुर, सुरगुजा, **छत्तीसगढ़**
2.	सीवीबी सिविल हॉस्पीटल, सिलवासा, **दादरा और नगर हवेली**
3.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहमदाबाद, **गुजरात**
4.	जनरल नर्सिंग स्कूल, अहमदाबाद, **गुजरात**
5.	जनरल नर्सिंग स्कूल, जूनागढ़, **गुजरात**
6.	जनरल नर्सिंग स्कूल, गोधरा, **गुजरात**
7.	जनरल नर्सिंग स्कूल, अमरेली, **गुजरात**
8.	जनरल नर्सिंग स्कूल, दाहौद, **गुजरात**

1	2
9.	जनरल नर्सिंग स्कूल, हिम्मतनगर, **गुजरात**
10.	जनरल नर्सिंग स्कूल, पालनपुर, **गुजरात**
11.	जनरल नर्सिंग स्कूल, भरौच, **गुजरात**
12.	जनरल नर्सिंग स्कूल, नावसरी, **गुजरात**
13.	जनरल नर्सिंग स्कूल, सुरेन्द्रनगर, **गुजरात**
14.	जनरल नर्सिंग स्कूल, व्यारा, **गुजरात**
15.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, त्रिचुर, **केरल**
16.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज कैम्पस, गांधी नगर, पीओ कोट्टायम, **केरल**
17.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज, पीओ कोझीकोड-8, **केरल**
18.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज, तिरूवनंतपुरम, **केरल**
19.	जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर, कोटा, **राजस्थान**
20.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, कोयम्बटुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल, कोयम्बटुर, **तमिलनाडु**
21.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, थंजावुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल, थंजावुर, **तमिलनाडु**
22.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पीटल, मदुरै, **तमिलनाडु**
23.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, **गवर्नमेंट मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल, सलेम-1, तमिलनाडु**
24.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, तिरुनेलवली, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पीटल, तिरुनेलवली-11, **तमिलनाडु**
25.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, अन्नाई गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट हॉस्पीटल, ईवीआर रोड, पुथुर, त्रिचि-17, **तमिलनाडु**

1	2
26.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हॉस्पीटल कैंपस, धारापुरम रोड, तिरुप्पुर, **तमिलनाडु**
27.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, कन्याकुमारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल, नागरकॉयल, एट असारीपाल्लम, **तमिलनाडु**
28.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, चेंगलपट्टू मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल, चेंगलपट्टू, **तमिलनाडु**
29.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट हेडक्वार्टरर्स, कोड्डालोर, **तमिलनाडु**
30.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, मदुरै मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पीटल कैंपस, **तमिलनाडु**
31.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हॉस्पीटल, डिंडीगुल, **तमिलनाडु**
32.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट कस्तूरबा गांधी हॉस्पीटल फॉर वूमेन एंड चिल्ड्रेन, चेन्नई-5 **तमिलनाडु**
33.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हॉस्पीटल, उधागामलदालम, **तमिलनाडु**
34.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हॉस्पीटल, कांचीपुरम, **तमिलनाडु**
35.	एसओएन, गवर्नमेंट स्टेन्ली जेनरल हॉस्पीटल, चेन्नई, **तमिलनाडु**
36.	एसओएन, गवर्नमेंट किलपाउक मेडिकल कॉलेज, चेन्नई, **तमिलनाडु**
37.	गवर्नमेंट जनरल हॉस्पीटल, चेन्नई, **तमिलनाडु**
38.	एसओएन, थोथुकुंडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल, थोथुकुंडी, **तमिलनाडु**
39.	एसओएन, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पीटल नागापट्टीनम, **तमिलनाडु**
40.	एसओएन, रामानाथपुरम, **तमिलनाडु**
41.	सीओएन, मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई, **तमिलनाडु**

1	2
42.	एसओएन, विरुद्धुनगर, **तमिलनाडु**
43.	एल.एल.आर हॉस्पीटल मेडिकल कॉलेज, कानपुर, **उत्तर प्रदेश**
44.	एस.एन. हॉस्पीटल मेडिकल कॉलेज, आगरा, **उत्तर प्रदेश**
45.	एसआरएन हॉस्पीटल मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद, **उत्तर प्रदेश**
46.	गांधी स्मारक हॉस्पीटल, मेडिकल कॉलेज, मेरठ, **उत्तर प्रदेश**
47.	बलरामपुर हॉस्पीटल, लखनऊ, **उत्तर प्रदेश**
48.	जिला हॉस्पीटल, गोरखपुर, **उत्तर प्रदेश**
49.	जिला हॉस्पीटल, बरेली, **उत्तर प्रदेश**
50.	यूएचएम हॉस्पीटल, कानपुर, **उत्तर प्रदेश**
51.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग वर्धवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल, **पश्चिम बंगाल**
52.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल, **पश्चिम बंगाल**
53.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल, **पश्चिम बंगाल**
54.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल, **पश्चिम बंगाल**
55.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल, 88 कॉलेज स्ट्रीट **पश्चिम बंगाल**

विवरण-II

नर्सिंग संस्थानों का ब्यौरा जिन्होंने नर्सिंग संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए 25 लाख रुपये प्रत्येक की अनुदान राशि जारी की।

क्र.सं.	संस्थानों का नाम
1	2
1.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नमाना, रिंग रोड, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़
2.	सीवीबी सिविल हॉस्पीटल, दादरा और नगर हवेली, सिलवासा
3.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, जेनरल हॉस्पीटल, जिला- अमरेली, गुजरात
4.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, जेनरल नर्सिंग स्कूल, स्टेशन रोड, दाहौद, गुजरात
5.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम, केरल
6.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हॉस्पीटल, विरुद्धुनगर, तमिलनाडु
7.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, बलरामपुर हॉस्पीटल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
8.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, यूएचएम हॉस्पीटल, कानपुर, उत्तर प्रदेश
9.	पश्चिम बंगाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल, कोलकाता
10.	पश्चिम बंगाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग वर्धवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल, पी ओ और जिला बुर्दवान

पर्यटकों के साथ पर्यटक गाइडों द्वारा दुर्व्यवहार

1052. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों से विशेषकार यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों के साथ टूर गाइडों द्वारा दुर्व्यवहार और जाली पहचान-पत्र का उपयोग करने वाले दलालों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने टूर आपरेटरों, पर्यटक गाइडों और अन्य सेवा प्रदाताओं के सत्यापन के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ङ) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार पर्यटन सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए अपराध सहित अपराध की सूचना दर्ज करने, उनकी विवेचना करने, उनका पता लगाने एवं रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है।

पर्यटन मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत अपेक्षित स्तर के क्षेत्रीय स्तर के गाइडों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है तथा उन्हें लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यटन सेवा प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को अनुमोदन प्रदान करता है।

[हिन्दी]

सरकारी क्वार्टरों में पेयजल की गुणवत्ता

1053. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा रख-रखाव किए जा रहे सरकारी क्वार्टरों में आपूर्ति किए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता का नियमित रूप से प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर दिल्ली में पेशवा रोड, स्वर्ण जयंती सदन, एम. एस. "फ्लैट्स, सेक्टर-डी, मंदिर मार्ग और वसंत विहार स्थित क्वार्टरों के संबंध में कितनी बार गुणवत्ता की जांच की गई;

(ग) क्या प्रत्येक बार जल को पीने लायक पाया गया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और जल में कितने हानिकारक तत्व पाए गए;

(ङ) क्या सरकार का विचार बिना लागत के सरकारी क्वार्टरों में जल शुद्धिकरण इकाइयां संस्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो जल शुद्धिकरण इकाइयों को कब तक संस्थापित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उन कालोनियों जिनमें स्थानीय निकायों द्वारा सरकारी क्वार्टरों को पेयजल की अपूर्ति की जा रही है, कोई जांच नहीं की जा रही है। ट्यूबवेलों के द्वारा सरकारी क्वार्टरों की उन कालोनियों में जहां भूमिगत जल की आपूर्ति की जा रही है। स्त्रोत के अनुमोदन के समय और तदोपरांत समय-समय पर पानी की जांच की जाती है।

(ख) स्वर्ण जयंती सदन में, पानी की प्रत्येक महीने नियमित रुप से जांच की जाती है। केलोनिवि द्वारा पेशवा रोड, एम एस फ्लैट, सेक्टर-डी, मंदिर मार्ग और सेक्टर-II डीआईजेड एरिया के मामले में, विगत तीन वर्षों के दौरान 5 बार जांच की गई है। केलानिवि द्वारा वसंत विहार में कोई जांच नहीं की गई है क्योंकि पानी की आपूर्ति स्थानीय निकाय द्वारा की जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

के जी बेसिन से गैस की आपूर्ति

1054. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन से गैस प्राप्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र में आगामी लाभार्थियों की कोई सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केजी बेसिन से गैस की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की पहचान हेतु कोई मानदंड निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (घ) विद्युत मंत्रालय ने 28.7.2010 को अपनी बैठक के लिए ईजीओएम के विचार हेतु निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज भेजे हैं।

(i) 6 परियोजनाओं की सूची जोकि निर्माणाधीन हैं और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के आकलन के अनुसार 11वीं योजना में आती है और उनसे मार्च 2012 तक गैस प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी।

(ii) उन सात परियोजनाओं की सूची जहां आदेश दिए गए हैं और विकासकर्त्ताओं ने यह दावा किया है कि यूनिटें 11वीं योजना में शुरू की जाएंगी।

(iii) 121215 मेगावाट की 102 लंबित परियोजनाओं की अद्यतन सूची (14 जुलाई, 2010 के अनुसार) जिन्होंने गैस के आबंटन हेतु अनुरोध किया है।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम

1055. श्री के.सी. वेणुगोपाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से आरएपीडीआरपी के अंतर्गत परियोजनाओं को शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) आर-एपीडीआरपी के भाग-क- के अंतर्गत अब तक 5288.47 करोड़ रुपए की लागत से 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा (आध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल) के लिए 1400 परियोजनाएं अनुमोदित की गई है। इसमें राजस्थान के 5 नगरों के लिए 150.90 करोड़ रुपए की राशि की एससीएडीए परियोजनाएं भाग-क में शामिल है। आर-एपीडीआरपी के भाग-क के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं किये गये ऋण का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

आर-एपीडीआरपी के भाग-ख के अंतर्गत, अब तक 5111.93 करोड़ रुपए की लागत से 9 राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान एवं तमिलनाडु) के लिए 376 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। आर-एपीडीआरपी के भाग-ख के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं तथा इन्हें संवितरित किए गए ऋण का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। आर-एपीडीआरपी के भाग-क के अंतर्गत 214.40 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से दिनांक 26.11.2009 को केरल राज्य के लिए 43 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा 4.31 करोड़ का ऋण जारी किया गया है। ब्यौरे विवरण-III पर दिये गये हैं।

आर-एपीडीआरपी के भाग-ख के अतर्गत दिनांक 2.6.2010 को 91.24 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से केरल राज्य के लिए 11 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। ब्यौरे विवरण-IV पर दिए गए हैं।

विवरण-I

आर-एपीडीआरपी के भाग-क के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा और जारी निधि

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत परियोजना की लागत	जारी निधि
1	2	3	4	5
	सामान्य श्रेणी के राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	113	388.02	116.40
2.	बिहार	71	194.59	58.38
3.	चंडीगढ़	01	33.34	
4.	छत्तीसगढ़	20	122.45	36.74
	दिल्ली	निजी इकाई होने के कारण आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत नहीं आते हैं		

1	2	3	4	5
5.	गोवा	4	110.74	31.47
6.	गुजरात	84	225.36	67.60
7.	हरियाणा	36	165.63	49.68
8.	झारखंड	30	160.61	30.00
9.	कर्नाटक	100	391.14	117.11
10.	केरल	43	214.40	64.31
11.	मध्य प्रदेश	82	228.89	68.41
12.	महाराष्ट्र	130	324.42	97.32
	उड़ीसा	निजी इकाई होने के कारण आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत नहीं आते हैं		
13.	पुदुचेरी	4	27.53	0.00
14.	पंजाब	47	272.85	81.85
15.	राजस्थान#	87	466.83	111.57
16.	तमिलनाडु	110	417.00	125.11
17.	उत्तर प्रदेश	168	636.53	190.22
18.	पश्चिम बंगाल	62	159.98	47.99
	उप-जोड़	1191	4540.33	1294.16
	विशेष श्रेणी के राज्य			
19.	अरुणाचल प्रदेश	10	37.68	
20.	असम	66	173.18	51.95
21.	हिमाचल प्रदेश	14	81.07	24.32
22.	जम्मू और कश्मीर	30	134.49	40.37
23.	मणिपुर	13	31.55	
24.	मेघालय	9	33.99	
25.	मिजोरम	9	35.12	
26.	नागालैंड	9	34.58	
27.	सिक्किम	2	26.30	7.89
28.	त्रिपुरा	16	34.36	10.31
29.	उत्तराखंड	30	125.82	37.62
	उप-जोड़	209	748.14	172.46
	कुल	1400	5288.47	1466.62

(# 5 शहरों के लिए 150.90 करोड़ रुपये की स्काडा परियोजना का भाग-ए शामिल)

विवरण-II

आर-एपीडीआरपी भाग-ख के अंतर्गत, अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे एवं जारी निधि

क्र. सं.	यूटिलिटी/राज्य	परियोजनाओं की सं. (शहर/परियोजना क्षेत्र)	स्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ रु.)	जारी निधि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	41	249.81	37.48
2.	गुजरात	63	873.18	—
3.	कर्नाटक	88	948.99	73.53
4.	केरल	11	91.24	—
5.	मध्य प्रदेश	62	1338.83	162.19

1	2	3	4	5
6.	महाराष्ट्र	30	345.83	—
7.	पंजाब	15	511.83	68.55
8.	राजस्थान	39	472.89	68.08
9.	तमिलनाडु	27	279.34	41.91
	कुल	376	5111.93	451.74

विवरण-III

आरएपीडीआरपी भाग-क के अंतर्गत केरल में स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजनाएं	अनुमोदित डीपीआर के अनुसार परियोजना लागत (करोड़ रु.)	स्वीकृति तारीख
1	2	3	4
1.	अलाप्पुझा	4.02	26.11.2009
2.	अरूर	1.22	26.11.2009
3.	अत्तींगल	1.40	26.11.2009
4.	चालाकुडी	1.37	26.11.2009
5.	चंगनाचंरी	1.19	26.11.2009
6.	चेरथाला	2.32	26.11.2009
7.	चीत्तुर-पेरींगाथुर	1.81	26.11.2009
8.	चोकली-पेरींगाथुर	1.37	26.11.2009
9.	इरनाकुलम/कोच्ची	22.78	26.11.2009
10.	गुरुवयूर	2.55	26.11.2009
11.	कनंहागड	2.75	26.11.2009
12.	कन्नूर	5.55	26.11.2009
13.	कासरगोड	1.89	26.11.2009
14.	कायामकुलम	2.54	26.11.2009
15.	काडुनगाल्लुर	2.40	26.11.2009
16.	कोलम	6.67	26.11.2009
17.	कोठामंगलम	1.11	26.11.2009
18.	कोट्टयम	5.62	26.11.2009
19.	कोयीलांडी	1.78	26.11.2009
20.	कोझीकोड	13.69	26.11.2009
21.	कुन्नामकुलम	1.78	26.11.2009
22.	मालाप्पुरम	1.74	26.11.2009
23.	मट्टानुर	1.25	26.11.2009
24.	नेदुमनगोंड	1.32	26.11.2009
25.	नेय्याट्टीनकारा	1.21	26.11.2009
26.	ओट्टापलम	0.73	26.11.2009
27.	पालाकाड	4.78	26.11.2009
28.	पप्पीनीसेरी	1.03	26.11.2009
29.	पारावुर	0.76	26.11.2009
30.	पाथानमथीट्टा	1.12	26.11.2009
31.	पायानुर	1.78	26.11.2009
32.	पेरीनथलमन्न	1.71	26.11.2009
33.	पोनानी	1.37	26.11.2009
34.	पुनालुर	1.11	26.11.2009

1	2	3	4
35.	शोरानुर	0.87	26.11.2009
36.	थालीपारामबा	1.43	26.11.2009
37.	थीरुवल्ला अरबन एरीया	2.52	26.11.2009
38.	तीरुवनंतपुरम	16.77	26.11.2009
39.	थोडुपुझा	1.68	26.11.2009
40.	थरीसुर	4.84	26.11.2009
41.	तीरूर	2.65	26.11.2009
42.	वडाकारा	2.74	26.11.2009
43.	वरकाला	1.19	26.11.2009
	डीसी एवं डीजास्टर रिकवरी	73.97	26.11.2009
	कुल	214.40	

विवरण-IV

आरएपीडीआरपी भाग-ख के अंतर्गत केरल में स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजनाएं	अनुमोदित डीपीआर के अनुसार परियोजना लागत (करोड़ रु.)	स्वीकृति तारीख
1	2	3	4
1.	अलाप्पुझा	16.96	02.06.2010
2.	अरूर	19.03	02.06.2010
3.	चीत्तुर-तत्तामंगलम	6.30	02.06.2010
4.	चोकली-पेरींगाथुर	8.76	02.06.2010
5.	कायामकुलम	7.33	02.06.2010
6.	काडुनगाल्लुर	5.53	02.06.2010
7.	मालाप्पुरम	7.26	02.06.2010
8.	नेय्याट्टीनकारा	5.77	02.06.2010
9.	पायानुर	5.18	02.06.2010
10.	पुनालुर	3.42	02.06.2010
11.	तीरूर	5.70	02.06.2010
	कुल राज्य	91.24	

निजी संस्थानों द्वारा कर वंचन

1056. श्री अब्दुल रहमान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा जांच किए जाने के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों, जिनमें से कुछ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त भी नहीं हैं, का संचालन कर रहे कतिपय गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों द्वारा घोर कर वंचन किए जाने के मामले केन्द्र सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पाए गए ऐसे मामलों का वर्ष-वार एवं संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इन संस्थानों पर कोई दंड लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक संस्थानों से संग्रहित दंड सहित आय-कर की कुल राशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) आयकर विभाग निजी शिक्षण संस्थाओं के मामलों सहित कर

अपवंचन के मामलों में उचित जांच करता है। इस प्रकार की जांच देश भर में फैले हुए कर निर्धारण प्रभारों सहित जांच निदेशालय द्वारा की जाती है।

(ख) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों के मामलों में पता लगाए गए कर अपवंचन तथा अधिरोपित अर्थ दंड के संबंध में सूचना केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। अपेक्षित ब्यौरों के संग्रहण हेतु व्यक्तिगत मामलों के अभिलेखों की जांच करनी आवश्यक होगी जिसमें काफी समय एवं प्रयास लगेगा जो कि प्राप्त किए जाने वाले वांछित लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो सकता। तथापि, प्रत्यक्ष कर कानूनों के उपबंधों के अनुसार ऐसे मामलों में अधिकार क्षेत्र रखने वाले अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है ताकि प्रत्येक मामले में पता लगाई गई अप्रकटित आय पर कर लगाया जा सके।

आईएमएफ में निवेश

1057. **श्री पोन्नम प्रभाकर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) नोटों के लिए 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया है और अन्य 4 बिलियन डॉलर की राशि को शीघ्र की स्वीकृत कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कदम के पीछे क्या उद्देश्य हैं;

(घ) क्या इसमें कोई जोखिम शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (अरबीआई ने आईएमएफ के साथ नोट खरीद हेतु करार (एनपीए) किया है जिसके अंतर्गत आरबीआई से 10 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर नोट आईएमएफ से खरीदने के लिए कहा जा सकता है।

भारत सरकार ने आईएमएफ के उधार लेने संबंधी नए करार (एनएबी) का सहभागी बनने की सहमति दे दी है जिसके अंतर्गत भारत ने 14 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर नोट के लिए प्रतिबद्धता की है। एक बार जब एनएबी प्रभावी हो जाएगा, जो एनपीए के अंतर्गत प्रतिबद्धताएं एलएबी में 'समाहित' हो जाएगी और इन करारों के अंतर्गत आईएमएफ के प्रति भारत की कुल प्रतिबद्धता 14 बिलियन अमरीकी डालर की होंगी। भारत सरकार एनएबी की सहभागी होगी जबकि आरबीआई वित्तपोषण करेगा और इसलिए नोटों को अपने पास रखेगा।

(ग) आईएमएफ के उधार देने के संसाधनों में अंशदान करने का भारत का निर्णय आईएमएफ की उधार देने की क्षमता को बढ़ाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा है। आईएमएफ के पास उपलब्ध पर्याप्त संसाधनों से अपेक्षा है कि वे उस आपवादिक स्थिति जो विश्व व्यापी वित्तीय स्थायीत्व को चुनौती देती है, को रोकने अथवा उसका मुकाबला करने में आईएमएफ की क्षमता में विश्वास उत्पन्न करेंगे।

(घ) और (ङ) यदि कोई जोखिम हैं, तो वे पर्याप्त रूप से कम कर दिए गए हैं क्योंकि आईएमएफ एक बहुपक्षीय संस्था है और इसलिए वह अत्यधिक विश्वसनीय है।

विदेश स्थित आयकर इकाई

1058. **श्री मिलिंद देवरा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश स्थित वर्तमान आयकर इकाई का उनके द्वारा निष्पादित कार्यों सहित देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी और इकाइयों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन इकाइयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) मॉरीशस और सिंगापुर में स्थित भारतीय मिशनों में दो समुद्रपार की आयकर इकाईयां मई/जून, 2010 में स्थापित की गई हैं। अधिकारियों को कर मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान सहित दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं।

(ख) और (ग) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में इसी क्रम में संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.), युनाइटेड किंगडम (यू.के.), नीदरलैण्ड, जापान, साइप्रस, जर्मनी, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) में 8 नई समुद्रपार की आयकर इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रस्ताव विचाराधीन है और इस समय कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

जराचिकित्सा इकाइयों हेतु वित्तीय सहायता

1059. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों की परिचर्या हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जराचिकित्सा इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई और धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को हाल ही में राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के अधीन जराचिकित्सा एकक की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकास मीनार

1060. **श्री रामकिशुन :**
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईटीओ स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) की विकास मीनार दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, अग्निशमन, विद्युत तथा जल संबंधी आवश्यकताओं के अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करती है;

(ख) क्या भवन में अग्निशमन उपस्करों तथा एलीवेटर सुविधाओं आदि की न्यूनतम सुविधाओं को भी पूरा न किए जाने के संबंध में दि.वि.प्रा. को कई नोटिस दिए गए हैं;

(ग) क्या उपरोक्त भवन को खतरनाक माना जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान शार्ट सर्किट के कारण आग लगने, लिफ्ट खराब होने और भगदड़ की कितनी घटनाएं हुई हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विकास मीनार का निर्माण दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की स्थापना से पहले हुआ था और विकास मीनार में अग्निशमन प्रणाली, लिफ्ट, बिजली एवं पानी जैसी सुविधाएं अपेक्षित मानदंडो को पूरा करती है और समुचित रूप से कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसे अभी तक इस प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और इस भवन को असुरक्षित नहीं पाया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ख) एवं (ग) के आलोक में लागू नहीं।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है।

[अनुवाद]

आश्रय स्थल

1061. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितनी लड़कियां और महिलाएं महिला आश्रय स्थलों में रह रही हैं; और

(ख) इन लड़कियों और महिलाओं को आश्रय स्थलों में रखने के मानदण्ड क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय परिवार की बिना सहायता के कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं/बालिकाओं हेतु आश्रय आधारित दो स्कीमों अर्थात् स्वाधार एवं अल्पावास गृह स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। 31.3.2010 तक की स्थिति के अनुसार, लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

आश्रय गृहों में आश्रय लेने वाली महिलाओं/बालिकाओं की श्रेणियां विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

देश में स्वाधार एवं अल्पावास गृहों में रह रही बालिकाओं एवं महिलाओं की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	आश्रय गृहों में रह रही बालिकाओं/महिलाओ की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4904
2.	असम	1404
3.	अरुणाचल प्रदेश	110
4.	बिहार	932
5.	चंडीगढ़	64
6.	छत्तीसगढ़	356
7.	दिल्ली	120
8.	गुजरात	288
9.	हरियाणा	670
10.	झारखंड	220
11.	जम्मू और कश्मीर	278
12.	कर्नाटक	3294
13.	केरल	434
14.	मध्य प्रदेश	1424
15.	महाराष्ट्र	4776
16.	मणिपुर	1284
17.	मेघालय	50
18.	नागालैंड	414
19.	उड़ीसा	4537
20.	पंजाब	256
21.	पुदुचेरी	128
22.	राजस्थान	684
23.	सिक्किम	64
24.	तमिलनाड	3226
25.	त्रिपुरा	320
26.	उत्तर प्रदेश	4757
27.	उत्तराखण्ड	584
28.	पश्चिम बंगाल	3204
	कुल	38782

विवरण-II

आश्रय गृहों में आश्रय पाने के लिए निम्नलिखित महिलाएं/बालिकाएं पात्र हैं:

(i) परिवारों एवं रिश्तेदारों द्वारा परित्यक्ता एवं धार्मिक स्थलों के नजदीक बिना देखभाल के छोड़ी गई विधवाएं जहां पर वे शोषण का शिकार होती हैं।

(ii) जेल से रिहा की गई तथा परिवार की सहायता के बिना रह रही महिला कैदी।

(iii) प्राकृतिक आपदाओं में जीवित बची महिलाएं जो बेघर हो गई हैं तथा जिन्हें किसी प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है।

(iv) वेश्यालायों अथवा अन्य किसी जगहों से छुड़ाईं गई या भागकर आई अवैध व्यापार की पीड़ित महिलाएं/बालिकाएं

अथवा यौन अपराधों की पीड़ित महिलाएं/बालिकाएं जिन्हें उनके परिवारों ने छोड़ दिया है अथवा जो विभिन्न कारणों से अपने परिवार में वापस नहीं जाना चाहती हैं।

(v) आतंकवादी/उग्रवादी हिंसा की पीड़ित महिलाएं जो बिना पारिवारिक सहायता अथवा उत्तर जीविता हेतु किसी भी आर्थिक सहायता के बिना रह रही हैं।

(vi) मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं (मनोरोगी महिलाओं के अलावा जिन्हें विशिष्ट देखरेख की जरुरत होती है) जिन्हें परिवार एवं रिश्तेदारों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

(vii) अपने परिवार द्वारा परित्यक्ता एच.आई.वी./एड्स पीड़ित महिलाएं अथवा वे महिलाएं जिनके पति की मृत्यु एच. आई.वी./एड्स के कारण हो गई है तथा जिन्हें कोई सामाजिक/आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है।

(viii) कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रही इसी प्रकार की महिलाएं।

[हिन्दी]

पुनः चक्रणीय सामग्री से विद्युत उत्पादन

1062. **श्री प्रहलाद जोशी : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए विद्युत का 15-20 प्रतिशत उत्पादन पुनःचक्रणीय सामग्री से करना अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ कोई कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) से (घ) जी नहीं। विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए विद्युत का 15-20 प्रतिशत उत्पादन पुनःचक्रणीय सामग्री से करना अनिवार्य बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही इस उद्देश्य से कोई कानून का विचार है।

जलविद्युत उत्पादन की संभावना

1063. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित देश में जलविद्युत उत्पादन की संभावना का कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में चलायी जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा हिमाचल प्रदेश सहित देश में जल विद्युत क्षमता के पहले किए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार संस्थापित क्षमता (आईसी) के संबंध में जल विद्युत क्षमता 148701 मेगावाट आंकी गई है जिसमें से 145320 मेगावाट क्षमता में 25 मेगावाट से अधिक की स्थापित वाली जल विद्युत योजनाएं शामिल है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 1409 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 11 जल विद्युत परियोजनाओं को 12वीं योजना में हिमाचल प्रदेश में लाभ प्राप्त करने के लिए कैंड्डिटेस् के रूप में चिन्हित किया गया है। परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्षेत्र/राज्य	पुर्नआकलन अध्ययन के अनुसार आकलित क्षमता	
	कुल (मेगावाट)	25 मेगावाट के ऊपर (मेवा)
1	2	3
उत्तरी		
जम्मू और कश्मीर	14146	13543

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	18820	18540
पंजाब	971	971
हरियाणा	64	64
राजस्थान	496	483
उत्तराखंड	18175	17998
उत्तर प्रदेश	723	664
उप जोड़ (उ.क्षे.)	53395	52263
पश्चिमी		
मध्य प्रदेश	2243	1970
छत्तीसगढ़	2242	
गुजरात	619	
महाराष्ट्र	3769	3314
गोवा	55	55
उप जोड़ (प.क्षे.)	8928	8131
दक्षिणी		
आंध्र प्रदेश	4424	4360
कर्नाटक	6602	6459
केरल	3514	3378
तमिलनाडु	1918	1693
उप जोड़ (द.क्षे.)	16458	15890
पूर्वी		
झारखंड	753	582
बिहार	70	40
उड़ीसा	2999	2981
पश्चिम बंगाल	2841	2829
सिक्किम	4286	4248
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
उप जोड़ (पू.क्षे.)	10949	10680
उत्तर पूर्वी		
मेघालय	2394	2298
त्रिपुरा	15	0
मणिपुर	1784	1761
असम	680	650
नागालैंड	1574	1452
अरूणाचल प्रदेश	50328	50064
मिजोरम	2196	2131
उप जोड़ (उ.पू. क्षेत्र)	58971	58356
अखिल भारतीय	148701	145320

विवरण-II

12वीं योजना में लाभांवित होने वाले चुने गये हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो प्रोजेक्टस

क्र. सं.	योजना का नाम	संस्थापित क्षमता (आईसी)	चालू होने का समय
1	2	3	4
1.	बजोली होली	180	2015-16

1	2	3	4
2.	धौला सिध	40	2014-15
3.	कशंग-I	65	2012-13
4.	कशंग-IV	48	2013-14
5.	कशंग-II एवं III	130	2013-14
6.	कुटेहर	260	2014-15
7.	रेनुका डैम	40	2015-16
8.	सैंज	100	2014-15
9.	शोंगटोंग करछम	102	2014-15
10.	तांगनु रोमाइ	44	2012-13
11.	तीडोंग I	100	2012-13
	कुल	1409	

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड

1064. श्री एम.बी. राजेश : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुपोषण को समाप्त करने के लिए सरकार के पास राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) कुपोषण को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

मेडिक्लेम पॉलिसी

1065. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों को मेडिक्लेम पॉलिसी देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा; और

(घ) उन कंपरियों के नाम क्या हैं जिन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव में रुचि दर्शायी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (घ) छठे वेतन आयोग के केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरू करने की सिफारिश की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक प्रारूप स्वास्थ्य बीमा स्कीम तैयार की है और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) आमंत्रित किए हैं। इस स्कीम में रुचि दर्शाने वाली तथा इसका उत्तर देने वाली सात बीमा कंपनियों निम्नलिखित हैं :-

1. दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटिड
2. यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटिड
3. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटिड
4. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटिड
5. चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटिड
6. आई सी आई सी आई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटिड
7. स्टार हैल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटिड

एशियाई विकास बैंक से पर्यटक क्षेत्र को सहायता

1066. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान पर्यटन क्षेत्र के लिए भारत को वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वित्तीय/तकनीकी सहायता को किन राज्यों में आयोग में लाया गया है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में, निम्नलिखित तकनीकी सहायता (टीए)/परियोजना तैयारी तकनीकी सहायंता (पीपीटीए)/क्षेत्रीय आर्थिक तकनीकी सहायता (आरईटीए) प्रदान की है:

- देशव्यापी अध्ययन हेतु परियोजना प्रक्रिया एवं क्षमता विकास के लिए अनुदान के आधार पर 0.5 मिलियन यूएस डॉलर का पीपीटीए प्रदान किया गया।
- पंजाब, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों के लिए समावेशी पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु अनुदान के आधार पर 1.0 मिलियन यूएस डॉलर का पीपीटीए प्रदान किया गया।
- सिक्किम राज्य के लिए दक्षिण एशिया उप-क्षेत्र में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों के गंतव्य प्रबंधन तथा संपर्क में सुधार हेतु अनुदान के आधार पर 2.0 मिलियन यूएस डॉलर का आरईटीए प्रदान किया गया।

इनके अतिरिक्त सिक्किम राज्य के दक्षिण एशिया पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजना हेतु एडीबी से 20.0 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण सहायता पर बातचीत पूरी हो चुकी है।

जनजातीय लोगों हेतु समिति

1067. श्री रामसिंह राठवा :
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पूरे देश के अनुसूचित जनजाति के लोगों के समग्र विकास और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वोच्च नोडल प्राधिकरण की स्थापना पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) से (ग) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय आबादी के लिए नीति निरूपण में परामर्शदात्री भूमिका का निष्पादन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष निकाय की स्थापना करने और जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति और प्रशासन को सुधारने के लिए उपाय सुझाने का प्रस्ताव रखा है। उक्त प्रस्ताव पर कोई *अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।*

एनसीएचईआर के अंतर्गत मेडिकल शिक्षा

1068. श्री रुद्रमाधव राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेडिकल शिक्षा को राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान परिषद (एनसीएचईआर) के दायरे में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे मेडिकल संस्थाओं तथा विद्यार्थियों दोनों को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ग) इससे मेडिकल शिक्षा में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने में किस प्रकार सहायता मिलेगी;

(घ) क्या सरकार का विचार निजी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने हेतु नए मानदण्ड तय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उच्चतर शिक्षा विभाग का एक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विधेयक पुरा स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में उच्चतर शिक्षा का समन्वय करने, अनुसंधान एवं अभिनव परिवर्तन को बढ़ावा देने और उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को स्वायतता प्रदान करने आदि के लिए एक संरक्षी प्राधिकरण नामतः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग (एनसीएचईआर) की व्यवस्था होगी। उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक को तैयार करने में सहायता देने और मदद करने हेतु गठित कार्यबल ने परामर्श की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राज्यों का दौरा किया। कुछ मंचों पर भाग लेने वाले सदस्यों ने आयुर्विज्ञान शिक्षा को भी प्रस्तावित एनसीएचईआर के दायरे में लाने की आवश्यकता को व्यक्त किया।

(ख) से (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अपनी ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन विकास परिषद (एनसीएचआरएच) जैसे एक संरक्षी विनियामक निकाय का गठन करने पर भी विचार कर रहा है जिससे कि वर्तमान विनियामक ढांचे में सुधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में दक्ष कार्मिकों की आपूर्ति को बढ़ाने संबंधी दोहरे प्रयोजन को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

विभिन्न बीमारियों हेतु उपचार सुविधाएं

1069. **श्री गणेश सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति वर्ष विशेषकर हैपेटाइटिस का समय पर उपचार न होने के कारण कई मौतें हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में खासकर हैपेटाइटिस से संबंधित उपचार के मामले में स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) देश में हर वर्ष वाइरल हैपेटाइटिस सहित विभिन्न कारणों से मौतें होती है।

वाइरल हैपेटाइटिस के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। अधिसंख्य मामलों में रोग मियादी होता है। सामान्यतया केवल सहायक उपचार अपेक्षित होता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वाइरल हैपेटाइटिस के कारण हुई सूचित की गई मौतें नीचे दी गई हैं :

2007	2008	2009
544	536	586 (अनंतिम)

पूरे देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने और उनमें सुधार करने के लिए अप्रैल, 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर विशेष ध्यान केन्द्रीय किया जाता है। एन आर एच एम के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

हैपेटाइटिस 'बी और 'सी' वाइरल हैपेटाइटिस के प्रमुख कारण हैं जिन्हें निरापद रक्त और रक्त उत्पादों का इस्तेमाल करके तथा सुरक्षित यौनक्रिया एवं सुरक्षित इंजेक्शन चलनों का अपना कर तथा व्यवहार में लाकर बेहतर तरीके से रोका जा सकता है। एड्स नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रायल के अन्तर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन रक्त निरापदता और सुरक्षित यौनक्रिया तथा इंजेक्शन चलनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इसके अलावा, कुछ राज्यों में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन हैपेटाइटिस 'बी' से बचाव के लिए रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र वाइरल हैपेटाइटिस के प्रकोप की जांच करने तथा निदान के लिए तकनीकी और प्रयोगशाला सहायता प्रदान कर रहा है।

चूंकि हैपेटाइटिस 'ए' और 'ई का प्रमुख कारण संदूषित जल का उपभोग है, इसलिए ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षित पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

(ii) ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता मानीटरिंग एवं निगरानी कार्यक्रम

(iii) जलमणि कार्यक्रम

कृषक ऋणों पर ब्याज दर

1070. **श्री महेश जोशी :**
डॉ. के.एस. राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषकों को पिछड़े क्षेत्रों में अल्पावधि ऋणों हेतु लागू ब्याज दरों पर मध्यावधि ऋण मुहैया कराने और उस पर तीन प्रतिशत ब्याज रियायत मुहैया कराने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) भारत सरकार पहले से ही 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋण के लिए सभी ऋणदाता संस्थाओं को ब्याज सहायता प्रदान कर रही है ताकि किसानों को 7% की दर पर अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2009-10 में, शीघ्र भुगतान करने वाले किसानों को 1% की अतिरिक्त ब्याज सहायता दी थी, जिसे वर्ष 2010-11 में बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। इस तरह समय पर चुकता करने वाले किसानों का 3 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण 5% प्रतिवर्ष की दर पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु दर

1071. **श्री बिभू प्रसाद तराई :**
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री रुद्रमाधव राय :
श्री पूर्णमासी राम :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शिशु मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है जैसाकि विभिन्न मेडिकल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में शिशु मृत्यु दर बढ़ती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या भावी कार्यनीति बनायी गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) स्टेट ऑफ वर्ल्डस चिल्ड्रन, 2009" नामक यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत पांच वर्ष के नीचे की आयु के शिशुओं की मृत्यु दर के अवरोही क्रम में 49वें स्थान पर है।

(ग) और (घ) नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान नवजात मृत्यु दर घट रही है और यह 2006 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 57 से घट कर 2008 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 53 हो गई है। राज्य-वार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रजन्न एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर सी एच) II में ऐसे कार्यकलापों को व्यापक रूप से एकीकृत किया गया है जो शिशु स्वास्थ्य में सुधार करते हैं तथा रुग्णता दर और मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार कारकों पर ध्यान दिया जाता है।

- शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के मूल घटक जो शिशु रुग्णता दर और मृत्यु दर को कम करने में मदद करते हैं, नीचे दिए गए हैं:
- स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में विशेष नवजात परिचर्या एककों, नवजात को सामान्य रखने के लिए एककों तथा नवजात परिचर्या यूनिटों की स्थापना।
- नवजात और शैशवकालीन बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन तथा नवजात और शैशवकालीन बीमारियों का सेवापूर्व एकीकृत प्रबंधन।
- नवजात और शैशवाकालीन बीमारियों का सुविधा आधारित एकीकृत प्रबंधन।
- अतिसारीय रोगों का शीघ्र पता लगाना और समुचित प्रबंधन।
- तीव्र श्वसनी संक्रमणों और अन्य संक्रमणों का पता लगाना और समुचित प्रबंधन।
- नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो नवजात परिचर्या और रिसस्सीटेशन का एक कार्यक्रम है।
- नवजात और छोटे बच्चों का पोषण।
- रोग प्रतिरक्षण।
- विटामिन ए संपूरण और आयरन तथा फॉलिक एसिड संपूरण।

विवरण

क्र. सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नवजात मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म)								
		2006			2007			2008		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भारत	57	62	39	55	61	37	53	58	36
	बड़े राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	56	62	38	54	60	37	52	58	36
2.	असम	67	70	42	66	68	41	64	66	39
3.	बिहार	60	62	45	58	59	44	56	57	42
4.	छत्तीसगढ़	61	62	50	59	61	49	57	59	48
5.	दिल्ली	37	42	36	36	41	35	35	40	34
6.	गुजरात	53	62	37	52	60	36	50	58	35
7.	हरियाणा	57	62	45	55	60	44	54	58	43
8.	जम्मू और कश्मीर	52	54	38	51	53	38	49	51	37
9.	झारखंड	49	52	32	48	51	31	46	49	32
10.	कर्नाटक	48	53	36	47	52	35	45	50	33
11.	केरल	15	16	12	13	14	10	12	12	10
12.	मध्य प्रदेश	74	79	52	72	77	50	70	75	48
13.	महाराष्ट्र	35	42	26	34	41	24	33	40	23
14.	उड़ीसा	73	76	53	71	73	52	69	71	49
15.	पंजाब	44	48	36	43	47	35	41	45	33
16.	राजस्थान	67	74	41	65	72	40	63	69	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	तमिलनाडु	37	39	33	35	38	31	31	34	28
18.	उत्तर प्रदेश	71	75	53	69	72	51	67	70	49
19.	पश्चिम बंगाल	38	40	29	37	39	29	35	37	29
छोटे राज्य										
1.	अरुणाचल प्रदेश	40	44	19	37	41	15	32	34	19
2.	गोवा	15	14	16	13	11	13	10	10	11
3.	हिमाचल प्रदेश	50	52	26	47	49	25	44	45	27
4.	मणिपुर	11	11	11	12	13	9	14	16	8
5.	मेघालय	53	54	43	56	57	46	58	60	43
6.	मिजोरम	25	32	13	23	27	16	37	45	24
7.	नागालैंड	20	18	27	21	18	29	26	25	28
8.	सिक्किम	33	35	16	34	36	20	33	35	19
9.	त्रिपुरा	36	37	30	39	40	32	34	36	26
10.	उत्तराखंड	43	54	22	48	52	25	44	48	24
संघ राज्य क्षेत्र										
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31	35	21	34	38	23	31	35	23
2.	चंडीगढ़	23	23	23	27	25	28	28	22	29
3.	दादरा और नगर हवेली	35	38	24	34	38	18	34	38	20
4.	दमन और दीव	28	33	18	27	29	23	31	29	36
5.	लक्षद्वीप	25	19	31	24	25	23	31	28	35
6.	पुदुचेरी	28	35	24	25	31	22	25	31	22

स्रोत : नमूना पंजीयन पद्धति, भारत के महापंजीयक, 2008

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में जालसाजी

1072. **श्री विश्वमोहन कुमार :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों, स्वाचालित टैलर मशीन (एटीएम) तथा अन्य वित्तीय संस्थानों में जालसाजी, डकैती, चोरी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों की घटनाओं की रिपोर्टें देश के विभिन्न भागों में मिली हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान की गयी जालसाजी सहित इस प्रकार की घटनाओं का राज्य-वार, बैंक-वार तथा वित्तीय संस्थान-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देश के विभिन्न भागों के बैंकों और एटीएम में धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2007-08, 2008-09, 2009-10) और चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-जून) में धोखाधड़ी की घटनाओं का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्रमश विवरण-I और II में दिया गया है। पिछले तीन कैलेंडर वर्ष और चालू वर्ष (जून 2010 तक) के दौरान डकैती, चोरी, लूटपाट की घटनाओं का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्रमश: विवरण-III और IV में दिया गया है।

(ग) से (ङ) बैंकों से धोखाधड़ी की रिपोर्टे मिलने पर भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न पहलुओं की जांच करने के बाद संबंधित बैंकों को सलाह देता है कि मामले की सूचना सीबीआई/पुलिस/एसएफआईओ को दें, कर्मचारियों की जिम्मेदारी की जांच करें, चूक करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाहियां शीघ्रता से पूरा करें, धोखाधड़ी में अतर्ग्रस्त धन राशि वसूल करने के लिए उपाय करें, जहां कहीं लागू हो वहां बीमा दावा करें और व्यवस्था तथा साथ ही प्रक्रियाओं को सुकर एवं कारगर बनाएं, ताकि फिर से धोखाधड़ियां न हों।

भारतीय रिजर्व बैंक धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए अपनी पर्यवेक्षण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में निम्नलिखित उपाय करता है :

I. विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ियों के संबंध में अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली संबंधी परिपत्र जारी करके बैंकों को समय-समय पर सामान्य धोखाधड़ी संभावित क्षेत्रों के संबंध में सचेत करना तथा उनके द्वारा इसके लिए किये जाने वाले उपाय बताना।

II. उधारकर्ताओं को नई ऋण सुविधाएं मंजूर करते समय समुचित सावधानी बरतने के लिए बैंकों को सावधान संबंधी परामर्श जारी करना।

III. विगत में धोखाधड़ी की घटनाओं सहित बैंकों के परिचालनों से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं पर विचार करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निम्नलिखित सलाह दी थी :

(क) समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली शुरु करना।

(ख) निदेशक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा बैंकों में आंतरिक निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा तंत्र के कार्य संचालन की समीक्षा करना।

(ग) अन्य रुप से 1 करोड़ रुपए और इससे अधिक की धोखाधड़ियां की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति गठित करना।

बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा शुरू किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

I. भारतीय रिजर्व बैंक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बैंकों

को समय-समय पर परिपत्र जारी करता है, जिसमें उन्हें अधिक सतर्क रहने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अपनी शाखाओं में लूटपाट/डकैतियों के लिए निवारक कार्यवाही करने की सलाह दी जाती है।

II. भारतीय बैंक संघ ने बैंक सम्पत्तियों के संरक्षण के लिए जुलाई 2004 में बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी दिशानिर्देश जारी किए थे।

III. भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर 2008 में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से अनुरोध किया था। बैंक शाखाओं की सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करें, जिसमें बैंक के परामर्श से सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू जैसे पहुंच नियंत्रण, आगन्तुक नियंत्रण प्रबंधन, निगरानी, सतर्कता, नकदी रखने की सीमा, नकदी-मूल्यवान वस्तुएं लाने जे लाने संबंधी कड़े मानदण्ड ऐसे मानदण्डों का अनुपालन न कर पाने की जिम्मेदारी आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।

IV. आईबीए ने बैंकों को दोहराया है कि सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान किए जाने के लिए बल दिया जाना चाहिए क्योंकि सुरक्षा उपायों में शिथिलता न केवल बैंकों को असामाजिक तत्वों/अतिवादी संगठनों से हमलों के लिए आसान लक्ष्य बनाती है अपितु देश की आर्थिक प्रगति को भी अस्थिर करती है। इसके अलावा, आईबीए ने सुझाव दिया है कि बैंक अपनी आस्तियों की सुरक्षा करने तथा राज्य पुलिस अग्निशमन दल आदि जैसे संगठनों को त्वरित और प्रभावी राहत उपाय करने में मदद करने के लिए संकट/आपदा की प्रभावी प्रबंधन योजना भी आरंभ करने का विचार कर सकते हैं।

V. कुछ बैंकों ने सुरक्षा प्रबंधन के लिए किए गए उपायों की पुष्टि की है। समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/निदेशों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों ने अपनी सुरक्षा नीतियां बनाई हैं। बैंक ने निगरानी प्राधिकारी/सुरक्षा अधिकारी बैंक/शाखा परिसर के दौरों के दौरान सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्धारित मानदण्डों का कार्यान्वियन हो रहा है तथा कमियां यदि कोई हों, को दूर कर दिया गया है।

VI. बैंकों द्वारा कार्यान्वित सुरक्षोपायों की समीक्षा सभी राज्यों में आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा आवधिक रुप से आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में की जाती है। बैठकों में बैंकर तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत राज्य सरकार के अधिकारी भाग लेते है। समिति राज्य में सुरक्षा वातावरण का अवलोकन करती है, बैंकों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले जरुरी कदमों पर विचार-विमर्श करती है तथा बैंकों को अपेक्षित दिशानिर्देश/निदेश जारी करने की सलाह देती है।

विवरण-I

धोखाधड़ियों से संबंधित राज्य-वार आंकड़े

(करोड़ रुपए)

राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (30 जून, 2010 की स्थिति के अनुसार)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0.01	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	244	83.19	213	93.46	205	73.98	50	21.48
अरुणाचल प्रदेश	3	0.59	4	1.29	3	1.89	0	0
असम	28	18.37	43	29.87	31	7.61	5	2.51
बिहार	51	11.46	69	26.08	55	8.25	10	0.51
चंडीगढ़	16	4.38	36	51.78	18	7.98	4	6.27
छत्तीसगढ़	23	1.25	20	2.81	16	7.59	8	0.67
दिल्ली	320	57.00	365	210.92	349	205.52	84	17.52
गोवा	8	0.29	16	3.62	16	1.46	4	0.27
गुजरात	125	23.71	229	111.25	115	142.49	26	78.03
हरियाणा	64	8.31	223	19.72	145	13.84	37	3.93
हिमाचल प्रदेश	7	0.84	16	2.05	9	0.65	3	0.41
जम्मू और कश्मीर	11	3.70	12	0.61	17	21.92	13	2.48
झारखंड	17	3.84	45	6.76	20	2.35	15	12.49
कर्नाटक	330	107.12	355	108.26	286	459.21	49	25.52
केरल	110	60.19	112	70.12	81	89.14	27	11.73
मध्य प्रदेश	121	34.16	130	31.74	97	23.73	45	65.17
महाराष्ट्र	855	203.96	1167	503.14	1006	140.75	342	74.58
मणिपुर	4	0.41	6	0.35	1	4.54	0	0
मेघालय	4	1.33	4	0.32	3	0.30	0	0
मिजोरम	1	0.04	3	0.11	1	2.10	1	0.11
नागालैंड	4	0.19	3	0.25	3	1.01	1	0.05
उड़ीसा	44	11.72	60	13.17	72	11.67	18	1.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पुदुचेरी	4	0.28	3	0.90	3	0.50	1	0.52
पंजाब	105	18.49	135	20.81	104	64.81	43	11.46
राजस्थान	68	38.47	99	76.57	91	9.01	22	3.13
सिक्किम	1	0.04	4	0.62	4	0.37	0	0
तमिलनाडु	347	144.54	342	166.67	277	175.47	81	28.24
त्रिपुरा	0	0	3	1.08	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	331	50.10	344	58.34	281	92.46	103	16.47
उत्तराखंड	6	23.09	23	6.96	17	11.47	8	0.69
पश्चिम बंगाल	308	137.93	348	254.36	242	87.76	88	48.13
कुल	3561	1049.00	4432	1873.99	3568	1669.83	1088	433.58

टिप्पणी: उपर्युक्त आंकड़े केवल उन्हीं मामलों से संबंधित हैं, जिनमें प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि अंतर्ग्रस्त है। ऐसे मामले जिनमें अंतर्ग्रस्त राशि 1.00 लाख रुपए से कम है, से संबंधित राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-II

धोखाधड़ियों के बैंक-वार आंकड़ें

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (30 जून, 2010 तक)	
		धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	अंतर्ग्रस्त की संख्या	धोखाधड़ियों राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भारतीय स्टेट बैंक	561	69.15	745	228.17	545	224.77	119	36.48
	एसबीआई (विदेशी शाखाएं)	0	0	7	0.30	3	30.25	0	0
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	77	9.31	70	74.66	62	8.26	23	2.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	77	10.58	48	4.08	42	68.55	12	1.05
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	42	12.96	41	5.15	27	2.22	5	0.27
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	19	24.69	29	4.48	28	3.28	7	091
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	56	6.68	47	9.84	58	18.57	24	2.43
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	28	44.87	13	61.96	0	0	0	0
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	56	5.50	53	9.21	34	5.15	5.	2.00
9.	इलाहाबाद बैंक	43	12.24	118	17.72	112	23.71	37	16.47
10.	आंध्रा बैंक	32	5.17	40	9.09	95	70.02	8	1.65
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	213	59.42	219	25.65	232	33.35	58	7.89
	बैंक ऑफ बड़ौदा (विदेशी शाखाएं)	0	0	6	0.10	7	1.30	0	0
12.	बैंक ऑफ इंडिया	238	44.97	280	63.04	219	57.20	52	10.39
	बैंक ऑफ इंडिया (विदेशी शाखाएं)	0	0	6	0.54	2	.070	1	0.01
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	61	24.88	78	46.77	81	18.47	23	54.86
14.	केनरा बैंक	225	81.68	222	89.12	151	62.11	31	43.93
	केनरा बैंक (विदेशी)	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	139	37.80	172	167.67	165	83.69	29	36.39
16.	कार्पोरेशन बैंक	88	14.05	83	11.37	87	10.91	19	4.51
17.	देना बैंक	41	19.58	72	59.83	35	9.81	10	1.33
18.	आईडीबीआई लि.	45	3.33	87	138.56	121	221.26	30	20.97
19.	इंडियन बैंक	72	24.73	87	12.91	99	62.50	37	6.40
	विदेशी शाखा	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	183	40.29	125	49.76	134	108.04	27	15.65
	विदेशी शाखा	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	30	6.65	43	5.39	54	11.34	20	2.54
22.	पंजाब नेशनल बैंक	163	36.72	209	84.96	244	76.20	105	9.10
23.	पंजाब एंड सिंध बैंक	21	3.86	9	1.35	33	28.56	8	1.42
24.	सिंडीकेट बैंक	122	25.40	138	127.39	200	54.89	40	24.01
	विदेशी शाखा	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	101	34.90	100	67.63	137	224.34	46	10.66
26.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	86	29.49	69	34.86	60	20.85	25	10.96
27.	यूको बैंक	105	54.40	105	64.93	133	29.68	45	26.75
28.	विजया बैंक	80	35.29	104	50.40	169	39.70	19	7.10
	कुल	3004	778.59	3425	1526.58	3369	1609.05	865	358.30

क्रम सं.	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (30 जून, 2010 तक)	
		धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	अंतर्ग्रस्त की संख्या	धोखाधड़ियों राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	बैंक ऑफ पंजाब लि.	0	0	0-	0-	0	0	0	0
30.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	25	9.42	20-	0.95-	30	17.91	8	1.14
31.	बनारस स्टेट बैंक लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
	विदेशी शाखाएं	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	कैथोलिक सिरयान बैंक लि.	1	0.13	6	0.97	8	0.86	1	0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	सेंचुरियन बैंक लि./सीबीपी	69	34.68	0	0	0	0	0	0
35.	सिटी यूनियन बैंक लि.	7	0.73	1	0.08	10	9.17	0	0
36.	डवलेपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	12	0.59	8	0.67	8	1.11	4	0.07
37.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	3	0.93	8	0.97	7	1.75	0	0
38.	फेडरल बैंक लि.	41	18.58	44	5.04	92	68.74	13	4.19
39.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड़ d	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	एचडीएफसी बैंक	170	8.63	404	195.16	300	43.55	72	5.57
42.	आईसीआईसीआई बैंक	10976	88.83	13221	83.19	15074	69.28	2617	27.75
43.	आईडीबीआई लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	इंडसइंड बैंक लि.	7	0.36	17	2.08	35	4.08	14	20.93
45.	जम्मू और कश्मीर बैंक	8	1.28	12	0.81	17	2.39	6	0.22
46.	कर्नाटक बैंक लि.	22	8.74	31	9.71	27	4.74	2	0.17
47.	करूर वैश्य बैंक लि.	12	6.00	9	1.95	10	4.78	0	0
48.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	27	1.11	80	1.68	87	4.79	17	0.94
49.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	7	0.08	8	0.50	13	5.18	2	1.25
50.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	1	0.98	0	0	0	0	0	0
51.	नैनीताल बैंक लि.	3	0.57	3	0.04	3	0.34	0	0
52.	नेदुंगाडी बैंक लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	रत्नाकर बैंक लि.	2	0.97	0	0	4	1.75	2	0.15
54.	सांगली बैंक लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	साउथ इंडियन बैंक लि.	16	1.00	8	5.96	13	4.24	2	0.30
56.	एसबीआईसीआई	4	0.70	2	1.28	5	0.52	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	47	12.62	35	4.05	27	1.20	7	0.70
58.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	यूटीआई बैंक लि. (एक्सिस बैंक लि.) (एक्सिस बैंक)	73	17.53	54	13.72	84	54.33	21	10.28
60.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	27	2.40	37	9.68	34	3.82	6	0.32
61.	यस बैंक	10	0.14	7	0.01	3	0.01	3	0.01
	कुल	11570	217.00	14015	338.50	15891	304.54	2797	74.08

क्रम सं.	विदेशी बैंक	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (30 जून, 2010 तक)	
		धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	अंतर्ग्रस्त की संख्या	धोखाधड़ियों राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	एबीएन आमरो बैंक	208	1.84	218	5.07	120	2.79	22	0.29
63.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	499	2.66	703	6.05	817	7.71	189	1.39
64.	बैंक ऑफ अमेरिका	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	बैंक ऑफ सिलोन	1	2.80	0	0	1	1.00	0	0
66.	बैंक ऑफ बहरीन एवं कुवैत	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी	1	0.01	0	0	0	0	0	0
68.	बीएनपी परिबास	1	0.09	1	0.02	0	0	0	0
69.	बारक्लेस बैंक	37	0.49	48	2.69	44	0.17	4	0.03
70.	कैल्योन बैंक	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	चाइना ट्रस्ट कामर्शियल बैंक	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	सिटीबैंक एन.ए.	1647	10.50	1182	14.04	1277	11.68	246	1.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.	ड्यूट्श बैंक	45	6.00	97	4.85	66	32.76	9	0.29
74.	हांगकांग बैंक/एचएसबीसी	3770	16.02	3481	17.11	2741	11.13	381	2.90
75.	मशरेक बैंक	1	0.01	0	0	0	0	0	0
76.	ओमान इंटरनेशनल बैंक	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	460	22.14	409	6.26	461	26.57	117	1.10
	योग	6670	62.56	6139	56.09	5528	93.95	968	7.04
	कुल-योग	21244	1058.15	23579	1880.54	24788	2007.54	4630	439.42

विवरण-III

चोरी/डकैती/लूट के बैंक-वार आंकड़े (वर्ष 2007)

(लाख रुपए)

राज्य	मामलों की संख्या	घाटे की राशि	वसूल की गई राशि
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	00	00	00
आन्ध्र प्रदेश	19	117.14	96.61
अरूणाचल प्रदेश	01	00	00
असम	32	36.32	1.44
बिहार	29	114.00	20.78
चंडीगढ़	04	0.20	00
छत्तीसगढ़	18	36.47	00
दादरा और नगर हवेली	01	00	00
दमन और दीव	01	00	00
दिल्ली	13	8.39	00
गोवा	05	0.01	00
गुजरात	33	2.92	2.47
हरियाणा	24	27.61	00
हिमाचल प्रदेश	06	0.47	00
जम्मू और कश्मीर	11	18.02	00
झारखंड	23	186.99	138.00
कर्नाटक	22	35.04	4.00
केरल	11	0.55	00
लक्षद्वीप	00	00	00
मध्य प्रदेश	27	30.17	6.83
महाराष्ट्र	32	156.13	10.00
मणिपुर	00	00	00
मेघालय	04	3.00	3.00

1	2	3	4
मिजोरम	00	00	00
नागालैंड	00	00	00
उड़ीसा	22	388.04	00
पुदुचेरी	00	00	00
पंजाब	52	93.21	6.46
राजस्थान	25	30.66	00
सिक्किम	00	00	00
तमिलनाडु	13	47.89	47.83
उत्तर प्रदेश	51	104.80	49.13
उत्तराखंड	06	7.09	0.86
पश्चिम बंगाल	24	115.12	4.50
कुल	509	1560.24	391.91

चोरी/डकैती/लूट के बैंक-वार आंकड़े (वर्ष 2008)

(लाख रुपए)

राज्य	मामलों की संख्या	घाटे की राशि	वसूल की गई राशि
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	**18**	31.48	15.81
अरुणाचल प्रदेश	00	0.00	0.00
असम	21	56.68	0.00
बिहार	29	78.71	4.96
चंडीगढ़	06	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	17	20.89	0.30
दादरा और नगर हवेली	00	0.00	0.00
दमन और दीव	00	0.00	0.00
दिल्ली	13	100.83	67.02
गोवा	01	0.00	0.00
गुजरात	20	100.73	99.97
हरियाणा	44	242.28	26.25
हिमाचल प्रदेश	14	4.75	0.00
जम्मू और कश्मीर	13	54.94	0.00
झारखंड	24	150.41	25.92
कर्नाटक	20	119.20	1.25
केरल	14	0.00	0.00
लक्षद्वीप	01	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	42	110.27	15.89
महाराष्ट्र	36	131.25	58.03
मेघालय	00	0.00	0.00
मिजोरम	01	0.00	0.00
नागालैंड	00	0.00	0.00
उड़ीसा	20	357.04	7.67
पुदुचेरी	00	102.18	0.00
पंजाब	55	102.18	0.00
राजस्थान	32	75.86	10.41

1	2	3	4
तमिलनाडु	19	39.11	24.11
उत्तर प्रदेश	65	155.15	52.49
उत्तराखंड	12	30.03	6.78
पश्चिम बंगाल	27	159.98	12.42
कुल	564	2223.95	429.28

चोरी/डकैती/लूट के बैंक-वार आंकड़े (वर्ष 2009)

(लाख रुपए)

राज्य	मामलों की संख्या	घाटे की राशि	वसूल की गई राशि
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	51	40.51	26.52
अरूणाचल प्रदेश	03	33.00	0.00
असम	13	172.48	11.00
बिहार	22	77.70	2.36
चंडीगढ़	07	0.87	0.00
छत्तीसगढ़	09	26.52	0.00
दादरा और नगर हवेली	02	0.00	0.00
दमन और दीव	00	0.00	0.00
दिल्ली	30	24.07	10.58
गोवा	03	0.00	0.00
गुजरात	25	64.35	2.04
हरियाणा	31	131.23	6.96
हिमाचल प्रदेश	10	7.55	0.00
जम्मू और कश्मीर	15	118.34	0.00
झारखंड	19	75.89	0.77
कर्नाटक	32	44.45	23.78
केरल	16	111.10	111.00
लक्षद्वीप	00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	49	41.95	7.06
महाराष्ट्र	36	73.42	5.33
मेघालय	01	0.00	0.00
मिजोरम	00	0.00	0.00
नागालैंड	01	0.00	0.00
उड़ीसा	22	253.73	70.64
पुदुचेरी	01	0.00	0.00
पंजाब	60	83.94	44.14
राजस्थान	36	84.26	14.59
तमिलनाडु	17	17.67	14.77
उत्तर प्रदेश	53	292.29	183.70
उत्तराखंड	05	4.52	0.00
पश्चिम बंगाल	27	272.21	19.90
कुल	596	2052.05	555.14

चोरी/डकैती/लूट के बैंक-वार आंकड़े (वर्ष 2010)

(लाख रुपए)

राज्य	मामलों की संख्या	घाटे की राशि	वसूल की गई राशि
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	14	162.24	12.52

1	2	3	4
अरूणाचल प्रदेश	00	0.00	0.00
असम	21	54.95	0.00
बिहार	10	33.02	0.00
चंडीगढ़	04	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	04	34.87	5.00
दादरा और नगर हवेली	00	0.00	0.00
दमन और दीव	00	0.00	0.00
दिल्ली	09	4.17	3.46
गोवा	00	0.00	0.00
गुजरात	04	65.22	53.55
हरियाणा	19	17.05	11.64
हिमाचल प्रदेश	02	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	05	0.66	0.00
झारखंड	13	33.78	12.10
कर्नाटक	17	88.07	55.96
केरल	04	0.00	0.00
लक्षद्वीप	00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	14	32.34	5.99
महाराष्ट्र	14	25.82	9.98
मेघालय	02	17.07	17.07
मिजोरम	00	0.00	0.00
नागालैंड	00	0.00	0.00
उड़ीसा	05	138.91	83.83
पुदुचेरी	01	100.00	98.76
पंजाब	40	19.19	4.16
राजस्थान	15	11.98	3.76
तमिलनाडु	07	20.72	20.72
उत्तर प्रदेश	32	156.10	44.87
उत्तराखंड	02	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	11	112.56	1.59
कुल	269	1128.72	444.96

विवरण-IV

वर्ष 2007 में चोरी/डकैती/लूट के बैंक-वार आंकड़े

(लाख रुपए)

बैंक का नाम	मामलों की संख्या	घाटे की राशि	वसूल की गई राशि
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	23	43.48	6.98
आंध्रा बैंक	13	0.00	0.00
ऐक्सिस बैंक लि.	01	4.50	4.50
बैंक ऑफ बड़ौदा	19	226.09	0.47
बैंक ऑफ इंडिया	28	23.81	7.54
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	04	24·	10
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	04	0.01	0
केनरा बैंक	16	23.99	3.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	45	117.90	6.59

1	2	3	4
कार्पोरेशन बैंक	05	9.99	0.00
सिटी बैंक एन.ए.	01	21.17	0.00
देना बैंक	12	13.66	0.00
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	02	0.07	0.00
धनलक्ष्मी बैंक लि.	02	47.89	47.83
एचडीएफसी बैंक लि.	03	51.22	43.78
आईसीआईसीआई बैंक लि.	04	113.86	0.00
आईडीबीआई बैंक लि.	01	0.94	0.00
इंडियन बैंक	14	1.84	0.00
इण्डियन ओवरसीज बैंक	23	16.36	4.06
इंडस्इंड बैंक लि.	01	6.46	6.46
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	01	100.00	89.07
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	08	18.02	0.00
कर्नाटक बैंक लि.	03	0.01	0.00
करुर वैश्य बैंक लि.	03	9.60	0.00
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	17	9.86	0.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	13	0.00	0.00
पंजाब नेशनल बैंक	26	105.43	0.00
साउथ इंडियन बैंक	03	0.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	09	25.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	01	2.00	0.00
भारतीय स्टेट बैंक	61	110.12	16.80
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	10	9.58	0.00
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	04	20.96	0.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	23	20.08	0.00
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	08	0.30	0.00
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	01	0.00	0.00
सिंडीकेट बैंक	15	153.23	138.00
यूको बैंक	45	137.23	6.83
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	18	53.05	0.00
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	11	38.53	0.00
विजया बैंक	08	0.00	0.00
कुल	509	1560.24	391.91

वर्ष 2008 में चोरी/डकैती/लूट के बैंक-वार आंकड़े

(लाख रुपए)

बैंक का नाम	मामलों की संख्या	घाटे की राशि	वसूल की गई राशि
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	31	40.10	3.83
आंध्रा बैंक	04.	2.95	0.00
ऐक्सिस बैंक लि.	10	110.32	100.24
बैंक ऑफ बड़ौदा	08	20.38	1.13
बैंक ऑफ सिलोन	04	0.00	0.00

1	2	3	4
बैंक ऑफ इंडिया	36	40.62	12.35
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	02	61.19	0.00
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	06	8.84	1.80
केनरा बैंक	19	8.84	1.80
कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	02	0.00	0.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	49	108.92	4.80
कार्पोरेशन बैंक	05	5.00	5.00
सिटी बैंक एन.ए.	01	0.76	0.00
देना बैंक	11	1.00	0.00
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	01	0.00	0.00
धनलक्ष्मी बैंक लि.	00	0.00	0.00
एचडीएफसी बैंक लि.	03	43.86	43.86
हांगकांग एंड शंघाई बैकिंग कार्पोरेशन लि.	01	0.00	0.00
आईसीआईसीआई बैंक लि.	16	850.51	176.13
आईडीबीआई बैंक लि.	04	21.02	7.12
इंडियन बैंक	08	14.55	0.00
इण्डियन ओवरसीज बैंक	18	7.28	6.68
इंडस्इंड बैंक लि.	01	2.00	2.00
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	01	0.00	0.00
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	10	54.94	0.00
कर्नाटक बैंक लि.	02	0.00	0.00
करुर वैश्य बैंक लि.	03	0.00	0.00
कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	01	10.00	0.00
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	16	157.15	0.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	16	9.99	0.00
पंजाब नेशनल बैंक	12	9.99	0.00
साउथ इंडियन बैंक	06	0.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	12	48.96	0.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	03	18.68	0.00
भारतीय स्टेट बैंक	99	210.46	0.00
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	17	4.87	0.00
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	06	14.47	1.25
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	37	59.52	6.78
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	02	0.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	08	0.00	0.00
सिंडीकेट बैंक	15	90.99	0.00
तमिलनाडु मर्कैटाइल बैंक लि.	01	20.00	0.00
यूको बैंक	29	62.77	22.74
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	15	20.23	15.74
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	11	82.79	5.22
विजया बैंक.	02	0.00	0.00
कुल	564	2223.95	429.28

वर्ष 2009 में चोरी/डकैती/लूट के बैंक-वार आंकड़े

(लाख रुपए)

बैंक का नाम	मामलों की संख्या	घाटे की राशि	वसूल की गई राशि
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	19	30.95	3.12
आंध्रा बैंक	13	2.20	2.20
ऐक्सिस बैंक लि.	17	357.30	287.50
बैंक ऑफ बड़ौदा	06	16.70	0.00
बैंक ऑफ इंडिया	29	41.35	4.14
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	05	11.47	0.00
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	06	0.44	0.17
केनरा बैंक	22	13.62	2.31
कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	01	0.00	0.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	48	28.50	0.00
कार्पोरेशन बैंक	01	0.00	0.00
सिटी बैंक एन.ए.	03	2.76	0.41
देना बैंक	12	11.15	11.15
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	01	7.40	0.00
धनलक्ष्मी बैंक लि.	00	0.00	0.00
फेडरल बैंक लि.	10	20.46	14.99
एचडीएफसी बैंक लि.	06	69.89	35.35
आईसीआईसीआई बैंक लि.	24	187.08	81.50
आईडीबीआई बैंक लि.	03	3.37	0.00
इंडियन बैंक	12	20.25	0.00
इण्डियन ओवरसीज बैंक	26	26.51	3.27
इंडस्इंड बैंक लि.	02	0.00	0.00
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	00	0.00	0.00
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	09	118.25	0.00
कर्नाटक बैंक लि.	01	0.00	0.00
करुर वैश्य बैंक लि.	05	0.00	0.00
कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि.	01	0.48	0.00
नैनीताल बैंक लि.	01	0.00	0.00
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	15	30.84	0.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	14	0.00	0.00
पंजाब नेशनल बैंक	11	85.00	2.27
साउथ इंडियन बैंक	04	0.00	0.00
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लि.	04	1.71	0.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	15	24.20	0.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	01	10.37	0.00
भारतीय स्टेट बैंक	117	423.35	67.32
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	12	15.49	0.50
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	08	17.08	0.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	34	75.74	22.67
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	00	0.00	0.00

1	2	3	4
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	06	0.10	0.00
सिंडीकेट बैंक	21	14.08	0.00
यूको बैंक	13	220.56	14.85
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	19	53.11	0.00
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	09	107.77	0.00
विजया बैंक	10	2.52	1.42
कुल	596	2052.05	555.14

वर्ष 2010 (जनवरी से जून) — चोरी/डकैती/लूट के बैंक-वार आंकड़े

(लाख रुपए)

बैंक का नाम	मामलों की संख्या	घाटे की राशि	वसूल की गई राशि
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	09	20.65	0.00
आंध्रा बैंक	06	146.00	0.46
ऐक्सिस बैंक लि.	14	194.46	176.04
बैंक ऑफ बड़ौदा	03	8.15	0.00
बैंक ऑफ इंडिया	10	19.09	0.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	00	0.00	0.00
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	02	0.00	0.00
केनरा बैंक	10	42.61	11.89
कैथोलिक सीरियन बैंक	02	0.00	0.00
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	19	11.67	0.00

1	2	3	4
कार्पोरेशन बैंक	02	0.00	0.00
सिटी बैंक एन.ए.	02	0.06	0.06
देना बैंक	02	0.00	0.00
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	00	0.00	0.00
धनलक्ष्मी बैंक लि.	00	0.00	0.00
एचडीएफसी बैंक लि.	04	38.81	44.81
आईसीआईसीआई बैंक लि.	11	129.22	42.27
आईडीबीआई बैंक लि.	02	0.80	0.00
इंडियन बैंक	05	20.00	0.00
इण्डियन ओवरसीज बैंक	08	15.00	15.00
इंडस्इंड बैंक लि.	01	45.00	0.00
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	01	11.64	11.64
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	03	0.00	0.00
कर्नाटक बैंक लि.	03	0.00	0.00
करुर वैश्य बैंक लि.	02	0.00	0.00
कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि.	01	0.84	0.00
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	06	83.29	0.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	04	0.00	0.00
पंजाब नेशनल बैंक	06	23.83	0.00
साउथ इंडियन बैंक	03	2.74	2.74
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लि.	01	0.71	0.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	05	1.54	1.54

1	2	3	4
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	00	0.00	0.00
भारतीय स्टेट बैंक	62	150.11	0.42
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	07	1.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	00	0.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	20	0.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	00	0.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	01	100.00	98.76
सिंडीकेट बैंक	17	0.00	0.00
यूको बैंक	06	5.20	5.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	05	32.94	32.74
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	03	23.36	1.59
विजया बैंक	01	0.00	0.00
कुल	269	1128.72	444.96

काला धन

1073. **श्री गुरुदास दासगुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुप्त खाता धारक भारतीयों ने विनियामक तथा सरकारी कार्रवाई के डर से अपना धन स्विटजरलैण्ड से निकालकर दुबई मुक्त व्यापार क्षेत्र और सिंगापुर के बैंकों में जमा करवा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

मुखबिरों के नाम को गुप्त रखा जाना

1074. **श्री अर्जुन राय :**
श्री हरीश चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुखबिर कर अपवंचन करने वालों की जानकारी बहुत की कम देते हैं क्योंकि उनका नाम गुप्त नहीं रखा जाता है;

(ख) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर अपवंचन के मुखबिरों को कितनी धनराशि दी गयी; और

(घ) आज की तारीख तक इस संबंध में कितने मामले लंबित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, नहीं। ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है जिसमें मुखबिरों ने उनके नाम गोपनीय न रखे जाने के कारण कर अपवंचन करने वालों की जानकारी न दी हो।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित पुरस्कार की कुल राशि निम्न प्रकार है:

(लाख रुपये)

वर्ष	राशि
2007-08	415.63
2008-09	268.08
2009-10	366.06
कुल	1049.77

(घ) जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क का संबंध है, जून, 2010 तक कुल 105 मामले लंबित थे। जबकि केन्द्रीय प्रत्यक्ष

कर बोर्ड के संबंध में अब तक पुरस्कार के केवल चार मामले लंबित हैं।

[अनुवाद]

नर्स-रोगी अनुपात

1075. **श्री निलेश नारायाण राणे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन देश में नर्सों की कमी का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव किया गया है;

(घ) क्या नर्सों की कमी का ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल विशेषकर मातृ, शिशु और बाल मृत्यु दर पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, अनुमान है कि 2012 तक देश में 10.43 लाख नर्सों की आवश्यकता होगी। उपलब्ध 3.72 लाख नर्सों तथा 3.13 लाख नर्सों जिन्हें मौजूदा क्षमता के साथ प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है, को दृष्टिगत रखते हुए 3.58 लाख नर्सों की कमी होगी।

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों के उन जिलों में 132 सहायक नर्स धात्री-विद्या (ए एन एम) तथा 137 सामान्य उपचर्या एवं धात्री-विद्या (जी एन एम) स्कूलों की स्थापना करना जहां ये दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं।

(ii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों के स्थलों पर 6 नर्सिंग कालेजों की स्थापना, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड प्रत्येक में एक-एक

(iii) भारतीय नर्सिंग परिषद ने और अधिक नर्सिंग संस्थाएं खोलने को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक सक्रिय उपाय भी किए है। प्रति संलग्न विवरण पर है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

विवरण

और ज्यादा नर्सिंग संस्थाएं खोलने को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा किए गए अति सक्रिय उपाय

(i) छात्र रोगी अनुपात में छूट दी गई है तथा इसे 1:5 से 1:3 कर दिया गया है।

(ii) नर्सिंग स्कूल/कॉलेज को छात्रावास के लिए 54,000 स्क्वा. फीट की बिल्डिंग बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि में छूट दी गई है।

(iii) बी.एस.सी (एन) कार्यक्रम शुरू करने के लिए शिक्षण संकाय हेतु रियायती मानदंड :-

- कम से कम 2 एम.एस.सी (एन संकाय उपलब्ध होने चाहिएं।
- नर्सिंग शिक्षकों की अर्हता और अनुभव में 2012 तक छूट दी गई है।
- डिप्लोमा और स्नातकपूर्व कार्यक्रम दोनों के लिए शिक्षण संकाय की साझेदारी।

(iv) एम.एस.सी (एन) कार्यक्रम शुरू करने हेतु छूट। सुपरस्पेशियलटी अस्पताल स्नातकपूर्व कार्यक्रम के बगैर एम एस सी (एन) शुरू कर सकते हैं।

- एम.एस.सी. (एन) कार्यक्रम के लिए छात्र अध्यापक अनुपात में छूट दी गई है और इसे एक 1:5 से 1:10 कर दिया गया है।
- उन संस्थाओं को एम.एस.सी (एन) कार्यक्रम शुरू करने

के लिए राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है जिनमें पहले से ही भारतीय नर्सिंग परिषद से डिग्री अथवा डिप्लोमा जैसे मान्यता प्राप्त कार्यक्रम हैं।

- यदि किसी संस्था के पास एक कार्यक्रम के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता है तो उसे अन्य नर्सिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

(v) विवाहित अभ्यर्थी नर्सिंग में प्रवेश हेतु पात्र हैं।

(vi) शिक्षण संकाय के लिए आयु में 70 वर्ष तक बढ़ोतरी।

(vii) 300 बिस्तर वाले मूल अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज स्थापित करने पर जोर दिए बगैर अधिकतम 100 सीटें दी जाएंगी।

(viii) अस्पताल से स्कूल की दूरी में छूट दी गई है और इसे 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर कर दिया गया है।

(ix) डिप्लोमा और डिग्री के लिए प्रवेश हेतु अर्हक मानदंड (अर्थात् अंक) में 5% छूट दी गई है। (जी एन एम - 40%, बी. एस.सी-45%)।

आदिवासियों के लिए कल्याण योजनाएं

1076. श्री उमाशंकर सिंह :
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जनजाति समुदाय के समग्र कल्याण और विकास के लिए उपलब्ध योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन योजनाओं के लिए चालू वर्ष हेतु योजना-वार कितना बजट निर्धारित किया गया है;

(ग) पिछले दो वित्त वर्षों में उन योजनाओं का बजट कितना रहा तथा उनके संवितरण की राज्य-वार कितना बजट निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या उन योजनाओं के लागू होने के बाद अनुसूचित जनजाति समुदाय की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है क्या यह लाभ अनुसूचित जनजाति के लोगों पर दिखाई पड़ते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य भारत की अनुसूचित जनजातियों को समग्र कल्याण एवं विकास करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु कई योजनाएं क्रियान्वित करता है। इन योजनाओं के नाम विवरण-I हैं।

(ख) वर्तमान वर्ष हेतु योजनावार बजट विवरण-II पर दर्शाया गया है।

(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों अर्थात जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के संबंध में विगत दो वर्षों में राज्यवार बजट आबंटन विवरण-III पर है। केन्द्रीय क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में राज्यवार बजट आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि ये योजनाएं मांग आधारित हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में विगत दो वर्षों में निधियों के राज्यवार वितरण की स्थिति विवरण-IV पर है।

(घ) अनुसूचित जनजातियों की स्थितियों में सुधार, जिसमें शिक्षा एवं रोजगार सहित विभिन्न मानदण्डों को कवर किया गया है, विशिष्ट रूप से वर्ष 1991 से साक्षरता दर, सकल पंजीयन अनुपात में वृद्धि, शिक्षा के प्राथमिक, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तरों में विद्यालय छोड़ने की दर में कमी एवं वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी की तुलना में अनुसूचित जनजाति आबादी कार्य-सहभागिता में वृद्धि से सिद्ध होती है।

विवरण-I

जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाएं

क्र.सं.	योजनाओं के नाम
1	2
क.	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (एसएपी)**
1.	जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के तहत अनुदान

1	2
ख.	**केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं (सीएस)**
3.	कोचिंग और संबद्ध योजनाओं एवं अनुकरणीय सेवाओं हेतु सरकार सहित अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहातया अनुदान
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
5.	महिलाओं के विकास हेतु कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर
6.	ट्रायफेड को समर्थन
7.	लघुवन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
8.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास
9.	राष्ट्रीय/राज्य अंनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को समर्थन
10.	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
11.	उत्कृष्टता संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना
12.	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना
ग.	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)**
13.	मैट्रिकोत्तर, पुस्तक बैंक तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा के उन्नयन की योजना
14.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों की योजना
15.	आश्रम विद्यालयों की स्थापना
16.	अनुसंधान एवं जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य

विवरण-II

वर्ष 2010-11 हेतु योजनावार बजट अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	योजनाओं के नाम	बजट अनुमान 10-11
1	2	3
क.	**विशेष केन्द्रीय सहायता**	
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)	960.50
2.	अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के तहत अनुदान	1046.00
	कुल (एएसीए)	**2006.50**
ख.	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**	
1.	कोचिंग और संबद्ध योजनाओं एवं अनुकरणीय सेवाओं हेतु सरकार सहित अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहातया अनुदान	42.00
2.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	8.00
3.	कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	40.00

1	2	3
4.	ट्राइफेड को समर्थन	12.00
5.	लघु वन ऊपज के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम	15.00
6.	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह-पीटीसी	181.00
7.	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को समर्थन	70.00
8.	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	72.00
9.	उत्कृष्टता संस्थान/उच्च श्रेणी संस्थान की योजना	2.50
10.	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना	1.00
	कुल (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)	**443.50**
ग.	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)**	
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन की योजना	470.03
2.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	68.00
3.	आश्रम विद्यालयों की स्थापना	75.00
4.	अनुसंधान एवं जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य	19.97
5.	सूचना तकनीकी	1.50
6.	निगरानी एवं मूल्यांकन	2.00
7.	पूर्वोत्तर हेतु एकमुश्त प्रावधान	120.00
	कुल (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	**756.50**
	क + ख + ग का कुल भाग	**3206.50**

विवरण-III

संविधान के अनुच्छेद 275(1) एवं जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत 2008-09 तथा 2009-10 हेतु आबंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	राज्य	संविधान का अनुच्छेद 275(1)		टीएसपी को एससीए	
		2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2199.32	5283.00	3618.00	3861.61

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	308.68	728.00	—	—
3.	असम	1448.30	3483.00	3896.00	4158.33
4.	बिहार	331.97	801.00	816.00	870.94
5.	छत्तीसगढ़	2896.43	6966.00	5924.00	6322.88
6.	गोवा	71.19	171.00	150.00	160.10
7.	गुजरात	3274.90	7875.00	5280.00	5635.53
8.	हिमाचल प्रदेश	148.32	360.00	1105.00	1179.40
9.	जम्मू और कश्मीर	484.14	1161.00	1352.00	1443.04
10.	झारखंड	3102.38	7461.00	7617.00	8129.88
11.	कर्नाटक	1516.37	3645.00	1544.00	1647.96
12.	केरल	159.42	387.00	343.00	366.10
13.	मध्य प्रदेश	5355.23	12870.00	10953.00	11690.50
14.	महाराष्ट्र	3754.72	9027.00	4830.00	5155.22
15.	मणिपुर	324.44	783.00	989.00	1055.59
16.	मेघालय	872.38	2097.00	—	—
17.	मिजोरम	367.41	882.00	—	—
18.	नागालैंड	776.59	1863.00	—	—
19.	उड़ीसा	3565.53	8568.00	8325.00	8885.55
20.	राजस्थान	3107.04	7470.00	5236.00	5588.56
21.	सिक्किम	91.00	216.00	273.00	291.38
22.	तमिलनाडु	285.12	684.00	406.00	433.34
23.	त्रिपुरा	434.88	1044.00	1341.00	1431.29
24.	उत्तर प्रदेश	523.00	1260.00	558.00	595.57
25.	उत्तराखंड	112.12	270.00	124.00	132.35
26.	पश्चिम बंगाल	1929.09	4635.00	2820.00	3009.88
	कुल योग	37439.97	90000.00	67500.00	72045.00

विवरण-IV

2008-09 के दौरान निर्मुक्तियां

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्यों का नाम	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी)	अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के लड़कों/ लड़कियों लिए छात्रवास	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रय विद्यालयों की स्थापना	प्रतीभा उन्नयन	अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) का विकास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	4176.75	1863.44	1662.13	600.00	—	—	349.00	—	1910.00	985.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	308.68	—	—	—	—	390.00	—	4.00	
3.	असम	3755.65	1444.88	1696.18	601.39	—	—	74.00	—	—	—
4.	बिहार	—	0.00	170.00	—	—	—		—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	6829.20	3211.43	160.28	803.83	886.80	—	57.00	55.01	39.00	615.33
6.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	32.00	59.81	—	—
7.	गोवा	—	7.00	18.96	—	—	—	—	—	—	—
8.	गुजरात	4571.44	2372.77	387.86	140.93	—	—	93.00	8.29	405.00	1943.22
9.	हिमाचल प्रदेश	1276.00	148.32	10.00	200.00	—	—	58.00	—	—	—
10.	जम्मू और कश्मीर	676.00	193.66	—	—	—	—	65.00	—	—	—
11.	झारखंड	2198.25	1852.43	1058.48	126.68	0.00	3.05	348.00	—	4.00	1299.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	कर्नाटक	1544.00	1496.37	1053.96	125.01	153.13		294.00	—	—	3246.28
13.	केरल	396.25	159.42	298.03			0.78	26.00	—	—	960.00
14.	मध्य प्रदेश	12644.25	6466.80	1228.17	255.00		33.54	126.00	75.55	395.00	3754.90
15.	महाराष्ट्र	2500.00	2441.46	2500.00	889.56	940.07		168.00	—	—	2007.98
16.	मणिपुर	989.00	324.44	1912.68	—	—	—	117.00	—	—	—
17.	मेघालय	—	155.33	1342.12	—	—	—	547.00	—	—	—
18.	मिजोरम	—	403.57	1421.18	—	—	—	41.00	—	—	—
19.	नागालैंड	—	200.00	1467.27	87.50	—	—	4.00	—	—	—
20.	उड़ीसा	10110.50	4129.73	461.75	87.60	1020.00	17.94	447.00	22.83	1194.00	1243.00
21.	राजस्थान	5236.00	3107.04	4654.00	1240.53	—	2.87	33.00	59.39	49.00	1120.49
22.	सिक्किम	315.00	65.00	25.13	—	—	3.12	21.00	—	—	
23.	तमिलनाडु	469.00	291.39	2.50	—	—		14.00	—	—	725.87
24.	त्रिपुरा	1548.00	434.88	433.19	1380.90	—	3.12	14.00	—	—	403.00
25.	उत्तर प्रदेश	644.25	391.28	—	—	—		28.00	—	—	
26.	उत्तराखंड	—	20.00	230.52	100.00	—		65.00	—	—	
27.	पश्चिम बंगाल	3255.75	2489.09	389.28	—	—	8.88	549.00	—	—	901.74
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	3.00	—	—		—	—	—	
29.	दमन और दीव	—	—	0.14	—	—		—	—	—	
30.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	

2009-10 के दौरान निर्मुक्तियां

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्यों का नाम	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी)	अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के लड़कों/ लड़कियों लिए छात्रवास	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रय विद्यालयों की स्थापना	प्रतीभा उन्नयन	अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) का विकास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1930.00	1946.20	2919.27	—	—	—	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	35.20		—	—	—	492.00	—	22.00	—
3.	असम	2883.00	1240.77	2510.12	—	—	—	53.00	—	—	—
4.	बिहार	870.94	95.00	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	6322.88	2834.80	375.95	830.83	—	37.54	—	41.41	—	13.58
6.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	9.00	—	—	—
7.	गोवा	—	0.00	54.26	—	—	—	—	—	—	—
8.	गुजरात	5635.53	4783.00	3046.63	646.10	—	—	56.00	—	38.00	—
9.	हिमाचल प्रदेश	1179.40	360.00		236.04	—	—	—	—	—	—
10.	जम्मू और कश्मीर	263.79	282.74	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	झारखंड	0.00	3730.00	1267.00	259.17	—	—	—	—	—	—
12.	कर्नाटक	1647.96	1823.00	1863.63	250.00	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	केरल	366.10	387.00	284.40		29.62	—	—	—	—	—
14.	मध्य प्रदेश	8722.00	6435.00	3236.50	1300.00	1236.62	—	52.00	84.46	83.00	2534.00
15.	महाराष्ट्र	895.91	2000.00	1250.00	—	1099.89	—	70.00			28.19 (एनजीओ)
16.	मणिपुर	527.80	552.50	2163.28	—	—	—	2.00	6.20	—	—
17.	मेघालय	—	0.00	1006.57	—	—	—	243.00		—	—
18.	मिजोरम	—	441.00	1571.26	—	—	—	4.00		—	—
19.	नागालैंड	—	576.59	1866.77	—	—	—	7.00		—	—
20.	उड़ीसा	8885.55	7026.00	566.79	—	1500.00	—	245.00	9.32	192.00	1228.70
21.	राजस्थान	3400.00	1500.00	1661.31	1503.83	—	6.22	—	56.55		
22.	सिक्किम	291.38	149.20	37.88	—	—	3.12	113.00	—	—	—
23.	तमिलनाडु	108.00	342.00	72.34	200.00	—	—	—	—	—	—
24.	त्रिपुरा	1431.29	780.00	538.26	664.00	—	3.12	—	—	—	—
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	350.00	—	—	234.45	—	—	—	—	—
26.	उत्तराखंड	108.14	120.00	188.98	—	—	—	34.00	—	—	—
27.	पश्चिम बंगाल	2654.34	2320.00	603.80	10.03	—	—	437.00	9.00	—	—
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	4.00	—	—	—
29.	दमन और दीव	—	—	1.74	—	—	—	—	—	—	—
30.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

उड़ीसा को अतिरिक्त विद्युत का आबंटन

1077. **श्री वैजयंत पांडा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों के अनाबंटित विद्युत के हिस्से में से अतिरिक्त विद्युत मुहैया कराने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या राज्य ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कानिहा स्टेज-II विद्युत परियोजना से 500 मेगावाट विद्युत का आबंटन करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) राज्य में विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ताकि राज्य में विद्युत की कमी को पूरा किया जा सकें?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के अनावंटित विद्युत से 500 मेगावाट रात-दिन विद्युत के अतिरिक्त आवंटन पर विचार करने हेतु मार्च, 2010 में विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया था।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों (सीजीएसएम) में 15% अनावंटित विद्युत, जो केन्द्र सरकार को सौंपी गयी है, आवश्यकता की तत्कालिकता और मौसमी प्रकृति, संबंधित आपूर्ति की स्थिति, उपलब्ध विद्युत संसाधनों की उपयोगिता, प्रचालनात्मक एवं भुगतान निष्पादन आदि को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर आवंटित की जाती है। देश में अधिकतर राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं, और अनेक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समय-समय पर सीजीएसएस में अनावंटित विद्युत से अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध करते रहे हैं। सीजएसएस में अनावंटित विद्युत की मात्रा सीमित होने की वजह से यह केवल अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध विद्युत का पूरक होती है। इसके अतिरिक्त, किसी भी समय केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों की समग्र अनावंटित विद्युत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित कर दी जाती है, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आवंटन में बढ़ोत्तरी केवल अन्य राज्य (यों)/संघ राज्य क्षेत्रों के आवंटन में समान कमी के माध्यम से ही व्यवहार्य होती है। वर्तमान में, उड़ीसा के लिए 1544 मेगावाट के कुल आवंटन में से 22 मेगावाट विद्युत भूटान में स्थित पूर्वी क्षेत्र एवं जल विद्युत केन्द्रों के सीजीएसएस के अनांवटित विद्युत से आवंटित किया गया है। उड़ीसा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आंशिक ऊर्जा की कमी और अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है जून, 2010 में कमी 0.5% (ऊर्जा) और 0.6% अधिकतम रही है, जोकि क्षेत्र/देश की अधिकांश अन्य संघटक राज्यों द्वारा सामना किये जा रहे ऊर्जा की कमी से कम है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा के पास अपने जल विद्युत केंद्रों से 1935 मेगावाट की जल विद्युत संस्थापित क्षमता उपलब्ध है। अतएव, उड़ीसा के लिए केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से अनावंटित विद्युत के अतिरिक्त आवंटन पर विचार नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने एनटीपीसी की कनिहा चरण-II विद्युत परियोजना से 500 मेगावाट विद्युत के आवंटन के लिए अनुरोध किया है। इस परियोजना से विद्युत पहले ही अप्रैल, 2007 में विद्युत मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उड़ीसा के लिए आवंटित कर दी गयी थी।

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं/ उठाये जा रहे हैं जिससे कि देश में विद्युत की कमी को पूरा किया जा सके-

(i) चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी।

(ii) वर्तमान उत्पादन क्षमता को अधिकतम उपयोग करने के लिए जल विद्युत, ताप, नाभिकीय और गैस आधारित विद्युत केन्द्रों का समन्वय प्रचालन और रख-रखाव।

(iii) देशी स्त्रोतों से ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए कोयले के आयात पर जोर देना।

(iv) केजी बेसिन (डी 6) से गैस का आबंटन देश में गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए किया गया है।

(v) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अधिशेष विद्युत का दोहन करना।

(vi) 4000 मेगावाट प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास जिससे कि आर्थिक तौर पर समानुपातिक लाभ प्राप्त हो सके।

(vii) पुराने एवं अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(viii) हानि में कमी लाने के लिए मुख्य कदम के तौर पर त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के माध्यम से उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का मजबूत बनाना।

शहरी अवसंरचना तथा शासन

1078. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शहरी अवसंरचना तथा शासन (यूआईजी) के अंतर्गत कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों में कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुई;

(ख) राज्यों से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो स्वीकृत हो चुकी हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो स्पष्टीकरण अथवा आशोधन हेतु लौटा दी गयी है और उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) क्या अनुमोदित परियोजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि अनुमोदित कर दी गयी है और जारी कर दी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को अनुमोदन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो अभी तक विचाराधीन हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के तहत कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त और अनुमोदित विस्तृत परियोजना (डीपीआर) का ब्यौरा इस प्रकार है:-

राज्य का नाम	प्राप्त डीपीआर की संख्या	अनुमोदित डीपीआर की संख्या
कर्नाटक	75	46
तमिलनाडु	68	52

कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया हैं।

(ग) कर्नाटक की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन नहीं है। कर्नाटक राज्य सरकार को स्पष्टीकरण अथवा संशोधन आदि के लिए वापस भेजी गई डीपीआर का ब्यौरा विवरण-III में है।

तमिलनाडु की निम्नलिखित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्तमान में मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

क्र. सं.	शहर का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	प्राप्ति की तारीख
1.	चेन्नई	कोयम्बदू में 120 एमएलडी एसटीपी का निर्माण	130.00	20.5.2010
2.	चेन्नई	मनापक्कम में जलापूर्ति सुधार	10.44	20.5.2010
3.	चेन्नई	आईटी कोरीडोर के साथ 14 पंपिंग स्टेशनों का निर्माण	28.05	20.5.2010

तमिलनाडु राज्य सरकार को स्पष्टीकरण अथवा संशोधन आदि के लिए वापस भेजी गई डीपीआर का ब्यौरा विवरण-IV में है।

(घ) और (ङ) जी, हां। अनुमोदित परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। ब्यौरे विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(च) राज्य द्वारा प्रस्तुत डीपीआर जिन्हें जेएनएनयूआरएम के यूआईजी दिशानिर्देशों के अनुसार पाया जाता है उन पर केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है। बशर्ते कि उनका तकनीकी मूल्यांकन हुआ हो और धनराशि उपलब्ध हो।

विवरण-I

क्र. सं.	शहर	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत	वचनबद्धता अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)	जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7
1.	बंगलौर	मलेश्वर सर्किल में अंडरपास का निर्माण	24-नव-06	1245.21	435.82	326.88
2.	बंगलौर	एम जी रोड क्षेत्र के चारो तरफ सड़कों के साइज वाक का उन्नयन एवं अस्फालिटंग कार्य	22-जन-07	4361.16	1526.41	1144.80
3.	बंगलौर	कोरमंगला एरिया के आसपास साइड वाक का उन्नयन एवं सड़कों का असफाल्टिंग कार्य	22-जन-07	5044.90	1765.72	1324.29
4.	बंगलौर	जयनगर, बंगलौर में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास (जयनगर में प्रस्तावित यात्री सुविधा केन्द्र)	8-दिस-06	889.58	311.25	233.50
5.	बंगलौर	केथामरनहल्ली और अरकावती माइनरभेली-I और कठरीगुप्पा माइनरभेली-III (3 डीपीआर सहित) ब्रुसभावती घाटी में बंगलौर शहर में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	24-नव-06	22826.00	7989.10	5991.81
6.	बंगलौर	बंगलौर सिटी चाला घट्टा वेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	24-नव-06	11857.00	4149.95	2074.96
7.	बंगलौर	बंगलौर सिटी कोरमंगलभेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	24-नव-06	11149.00	3902.15	2926.59
8.	बंगलौर	बंगलौर सिटी हैब्बर भेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	24-नव-06	18474.00	6465.90	4849.41

1	2	3	4	5	6	7
9.	बंगलौर	सीडब्ल्यूएसएस स्टेज-IV फेज-I से 100 एमएलडी अतिरिक्त पानी का संवर्द्धन	8-दिस-06	1226.00	429.10	278.91
10.	बंगलौर	बंगलौर जल ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए बल्क फलो मीटरिंग प्रणालादृ	8-दिस-06	1531.00	535.85	267.92
11.	बंगलौर	टैगोर सर्किल में अंडरपास का निर्माण	24-नव-06	1755.90	614.57	153.64
12.	बंगलौर	मौजूदा सीवरेज प्रणाली का एनवायरमेंटल एक्शन प्लान रिपलेशमेंट रिहैबिलेशन	14-फर-07	17675.00	6186.25	1546.56
13.	बंगलौर	केंगरी में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास केंगेरी बैंगलौर में प्रस्तावित	17-अग-07	2112.66	739.43	554.58
14.	बंगलौर	बैनर धट्टा में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास बैनर धट्टा में प्रस्तावित बस टर्मिनल अनुरक्षण डिपो एवं यात्री सुविधा केन्द्र)	17-अग-07	392.60	137.41	68.70
15.	बंगलौर	गली अंजानेया जंक्शन पर ब्रिज का निर्माण	20-जुलाई-07	3193.24	1117.63	558.80
16.	बंगलौर	मगाडी रोड एवं कोर्ड रोड जंक्शन में अंडरपास का निर्माण	7-सित-07	2782.49	973.87	486.92
17.	बंगलौर	यशवंतपुर जंक्शन पर ग्रेड अंडरपास का निर्माण	20-जुलाई-07	2157.91	755.27	566.46
18.	बंगलौर	शांति नगर वाल्यूम-I वाल्यूम-II वाल्यूम-III ए 1234 वोल्यूम-III बी 12 में टीटीएमसी के निर्माण हेतु प्रस्ताव	17-अग-07	8467.96	2963.79	2222.85
19.	बंगलौर	आईटीपीएल व्हाइटफील्ड वोल्यूम I, II में टीटीएमसी के निर्माण हेतु प्रस्ताव विस्तृत रूपरेखा	17-अग-07	5058.06	1770.32	1327.74

1	2	3	4	5	6	7
20.	बंगलौर	बानासंकरी वोल्यूम, I, II, III, 12 में टीटीएमसी के निर्माण का प्रस्ताव	17-अग-07	2223.51	77823	583.66
21.	बंगलौर	आईटीपीएल व्हाइटफील्ड वोल्यूम I, II में टीटीएमसी के निर्माण हेतु प्रस्ताव विस्तृत रुपरेखा	17-अग-07	2655.63	929.47	696.58
22.	बंगलौर	इब्लूर जंक्शन पर ओ आरआर के साथ फ्लाइओवर का निर्माण	20-जुलाई-07	1874.28	656.00	164.00
23.	बंगलौर	आगरा जंक्शन पर ओ आरआर के साथ फ्लाइओवर का निर्माण	20-जुलाई-07	3809.93	1333.48	333.37
24.	बंगलौर	रिंग रोड हेन्नूर बंसवाडी रोड जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण	20-जुलाई-07	2543.79	890.33	445.16
25.	बंगलौर	विजयनगर वोल 1, वोल-II में टीटीएमसी का निर्माण	17-अग-07	3812.42	1334.35	1000.74
26.	बंगलौर	येलहनका में अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क	7-सित-07	1500.63	525.22	131.30
27.	बंगलौर	केनगिरी में अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क	7-सित-07	1876.36	656.73	164.18
28.	बंगलौर	डोमलूर, बंगलौर में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास	23-नव-07	1555.00	544.25	272.12
29.	बंगलौर	विश्वनाथपुर, बंगलौर में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास	23-नव-07	6131.93	2146.17	1609.62
30.	बंगलौर	व्यातरायनपुरा के लिए भूमिगत निकाय कार्य	11-जन-08	12517.00	4380.95	1095.23
31.	बंगलौर	आरआर नगर सीएमपी हेतु भूमिगत निकासी प्रणाली तथा सड़क सुधार	11-जन-08	4153.80	1453.83	363.46
32.	बंगलौर	रिंग रोड कदेरिनहल्ली जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण	11-जन-08	2486.90	870.41	435.20
33.	बंगलौर	रिंग रोड- सीएनआर राव जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण	11-जन-08	2260.62	791.21	197.80

1	2	3	4	5	6	7
34.	बंगलौर	रिंग रोड पुन्तेनहल्ली जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण	11-जन-08	2284.84	799.94	399.96
35.	बंगलौर	अर्स्टव्हाइल दर्शरहल्ली शहर नगरपालिका परिसर ड्रेनेज जोन 7-8 हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन	14-अक्तू-08	13657.00	4780.00	1195.00
36.	कर्नाटक	के आर पुरम सिटी नगरपरिषद ड्रेनेज जोन-III हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन	14-अक्तू-08	8789.00	3077.00	769.00
37.	कर्नाटक	महादेव पुरा सिटी नगरपरिषद ड्रेनेज जोन-III हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन	14-अक्तू-08	11018.00	3856.00	964.00
38.	कर्नाटक	मैसूर शहर के लिए जलापूर्ति वितरण की रिमॉडलिंग	8-दिस-06	19454.00	15563.20	7780.88
39.	कर्नाटक	मैसूर में परिवहन अवस्थापना सुविधाओं का विकास	26-अक्तू-07	8225.74	6820.59	5115.44
40.	कर्नाटक	मैसूर में बाहरी रिंग रोड का उन्नयन	15-फर-08	21902.47	17521.97	4380.49
41.	कर्नाटक	मैसूर के लिए जलापूर्ति परियोजना	7-मार्च-08	10881.99	8705.59	2176.50
42.	कर्नाटक	एकीकृत नगरीय ठोस कचरा स्ट्रेटेजी	19-दिस-08	2998.00	2398.00	599.50
43.	कर्नाटक	मैसूर में बरसाती पानी निकास प्रणाली की रीमाडलिंग	19-दिस-08	38460.00	10000.00	2500.00
44.	कर्नाटक	बोमाना हली सिटी नगर पालिका परिषद में भूमिगत निकास सुविधा मुहैया कराना तथा सड़क सुधार	14-जन-09	23175.00	8111.25	2025.81
45.	मैसूर	मैसूर के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था और नवपवर्तन पर्यावरण परियोजना	24-जुलाई-09	2270.00	1176.00	294.00

1	2	3	4	5	6	7
46.	मैसूर	हैरिटेज कोर पर हैरिटेज और शहरी नवीकरण	20-नव-09	3945.00	3156.00	789.00
				338962.51	146026.04	63387.32

विवरण-II

क्र. सं.	शहर	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत	वचनबद्धत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)	जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7
1.	चेन्नई	चेन्नई में जलापूर्ति प्रणाली में सुधार	24-नव-06	32200.00	11270.00	5635.00
2.	चेन्नई	चेन्नई में आईटी कारीडोर के साथ जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रणाली अवस्थापना (7 पैकेज)	22-दिस-06	4177.00	1461.95	1096.47
3.	चेन्नई	चेन्नई हेतु कचरा प्रबंधन	2-फर-07	25532.00	8936.20	2234.05
4.	चेन्नई	तंबरम नगरपालिका में जल आपूर्ति का सुधार	8-जन-07	3261.60	1141.56	856.17
5.	चेन्नई	चेन्नई में आरओबी एवं आरयूबी का निर्माण (6)	19-मार्च-07	4440.80	1554.28	1165.71
6.	चेन्नई	चेन्नई में पेराम्बूर में फ्लाईओवर का निर्माण	19-मार्च-07	3287.50	1150.63	862.98
7.	चेन्नई	अलंदूर रोड, चेन्नई में हाईलेबल ब्रिज, अदयार नदी का निर्माण	19-मार्च-07	548.30	191.91	143.91
8.	चेन्नई	पेरुंगुडी में 54 एमएलडी के अतिरिक्त सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण	2-फर-07	3147.98	1101.79	550.90
9.	चेन्नई	मिंजूर में समुद्री पानी विलवणीकरण संयंत्र	2-फर-07	8780.00	7024.00	5268.00

1	2	3	4	5	6	7
10.	चेन्नई	पोरुर कस्बा पंचायत के लिए जलापूर्ति सुधार करना	18-मई-07	1235.79	432.53	324.39
11.	चेन्नई	मदुरावैल की जलापूर्ति में सुधार करना	20-जुल-07	2330.00	815.50	203.88
12.	चेन्नई	पूंडी जलाशय के निकट 90 क्यूसेक वाले केनाल के ऊपर गंदे पानी के शोधन संयंत्र हेतु संप-सह-पंप का निर्माण	6-अग-07	911.00	318.85	239.13
13.	चेन्नई	अवादी नगरपालिका हेतु व्यापक जलआपूर्ति स्कीम	26अक्तू-07	10384.00	3634.40	1817.20
14.	चेन्नई	पूझूथिवक्कम (उल्लागरम) हेतु सीवरेज सुविधाएं	28-दिस-07	2808.05	982.80	245.70
15.	चेन्नई	नेरकुंद्रम गांव पंचायत में जलापूर्ति में सुधार करना	18जन-08	1917.00	670.95	67.09
16.	चेन्नई	अवेडी नगरपालिका हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	29-फर-08	15805.41	5531.89	1659.56
17.	चेन्नई	अम्बट्टूर नगरपालिका हेतु सीवरेज सुविधाएं मुहैया करवाना फेज-III	29-फर-08	13091.00	4581.85	1145.46
18.	चेन्नई	अलंदूर, पल्लवपुरम एवं तम्बरम नगरपालिका का कचरा प्रबंधन	19-जन-08	4421.25	1547.44	386.85
19.	चेन्नई	उलाग्राम पुजुथीपक्कम नगरपालिका को व्यापक जलापूर्ति स्कीम मुहैया कराना	23-नव-07	2424.00	848.40	212.10
20.	चेन्नई	चेन्नई मदुरावोयल-नगरपालिका हेतु सीवेज सुविधा मुहैया कराना	30-अक्तू-08	5745.50	2011.00	503.00
21.	चेन्नई	थिरुवोट्टयूर-नगरपालिका हेतु व्यापक जलापूर्ति स्कीम मुहैया कराना	21-नव-08	8511.70	2979.00	745.00

1	2	3	4	5	6	7
22.	चेन्नई	चेन्नई के नार्दन बेलिन में वर्षा जल निकास का सुधार	19-दिस-08	35986.39	12595.23	3149.00
23.	चेन्नई	चेन्नई सिटी के सेंट्रल बेसिन में माइक्रों और मैक्रो ड्रेनेज सिस्टम का सुधार	29-दिस-08	34500.00	12075.00	3018.75
24.	चेन्नई	पोरुर टाऊन पंचायत हेतु सीवरेज सुविधाएं मुहैया कराना	29-दिस-08	3829.00	1340.15	335.03
25.	चेन्नई	नेसापक्कम, चेन्नई में 54 एमएलडी सीवरेज शोधन संयंत्र	29-दिस-08	5457.00	1910.00	478.00
26.	चेन्नई	अलंदूर नगारपालिका हेतु व्यापक जलापूर्ति स्कीम	29-दिस-08	6439.00	2254.00	564.00
27.	कोयम्बटूर	जलापूर्ति स्कीम में सुधार	28-दिस-06	11374.30	5687.15	4265.37
28.	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर हेतु ठोस कचरा प्रबधन	2-फर-07	9651.00	4825.50	3619.12
29.	कोयम्बटूर	व्यापक भूमिगत सीवरेज स्कीम	28-जून-07	37712.88	18856.44	9428.22
30.	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर शहरी समूह में 16 टाउन पंचायतों हेतु जलापूर्ति सुधार स्कीम	6-फर-09	5882.36	2941.18	735.30
31.	मदुरै	मदुरै निगम हेतु जलापूर्ति, सुधार कार्य और तंत्र सुधार (फेज-I और फेज-II)	14-जुलाई-06	5931.60	2965.80	2224.35
32.	मदुरै	थिरुपकुन्दरम नगरपालिका और हरवेपट्टी टाऊन पंचायत हेतु संयुक्त जलापूर्ति स्कीम हेतु थिरुपकुन्दरम नगरपालिका डीपीआर	8-जन-07	969.57	484.79	339.35
33.	मदुरै	अनैयुर नगरपालिका हेतु जलापूर्ति स्कीम पर अनैयुर नगरपालिका डीपीआर	5-मार्च-07	788.00	394.00	295.50
34.	मदुरै	मदुरै हेतु ठोस कचरा प्रबंधन	2-फर-07	7429.00	3714.50	2787.00

1	2	3	4	5	6	7
35.	मदुरै	मदुरै हेतु वैगई नदी पर चैक डैम का निर्माण	22-फर-07	915.00	238.50	119.26
36.	मदुरै	वर्षा जल निकास और प्रकृति निकास की सफाई (वर्षा जल निकास का सुधार और निर्माण)	20-अप्रैल-07	25181.00	12590.50	9442.89
37.	मदुरै	फेज-III क्षेत्र हेतु भूमिगत सीवरेज स्कीम और मौजूदा सीवरेज तंत्र का नवीकरण	20-जुलाई-07	22934.00	11467.00	8600.25
38.	चेन्नई	चेन्नई के ईस्टर्न बेसिन में वर्षा जल निकास का सुधार	14-जन-09	44407.00	15542.45	3885.61
39.	चेन्नई	तम्बरम नगरपालिका हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	14-जन-09	16096.59	5633.80	1408.45
40.	चेन्नई	अम्बट्अूर नगरपालिका के समग्र क्षेत्र में व्यापक जलापूर्ति मुहैया कराना	14-जन-09	26708.00	9347.00	2336.95
41.	चेन्नई	पेरुमजहिसाय टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	14-जन-09	2019.24	706.73	176.68
42.	चेन्नई	थिरुमजहिसाय टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	14-जन-09	2047.32	716.56	179.14
43.	चेन्नई	चेन्नई के सदर्न बेसिन में वर्षा जल निकास में सुधार.	22-जन-09	29897.57	10464.15	5232.08
44.	चेन्नई	पेरुनगलथूर टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	30-जन-09	4761.00	1666.00	415.00
45.	चेन्नई	पेरुनगलथूर टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	30-जन-09	5861.00	2051.00	512.00

1	2	3	4	5	6	7
46.	चेन्नई	पेरुनगलथूर टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	30-जन-09	2129.00	745.00	186.00
47.	चेन्नई	पेरुनगलथूर टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	30-जन-09	2759.00	966.00	241.00
48.	चेन्नई	पेरुनगलथूर टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	30-जन-09	6182.00	2164.00	541.00
49.	चेन्नई	पेरुनगलथूर टाऊन पंचायत के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	30-जन-09	5445.00	1906.00	477.00
50.	चेन्नई	ईवीआर पेरीयार सलाई, चेन्नई के साथ-साथ हैरिटेज प्रिसिन्स्ट्स का निर्माण	20-फर-09	610.00	213.50	53.37
51.	मदुरै	मुदरै शहरी समूह क्षेत्र के लिए संयुक्त जलापूर्ति स्कीम	20-Feb-09	20141.00	10070.50	2517.62
52.	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर शहर नगरपालिका (फेज-I) में बरसाती जल निकासी प्रणाली	28-अग-09	22675.00	9000.00	2250.00
	कुल			561678.70	223719.35	95175.84

विवरण-III

यूआईजी के तहत कर्नाटक को वापस भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	राममूर्ति नगर जक्शन (बीडीए) में अंडर पास का निर्माण	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
2.	ओआरआर और मगधी रोड के जक्शन में ग्रेट सेपरेटर का निर्माण	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा

1	2	3
3.	मिनीरवा सर्किल ग्रेट सेपरेटर	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
4.	आर बी टीचर्स कालेज	राज्य सरकार द्वारा वापस किया गया
5.	रिंग रोड-नागावार रोड जक्शन में अंडर पास का निर्माण	राज्य सरकार द्वारा वापस किया गया
6.	बीबीएमपी द्वारा चुनी गई आर्टीयल सड़कों के सुधार का प्रस्ताव	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
7.	ब्यातरायनपुरा में एसडब्ल्यूडी की रीमाडलिंग	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
8.	कृष्णाराजापुरा में एसडब्ल्यूडी की रीमाडलिंग	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
9.	राजारागेश्वरी नगर में एसडब्ल्यूडी की रीमाडलिंग	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
10.	मैसूर रोड को मगधी रोड से जोड़ने वाली 2 सर्विस सड़कों के साथ 6 लेन ओ आर आर का निर्माण	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
11.	बंगलुरु शहर में जलापूर्ति आवर्धन के लिए वृषभावती वैली में एकीकृत जल प्रबंधन और टर्सरी शोधित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग	राज्य सरकार द्वारा वापस किया गया
12.	काबेरी जल आपूर्ति स्कीम, स्टेज-4, फेज-II के लिए प्रस्ताव	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
13.	बेहिसाबी पानी	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
14.	पीन्या, बंगलौर में इंटर माडल ट्रांजिट सेंटर	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
15.	हैरिटेज ऐजेट मैनेजमेंट एंड डवलपमेंट प्लान	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
16.	मैसूर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
17.	मैसूर में प्राकृतिक झीलों का संरक्षण- पैकेज-1(4 झील)	राशियों की अनुपलब्धता के कारण एसएलएनए को वापस भेजा गया
18.	6 लेन की रिंग रोड का निर्माण	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
19.	ललित महल पैलेस के सामने 35 एकड हैरिटेज पार्क का विकास	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
20.	चामंडी हिल्स में पर्यटक अवस्थापना का विकास	राशियों की अनुपलब्धता के कारण एसएलएनए को वापस भेजा गया
21.	मैसूर में प्राकृतिक झीलों का संरक्षण-पैकेज-II (4 झील)	राशियों की अनुपलब्धता के कारण एसएलएनए को वापस भेजा गया

1	2	3
22.	मैसूर में छोटे पशुओं तथा बड़े पशुओं के लिए आधुनिक वधशाला सुविधा	अस्वीकार्य घटक
23.	17 झीलों का विकास	राशियों की अनुपलब्धता के कारण एसएलएनए को वापस भेजा गया
24.	झीलों का विकास (12 झील)	राशियों की अनुपलब्धता के कारण एसएलएनए को वापस भेजा गया
25.	बिना सीवर वाले क्षेत्रों के लिए सीवर नेटवर्क सहित मैसूर शहर के लिए व्यापक यूजीडी स्कीम	संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए वापस भेजा
26.	चामराजेन्द्रन जूलाजिकल गार्डन, मैसूर में सतही तथा बरसाती जल संचयन के जरिए जल प्रबंधन	राशियों की अनुपलब्धता के कारण एसएलएनए को वापस भेजा गया
27.	बन्नीमनटप, मैसूर में सिटी मोबिलिटी सर्विस तथा अवसंरचना केन्द्र	राशियों की अनुपलब्धता के कारण एसएलएनए को वापस भेजा गया
28.	विजयनगरा तृतीय स्टेज, मैसूर में सिटी मोबिलिटी सर्विस तथा अवसंरचना केन्द्र	राशियों की अनुपलब्धता के कारण एसएलएनए को वापस भेजा गया
29.	बंगलौर में सड़क अवस्थापना के लिए पूंजी निवेश योजना	राशियों की अनुपलब्धता के कारण एसएलएनए को वापस भेजा गया

विवरण-IV

यूआईजी के तहत तमिलनाडु के लिए वापिस की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	चेन्नई में ग्रेड विभाजक का निर्माण	संशोधन हेतु वापिस की गई
2.	चेन्नई में विभिन्न स्थानों पर वर्षा जल नालों का निर्माण	संशोधन हेतु वापिस की गई
3.	चेन्नई में पल्लवरम नगरपालिका के लिए ठोस कचरा प्रबंध	संशोधन हेतु वापिस की गई
4.	अवादी नगरपालिका में जलापूर्ति में सुधार	संशोधन हेतु वापिस की गई
5.	काथीवक्कम नगरपालिका के लिए भूमिगत सीवरेज मुहैया कराना	संशोधन हेतु वापिस की गई

1	2	3
6.	कोयम्बटूर में बस टर्मिनल	संशोधन हेतु वापिस की गई
7.	कोयम्बूटर नगर निगम के लिए वर्षा जल नाले का कार्य पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	संशोधन हेतु वापिस की गई
8.	फेज-I, II और III की सड़क सुधार परियोजनाएं	संशोधन हेतु वापिस की गई
9.	सेंट्रल मार्क़िटक एरिया में बहु स्तरीय पार्किंग	टिप्पणियों के साथ वापिस की गई
10.	नई थोक बिक्रकी सब्जी मार्किटक (वाणिज्यिक योजना का मदुरै शहर से बाहर के क्षेत्र में ले जाना)	अस्वीकार्य घटक होने के कारण रद्द की गई
11.	मदुरै में विरासत के क्षेत्र में सुधार	टिप्पणियों के साथ वापिस की गई
12.	जलापूर्ति के स्त्रोत में सुधार	संशोधन हेतु वापिस की गई
13.	मदुरै जिले में अवानी पुरम के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम	अपर्याप्त शेष धनराशि होने के कारण वापिस की गई

विनिवेश

1079. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने विनिवेश नीति को कब अपनाया था;

(ख) केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यू.) से सरकार की हिस्सेदारी का विनिवेश करने के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) अब तक विनिवेश के माध्यम से वर्ष-वार और कंपनी-वार कितनी धनराशि को एकत्र किया जा चुका है;

(घ) इस धनराशि का क्या उपयोग किया गया;

(ङ) क्या विनिवेश के माध्यम से एकत्र और उपयोग की गयी धनराशि को वार्षिक बजट में दर्शाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) सरकार की मौजूदा विनिवेश नीति की घोषणा 04 जून, 2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति की अभिभाषण में की गई थी और इसे 06 जुलाई, 2009 को बजट भाषण में दोहराया गया था।

(ख) विनिवेश नीति का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्ति एवं संवृद्धि में आम जनमानस की भागीदारी को विकसित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की इक्विटी 51% से कम न हो तथा प्रबंधन और नियंत्रण सरकार अपने पास बनाए रखे। इस नीति के अनुसार :-

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उद्यम, जो 10% की जनता की शेयरधारिता की आवश्यक अपेक्षा को पूरा नहीं करते उन्हें इसका पालन करना होगा; और

(ii) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के असूचीबद्ध उद्यमों को सरकार की शेयरधारिता में से सार्वजनिक पेशकश के जरिए या शेयरों के नए निर्गम के जरिए या दोनों के संयोजन से भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करना।

(ग) अब तक विनिवेश से प्राप्तियां :-

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	राशि (करोड़ रुपए)
	वित्त वर्ष 2009-10	
1.	एनएचपीसी लिमिटेड	2012.85
2.	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	2247.05
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	8480.00
4.	आरईसी लिमिटेड	882.52
5.	एनएमडीसी लिमिटेड	9930.42
	वित्त वर्ष 2010-11	
1.	एसजेवीएन लिमिटेड	1062.74

(घ) विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार की सामाजिक क्षेत्र की जिन योजनाओं के तहत पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण करने के लिए किया जा रहा है उनके नाम हैं :-

(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)

(ii) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

(iii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीवीवाई)

(iv) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

(v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)

(vi) त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)

(ङ) और (च) विनिवेश से प्राप्त राशि को "विविध पूंजीगत प्राप्तियां" नामक उप-शीर्ष में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के तहत दिखाया जाता है। इस समय इस राशि का अनुदान मांगों अर्थात राज्यों को अनुदान सहायता के अधीन 6 विभिन्न योजनाओं (जेएनएनयूआरएम और एआईबीपी), विद्युत मंत्रालय (आरजीवीवाई और एपीडीआरपी) और ग्रामीण विकास विभाग (आईएवाई और एमजीएनआरईजीएस) के लिए उपयोग किया जाता है।

[हिन्दी]

बैंकों में वी.आर.एस.

1080. **श्री भूदेव चौधरी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी बैंकों (पी.एस.बी) में एक अन्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितने बैंक कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) फिलहाल, इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

रुपये का मूल्य

1081. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 12 महीनों के दौरान प्रत्येक माह रुपये और यूरो के बीच विनिमय दर में अंतर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यूरो से रुपये का मूल्य बढ़ जाने अथवा गिर जाने से निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामलें में क्या कार्रवाई की गई अथवा करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए किसी ने कोई मांग की है अथवा प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) पिछले बारह महीनों में प्रति यूरो रुपये की मासिक औसत विनिमय दर और इसमें हुआ उतार-चढ़ाव नीचे दिखाया गया है:

क्रम सं.	महीना	रुपये प्रति यूरो*	पिछले माह की तुलना वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
1.	जुलाई, 2009	68.24	(-)1.9
2.	अगस्त, 2009	68.87	(-)0.9
3.	सितम्बर, 2009	70.44	(-)2.2
4.	अक्तूबर, 2009	69.29	(+)1.7
5.	नवम्बर, 2009	69.50	(-)0.3
6.	दिसम्बर, 2009	68.18	(+)1.9
7.	जनवरी, 2010	65.71	(+)3.8
8.	फरवरी, 2010	63.40	(+)3.6
9.	मार्च, 2010	61.77	(+)2.7
10.	अप्रैल, 2010	59.66	(+)3.5
11.	मई, 2010	57.66	(+)3.5
12.	जून, 2010	56.90	(+)1.3

टिप्पणी : एफईडीएआई सांकेतिक बाजार दर

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

तथापि, हाल में यूरो के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट हुई है। 27 जुलाई, 2010 की स्थिति के अनुसार रुपये-यूरो की विनिमय दर प्रति यूरो 60.80 रुपये थी जो 30 जून, 2010 को प्रति यूरो 56.95 रुपये की विनिमय दर की तुलना में 6.3 प्रतिशत का मूल्य-ह्रास दर्शाती है।

(ख) से (ङ) सिद्धान्ततः विनिमय दर में वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय निर्यातों को कम प्रतिस्पर्धी बना सकती है और विलोमतः भी यही स्थिति होगी। लेकिन, विनिमय दर निर्यातों की स्पर्धात्मकता को निर्धारित करने वाले अनेक कारकों में से एक है। अन्य कारकों में शामिल हैं-उत्पादकता में वृद्धि प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, मूल्य संबंधी लोचशीलता, निर्यातों की आयात मात्रा, मांग एवं आपूर्ति की स्थितियां और वैश्विक घटनाक्रम।

भारत में विनिमय दर नीति लोचशीलता अपनाते हुए विनिमय दरों की सावधानीपूर्वक मानीटरिंग और प्रबंधन के मुख्य सिद्धान्तों से निर्देशित होती है जिसके साथ एक विशिष्ट समयावधि में आधारभूत मांग एवं आपूर्ति की स्थितियों को इसकी घट-बढ़ को सुव्यवस्थित तरीके से निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है। इस प्रमुख उद्देश्य के अध्यधीन, विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक की दखल कार्रवाई अतिरेक अस्थिरता को कम करने, अस्थिरता पैदा करने वाली सट्टेबाजी की गतिविधियों को उभरने से रोकने, प्रारक्षित भंडारों के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने और एक सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार विकसित करने के उद्देश्यों से निर्धारित होती है।

बैंकों में निदेशक

1082. श्री हरीश चौधरी :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री हुक्मदेव नारायण यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के बैंकों के बोर्ड में निदेशक/स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने/नामित करने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ख) पी.एस.यू. बैंकों के बोर्ड में निदेशकों/स्वतंत्र निदेशकों की संस्वीकृत तथा वास्तविक संख्या का बैंक-वार ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या ऐसे बोर्डों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निदेशकों/स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्तियां बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) के तहत की जाती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के दिशानिर्देशों का अनुपालन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के चयन के लिए किया जाता है, जिसमें सामान्यतः 40 से 60 की आयु वाले स्नातक का उल्लेख है जिसे कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन,

वित्त, विधि, विपणन, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष शैक्षिण प्रशिक्षण अथवा व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हो। उनकी उपयुक्तता का निर्धारण उनकी योग्याता, विशेषज्ञता, पिछले कार्य निष्पादन रिकार्ड के आधार पर किया जाता है।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा उपलब्ध, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निदेशकों/स्वतंत्र निदेशकों की संस्वीकृत एवं वास्तविक संख्या की बैंक-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित किया गया है कि, जहां तक संभव हो, महिलाओं एवं अ.जा/अ.ज.जा. समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। तदनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में अ.जा/अ.ज.जा. तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे दिया गया है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों में सदस्यों की संख्या की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	बैंक का नाम	निदेशकों की स्वीकृत संख्या	निदेशकों की वास्तविक संख्या
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	15 से अधिक नहीं	13
2.	आंध्रा बैंक	वही	12
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	वही	12
4.	बैंक ऑफ इंडिया	वही	12
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	वही	11
6.	केनरा बैंक	वही	11
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	वही	11
8.	कार्पोरेशन बैंक	वही	14
9.	देना बैंक	वही	9
10.	इंडियन बैंक	वही	11
11.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	वही	11
12.	आंरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	वही	13
13.	पंजाब नेशनल बैंक	वही	13
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	वही	9
15.	सिंडिकेट बैंक	वही	10
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	वही	12
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	वही	7
18.	यूको बैंक	वही	12
19.	विजया बैंक	वही	12
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	वही	11
21.	भारतीय स्टेट बैंक	12	13
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	32 से अधिक नहीं	11
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	14	12
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	14	10
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	14	12
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	14	12
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	14	11

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों की साफ-सफाई

1083. श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी अस्पतालों की साफ-सफ़ाई के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली सहित देश में सरकारी अस्पतालों में कूड़ा फेंकने, थूकने, धूम्रपान करने, मदिरापान करने तथा दीवार गंदी करने पर शास्ति लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण यह संबद्ध राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे अपने अस्पतालों में सफ़ाई के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें।

जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, ये अस्पताल चौबीसों घण्टे सफाई कायम रखते हैं और संबद्ध अस्पतालों के नामोद्दिष्ट अधिकारियों द्वारा इसकी नियमित रूप से मानीटरिंग भी की जाती है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान निषेध नियमावाली, 2008 को इस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है जो 2 अक्तूबर, 2008 से लागू हुआ है। इन नियमों के अन्तर्गत अस्पताल भवनों, अस्पताल संस्थानों, रेस्तराओं, सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालय भवनों, सार्वजनिक वाहनों इत्यादि सहित सभी सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर सख्त पाबंदी है। इस नियम का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है जिसके लिंए 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

दीवारों के गैर-विरूपण के लिए तथा अस्पताल परिसरों में गंदगी न फैलाने के लिए अस्पतालों द्वारा समय-समय पर अनुदेश भी जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

सौर शहरों का विकास

1084. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री राम सुन्दर दास :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2010-11 के दौरान कुल कितने शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है साथ ही इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) देश के गावों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार देश में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा से देश के शेष गांवो के विद्युतीकरण के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सौर शहरों के रुप में कुल 60 शहरों/नगरों को विकसित किए जाने की योजना है। अब तक 37 शहरों को सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया जा चुका है जिनमें से 15 को मंजूरी जारी कर दी गई है, जिसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। शेष 23 शहरों का वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 के दौरान सौर शहरों के रूप में विकसित किए जाने की योजना है।

(ख) मंत्रालय विभिन्न राज्यों में उन दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों और विद्युतीकृत जनगणना गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वियन कर रहा है जहां ग्रिड विस्तार या तो व्यवहार्य नहीं है अथवा किफायती नहीं है और जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ऐसे गांवों को सौर ऊर्जा सहित विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से बिजली/रोशनी हेतु बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मंत्रालय पूर्व निर्दिष्ट अधिकतम राशि के अध्यधीन प्रणालियों की लागत के 90% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम को राज्य अधिसूचित कार्यान्वियन एजेंसियों द्वारा विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किया गया उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों, जिनमें प्रयोग की जाने वाली प्रस्तावित प्रौद्योगिकी जैसे ब्यौरे शामिल हैं, के आधार पर राज्य कार्यान्वियन एजेंसियों को मामला-दर मामला आधार पर परियोजनाएं मंजूर की जाती है।

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लिए गए गांवों और बस्तियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 10,000 गांवों और बस्तियों को शामिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण/रोशनी हेतु लिए गए दूरस्थ गांवों/बस्तियों के राज्यवार ब्यौरे (दिनांक 26 जुलाई, 2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 2007-08 के दौरान गांव/बस्तियां		वर्ष 2008-09 के दौरान गांव/बस्तियां		वर्ष 2009-10 के दौरान गांव/बस्तियां		वर्ष 2010-11 के दौरान गांव/बस्तियां	
		स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश			13					13
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	89		1				
3.	असम	1485	169		77	171	581		
4.	छत्तीसगढ़	36	74	184		94			
5.	गुजरात	0	36						
6.	झारखंड	0	153	8	9	36			
7.	मणिपुर	14	40	35	17				
8.	मेघालय	0	0			66	70		
9.	मिजोरम	0	0						
10.	त्रिपुरा	205	165			251			90
11.	उत्तराखंड	0	0	40		12			
12.	पश्चिम बंगाल	0	0			22			5
13.	जम्मू और कश्मीर	27	13	68		177	30	48	
14.	मध्य प्रदेश	75	42		89	126	27		
15.	महाराष्ट्र	0	55	82	91		82		
16.	राजस्थान	0	90				73		
17.	कर्नाटक	46	16	13	14				
18.	उड़ीसा	0	42	91	14	371	150		
19.	नागालैंड	0	3					8	
20.	हरियाणा	0	149	92					
21.	सिक्किम	0	13						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	उत्तर प्रदेश	0			14	105		60	100
23.	केरल	49							
24.	तमिलनाडु	32							
25.	गोवा							19	
	कुल	1969	1149	626	325	1431	1013	135	208

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन लक्ष्य

1085. श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री अर्जुन मुंडा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य अब तक किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ख) अब तक लक्ष्य की प्राप्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन हेतु लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किया जाता है पंचवर्षीय योजना के आधार पर नहीं। 11वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष (जून, 2010 तक) के दौरान विद्युत उत्पादन निष्पादन का वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार दिये गये है-

वर्ष	लक्ष्य उद्देश्य (बी.यू.)	वास्तविक उत्पादन (बी. यू.)	लक्ष्य का %
2007-08	710.00	704.47	99.22
2008-09	774.34	723.79	93.47
2009-10	789.51	771.55	97.73
2010-11	199.42	200.31	100.45

*जून, 2010 तक; बी.यू.- बिलियन

11वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान औसत उत्पादन लक्ष्य का 96.7% रहा हैं। उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में हुई आंशिक कमी के मुख्य कारण कोयले एवं न्यूक्लियर ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता, कुछ वर्तमान थर्मल यूनिटों में लंबे समय तक जबरन-बंदी व सुनियोजित रख-रखाव में अनियमितता, नई यूनिटों के संचालन में कमी/देरी और मानसून के दौरान कुछ जलाशयों एवं जल विद्युत स्टेशनों के जलमग्न क्षेत्रों में अपर्याप्त बारिश का होना आदि है। तथापि, वर्तमान वित्तीय वर्ष (जून तक) के दौरान उत्पादन लक्ष्य के अनुसार रहा है।

(ग) विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं-

(i) देश में चालू विद्युत परियोजनाओं को समय पर शुरू करने के लिए गहन निगरानी।

(ii) वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अप्रैल, से जून, 2010 के दौरान उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिए थर्मल पावर यूटिलिटियों पर जोर देना।

(iii) विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयले के आयात पर जोर देना जिससे कि देशी स्त्रोतों से कोयले की उपलब्धता में हुई कमी के अंतर को पूरा किया जा सके और कोयले की कमी की वजह से उत्पादन में हुई हानि से बचा जा सके।

(iv) कोयला मंत्रालय/सीआईएल पर वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करने हेतु विभिन्न मंचों से दबाव पड़ रहा है।

(v) गैस आधारित क्षमता की उपयोग में सुधार लाने के लिए केजी बेसिन (डी6) से गैस का आबंटन।

[हिन्दी]

जनजातियों का विस्थापन

1066. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजीविका के मुख्य साधन के रूप में जनजातियां वनों पर किस सीमा तक निर्भर रहती हैं;

(ख) क्या जनजाति के व्यक्तियों को पारिस्थितिकीय संतुलन बनाने में मुख्य भूमिका निभाने हेतु तथा इस समुदाय को समृद्ध बनाने के लिए कोई अंतर-मंत्रालयी प्रयास किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई राष्ट्रीय स्तर की योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) यद्यपि जनजातियां अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर रहती हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास निर्भरता की सीमा के संदर्भ में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय पारिस्थितिकीय संतुलन का सृजन करने में जनजातियों को मुख्य भूमिका देने और इसे समुदाय को समृद्ध बनाने में किए जा रहे किसी अन्तः-मंत्रालयीन प्रयास से अवगत नहीं है। तथापि, अनुसूचित जनजातियां और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 5 अन्य बातों के साथ-साथ, किसी वन अधिकार धारक, ग्राम सभा और ऐसे क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय संस्थानों जहां अधिनियम के अन्तर्गत कोई वन अधिकार धारक हो और वह यह सुनिश्चित करता है कि समीपस्थ जल संग्रह क्षेत्र, जल स्त्रोत और अन्य पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित किए जाते हैं को वन्य जीव, वन और जैव-विविधता के संरक्षण का अधिकार प्रदान करती है।

मंत्रालय ने राज्य सरकारों के अधिकार-पत्र धारकों की स्थिति को सुधारने और इमारती लकड़ी से संबंधित कार्यकलापों से उन्हें दूर रखने के लिए, अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि में संभावित अधिकार-पत्र धारकों के लिए मौजूदा कल्याण और विकासात्मक पहल के समामेलन की योजना बनाने का परामर्श दिया है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भारत में वानिकी क्षेत्र के भावी प्रबंधन में आवश्यक नीतिगत परिवर्तन करने जो अनुसूचित जनजातियां और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वियन के परिणामस्वरूप आवश्यक समझे जाएं और उनके लिए अवसरों का पता लगाने और राज्यों में विभिन्न लाइन विभागों द्वारा वन अधिकार धारकों के लिए किए गए विभिन्न लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों के समामेलन को सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने का परामर्श दिया है।

(घ) और (ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में किसी राष्ट्रीय स्तरीय योजना का निरूपण नहीं किया है।

[अनुवाद]

राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग

1087. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 प्रत्येक राज्य में राज्य आयोग के गठन को अधिदेशित करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऐसे आयोगों का गठन किया है/गठन नहीं किया है;

(ग) कुछ राज्यों द्वारा ऐसे आयोगों का गठन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (घ) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 17 में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित करने का प्रावधान है।

अभी तक 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, नामतः असम, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की है।

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, राज्य सरकार, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कर सकती है। इसलिए किसी राज्य आयोग की स्थापना करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण, राज्य सरकारों से राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करने के लिए समय-समय पर कहता रहा है।

ऋण माफी योजना

1088. **श्री असादूद्दीन ओवेसी :**
श्री जोस के. मणि :
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :
श्री घनश्याम अनुरागी :
श्री सज्जन वर्मा :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि माफी तथा ऋण माफी योजना, 2008 के कार्यान्वयन का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कमियां, यदि कोई पाई गई हों, तो उनके संबंध में राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है *अथवा* किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का बड़ी संख्या में किसानों को कवर करने के लिए उक्त योजना का विस्तार करने/नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को किसानों का उक्त योजना के लाभ प्रदान करने में बैंकों द्वारा भ्रष्ट प्रथा अपनाए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार बैंक-वार तथा राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(छ) ऐसे किसानों/शिकायतकर्ताओं का आज की तारीख तक बैंक-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके ऋणों को शिकायत प्राप्त होने के बाद माफ किया गया/माफ नहीं किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना, 2008 के कार्यान्वयन की एक कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा प्रारंभ कर दी गई है।

(ग) और (घ) योजना को बढ़ाने/इसके नवीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना के अनुसार, दो हेक्टेयर (5 एकड़) तक की जोत वाले छोटे एवं सीमांत किसान अतिदेय कृषि ऋणों की पूरी माफी के पात्र थे जबकि दो हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि वाले अन्य किसान' 25% की एक-बारगी निपटान (ओटीएस) राहत के पात्र थे बशर्ते ये किसान अतिदेय ऋणों का 75% विप्रेषित करें। पात्र छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए योजना के ऋण माफी भाग का कार्यान्वयन निर्धारित तारीख अर्थात् 30.06.2008 तक किया गया था। तथापि, सरकार ने 'अन्य किसानों' के लिए ओटीएस के लिए अंतिम तारीख 30.06.2010 तक बढ़ा दी थी।

(ङ) से (छ) बैंकों के विरुद्ध सरकार को प्राप्त शिकायतें निवारण हेतु उनके प्रधान कार्यालयों को आगे भेज दी गई हैं क्योंकि कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के अनुसार प्रत्येक ऋणदात्री संस्था को प्रत्येक राज्य के लिए एक अथवा अधिक शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) (उस राज्य में शाखाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए) नियुक्त करना अपेक्षित था। संबंधित जीआरओ का नाम तथा पता ऋणदात्री संस्था की प्रत्येक शाखा में प्रदर्शित किया जाना था। जीआरओ के पास असंतुष्ट किसानों से अभ्यावेदन प्राप्त करने का प्राधिकार था और इनके प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर इन पर उपयुक्त आदेश देना था। जीआरओ के आदेश को अंतिम माना जाना था। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के शाखा स्तर पर ही शिकायतों का निपटान करने के लिए एक विकेन्द्रीकृत शिकायत निवारण योजना है। चूंकि, यह एक विकेन्द्रीकृत निवारण प्रणाली है, अंतः शिकायतों के संबंध में आंकड़े मांगे एक फार्मेट में नहीं रखे जा रहे हैं।

लिंग अनुपात में गिरावट

1089. **श्री नामा नागेश्वर राव :**
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :
श्री रामकिशुन :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन साधारण में जागरूकता की कमी तथा सरकार द्वारा बालिका को बचाने के लिए शुरू की गई योजनाओं के असंगत कार्यान्वयन के फलस्वरूप लिंग अनुपात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कन्या भ्रूण हत्या के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गए/पता चला;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी अधिनियम, 1994) में संशोधन करने तथा जुर्माना बढ़ाने के साथ ही कन्या भ्रूण हत्या में संलिप्त में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कारावास की अवधि को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक के नमूना पंजीयन पत्र भी संबंधी आंकड़ों के अनुसार देश का जन्म के समय लिंग अनुपात 2004-06 में 892 से बढ़कर 2005-07 में 901 तथा 2006-08 में 904 हो गया है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I. में दिए गए हैं।

पुत्र को अधिमान देने, कन्या शिशु की अपेक्षा करने जिससे छोटी आयु में अधिक मौतें होती हैं, कन्या शिशु की हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, उच्चतर मातृ मृत्यु दर और जनसंख्या को गिनने में पुरुष पक्षपात के अलावा आम जनता के बीच जागरूकता की कमी तथा स्कीमों का अनुपयुक्त कार्यान्वयन अल्प लिंग अनुपात के प्रमुख कारण है।

(ग) 2006-08 के वर्षों के दौरान सूचित भ्रूण हत्या की घटना के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे विवरण-II पर संलग्न हैं। वर्ष 2009-2010 के दौरान मासिक अपराध पर आधारित भ्रूण हत्या के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनंतिम आंकड़े विवरण-III पर संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (पी सी एवं पी एन डी टी) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने से संबंधित निर्णय अब तक नहीं लिया गया है।

विवरण-I

भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात
(प्रति 1,000 पुरुष जन्मों पर महिला जन्म)
एस आर एस आंकड़ों के अनुसार

भारत और बड़े राज्य	2004-06	2005-07	2006-08
भारत	892	901	904
आन्ध्र प्रदेश	917	915	917
असम	920	939	933
बिहार	881	909	914
छत्तीसगढ़	961	969	975
दिल्ली	847	871	877
गुजरात	865	891	898
हरियाणा	837	843	847
हिमाचल प्रदेश	872	831	938
जम्मू और कश्मीर	938	854	862
झारखंड	888	927	922
कर्नाटक	917	826	935
केरल	922	958	964
मध्य प्रदेश	913	913	919
महाराष्ट्र	879	871	884
उड़ीसा	934	933	937
पंजाब	808	837	836
राजस्थान	855	865	870
तमिलनाडु	955	944	936
उत्तर प्रदेश	874	881	877
पश्चिम बंगाल	931	936	941

विवरण-II

2006-2008 वर्षों के दौरान शिशु भ्रूण हत्या (धारा 315 और 316 आईपीसी) के अधीन पंजीकृत मामले (सीआर) आरोप पत्र दायर किए गए मामले (सीएस) दोष सिद्ध मामले (सीवी) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर) आरोप पत्र दायर किए गए व्यक्ति (पीसीएस) और दोष सिद्ध पाए गए व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य	2006						2007						2008					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	5	5	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	5	1	0	1	1	0	10	4	2	8	7	3	9	6	4	3	4	2
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	6	2	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
8.	हरियाणा	9	2	0	9	9	0	4	1	0	1	1	0	5	3	0	7	7	0
9.	हिमाचल प्रदेश	5	1	0	5	4	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1	1	1	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	0	0	15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	13	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	5	1	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	14	4	2	6	6	1	10	7	0	11	11	0	8	4	3	12	12	6
15.	महाराष्ट्र	10	5	0	11	11	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	5	4	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	22	2	0	7	2	0	35	8	0	9	8	0	24	3	2	8	4	1
22.	राजस्थान	25	3	1	8	8	1	16	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2	2	1	5	5	2	1	1	1	2	2	1	2	2	0	5	5	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	कुल राज्य	118	30	5	77	73	5	92	26	3	40	39	4	71	23	10	44	37	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	7	5	0	0	0	0	4	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	7	5	0	0	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	125	35	5	77	73	5	96	27	3	41	40	4	73	23	10	44	37	10

भारत में अपराध

नोट : पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटाए द्वारा निपटाए गए मामलों संबंधी सूचना में पिछले वर्षों से लंबित चले आ रहे मामलों संबंधी सूचना भी शामिल है।

विवरण-III

2009-2010 के दौरान भ्रूण हत्या की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार घटना (अनंतिम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009*	टिप्पणियां (आंकड़े निम्नलिखित महीने तक के हैं)	2010*	टिप्पणियां (आंकड़े निम्नलिखित महीने तक के हैं)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5	दिसम्बर	0	मई
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	दिसम्बर	0	अनुपलब्ध
3.	असम	0	नवम्बर	0	फरवरी
4.	बिहार	3	दिसम्बर	0	फरवरी
5.	छत्तीसगढ़	11	दिसम्बर	1	मार्च
6.	गोवा	0	दिसम्बर	0	अगस्त
7.	गुजरात	20	दिसम्बर	3	अप्रैल
8.	हरियाणा	5	दिसम्बर	1	मई
9.	हिमाचल प्रदेश	1	दिसम्बर	0	मई
10.	जम्मू और कश्मीर	1	दिसम्बर	0	मार्च
11.	झारखंड	0	सितम्बर	0	अनुपलब्ध
12.	कर्नाटक	1	दिसम्बर	1	अप्रैल
13.	केरल	0	दिसम्बर	0	मार्च
14.	मध्य प्रदेश	23	दिसम्बर	4	अप्रैल
15.	महाराष्ट्र	7	दिसम्बर	5	मई
16.	मणिपुर	0	दिसम्बर	0	मई
17.	मेघालय	3	दिसम्बर	0	जनवरी
18.	मिजोरम	0	दिसम्बर	0	अगस्त
19.	नागालैंड	0	दिसम्बर	0	मार्च

1	2	3	4	5	6
20.	उड़ीसा	0	जुलाई	0	अनुपलब्ध
21.	पंजाब	9	दिसम्बर	12	मई
22.	राजस्थान	18	अगस्त	5	मार्च
23.	सिक्किम	0	दिसम्बर	0	मई
24.	तमिलनाडु	0	दिसम्बर	0	अनुपलब्ध
25.	त्रिपुरा	0	दिसम्बर	0	मई
26.	उत्तर प्रदेश	0	दिसम्बर	0	अप्रैल
27.	उत्तराखंड	0	दिसम्बर	0	मई
28.	पश्चिम बंगाल	0	दिसम्बर	0	अप्रैल
	कुल (राज्य)	107		32	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	दिसम्बर	0	जून
30.	चंडीगढ़	0	जुलाई	0	अनुपलब्ध
31.	दादरा और नगर हवेली	0	दिसम्बर	0	अप्रैल
32.	दमन और दीव	0	दिसम्बर	0	मई
33.	दिल्ली	0	दिसम्बर	0	अप्रैल
34.	लक्षद्वीप	0	दिसम्बर	0	मई
35.	पुदुचेरी	0	दिसम्बर	0	मई
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0		2	
	कुल (अखिल भारतीय)	107		34	

2009 के संबंध में : हरियाणा के आंकड़ों में अगस्त और सितम्बर के आंकड़े शामिल नहीं है; झारखण्ड के आंकड़ों में मार्च और अप्रैल के आंकड़े शामिल नहीं हैं; मणिपुर के आंकड़ों में सितम्बर और अक्तूबर के आंकड़े शामिल नहीं हैं; उड़ीसा के आंकड़ों में जनवरी से जून के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

2010 के संबंध में : आन्ध्र प्रदेश के आंकड़ों में जनवरी के आंकड़े शामिल नहीं हैं; जम्मू और कश्मीर के आंकड़ों में जनवरी के आंकड़े शामिल नहीं है; मध्य प्रदेश के आंकड़ों में फरवरी के आंकड़े शामिल नहीं हैं; राजस्थान के आंकड़ों में जनवरी के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत : मासिक अपराध सांख्यिकी

*आंकड़े अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत शहरों का विकास

1090. डॉ. संजय जायसवाल :
श्री अर्जुनराम मेघवाल :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री मानिक टैगोर :
योगी आदित्यनाथ :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री के.सी. वेणुगोपाल :
श्री पी.के. बिजू :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की योजनाओं/घटकों के तहत निधियों के आबंटन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना/घटक-वार तथा राज्य/शहर-वार अनुमोदित परियोजना रिपोर्टों तथा आबंटित/जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ परियोजनाएं स्वीकृत हेतु अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं को तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं और उन्हें स्वीकृति प्रदान करने तथा निधियां जारी करने के लिए राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई मांगों/अनुरोधों के मद्देनजर जेएनएनयूआरएम के तहत परिव्यय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक के अंतर्गत धनराशि के आबंटन हेतु राज्य सरकार से प्राप्त राज्य-वार विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) विवरण-I में दी गई है।

(ख) ब्यौरा विवरण-II-क और II-ख में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। राज्य द्वारा प्रस्तुत तथा जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पायी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा विचार किया जाता है, बशर्ते कि उनका तकनीकी मूल्यांकन किया गया हो तथा धनराशि उपलब्ध हो।

(ङ) और (च) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आवंटन बढ़ाने से संबंधित मामले की जांच की जा रही है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10 के दौरान प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टें	2010-11 के दौरान प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	1
3.	असम	0	0
4.	बिहार	0	0
5.	चंडीगढ़	1	1
6.	छत्तीसगढ़	1	0
7.	दिल्ली	25	0
8.	गोवा	2	0
9.	गुजरात	4	1
10.	हरियाणा	0	0
11.	हिमाचल प्रदेश	0	0

1	2	3	4
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0
13.	झारखंड	0	2
14.	कर्नाटक	6	0
15.	केरल	1	0
16.	मध्य प्रदेश	0	0
17.	महाराष्ट्र	10	1
18.	मणिपुर	1	0
19.	मेघालय	1	0
20.	मिजोरम	2	0
21.	नागालैंड	0	2
22.	उड़ीसा	0	0
23.	पंजाब	3	0
24.	पुदुचेरी	0	0
25.	राजस्थान	0	0
26.	सिक्किम	2	0
27.	तमिलनाडु	0	3
28.	त्रिपुरा	2	0
29.	उत्तर प्रदेश	0	0
30.	उत्तराखंड	1	3
31.	पश्चिम बंगाल	17	10

विवरण-II(क)

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	सेक्टर	परियोजना का नाम	अनुमोदन का वर्ष	अनुमोदन लागत (लाख रु.)	वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु.)	जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपति	जल निकास/ बरसाती जल नालियां	तिरुमाला बाईपास सड़क के पूर्वी और तिरुपति के लिए भूमिगत जल निकास स्कीम	30-अक्तू. 09	1613.00	1290.00	323.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	जलापूर्ति	जीएचएमसी का व्यापक जलापूर्ति वितरण नेटवर्क तथा राजेन्द्र नगर म्युनिसिपल सर्कल के प्राथमिकता जोन की पहचान करने के लिए सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन	22-जन. 09	31426.00	9000.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	आन्ध्र प्रदेश	तिरुपति	जल निकास/ बरसाती जल नालियां	तिरुपति नगर निगम के लिए बरसाती जल निकास प्रणाली	30-अक्तू. 09	4556.00	3645.00	911.00
4.	असम	गुवाहाटी	जल निकास/ बरसाती जल नालियां	बहिनी और नूनमति के लिए बरसाती जल निकास परियोजना	28-अग. 09	12536.00	9000.00	0.00
5.	चंडीगढ़ (संघ) शासित)	चंडीगढ़	जलापूर्ति	जलापूर्ति फेज-5 चंडीगढ़ को बढ़ाना	20-नव. 09	13421.00	10738.80	0.00
6.	दिल्ली	नई दिल्ली	अन्य शहरी परिवहन	सीविक सेन्टर, जेएलएनमार्ग, मिन्टों, नई दिल्ली के पास के क्षेत्रों के लिए यातायात प्रबंधन	29-सित. 09	9716.00	3400.60	0.00**
7.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	कडकडी मोड पर किलावर लीव का निर्माण (विकास मार्ग और रोड सं. 57 का इंटर सेक्शन) तथा ट्रंक नाला सं. 1 पर मौजूदा ब्रिज को चौड़ा करना।	10-दिस. 09	8617.00	3016.00	0.00**
8.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	रोड् न. 56 आईएसबीटी आन्नद बिहार, दिल्ली पर ग्रेड सेपरेटर पर निर्माण	10-दिस. 09	9600.00	3360.00	0.00**
9.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	नौएड़ा मोड़ फ्लाईओवर अर्थात सिलिप रोड, बिज, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, और अंडरपास पर तीन अतिरिक्त क्लोवर लीवस का निर्माण	10-दिस. 09	8818.00	3087.00	0.00**
10.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	न्नद नगरी के समीप सड़क सं. 68 पर रेलवे लेवल क्रासिंग पर आरयूवी और आरओवी	10-दिस. 09	10286.00	3600.00	0.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	दिल्ली	नई दिल्ली	पार्किंग	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बहुस्तरीय अपरम्परागत पार्किंग का विकास (एएल ब्लाक, शालीमार बाग, शिव मार्किट पीतमपुरा, क्यूयू पीतमपुरा, सेन्ट्रल मार्किट अशोक विहार, मोहम्दपुर गांव, मालवीय नगर मार्किट, पीवीआर बसंत लोक, पीवीआर साकेत, जी-8 राजोरी गार्डन, ब्लाक-10 सुभाष नगर, सी-4 जनकपुरी, अजमलखॉन पार्क, करोल बाग, कृष्णा मार्किट कालकाजी, हौजरानी, न्यूफ्रैण्ड कालोनी, जंगपुरा, भोगल)	10-दिस. 09	46980.00	16443.00	0.00**
12.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-I, और -II सेन्ट्रल जोन की सड़कों का सुधार और सुदृढ़ीकरण	10-दिस. 09	14861.00	5201.00	0.00**
13.	दिल्ली	नई दिल्ली	जल निकाय/ बरसाती जल नालियां	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पार्किंग/संडक एंव पार्किंग मुहैया कराने के लिए अफ्रीका एवेन्यू से रिंग रोड़ तक नारोजी नगर में नल्ला का ढकना	10-दिस. 09	5120.00	1792.00	0.00**
14.	दिल्ली	नई दिल्ली	जल निकाय/ बरसाती जल नालियां	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पार्किंग/संडक एवं पार्किंग मुहैया कराने के लिए पुलिस स्टेशन डिफैन्स कालोनी के पीछे एनड्रयूज गंज से रिंग रोड तक शेख सराय, चिराग दिल्ली पंचशील एनक्लेव, ग्रेटर कैलाश-I से होकर गुजरने वाली प्रैस इनक्लेव सड़क से नल्ला को ढकना	10-दिस. 09	23300.00	8155.00	0.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	दिल्ली नगर निगम के विभिन्न जोनों में आरएमसी पेवमेन्ट (फेज-I) मुहैया कराकर 60 फुट आरओडब्ल्यू और इससे ऊपर की सड़क का सुधार	10-दिस. 09	16510.00	5779.00	0.00**
16.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	शकरपुर रोड और अपर रिंज रोड के इंटर सेक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	10-दिस. 09	7177.00	2512.00	0.00**
17.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	पूसा रोड, डॉ. के.एस. कृष्णा मार्ग और पटेल रोड पर इंटर सेक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	10-दिस. 09	7164.00	2507.00	0.00**
18.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	दिल्ली शहर में विभिन्न फुट और ब्रिज का निर्माण	10-दिस. 09	1750.00	613.00	0.00**
19.	दिल्ली	नई दिल्ली	जल निकास/ बरसाती जल नालियां	शाहदरा (उत्तरी) जोन में एसएसबीएल (सहारनपुर-शामली ब्रांच लाइन) निकास का पुर्नरुपेण	10-दिस. 09	15226.00	5329.00	0.00**
20.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	पूसा रोड, आर्य समाज रोड, फेज रोड अपर रिज रोड और पंचकुआ के इंटरसेक्शन पर ग्रेड सेपरेटर/ अंडरपास का निर्माण	10-दिस. 09	5544.00	1940.00	0.00**
21.	दिल्ली	नई दिल्ली		ट्रंक सीवर का पुर्नस्थापन	10-दिस. 09	25337.00	8868.00	0.00**
22.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	अफ्रीका एवेन्यू और अरुण आसिफ अली रोड पर फ्लाईओवर	10-दिस. 09	12661.00	4431.00	0.00**
23.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	विवेकान्नद मार्ग, नेशनल मंडेला मार्ग, पूर्वी मार्ग पर फ्लाईओवर	10-दिस. 09	12661.00	4431.00	0.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	मार्जिनल बन्द रोड, गीता कालोनी दिल्ली पर राजाराम कोहली मार्ग इंटरसेक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	10-दिस. 09	250.00	87.50	0.00**
25.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	ईस्ट दिल्ली में शास्त्री नगर के समीप दीसूसर्द कैनाल पर मार्जिनल बन्द रोड और मास्टर प्लान रोड के टी जक्शन पर यातायात के निर्बाद संचालन के लिए ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	10-दिस. 09	250.00	87.50	0.00**
26.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	अप्सरा बॉर्डर के समीप जीटी रोड और सड़क सं. 56 के जक्शंन ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	10-दिस. 09	14147.00	4951.00	0.00**
27.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	वजीराबाद दिल्ली के मौजूदा ब्रिज के यमुना नदी अनुप्रवाह पर ब्रिज और इसकी एप्रोच सड़कों का निर्माण	10-दिस. 09	108740.00	38059.00	0.00**
28.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	बारापुला नाला पर एलाइमेंट	10-दिस. 09	97000.00	33950.00	0.00**
29.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	राजघाट पावर स्टेशन पैकेज-II के पीछे से शालीमगढ़ फोर्ट तक शालीमगढ़ फोर्ट से वैलोड्रेम रोड पैकेज-I तक रिंग रोड बाई पास	10-दिस. 09	46900.00	16415.00	0.00**
30.	दिल्ली	नई दिल्ली	सड़के/फ्लाई ओवर/रोड ओवर ब्रिज	एनएच-24 क्रोसिंग (नोएडा मोड) से चिल्ला रेगुलेटर तक उत्तर प्रदेश रिंग रोड का कॉरीडोर सुधार	10-दिस. 09	25400.00	8890.00	0.00**
31.	गुजरात	राजकोट	सीवरेज	सीवरेज प्रणाली फेज-II, राजकोट शहर के लिए भाग-II	24-जुला. 09	19195.12	9000.00	2250.00
32.	गुजरात	अहमदाबाद	हैरीटेज क्षेत्र का विकास	अहमदाबाद में भद्र किला प्रीसिन्क्ट का पुर्नरुद्धार	22-जन. 10	7439.00	2603.65	650.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	गुजरात	वडोदरा	जलापूर्ति	वडोदरा शहर में कांस के विकासशील पुर्नस्थापन के लिए बुनियादी सेवाएं (क) वर्षा जल निकास सेक्टर (ख) जलापूर्ति क्षेत्र	29-सित. 09	16789.88	8394.94	2098.73
34.	गुजरात	वडोदरा	जलापूर्ति	वडोदरा शहर के अजवा क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु अनुपूरक डीपीआर	9-फर. 10	2059.26	605.50	151.37
35.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	सीवरेज	शिमला, फेज-I के विभिन्न जोनों में छूटी हुई/ध्वस्त सीवरेज तथा मिशिंग लाइन में सीवरेज नेटवर्क का पुनरुद्धार	22-जन. 10	5474.00	3880.00	970.00
36.	कर्नाटक	मैसूर	अन्य शहरी परिवहन	मैसूर हेतु बेहतर परिवहन प्रणाली एवं नवीन पर्यावरण परियोजना	24-जुला. 09	2270.00	1176.00	294.00
37.	कर्नाटक	मैसूर	हेरिटेज क्षेत्र का विकास	हेरीटेज कोर में हेरीटेज एवं शहरी नवीकरण	20-नव. 09	3945.00	3156.00	789.00
38.	केरल	कोचीन	शहरी नवीकरण	ब्राडवे एवं इरनाकुलम मार्किट हेरीटेज एवं शहरी नवीकरण परियोजना	9-फर. 10	2210.00	1105.00	276.25
39.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	हेरिटेज क्षेत्र का विकास	महाकाल एवं गोपाल विरासत क्षेत्र का सुरक्षित संरक्षण एवं विकास	22-जन. 10	4739.00	3791.20	947.80
40.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	ड्रेनेज/ वर्षा जल निकास	जबलपुर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए बरसाती पानी निकास (ओमती नाला सहित) का डीपीआर	30-अक्तू. 09	32649.00	16324.50	4081.12
41.	महाराष्ट्र	नासिक	सीवरेज	भूमिगत सीवरेज परियोजना पैकेज-II	22-जन. 10	17182.92	8591.46	2147.87
42.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	ठोस कचरा/ प्रबन्धन	ग्रेटर मुम्बई के नवी मुम्बई यू. ए में ठोस कचरा प्रबन्धन	11-दिस. 09	4986.86	1745.40	436.35
43.	मणिपुर	इम्फाल	जल निकासी/ वर्षा जल निकासी	इम्फाल शहर के लिए वर्षा जल निकासी कार्यक्रम	11-दिस. 09	10250.13	9225.12	2306.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	नागालैण्ड	कोहिमा	पार्किंग	कोहिमा में एकीकृत सडक और बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना	28-अग. 09	5042.43	4538.19	1134.55
45.	उड़ीसा	पुरी	जल निकासी/ वर्षा जल निकासी	पुरी कस्बे के लिए ठोस वरसाती पानी व्यवस्था	24-अप्रैल 09	7182.00	4500.00	1125.00
46.	पंजाब	अमृतसर	जलापूर्ति	वालसिटी एरिया अमृतसर के लिए मौजूदा जलापूर्ति का पुर्नस्थापन	20-नव. 09	4578.00	2289.00	572.25
47.	सिक्किम	गंगटोक	जलापूर्ति	कच्चे जल मुख्य नाले का उन्नयन/ आधुनीकिकरण और ग्रेटर गंगटोक के लिए जल शोधन संयंत्र	20-नव. 09	7261.66	6535.49	1663.87
48.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	जल निकासी/ वर्षा जल निकासी	शहरी नगर निगम (फेज 1) वर्षा जल निकासी व्यवस्था	28-अग. 09	22675.00	9000.00	2250.00
49.	त्रिपुरा	अगरतल्ला	सीवरेज	सीवरेज और जोन (प्राथमिकता 1 क्षेत्र) के लिए सीवरेज और सीवेज शोधन स्कीम	11-दिस. 09	10221.00	9000.00	2250.00
50.	उत्तर प्रदेश	आगरा	सीवरेज	आगरा सीवरेज स्कीम फेज-1 (भाग 1)	24-जुला. 09	19592.00	9000.00	2250.00
51.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	सीवरेज	मेरठ शहर के सीवरेज जोन 5-7 में सीवरेज कार्य	24-जुला. 09	18589.00	9000.00	2250.00
52.	उत्तर प्रदेश	वाराणासी	जलापूर्ति	वाराणसी शहर के वरुणा क्षेत्र पार हेतु जलापूर्ति घटक (प्राथमिकता 2)	25-सित. 09	20916.00	9000.00	2250.00
53.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	सीवरेज	देहरादून में एकीकृत ठोस कचरा प्रबन्धन	25-सित. 09	6035.77	4500.00	1125.00
54.	उत्तराखंड	देहरादून	सीवरेज	एल जोन के लिए देहरादून सीवरेज स्कीम (फेज-1)	9-फर. 10	6283.00	4628.00	1157.00
55.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	सडके/फ्लाई ओवर/ आरओबी	दुर्गापुर में रधुनाथपुर से धुपचुरिया और अकंदारा से फुली झोर तक सड्क का निर्माण, चौडा करना और सुधार।	28-अग. 09	9492.26	4746.13	1186.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	सीवरेज	रानीगंज नगरपालिका के लिए सीवरेज परियोजना	28-अग. 09	4008.82	2004.41	501.10
57.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	30 एमजीडी धापा जल शोधन संयंत्र के कमांड जोन में व्यापक वितरण नेटवर्क	24-अप्रैल 09	21555.27	7544.34	1886.06
58.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	भटपाडा नगरपालिका क्षेत्र के लिए जलापूर्ति स्कीम	28-अग. 09	24970.42	8739.65	2184.91
59.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	शहरी नवीकरण	डलहौजी स्फेयर का नवीकरण.	30-अक्टू. 09	2062.00	721.70	180.43
60.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सीवरेज	बीधन नगर कोलकात में निकास और सीवरेज परियोजना	20-नव. 09	2358.45	825.46	206.37
61.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	निकास/ वर्षा जल निकास	कोलकाता में बज बज नगर पालिका क्षेत्र वर्षा जल निकास स्कीम	11-दिस. 09	3480.16	1218.05	304.51
62.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	दुर्गापुर के लिए 24x7 जलापूर्ति (फेज-3)	11-दिस.-09	12681.40	6340.70	1585.18
63.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	कुल्टी नगर पालिका, आसनसोल यूए के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम	22-जन.-10	13370.60	6685.30	1671.33
64.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	चंद्रनगर नगर निगम के लिए जलापूर्ति प्रणाली की मीटरिंग।	22-जन.-10	1369.41	479.29	119.82
65.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जलापूर्ति	बल्ली नगर पालिका कोककाता के लिए सतही जल आपूर्ति स्कीम	19-मार्च-10	13849.36	4847.28	1211.82
66.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल निकास/ बरसाती जल नाले	बिदनानगर नगरपालिका क्षेत्र के लिए बरसाती जल निकास	19-मार्च-10	1915.53	670.44	167.61
						966246.71	406990.60	47867.02
	उपर्युक्त क्रम सं. 6-30 पर दिल्ली परियोजनाओं के लिए तथा वर्ष 2008-09 में अनुमोदित निलोठी और पप्पनकला में प्रत्येक के लिए 20 एमजीडी स्थापि करने के लिए कुल जारी कुल धनराशि							**48877.00
	कुल योग							96744.02

विवरण-II (ख)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	शहर	क्षेत्र	परियोजना का नाम	सीएसएमसी द्वारा अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए
1.	दिल्ली	नई दिल्ली	सीवरेज	यमुना नदी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए नजफगढ़, सप्लीमेंट्री और शाहदरा नामक तीन मुख्य नालों के साथ-साथ इंटरपेप्टर सीवर बीछाना	19-मई 10	135771.00	47520.00	0.00
2.	उत्तराखंड	नैनीताल	ठोस कचरा प्रबंधन	नैनीताल में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	16-जन. 10	931.00	744.80	186.20
3.	उत्तराखंड	हरिद्वार	जलाशयों का संरक्षण	हरिद्वार में एनएच-58 और चांदीद्वीप के बीच गंगा नहर से अधिशेष जल छोड़ने के लिए एस्केप चैनल का चैनेलाइजेशन	21-मई 10	3974.33	3179.46	794.86
4.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जल निकास/ बरसाती जल नाले	कमरहटी नगरपालिका कोलकाता के लिए बरसाती जल निकास स्कीम	16-जन. 10	6757.05	2364.97	591.24
5.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	कोलकाता नगर पालिका क्षेत्र में उलटाडंगा से गोरिया तक बीआरटीएस	16-जन. 10	25291.00	8851.85	0.00
	कुल					172724.38	62661.08	1572.30

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़ में ट्रंक ब्रिक सीवरों को आरसीसी एनपी-3 पाइपों में बदलना और विस्तार करना	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

1	2	3	4	5
2.	दिल्ली	दिल्ली	विभिन्न स्थानों पर सीवरेज शौधन संयंत्रों का निर्माण	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
3.	गोवा	पणजी	(i) पणजी शहर के लिए शहरी नवीकरण तथा पार्क, गार्डन और खुले स्थान	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
			(ii) हैरीटेज संरक्षण	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
4.	गुजरात	पोरबन्दर	पोरबन्दर जलापूर्ति	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
5.	झारखंड	जमशेदपुर	जमशेदपुर शहरी बस्तियों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
6.	नागालैंड	कोहिमा	(i) कोहिमा में किटसूबोजाऊ कालोनी से ओल्ड लिंक रोड तक सड़क का निर्माण	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
			(ii) कोहिमा कस्बें के लिए बरसाती जल निकास विकास स्कीम	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
7.	पंजाब	अमृतसर	(i) अमृतसर शहर के शेष क्षेत्र में जल आपूर्ति स्कीम मुहैया करना	वचनबद्ध सुधारों को पूरा नहीं किया गया।
		लुधियाना	(ii) लुधियाना फेज-I में जलआपूर्ति प्रणाली का विस्तार और बढ़ाना	
		लुधियाना	(iii) लुधियाना फेज-II में जलआपूर्ति प्रणाली का विस्तार और बढ़ाना	
8.	तमिलनाडु	चैन्नई	(i) कोयम्बटूर में 120 एमएलडी एसटीपी का निर्माण	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
			(ii) मनपाक्कम में जलापूर्ति का सुधार	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
			(iii) आईटी कोरीडोर के साथ-साथ 14 पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
9.	उत्तराखंड	हरिद्वार	हरिद्वार में जोन-डी (कनखल) और जोन-ई-I (आर्य नगर - नया हरिद्वार) में सीवरेज प्रणाली	धनराशि विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
		नैनीताल	नैनीताल (मालीताल और तालीताल) में सड़को को चौड़ा करना और पार्किंग	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
10.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बराकपुर - कल्याणी - डुंगडुग एक्सप्रैसवे सड़क परियोजना	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
		आसनसोल	आसनसोल में आसनसोल साऊथ सिटी रोड़ का निर्माण	तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सस्ता चिकित्सा उपचार

1091. श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री एंटो एंटोनी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक दवाओं की सूची में किन-किन दवाओं को सम्मिलित किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा सस्ता चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सहायता हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) राष्ट्रीय अनिवार्य औषध सूची में 354 औषध फार्मूलेशन शामिल किए गए हैं। दस्तावेज नामतः राष्ट्रीय अनिवार्य औषध सूची, 2003, जो 58 पृष्ठों की है और जिसमें औषध फार्मूलेशन की उक्त सूची निहित है, को वेबसाइट www.cdsco.nic.in पर अपलोड किया गया है।

(ख) श्रम मंत्रालय असंगाठित क्षेत्र के (बी पी एल) के कर्मकारों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर एस बी वाई) गरीबी रेखा से नीचे कार्यान्वित कर रहा है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय

1092. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदत्त मानदेय में केंद्र सरकार का तथा राज्य के हिस्से का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत सभी राज्यों के संबंध में मानदेय सहित सभी प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक लागतों का केन्द्र और राज्य के बीच व्यय की हिस्सेदारी का अनुपात 90:10 है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का विवरण विवरण में दिया गया है। मानदेय की इन दरों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से भुगतान किए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय की दरें शामिल नहीं हैं, जो राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है।

विवरण

योग्यता एवं वर्ष

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां	1.4.08 से
मैट्रिक से कम शिक्षित	1438
मैट्रिक पास	1500
5 वर्ष का अनुभव वाली मैट्रिक से कम शिक्षित	1469
5 वर्ष का अनुभव वाली मैट्रिक पास	1531
10 वर्ष का अनुभव वाली मैट्रिक से कम शिक्षित	1500
10 वर्ष का अनुभव वाली मैट्रिक पास	1563
लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां	750
लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी सहायिकाएं	750

पर्यटक सर्किटों की स्थापना

1093. श्री अर्जुनराम मेघवाल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पर्यटक सर्किटों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) पर्यटक सर्किटों को स्थापित करने सहित, पर्यटन का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में 30 जून, 2010 तक, पर्यटक सर्किटों सहित, पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-2011, 30.06.2010 तक) के दौरान स्वीकृत की गई पर्यटन परियोजनाएं

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	31	146.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	41	111.21
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
4.	असम	15	44.55
5.	बिहार	15	39.23
6.	चंडीगढ़	14	27.82
7.	छत्तीसगढ़	6	24.27
8.	दादरा और नगर हवेली	3	0.24
9.	दमन और दीव	1	0.12
10.	दिल्ली	20	72.16
11.	गोवा	3	48.14
12.	गुजरात	12	34.30
13.	हरियाणा	24	59.72
14.	हिमाचल प्रदेश	28	76.78
15.	जम्मू और कश्मीर	93	159.52
16.	झारखंड	10	11.55
17.	केरल	30	12745
18.	कर्नाटक	22	105.20
19.	लक्षद्वीप	1	7.82
20.	महाराष्ट्र	11	58.90
21.	मणिपुर	25	73.44
22.	मेघालय	15	33.86
23.	मिजोरम	18	44.53
24.	मध्य प्रदेश	39	125.43
25.	नागालैंड	48	72.65

1	2	3	4
26.	उड़ीसा	30	99.69
27.	पुदुचेरी	13	24.21
28.	पंजाब	7	33.13
29.	राजस्थान	20	91.71
30.	सिक्किम	72	162.15
31.	तमिलनाडु	38	116.53
32.	त्रिपुरा	32	35.93
33.	उत्तर प्रदेश	22	75.79
34.	उत्तराखंड	8	66.04
35.	पश्चिम बंगाल	29	94.48
	कुल योग	796	2305.02

बैंकों के कार्यकरण हेतु दिशानिर्देश

1094. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)/सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जमा राशि प्राप्त करने, उसके उपयोग, विभिन्न ऋण प्रदान करने, निवेश आदि संबंधी उनके कार्यकरण के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान-बैंक-वार तथा कार्य-वार इसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कार्यप्रणाली के लिए आवधिक दिशा-निर्देश जारी करता है। इन दिशानिर्देशों को विभिन्न कार्यकलापों से संबंधित मास्टर परिपत्रों में संकलित किया जाता है तथा इसे सार्वजनिक किया जाता है और ये निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) ये दिशानिर्देश और परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण करके उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है।

वेक्टर जनित बीमारियां

1095. श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री सुदर्शन भगत :
डॉ. भोला सिंह :
योगी आदित्यनाथ :
श्री पी.सी. मोहन :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री अंजन कुमार एम. यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान मलेरिया, कालाजार तथा अन्य वेक्टर जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा बीमारी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संबंध में रिपोर्ट दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण क्या हैं;

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं, तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितनी निधियों का आबंटन किया गया है और राज्य सरकारों द्वारा इनका कितना उपयोग किया गया है;

(च) क्या कुछ राज्यों को 'मलेरिया राज्य' कहा गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) जी नहीं, डेंगू को छोड़कर जिसमें विगत तीन वर्षों में मौतों की संख्या में मामूली वृद्धि देखी गई है। कालाजार में गिरता हुआ रुझान प्रदर्शित हो रहा है और मलेरिया तथा जापानी एंसफलाइटिस में घटता-बढ़ता रुझान प्रदर्शित हो रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान सूचित मौतों का राज्य-वार और रोग-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गयाा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) वेक्टर जनित रोगों के निवारण, उपचार एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के संरक्षण में एक एकीकृत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन वी बी डी सी पी) कार्यान्वित कर रही है। वेक्टर जनित रोगों के निवारण एवं नियंत्रण के लिए मुख्य कार्यनीति में एकीकृत वेक्टर नियंत्रण, रोगी की शुरू में ही पहचान करने और पूर्ण उपचार तथा व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण की हिमायत की गई है। इसके अलावा, जापानी एंसेफलाइटिस के निवारण के लिए बच्चों का टीकाकरण भी किया जाता है। भारत सरकार तकनीकी सहायता प्रदान कती है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनुमोदित राज्यों की वार्षिक आवश्यकताओं के अनुसार निधियां एवं वस्तुएं प्रदान करके राज्यों की कमी को संपूरित भी करती है। तथापि, कार्यक्रम को मुख्यतया राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

विगत तीन वर्षों के दौरान वेक्टर-जनित रोगों के निवारण एवं नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी तथा उनके द्वारा उपयोग किए गए नकद अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(च) और (छ) जी, नहीं। तथापि, 16 राज्यों नामत: 7 पूर्वोत्तर राज्य (सिक्किम को छोड़कर), आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात के कुछ जिले मलेरिया के उच्च्व स्थानिकमारी वाले क्षेत्र हैं। इन राज्यों के क्षेत्रों में कुल मिलाकर देश की 52% जनसंख्या, 90% मलेरिया रोगी, 99% पी एफ मामले तथा मलेरिया के कारण 95% मौतें होती हैं।

विवरण-I

2007 से 2009 के दौरान मलेरिया, कालाजार, डेंगू और तीव्र एंसेफलाइटिस संलक्षण (ए ई एस)/ जापानी एंसेफलाइटिस के कारण सूचित राज्य-वार मौतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मलेरिया			कालाजार			डेंगू			ए ई एस/जे ई		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	2	0	3	0	0	0	2	2	11	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	36	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	152	86	63	0	0	0	0	0	0	133	99	92
4.	बिहार	1	0	21	172	142	80	0	0	0	164	45	95
5.	छत्तीसगढ़	0	4	11	0	0	0	0	0	7	0	0	0
6.	गोवा	11	21	10	0	0	0	0	0	5	0	0	3
7.	गुजरात	73	43	34	1	0	0	2	2	2	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	11	9	1	46	3	10
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	31	25	28	20	5	12	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	18	8	0	0	0	0	0	3	8	3	0	8
13.	केरल	6	4	5	0	0	0	11	3	6	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	41	53	26	0	0	0	2	0	5	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	182	148	227	0	0	0	21	22	20	0	0	0
16.	मणिपुर	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	237	73	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	75	91	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	26	19	35	0	0	0	0	0	0	1	0	2
20.	उड़ीसा	221	239	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0	0
22.	राजस्थान	46	54	18	0	0	0	10	4	18	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	2	1	0	0	0	2	3	7	1	0	8
25.	त्रिपुरा	51	51	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	1	0	1	2	2	2	645	537	556
28.	पश्चिम बंगाल	96	104	74	9	3	0	4	7	0	2	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	1311	1055	1144	203	151	93	69	80	96	995	684	774

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी नकद अनुदान और उनके द्वारा उपयोग की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10	
		जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	739.26	716.80	814.53	335.51	470.30	595.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	306.20	315.34	647.21	734.30	742.05	546.44
3.	असम	1,042.00	1,492.70	910.87	1,349.98	700.16	787.42
4.	बिहार	631.24	0.00	358.45	185.05	193.02	663.13
5.	छत्तीसगढ़	658.02	669.96	764.91	780.59	442.21	297.99
6.	गोवा	108.09	18.03	0.00	29.06	23.91	43.45
7.	गुजरात	683.38	677.75	385.82	757.03	965.06	147.71
8.	हरियाणा	10.00	6.13	20.00	32.23	252.47	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	10.00	0.00	5.12	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	6.63	10.55	3.17	23.40	3.98
11.	झारखंड	510.71	337.14	1,211.06	651.57	502.99	741.99
12.	कर्नाटक	116.70	293.77	440.00	332.19	200.47	177.92
13.	केरल	630.94	0.00	199.88	237.85	279.98	270.60
14.	मध्य प्रदेश	534.27	286.06	326.77	520.00	831.04	172.38
15.	महाराष्ट्र	663.31	756.28	853.32	803.09	442.50	87.47
16.	मणिपुर	133.18	288.00	238.05	121.91	195.31	226.28
17.	मेघालय	142.91	166.13	229.86	309.51	96.36	103.67
18.	मिजोरम	138.73	207.14	276.56	282.35	316.52	107.26
19.	नागालैंड	214.28	260.83	381.15	376.51	437.45	59.71
20.	उड़ीसा	1,476.70	1,556.88	642.56	927.02	929.37	1,187.50
21.	पंजाब	11.16	18.02	28.78	23.23	238.81	7.39
22.	राजस्थान	247.50	560.71	344.74	379.29	377.59	241.71
23.	सिक्किम	4.00	6.71	6.50	6.63	7.97	0.08
24.	तमिलनाडु	453.10	453.81	185.15	425.62	453.71	461.90
25.	त्रिपुरा	138.97	190.49	319.88	217.38	238.23	205.16
26.	उत्तर प्रदेश	671.03	593.48	841.53	763.52	645.54	129.96
27.	उत्तराखंड	3.51	5.72	0.00	0.00	5.55	4.70
28.	पश्चिम बंगाल	279.37	152.64	528.11	284.46	427.74	289.92
29.	दिल्ली	25.50	0.00	57.31	0.00	45.70	2.98
30.	पुदुचेरी	14.81	38.27	0.00	37.18	20.12	70.07
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	275.06	412.94	275.01	311.24	445.51	320.68

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	चंडीगढ़	31.42	15.13	57.75	53.18	49.36	7.52
33.	दादरा और नगर हवेली	30.15	36.58	43.61	25.44	42.01	28.46
34.	दमन और दीव	16.59	25.79	20.38	15.44	25.61	11.46
35.	लक्षद्वीप	2.80	0.00	14.37	0.00	1.79	4.18
	कुल	10,944.92	10,565.86	11,444.67	11,311.53	11,074.93	8,006.18

[अनुवाद]

मियाद समाप्त हो चुकी दवाओं की बिक्री

1096. श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मियाद समाप्त हो चुकी दवाओं की बाजार में की जा रही बिक्री का भंडाफोड़ किए जाने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा ऐसी दवाओं के उपयोग से कितनी मौतें हुई हैं;

(ग) क्या इस अपराध को रोकने के लिए कोई कड़ा कानून/अधिनियम मौजूद है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नया कानून लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) तमिलनाडु, मिजोरम, असम तथा त्रिपुरा राज्यों में मियाद समाप्त हो चुकी दवाओं की बाज़ार में की जा रही बिक्री की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में ब्यौरों को दर्शाता विवरण संलग्न है। इस प्रकार की दवाओं के कारण होने वाली मौतों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) औषध एवं प्रसाधन-सामग्री अधिनियम, 1940 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम दवाइयों की बिक्री को विनियमित करते हैं। मियाद समाप्त हो चुकी दवाओं की बिक्री और वितरण उक्त अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. **तमिलनाडु:-**

तमिलनाडु राज्य में मियाद समाप्त हो चुकी दवाओं के लेबल बदलकर की जा रही बिक्री का औषध नियंत्रण निदेशालय, तमिलनाडु द्वारा भंडाफोड़ किया गया है। राज्य औषध नियंत्रण प्रशासन द्वारा की गई प्रारंभिक जांचों के उपरान्त, मामले को तमिलनाडु सरकार के निर्देशों के अनुसार अपराध शाखा-केन्द्रीय अन्वेषण विभाग (सी बी सी आई डी) को आगे की जांचों के लिए भेज दिया गया है। औषध नियंत्रण, तमिलनाडु ने सूचित किया है कि इस मामले में पंद्रह दुकानों पर छापा मारा गया था। एक डीलर मियाद समाप्ति वाले उत्पादों के बैच नंबर, विनिर्माण की तिथि और मियाद समाप्ति की तिथि बदलने में संलिप्त था और उन्हें पुन: बिक्री के लिए सप्लाई करता था। पुलिस के साथ मिलकर जांचे की गई जिसने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है।

2. मिज़ोरम:-

औषध नियंत्रण, मिज़ोरम ने सूचित किया हैं कि राज्य में मियाद समाप्त हो चुकी दवाओं की बाज़ार में की जा रही बिक्री के तीन मामलों का पता चला है। राज्य के औषध नियंत्रण प्रशासन द्वारा निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है:-

क्रम सं.	दवाइयों का नाम	बैच संख्या	मियाद समाप्ति की तारीख	विनिर्माता का नाम	की गई कार्रवाई
1.	सिप्रोफ्लोक्सासिन आई. पी.	5 पी-059	03.08	पेरेन्टेरल ड्रग्ज़ (आई) लिमिटेड, इन्दौर	बिक्री परिसर के लाइसेंस का आस्थगन
2.	न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन	जी 06314307	03.08	मर्क	बिक्री परिसर के लाइसेंस का आस्थगन
3.	पेक्टोजेक्ट	पी जी एस 250	04.10	पैक्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड, गुड़गांव	बिक्री परिसर के लाइसेंस का आस्थगन

3. त्रिपुरा :-

क्रम संख्या	दुकान का नाम	की गई कार्रवाई	क्या कोई अन्य प्रतिक्रिया हुई
1.	मैसर्स प्रतिवा मेडिकल हॉल, जी.बी. बाज़ार, अगरतला	16-04-2006 से 25-04-2006 तक लाइसेंस आस्थगित किया गया	नहीं
2.	मैसर्स जॉय नारायण मेडिकल हॉल, महारानी बाज़ार, उदयपुर, साऊथ त्रिपुरा	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	नहीं
3.	मैसर्स न्यू दास मेडिकल हॉल, गंडाच्छारा बाज़ार, गंडाच्छारा, धालाय, त्रिपुरा	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	नहीं

4. असम

एक मामले की सूचना प्राप्त हुई थी। मैसर्स न्यू ड्रग हाऊस आगरा रोड, ज़िला ग्वालपाड़ा को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। मियाद समाप्ति वाली दवाई के सेवन के कारण मौत की कोई सूचना नहीं है।

के.लो.नि.वि. टोलफ्री नम्बर का कार्यकरण

1097. श्री एम. आनंदन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केलोनिवि) का एक टोलफ्री नम्बर है जिससे सरकारी क्वार्टरों के निवासी मरम्मत तथा अन्य कार्यों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नम्बर के हमेशा व्यस्त रहने के कारण निवासियों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने में काफी कठिनाई आ रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का केलोनिवि के सेवा केन्द्रों पर शिकायत दर्ज करने की पुरानी प्रणाली आरंभ करने का प्रस्ताव का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (ङ) पूरी दिल्ली में केलोनिवि सेवा केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अनुरक्षण सेवाओं की कार्यकुशलता एवं गुणता को सुधारने के उद्देश्य से निःशुल्क संख्या (1800 114499) के द्वारा शिकायतों का कंप्यूटरीकृत दर्ज करने की नई प्रणाली शुरु की गई है। यह नई सेवा तृतीय पक्ष काल सेंटर के जरिए वस्तुपरक तरीके से शिकायतें दर्ज करने, उन पर ध्यान देने, निवासियों को रिपोर्ट करने एवं उनसे फीड बैक प्राप्त करने आदि के लिए कंप्यूटरीकृत रिकार्ड तैयार करने में मदद करेगी। ये रिकार्ड केलोनिवि सेवा केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा की कारगरता, तत्परता तथा गुणता पर स्वतः रिपोर्ट तैयार करने में विभाग की मदद करते हैं। विलंबित या असंतोषप्रद सेवाओं के मामले में यह प्रणाली शिकायतों का स्वतः वरिष्ठ पर्यवेक्षी अधिकारियों को अग्रेषित कर देती है। चूंकि ये सेवाएं हाल ही में शुरु की गई है, इसलिए कुछ शुरुआती बाधाएं हैं जिनकी वजह से निवासियों में अक्सर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। जब प्रारंभिक कठिनाइयां समाप्त हो जाने पर नई प्रणाली से केलोनिवि सेवा केन्द्रों की कार्यकुशलता तथा गुणता में काफी सुधार होने की आशा की जाती है। नई प्रणाली के लाभों को देखते हुए पुरानी प्रणाली को पुनः अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ड्यूटी ड्रॉबैक दर

1098. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्रीमती सुप्रिया सुले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त तथा वाणिज्य मंत्रालयों ने ड्यूटी ड्रॉबैक दर की कटौती के लिए समान प्रक्रिया आरंभ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में क्या अंतिम कार्यवाही की जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) ड्रॉबैक योजना के अंतर्गत उस सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान की जाती है जो आयातित/स्थानीय रूप से अधिप्राप्त सामग्री पर लगाई जाती है तथा उन सेवा करों में भी छूट दी जाती है जो निर्यात माल के विनिर्माण में प्रयोग आने वाली 'इन पुट' सेवा पर लगाये जाते हैं। ड्रॉबैक की दरों को हर साल शुल्क संरचना और अन्य सुसंगत तथ्यों में होने वाले बजटीय परिवर्तन को देखते हुए तैयार किया जाता है और उसको अधिसूचित किया जाता है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरकार ने इस बावत एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसका कार्य ड्रॉबैक दरों की सिफारिश करना है। इस ड्रॉबैक समिति की रिपोर्ट 31.08.2010 तक आ जाने की संभावना है। सरकार रिपोर्ट की जांच करेगी फिर उसके बाद दरों को अधिसूचित किया जायेगा।

[हिन्दी]

एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं

1099. श्री कौशलेन्द्र कुमार : क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में वाम पक्ष चरमपंथी (एल.डब्ल्यू.ई.) प्रभावित क्षेत्रों तथा इसके समीपवर्ती जिलों में कार्यान्वित की जा रही नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं को एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित क्षेत्रों में उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जनजातियों के लाभ हेतु इन क्षेत्रों में विशेष नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं आरंभ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सभी स्कीमें/कार्यक्रम समूचे देश में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। वाम पक्ष चरमपंथी (एल. डब्ल्यू.ई) प्रभावित क्षेत्रों और उनके समीपवर्ती जिलों में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीमों में शामिल हैं : (i) कुकिंग ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारिवारिक बायोगैस कार्यक्रम (ii) अविद्युतीकृत दूरस्थ गांवों और बस्तियों में बुनियादी रोशनी/बिजली के प्रावधान हेतु दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम (iii) एसपीवी कार्यक्रम (जनजातीय हॉस्टलों/आश्रमों/पुलिस स्टेशनों हेतु सड़क रोशनी/विद्युत संयंत्रों का प्रावधान) और (iv) लघु पनबिजली कार्यक्रम।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य सरकारों/नामित नोडल एजेंसियों द्वारा विभिन्न जिलों में उसकी योजनाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर इन स्कीमों का कार्यान्वियन किया जाता है। परियोजना स्थलों/दूरस्थ गांवों, जहां प्रणालियां संस्थापित की जानी है, की पहचान संबंधित राज्य विभागों/एजेंसियों द्वारा की जाती हैं और स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वाम पक्ष चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में कार्यक्रमों के अनुचित कार्यान्वियन की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कैंसर का फैलना

1100. श्री के. सुधाकरण :
प्रो. रामशंकर :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि में कीटनाशियों के लगातार उपयोग तथा पेयजल में 'हैवी मेटल' की मौजूदगी से कैंसर रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा कैंसर से पीड़ित जनसाधारण को सस्ता चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है।

(घ) क्या क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेंद्रम ने राज्य में विभिन्न प्रकार के कैंसर के फैलने के संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) से (ग) आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं कैंसर के कारण के रूप में जानी जाती है। कृषि में कीटनाशकों के निरंतर प्रयोग तथा पेय जल में भारी धातुओं की मौजूदगी के कारण कैंसर रोगियों की संख्या में होने वाली वृद्धि संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है।

स्वास्थ्य संवर्धन, मानव संसाधन सहित क्षमता निर्माण, विभिन्न स्तरों पर गैर संचारी रोग क्लीनिकों के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली से शीघ्र निदान, उपचार और एकीकरण के लिए राष्ट्रीय कैंसर, मुधमेह, हृदवाहिका और आघात की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एन पी सी डी सी एस) की शुरूआत की गई है।

इस मंत्रालय ने गरीबों और जरूरतमंद कैंसर रोगियों को लागत प्रभावी उपचार प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 27 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की पहले से ही पहचान की है। इसके अतिरिक्त गरीब कैंसर रोगियों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी प्रणाली में सरकारी में नि:शुल्क अथवा रियायती उपचार प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम ने विभिन्न प्रकार के कैंसर के फैलाव के अध्ययन के लिए कोई भी राज्यवार कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है।

मधुमेह की रोकथाम

1101. डॉ. रत्ना डे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मधुमेह की रोकथाम के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विभिन्न प्रकार से पीड़ित व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) भारत सरकार ने 1230.90 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय पर कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का अनुमोदन किया है। यह कार्यक्रम मानव संसाधन, शीघ्र निदान एवं प्रबंध तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ एकीकरण समेत स्वास्थ्य संवर्धन, क्षमता निर्माण पर लक्ष्य केंन्द्रित करता है।

(ग) भारत में विभिन्न प्रकार के मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों की सही संख्या ज्ञात नहीं है। फिर भी अनुमान विभिन्न महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययनों पर आधारित हैं। आई सी एस आर के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान बताते हैं कि वर्ष 2004 में भारत में 32 मिलियन मधुमेह रोगी थे और यह प्रक्षिप्त किया गया है कि 2030 तक विश्व में मधुमेह रोगियों की सबसे बड़ी तादाद (80 मिलियन) भारत में होगी। मधुमेह संबंधी राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मधुमेह की मुख्य दो किस्में हैं; यथा टाइप-I (इन्सुलिन आश्रित) एवं टाइप II (इन्सुलिन अनाश्रित)। कुल मधुमेह रोगियों में से 90-95% रोगी टाइप II मुधमेह के रोगी हैं।

पर्यटन पर एडवाइजरी का प्रभाव

1102. **श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने अपने नागरिकों को भारत का दौरा न करने की एडवाइजरी जारी की है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी पर्यटकों के आगमन तथा विदेशी विनिमय राजस्व पर उक्त एडवाइजरी का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) अनेक देश समय-समय पर यात्रा परामर्श जारी करते हैं।, जिसमें वो अपने नागरिकों को अन्य देशों की यात्रा पर जाते समय सावधानी बरतने अथवा यात्रा टालने की सलाह देते हैं।

अन्य देशों द्वारा जब कभी भी इन्हें जारी किया जाता है, तो पर्यटन मंत्रालय, पर्यटक आगमन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय, विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं विदेश स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से ऐसे यात्रा परामर्श को हटाने अथवा इन्हें हल्का बनाने के संबंध में मामले को उठाता है।

इसके अतिरिक्त, ऐसे परामर्श के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए मंत्रालय विभिन्न प्रकार के कदम उठाता है, जिनमें भारत का संवर्धन करने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए विपणन विकास सहायता योजना को उदार बनाना, यात्रा प्रचालाकों एवं स्थानीय मीडिया को जमीनी वास्तविकताओं से अवगत करवाने के लिए, पर्यटक तैयार करने वाले महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों में, मार्ग-प्रदर्शनिकों का आयोजन करना, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व्यवसाय तथा मीडिया के प्रतिनिधियों को देश की सुरक्षा/संरक्षा की ताजा स्थिति से अवगत रखने के लिए भारत के परिचायक दौरों का आयोजन करना शामिल है।

इसके अलावा, भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारतीय मिशनों एवं विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उद्योग और मीडिया के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है।

लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क

1103. **श्री जे.एम. आरून रशीद : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय इस्तपात मंत्रालय ने लौह अयस्क के बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण लगाने तथा उत्पाद की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के प्रयास के तहत लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क बढ़ाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इस संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए अन्य सुझावों को ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, हां। केन्द्रीय इस्पात मंत्रालय ने बढ़ते मूल्य पर नियंत्रण रखने तथा लौह अयस्क की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के उपायों में से एक उपाय के रूप में लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की है।

(ख) वित्त मंत्रालय को निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से जुड़ी ग्रेड की प्रणाली में सभी प्रकार के लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाने के संबंध में इस्पात मंत्रालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, चूंकि हाल ही में 29 अप्रैल, 2010 को लौह अयस्क पिंडों पर निर्यात शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% यथामूल्य कर दिया गया है, इसलिए यह महसूस किया गया कि इतनी जल्दी कोई और परिवर्तन करना असामयिक होगा।

[हिन्दी]

पेंशन उत्पादों पर लाभ

1104. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने पेंशन उत्पादों पर 4.5 प्रतिशत की अनिवार्य गांरटी देने संबंधी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिससे बीमाधारक तथा ग्राहक नाखुश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इससे बीमाधारकों तथा ग्राहकों के लिए इसके क्या फायदे और नुकसान हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ग) भावी बीमा पालिसीधारकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने और साथ ही उनके हितों की रक्षा करने के लिए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सभी जीवन बीमा कंपनियों को दिनांक 28.06.2010 को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि सभी यूनिट संबद्ध बीमा योजना (यूलिप) पेंशन/वार्षिकी उत्पादों के लिए न्यूनतम 4.5 प्रतिशत वार्षिक की गारंटीकृत आय का या आईआरडीए द्वारा समय-समय पर यथा उल्लिखित आय का प्रस्ताव किया जाएगा। यह गांरटीकृत आय उन सभी पालिसियों की परिपक्वता तिथि पर लागू होगी, जिनके सभी देय प्रीमियम चुका दिए गए हों।

आईआरडी ने सूचित किया है कि बीमाकर्ताओं को बाजार में अपने लिए उपलब्ध निवेश अवसरों को देखते हुए ऐसे सुनिश्चित आय के संबंध में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके अलावा, दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि आईआरडीए समय-समय पर गारंटीकृत आय की दर की समीक्षा करें।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. औषधालयों का खोला जाना

1105. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी :**
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सहित देश में कुल कितने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) अस्पताल और औषधालय हैं;

(ख) क्या राज्य में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या के मद्देनजर अस्पताल और औषधालयों की संख्या अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निजी अस्पतालों को सी.जी.एच.एस. में शामिल करने का है ताकि अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा सके;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात सहित देश में और अधिक सी.जी.एच.एस. औषधालयों को खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) सी जी एच एस ने देश में किसी अस्पताल की स्थापना नहीं की है। उन शहरों के सी जी एच एस औषधालयों जिनमें वे कार्यात्मक हैं, का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सी जी एच एस के ज़रिए उपलब्ध कराई जा रहीं सेवाओं को सम्पूरण करने के लिए निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों को पैनल में शामिल किया जा रहा है।

(ङ) और (च) सी जी एच एस अपने कार्यकलापों का नये क्षेत्रों में विस्तार करने में असमर्थ है।

विवरण

31-03-2008 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत सी जी एच एस औषधालयों के वर्षवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	शहर	एलोपैथी	आयुर्वेदिक	होम्योपैथी	यूनानी	सिद्ध	योग	कुल	पॉली क्लिनिक	प्रयोग-शाला	दंत चिकित्सा एकक	प्राथमिक उपचार केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अहमदाबाद	5	1	1	0	0	0	7	0	1	1	0
2.	इलाहाबाद	7	1	1	0	0	0	9	1	1	0	0
3.	बंगलुरू	10	2	1	1	0	0	14	1	4	1	0
4.	भोपाल	1	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0
5.	भुवनेश्वर	2	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0
6.	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7.	चेन्नई	14	1	1	0	2	0	18	2	4	1	0
8.	देहरादून	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9.	गुवाहाटी	3	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0
10.	हैदराबाद	13	2	2	2	0	0	19	2	1	0	2
11.	जबलपुर	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
12.	जयपुर	5	1	1	0	0	0	7	0	4	1	0
13.	कानपुर	9	1	2	0	0	0	12	1	3	1	0
14.	कोलकाता	18	1	2	1	0	0	22	1	5	1	0
15.	लखनऊ	6	1	1	1	0	0	9	0	2	1	0
16.	मेरठ	6	1	1	0	0	0	8	0	2	1	0
17.	मुम्बई	28	2	3	0	0	0	33	2	4	3	0
18.	नागपुर	10	2	1	0	0	0	13	1	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	पटना	5	1	1	0	0	0	7	1	1	1	1
20.	पुणे	7	1	2	0	0	0	10	1	2	1	0
21.	रांची	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
22.	शिलांग	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23.	त्रिवेन्द्रम	3	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0
24.	दिल्ली	87	15	14	5	1	2	124	4	34	5	5
25.	जम्मू	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	248	35	37	11	3	2	336	18	72	19	8

निवेश कंपनियों का लाइसेंस

1106. **श्री संजय दिना पाटील : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड (सेबी) मॉरिशस आधारित विदेशी निधि निवेश कंपनियों को लाइसेंस धीमी गति से प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेबी/भारत सरकार ने ऐसी कार्यवाही का भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) तथा विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (एफबीसीआई) के पंजीकरण हेतु शामिल किए जाने वाले विनियम आवेदकों के देश के आधार पर भेदभाव नहीं करते।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं होते।

[हिन्दी]

मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों हेतु सहायता

1107. **श्रीमती दीपा दासमुंशी :**
श्री महाबल मिश्रा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्यों में मेडिकल कालेज संस्थानों के उन्नयन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) कर्नाटक राज्य में विजयनगर आयुर्विज्ञान संस्थान, बेल्लारी और केरल राज्य में गर्वनमेंट मेडिकल कालेज, कोझिकोड को पी एम एस एस वाई के तीसरे चरण में 6 मेडिकल कालेज संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रस्ताव में शामिल किया गया था। तीसरे चरण में उन्नयन हेतु मेडिकल कालेजों का निर्धारण करने के बाद ही बिहार और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए थे।

विवरण

मौजूदा मेडिकल कालेज संस्थानों के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	
1.	कर्नाटक	विजयनगर आयुर्विज्ञान संस्थान, बेल्लारी, कर्नाटक
2.	केरल	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कोझिकोड
3.	बिहार	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर
4.	महाराष्ट्र	1. श्री वसंतराव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, यवतमाल
		2. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, अकोला
		3. श्री भाउसाहेब हीरे गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, धूले
		4. डॉ. शानराव चव्हाण मेडिकल कालेज एंड गुरु गोविंद सिंह हास्पिटल, नांदेड़
		5. डॉ. वैशामपयान मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एंड छत्रपति शिवाजी महाराज जनरल हॉस्पिटल, सोलापुर
		6. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, लातूर
		7. बी.जे. मेडिकल कालेज एंड ससून जनरल हास्पिटल, पुणे (महाराष्ट्र)

पैन कार्ड तैयार करना

1108. **श्री यशवंत लागुरी :**

राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड आवेदनों को तैयार करने में अनावश्यक देरी की जा रही है;

(ख) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) आवेदन प्राप्त करने के बाद पैन कार्ड जारी करने में औसतन कितना समय लगता है;

(घ) क्या सरकार के पास कई आवेदन एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(च) क्या इसके लिए किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सेवा प्रदाताओं द्वारा नए आवेदक के लिए 15 पंचांग दिवस के भीतर स्थायी खाता संख्या कार्डों को जारी करना तथा 20 पंचांग दिवसों के भीतर पुनः प्रकाशन/शुद्ध किया जाना अपेक्षित है। इसमें विभाग एवं आवेदक द्वारा लिया गया समय शामिल नहीं होता है। स्थायी खाता संख्या कार्ड के निर्गम के लिए दिवसों की भारित औसत संख्या 15 दिवसों से काफी कम है।

(घ) और (ङ) जी, हां। 30/07/2006 को अथवा उसके बाद प्राप्त आवेदनों में से 9,15,246 आवेदन एक वर्ष से ज्यादा समय से लंबित हैं। लंबित आवेदनों में से अधिसंख्य आवेदन त्रुटिपूर्ण आवेदन हैं जिनमें वे आवेदन भी शामिल है जो प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के तहत लंबित हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं। अधिसंख्य आवेदन त्रुटिपूर्ण आवेदन हैं जहां आवेदकों को त्रुटि की प्रकृति के बारे में सूचित कर दिया गया है किन्तु आवेदकों से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

दिल्ली में संदूषित पेयजल की आपूर्ति

1109. श्री प्रबोध पांडा :
श्री पी. लिंगम :
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दो-तिहाई क्षेत्रों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अत्यधिक संदूषित पेयजल की आपूर्ति की जाती है जैसा कि एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना के संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) इस संबंध में कितने कर्मचारी दोषी पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सख्त उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) से (च) दिल्ली जल बोर्ड (डी जे बी) ने सूचित किया है कि डी जे बी द्वारा उत्पादित एवं आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता आवश्यक मानकों को पूरा करती है और उसने गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट का प्रतिरोध किया है क्योंकि पानी का नमूना लेने के स्त्रोत की कोई जानकारी नहीं थी/स्पष्ट नहीं किया गया था।

डी जे बी ने यह भी सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एन सी टी डी) के लोगों को सुरक्षित पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पानी संशोधन संयंत्र से लेकर उपभोक्ताओं के घरों तक पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रतिदिन पानी के 300 नमूने एकत्रित किए जाते हैं और प्राकृतिक, रासायनिक एवं सूक्ष्म-जैविक पदार्थों की मौजूदगी के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, एक बाहर की एजेंसी, राष्ट्रीय पर्यावारण इंजीनियरिंग शोध संस्थान भी भौतिक-रसायन तथा सूक्ष्म जैविक गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करती है।

एन.सी.पी.सी.आर.

1110. श्री एम.के. राघवन : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर) की स्थिति और भूमिका क्या है;

(ख) बाल अधिकारों के उल्लंघन के कितने संवेदनशील मामलों की जांच आयोग द्वारा की गई है;

(ग) क्या आयोग में कुछ सदस्यों के पद रिक्त हैं;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आयोग के अपने नियमित कर्मचारी नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा आयोग द्वारा अपने भर्ती नियम को बनाने में विलंब के क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (च) बालक अधिकार संबंधी सभी समस्याओं का समाधान करने एवं सरकार से अनुशंसा करने के लिए, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग एक सांविधिक इकाई है, जिसकी स्थापना बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन किया गया है।

दिनांक 30.6.2010 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने बालक अधिकारों के उल्लंघन की 1474 शिकायतों का निपटान किया है।

आयोग में सदस्यों के छह पद रिक्त हैं क्योंकि पहले नियुक्त किए गए दो सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के लिए 36 पद संस्वीकृत किए गए हैं और इस समय विभिन्न संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर 12 अधिकारी/कर्मचारी कार्य रहे हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भरती नियमावली अभी नहीं बनाई गई है। क्योंकि इसका गठना 2007 में ही किया गया है।

डेंगू के मामले

1111. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में चालू वर्ष के दौरान डेंगू के नए मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीने के प्रत्येक माह के दौरान, राज्य-वार आज तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बीमारी को फैलने से रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) गत छह: माह के दौरान देश में संसूचित डेंगू के मामलों का माहवार और राज्यवार ब्यौरा सलंग्न विवरण पर दिया गया है।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार डेंगू समेत छह: वेक्टर जनित रोगों को शामिल करते हुए एकीकृत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वियन कर रहा है। कार्यक्रम का कियान्वयन करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की ज़िम्मेदारी है।

डेंगू की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार के लिए तैयार की गई कार्यनीति के मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं:

- रोगियों की शीघ्र सूचना देना
- रोगी प्रबंधन
- व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण
- एकीकृत वेक्टर प्रबंधन (विशेष तौर पर स्त्रोत में कमी करना)

अनुवीक्षण एवं निगरानी का सुदृढ़ीकरण करने के लिए, स्थानिकमारी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डेंगू के लिए निदान की सुविधा को बढ़ाने हेतु 170 प्रहरी निगरानी अस्पताल और 18 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं की पहचान की गई है।

इन प्रहरी निगरानी अस्पतालों और शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार डेंगू जांच किटें (राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा तैयार आई जी एम एम ए सी एलिसा किटें) नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से हिदायतें भी जारी की जाती हैं।

क्योंकि डेंगू वायरस के संक्रमण के उपचार के लिए न तो कोई टीका अथवा न ही कोई औषधि है, अत: रोगियों का उपचार लक्षणों के अनुसार किया जाता है। डेंगू के क्लीनिकल प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और अस्पतालों में उनका व्यापक प्रसार करने के लिए राज्यों को भेजे गए हैं। चिकित्सा अधिकारियों को रोगियों के उपचार हेतु अपनी कुशलताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के जरिये जागरूकता उत्पन्न करने वाले संदेशों का प्रचार-प्रसार किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय मीडिया के जरिए समुदाय का सामाजिक जुटाव करने के लिए सलाह दी गई है। राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों का सुग्राहीकरण करने के लिए प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा बैठकों एवं क्षेत्र के दौरों के माध्यम से डेंगू की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

विवरण

गत छह: माह के दौरान देश में संसूचित डेंगू के राज्यवार तथा माहवार मामले
(1 जनवरी 2010 से 30 जून, 2010 तक)

क्र.सं.	राज्य	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	कुल
1.	केरल	88	111	127	94	400	518	1338
2.	गुजरात	104	65	77	141	94	63	544
3.	तमिलनाडु	128	149	116	61	30	26	510
4.	महाराष्ट्र	137	28	12	82	38	5	302
5.	कर्नाटक	32	11	11	29	12	148	243
6.	गोवा	67	0	4	11	8	8	98
7.	पश्चिम बंगाल	11	11	23	12	17	10	84
8.	राजस्थान	7	3	4	19	19	0	52
9.	पुदुचेरी	6	14	5	2	5	0	32
10.	आंध्र प्रदेश	7	0	9	0	0	0	16
11.	हरियाणा	1	0	3	1	0	2	7
12.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	1
13.	उत्तर प्रदेश	1	0	0	0	0	0	1
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1
15.	छत्तीसगढ़	1	0	0	0	0	0	1
	योग:	590	392	391	453	623	781	3230

घरेलू हिंसा अधिनियम

1112. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हो रहा है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उक्त अधिनियम को अब तक लागू नहीं किया है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं संरक्षण आदेश, आश्रय तथा चिकित्सीय सुविधाओं जैसी विभिन्न प्रकार की राहतें प्राप्त कर सकती है। सरकार जानती है कि पीड़ित महिलाएं उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राहत व सेवाएं प्राप्त कर रही हैं।

(ख) और (ग) यह अधिनियम उन सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है, जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण करने, आश्रय गृहों तथा चिकित्सा सुविधाओं को अधिसूचित करने के लिए समय-समय पर कहा जाता है। 16-17 जून, 2010 को आयोजित राज्य मंत्रियों तथा सचिवों के सम्मेलन के दौरान अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की गई थी।

एलबूपैक्स दवाओं पर प्रतिबंध

1113. **श्री आधि शंकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्तन कैंसर के उपचार में प्रयोग किए जाने वाली दवा-एलबूपैक्स का सरकार ने घटिया स्तर पर घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एलबूपैक्स अंतर्राष्ट्रीय ब्रान्ड एबरैक्सेन बायोसांइसेस यूएसए की एबराक्सेन का जेनेरिक रूप है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस उत्पाद को बाजार से वापस लेने अथवा इस पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता की रिपोर्टों के आधार पर मैसर्स नाटको फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विनिर्मित औषध एल्बुपैक्स को स्वीकार्य सीमाओं से इंडीटॉक्सिन के उच्चतर स्तर की मौजूदगी के कारण 'अवमानक' घोषित किया गया।

(ग) मैसर्स नाटको फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, द्वारा विनिर्मित औषध एल्बुपैक्स को देश में एक नई औषध के रूप में अनुमोदित किया गया।

(घ) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी डी एस सी ओ) ने दिनांक 21-10-09 को एल्बुपैक्स औषध का विनिर्माण करने की अनुमति प्रलंबित कर दी। औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के उपबंधों के अंतर्गत विनिर्माण कंपनी द्वारा की गई अपील के उपरांत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नाटको फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा की गई अपील पर निर्णय होने तक सी डी एस सी ओ के दिनांक 21-10-2009 के उक्त प्रलंबन आदेश के प्रभाव पर दिनांक 23-12-2009 के पत्र के तहत रोक लगा दी।

सी डी एस सी ओ ने 25-02-2010 को विनिर्माण कंपनी को एक पत्र जारी किया जिसमें इसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि रोगियों के लिए बिक्री/इस्तेमाल हेतु जारी करने से पूर्व औषध एल्बुपैक्स की नई खेप औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार विनिर्मित की जाए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता द्वारा अवमानक बतलाई गई दो खेपों (खेप से 202013 एवं 202119) सहित औषध एल्बुपैक्स की हटाई गई खेपें रोगियों पर इस्तेमाल के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हों।

[हिन्दी]

मातृ मौतों के मामले

1114. **श्री यशवंत सिन्हा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रसव के दौरान मातृ मौतों के मामले काफी अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में मातृ मौतों को रोकने के लिए तथा आरंभिक

'महत्वपूर्ण घंटों' में महिला और नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (ग) बच्चों के जन्म के समय होने वाली मातृ मृत्यु के संबंध में विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारत के महापंजीयक के नमूना पंजीकरण प्रणाली (आरजीआई-एसआरएस) के अनुसार मातृ मृत्यु दर ने वर्ष 2001-03 की अवधि के दौरान 1,00,000 प्रति जीवित जन्म पर 301 से वर्ष 2004-06 की अवधि के दौरान 1,00,000 प्रति जीवित जन्म पर 254 तक गिरावट दर्शाई है।

भारत में मातृ मृत्यु अनुपात का राज्य वार विवरण संलग्न है।

प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद होने वाली मातृ मृत्यु के मुख्य कारण रक्तस्त्राव, गर्भापक्षेपक और अवरुद्ध प्रसव हैं। मातृ मृत्यु के अन्य कारण पूतिदोष, निम्न स्तरीय शिक्षा, निर्धनता, सांस्कृतिक मिथकों जैसे सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों के अलावा असुरक्षित गर्भपात और सेवाओं तक पहुंच में कमी है।

मातृ मृत्यु की रोकथाम के लिए माता और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की मानीटरिंग के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यनीतियां और कार्यकलाप क्रियान्वित किए जा रहे हैं:

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली (बीपीएल) और अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर ध्यान देने के साथ सांस्थानिक प्रसव को प्रोत्साहन देने हेतु नकदी लाभ वाली ऐसी स्कीम है जिससे सांस्थानिक प्रसवों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

- जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अन्य उप-जिला स्तरीय सुविधा केन्द्रों और 24x7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर अनिवार्य और आपातकालीन प्रसूति और नवजात शिशु परिचर्या हेतु सेवाएं प्रदान करना।

- प्रसव के उपरांत गंभीर क्षणों में माता और नवजात शिशु को उच्च कोटि की परिचर्या प्रदान करने के लिए नर्सों और एएनएम को दक्षता जन्म परिचरों (एसबीए) के रूप में तथा डाक्टरों को मूलभूत और व्यापक प्रसूति परिचर्या में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

- डाक्टरों, नर्सों और एएनएम को नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसके) के अंतर्गत पुनरुज्जीवन सहित अनिवार्य नवजात परिचर्या में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।

- प्रसव-पूर्व जांच के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों का संपूरण आहार देकर गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं में अरक्तता की रोकथाम और उपचार।

- समुदाय द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रति 1000 जनसंख्या के लिए एक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी (आशा) की नियुक्ति।

- आपातकालीन रेफरल परिवहन सहित रेफरल प्रणाली। आपातकालीन परिचर्या के लिए माताओं और नवजात शिशुओं को परिवहन सेवाओं की समयपूर्वक उपलब्धता संबंधी प्रणाली स्थापित करने के लिए राज्यों को छूट प्रदान की गई है।

विवरण

मातृ मृत्यु अनुपात

भारत और राज्यवार

मुख्य राज्य	एमएमआर (2001-03)	एमएमआर (2004-06)
1	2	3
भारत कुल*	301	254
असम	490	480
बिहार/झारखंड	371	312
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	379	335
उड़ीसा	358	303
राजस्थान	445	388
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड	517	440

1	2	3
आंध्र प्रदेश	195	154
कर्नाटक	228	213
केरल	110	95
तमिलनाडु	134	111
गुजरात	172	160
हरियाणा	162	186
महाराष्ट्र	149	130
पंजाब	178	192
पश्चिम बंगाल	194	141
अन्य	235	206

*अन्य शामिल हैं

स्रोत : आरजीआई (एमआरएस) : 2001-03, 2004-06

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

1115. **श्री सुदर्शन भगत :**
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री निशिकांत दुबे :
श्रीमती जे. शांता :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री सुरेश अंगड़ी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सहित देश में कार्यरत और निर्माणधीन विद्युत परियोजनाओं का परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इन निर्माणधीन विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित लागत और अब तक किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा आने वाले वर्षों में प्रस्तावित पन-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों से पन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(च) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) 30.6.2010 की स्थिति के अनुसार देश में 145475 मेगावाट की क्षमता सहित थर्मल, जल विद्युत एवं नाभिकीय विद्युत स्टेशन (25 मेगावाट स्टेशन क्षमता में अधिक) कार्य कर रहे हैं। इसमें तमिलनाडु राज्य में 9686 मेगावाट क्षमता के स्टेशन शामिल है ब्यौरे संलग्न विवरण-I क में संलग्न हैं।

11वीं योजना की शेष अवधि के दौरान शुरू किए जाने के लिए कार्यक्रम के अनुसार बेहतर प्रयासों के आधार पर कार्यन्वित की जा रही परियोजनाओं सहित 52529 मेगावाट (40503 मोगवाट थर्मल तथा 12026 मेगावाट जल विद्युत) की क्षमता वाली विद्युत परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इसमें तमिलनाडु में 1860 मेगावाट क्षमता (1800 मेगावाट थर्मल तथा 60 मेगावाट जल विद्युत) वाली परियोजनाएं शामिल है। अब तक की अनुमानित लागत तथा वहन किए गए कुल व्यय सहित इन परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-Iख (थर्मल) और विवरण-Iग (जल विद्युत) में दिया गया है।

(घ) 12वीं योजना अवधि के दौरान 20334 मेगावाट की क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाएं शुरू किए जाने के लिए चिह्नित कर ली गई हैं। इसका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, लगभग 500 करोड़ की अनुमानित लागत वाली जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव की सहमति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई निम्नलिखित तीन जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की वर्तमान में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
(i)	सौन्ज	हिमाचल प्रदेश	100
(ii)	बगलीहार	जम्मू और कश्मीर	450
(iii)	व्यासी	उत्तराखंड	120

* तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए

यदि इन प्रस्तावों में किए गए अनिवार्य निवेशों/स्वीकृतियों को तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया जाता है तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 90 (नब्बे) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर इन जल विद्युत परियोजनाओं को सहमति प्रदान करने का प्रयास करेगा।

विवरण-I क

2010-11 के दौरान (अप्रैल, 2010-जून, 2010) देश में कार्यशील विद्युत परियोजनाओं का स्टेशन-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा

क्षेत्र	राज्य	सेक्टर	श्रेणी	केन्द्र	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	राज्य	ताप विद्युत	राजघाट ता.वि.के.	135
				प्रगति सीसीपीपी	330.4
				आईपी सीसीपीपी	270
	हरियाणा	राज्य	ताप विद्युत	राजीव गांधी टीपीएस	600
				पानीपत टीपीएस	1360
				फरीदाबाद टीपीएस	55
				यमुनानगर टीपीएस	600
	हिमाचल प्रदेश	राज्य	जल विद्युत	गिरीबाटा एचपीएस	60
				संजय एचपीएस	120
				लारजी एचपीएस	126
				बस्सी एचपीएस	60
		निजी	जल विद्युत	वासपा एचपीएस	300
				मलाना एचपीएस	86
	जम्मू और कश्मीर	राज्य	ताप विद्युत	पम्पोर जीपीएस (तरल)	175

1	2	3	4	5	6
			जल विद्युत	अपर सिंध-II एचपीएस	105
				बगलीहार एचपीएस	450
				लोअर झेलम एचपीएस	105
	पंजाब	राज्य	ताप विद्युत	जीएच टीपीएस (लेह. मोह.)	420
				जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	440
				जीएच टीपीएस-II (लेह. मोह.)	500
				रोपड़ टीपीएस	1260
		राज्य	जल विद्युत	आनंदपुर साहिब एचपीएस	134
				सान्न एचपीएस	110
				मुकेरियन एचपीएस	207
				रंजीतसागर एचपीएस	600
	राजस्थान	राज्य	ताप विद्युत	गिरल टीपीएस	250
				ढोलपुर सीसीपीपी	330
				कोटा टीपीएस	1240
				रामगढ़ सीसीपीपी	113.8
				छबड़ा टीपीपी	500
				सूरतगढ़ टीपीएस	1500
		निजी	ताप विद्युत	जलिया कपुरडी टीपीपी	135
		राज्य	जल विद्युत	आरपी सागर एचपीएस	172
				जवाहर सागर एचपीएस	99
				माही बजाज एचपीएस	140
	उत्तर प्रदेश	राज्य	ताप विद्युत	अनपारा टीपीएस	1630
				ओबरा टीपीएस	1372

1	2	3	4	5	6
				हरदुआगंज टीपीएस	220
				परिच्छा टीपीएस	640
				पनकी टीपीएस	210
		निजी	ताप विद्युत	रोजा टीपीपी -चरण-I	600
		राज्य	जल विद्युत	रिहंद एचपीएस	300
				ओबरा एचपीएस	99
				माताटीला एचपीएस	30.6
				खारा एचपीएस	72
	उत्तराखंड	राज्य	जल विद्युत	रामगंगा एचपीएस	198
				मनेरी भाली-II एचपीएस	304
				खोडरी एचपीएस	120
				धाकरनी एचपीएस	33.75
				धालीपुर एचपीएस	51
				छिब्रो (यमुना) एचपीएस	240
				खातिमा एचपीएस	41.4
				कुलहल एचपीएस	30
				मनेरी भाली-I एचपीएस	90
				चिल्ला एचपीएस	144
		निजी	जल विद्युत	विष्णुप्रयाग एचपीएस	400
	दिल्ली	केन्द्रीय	ताप विद्युत	बदरपुर टीपीएस	705
	हरियाणा			फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59
	हिमाचल प्रदेश		जल विद्युत	बैरास्यूल एचपीएस	198
				चमेरा-II एचपीएस	300

1	2	3	4	5	6
				चमेरा-I एचपीएस	540
				नाथ्फा झाकरी एचपीएस	1500
	जम्मू व कश्मीर			सलाल एचपीएस	690
				उड़ी-I एचपीएस	480
				सेवा-II एचपीएस	40
				दुलहस्ती एचपीएस	390
	पंजाब			पोंग एचपीएस	396
				भाकरा एचपीएस	1325
				कोटला एचपीएस	77.65
				गंगूवल एचपीएस	77.65
				देहार एचपीएस	990
	राजस्थान		ताप विद्युत	अंता सीसीपीपी	419.33
				बारसिंगसर लिग्नाईट	125
			न्यूक्लीयर	राजस्थान एपीएस	1180
	उत्तर प्रदेश		ताप विद्युत	रिहंद एसटीपीएस	2000
				दादरी सीसीपीपी	829.78
				औरैया सीसीपीपी	663.36
				टांडा टीपीएस	440
				दादरी (एनसीटीपीपी)	1330
				सिगरौली एसटीपीएस	2000
				ऊंचाहार टीपीएस	1050
			न्यूक्लीयर	नरौरा एपीएस	440

1	2	3	4	5	6
	उत्तराखंड		जल विद्युत	टीहरी एसटी-। एचपीएस	1000
				धौलीगंगा एचपीएस	280
				टनकपुर एचपीएस	94.2
कुल उत्तरी क्षेत्र					39906.51
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	राज्य	ताप विद्युत	कोरबा-II	200
				कोरबा पूर्व-V	500
				कोरबा- पश्चिमी टीपीएस	840
				कोरबा-III	240
		निजी	ताप विद्युत	ओ.पी. जिंदल टीपीएस	1000
				पथड़ी टीपीपी	600
		राज्य	जल विद्युत	हसदेववांगों एचपीएस	120
	गोवा	निजी	ताप विद्युत	गोवा जीटी (तरल)	48
	गुजरात	राज्य	ताप विद्युत	धुवारण टीपीएस	220
				कच्छ लिग्नाईट टीपीएस	290
				उतरन सीसीपीपी	518
				उकाई टीपीएस	850
				धुवारण सीसीपीपी	218.62
				अक्रीमोटा लिग्. टीपीएस	250
				गांधीनगर टीपीएस	870
				सिक्का आरईपी टीपीएस	240
				वनाकबोरी टीपीएस	1470
				हजीरा सीसीपीपी	156.1

1	2	3	4	5	6
		निजी	ताप विद्युत	मुद्रा टीपीएस	660
				वाटवा सीसीपीपी	100
				पेगुथान सीसीपीपी	655
				टौर. पावर सैव	340
				बड़ोदा सीसीपीपी	160
				टौर. पावर एईसी	60
				एस्सार सीसीपीपी	515
				सुजैन सीसीपीपी	1147.5
				सूरत लिग. टीपीएस	500
		राज्य	जल विद्युत	सरदार सरोवर आबीपीएच-एचपीएस	1200
				कडाना एचपीएस	240
				सरदार सरावर सीएचपीएच एचपीएस	250
				उकाई एचपीएस	300
	मध्य प्रदेश		ताप विद्युत	सतपुड़ा टीपीएस	1142.5
				अमरकंटक एक्स. टीपीएस	450
				संजय गांधी टीपीएस	1340
			जल विद्युत	पेंच एचपीएस	160
				गांधी सागर एचपीएस	115
				बरगी एचपीएस	90
				वानसागर टोंस-II एचपीएस	30
				राजघाट एचपीएस	45
				मदिखेड़ा एचपीएस	60
				वानसागर टोंस-I एचपीएस	315

1	2	3	4	5	6
				बानसागर टोंस-III एचपीएस	60
	महाराष्ट्र		ताप विद्युत	पारस टीपीएस	55
				परली टीपीएस	670
				उरन सीसीपीपी	912
				भुसावल टीपीएस	470
				चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	2340
				कोराडी टीपीएस	1040
				न्यू परली टीपीएस	500
				खापरखेड़ा टीपीएस-II	840
				नासिक टीपीएस	880
				पारस एक्सपे.	500
		निजी	ताप विद्युत	दहानु टीपीएस	500
				वर्धा वरोरा टीपीपी	135
				ट्राम्बे टीपीएस	1400
				ट्राम्बे सीसीपीपी	180
		राज्य	जल विद्युत	भिरा टेल रेस एचपीएस	80
				कोयना-4 एचपीएस	1000
				कोयना-2 एचपीएस	320
				घाटकर एचपीएस	250
				कोयना-3 एचपीएस	320
				तिल्लारी एचपीएस	60
				वैतरना एचपीएस	60
				कोयना-1 एचपीएस	280

1	2	3	4	5	6
				कोयना डीपीएच एचपीएस	36
		निजी	जल विद्युत	खोपोली एचपीएस	72
				भिरा एचपीएस	150
				भंडारधरा एचपीएस एसटी-II	34
				भिवपूरी एचपीएस	75
				भिरा पीएसयू एचपीएस	150
	छत्तीसगढ़	केन्द्रीय	ताप विद्युत	सिपात एसटीपीएस	1000
				भिलाई टीपीएस	500
				कोरबा एसटीपीएस	2100
	गुजरात			गंधार सीसीपीपी	657.39
				कवास सीसीपीपी	656.2
			न्यूक्लीयर	ककरापारा	440
	मध्य प्रदेश		ताप विद्युत	विंध्याचल एसटीपीएस	3260
			जल विद्युत	इंदिरासागर एचपीएस	1000
				ओंकारेश्वर एचपीएस	520
	महाराष्ट्र		ताप विद्युत	रत्नागिरी सीसीपीपी-II	740
				रत्नागिरी सीसीपीपी-III	740
				रत्नागिरी सीसीपीपी-I	740
			न्यूक्लीयर	तारापुर	1400
कुल पश्चिमी क्षेत्र					45628.31
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	राज्य	ताप विद्युत	रायलसीमा टीपीएस	840
				काकातिया टीपीएस	500

1	2	3	4	5	6
				कोठागुडेम टीपीएस (न्यू)	500
				रामागंडम -बी टीपीएस	62.5
				डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	1760
				कोठागुदेम टीपीएस	720
		निजी	ताप विद्युत	गौतमी सीसीपीपी	464
				जेगरूपाडु सीसीपीपी	455.4
				वेमागिरी सीसीपीपी	370
				कोंडापल्ली सीसीपीपी	350
				पेडापुरम सीसीपीपी	220
				गोदावरी सासीपीपी	208
				एलवीएस पवार डीजी	36.8
				कोनासीमा सीसीपीपी	280
				कोंडापल्ली एक्स सीसीपीपी	233
		राज्य	जल विद्युत	पोचमपाद एचपीएस	27
				श्रीसैलम एलबी एचपीएस	900
				मचकुंद एचपीएस	114.75
				लोअर सिलेरू एचपीएस	460
				टी बी डैम एचपीएस	36
				अपर सिलेरू एचपीएस	240
				नागार्जुन सागर एचपीएस	815.6
				प्रियदर्शिनी जुराला एचपीएस	117
				नागार्जुन सागर एलबीसी एचपीएस	60
				हम्पी एचपीएस	36

1	2	3	4	5	6
				नागार्जुन सागर आरबीसी एचपीएस	90
				श्रीसैलम एचपीएस	770
	कर्नाटक	राज्य	ताप विद्युत	रायचूर टीपीएस	1720
				बैल्लारी टीपीएस	500
				येलहांका (डीजी)	127.92
		निजी	ताप विद्युत	तानीर बावी सीसीपीपी (तरल)	220
				बैल्लारी डीजी	25.2
				बेलगांव डीजी	81.3
				तोरणगल्लु टीपीएस	860
		राज्य	जल विद्युत	कादरा एचपीएस	150
				कोडासली एचपीएस	120
				अल्माटी डीपीएच एचपीएस	290
				घटप्रभा एचपीएस	32
				कालीनदी सूपा एचपीएस	100
				कालीनदी एचपीएस	855
				मुनीराबाद एचपीएस	28
				गेरूसुप्पा एचपीएस	240
				सिवासमुन्द्रम एचपीएस	42
				जोग एचपीएस	139.2
				शरावथी एचपीएस	1035
				लिग्नामक्की एचपीएस	55
				भद्रा एचपीएस	39.2
				वरही एचपीएस	460

1	2	3	4	5	6
	केरल	राज्य	ताप विद्युत	कोजीकोड़ डीजी	128
				ब्रह्मपुरम डीजी	106.6
		निजी	ताप विद्युत	कोचीन सीसीपीपी (तरल)	174
		राज्य	जल विद्युत	लोअर परियार एचपीएस	180
				शोलायार एचपीएस	54
				नारीमंगलन एक्सटे. एचपीएस	25
				पन्नीयार एचपीएस	30
				कुट्टयाडी एचपीएस	125
				इदुक्की एचपीएस	780
				पोरिंगलकुट्टू एचपीएस	22
				इदामलायर एचपीएस	75
				सबरीगिरी एचपीएस	300
				कक्कड़ एचपीएस	50
				पल्लीवसल एचपीएस	37.5
				सेंगुलम एचपीएस	48
				नारीमंगलम एचपीएस	45
				कुट्टीयाडी अतिरिक्त एक्सटे.	50
	पुदुचेरी	राज्य	ताप विद्युत	कराइकल सीसीपीपी	32.5
	तमिलनाडु	राज्य	ताप विद्युत	बेसिन ब्रीज जीटी (तरल)	120
				उत्तरी चेन्नई टीपीएस	630
				वलुथुर सीसीपीपी	186.2
				इन्नौर टीपीएस	450
				मेट्टूर टीपीएस	840

1	2	3	4	5	6
				कुद्दलम सीसीपीपी	100
				कोविकलपल सीसीपीपी	107
				तुतीकोरन टीपीएस	1050
		निजी	ताप विद्युत	समयानल्लूर डीजी	106
				कारूप्पुर सीसीपीपी	119.8
				सामलपट्टी डीजी	105.7
				नैवेली टीपीएस (जेड)	250
				पी. नल्लूर सीसीपीपी	330.5
				बी. ब्रीज डीजी	200
				वलंतरवरी सीसीपीपी	52.8
		राज्य	जल विद्युत	सरकारपथी एचपीएस	30
				मोयार एचपीएस	36
				लोवर मेटूर एचपीएस	120
				पेरियार एचपीएस	140
				मेटूर डैम एचपीएस	40
				भवानी कट्टल	30
				सुरूलियार एचपीएस	35
				पारसनस वैली एचपीएस	30
				मेटूर टनल एचपीएस	200
				अलियार एचपीएस	60
				कुंडा एचपीएस	555
				कदमपरी एचपीएस	400
				पयकारा एचपीएस	59.2

1	2	3	4	5	6
				शोलायार एचपीएस	95
				पपनासम एचपीएस	28
				पयकारा अल्टीमेट एचपीएस	150
				कोडायार एचपीएस	100
	आंध्र प्रदेश	केन्द्रीय	ताप विद्युत	सिम्हाद्री	1000
				रामागुंडम एसटीपीएस	2600
	कर्नाटक		न्यूक्लीयर	कैगा	660
	केरल		ताप विद्युत	आर.गांधी सीसीपीपी (तरल)	359.58
	तमिलनाडु			नेवेली टीपीएस-I	600
				नेवेली टीपीएस-II	1470
				नेवेली (एक्स) टीपीएस	420
			न्यूक्लीयर	मद्रास एपीएस	440
कुल दक्षिणी क्षेत्र					34364.25
पूर्वी क्षेत्र	अंडमान निकोबार	राज्य	ताप विद्युत	अंडमान निकोबार डीजी	40.05
	बिहार	राज्य	ताप विद्युत	बरौनी टीपीएस	310
	झारखंड	राज्य	ताप विद्युत	तेनुघाट	420
				पतरातू टीपीएस	770
		निजी	ताप विद्युत	जोजोबेरा टीपीएस	360
		राज्य	जल विद्युत	सुवर्णरेखा एचपीएस	130
	उड़ीसा		ताप विद्युत	आईबी वैली टीपीएस	420
		निजी	ताप विद्युत		
		राज्य	जल विद्युत	रंगाली एचपीएस	250

1	2	3	4	5	6
				बालीमेला एचपीएस	510
				अपर कोलाब एचपीएस	320
				हीराकुंड एचपीएस	347.5
				अपर इंद्रावती एचपीएस	600
	पश्चिमी बंगाल	राज्य	ताप विद्युत	डी.पी.एल. टीपीएस	690
				कस्बा जीटी (लिक्व.)	40
				सागरदिधी टीपीएस	600
				कोलाघाट टीपीएस	1260
				बंदेल टीपीएस	450
				संथालडीह टीपीएस	730
				बकरेश्वर टीपीएस	1050
		निजी	ताप विद्युत	न्यू कोसीपोर टीपीएस	160
				सदर्न रिपल टीपीएस	135
				चिनाकुरी टीपीएस	30
				टीटागढ़ टीपीएस	240
				बज-बज टीपीएस	750
		राज्य	जल विद्युत	रामम एचपीएस	50
				जलढाका एचपीएस एसटी.	27
				पुरुलिया पीएसएस एचपीएस	900
	बिहार	केन्द्रीय	ताप विद्युत	मुजफ्फरपुर टीपीएस	220
				कहलगांव टीपीएस	2340
	डीवीसी	केन्द्रीय	ताप विद्युत	बोकारो बी टीपीएस	630

1	2	3	4	5	6
				चंद्रपुरा डीवीसी टीपीएस	1250
				मैथन जीटी (लिक्व.)	90
		केन्द्रीय	जल विद्युत	मैथन एचपीएस	63.2
				पंचेत एचपीएस	80
	उड़ीसा	केन्द्रीय	ताप विद्युत	तालचर एसटीपीएस	3000
				तालचल (ओएलडी) टीपीएस	470
	सिक्किम	केन्द्रीय	जल विद्युत	रंगीत एचपीएस	60
				तिस्ता V एचपीएस	510
	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय	ताप विद्युत	दुर्गापुर टीपीएस	340
				मेजिया टीपीएस	1340
				फरक्का एसटीपीएस	1600
कुल पूर्वी क्षेत्र					23622.75
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	असम	राज्य	ताप विद्युत	चंद्रपुर (असम) टीपीएस	60
				नामरूप डब्लूएचपी	22
				लकवा जीटी	120
				नामरूप जीटी	73
				नामरूप एसटी	24
		राज्य	जल विद्युत	कारबीलांगपी एचपीएस	100
	मणिपुर	राज्य	ताप विद्युत	लीमाकहोंग डीजी	36
	मेघालय	राज्य	जल विद्युत	उमीआम एचपीएस एसटी-I	36
				केडमकुलाई एचपीएस	60
				उमीआम एचपीएस एसटी-IV	60

1	2	3	4	5	6
	त्रिपुरा	राज्य	ताप विद्युत	बारामुरा जीटी	37.5
				रोखिया जीटी	90
		केन्द्रीय	जल विद्युत	रंगानदी एचपीएस	405
	असम	राज्य	ताप विद्युत	कथलगुरी सीसीपीपी	291
		राज्य	जल विद्युत	कोपीली एचपीएस	225
	मणिपुर	राज्य	जल विद्युत	लोकटक एचपीएस	105
	मेघालय	राज्य	जल विद्युत	खोंडोंग एचपीएस	50
	नागालैंड	राज्य	जल विद्युत	डयोंग एचपीएस	75
	त्रिपुरा	राज्य	ताप विद्युत	अगरतला जीटी	84
कुल उत्तरी पूर्वी क्षेत्र					1953.5
कुल अखिल भारत					145475.3

विवरण-I ख

निर्माणाधीन 11वीं तापविद्युत परियोजना का राज्यवार विवरण

27 जुलाई 2010 को स्थिति अनुसार

सेक्टर राज्य	परियोजना का नाम	कार्या. एजेंसी	अनुमानित परियोजना लागत (लाख रु.)	कुल व्यय (लाख रु.)	इकाई सं.	क्षमता (मेवा)	पूर्व अनुमानित
1	2	3	4	5	6	7	8
केन्द्रीय क्षेत्र							
एपी	सिम्हाद्री एसटीपीपी एक्स.	एनपीटीसी	503853	297774 (: 4/10-3 तक)	यू-3	500	01/2011
					यू-4	500	05/2011
असम	बोगाईगांव टीपीपी	एनपीटीसी	437535	116327 (: 5/10 तक)	यू-1	250	08/2011
					यू-2	250	02/2012

1	2	3	4	5	6	7	8
					यू-3	250	03/2012
छत्तीसगढ़	कोरबा एसटीपीपी	एनपीटीसी	244849	198961 (: 5/10 तक)	यू-7	500	12/2010
छत्तीसगढ़	सिपत I	एनपीटीसी	832339	664621 (: 4/10 तक)	यू-1	660	12/2010
					यू-2	660	06/2011
					यू-3	660	12/2011
हरियाणा	इन्दिरा गांधी टीपीपी	एपीसीपीएल	829300	473124 (: 4/10 तक)	यू-1	500	09/2010
					यू-2	500	03/2011
					यू-3	500	08/2011
झारखंड	कोडरमा टीपीपी	डीवीसी	431300	261490 (: 1/10 तक)	यू-1	500	12/2010
					यू-2	500	05/2011
झारखंड	मेथा आर बी टीपीपी	डीवीसी	445500	207882 (: 1/10 तक)	यू-1	525	03/2011
					यू-2	525	06/2011
महाराष्ट्र	मउदा टीपीपी	एनपीटीसी	545928	107460 (: 4/10 तक)	यू-1	500	03/2012
एएमपी	विध्याचल टीपीपी-IV	एनपीटीस	591500	78364 (: 5/10 तक)	यू-11	500	03/2012
राजस्थान	बरसिंगसर लिग्नाईट	एनएलसी	162609	140854 (: 3/10 तक)	यू-2	125	09/2010
टीएन	नवेली टीपीएस-II एक्स.	एनएलसी	245357	196235 (: 3/10 तक)	यू-1	250	12/2010
					यू-2	250	05/2011
टीएन	वल्लूर टीपीपी	एनटीईसीएल	555278	289255 (: 6/10 तक)	यू-1	500	10/2011
यूपी	एनसीपी परियोजना स्टे.II	एनपीटीसी	513533	544820 (: 3/10 तक)	यू-6	490	07/2010
यूपी	रिहंद टीपीपी-III	एनपीटीसी	623081	60011 (: 3/10 तक)	यू-5	500	03/2012
					यू-2	500	12/2011
डब्ल्यूबी	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	डीवीसी	445700	268286 (: 1/10 तक)	यू-1	500	01/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
डब्ल्यूबी	फरक्का एसटीपीएस-III	एनपीटीसी	257044	174603 (: 5/10 तक)	यू-6	500	02/2011
डब्ल्यूबी	मीजीया टीपीएस एक्स.	डीवीसी	467689	388555 (: 3/10 तक)	यू-1	500	09/2010
					यू-2	500	10/2010
डब्ल्यू बी	रघुनाथपुर टीपीपी	डीवीसी Ph-1	412200	174694 (: 1/10 तक)	यू-1	600	12/2011
					यू-2	600	05/2011
					उप जोड:	15095	
राज्य क्षेत्र							
एपी	कोठागुडम टीपीपी-VI	एपीजीइएनसीओ	232507	148485 (: 12/09 तक)	यू-11	500	03/2011

राज्य	परियोजना का नाम	एजेंसी	सेक्टर (लाख रु.)	परियोजना का नाम (लाख रु.)	कार्या. अनुमानित परियोजना		
					कुल व्यय सं.	इकाई (मेवा)	क्षमता पूर्व अनु.
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य							
एपी	रयालसीमा टीपीपीएस III	स्टे. एपीजीईएनसीओ	122000	68554 (: 12/09 तक)	यू-5	210	11/2010
असम	लक्वा वेस्ट हीट यूनिट	एपीजीसीएल	23640	19839 (: 05/10 तक)	एसटी	37.2	11/2010
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	69400	3868 (: 03/10 तक)	जीटी	70	01/2012
					एसटी	30	03/2012
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	519581	190000 (: 04/10 तक)	जीटी-1	250	08/2011
					जीटी-2	250	09/2010
					जीटी-3	250	10/2010
					जीटी-4	250	02/2011
					एसटी-1	250	02/2011
					एसटी-2	250	04/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात	हजीरा सीसीपीपी एक्स.	जीएसईसीएल	115200	55000 (: 03/10 तक)	जीटी+	351	02/2011
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	249834	25103 (: 07/08 तक)	ब्लॉक	351	04/2011
					ब्लॉक	351	08/2011
गुजरात	उकाई टीपीपी एक्स.	जीएसईसीएल	221800	82372 (: 04/10 तक)	यू-6	490	07/2011
हरियाणा	राजीव गांधी टीपीएस हीसार	एचपीजीसीएल	433728	370873 (: 03/10 तक)	यू-2	600	06/2010
कर्नाटक	बरेली टीपीएस एसटी-II	केपीसीएल	226100	89714 (: 05/10 तक)	यू-2	500	05/2011
महाराष्ट्र	भुजावल टीपीएस एक्स.	एमएमपीजीसीएल	412400	444188 (: 03/10 तक)	यू-4	500	02/2011
					यू-5	500	05/2011
महाराष्ट्र	खापरखेडा टीपीएस एक्स.	एमएमपीजीसीएल	217000	211311 (: 03/10 तक)	यू-5	500	12/2010
एमपी	सतपुड़ा टीपीपी एक्स.	एमएमपीजीसीएल	303234	26841 (: 05/10 तक)	यू-1	250	03/2012
तमिलनाडु	मेट्टूर टीपीपी एक्स.	टीएनईबी	355004	60259 (: 03/10 तक)	यू-1	600	05/2011
तमिलनाडु	नार्थ चेन्नई एक्स. यू-1	टीएनईबी	309529	68907 (: 06/10 तक)	यू-1	600	05/2011
तमिलनाडु	नार्थ चेन्नई एक्स. यू-2	टीएनईबी	271875	70813 (: 06/10 तक)	यू-2	600	11/2011
यूपी	अनपरा-डी	यूपीआरवीयूएनएल	535879	89062 (: 02/10 तक)	यू-1	500	03/2012
यूपी	हरदुआगंज एक्स.	यूपीआरवीयूएनएल	260500	154284 (: 03/10 तक)	यू-8	250	03/2011
					यू-9	250	04/2011
यूपी	परीछा एक्स.	यूपीआरवीयूएनएल	235600	148321 (: 09/09 तक)	यू-5	250	06/2011
					यू-6	250	09/2011
पश्चिम बंगाल	संथालडीह टीपीपी एक्स. पीएच-II	डब्लूबीपीडीसीएल	100000	25500 (: 09/08 तक)	यू-6	250	11/2010

उप जोड़ 10290.2

1	2	3	4	5	6	7	8
निजी क्षेत्र							
दिल्ली	रिथाला सीसीपीपी	एनडीपीएल	25648	25000 (: 06/10 तक)	जीटी 1	35.75	08/2010
					जीटी 2	35.75	09/2010
					एसटी	36.5	09/2010
गुजरात	मुन्द्रा टीपीपी पीएच-I (यू-3 और 4)	अदानी पावर लि.	207000	76430 (: 11/08 तक)	यू-3	330	07/2010
					यू-4	330	09/2010
गुजरात	मुन्द्रा टीपीपी पीएच-II	अदानी पावर लि.	579600	154031 (: 11/08 तक)	यू-1	660	03/2011
गुजरात	मुन्द्रा टीपीपी पीएच-II	अदानी पावर लि.	579600	154031 (11/08 तक)	यू-2	660	08/2011
गुजरात	मुन्द्रा टीपीपी पीएच-III	अदानी पावर लि-	896000	62891 (11/08 तक)	यू-1	660	06/2011
					यू-2	660	09/2011
					यू-3	660	11/2011
गुजरात	मुन्द्रा अल्ट्रा मेगा टीपीपी	टाटा पावर कॉ.	640000	(तक)	यू-1	800	09/2011
					यू-2	800	03/2012
कर्नाटक	उडुपी टीपीपी	यूपीसीएल	429900	433689 (06/10 तक)	यू-2	600	11/2010
महाराष्ट्र	जेएसडब्लू रतनगिरी टीपीपी	जेएसडब्लू इनर्जी (रतनगीरी) लि.	450000	400000 (03/10 तक)	यू-1	300	06/2010
					यू-2	300	08/2010
					यू-3	300	11/2010
					यू-4	300	01/2011
महाराष्ट्र	टिरोरा टीपीपी पीएच-I	अदानी पावर लि.	926300	21222 (11/08 तक)	यू-1	660	05/2011
					यू-2	660	08/2011
महाराष्ट्र	टिरोरा टीपीपी पीएच-II	अदानी पावर लि.	0	(तक फेस-I में शामिल)	यू-1	660	11/2011
एमपी	सासन यूएमपीपी	रिलांयस पावर लि.	1584000	(तक)	यू-1	660	12/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	स्टेरलाइट टीपीपी	स्टेरलाइट इनर्जी लि.	766900	499779 (08/09 तक)	यू-1	600	09/2010
					यू-2	600	01/2011
					यू-3	600	05/2011
					यू-4	600	08/2011
राजस्थान	जल्लिपा-कापुरडी टीपीपी	राजवेस्ट पावर लि. (जेएसडब्ल्यू)	507500	390766 (09/09 तक)	यू-3	135	08/2010
					यू-4	135	10/2010
					यू-5	135	12/2010
					यू-6	135	02/2011
					यू-7	135	04/2011
					यू-8	135	06/2011
यूपी	अनपरा सी लांको	अनपरा प्रा. लि.	411480	313400 (05/10 तक)	यू-1	600	01/2011
					यू-2	600	05/2011
यूपी	रोसा टीपीपी पीएच-II	रिलायंस पावर लि.	250000	65258 (03/10 तक)	यू-3	600	04/2011
					यू-4	600	07/2011
					उप जोड़ :	15118	
					कुल :	40503.2	

विवरण-I (ग)

जल विद्युत परियोजनाए—11वीं योजना में चालू होने के लिए लक्षित

(नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को छोड़कर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	आई. सी. (सं. मेगावाट)	कार्यान्वयन अधीन क्षमता (मेगावाट)	अद्यतन चालु	अद्यतन लागत करोड़ रुपये	3/10 तक व्यय (करोड़ रु.)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जम्मू व कश्मीर							
1.	उड़ी-II (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	4x60	240.00	2010-12	1583.93	1082.33	
2.	चुतक (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	4x11	44.00	2011-12	953.75	413.98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	निम्मू-बाजगू (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	3x15	45.00	2011-12	908.64	444.69	
	हिमाचल प्रदेश							
4.	परबती चरण-II (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	4x200	800.00	12वीं योजना	4231.64	2700.70	
5.	चमेरा-III (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	3x77	231.00	2010-12	1727.56	1144.62	
6.	पारबती-III (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	4x130	520.00	2011-12	2095.68	988.78	
7.	कोल डैम (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	4x200	800.00	2011-12	4527.15	3156.00	
8.	रामपुर (एसजेवीएनएल)	केन्द्रीय	4x68.67	412.00	12वीं योजना	2047.03	787.30	
9.	यूएच I-III	राज्य	3x33.33	100.00	12वीं योजना	431.56	499.62	
10.	स्वारा कुड्डू	राज्य	3x36.6	110.00	12वीं योजना	727.71	120.35 (1/09)	
11.	एलैन दुहंगन	निजी	2x96	192.00	2010-11	922.35	1506.00 (6/09)	
12.	करचम वांगटू	निजी	4x250	1000.00	2011-12	5909.59	4178.70	
13.	बुधिल	निजी	2x35	70.00	2010-11	418.80	308.39	
14.	मलाना-II	निजी	2x50	100.00	2010-11	633.47	614.39	
15.	सोरंग	निजी	2x50	100.00	2011-12	586.00	277.59 (10/09)	
	उत्तराखंड							
16.	कोटेश्वर (टीएचडीसी)	केन्द्रीय	4x100	400.00	2010-12	2398.39	1771.49	
17.	लोहारीनागपाला (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	4x150	600.00	12वीं योजना	2895.10	507.06 (5/09)	
18.	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	4x130	520.00	12वीं योजना	2978.48	859.00	
19.	श्रीनगर	निजी	4x82.5	330.00	2011-12	2069.00	1490.60	
	मध्य प्रदेश							
20.	महेश्वर	निजी	10x40	400.00	2011-12	2449.20	2382.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आंध्र प्रदेश							
21.	प्रियदर्शिनी जुराला	राज्य	6x39.1	117.00	2010-12	547.00	625.00	117 मे.वा. चालू
22.	नागार्जुन सागर टीआर	राज्य	2x25	50.00	2011-12	464.70	214.40 (9/09)	
23.	पुलिचिंताला	राज्य	4x30	120.00	2011-12	380.00	32.25 (9/09)	
24.	लोअर जुराला	राज्य	6x40	240.00	12वीं योजना	908.34	267.74 (9/09)	
	केरल							
25.	कुट्टियाडी अतिरिक्त एक्सटे.	राज्य	2x50	50.00	2010-11	168.28	141.58 (9/09)	
26.	पल्लीवासल	राज्य	2x30	60.00	12वीं योजना	268.02	58.84	
	तमिलनाडु							
27.	भवानी बैराज II	राज्य	2x15	30.00	2011-12	400.59	253.93	
28.	भवानी बैराज III	राज्य	2x15	30.00	2011-12	396.59	151.86	
	पश्चिमी बंगाल							
29.	तीस्ता लो डैम-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	4x33	132.00	2011-12	1407.53	1095.42	
30.	तीस्ता लो डैम-IV (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	4x40	160.00	2011-12	1307.03	695.59	
	सिक्किम							
31.	छुजाचेन	निजी	2x49.5	99.00	2011-12	820.00	653.10	
32.	तीस्ता चरण-III	निजी	6x200	1200.00	2011-12	1673.00	3083.40	
	मेघालय							
33.	मिंटडू	राज्य	2x42	84.00	2011-12	965.93	828.27	
34.	न्यू उमत्रू	राज्य	2x20	40.00	2011-12	194.30	59.28 (8/08)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अरुणाचल प्रदेश							
35.	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	8x250	2000.00	12वीं योजना	7970.79	3958.27	
36.	कामेंग (नीपको)	केन्द्रीय	4x150	600.00	12वीं योजना	3253.22	1105.86	
				12026.00				

विवरण-II

12वीं योजना के दौरान लाभ हेतु चिह्नित जल विद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	एजेंसी	प्रतिष्ठापित क्षमता (आई.सी.)	12वीं योजना में लाभ	आरंभ करने की अनुसूची
1	2	3	4	5	6	7
1.	कशांग I	हिमाचल प्रदेश	एचपीपासीएल	65	65	2013-14
2.	तिडोंग-I	हिमाचल प्रदेश	नूजीवीडू सीड्स लि.	100	100	2012-13
3.	कशांग-IV	हिमाचल प्रदेश	एचपीपासीएल	48	48	2016-17
4.	कशांग II व III	हिमाचल प्रदेश	एचपीपासीएल	130	130	2013-14
5.	तांगू रोमाई	हिमाचल प्रदेश	तांमू रोमाई पावर कारपोरेशन	44	44	2012-13
6.	बजोली होली	हिमाचल प्रदेश	जीएमआर	180	180	2016-17
7.	कुटेरहर	हिमाचल प्रदेश	जेएसडब्ल्यू	260	260	2014-15
8.	रेनुका डैम	हिमाचल प्रदेश	एचपीपासीएल	40	40	2015-16
9.	सैंज	हिमाचल प्रदेश	एचपीपासीएल	100	100	2014-15
10.	शानटोंग करचम	हिमाचल प्रदेश	एचपीपासीएल	402	402	2015-16
11.	धौला सिद्ध	हिमाचल प्रदेश	एसजेवीएनएल	40	40	2015-16
12.	बगलिहार II	जम्मू और कश्मीर	पीडीसी	450	450	2014-15
13.	किशन गंगा	जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	330	330	2015-16

1	2	3	4	5	6	7
14.	न्यू गंडेरवाल	जम्मू और कश्मीर	पीडीसी	93	93	2015-16
15.	कवार	जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	520	520	2016-17
16.	किरू	जम्मू और कश्मीर	एनएचपीसी	600	600	2016-17
17.	सिंगोली भटवारी	उत्तराखंड	एल एंड टी	99	99	2013-14
18.	फाटा ब्यूंग	उत्तराखंड	लांको	76	76	2013-14
19.	लता तपोवन	उत्तराखंड	एनटीपीसी	171	171	2015-16
20.	पाला मनेरी	उत्तराखंड	यूआईडी	480	480	2014-15
21.	टेहरी चरण-II पीएसएस	उत्तराखंड	टीएचडीसी	1000	1000	2014-15
22.	विष्णुगाड (पिपलकोटी)	उत्तराखंड	टीएचडीसी	444	444	2014-15
23.	अलकनंदा (बद्रीनाथ)	उत्तराखंड	जीएमआर	300	300	2015-16
24.	कोटलीभेल-चरण-I ए	उत्तराखंड	एनएचपीसी	195	195	2015-16
25.	कोटलीभेल-चरण-I बी	उत्तराखंड	एनएचपीसी	320	320	2015-16
26.	कोटलीभेल-चरण-II	उत्तराखंड	एनएचपीसी	530	530	2015-16
27.	रूपसियाबगार खासियाबाडा	उत्तराखंड	एनटीपीसी	260	260	2015-16
28.	हनोल ट्यूनी	उत्तराखंड	सनफ्लैग	60	60	2015-16
29.	नैतवाड़ मोरी (देवड़ा मोरी)	उत्तराखंड	एसजेवीएनएल	56	56	2015-16
30.	अरकोट ट्यूनी	उत्तराखंड	यूआईडी	72	72	2016-17
31.	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	300	300	2016-17
32.	देवसारी डैम	उत्तराखंड	एसजेवीएनएल	252	252	2016-17
33.	बोगुडियार सिरकारी	उत्तराखंड	जीवीके	170	170	2016-17
34.	मपांग बोगुडियार	उत्तराखंड	जीवीके	200	200	2018-19
35.	नंद प्रयाग लंगासु	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	100	100	2016-17
36.	तमक लता	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	280	280	2016-17

1	2	3	4	5	6	7
37.	ट्यूनी पलासू	उत्तराखंड	यूआईडी	42	42	2016-17
38.	शाहपुर कांडी	पंजाब	पीएसईबी	168	168	2016-17
39.	यूबीडीसी-III	पंजाब	भिलवाड़ा इनर्जी लि.	75	75	2012-13
40.	रामम चरण-III	पश्चिम बंगाल	एनटीपीसी	120	120	2015-16
41.	रामम चरण-I	पश्चिम बंगाल	डव्ल्यूबीएसईडीसीएल	36	36	2017-18
42.	रामम अल्टीमेट (IV)	पश्चिम बंगाल	डव्ल्यूबीएसईडीसीएल	30	30	2016-17
43.	डुम्मुगुडेम	आंध्र प्रदेश	एपीआईडी	210	210	2014-15
44.	पोल्लावरम एमपीपी	आंध्र प्रदेश	एपीआईडी	960	480	2014-15
45.	सिंगारेडीपल्ली	आंध्र प्रदेश	एपीआईडी	320	320	2015-16
46.	थोट्टियार	केरल	केएसईबी	40	40	2012-13
47.	अथिरापल्ली	केरल	केएसईबी	163	163	2014-15
48.	मनकुलम	केरल	केएसईबी	40	40	2014-15
49.	अचेंकोविल	केरल	केएसईबी	30	30	2014-15
50.	पमबार	केरल	केएसईबी	40	40	2015-16
51.	सेनगुलम एक्सटेंसन	केरल	केएसईबी	60	60	2016-17
52.	गुंडिया-I	कर्नाटक	केपीसीएल	200	200	2015-16
53.	गुंडिया-II	कर्नाटक	केपीसीएल	200	200	2014-15
54.	शिवसमुद्रस सीसोनल एचईपी	कर्नाटक	केपीसीएल	270	270	2014-15
55.	कुंडा पीएसएस	तमिलनाडु	टीएनईबी	500	500	2012-13
56.	भास्मेय	सिक्किम	गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	54	54	2012-13
57.	जोरथांग लूप	सिक्किम	डीएएनएस इनर्जी	96	96	2012-13
58.	रंगीत-IV	सिक्किम	जेएएल पावर	120	120	2013-14
59.	तीस्ता-VI	सिक्किम	लांको	500	500	2012-13

1	2	3	4	5	6	7
60.	रंगीत-II	सिक्किम	सिक्किम हाइड्रो	66	66	2014-15
61.	तिंग तिंग	सिक्किम	टीटी इनर्जी	99	99	2012-13
62.	दिक्चू	सिक्किम	स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट लि.	96	96	2013-14
63.	रोंगनीचू	सिक्किम	मध्य भारत पावर कारपोरेशन	96	96	2013-14
64.	ताशिदिंग	सिक्किम	शिगा इनर्जी	97	97	2013-14
65.	पन्न	सिक्किम	हिमागिरी	280	280	2014-15
66.	तीस्ता चरण-IV	सिक्किम	एनएचपीसी	520	520	2017-18
67.	पारे	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	110	110	2012-13
68.	देमवे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	एथेना दमवे	1630	1630	2016-17
69.	दिब्बिदन	अरुणाचल प्रदेश	केएसके डिब्बिन हाइड्रो पावर प्रा.लि.	120	120	2014-15
70.	सियांग लोअर	अरुणाचल प्रदेश	जयप्रकाश एसोसिएट्स लि.	2700	1200	2016-17 और 2019-20
71.	न्यामजुंछू चरण-I	अरुणाचल प्रदेश	भिलवाड़ा इनर्जी लि.	98	98	2016-17
72.	न्यामजुंछू चरण-II	अरुणाचल प्रदेश	भिलवाड़ा इनर्जी लि.	97	97	2016-17
73.	न्यामजुंछू चरण-III	अरुणाचल प्रदेश	भिलवाड़ा इनर्जी लि.	95	95	2016-17
74.	तवांग-I	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	750	750	2017-18
75.	तवांग-II	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	750	750	2018-19
76.	लोंडा (तलोंग)	अरुणाचल प्रदेश	जीएमआर इनर्जी लि.	160	160	2017-18
77.	नाफ़रा	अरुणाचल प्रदेश	एसईडब्ल्यू	96	96	2015-16
78.	तातो-II	अरुणाचल प्रदेश	रिलायंस इनर्जी लि.	700	700	2016-17
79.	दारदू	अरुणाचल प्रदेश	केवीके	60	60	2014-15

1	2	3	4	5	6	7
80.	मागो छू	अरुणाचल प्रदेश	एसईडब्ल्यू	96	96	2015-16
81.	पार	अरुणाचल प्रदेश	केवीके	55	55	2013-14
82.	रेगो	अरुणाचल प्रदेश	टफ्फ इनर्जी	70	70	2016-17
83.	ससकांग रोंग	अरुणाचल प्रदेश	पटेल इंजीनियरिंग	30	30	2014-15
84.	दिनचांग	अरुणाचल प्रदेश	केएसके	90	90	2015-16
85.	न्यूक्वा रोंगचू	अरुणाचल प्रदेश	एसईडब्ल्यू	96	96	2015-16
86.	लोकतक डी/एस	मणिपुर	एनएचपीसी	66	66	2017-18
87.	लोअर कोपिली	असम	असम जेनको	150	150	2015-16
			कुल	22314	20334	

[अनुवाद]

अपशिष्टों से विद्युत

1116. **श्री एल. राजगोपाल : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचेम) ने देश में अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन के अनुसार देश में अपशिष्ट से 2500 मेगावाट विद्युत उत्पादित किए जाने की क्षमता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विद्युत उत्पादन करने हेतु अपशिष्ट ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाया गया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला) : (क) से (घ) एमोचेम (एएसएसओसीएचएएम) ने सूचित किया है कि उन्होंने देश में अपशिष्ट (कचरे) से विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। चैम्बर्स के आंतरिक विचार-विमर्श के आधार पर, दिनांक 23 अप्रैल, 2010 को जारी एक प्रेस वक्तव्य में ऐसोचैम द्वारा अपशिष्ट से 2500 मेगावाट विद्युत की संभाव्यता बताई गई है।

(ङ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर कार्यक्रमों को कार्यान्वियन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में परियोजनाएं स्थापित करने, अनुसंधान और विकास और सूचना के प्रसार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। डिस्टिलरियों, लुग्दी एवं कागज और स्टार्च तथा साबूदाना जैसे उच्च संभाव्यता वाले उद्योग क्षेत्रों में अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यकलापों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर व्यवसाय बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

केरल को ऋणों की गारंटी देना

1117. **श्री के.पी. धनपालन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत 4 वर्षों में केरल सरकार द्वारा लिए गए किसी विदेशी ऋण की गारंटी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केरल सरकार द्वारा किन स्त्रोतों से ऐसे ऋण लिए गए है;

(ग) क्या भारत सरकार इन ऋणों की अदायगी में राज्य सरकार को किसी प्रकार का योगदान या सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठाता।

[हिन्दी]

कोल्ड ड्रिंक/सॉफ्ट ड्रिंक में कीटनाशक

1118. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**
श्री नीरज शेखर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टर फॉर साइंस एण्ड एनवायरमेन्ट (सीएसई) ने अपने वर्ष 2006 की अपनी रिपोर्ट में कोल्ड/सॉफ्ट ड्रिक्स में कीटनाशक के पाए जाने का प्रमाण दिया था;

(ख) यदि हां, तो मानव स्वास्थ्य पर इन पेय पदार्थों के पड़ने वाले दुष्प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में कई दिशानिर्देश जारी किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या देश में इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सेन्टर फॉर साइंस एण्ड एनवायरमेंट (सीएसई) ने अगस्त, 2008 में शीतल पेयों में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसकी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की गई थी। विशेषज्ञ समिति ने निष्कार्ष दिया कि सीएसई द्वारा उनकी रिपोर्ट में दिए गए परिणामों और निष्कार्षों को टेस्टिंग प्रोटोकाल के विधिमान्यकरण न होने के कारण उसकी फेस-वैल्यू पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(घ) से (छ) मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 115/03-सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरमेंट बनाम भारत संघ के मामले में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

बैंक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

1119. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 नवम्बर, 2009 को भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) की बीच हुए समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों ने समझौता ज्ञापन की सहमति के अनुसार सेवारत और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की सुविधाओं का लाभ पहुंचाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) भारतीय बैंक संघ तथा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के बीच 27.11.2009 को हस्ताक्षरित विचार-विमर्श के कार्यवृत्त की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1. **विद्यमान कर्मचारी**

(i) पेंशन विनियमों की तारीख अर्थात 29.9.1995/26.3.1996 की स्थिति के अनुसार जो कर्मचारी बैंक की सेवा में थे तथा पार्टियों के बीच हस्ताक्षरित होने वाले समझौते/सयुक्त

टिप्पणी की स्थिति के अनुसार सेवा में बने हुए थे, उन्हें पेंशन योजना में शामिल होने का एक और विकल्प दिया जाएगा।

(ii) पेंशन का विकल्प देने वाले उन कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि में बैंक का अंशदान उस पर लगे ब्याज के साथ संबंधित बैंक की पेंशन निधि में अंतरित किया जाएगा।

(iii) पेंशन निधि में पहचाने गए अन्तर को निम्नानुसार पार्टियों में बांटा जाएगा:

(क) बैंक द्वारा अन्तर का 70%

(ख) 30% उस कर्मचारी द्वारा जो पार्टियों के बीच हस्ताक्षरित होने वाले समझौता ज्ञापन/संयुक्त टिप्पणी की तारीख की स्थिति के अनुसार बैंक की सेवा में है। यह राशि वेतन संशोधन होने पर देय बकायों से वसूल की जाएगी।

(iv) सेवारत कर्मचारियों को एक और विकल्प देने से अतिरिक्त भार 6,001.80 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

2. **सेवानिवृत्त कर्मचारी**

(i) 29.9.1995/26.3.1996 की स्थिति के अनुसार जो कर्मचारी सेवा में थे और जो पात्र थे परन्तु, उन्होंने पेंशन का विकल्प नहीं दिया था, और उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए, उन्हें भी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा।

(क) सेवानिवृत्त होने के समय उनके द्वारा प्राप्त किया गया भविष्य निधि में बैंक का अंशदान वापिस करना।

(ख) पेंशन निधि में पहचाने गए अन्तर का 30% का उनका हिस्सा पेंशन निधि में अंशदान करना।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक और विकल्प प्रदान करने का अतिरिक्त भार 3,116.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

3. बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995 दिनांक 31.3.2010 तक लागू रहेंगे और 1.4.2010 को अथवा इसके पश्चात बैंकों की सेवाओं में नियुक्त हुए किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे।

4. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए दिनांक 1.1.2004 से लागू हुई "अंशदायी पेंशन योजना" द्वारा यथा अभिशासित एक परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति लाभ योजना दिनांक 1.4.2010 को अथवा इसके पश्चात बैंक की सेवा में शामिल हुए कर्मचारों/अधिकारियों के लिए शुरु की जाएगी। अलग से कोई अंशदायी भविष्य निधि नहीं होगी।

5. इस कार्यवृत्त की शर्तें भारतीय स्टेट बैंक पर लागू नहीं होगी।

(ख) और (ग) पेंशन निधि में कर्मचारियों के अंशदान से संबंधित समझौता/करार के खंड के विरुद्ध कुछ कर्मचारी यूनियनों/संघों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की हैं। मद्रास, उच्च न्यायालय ने पेंशन निधि में कर्मचारियों के अंधदान से संबंधित खंड के परिचालन पर रोक लगाई है। यह मामला अब न्यायालय के निर्णयाधीन है।

चिकित्सक और कारपोरेट क्षेत्र

1120. **श्री अर्जुन मुंडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 70 प्रतिशत चिकित्सक कारपोरेट क्षेत्र के दबाव में काम कर रहे हैं; ताकि उनकी दवाओं की बिक्री को बढ़ावा दे सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) से (घ) हालांकि डाक्टरों द्वारा ऐसी प्रथाओं का अनुसरण किए जाने संबंधी विशेष मामलों की सूचना नहीं दी गई है तथापि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से परामर्श करके दिनांक 10.12.2009 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नीतिशास्त्र)

विनियमन, 2002 में संशोधन करके डाक्टरों द्वारा अपनाई जाने वाली कुप्रथाओं को रोकने के लिए और ज्यादा कड़े कदम उठाए हैं। इस संशोधन में डाक्टरों को अपने अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी भी फार्मास्युटिकल और संबद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योग से उपहार, यात्रा संबंधी सुविधाएं, आतिथ्यसत्कार, नकद अथवा वित्तीय लाभ अथवा किसी भी प्रकार का लाभ स्वीकार करने का सख्त रूप से निषेध है। यदि डाक्टरों/चिकित्सकों को दोषी पाया जाता है तो समीचीन आयुर्विज्ञान परिषद यथा आवश्यक सजा दे सकती है अथवा इसके साथ-साथ दोषी डाक्टर का नाम रजिस्टर से काटने, विनिर्दिष्ट अवधि तक हटाने संबंधी दिशानिर्देश दे सकमी है।

[अनुवाद]

दहेज के विरुद्ध बेटियां

1121. **श्री प्रदीप माझी :** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'दहेज के विरुद्ध बेटियां' नाम से कोई अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अभियान के अंतर्गत अब तक प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में महिलाओं के लिए बने विभिन्न कानूनों को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में घरेलू महिलाओं के लिए भी किसी अभियान को शुरू करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस 25.11.2009 के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया तथा 'दहेज के विरुद्ध बालिकाएं' विषय पर एक अभियान चलाया था। इसमें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनेक विद्यालयों की युवा लड़कियों सहित अन्य लोग शामिल थे। इसका उद्देश्य जागरुकता विकास के माध्यम से सोच में परिवर्तन लाना था। चूंकि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी होती है, अतः, अल्पकाल में सफलता नहीं दिखाई देती।

(घ) और (ङ) आवश्यकतानुसार कानूनों को प्रभावी बनाने तथा इनमें संशोधन करने के लिए समय-समय पर इनकी समीक्षा करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

चेक बाउंस के लंबित मामले

1122. **प्रो. रंजन प्रसाद यादव :**
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चेकों के नकारे जाने के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या कारण हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में ऐसे मामलों के यथाशीघ्र निपटान हेतु निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में न्यायालयों/निपटान आयोग के पास ऐसे लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय विधि आयोग ने "फास्ट ट्रैक मजिस्टेरियल कोर्टस् फॉर डिसआनर्ड चैक केसेज" के संबंध में अपनी 213वीं रिपोर्ट में खुलासा किया था कि देश में विभिन्न अदालतों में 38 लाख से अधिक नकारे गए चैकों के मामले लंबित थे। दंडाधिकारीय स्तर पर दिल्ली के आपराधिक न्यायालय में 7,66,974 मामले लंबित हैं। इनमें से 5,14,443 मामले परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आते हैं।

आहरणकर्ता के खाते में अपर्याप्त निधि के कारण नकारे गए चैकों के संबंध में अपराध से संबंधित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के कुछ उपबंध वर्ष 2002 में आवश्यक उपबंध शामिल करते हुए संशोधित किए गए थे, जिनका उद्देश्य चैक नकारने से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करना, अपराधियों की सजा बढ़ाना आदि था।

(ग) से (ङ) चैक नकारने के मामले में अभियुक्त को अपील की अनुमति देते हुए उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि शीघ्र विचारण किसी अभियुक्त का मौलिक अधिकार है।

13वें वित्त आयोग ने न्याय प्रदान करने में सुधार करने हेतु 5000 करोड़ रु. के विशेष अनुदान की सिफारिश की है। इस अनुदान के अंतर्गत निम्नलिखित पहल शामिल हैं;

1. प्रातःकालीन/सांयकालीन/पारी (शिफ्ट) न्यायालय चलाकर मौजूदा अवसंरचना का प्रयोग करके न्यायालयों के काम के घंटों की संख्या बढ़ाना;

2. वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र स्थापित करना, मध्यस्थों/समझौताकारों को प्रशिक्षण तथा लोक अदालतों के लिए सहायता बढ़ाना;

3. राज्य विधायी सेवा प्राधिकारियों को अतिरिक्त निधीयन प्रदान करना;

4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों की क्षमता बढ़ाना;

5. प्रशिक्षण को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक अकादमी बनाने में सहायता देना;

6. कोर्ट मैनेजर के पद सृजित करना।

भारत सरकार ने 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और न्याय दिए जाने की प्रक्रिया में सुधार हेतु 5000 करोड़ रु. का अनुदान देने का निर्णय लिया हैं।

संस्थागत प्रसव

1123. श्री वरुण गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश सहित संस्थागत प्रसवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य विशेषकर ऐसे स्थानों पर जहां सरकार अकेले अंतर को नहीं पाट सकती वहां सरकारी-निजी भागीदारी की संभावनाओं को तलाशने के लिए कोई कदम उठाया है/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) गत तीन वर्षों में संस्थागत प्रसवों का राज्यवार ब्यौरा विवरण पर संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, भारत सरकार ने उन पॉकेटों सहित जहां सरकारी सुविधाएं कम हैं, सरकारी-निजी भागीदारी के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि:

मांग संवर्धन योजना यथा जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत संस्थागत प्रसव आयोजित करने के लिए निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रत्यायन।

भारत सरकार ने एमबीबीएस डाक्टरों को सीजेरियन सेक्शन समेत आपाती प्रासविक परिचर्या में प्रशिक्षित करने के लिए फेडरेशन ऑफ गाइनीकॉलाजिकल सोसायटीज ऑफ इंडिया (फोगसी) सरीखे पेशेवर निकायों के साथ तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसके) के अंतर्गत पेशेवरों को प्रशिक्षित करने हेतु इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन्स (आईएपी) के साथ भागीदारी की है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराने में निजी भागीदारों को शामिल करने के लिए भारत सरकार ने प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराने के लिए निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए प्रत्यायन दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

राज्य भी लोगों को प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहे हैं जैसे कि गुजरात में चिरंजीवी योजना, मध्य प्रदेश में जननी सहयोगी, पश्चिमी बंगाल में आयुष्मती स्कीम, छत्तीसगढ़ में महतारी एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश में जननी एक्सप्रैस आदि।

विवरण

संस्थागत प्रसवों की कुल संख्या

(लाख)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	2007-08	208-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13.30	14.20	14.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.09	0.10	0.08
3.	असम	3.23	3.57	3.96
4.	बिहार	8.38	11.47	12.46
5.	छत्तीसगढ़	1.49	1.79	2.04
6.	गोवा	0.22	0.24	0.19
7.	गुजरात	9.20	8.43	7.62
8.	हरियाणा	2.75	3.18	3.58
9.	हिमाचल प्रदेश	0.58	0.59	0.55
10.	जम्मू और कश्मीर	1.51	1.52	1.52
11.	झारखंड	0.82	1.67	2.96
12.	कर्नाटक	6.35	6.82	8.49
13.	केरल	5.38	4.99	4.56
14.	मध्य प्रदेश	12.90	13.70	13.01
15.	महाराष्ट्र	13.46	15.53	13.71
16.	मणिपुर	0.20	0.20	0.24
17.	मेघालय	0.25	0.23	0.20
18.	मिजोरम	0.19	0.15	0.16
19.	नागालैंड	1.10	0.13	0.10
20.	उड़ीसा	4.40	2.80	5.63
21.	पंजाब	2.24	2.41	2.50
22.	राजस्थान	10.19	11.36	12.02
23.	सिक्किम	0.06	0.06	0.07
24.	तमिलनाडु	11.16	11.05	10.50
25.	त्रिपुरा	0.31	0.32	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	23.25	18.18	25.59
27.	उत्तराखंड	0.60	0.74	0.98
28.	पश्चिम बंगाल	8.85	6.99	8.45*
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.05	0.05	0.04
30.	चंडीगढ़	0.18	0.19	0.20
31.	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.03	0.03
32.	दमन और दीव	0.02	0.03	0.03
33.	दिल्ली	1.48	2.65	1.72
34.	लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.004*
35.	पुदुचेरी	0.50	0.44	0.48
	कुल	143.71	145.80	158.18

स्रोत : एनआरएचएम स्टेट डाटा शीट

* एचएमआईएस पोर्टल

नोट : आंकड़े अनंतिम हैं

विदेशों में भारतीय पर्यटन संभावनाओं का प्रदर्शन

1124. श्री के. उर्फ जे.के. रितीश शिवकुमार :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विदेशों में भारतीय पर्यटन संभावनाओं का प्रदर्शन करने हेतु की गई संवर्धन गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उद्देश्य हेतु किन-किन देशों का चयन किया गया;

(ग) इस अभियान के दौरान किन नई विशेषताओं को उजागर किया जा रहा है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा पर्यटन अवसंरचना के विस्तार हेतु क्या उपाय किये गए हैं; और

(ङ) इस दिशा में अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने इनबाउण्ड पर्यटन के संवर्धन के लिए कई उपाय किये हैं। विदेश में 14 शहरों में स्थित विभिन्न भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा प्रमुख यात्रा मेलों में भाग लेना. इनमें यूरोप/यूएसए/कनाडा/रूस/चीन/सिंगापुर/टोक्यो/दक्षिण अफ्रीका/श्रीलंका/आस्ट्रेलिया और महत्वपूर्ण पर्यटक सृजक विदेशी बाजारों में रोड शो आयोजित करना, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व्यवसाय एवं मीडिया प्रतिनिधियों के लिए भारत के परिचायक दौरों को आयोजन करना, भारत का संवर्धन करने वाले सेवा प्रदाताओं हेतु बाजार विकास सहायता योजना को उदार बनाना, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन एवं आउटडोर मीडिया में मीडिया अभियान शामिल है। प्रमुख पर्यटक बाजारों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें वर्ष 2008 में सिंगापुर और न्यूयार्क में incredibleindia@60, सितम्बर, 2009 में लॉस एंजिल्स में इंडिया कालिंग कार्यक्रम 'हॉलीवुड बाउल' शामिल थे।

रोड शोज देश में आयोजित होने वाले नवीनतम कार्यक्रमों जैसे भारत भ्रमण वर्ष, क्वीन्स बेटन रिले, राष्ट्रमंडल खेलों पर जोर देते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पांच देशों, अर्थात् सिंगापुर, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, लक्जमबर्ग और जापान के पर्यटकों के लिए पायलट आधार पर, एक वर्ष की अवधि के लिए आगमन-पर-वीजा योजना शुरू की है। इस उद्देश्य के लिए जापान और सिंगापुर में टूर ऑपरेटरों एवं मीडिया के साथ रोड शोज आयोजित किए गए।

पर्यटन क्षेत्रों एवं नए उत्पादों के संवर्धन के लिए नई पहलें करना एक अनवरत प्रक्रिया है और पर्यटन मंत्रालय भारत तथा विदेश में अपने भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से तथा इन्क्रेडिबल इंडिया वेबसाइट के माध्यम से आम लोगों के बीच सूचना का प्रसारण करता है।

(घ) और (ङ) पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनसे प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-

(i) गंतव्यों तथा परिगमन स्थलों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास

(ii) भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता

(iii) कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी

(iv) मेले/उत्सव और कार्यक्रम

(v) ग्रामीण पर्यटन - अवसंरचना; और

(vi) सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण

अवसंरचना का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को पर्यटन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर मॉनीटर किया जाता है। दिनांक 30.06.2010 तक ग्यारहवीं योजना के दौरान, पर्यटन मंत्रालय के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2305.02 करोड़ रुपए की लागत की 796 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

[हिन्दी]

ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के कारण खाद्य पदार्थों में संदूषण

1125. **डॉ. धनंजय सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की पांबदी के बावजूद अबाध बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऑक्सीटोसिन से संक्रमित खाद्य पदार्थों के सेवन से राज्य-वार और वर्ष-वार देश में कितनी मौतों के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) इस संबंध में राज्य-वार कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) देश में ऑक्सीटॉसिन औषध पर प्रतिबंध नहीं है क्योंकि इसे मानव एवं पशु-चिकित्सा, दोनों के क्षेत्र में चिकित्सा पद्धति में अनिवार्य औषध के रूप में माना जाता है। इसका प्रयोग प्रसव के प्रेरण और संवर्धन के लिए, प्रसवोत्तर रक्तस्त्राव तथा प्रसव के तीसरे चरण में गर्भाशय की अल्पतनावता को नियंत्रित करने तथा दोषपूर्ण दुग्ध इंजेक्शन के मामलों में दुग्धस्त्रवण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दिनांक 3 अप्रैल, 2001 के सा.का.नि. 242 (अ) के तहत संशोधित औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अनुसार यह अनिवार्य है कि ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन को एकल यूनिट वाले ब्लिस्टर पैक में ही बिक्री के लिए बनाया जाए।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और नियमावली, 1955 के कार्यान्वयन का भार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों को सौंपा जाता है। ऑक्सीटॉसिन द्वारा संदूषित खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण मौत के मामलों की सूचना किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

एमसीआई द्वारा दृष्टि दस्तावेज

1126. **श्री मानिक टैगोर :**
श्री के.आर.जी. रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने दृष्टि दस्तावेज बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे दस्तावेज बनाने का उद्देश्य क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद "दृष्टि दस्तावेज 2015" बनाने की प्रक्रिया में है। दृष्टि दस्तावेज, 2015 तैयार करने का उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और आचार नियमों के लिए रोड मैप तैयार करना है ताकि उन्हें वैश्विक मानदंडों और रुझानों के अनुरूप बनाया जा सके।

मेट्रो रेल परियोजनाएं

1127. **श्री एस. सेम्मलई : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माण हेतु प्रस्तावित/आरंभ की गई मेट्रो रेल परियोजनाओं का ब्यौरा तथा परियोजना लागत तथा वित्त पोषण पैटर्न का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चरणबद्ध तरीके से टियर-दो और तीन शहरों में मेट्रो रेल आरंभ करने हेतु वृहद योजना तैयार करने की कोई पहल की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) राज्य सरकारों और दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा इस मंत्रालय के लिए देश में प्रस्ताविक मैट्रो रेल परियोजनाएं विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं। शहरी परिवहन शहरी विकास से संबद्ध है जो कि राज्य का विषय है इसलिए राज्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) वैकल्पिक विश्लेषणों इत्यादि पर आधारित विस्तृत तर्कसंगतता समेत उपयुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली संबंधी प्रस्ताव लाएं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम कि.मी. में लंबाई करोड़ रुपए में लागत	प्रस्तावित वित्तपोषण पद्धति योजना		
			मदों का विवरण	राशि (करोड़ रु.)	वित्तपोषण एजेंसी
1.	हरियाणा	दिल्ली मेट्रो का फरीदाबाद तक विस्तार लम्बाई: 13.875 लागत: 2533 करोड़ रुपए	भूमि	85.00	हरियाणा सरकार द्वारा निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी।
			नेटवर्क	1678.00	हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में 80:20 के अनुपात में लागत की हिस्सेदारी की जाएगी।
2.	हरियाणा	दिल्ली मेट्रो का बहादुरगढ़ तक विस्तार लम्बाई: 11.781 कि.मी. लागत: 1432 करोड़ रुपए	केन्द्रीय कर	261.00	हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा अनुषंगी ऋण के रूप में भागीदारी की जाएगी।
			राज्य कर	109.00	हरियाणा सरकार द्वारा लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी अथवा छूट प्रदान की जाएगी।
			रोलिंग स्टॉक	400.00	डीएमआरसी द्वारा वहन किया जाएगा।
			कुल लागत	2533.00	

विकल्प-I

			प्रस्तावित वित्तपोषण पद्धति योजना		
			विवरण	राशि (करोड़ रु.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
3.	दिल्ली	दिल्ली मेट्रो फेज-III लम्बाई: 69.59 कि.मी. लागत: 24417 करोड़ रुपए	इक्विटी भारत सरकार	5290	25
			इक्विटी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	5290	25
			भूमि के लिए अनुषंगी भारत सरकार	610	3
			भूमि के लिए अनुषंगी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	610	3

1	2	3	4	5	6
			संपत्ति विकास डीएमआरसी	846	4
			जेआईसीए ऋण	8515	40
			कुल	21161	100
			विकल्प-II		
			विवरण	**राशि (करोड़ रु. में)**	**प्रतिशत**
			इक्विटी भारत सरकार	4232	20
			इक्विटी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	4232	20
			भूमि के लिए अनुषंगी भारत सरकार	610	3
			भूमि के लिए अनुषंगी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	610	3
			निर्धारित द्रुत परिवहन राशि से कर रहित बांड	2116	10
			संपत्ति विकास डीएमआरसी	846	4
			जेआईसीए ऋण	8515	40
			कुल	21161	100
			मदों का विवरण	**राशि (करोड़ रु. में)**	**प्रतिशत**

1	2	3	4	5	6
4.	महाराष्ट्र	चारकोप-बान्द्रा मानखुर्द लाईन-2 मुंबई लम्बाई-31.87 लागत-7600 करोड़ रुपए	इक्विटी रियायत ग्राही	1609	20.97
			एमएमआरडीए की इक्विटी	शून्य	शून्य
			ऋण	1532	21.01
			वीजीएफ भारत सरकार	1532	20.00
			वीजीएफ महाराष्ट्र सरकार	766	10.00

1	2	3	4	5	6
			मदों का विवरण	राशि (करोड़ रु. में)	प्रतिशत
5.	केरल	कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना लम्बाई: 25.3 कि.मी. लागत: 2991.50 करोड़ रुपए (राज्य करों को छोड़कर)	इक्विटी (भारत सरकार)	450	15%
			इक्विटी (कर्नाटक सरकार)	450	15%
			अनुषंगी ऋण (भारत सरकार)	299.1	10%
			अनुषंगी ऋण (कर्नाटक सरकार)	450	15%
			जेआईसीएम ऋण	1350.04	45%
6.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना लम्बाई: 71.16 कि.मी. लागत: 12132 करोड़ रुपए	भारत सरकार ने इस प्रयोजन हेतु वीजीएफ स्कीम के तहत अपनी हिस्सेदारी के रूप में 2363 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि 318 करोड़ रुपए के राज्य कर घटक को घटाकर 12132 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत का 20% बनती है।		
7.	राजस्थान	जयपुर मेट्रो रेल परियोजना लम्बाई: 28.55 कि.मी. लागत: 7531 करोड़ रुपए	लागत में वृद्धि और सभी करों सहित कुल पूर्णत लागत 7531 करोड़ रुपए होगी। आरंभ में फेज-I में 8.97 कि.मी. के लिए कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव है जिसकी लागत लगभग 1966 करोड़ रुपए है।		

बैंकों द्वारा आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन न किया जाना

1128. राजकुमारी रत्ना सिंह :

श्री एस. अलागिरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों के कार्यकरण के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर तय दण्डात्मक कार्यवाही ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दिशानिर्देशों का अनुपालन न किए जाने से संबंधित शिकायतों की संख्या कितनी है और इन शिकायतों के निपटान में औसतन कितना समय लगता है;

(ग) क्या ऐसे दिशानिर्देशों के अनुपालन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (घ) बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 47 क के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास, बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों की अवहेलना, इस अधिनियम की किसी आवश्यकता अथवा किसी आदेश, नियम अथवा आरबीआई के निर्देश के अनुपालन में चूक के मामलों में जुर्माना करने का अधिकार है।

वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों और बैंकों के स्थलेतर निगरानी के दौरान ऋण, निवेशों, प्रबंधन, पर्यवेक्षण, प्रणाली और नियंत्रण केवाईसी/एएसएल दिशानिर्देशों आदि के अनुपालन के क्षेत्र में कुछ कमियां पाई गईं। इन कमियों को दूर करने के लिए आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई को कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों ने आरबीआई के दिशा-दिर्देशों का उल्लंघन किया है, भी शामिल है। इन शिकायतों को सामान्यत: युक्तिसंगत समय-सीमा में निपटा लिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, चूंकि उल्लंघन इतने गंभीर नहीं थे,

किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर कोई दंड नहीं लगाया गया था। तथापि, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा आरबीआई दिशा-निर्देशों के उल्लघंन के कुछ मामले आए थे जिसके फलस्वरूप परामर्शी टिप्पणी/नाराजगी पत्र जारी किए गए थे और उनके ऊपर दंड भी लगाया गया था।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में कमी

1129. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बिगड़ती स्थिति के कारण कश्मीर घाटी का दौरा करने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कारण राजस्व को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) और (ख) हाल ही के महीनों और वर्ष 2009 के तदनुरूपी आंकडो के साथ कश्मीर घाटी में पर्यटक आगमानों की संख्या निम्नलिखित है:

माह	2009	2010
मई	81595	210721
जून	128178	200853
जुलाई (23 तक)	71866	70048

यह स्पष्ट है कि मई और जून, 2010 के माह के दौरान पर्यटक आगमन में वर्ष 2009 के तदनुरूपी माह की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जबकि जुलाई, 2010 में आंशिक कमी आई।

(ग) पर्यटन मंत्रालय पर्यटन से अर्जित राजस्व के राज्य-वार आंकड़े संकलित नहीं करता है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के विकास और संवर्धन की मुख्य रूप से जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना दिशा-निर्देशों, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त के अनुसार उनसे प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन अवसंरचना की वृद्धि हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

परियोजना प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन अवसंरचना की वृद्धि हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में (15 जुलाई, 2010 तक) जम्मू और कश्मीर के लिए विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं हेतु 159.32 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों दोनों के आगमन में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित उपाय भी किए हैं-

(i) संभाव्य पर्यटकों के मध्य विश्वास को बढाने हेतु रोड शो और फेम टूर का आयोजन।

(ii) देश और विदेश में आयोजित कार्यक्रमों, यात्रा मेलों, सम्मेलनों और समागमों में अधिक संख्या में भाग लेना।

(iii) राज्य में पर्यटकों को आमंत्रित करते हुए प्रिंट के साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों में प्रचारात्मक अभियान।

(iv) राज्य की पर्यटन संभावना को शो केस करते हुए राज्य में विभिन्न मेलों, उत्सवों और साहसिक कार्यक्रमों का आयोजन।

[अनुवाद]

नर्सों का पलायन

1130. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से प्रतिवर्ष सैकड़ों नर्स पलायन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) और (ख) कुछ नर्सें अन्य देशों में पलायन कर जाती हैं परंतु मंत्रालय द्वारा उन नर्सों की संख्या के संबंध में कोई डाटा नहीं रखा जाता है जो प्रति वर्ष अन्य देशों में पलायन कर जाती हैं।

(ग) नर्सों को प्रोत्साहित करने तथा पलायन रोकने के लिए छठे वेतन आयोग ने सरकारी स्टॉफ नर्सों के वेतनमान का उन्नयन किया है तथा उनका वर्दी और नर्सिंग भत्ता भी दुगुना कर दिया है।

[हिन्दी]

वन ग्रामों का परिवर्तन

1131. **कुमारी मीनाक्षी नटराजन :** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) और (ख) प्राप्त की गई सूचना के अनुसार वन (परिवर्तन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने हेतु देश में 6 राज्यों की ओर से 73 प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय से प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 16 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। शेष 57 प्रस्ताव या तो राज्य सरकारों के पास लम्बित हैं या लौटा दिए गए हैं या सूचना के अभाव में समाप्त कर दिए गए हैं। भारत के मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वन भूमि के अनारक्षण को प्रतिबंधित किए जाने के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इसकी अनुमति के लिए न्यायालय जाने का सुझाव दिया गया है।

मेट्रो फीडर बस सेवा सुविधा

1132. **श्रीमती तूफानी सरोज :**
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने यात्रियों हेतु चल रही फीडर बस सेवाओं के सभी बस आपेटरों के ठेके समाप्त कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण क्या हैं;

(ग) डीएमआरसी द्वारा यात्रियों की समस्याओं/परेशानियों के समाधान और फीडर बस सेवा की पुनः बहाली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) डीएमआरसी द्वारा वर्तमान में जिन रुटों पर फीडर बस सेवा नहीं चलाई जा रही हैं उन पर नई फीडर बस सेवा प्रारंभ करने हेतु भावी कार्य-योजना क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) और (ख) दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) लि. ने सूचित किया है कि उसके बकायों का भुगतान नहीं करने एवं अपर्याप्त सेवाओं के कारण दिनांक 5.3.2010 को मेट्रो फीडर बस सेवा के एक आपरेटर मैमर्स राजस्थान बांबे ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. के ठेके को रद्द कर लिया था।

(ग) यात्रियों के लिए फीडर बस सेवा फिर से शुरू करने के लिए डीएमआरसी ने दिनांक 12.4.2010 को दो आपरेटरों नामतः मैमर्स प्रसत्रा बस लिंक प्रा. लि. एवं मैसर्स विजय टूर्स एवं ट्रैवेल को नया ठेका दिया है। लगभग सभी मार्गों पर फीडर बस सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। डीएमआरसी भी आपरेटर के रूप में 11 बसें चला रही है।

(घ) डीएमआरसी की योजना, डीएमआरसी द्वारा चयनित राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) अनुमोदित फीडर मार्गों पर प्रचालन हेतु 300 वातानुकूलित बसों की खरीद करने की है।

बैंकों को वित्तीय हानि

1133. **श्री नीरज शेखर :**
श्री संजय सिंह चौहान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बैंकों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार भविष्य में ऐसी हड़तालों के कारण बैंकिंग संव्यवहारों को जारी रखने के लिए कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंकिंग क्षेत्र ऐसी हड़तालों के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए कोई योजना तैयार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) हड़तालों के कारण हुई हानि की राशि को तय करना संभव नहीं है।

(ख) से (ङ) हड़ताल के दिनों में शाखाओं/कार्यालयों के निर्बाध कार्यकलाप के लिए पूर्वोपाय करने के निर्देश हैं। इसके अलावा बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दें कि शाखाओं को खुला रखने और किसी प्रकार की बाधा आदि को टालने के और पथभ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के प्रयोजन से वे स्थानीय प्रशासन/पुलिस प्राधिकारियों से सभी प्रकार की सहायता लेने हेतु सम्पर्क करें। बैंकों को हड़ताल से निपटने के लिए अनिश्चित परिस्थिति योजनाओं को तैयार करने की सलाह भी दी गयी है।

मेगा सिटी प्रोग्राम

1134. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेगा सिटी प्रोग्राम को चलाने का उद्देश्य और निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त कार्यक्रम को चलाने हेतु पहचान किए गए शहरों के नाम क्या हैं और अब तक इस प्रयोजन हेतु आवंटित और जारी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक क्या कार्य किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) वर्ष 1993-94 में शुरू की गई मेगा शहरों में बुनियादी सुविधा विकास संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 40 लाख की आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया है। उक्त स्कीम के तहत शामिल 5 मेगा शहर मुंबई (महाराष्ट्र), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) और बंगलुरु (कर्नाटक) है। उक्त स्कीम को दिसंबर, 2005 में शुरू किए गए जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में मिला दिया गया और औपचारिक रूप से 01 अप्रैल, 2007 को समाप्त कर दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उक्त स्कीम के तहत वर्ष 1993-94 से स्वीकृत 628 परियोजनाओं में से 533 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

अंधापन और कुष्ठ रोग

1135. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और रोग-वार अंधता और कुष्ठ रोग निवारण हेतु राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता या अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता या अनुदान की उपयोगिता हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त केंद्रीय सहायता अथवा अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त केंद्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम के अधीन प्रदत्त केंद्रीय सहायता

अथवा अनुदानों के उपयोग के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

(i) मोतियाबिंद के आपरेशनों, डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे नेत्र की अन्य बीमारियों के उपचार, ग्लूकोमा उपचार, लेसर तकनीक, बाल्यकालीन दृष्टिहीनता के उपचार सहित विभिन्न दृष्टि परिचर्या संबंधी कार्यकलापों के लिए अनुमोदित मानकों के अनुसार निधियों के उपयोगिता हेतु राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी एवं जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के लिए दिशानिर्देश।

(ii) नेत्र बैंकिंग, विजन केंद्र, टेली-नेटवर्क युक्त चल नेत्र परिचर्या एकक इत्यादि सहित विभिन्न दृष्टि परिचर्या संबंधी कार्यकलापों में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता संबंधी स्कीम।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम के अधीन प्रदत्त केंद्रीय सहायता अथवा अनुदानों की उपयोगिता के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

(i) प्रशिक्षण, आईईसी, अक्षमता निवारण और चिकित्सीय पुनर्वास, शहरी कुष्ठ नियंत्रण, प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशा) की सहभागिता इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यकलापों के लिए अनुमोदित मानकों के अनुसार निधियों की उपयोगिता के लिए राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी और जिला स्वास्थ्य सोसाइटी हेतु दिशानिर्देश।

(ii) आईईसी, केसों की अनुवर्ती कार्रवाई, अक्षमता की रोकथाम इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यकलापों में स्वैच्छिक संगठनों की सहीगिता संबंधी स्कीम हेतु दिशानिर्देश।

विवरण-I

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अ. ज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय सहायता/ सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

मुख्य राज्य	2007-08 केंद्रीय सहायता	2008-09 केंद्रीय सहायता	2009-10 केंद्रीय सहायता	2010-11* केंद्रीय सहायता
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1481.60	1836.80	2049.46	1053.97
बिहार	138.13	420.38	278.56	0
छत्तीसगढ़	360.26	926.66	167.30	0
गोवा	25.00	97.05	0.00	48.8
गुजरात	788.66	1414.98	1888.63	1110.02
हरियाणा	128.50	229.80	294.97	306.39
हिमाचल प्रदेश	43.50	186.40	57.82	0
जम्मू और कश्मीर	91.00	16.65	40.00	0
झारखंड	305.59	431.72	350.97	0

1	2	3	4	5
कर्नाटक	729.00	1179.22	1173.90	694.34
केरल	262.52	259.49	729.20	0
मध्य प्रदेश	1249.37	1256.97	1286.78	721.73
महाराष्ट्र	1578.00	1797.31	2341.59	0
उड़ीसा	422.50	1278.28	1559.63	0
पंजाब	72.00	138.30	286.42	0
राजस्थान	1569.50	1635.34	873.73	0
तमिलनाडु	2286.45	2325.39	2478.00	1189.75
उत्तर प्रदेश	1314.25	4125.54	3630.91	2022.23
उत्तराखंड	249.42	200.65	319.66	0
पश्चिम बंगाल	645.35	1146.00	1170.64	0
उप-योग	13740.60	20903.63	20978.17	7147.23
पूर्वोत्तर राज्य				
अरुणाचल प्रदेश	66.75	167.60	139.20	0
असम	342.15	1187.34	885.73	887.23
मणिपुर	139.50	106.47	67.39	0
मेघालय	193.50	196.30	140.04	125.54
मिजोरम	7822	261.50	302.80	269.59
नागालैंड	180.99	159.60	207.55	0
सिक्किम	69.50	188.35	157.00	0
त्रिपुरा	199.63	39.35	418.29	0
उपयोग	1270.24	2306.51	2318.00	1282.36

1	2	3	4	5
संघ राज्य क्षेत्र				
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.00	33.65	42.43	0
चंडीगढ़	85.85	21.50	64.80	0
दादरा और नगर हवेली	21.28	6.65	42.00	46.71
दमन और दीव	4.00	29.65	11.90	31.72
दिल्ली	90.50	181.06	82.89	0
लक्षद्वीप	16.00	6.65	0.00	0
पुदुचेरी	17.00	91.88	15.00	0
उप-योग	237.63	371.04	259.02	78.43
योग	15248.47	23581.18	23555.19	8508.02

*वर्ष 2010-11 के लिए आंकड़ें अनंतिम हैं।

विवरण-II

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

विगत तीन वर्षों 2007-08 से 2009-10 एवं मौजूदा वर्ष 2010-11 के दौरान प्रदत्त सहायता

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त सहायता			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	178.74	231.11	239.54	168.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	64.75	57.36	73.95	48.16
3.	असम	34.77	129.21	90.02	80.32
4.	बिहार	187.72	150.81	93.01	50.45

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	141.63	196.38	62.91	100.41
6.	गोवा	8.02	11.28	9.51	5.30
7.	गुजरात	139.48	170.21	226.00	107.13
8.	हरियाणा	42.59	123.19	67.93	1.94
9.	हिमाचल प्रदेश	13.77	76.83	20.20	23.94
10.	जम्मू और कश्मीर	36.52	28.96	32 [illegible]	47.36
11.	झारखंड	75.04	190.14	12.69	97.76
12.	कर्नाटक	135.73	158.20	166.16	115.91
13.	केरल	7.57	33.70	0.00	56.59
14.	मध्य प्रदेश	42.36	272.54	59.50	97.92
15.	महाराष्ट्र	231.08	346.07	296.25	173.54
16.	मणिपुर	31.09	42.17	46.23	23.73
17.	मेघालय	20.87	31.93	31.02	20.71
18.	मिजोरम	10.92	51.57	40.67	31.00
19.	नागालैंड	38.09	51.12	52.34	41.52
20.	उड़ीसा	50.00	181.19	97.00	91.53
21.	पंजाब	21.49	121.45	66.00	57.17
22.	राजस्थान	38.93	151.99	145.30	92.72
23.	सिक्किम	20.76	26.02	24.72	17.47
24.	तमिलनाडु	73.41	242.44	127.53	73.14
25.	त्रिपुरा	0.31	4.23	30.34	0.26
26.	उत्तर प्रदेश	424.50	755.99	634.06	387.83
27.	उत्तराखंड	23.06	48.42	50.58	20.94

1	2	3	4	5	6
28.	पश्चिम बंगाल	105.47	328.95	246.25	128.67
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.13	8.53	0.03	8.17
30.	चंडीगढ़	7.97	7.62	13.00	7.24
31.	दादरा और नगर हवेली	10.37	10.58	13.55	4.60
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	1.50	5.35
33.	दिल्ली	40.68	85.80	10.00	73.32
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.13	0.00
35.	पुदुचेरी	6.80	6.47	13.91	2.69
	योग	2264.62	4332.46	3094.79	2263.07

नोट:- मौजूदा वर्ष 2010-11 के लिए दिनांक 25.07.2010. तक निर्मुक्त सहायता की स्थिति दर्शाई गई है। प्रदत्त की गई सहायता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त सहायता अनुदान और एमडीटी पर हुए व्यय की लागत शामिल है।

[अनुवाद]

सफेद चीनी के आयात में सीमा शुल्क में वृद्धि

1136. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :
श्री पी. बलराम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के आयात पर कोई शुल्क देय है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक किस्म की चीनी हेतु तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन किये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थानीय बाजार में उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या वित्तीय उपाय किए गये हैं या इनका प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) वर्तमान समय में कच्ची एवं परिष्कृत/सफेद चीनी दोनों पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गयी है। यह छूट 31 दिसम्बर, 2010 तक वैध है। तथापि, देश में उत्पादित चीनी पर उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त सीमा शुल्क लागू है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) स्थानीय बाजार में उचित कीमतों पर चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दिनांक 31.12.2010 तक कच्ची चीनी तथा परिष्कृत/सफेद चीनी दोनों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क शून्य कर दी है।

[हिन्दी]

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सक और परा-चिकित्सा व्यवसायी

1137. श्री धनश्याम अनुरागी :
श्री रामकिशुन :
श्री अधीर चौधरी :
श्री ई.जी. सुगावनम :
डॉ. के.एस. राव :
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री सुदर्शन भगत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डाक्टरों, नर्सों और परा-चिकित्सा व्यवसायिकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित चिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रम अर्थात् "बैचलर ऑफ रूरल मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बीआरएमएस)" को प्रारंभ करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव परा-चिकित्सा व्यवयायिकों हेतु अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव रूरल हेल्थ वर्कर्स का एक समर्पित कैडर निर्मित करने का भी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सकों, नर्सों और परा-चिकित्सा व्यवसायिकों की उपलब्धता में असंतुलन है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करके चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या को बढ़ाने और असंतुलन को ठीक करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं अर्थात् और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मेडिकल कॉलेज अथवा चिकित्सा संस्थान के लिए भूमि की आवश्यकताओं में ढील देना, अध्यापक-छात्र अनुपात में कमी करना, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों में शिक्षण अस्पतालों की पंलग क्षमता में ढील देना आदि। राज्य मेडिकल कॉलेजों और नर्सों तथा परा-चिकित्सा कार्मिकों के लिए शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने तथा उनका उन्नयन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

(ग) ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या स्नातक (बीआरएचसी) को शुरू करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है और इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद् के समझ शीघ्र ही विचार करने हेतु रखा जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। मौजूदा परा-चिकित्सा एवं उपचर्या विज्ञान संस्थान (आरआईपीएएनएस), आईजोल को नौवें आरआईपीएस के रूप में विकसित करने और एकमुश्त अनुदान के जरिए परा-चिकित्सा पाठ्यक्रम चलाने हेतु राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सहायता देने की एक योजना के अलावा राष्ट्रीय परा-चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनआईपीएस) तथा 8 क्षेत्रीय परा-चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आरआईपीएस) की स्थापना करने के लिए एक केंद्रीय प्रयोजित योजना को केंद्र और राज्यों के बीच 85:12 के अनुपात के शेयरिंग पैटर्न के आधार पर 1156 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अनुमोदित कर दिया गया है।

(च) और (छ) प्रस्तावित ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या स्नातक (बीआरएचसी) पाठ्यक्रम में ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं का एक समर्पित संवर्ग सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

जननी सुरक्षा योजना

1138. श्री सुवेन्दु अधिकारी :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **स्वास्थ्य** और परिवार **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और आज की तिथि अनुसार चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में संघ सरकार द्वारा चलाई जा रही जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत लाभान्वित माताओं की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में पश्चिम बंगाल सहित जेएसवाई के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटित/अनुमोदित/प्रयुक्त निधियां कितनी है;

(ग) क्या अनेक महिलाओं को अभी भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं की संख्या इस प्रकार है:

लाभार्थियों की संख्या	2007-08	2008-09	2009-10
लाख में	73.28	90.37	92.29 (अनंतिम)

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जेएसवाई के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों के व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्यों को जेएसवाई संबंधी अपेक्षित निधियां राज्य कार्यक्रम कार्यान्वियन योजना (एसपीआईपी) के अनुमोदन के भाग के रूप में प्रति वर्ष आरसीएच पूल में से आबंटित की जाती है। राज्यों को अनेक तरीकों में स्कीम की मानीटरिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिसमें चैक के जरिए भुगतान, स्वास्थ्य संस्थाओं में संवितरण की तिथियों सहित लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित करना, सामुदायिक मानीटरन, गुणवत्ता आश्वासन, फील्ड दौरे, डाटा का मूल्यांकन तथा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना शामिल है। स्कीम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) कार्यकलाप नियमित रूप से किए जाते हैं।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य	आबंटन 2007-08	व्यय 2007-08	आबंटन 2008-09	व्यय 2008-09	आबंटन 2009-10	व्यय 2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8
	उच्च फोकस वाले राज्य						
1.	बिहार	6.00	130.91	173.60	161.81	229.96	236.90
2.	छत्तीसगढ़	8.50	16.42	34.87	21.46	57.40	32.08
3.	हिमाचल प्रदेश	1.00	0.58	1.03	0.79	1.01	1.03
4.	जम्मू और कश्मीर	2.00	2.64	28.07	2.64	27.81	12.61
5.	झारखंड	4.00	5.65	50.00	49.85	57.69	26.05
6.	मध्य प्रदेश	35.00	203.06	160.00	203.62	248.32	208.75
7.	उड़ीसा	18.00	69.94	105.51	82.73	104.44	96.31
8.	राजस्थान	30.00	119.68	150.00	150.80	140.01	162.73
9.	उत्तर प्रदेश	13.00	109.40	260.93	277.50	310.28	380.63

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	उत्तराखंड	1.00	7.85	13.02	12.78	13.50	13.64
	उप-योग	118.50	666.13	977.03	963.97	1190.42	1170.73
	पूर्वोत्तर राज्य						
11.	अरुणाचल प्रदेश	0.25	0.45	1.70	1.08	1.60	1.27
12.	असम	15.00	53.98	88.95	63.79	92.83	74.56
13.	मणिपुर	0.75	0.59	1.15	0.88	1.18	1.04
14.	मेघालय	0.50	0.65	1.81	0.92	1.96	1.07
15.	मिजोरम	0.80	0.89	1.33	1.36	1.47	1.42
16.	नागालैंड	0.50	0.35	4.02	2.29	2.36	1.21
17.	सिक्किम	0.15	0.21	0.20	0.38	0.22	0.23
18.	त्रिपुरा	0.60	1.14	1.80	1.42	2.29	1.98
	उप-योग	18.55	58.26	100.95	72.12	103.91	82.78
	गैर फोकस वाले राज्य						
19.	आंध्र प्रदेश	35.00	38.50	47.88	50.35	45.50	40.86
20.	गोवा	0.05	0.02	0.15	0.04	0.08	0.04
21.	गुजरात	10.00	9.55	18.08	13.64	16.10	21.28
22.	हरियाणा	3.50	3.70	5.00	3.14	6.00	4.28
23.	कर्नाटक	11.00	22.17	30.00	29.31	27.40	35.06
24.	केरल	5.00	14.83	9.36	12.82	14.79	11.61
25.	महाराष्ट्र	8.50	18.80	20.00	23.77	28.90	26.26
26.	पंजाब	1.45	1.74	1.86	3.85	4.90	5.65
27.	तमिलनाडु	16.00	14.85	29.18	27.01	31.68	29.32

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	पश्चिम बंगाल	17.00	30.67	40.00	30.67	43.39	43.84
	उप-योग	107.50	154.83	201.50	203.34	218.74	218.20
	छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र						
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.10	0.04	0.05	0.02	0.11	0.06
30.	चंडीगढ़	0.05	0.15	0.51	0.08	0.08	0.05
31.	दादरा और नगर हवेली	0.09	0.00	0.40	0.00	0.14	0.00
32.	दमन और दीव	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.20	0.45	0.72	1.43	1.69	1.50
34.	लक्षद्वीप	0.06	0.02	0.00	0.06	0.09	0.12
35.	पुदुचेरी	0.25	0.29	0.30	032	0.23	0.33
36.	मुख्यालय	4.65				0.00	0.00
	उप-योग	5.45	0.95	1.99	1.91	2.33	2.06
	महायोग	250.00	880.17	1281.47	1241.33	1515.40	147376

नोट : राज्यों में प्राप्त एफएमआर पर आधारित सूचना।

सब्जियों के जूस का सेवन

1139. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौकी का जूस पीने के बाद दिल्ली में एक वैज्ञानिक की मौत ने अनेक रोगों के लिए पारंपरिक उपचारों के रूप में ऐसे जूसों के सेवन में सुरक्षा को लेकर जोरदार बहस को जन्म दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा पारंपरिक उपचारों के रूप में सब्जियों के जूस के सेवन को लेकर लोगों के मनों में व्याप्त संदेह को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) से (ग) पूरे मामले की जांच चिकित्सा अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा करायी जाएगी।

[हिन्दी]

लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता

1140. **डॉ. भोला सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुपात में अस्पतालों और चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो अस्पतालों और चिकित्सकों की कमी को

पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सक-रोगी अनुपात से संबंधित आंकड़े केंद्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) केंद्र सरकार ने और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने को सुकर बनाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के मानदंडों में संशोधन करके चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के लिए उपाय किए हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकार गुणवता युक्त आयुर्विज्ञान शिक्षा के संवर्धन और देश के विभिन्न भागों में तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार करने के लिए एआईआईएमएस जैसे 8 संस्थान स्थापित कर रही है तथा 19 मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों का उन्नयन कर रही है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार राज्य सरकारों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इन सभी प्रयासों से अधिक चिकित्सक उपलब्ध होंगे तथा लोगों तक गुणवता युक्त स्वास्थ्य परिचर्या की पहुच में सुधार होगा।

[अनुवाद]

मेडिकल, डेन्टल, आयुर्वेद और यूनानी कालेजों की स्थापना

1141. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कई मेडिकल, डेन्टल, आयुर्वेद और यूनानी कालेजों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार के पास उक्त कालेजों की स्थापना हेतु लंबित अनुरोधों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) से (ग) देश में नए मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुर्वेद और यूनानी कॉलेज खोलने का फिलहाल केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) और उत्तराखंड (ऋषिकेश) राज्यों में अल्पसेवित क्षेत्रों के अंतर्गत प्रत्येक में एक-एक एम्स जैसी 6 संस्थाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी एम्स जैसी दो और संस्थाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसीज) का कार्यकरण

1142. श्री निशिकांत दुबे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में झारखंड सहित विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसीज) पर सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं, विशेषज्ञ डाक्टर और परा-चिकित्सा स्टॉफ उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) देश में प्रत्येक सीएचसीज/ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/ग्रामीण उप-केन्द्रों में परा-चिकित्सा स्टॉफ सहित डॉक्टरों और अन्य स्टॉफ की औसत संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और परा-चिकित्सा स्टॉफ उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) बुलेटिन ऑफ रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया (मार्च, 2009 तक अद्यतन) में उपलब्ध सूचना के अनुसार झारखंड राज्य सहित पूरे देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टॉफ स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	पदनाम	अपेक्षित	कार्यरत
1	2	3	4
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ	18040	5789

1	2	3	4
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	6629 (संस्वीकृत)	6192
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रेडियोग्राफर	4510	1867
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट	27901	20967
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रयोगशाला तकनीशियन	27901	12904
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सधात्री/स्टॉफ नर्स	54961	56975

भवन संबंधी स्थिति

केंद्र का नाम	चल रहे केंद्रों की संख्या	सरकारी भवन से चल रहे केंद्र	अन्य भवनों से चल रहे केंद्र
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	4510	4050	460

(घ) बुलेटिन ऑफ रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया (मार्च, 2009 तक अद्यतन) में उपलब्ध सूचना के अनुसार एक उपकेंद्र में 2/3 (स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष, महिला एएनएम और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो वैकल्पिक है) की स्टॉफ क्षमता है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 15 की स्टॉफ क्षमता है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि सहित 25 की स्टॉफ क्षमता है।

(ङ) एनआरएचएम के अधीन मानव संसाधन नियोजन एक प्रमुख जोर दिया जाने वाला क्षेत्र है और इस पर राज्य/संघ क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्रवाई की जाती है। इसमें डाक्टरों और पराचिकित्सकों को बहु-दक्ष बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सम्मिश्रित भुगतान, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता, मामला आधारित भुगतान जैसे प्रोत्साहनों की व्यवस्था, बेहतर आवास की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष डाक्टरों और पराचिकित्सकों की अतिरिक्त चिकित्सकों के रूप में व्यवस्था, अल्पसेवित क्षेत्रों में डाक्टरों की पूलिंग, अल्पसेवित क्षेत्रों के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ नियोजन, अबद्ध तथा फ्लैक्सिबल निधियों की व्यवस्था आदि शामिल है।

माताओं के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

1143. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत माताओं की स्वास्थ्य परिचर्या और देखभाल के मामले में मध्यम आय वर्ग में आने वाले देशों में काफी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो क्या अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण गांवों सहित देश में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में स्वास्थ्य परिचर्या तंत्र में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (घ) देश की आय के आधार पर माताओं की स्वास्थ्य परिचर्या एवं तंदुरूस्ती से संबंधित विशिष्ट आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन स्पेशल एडिशन-2009' संबंधी रिपोर्ट के अनुसार 169 देशों में मातृ मृत्यु अनुपात के संबंध में भारत का स्थान अवरोही क्रम में 47 वां है।

रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स (आरएचएस) बुलेटिन 2009 के अनुसार नियमित एएनएम की उपलब्धता में समग्र कमी उप-केंद्रों में कुल आवश्यकता का 7.3% है, पीएचसी में डाक्टरों के लिए यह कुल आवश्यकता का 16.2% है और सीएचसी में शल्य-चिकित्सकों, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञानियों तथा बाल चिकित्सकों जैसे विशेषज्ञों के लिए यह कुल आवश्यकता का 68% है।

तथापि, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरूआत के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की इन श्रेणियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

देश की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण लोगों विशेषतौर पर निर्धन महिलाओं और बच्चों के लिए उचित, वहनीय, उत्तरदायी और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता बढ़ाने हेतु एनआरएचएम के अंतर्गत अनेक कदम उठाए हैं।

जनशक्ति तथा अवसंरचना की उपलब्धता का संवर्धन करने के लिए उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित है:-

- चिकित्सीय एवं परा-चिकित्सीय स्वास्थ्य कर्मियों की संविदात्मक नियुक्तियों द्वारा जनस्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली में अतिरिक्त मानव संसाधनों को शामिल करने के लिए पहलें।
- विभिन्न कौशल आधारित प्रशिक्षणों जैसे कि कुशल जन्म परिचर्या; एमबीबीएस डाक्टरों को जीवन रक्षक संवेदनाहरण कौशलों तथा सीजेरियन सेक्शन सहित आपातकालीन प्रसूति परिचर्या के क्षेत्र में प्रशिक्षण, आईएमएनसीआई, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएस के) इत्यादि के जरिए कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना।
- चिकित्सीय एवं परा-चिकित्सीय स्वास्थ्य कर्मियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए नई संस्थाओं उदाहरणार्थ मेडिकल कालेजों, नर्सिंग स्कूलों, एएनएम प्रशिक्षण स्कूलों, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थानों, जिला प्रशिक्षण केंद्रों इत्यादि की स्थापना करना तथा मौजूदा संस्थाओं में अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।
- सार्वजनिक क्षेत्र में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुविधा केंद्रों को चौबीसों घंटे प्रचालित करना, जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य संस्थानों सहित 24 x 7 आधार पर कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्रथम रेफरल एकक (एफआरयू)।
- उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में फ्लेक्सिबल निधियों के जरिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

टूर ऑपरेटर

1144. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में टूर ऑपरेटर देश भर में उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टूर ऑपरेटरों को उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार यात्रा व्यवसाय के सेवा प्रदाताओं, अर्थात इनबाउन्ड टूर ऑपरेटर, घरेलू टूर ऑपरेटर, साहसिक टूर ऑपरेटर, पर्यटक परिवहन ऑपरेटर और ट्रेवल एजेन्ट की मान्यता को अनुमोदन प्रदान करता है। मान्यता के लिए योजना के लक्ष्य और उद्देश्य, सेवा प्रदाताओं द्वारा गुणवत्ता स्तर को प्रोत्साहित करना और भारत में पर्यटन का संवर्धन करना है। यह सभी वास्तविक सेवा प्रदाताओं के लिए खुली एक स्वैच्छिक योजना है।

मान्यता एवं नवीकरण प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों की समय-समय पर स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके समीक्षा की जाती है और उन्हें सरल बनाया जाता है। दिशा-निर्देशों को पिछली बार 4 दिसम्बर, 2009 को संशोधित किया गया था।

[हिन्दी]

दिल्ली में अवैध घरों के विरुद्ध तोड़-फोड़ अभियान

1145. श्री कीर्ति आजाद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अवैध घरों के विरुद्ध तोड़-फोड़ अभियान जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई जिन्होंने बेसहारा लोगों के घरों के लिए कृषि भूमि बेची है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि कृषि भूमि

पर तथा कानून के उल्लंघन में बने अनधिकृत कालोनी को बसाने वाले अवैध निर्माण के विरुद्ध ढहाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध दि.न.नि. द्वारा नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 के अंतर्गत घोषित विकास क्षेत्रों में बने अवैध धरों को ढाहने का कार्य दिल्ली में सतत प्रक्रिया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (न.दि.न.पा.) ने अवगत कराया है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में अवैध घरों के विरुद्ध कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है तथा यह अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कोई मामला देखे जाने पर समय-समय पर कार्रवाई करता है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार ने अवगत कराया है कि कुल 1157 अवैध संरचनाओं को हाल ही में दिल्ली पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम जिलों में ढहा दिया गया है। दिल्ली नगर निगम ने अवगत कराया है कि जनवरी 2010 से जून, 2010 तक की अवधि के दौरान अनधिकृत निर्माण/चालू अनधिकृत निर्माण के लिए 3570 मामलों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसमें ढहने के 1259 तथा सीलिंग में 2311 मामले के विरुद्ध कार्रवाई शामिल है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी सरकार ने भी रिपोर्ट की है कि पुलिस को कानून के संगत प्रावधानों के अनुसार कोलोनाइजर/ऑनर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया है। प्राथमिकी का एक मामला दिनांक 25.5.2010 को पहले से ही दर्ज किया जा चुका है। अग्रणी समाचार पत्रों में अवैध संपत्ति में पूंजी नहीं लगाने जैसे जन सुझाव जनता को सुझाते हुए जारी किया गया है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन

1146. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत निर्धारित की गई निधियों सहित इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस मिशन को किन राज्यों में स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके अंतर्गत श्रेणी-वार लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संभावित संख्या कितनी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन की स्थापना की है। मिशन के संकेन्द्रण क्षेत्र महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बल देते हुए उनका सामाजिक सशक्तीकरण, महिलाओं के प्रति हिंसा को प्रगामी रूप में समाप्त करना और सरकारी स्कीमों तथा कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता बढ़ाना है। इन सभी मोर्चों पर महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों/कार्यक्रमों का संकेन्द्रण करके हासिल किया जाना है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मिशन का परिव्यय 67.45 करोड़ रुपए है जिसमें से 40 करोड़ रुपए वर्ष 2010-11 के लिए प्रदान किया गया है।

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य मिशन प्राधिकरणों की स्थापना करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

बोडोलैण्ड हेतु पृथक उप-शीर्ष

1147. **श्री सानसुमा खुंगुर बैसिमुथियारी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वायत्त जिला परिषदों हेतु पर्याप्त केन्द्रीय धनराशि के आबंटन के लिए केन्द्रीय बजट में एक पृथक उप-शीर्ष सम्मिलित करने हेतु कोई पहल की है जिससे कि ये सभी पिछड़े जनजातीय क्षेत्र शेष देश की बराबरी कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त नीति के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुदानों की मांगों में मुख्य शीर्ष '3601' - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के तहत "बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) के लिए विशेष पैकेज" के रूप में एक पृथक लघु शीर्ष सम्मिलित है।

यात्रियों की नकद राशि में बढ़ोत्तरी

1148. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेश जाने वाले यात्रियों को जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा की सीमा को बढ़ाया है/बढ़ाए जाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय शहरों में सुरक्षित स्वच्छता संबंधी सर्वेक्षण

1149. **श्री उदय सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय शहरों में सुरक्षित स्वच्छता संबंधी कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या विभिन्न शहरों की स्वच्छता अवसंरचना में सुधार की काफी संभावनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या संघ सरकार बेहतर स्वच्छता सुविधाओं हेतु राज्य सरकारों को कोई महायता प्रदान करती है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेशवार स्वच्छता सुविधाओं में सुधार हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासन को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न सफाई संबंधी मानदंडों पर श्रेणी-I के 423 शहरों की रेटिंग का कार्य राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति (एनयूएसपी) के तहत दिसंबर 2009 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान किया गया। 423 शहरों में से 189 शहरों को रेड सिटीज की श्रेणी में रखा गया। इन्होंने 100 में से 0-33 अंक हासिल किए तथा 100 में से 34-66 अंक हासिल करने वाले 230 शहरों को ब्लैक सिटीज की श्रेणी में रखा गया। 100 में से 67-90 अंक लेने वाले केवल चार शहरों को ब्लू सिटीज की श्रेणी में रखा गया और किसी भी शहर को ग्रीन सिटी की श्रेणी नहीं दी गई अर्थात किसी भी शहर ने 100 में से 90 से ज्यादा अंक हासिल नहीं किए। शहर रेटिंग का ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ग) जी हां। जागरूकता पैदा करने, खुले में शौच करने को समाप्त करने, दूषित जल का संग्रहण एवं शोधन, अवस्थापना का संचालन एवं रखरखाव इत्यादि के संबंध में सुधार की गुंजाइश है।

(घ) शहरी विकास विकास मंत्रालय राज्यों और शहरों को राज्य सफाई कार्यनीतियां और शहर सफाई योजनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। 21 राज्य, राज्य सफाई कार्यनीतियां तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और 118 शहर, शहर सफाई योजनाएं तैयार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 17,07,946.1 लाख रु. की अनुमोदित लागत की 153 सफाई परियोजनाएं तथा 3,20,43116 लाख रु. की अनुमोदित लागत की 152 सफाई परियोजनाएं क्रमशः जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) तथा छोटे और मझौले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत मंजूर की गई है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय राज्य सरकारों को एकीकृत कम लागत सफाई व्यवस्था (आईएलसीएस) स्कीम के अंतर्गत शुष्क शौचालयों को ट्विन पिट पोट फ्लश शौचालय में परिवर्तित करने तथा नए शौचालयों का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

(ङ) जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) एवं यूआईडीएसएसएमटी घटक तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के आईएलसीएस के संबंध में पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान सफाई व्यवस्था सुविधाएं सुधारने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्रमशः विवरण-II से IV में दिया गया है।

विवरण-I

शहरों का सफाई संबंधी रैंक 2009-2010:

राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति

क्र.सं.	शहर	राज्य	कुल	आउटपुट	प्रक्रिया	आउटकम
1	2	3	4	5	6	7
1.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	73.48	36.250	21.080	16.150
2.	मैसूर	कर्नाटक	70.65	33.080	25.070	12.500
3.	सूरत	गुजरात	69.08	29.750	23.833	15.496
4.	एन.डी.एम.सी.	दिल्ली	68.265	36.000	19.715	12.550
5.	दिल्ली कैंट	दिल्ली	61.367	30.750	19.417	11.200
6.	तिरुचिरापल्लि	तमिलनाडु	59.02	21.160	27.010	10.850
7.	जमशेदपुर	झारखंड	57.96	31.720	17.000	9.240
8.	मैंगलौर	कर्नटका	57.34	20.840	22.500	14.000
9.	राजकोट	गुजरात	56.118	21.833	21.525	12.760
10.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	55.34	23.545	21.475	10.320
11.	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र	53.92	28.000	21.016	4.900
12.	बैंगलौर	कर्नाटक	53.637	21.700	18.870	13.067
13.	चेन्नई	तमिलनाडु	53.63	25.500	20.660	7.470
14.	राउरकेला इंडस्ट्रीयल टाऊनशिप	उड़ीसा	53.4	22.500	18.200	12.700
15.	मंड्या	कर्नाटक	53.33	18.740	20.590	14.000
16.	बिधन्नगर	पश्चिम बंगाल	52.82	25.170	18.000	9.650
17.	नोएडा	उत्तर प्रदेश	51.91	23.360	20.500	8.050
18.	शिलांग	मेघालय	51.55	18.900	22.850	9.800

1	2	3	4	5	6	7
19.	अहमदाबाद* (फुट नोट 1)	गुजरात	51.29	21.167	21.160	8.960
20.	अलंदुर	तमिलनाडु	50.24	22.240	21.000	7.000
21.	हरिद्वार	उत्तराखंड	49.85	24.750	17.150	7.950
22.	बिदर	कर्नाटक	49.82	17.170	21.450	11.200
23.	अचलपुर	महाराष्ट्र	49.666	16.500	15.616	17.550
24.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	49.06	22.369	20.811	5.880
25.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	48.965	17.330	23.002	8.633
26.	थंजरवुर	तमिलनाडु	48.82	20.270	19.300	9.250
27.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	48.52	17.046	24.474	7.000
28.	एस.ए.एस.नगर (मोहाली)	पंजाब	48.43	21.900	19.880	6.650
29.	अकोला	महाराष्ट्र	47.95	17.500	15.000	15.450
30.	सेरामपुर	पश्चिम बंगाल	47.9	21.500	19.400	7.000
31.	नेवेली	तमिलनाडु	47.6	23.240	21.00	3.360
32.	कानपुर (सीबी)	उत्तर प्रदेश	47.55	19.333	13.417	14.800
33.	सतारा	महाराष्ट्र	47.45	15.000	13.500	18.950
34.	इचलकरंजे	महाराष्ट्र	47.417	20.450	15.200	11.767
35.	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	46.94	15.250	23.390	8.300
36.	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	46.917	19.500	18.200	9.217
37.	हलिसहर	पश्चिम बंगाल	46.85	16.500	20.900	9.450
38.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	46.82	15.920	24.600	6.300
39.	पल्लवराम	तमिलनाडु	46.54	17.990	22.700	5.850
40.	तम्बराम	तमिलनाडु	46.19	20.500	21.940	3.750

1	2	3	4	5	6	7
41.	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	45.938	17.978	21.520	6.440
42.	गाजियाबाद (नगर निगम)* (फुट नोट 2)	उत्तर प्रदेश	45.85	26.750	15.250	3.850
43.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	45.7	16.589	23.511	5.600
44.	उडुपि	कर्नटका	45.4	13.670	19.480	12.250
45.	अगरतला	त्रिपुरा	45.29	19.200	16.990	9.100
46.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	45.078	14.250	23.593	7.233
47.	चिकमगलूर	कर्नटका	45.02	14.920	19.950	10.150
48.	कोट्टायम	केरल	45	26.000	13.400	5.600
49.	बोकारो स्टील सिटी	झारखंड	44.85	20.000	15.050	9.800
50.	अमरावती	महाराष्ट्र	44.25	15.000	16.850	12.400
51.	दक्षिण दमदम	पश्चिम बंगाल	44.24	18.740	6.650	
52.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	44.16	11.653	18.797	13.700
53.	नगेर्चोइल	तमिलनाडु	43.91	18.920	21.140	3.850
54.	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	43.85	19.250	18.650	5.950
55.	पनवेल	महाराष्ट्र	43.66	19.410	20.400	3.850
56.	बल्ली	पश्चिम बंगाल	43.65	17.000	20.700	5.950
57.	गोंदिया	महाराष्ट्र	43.5	11.500	16.500	15.500
58.	गोंडा	उत्तर प्रदेश	43.4	14.250	16.500	12.650
59.	गुवाहाटी	आसाम	43.31	15.330	19.930	8.050
60.	इरोड	तमिलनाडु	43.26	19.160	19.900	4.200
61.	इंदौर	मध्य प्रदेश	43.259	14.539	17.400	11.320
62.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	43.19	17.990	21.700	3.500

1	2	3	4	5	6	7
63.	भुसावल	महाराष्ट्र	43.124	22.500	11.757	8.867
64.	मध्यमग्राम	पश्चिम बंगाल	43.093	18.265	17.829	7.000
65.	हल्द्वानी-काठगोदाम (एमबी)* (फुटनोट 3)	उत्तराखंड	42.897	13.912	20.235	8.750
66.	पुणे	महाराष्ट्र	42.73	20.917	16.213	5.600
67.	उत्तर बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	42.713	16.896	19.170	6.650
68.	रिश्रा	पश्चिम बंगाल	42.233	17.833	17.750	6.650
69.	पलवल	हरियाणा	41.95	16.500	11.450	14.000
70.	हापुड़	उत्तर प्रदेश	41.89	12.250	14.040	12.600
71.	बैद्यबटि	पश्चिम बंगाल	41.824	13.974	19.100	8.750
72.	होसपेट	कर्नाटक	41.82	12.670	20.050	9.100
73.	कटक	उड़ीसा	41.728	15.978	21.900	3.850
74.	तिरुवनंतपुरम	केरल	41.71	18.420	18.040	5.250
75.	जोरहाट	आसाम	41.659	16.619	18.390	6.650
76.	मोदीनगर	उत्तर प्रदेश	41.6	14.000	13.600	14.000
77.	बीजापुर	कर्नाटक	41.521	11.020	20.001	10.500
78.	कुकत्पल्ली	आंध्र प्रदेश	41.39	14.810	19.930	6.650
79.	बरलेश्वर	उड़ीसा	41.35	15.000	15.750	10.600
80.	दुर्ग	छत्तीसगढ़	41.303	15.713	17.087	8.500
81.	पिंपरी-चिंचवाड़	महाराष्ट्र	41.221	16.977	17.828	6.417
82.	कोच्चि	केरल	41.07	16.170	19.300	5.600
83.	दमदम	पश्चिम बंगाल	41.05	19.500	15.950	5.600
84.	थाना	महाराष्ट्र	41.009	12.417	17.273	11.320

1	2	3	4	5	6	7
85.	तिरुपपुर	तमिलनाडु	40.76	17.660	21.000	2.100
86.	पनिहटी	पश्चिम बंगाल	40.689	14.889	19.500	6.300
87.	तिरुवन्नामलाइ	तमिलनाडु	40.61	14.660	20.000	5.950
88.	गुड़गांव	हरियाणा	40.6	18.500	12.300	9.800
89.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	40.6	16.342	17.958	6.300
90.	पुरी	उड़ीसा	40.589	14.806	21.234	4.550
91.	बेलगांम	कर्नाटक	40.51	16.830	12.480	11.200
92.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	40.494	17.114	16.500	6.880
93.	कोयंबटूर	तमिलनाडु	40.49	16.200	18.690	5.600
94.	बरासात	पश्चिम बंगाल	40.453	17.833	14.570	8.050
95.	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल	40.383	17.080	15.250	8.050
96.	कुतुबुल्लपुर	आंध्र प्रदेश	40.297	18.417	16.980	4.900
97.	दार्जीलिंग	पश्चिम बंगाल	40.27	18.170	13.000	9.100
98.	गंगवटि	कर्नाटक	40.2	11.500	19.000	9.700
99.	मदुरै	तमिलनाडु	40.16	16.160	19.520	4.480
100.	नासिक	महाराष्ट्र	40.123	16.728	17.514	5.880
101.	बरानगर	पश्चिम बंगाल	39.967	18.667	15.000	6.300
102.	हासन	कर्नाटक	39.92	13.250	17.720	8.950
103.	झांसी	उत्तर प्रदेश	39.913	15.156	18.107	6.650
104.	गजुवाका	आंध्र प्रदेश	39.857	15.667	11.940	12.250
105.	महेश्तला	पश्चिम बंगाल	39.85	13.500	20.400	5.950
106.	गुना	मध्य प्रदेश	39.792	7.492	22.500	9.800
107.	ब्रह्मपुर	उड़ीसा	39.72	18.058	15.012	6.650

1	2	3	4	5	6	7
108.	बलुरघाट	पश्चिम बंगाल	39.69	15.840	15.800	8.050
109.	इम्फाल	मनिपुर	39.665	17.750	15.255	6.650
110.	राजेंद्रनगर	आंध्र प्रदेश	39.66	17.000	14.260	8.400
111.	आईजोल	मिजोरम	39.53	19.080	12.400	8.050
112.	सेरिलिंगम्पल्ली	आंध्र प्रदेश	39.52	14.000	20.272	5.250
113.	आगरा	उत्तर प्रदेश	39.51	20.305	12.765	6.440
114.	थ्रिसूर	केरल	39.49	14.740	16.000	8.750
115.	कुम्बकोनम	तमिलनाडु	39.44	12.440	20.000	7.000
116.	राजपुर सोनरपुर	पश्चिम बंगाल	39.433	14.333	19.500	5.600
117.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	39.363	17.613	12.500	9.250
118.	रांची	झारखंड	39.25	14.000	19.300	5.950
119.	रायगढ़	छत्तीसगढ़	39.129	16.479	17.900	4.750
120.	पुदुकोट्टै	तमिलनाडु	39.12	12.920	20.600	5.600
121.	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	39.106	13.306	18.800	7.000
122.	सालेम	तमिलनाडु	39.02	15.670	19.850	3.500
123.	रोहतक	हरियाणा	39	18.250	7.100	13.650
124.	पानीपत* (फुट नोट 4)	हरियाणा	39	18.500	10.350	10.150
125.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	38.97	19.250	15.520	4.200
126.	पलक्कद	केरल	38.93	14.580	21.200	3.150
127.	उत्तर दमदम	पश्चिम बंगाल	38.855	15.500	16.805	6.550
128.	मल्काज्गिरि	आंध्र प्रदेश	38.79	15.250	19.690	3.850
129.	मेहसाड़ा	गुजरात	38.74	12.000	13.428	10.600
130.	बारिपाड़	उड़ीसा	38.702	16.100	17.002	5.600

1	2	3	4	5	6	7
131.	अशोकनगर	पश्चिम बंगाल	38.65	15.750	16.600	6.300
132.	नांदयाल	आंध्र प्रदेश	38.64	8.500	23.290	6.850
133.	सिलिगुड़ी	पश्चिम बंगाल	38.597	13.167	19.830	5.600
134.	राउरकेला	उड़ीसा	38.595	12.795	17.200	8.600
135.	जलगांव	महाराष्ट्र	38.565	14.513	19.502	4.550
136.	कमर्हटि	पश्चिम बंगाल	38.56	13.420	19.190	5.950
137.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	38.352	17.765	15.687	4.900
138.	उल्हासनगर	महाराष्ट्र	38.337	13.934	18.453	5.950
139.	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	38.322	13.872	13.900	10.550
140.	उप्पलकालान	आंध्र प्रदेश	38.3	12.800	19.200	6.300
141.	परभणी	महाराष्ट्र	38.25	12.000	16.100	10.150
142.	जोधपुर	राजस्थान	38.215	19.565	11.650	7.00
143.	भिलवाडा	राजस्थान	38.184	12.784	12.800	12.600
144.	पटना	बिहार	38.164	14.114	17.050	7.000
145.	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश	38.164	12.814	12.700	12.650
146.	पोरबंदर	गुजरात	38.156	12.000	13.390	12.767
147.	रजार्हट गोपलपुर	पश्चिम बंगाल	38.07	16.920	12.400	8.750
148.	कोझीकोड	केरल	37.974	14.920	19.554	3.500
149.	सांगली-मिराज कुपवाड़	महाराष्ट्र	37.954	16.227	16.827	4.900
150.	बहारमपुर	पश्चिम बंगाल	37.783	11.000	21.181	5.600
151.	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	37.78	15.580	15.900	6.300
152.	राजामुंदरी	आंध्र प्रदेश	37.778	14.238	11.540	12.000
153.	टिटागढ़	पश्चिम बंगाल	37.708	13.258	17.800	6.650

1	2	3	4	5	6	7
154.	नदियाद	गुजरात	37.609	13.500	13.959	10.150
155.	भावनगर	गुजरात	37.584	13.500	14.284	9.800
156.	भरूच	गुजरात	37.581	13.214	14.100	10.267
157.	अवदि	तमिलनाडु	37.54	12.740	17.800	7.000
158.	रॉबर्टसन पेट	कर्नाटक	37.52	12.920	15.200	9.400
159.	लातूर	महाराष्ट्र	37.448	19.500	17.948	0.000
160.	अहमदनगर* (फुट नोट 5)	महाराष्ट्र	37.43	16.382	14.950	6.100
161.	मेदिनिपुर	पश्चिम बंगाल	37.423	12.473	20.400	4.550
162.	गांधीनगर	गुजरात	37.367	21.917	8.800	6.650
163.	वेल्लौर	तमिलनाडु	37.35	13.500	21.400	2.450
164.	डिब्रुगढ़	आसाम	37.3	16.500	13.800	7.000
165.	राजनंदगांव	छत्तीसगढ़	37.2	11.750	20.090	5.350
166.	तिनसुकिया	आसाम	37.126	13.476	16.300	7.350
167.	खर्दहा	पश्चिम बंगाल	37.05	15.830	14.920	6.300
168.	शिमोगा	कर्नाटक	37.007	13.170	14.037	9.800
169.	कोल्लम	केरल	36.97	19.170	15.000	2.800
170.	डीएमसी (यू)	दिल्ली	36.963	18.643	12.487	5.833
171.	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश	36.95	11.650	19.700	5.600
172.	मुजफ्फरपुर	बिहार	36.94	16.490	14.850	5.600
173.	हुगली-चिंसुरह	पश्चिम बंगाल	36.817	13.417	18.500	4.900
174.	कल्याण	महाराष्ट्र	36.783	14.833	17.400	4.550
175.	गुलबर्गा	कर्नाटक	36.78	12.920	17.910	5.950
176.	कान्हनगड़	केरल	36.75	18.250	14.000	4.500

1	2	3	4	5	6	7
177.	कोल्लर	कर्नाटक	36.71	16.080	14.330	6.300
178.	जगाध्रि	हरियाणा	36.7	21.000	7.650	8.050
179.	मंडसौर	मध्य प्रदेश	36.529	8.429	16.500	11.600
180.	कंचीपुरम	तमिलनाडु	36.52	13.320	16.900	6.300
181.	बेल्लारी	कर्नाटक	36.49	12.050	17.440	7.000
182.	सोनीपत	हरियाणा	36.433	11.583	12.247	12.600
183.	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	36.317	19.617	12.500	4.200
184.	भद्रावती	कर्नाटक	36.18	11.920	13.390	10.850
185.	तुमकुर	कर्नाटक	36.16	9.610	22.000	4.550
186.	यमुनानगर	हरियाणा	36.13	16.000	13.134	7.000
187.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	36.114	14.914	21.200	0.000
188.	बरेली	उत्तर प्रदेश	36.101	16.551	11.600	7.950
189.	भिलाई नगर	छत्तीसगढ़	36.05	15.092	12.808	8.150
190.	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	35.91	13.750	20.162	2.000
191.	नैहाति	पश्चिम बंगाल	35.8	17.250	11.900	6.650
192.	लुधियाना	पंजाब	35.64	19.700	12.787	3.150
193.	नवसारी	गुजरात	35.511	13.500	14.194	7.817
194.	हल्दिया	पश्चिम बंगाल	35.49	13.840	16.400	5.250
195.	यवतमल	महाराष्ट्र	35.3	15.850	13.500	5.950
196.	वर्धा	महाराष्ट्र	35.287	17.913	13.524	3.850
197.	हुबली-धारवाड	कर्नाटक	35.23	10.770	19.210	5.250
198.	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	35.165	13.417	16.848	4.900
199.	नांदेड़-वाघेला	महाराष्ट्र	35.162	11.407	20.255	3.500

1	2	3	4	5	6	7
200.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	35.05	12.250	15.800	7.000
201.	उत्तरपारा कोत्रुंग	पश्चिम बंगाल	35	14.750	15.000	5.250
202.	एलुरू	आंध्र प्रदेश	35	18.000	10.700	6.300
203.	रिवाड़ी	हरियाणा	34.95	18.000	6.800	10.150
204.	कोरबा	छत्तीसगढ़	34.8	18.026	13.974	2.800
205.	इंगलिशबाजार मालदा	पश्चिम बंगाल	34.8	12.500	18.800	3.500
206.	शिवपुरि	मध्य प्रदेश	34.792	11.464	19.828	3.500
207.	कापरा	आंध्र प्रदेश	34.767	15.917	13.249	5.600
208.	नबाद्विप	पश्चिम बंगाल	34.763	13.333	16.180	5.250
209.	बांकुरा	पश्चिम बंगाल	34.69	13.090	16.700	4.900
210.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	34.673	11.170	18.463	5.040
211.	सिंकदराबाद कैंट बोर्ड	आंध्र प्रदेश	34.662	11.262	14.300	9.100
212.	रायचूर	कर्नाटक	34.53	10.500	12.280	11.750
213.	बसिरहाट	पश्चिम बंगाल	34.47	13.250	15.270	5.950
214.	बर्द्धमान	पश्चिम बंगाल	34.33	14.330	13.350	6.650
215.	भिवानी	हरियाणा	34.267	15.350	7.600	11.317
216.	वेरावल	गुजरात	34.266	14.250	10.216	9.800
217.	कंचरापाड़ा	पश्चिम बंगाल	34.242	13.792	13.800	6.650
218.	सिलचर	आसाम	34.22	13.820	14.100	6.300
219.	मुर्वरा (कटनी)	मध्य प्रदेश	34.189	8.489	16.100	9.600
220.	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	34.16	14.160	14.100	5.900
221.	बंस्बेरिआ	पश्चिम बंगाल	34.15	14.500	12.700	6.950
222.	गडग-बेतिगेरि	कर्नाटक	34.12	8.760	16.960	8.400

1	2	3	4	5	6	7
223.	गोधरा	गुजरात	34.113	16.000	12.513	5.600
224.	चम्पदानी	पश्चिम बंगाल	34.11	15.860	13.700	4.550
225.	चंदन्नगर	पश्चिम बंगाल	34.1	12.750	14.700	6.650
226.	ओझुकराई	पुदुचेरी	34.08	15.830	15.100	3.150
227.	राजपलायम	तमिलनाडु	33.89	11.390	16.200	6.300
228.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	33.883	11.433	16.500	5.950
229.	बर्शी	महाराष्ट्र	33.817	12.000	15.517	6.300
230.	जयपुर	राजस्थान	33.676	10.292	15.385	8.000
231.	बहादुरगढ़	हरियाणा	33.657	14.357	12.300	7.000
232.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	33.627	9.267	15.200	9.160
233.	वड़ोदरा	गुजरात	33.625	16.750	12.395	4.480
234.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	23.606	15.476	14.980	3.150
235.	मीरा-भयंदर	महाराष्ट्र	33.469	15.269	13.300	4.900
236.	अम्बत्तुर	तमिलनाडु	33.46	12.560	12.900	8.000
237.	भागलपुर	बिहार	33.406	14.056	13.400	5.950
238.	नागपुर	महाराष्ट्र	33.197	14.246	15.394	3.640
239.	करनाल	हरियाणा	33.25	17.250	9.000	7.000
240.	फरीदाबाद	हरियाणा	33.252	19.722	7.650	5.880
241.	गया	बिहार	33.13	11.330	16.550	5.250
242.	भद्रेश्वर	पश्चिम बंगाल	33.121	11.970	15.201	5.950
243.	कलोल	गुजरात	33.102	11.750	12.902	8.450
244.	शांतिपुर	पश्चिम बंगाल	33.09	12.250	15.240	5.600
245.	धनबाद	झारखंड	33.01	14.970	10.200	7.840

1	2	3	4	5	6	7
246.	देहरादून	उत्तराखंड	32.995	18.225	11.970	2.800
247.	सासाराम	बिहार	32.8	13.500	14.050	5.250
248.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	32.771	17.871	14.900	0.000
249.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	32.75	8.500	18.400	5.850
250.	पुर्णिया	बिहार	32.73	13.580	11.800	7.350
251.	लाल बहादुर नगर	आंध्र प्रदेश	32.61	12.310	14.700	5.600
252.	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	32.53	14.330	14.000	4.200
253.	भोपाल	मध्य प्रदेश	32.497	10.667	15.466	6.360
254.	कुड्डालोर	तमिलनाडु	32.4	10.480	17.170	4.750
255.	पंचुकला अर्बन स्टेट	हरियाणा	32.3	15.750	7.077	9.450
256.	पाली	राजस्थान	32.217	12.000	6.900	13.317
257.	बसई-वीरार	महाराष्ट्र	32.15	11.500	15.750	4.900
258.	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	32.133	10.433	14.700	7.000
259.	भिवंडी	महाराष्ट्र	32.118	13.000	16.318	2.800
260.	ओरइ	उत्तर प्रदेश	32.071	17.351	7.717	7.000
261.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश	32.05	14.500	13.000	4.550
262.	उदयपुर	राजस्थान	31.95	15.750	9.200	7.000
263.	जामनगर	गुजरात	31.936	13.000	11.236	7.700
264.	तिरुवोत्तियुर	तमिलनाडु	31.71	7.960	19.900	3.850
265.	भटिंडा	पंजाब	31.398	12.898	12.510	6.000
266.	धुले	महाराष्ट्र	31.326	9.750	17.026	4.550
267.	बीकानेर	राजस्थान	31.28	14.250	10.030	7.000
268.	रेवा	मध्य प्रदेश	31.248	7.533	16.115	7.600

1	2	3	4	5	6	7
269.	सम्बलपुर	उड़ीसा	31	10.750	14.300	5.950
270.	गुंटकल	आंध्र प्रदेश	31	12.250	14.900	3.850
271.	बुरहानपुर	मध्य प्रदेश	30.828	12.478	16.250	2.100
272.	अमरोहा	उत्तर प्रदेश	30.8	15.500	6.700	8.600
273.	अलवर	राजस्थान	30.76	14.250	9.510	7.000
274.	रायपुर	छत्तीसगढ़	30.738	15.250	12.688	2.800
275.	मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश	30.85	18.000	6.000	6.650
276.	डिंडिगुल	तमिलनाडु	30.64	14.840	10.900	4.900
277.	अम्बाला	हरियाणा	30.539	11.889	9.900	8.750
278.	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	30.533	9.083	15.500	5.950
279.	मांगो	झारखंड	30.4	12.667	10.000	7.700
280.	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	30.227	13.267	11.710	5.250
281.	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	30.21	11.000	9.360	9.850
282.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	30.206	9.356	15.950	4.900
283.	कोटा	राजस्थान	30.187	13.250	6.670	10.267
284.	थूथुक्कुडि	तमिलनाडु	30.15	12.500	15.200	2.450
285.	कृष्णनगर	पश्चिम बंगाल	30.05	12.00	11.750	6.300
286.	आनंद	गुजरात	30.016	11.362	13.054	5.600
287.	बोनगांव	पश्चिम बंगाल	29.95	11.670	14.090	4.200
288.	सिवान	बिहार	29.906	12.256	13.100	4.550
289.	खांडवा	मध्य प्रदेश	29.85	12.727	10.000	7.150
290.	भटपारा	पश्चिम बंगाल	29.76	13.230	10.930	5.600
291.	फगवाड़ा	पंजाब	29.63	18.350	11.285	0.000

1	2	3	4	5	6	7
292.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	29.583	10.403	13.177	6.000
293.	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	29.567	14.667	7.900	7.000
294.	अलप्पुझा	केरल	29.48	11.230	11.250	7.000
295.	पाटन	गुजरात	29.47	13.750	11.870	3.850
296.	श्री गंगानगर	राजस्थान	29.4	9.000	13.750	6.650
297.	अजमेर	राजस्थान	29.369	13.619	7.750	8.000
298.	एटा	उत्तर प्रदेश	29.25	10.650	6.300	12.300
299.	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	29.238	10.910	8.328	10.000
300.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	29.182	10.882	11.300	7.000
301.	रायगंज	पश्चिम बंगाल	29.08	10.160	15.770	3.150
302.	सोलपुर	महाराष्ट्र	28.919	9.568	17.602	1.750
303.	मुरैना	मध्य प्रदेश	28.8	9.300	13.893	5.600
304.	भुज	गुजरात	28.769	11.500	12.719	4.550
305.	नगांव	आसाम	28.716	12.716	11.800	4.200
306.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	28.7	11.500	11.000	6.200
307.	कुल्टि	पश्चिम बंगाल	28.7	8.250	14.150	6.300
308.	चंदौसी	उत्तर प्रदेश	28.414	17.114	6.400	4.900
309.	किशनगढ़	राजस्थान	28.36	11.250	10.810	6.300
310.	कैथल	हरियाणा	28.25	8.000	15.350	4.900
311.	हजारीबाग	झारखंड	28.25	15.000	7.300	5.950
312.	भीमावरम	आंध्र प्रदेश	28.248	12.000	9.948	6.300
313.	मिर्जापुर-सह-विंध्याचल	उत्तर प्रदेश	28.24	19.440	8.800	0.000
314.	सिरसा	हरियाणा	28.2	12.500	8.710	7.000

1	2	3	4	5	6	7
315.	ओंगोले	आंध्र प्रदेश	28.129	10.129	6.439	11.600
316.	जालना	महाराष्ट्र	28.1	11.500	15.900	0.700
317.	देवरिया	उत्तर प्रदेश	28.03	14.730	6.000	7.300
318.	दमोह	मध्य प्रदेश	28.025	10.000	12.775	5.250
319.	जेतपुर	गुजरात	28.023	12.500	9.106	6.417
320.	मालेगांव	महाराष्ट्र	27.903	13.250	12.903	1.750
321.	जिंद	हरियाणा	27.835	13.675	7.162	7.000
322.	ब्यावर	राजस्थान	27.8	15.000	5.800	7.000
323.	हाथरस	उत्तर प्रदेश	27.667	9.167	8.301	10.200
324.	अदोनी (एम)	आंध्र प्रदेश	27.65	8.750	14.000	4.900
325.	विदिशा	मध्य प्रदेश	27.586	9.143	15.343	3.100
326.	पालनपुर	गुजरात	27.489	14.875	8.764	3.850
327.	प्रोड्डातुर	आंध्र प्रदेश	27.45	13.750	7.750	5.950
328.	रानीगंज	पश्चिम बंगाल	27.42	9.000	13.870	4.550
329.	खरगोने	मध्य प्रदेश	27.4	14.750	9.500	3.150
330.	रमगुंदम	आंध्र प्रदेश	27.15	8.000	15.003	4.150
331.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	27.084	9.164	10.600	7.320
332.	दानापुर निजामत	बिहार	27.03	10.080	11.000	5.950
333.	मुंगेर	बिहार	26.95	9.750	9.500	7.700
334.	हिसार	हरियाणा	26.893	13.393	7.197	6.300
335.	गुडिवाड़ा	आंध्र प्रदेश	26.8	10.000	5.502	11.300
336.	देवास	मध्य प्रदेश	26.787	12.717	9.167	4.900
337.	हाजीपुर	बिहार	26.569	9.269	11.800	5.500

1	2	3	4	5	6	7
338.	भरतपुर	राजस्थान	26.435	10.635	12.650	3.150
339.	वारंगल	आंध्र प्रदेश	26.4	12.058	9.410	4.900
340.	अम्बाला सदर	हरियाणा	26.358	7.750	13.361	5.250
341.	मोगा	पंजाब	26.28	11.982	12.304	2.000
342.	बटाला	पंजाब	26.23	12.750	7.477	6.000
343.	पठानकोट	पंजाब	26.2	14.200	12.015	0.000
344.	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश	26	19.119	5.900	1.000
345.	पटियाला	पंजाब	25.96	14.375	11.578	0.000
346.	सम्भल	उत्तर प्रदेश	25.9	14.910	5.436	5.600
347.	चेरथला	केरल	25.88	8.850	14.230	2.800
348.	हनुमानगढ़	राजस्थान	25.856	13.386	5.820	6.650
349.	खन्ना	पंजाब	25.78	15.750	10.035	0.000
350.	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश	25.767	10.917	8.900	5.950
351.	हरदोई	उत्तर प्रदेश	25.621	9.851	9.118	6.650
352.	नलगोंडा	आंध्र प्रदेश	25.6	9.000	11.700	4.900
353.	जुनागढ़	गुजरात	25.23	10.750	12.030	2.450
354.	अम्बरनाथ	महाराष्ट्र	25.172	8.672	12.300	4.200
355.	चित्रदुर्ग	कर्नाटक	25.11	8.760	10.750	5.600
356.	उलुबेरिआ	पश्चिम बंगाल	24.98	8.580	13.250	3.150
357.	दवनगेरे	कर्नाटक	24.95	9.670	11.080	4.200
358.	सतना	मध्य प्रदेश	24.92	8.670	11.700	4.550
359.	होशियापुर	पंजाब	24.909	17.409	7.499	0.00
360.	मछलिपत्नम	आंध्र प्रदेश	24.817	13.417	6.500	4.900

1	2	3	4	5	6	7
361.	रतलाम	मध्य प्रदेश	24.75	9.500	10.000	5.250
362.	बिहार शरीफ	बिहार	24.6	10.000	11.100	3.500
363.	जमुरिआ	पश्चिम बंगाल	24.6	13.750	5.600	5.250
364.	तेनाली	आंध्र प्रदेश	24.58	9.500	6.677	8.400
365.	सवाई मधोपुर	राजस्थान	24.433	12.233	6.600	5.600
366.	ललितपुर	उत्तर प्रदेश	24.32	9.540	8.133	6.650
367.	गांधीधाम	गुजरात	24.251	11.250	10.201	2.800
368.	महबूबनगर	आंध्र प्रदेश	24.224	11.124	6.801	6.300
369.	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	24.02	10.750	6.968	6.300
370.	बीद	महाराष्ट्र	24	15.000	4.100	4.900
371.	खम्मम	आंध प्रदेश	23.875	6.625	10.600	6.650
372.	कुडप्पा	आंध्र प्रदेश	23.875	10.625	8.700	4.550
373.	हिंदुपुर	आंध्र प्रदेश	23.78	11.000	6.485	6.300
374.	थनेसर	हरियाणा	23.768	11.868	6.300	5.600
375.	अदीलाबाद	आंध्र प्रदेश	23.65	11.750	5.600	6.300
376.	नीमच	मध्य प्रदेश	23.525	9.525	10.500	3.500
377.	फरुर्खाबाद-सह-फतेहगढ़	उत्तर प्रदेश	23.46	11.010	5.450	7.000
378.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	23.393	8.993	12.300	2.100
379.	बस्ती	उत्तर प्रदेश	23.221	9.621	6.600	7.000
380.	सागर	मध्य प्रदेश	23.131	5.731	10.779	6.600
381.	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	23.007	11.357	6.396	5.250
382.	इटावा	उत्तर प्रदेश	22.95	10.650	6.300	6.000

1	2	3	4	5	6	7
383.	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	22.905	11.885	4.375	6.650
384.	मदनपल्ले	आंध्र प्रदेश	22.86	10.750	6.860	5.250
385.	बांदा	उत्तर प्रदेश	22.713	13.813	8.950	0.000
386.	फिरोझाबाद	उत्तर प्रदेश	22.66	11.500	4.514	6.650
387.	सीकर	राजस्थान	22.473	11.500	2.400	7.000
388.	जालंधर	पंजाब	22.3	14.497	7.813	0.000
389.	मलेरकोटला	पंजाब	22.25	14.000	8.247	0.000
390.	बेतिया	बिहार	22.18	8.030	11.000	3.150
391.	लोनि	उत्तर प्रदेश	22.15	11.250	4.600	6.300
392.	मौनाथ भजन	उत्तर प्रदेश	21.982	11.342	1.987	8.650
393.	भिंड	मध्य प्रदेश	21.95	10.900	5.800	5.250
394.	देहरी	बिहार	21.93	9.580	7.100	5.250
395.	तादेपल्लीगुड़म	आंध्र प्रदेश	21.916	9.500	6.116	6.300
396.	बहराइच	उत्तर प्रदेश	21.85	10.250	5.300	6.300
397.	मोर्बि	गुजरात	21.734	7.750	9.784	4.200
393.	करीमनगर	आंध्र प्रदेश	21.6	9.500	5.911	6.200
399.	आदित्यपुर	झारखंड	21.58	9.000	8.030	4.550
400.	आरा	बिहार	21.484	9.234	9.100	3.150
401.	बलिया	उत्तर प्रदेश	21.449	10.449	1.013	10.000
402.	अबोहर	पंजाब	21.323	13.393	7.933	0.000
403.	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	21.26	12.000	2.960	6.300
404.	कटिहार	बिहार	20.95	8.000	9.100	3.850

1	2	3	4	5	6	7
405.	अमृतसर	पंजाब	20.937	10.967	9.973	0.000
406.	चिराल	आंध्र प्रदेश	20.705	10.205	6.998	3.500
407.	सुरेंद्रनगर	गुजरात	20.649	5.000	14.249	1.400
408.	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	20.633	7.933	7.800	4.900
409.	टोंक	राजस्थान	20.5	7.000	1.500	12.000
410.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	20.428	9.628	5.200	5.600
411.	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	20.308	10.408	2.927	7.000
412.	धर्मावरम	आंध्र प्रदेश	20.233	7.083	7.900	5.250
413.	छपरा	बिहार	20.2	12.250	2.000	5.950
414.	सुलतानपुर	उत्तर प्रदेश	20.15	11.250	1.900	7.000
415.	उलुबेरिआ	बिहार	20.008	10.508	5.300	4.200
416.	सहरसा	बिहार	19.48	12.580	2.000	4.900
417.	बदायूं	उत्तर प्रदेश	18.9	10.000	8.900	0.000
418.	मोतीहारी	बिहार	18.38	7.680	7.200	3.500
419.	झुंझुन	राजस्थान	17.97	4.250	7.770	5.950
420.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	17.329	9.679	7.650	0.000
421.	पिलीभीत	उत्तर प्रदेश	16.983	11.423	5.563	0.000
422.	लखीमपुर	उत्तर प्रदेश	16.968	12.568	4.400	0.000
423.	चुरु	राजस्थान	16.75	7.500	3.300	5.950

*फुटनोट:

इन मामलों में 10 मई, 2010 के बाद प्राप्त सूचना के आधार पर अंकों को संशोधित किया गया है।

(अहमदाबाद:50.28 से 51.29, गाजियाबाद: 44.00 से 45.85, हल्द्वानी-सह काठगोदाम: 32.65 से 42.897, पानीपत: 36.15 से 39.00 तथा अहमदनगर: 40.25 से 37.43)

विवरण-II

पिछले प्रत्येक तीन वर्षों एवं वर्तमान के दौरान सफाई संबंधी सुविधाएं सुधारने के लिए जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) घटक के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को प्रदान की गई सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	ज़ारी धनराशि (लाख रुपये)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	45163.00	23620.00	0.00	0.00
2.	बिहार	10750.15	0.00	0.00	0.00
3.	दिल्ली	0.00	24544.00	25337.00	135771.00
4.	गुजरात	35632.05	49247.58	19195.12	0.00
5.	हरियाणा	7650.00	0.00	0.00	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	5474.00	0.00
7.	झारखंड	0.00	10725.33	0.00	0.00
8.	कर्नाटक	3376.99	36462.00	0.00	0.00
9.	केरल	2456.00	12115.00	0.00	0.00
10.	मध्य प्रदेश	4324.66	0.00	0.00	0.00
11.	महाराष्ट्र	84166.06	79546.50	22169.78	0.00
12.	मणिपुर	2580.71	0.00	0.00	0.00
13.	पुदुचेरी	20340.00	4966.00	0.00	0.00
14.	पंजाब	27829.00	7249.00	0.00	0.00
15.	राजस्थान	0.00	11208.00	0.00	0.00
16.	सिक्किम	2392.01	0.00	0.00	0.00
17.	तमिलनाडु	92351.34	66752.90	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
18.	त्रिपुरा	0.00	0.00	10221.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	52782.44	145005.45	44216.77	0.00
20.	उत्तराखंड	0.00	11556.53	6283.00	931.00
21.	पश्चिम बंगाल	0.00	14603.67	6367.27	0.00
	कुल	391794.41	497601.96	139263.94	136702.00

विवरण-III

पिछले प्रत्येक तीन वर्षों एवं वर्तमान के दौरान सफाई संबंधी सुविधाएं सुधारने के लिए छोटे तथा मझोले कस्बो के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) घटक के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को प्रदान की गई सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना की सं.	अनुमोदित लागत	जारी धनराशि				
				2007-08	2008-09	2009 10	2010-11	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	9	354.07	35.4	31.55	0.66	113.69	181.3
2.	बिहार	3	8.67	0	3.9	0	0	3.9
3.	दिल्ली	1	9.84	0	3.94	0	0	3.94
4.	गुजरात	1	190.25	42.89	0	0	0	42.89
5.	हरियाणा	8	164.08	41.9	25.25	0	0	67.15
6.	हिमाचल प्रदेश	12	25.33	1.03	0	0	6.75	7.78
7.	झारखंड	3	15.85	6.58	0	0	0	6.58
8.	कर्नाटक	10	78.08	5.95	10.83	0	5.33	22.11
9.	केरल	12	86.35	25.52	4.91	0	0	30.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	मध्य प्रदेश	7	158.7	0	57.25	0	0	57.25
11.	महाराष्ट्र	15	485.29	0	162.73	12.95	0	175.69
12.	मणिपुर	2	14.33	0	6.45	0	0	6.45
13.	पुदुचेरी	1	5.93	1.19	0	0	0	1.19
14.	पंजाब	8	336.47	64.82	71	0	19.82	155.64
15.	राजस्थान	13	397.89	26.89	102.79	0	0	129.67
16.	सिक्किम	4	24.12	0	10.85	0	0	10.85
17.	तमिलनाडु	16.307	4.89	112.92	5.36	0	123.17	
18.	त्रिपुरा	1	61.73	0	24.69	0	0	24.69
19.	उत्तर प्रदेश	24	457.46	53.96	33.76	28.83	0	116.55
20.	उत्तराखंड	1	12.52	5	0	0	0	5
21.	पश्चिम बंगाल	1	9.42	0	0.31	0	0	0.31
	कुल	152	3204.3	316.02	663.13	47.80	145.59	1172.54

विवरण-IV

पिछले प्रत्येक तीन वर्षों एवं वर्तमान के दौरान सफाई संबंधी सुविधाएं सुधारने के लिए छोटे तथा मझोले कस्बो के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के एकीकृत कम लागत सफाई (आईएलसीएस) स्कीम घटक के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को प्रदान की गई सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-2011 (आज की स्थिति अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	60.48	33.64	40.15	62.19
2.	बिहार	23.32	7.48	0.44	0

1	2	3	4	5	6
3.	असम	7.07	0.00	0.00	0
4.	जम्मू और कश्मीर	7.10	1.06	1.12	0
5.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.85	1.49
6.	उत्तराखंड	0.00	0.00	1.23	0
7.	पश्चिम बंगाल	0.00	1.29	0.00	0
8.	केरल	0.00	0.32	0.00	0
9.	नागालैंड	0.00	0.81	0.487	0
10.	मणिपुर	0.00	1.69	0.00	0
11.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.48	0.92
12.	त्रिपुरा	0.00	0.00	1.08	0
	कुल	97.97	37.75	45.837	64.6

कर प्रोत्साहनों के कारण सरकार को हानि

1150. श्री पूर्णमासी राम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर प्रोत्साहनों को बढ़ाए जाने के कारण सरकार को अत्यधिक हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के संबंध में दिये गये कर प्रोत्साहनों के कारण विगत तीन वर्षों में छोड़ा गया राजस्व निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपये)

वित्तीय वर्ष	छोड़ा गया राजस्व
प्रत्यक्ष कर:	
2007-08	100256
2008-09	104471
2009-10	120483 (पूर्वानुमानित)
अप्रत्यक्ष कर (अनन्तिम):	
2007-08	241061
2008-09	354045
2009-10	419786

(ग) एक सुविचारित नीति के तहत कुछ एक सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोकहित में छूट दी जाती है। छूट की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है तथा जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है इस संबंध में सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। लाभ-संबंधी कटौतियों के संबंध में प्रावधानों को एक चरणबद्ध तरीके से आयकर अधिनियम, 1961 से समाप्त किया जा रहा है। इनके स्थान पर विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश संबंधी कटौतियां दी जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0½ बजे

इस समय श्री मंगनी लाल मंडल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हलद्वानी

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2649/15/10]

(दो) नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, इन्दौर

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2650/15/10]

(तीन) श्रेयस ग्रामीण बैंक, अलीगढ़

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 2651/15/10]

(चार) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2652/15/10]

(पांच) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, अजमेर

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2653/15/10]

(छह) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2654/15/10]

(सात) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडप्पा

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2655/15/10]

(आठ) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2656/15/10]

(नौ) वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक, सोलापुर

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2657/15/10]

(दस) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2658/15/10]

(ग्यारह) रीवा सिद्धी ग्रामीण बैंक, रीवा

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2659/15/10]

(बारह) सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2660/15/10]

(तेरह) हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2661/15/10]

(चौदह) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, लखनऊ

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2662/15/10]

(पन्द्रह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुन्टूर

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2663/15/10]

(सोलह) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2664/15/10]

(सत्रह) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2665/15/10]

(अठारह) पांडयन ग्राम बैंक, विरुधुनगर

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2666/15/10]

(उन्नीस) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अलवर

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2667/15/10]

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन का सारांश।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2668/15/10]

(3) सिक्योरिटी मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2669/15/10]

(4) सिक्कस-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत "रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं" वर्षगांठ के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ पचास रुपये और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2010 जो 7 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 388(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2670/15/10]

(5) केन्द्रीय बिक्री का अधिनियम, 1956 की धारा 18क की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 455(अ) जो 28 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जून, 2010 को उक्त अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (2) के प्रयोजनों की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2671/15/10]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 854(अ) जो 16 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 984(अ) जो 28 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्राओं को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 990(अ) जो 30 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 1239(अ) जो 26 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्राओं को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 1112(अ) जो 14 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 1260(अ) जो 31 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 1435(अ) जो 15 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 1551(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्राओं को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 1560(अ) जो 30 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सीमा शुल्क टैरिफ (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की सरकारों तथा भारत गणराज्य के बीच अधिमानी व्यापार करार के अंतर्गत वस्तुओं के उद्भव का अवधारा) दूसरा संशोधन नियम, 2010 जो 31 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 456(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 307(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 100/89-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 308(अ) जो 9 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 362(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 363(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 364(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 79/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 392(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रॉ काटन पर प्रभावी निर्यात शुल्क 2500 रु. प्रति टन विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 393(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 25/2010-सी.शु. रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 394(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 26/2010-सी.शु. रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 399(अ) जो 12 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 9/1995-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 402(अ) जो 13 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 405(अ) जो 14 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 462(अ) जो 1 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 153/2009-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 470(अ) जो 4 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 484(अ) जो 8 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 552(अ) जो 23 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 553(अ) जो 15 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 464(अ) जो 24 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्राओं को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 515(अ) जो 27 फरवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि. 590(अ) जो 15 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु., (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 704(अ) जो 29 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकत्तीस) सा.का.नि. 719(अ) जो 31 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 29 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 26/2010-सी.शु., (एन.टी.) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि. 720(अ) जो 31 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु., (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2010, जो 11 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1056(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) औद्योगिक पार्क (संशोधन) स्कीम, 2010, जो 21 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1210(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2010, जो 21 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1211(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2010, जो 9 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1638(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 84 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 543(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2010 को वित्त अधिनियम, 2010 के अध्याय सात के उपबंधों को प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 544(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के कतिपय उपबंधों का अधिसूचित करना है ताकि उन्हें स्वच्छ ऊर्जा उप-कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के लिए तंत्र उपबंधों के रूप में लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 545(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्वच्छ ऊर्जा उप-कर की प्रभावी दर को 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 546(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कच्चा कोयला, कच्चा लिग्नाइट तथा कच्चा पीट से भिन्न सभी माल को स्वच्छ ऊर्जा उप-कर के उद्ग्रहण से छूट प्रदान करना है बशर्ते कि उक्त उप-कर का संदाय कच्चे चरण पर किया गया हो, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 547(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेघालय राज्य में स्थानीय जनजातियों को प्राप्त परंपरागत और प्रथानुगत अधिकारों के अनुसार निष्कर्पित सभी माल को स्वच्छ ऊर्जा उप-कर के उद्ग्रहण से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) स्वच्छ ऊर्जा उप-कर नियम, जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 548(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखि अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 557(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, की धारा 65 की उपधारा (105) के खण्ड (ययग) और (यययय) में उल्लिखित सेवाओं में भिन्न वित्त, अधिनियम, 2010 की धारा 76 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं को उन पर उद्ग्रहणीय सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 558(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 17/2009-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 558(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड 105 के उपखंड (ययथ) में उल्लिखित वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण की कर योग्य सेवा जब पूर्णतः पत्तन अथवा पत्तन के भीतर व्हावर्स, क्वेज, डॉक्स, स्टेजेज, जेट्टीज, पियर्स और रेलवे निर्माण मरम्मत, परिवर्तन तथा नवीकरण के लिए प्रदान की जाती है तब उसे छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवा कर (संशोधन) नियम, 2010 जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 560(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 561(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सेवा कर (कठिनाई दूर करना) आदेश, 2010 जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 529(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 531(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अंतर्राष्ट्रीय मार्गस्थ यात्रियों तथा क्रू सदस्यों को सेवा कर से प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 532(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के मामले में संदेय सेवा कर की राशि नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 533(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आठ पूर्वोत्तर राज्यों में आने तथा पश्चिम बंगाल राज्य में बागडोगरा स्थित विमानपत्तन पर विमान यात्रा को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 534(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय परिसर के निर्माण को कर योग्य सेवा से तब छूट प्रदान करना है जब वह जवाहरलाल नेहरू

राष्ट्रीय ग्रामीण नवीकरण मिशन तथा राजीव आवास योजना के लिए दी जाती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 535(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 536(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशिष्ट खेल कार्यक्रमों को प्रायोजन सेवा से मुक्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 537(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पत्तन अथवा विमानपत्तन के भीतर प्रदान किए जाने पर विशिष्ट सेवाओं को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 538(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वितरण अनुज्ञापक अथवा वितरण फ्रेंचाइजी अथवा विद्युत अधिनियम में विद्युत के संवितरण हेतु अधिकृत किसी दूसरे व्यक्ति अथवा विद्युत के संवितरण हेतु प्रदत्त कर योग्य सेवा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 539(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 07/2010 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 540(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 08/2010 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 541(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 09/2010 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 365(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मॉड्यूलर इम्प्लायेबल स्किल पाठ्यक्रम के संबंध में दिए जाने पर वित्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड (105) के उपखंड (ययग) में संदर्भित कर योग्य सेवा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 562(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी पत्तन अथवा अन्य पत्तन अथवा विमानपत्तन के भीतर पूर्णत: दिए जाने पर कतिपय विशिष्ट सेवाओं को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 563(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पूर्णत: विमानपत्तन के भीतर दिए जाने पर वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड 105 के उपखंड (ययथ) में संदर्भित वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण की कर योग्य सेवा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 570(अ) जो 30 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 13/2008 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेनवैट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 542(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेनवैट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 29 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 565(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 356(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 357(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 3/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 358(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 2/2008-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 359(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 6/2005-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 360(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 361(अ) जो 29 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 390(अ) जो 7 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006-के.उ.शु. को रद्द किया गया हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 391(अ) जो 10 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 18/2010-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 471(अ) जो 4 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 319(अ) जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाए जाने के प्रयोजनार्थ जर्दा सुगंधित तम्बाकू को अधिसूचित माल के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सेवन योग्य तम्बाकू तथा अविनिर्मित तम्बाकू पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2010 जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 321(अ) जो 13 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 16/20410-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 549(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 91 और 93 के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाए जाने योग्य सभी वस्तुओं को शिक्षा उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 550(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 और 138 के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाए जाने योग्य सभी वस्तुओं को शिक्षा उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 311(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 76/2005-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 312(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 85/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 313(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के रिकार्डेबल डीवीडी के सभी आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 314(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सर्कुलर बुनाई मशीन जिसमें 30 सेंटीमीटर से अधिक चौड़े पीपी/एचडीपीई फैब्रिक की बुनाई हेतु छह अथवा छह से अधिक शटल्स हो के सभी आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 315(अ) जो 12 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित भारी एवं मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए फ्रंट एक्सी बीम तथा स्टीयरिंग नकल्स के सभी आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 334(अ) जो 19 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य अरैर जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के 1, 1, 1, 2-टेट्राफ्लूरोथन के सभी आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 355(अ) जो 19 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय थाईलैंड और जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फिनॉल के आयात पर विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 373(अ) जो 3 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सनसेट समीक्षा निष्कर्षों में पदाभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर रूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित पॉलीटेट्राफ्लूरोईथीलीन के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 374(अ) जो 3 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

11 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 2/2010-सी.शु. को रद्द किया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 524(अ) जो 18 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहा से निर्यातित फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और ट्राइमिथाइल फॉस्फाइट के आयात पर पांच वर्ष के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 553(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय यूनियन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित पॉली बिनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन जिसे इमल्सन पीवीसी रेजिन भी कहा जाता है, के आयात पर सनसेट समीक्षा निष्कर्षों में पदाभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के अनुसरण में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 554(अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 115/2009-सी.शु. को रद्द किया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 569(अ) जो 30 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या 37/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 588(अ) जो 7 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहा से निर्यातित डाईथाइल थाई फॉस्फोरिल क्लोराइड के आयात पर पांच वर्ष के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 598(अ) जो 14 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन से आयात किए जाने पर ''ग्लास फाइबर'' पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 556(अ) जो 28 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय महानिदेशक (सुरक्षा की समीक्षा निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से सोडा ऐश के आयात पर अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 19 अप्रैल, 2011 तक 16% मूल्यानुसार की दर से सुरक्षा शुल्क लगाना जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2672/15/10]

(12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा (5) की उपधारा (1) के *अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या* सा.का.नि. 430(अ) जो 20 मई, 2010 के *भारत के राजपत्र* में प्रकाशित *हुई थी* तथा जिनका आशय उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में हथकरघा, कॉयर उत्पाद, रसायन से संबंधित टैरिफ प्रविष्टि में कतिपय परिवर्तन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2673/15/10]

(13) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2674/15/10]

(14) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 के अंतर्गत जारी भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियमन, 1949 में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या 13 जो 2 अप्रैल, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2675/15/10]

(15) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 530(अ) जो 22 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2010 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जब वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 76 के अंतर्गत जारी उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2672-A/15/10]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 884(अ) जो 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जनहित में ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 10क के अंतर्गत मोटापा घटाने वाली दवा रिमोनैबेंट के आयात को प्रतिषेधित किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 884(अ) जो 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जनहित में ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क के अंतर्गत मोटापा घटाने वाली दवा रिमोनैबेंट के विनिर्माण, विक्रय और वितरण को प्रतिषेधित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2676/15/10]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 27 अप्रैल, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 351(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

...(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2677/15/10]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : मैं श्री एस. गांधीसेलवन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2678/15/10]

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कड़िया मुंडा (खुंटी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02½ बजे

प्राक्कलन समिति

(एक) छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा) **:** मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग विषय पर प्राक्कलन समिति (14वीं लोक सभा) के सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(*व्यवधान*)

(दो) विवरण

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा) : मैं 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के खंड-II का मुद्रण रोक दिया जाना' विषय पर प्राक्कलन समिति (14वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (15वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिश पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.03 बजे

गृह कार्य संबंधी समिति

146वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में गृह कार्यसंबंधी स्थायी समिति का 146वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(*व्यवधान*)

---

*प्रतिवेदन 23 जून, 2010 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति लोक सभा की माननीया अध्यक्ष को भी अग्रेषित की गई थी।

अपराह्न 12.03½ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी समिति

223वां और 224वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी) : मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन# (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010 संबंधी 223वां प्रतिवेदन; और

(2) राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010 संबंधी 224वां प्रतिवेदन।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.03¾ बजे

'जनजातियों की सुरक्षा' के बारे में दिनांक 12.3.2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2601 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण*

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : मैं (एक) डॉ. चरण दास महन्त द्वारा 12.3.2010 को 'जनजातियों की सुरक्षा' के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2601 पर दिए गए उत्तर के हिन्दी संस्करण में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

दिनांक 12-03-2010 हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2601

#प्रतिवेदन 28 जून, 2010 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए थे और उसी दिन लोक सभा की माननीया अध्यक्ष को अग्रेषित किए गए थे।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2679/15/10.

के उत्तर की हिन्दी प्रति के भाग (क) तथा (ख) में **मंत्रालय** के स्थान पर **जनजातीय कार्य मंत्रालय** की प्रतिस्थापना

दिनांक 12-03-2010 हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2601 के उत्तर की हिन्दी प्रति के भाग (ग) तथा (घ) में **"असम"** के स्थान पर **"आंध्र प्रदेश"** का प्रतिस्थापना

2. **विलम्ब के कारण**- लोकसभा के अनिश्चित काल हेतु स्थगित हो जाने के पश्चात टंकण त्रृटि ध्यान में आई। अत:, गत सत्र के दौरान संशोधित उत्तर सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

3. उत्तर में संशोधन करने में हुए विलम्ब हेतु खेद है।

जनजातियों की सुरक्षा

2601. डॉ. चरण दास महन्त : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान में अनुसूचित जनजातियों की पहचान तथा संस्कृति और उनके निवास स्थानों की सुरक्षा संबंधी किए गए उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) संविधान की 5वीं अनुसूची तथा छठी अनुसूची में उल्लिखित अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं तथा उन्हें किस आधार पर ऐसे निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित नियमों का बनाया जाना अभी लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी) : (क) भारत का संविधान विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक गारंटियां प्रदान करता है। इन अनुच्छेदों का विवरण जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय-6 में दिया गया है।

(ख) संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244 (1) के तहत वे क्षेत्र हैं जिन्हें राष्ट्रपति उप राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उड़ीसा राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में उन क्षेत्रों से संबंधित है जिन्हें जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है तथा वहां जिला एवं क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद, का प्रावधान किया गया है।

पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों तथा छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों का विवरण भी जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय-6 में दिया गया है।

(ग) और (घ) जैसा पंचायती राज मंत्रालय ने सूचित किया है पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियमों को बनाना संबंधित राज्य सरकार का कार्य है। अब तक केवल आंध प्रदेश सरकार ने पेसा के कार्यान्वयन के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने मसौदा मॉडल पेसा नियम निरूपित किए हैं जोकि राज्यों को उनके विचार/टिप्पणियों हेतु दिनांक 14.12.2009 को अग्रेषित कर दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, 2 अगस्त, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, इसमें निम्नलिखित मदें समाविष्ट होंगी:-

(एक) आज की कार्यसूची से आगे ले जायी गई सरकारी-कार्य की किसी मद पर विचार करना।

(दो) वर्ष 2010-11 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार और उसे पारित करना।

(तीन) शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010—अध्यादेश का स्थान लेने के लिए-पर विचार तथा उसे पारित करना।

(चार) नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008 राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् - पर विचार तथा उसे पारित करना।

(पांच) भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2010 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार तथा उसे पारित करना।

(छह) देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के मुद्दे के बारे में चर्चा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्यमंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री; कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि और अनुसंधान के अभियोजन को अग्रसर करने के लिए एक अकादमी की स्थापना करने तथा वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के नाम से ज्ञान संस्था को, उसके निगमन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि और अनुसंधान के अभियोजन को अग्रसर करने के लिए एक अकादमी की स्थापना करने तथा वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी के नाम से ज्ञान संस्था को, उसके निगमन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज चव्हाण : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं!

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा सोमवार, 2 अगस्त, 2010 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.07 बजे

तत्पश्चात लोकसभा सोमवार, 2 अगस्त, 2010/11 श्रावण, 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 30.7.10 में प्रकाशित।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री गणेश सिंह श्री सी. राजेन्द्रन	81
2.	श्री महेश जोशी श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	82
3.	श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू	83
4.	श्री मोहन जेना श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	84
5.	श्री विभू प्रसाद तराई श्री मधु गौड यास्खी	85
6.	श्री विश्व मोहन कुमार श्री ए.टी. नाना पाटील	86
7.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री भूपेन्द्र सिंह	87
8.	श्री एम.बी. राजेश श्री सी. शिवासामी	88
9.	श्री अर्जुन राय श्री सुरेश अंगड़ी	89
10.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय श्री इन्दर सिंह नामधारी	90
11.	डॉ. शशी थरूर	91
12.	श्री निलेश नारायण राणे श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	92
13.	श्री उमाशंकर सिंह श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	93
14.	श्री वैजयंत पांडा श्री नित्यानंद प्रधान	94
15.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	95
16.	डॉ. गिरिजा व्यास श्रीमती दीपा दासमुंशी	96
17.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	97
18.	श्री भूदेव चौधरी	98
19.	श्री हंसराज गं. अहीर	99
20.	श्री हरीश चौधरी श्री अंजनकुमार एम. यादव	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	992, 1103
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1014
3.	आधि शंकर, श्री	934, 990, 1113

1	2	3
4.	अधिकारी, श्री सुवेन्दु	972, 1138
5.	आदित्यनाथ, योगी	1090, 1095, 1100
6.	अडसुल, श्री आनंदराव	993, 1104
7.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	955, 992, 994, 1118
8.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1081
9.	अलागिरि, श्री एस.	1128
10.	आनंदन, श्री एम.	985, 1097
11.	अंगड़ी, श्री सुरेश	1096, 1115
12.	एंटोनी, श्री एंटो	1038, 1091
13.	अनुरागी, श्री घनश्याम	1032, 1088, 1137
14.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	976, 1033
15.	आजाद, श्री कीर्ति	925, 1145
16.	बाबर, श्री गजानन ध.	993
17.	बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर	1089
18.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	1039, 1143
19.	बलराम, श्री पी.	922, 1049, 1136
20.	बनर्जी, श्री अम्बिका	1047
21.	भगत, श्री सुदर्शन	942, 1090, 1095, 1115, 1137
22.	बिजू, श्री पी.के.	1090
23.	बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	997, 1067, 1147
24.	चक्रवर्ती, श्रीमती विजया	961
25.	चौधरी, श्री हरीश	1074, 1082

1	2	3
26.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	1018, 1086
27.	चौहान, श्री संजय सिंह	1133
28.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	959, 1066
29.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	990, 1028, 1100
30.	चौधरी, श्री भूदेव	1080
31.	चौधरी, श्री अधीर	1137
32.	'कमांडो', श्री कमल किशोर	960
33.	दास, श्री राम सुन्दर	1084
34.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	1071, 1073, 1109
35.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	1107
36.	डे, डॉ. रत्ना	990, 1101
37.	देवरा, श्री मिलिंद	939, 1058
38.	देवी, श्रीमती रमा	978, 1010, 1094
39.	धनपालन, श्री के.पी.	1008, 1117
40.	धोत्रे, श्री संजय	1005
41.	ध्रुवनारायण, श्री आर,	979, 1087
42.	दुबे, श्री निशिकांत	1036, 1076, 1115, 1142
43.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	994, 1105
44.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1072, 1111
45.	गांधी, श्री वरुण	1016, 1123
46.	गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल	1046
47.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1088

1	2	3
48.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	1078
49.	हक, शेख सैदुल	1014
50.	हजारी, श्री महेश्वर	1013
51.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	1010
52.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	943, 1008
53.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	1043, 1122, 1148
54.	जायसवाल, डॉ. संजय	970, 1090
55.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	1040, 1042
56.	जयाप्रदा, श्रीमती	999
57.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	1011, 1115
58.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	1010, 1139
59.	जोशी, श्री महेश	1070
60.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	978, 1086
61.	जोशी, श्री प्रहलाद	923, 966, 1023, 1029, 1062
62.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	1090, 1095, 1105
63.	करुणाकरन, श्री पी.	987, 1014
64.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	965, 1089
65.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1096, 1115
66.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	1072
67.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	948, 971, 1060, 1099
68.	कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी	1050, 1090
69.	कुमार, श्री विश्व मोहन	1072

1	2	3
70.	कुमार, श्री पी.	958
71.	कुमार, श्री शैलेन्द्र	929, 1053
72.	कुरूप, श्री एन. पीताम्बर	930
73.	लागुरी, श्री यशवंत	997, 1082, 1108
74.	लिंगम, श्री पी.	1109
75.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	957, 1065
76.	महाजन, श्रीमती, सुमित्रा	962, 1023, 1138, 1146
77.	महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद	978, 1094
78.	महतो, श्री नरहरि	949, 956, 970
79.	महताब, श्री भर्तृहरि	1015
80.	माझी, श्री प्रदीप	993, 1009, 1121
81.	मंडल, श्री मंगनी लाल	1006
82.	मणि, श्री जोस के.	978, 1088
83.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	1026, 1089
84.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	983, 1090, 1093
85.	मिश्रा, श्री महाबल	978, 1107
86.	मित्रा, श्री सोमेन	981
87.	मोहन, श्री पी.सी.	1095
88.	मुंडा, श्री अर्जुन	968, 990, 1085, 1120
89.	मुंडे, श्री गोपीनाथ	965, 984, 1095
90.	मुत्तेमवार, श्री विलास	988, 1136
91.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	969, 973

1	2	3
92.	नटराजन, कुमारी मीनाक्षी	992, 1026, 1131
93.	ओवसी, श्री असादूद्दीन	980, 1071, 1088
94.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	954, 1072, 1115, 1141
95.	पांडा, श्री वैजयंत	963, 1077
96.	पांडा, श्री प्रबोध	998, 1109
97.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	1072
98.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	1031, 1136
99.	पाटिल, श्री सी.आर.	1039
100.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	947, 1071
101.	पटेल, श्री बाल कुमार	999, 1023
102.	पाटील, श्री संजय दिना	995, 1106
103.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	1003, 1129
104.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	937, 1057
105.	प्रधान, श्री नित्यानंद	981, 1091
106.	प्रेमदास, श्री	1001
107.	रहमान, श्री अब्दुल	936, 978, 1056, 1078
108.	राघवन, श्री एम.के.	965, 1110
109.	राजगोपाल, श्री एल.	1002, 1116
110.	राजेन्द्रन, श्री सी.	1085
111.	राजेश, श्री एम.बी.	1038, 1064
112.	राम, श्री पूर्णमासी	1044, 1071, 1150
113.	राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह	987

1	2	3
114.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	991, 1002, 1023, 1088, 1102
115.	रामशंकर, प्रो.	1100
116.	रामकिशुन, श्री	948, 971, 1060, 1089, 1137
117.	राणे, श्री निलेश नारायण	1075
118.	राव, डॉ. के.एस.	1070, 1137
119.	राव, श्री नामा नागेश्वर	982, 1089
120.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	986, 1098
121.	राठौड़, श्री रमेश	1012
122.	राठवा, श्री रामसिंह	945, 1067
123.	रावत, श्री अशोक कुमार	1029, 1135
124.	राय, श्री अर्जुन	1074
125.	राय, श्री रुद्रमाधव	963, 1068, 1071
126.	रेड्डी, श्री के.आर.जी.	944, 1126
127.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1112
128.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	933, 1023, 1029, 1041, 1054
129.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	931, 953, 990, 1005, 1017
130.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	922, 926
131.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	949, 970
132.	सेम्मलई, श्री एस.	1002, 1020, 1033, 1127
133.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	974, 994, 1033
134.	सरोज, श्रीमती सुशीला	953,
135.	सरोज, श्री तूफानी	1132

1	2	3
136.	शांता, श्रीमती जे.	924, 997, 1051, 1115
137.	शर्मा, श्री जगदीश	1007
138.	शर्मा, श्री मदन लाल	1005
139.	शेखर, श्री नीरज	1027, 1118, 1133
140.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	1026
141.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	1017, 1124
142.	शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश	1017, 1124
143.	सिद्देश्वर, श्री जी.एन.	946, 1059
144.	सिंह, डॉ. भोला	1035, 1095, 1140
145.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	983, 1029, 1092
146.	सिंह, श्री गणेश	923, 966, 1023, 1069
147.	सिंह, श्री इज्यराज	1134
148.	सिंह, श्री जगदानंद	996
149.	सिंह, श्रीमती मीना	921, 966
150.	सिंह, श्री राधा मोहन	997, 1004, 1119
151.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	1079
152.	सिंह, श्री राकेश	1049
153.	सिंह, श्री रवनीत	1045
154.	सिंह, श्री सुशील कुमार	1012, 1024
155.	सिंह, श्री उदय	964, 1149
156.	सिंह, श्री चौधरी लाल	932, 975, 980
157.	सिंह, श्री धनंजय	925, 1019, 1036, 1125

1	2	3
158.	सिंह, राजकुमारी रत्ना	967, 1108, 1128
159.	सिंह, श्री उमाशंकर	1076
160.	सिंह, डॉ. संजय	1042
161.	सिन्हा, श्री यशवंत	1000, 1114
162.	सिरिसिल्ला, श्री राजय्या	938, 1049
163.	शिवासामी, श्री सी.	1022
164.	सुधाकरण, श्री के.	989, 1100
165.	सुगावनम, श्री ई.जी.	927, 1034, 1052, 1137
166.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	969, 973, 986, 1098
167.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	1096, 1115
168.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	950, 1061
169.	टैगोर, श्री मानिक	940, 1090, 1126
170.	तराई, श्री बिभू प्रसाद	1071
171.	तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ	1136
172.	तिवारी, श्री मनीष	1021, 1030
173.	ठाकोर, श्री जगदीश	966
174.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	1026, 1063
175.	थामराईसेलवन, श्री आर.	988, 1144
176.	तम्बिदुरई, डॉ. एम.	1071
177.	थॉमस, श्री पी.टी.	941
178.	तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल	977, 1084
179.	वर्धन, श्री हर्ष	1007

1	2	3
180.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1018, 1040, 1086
181.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	935, 1055, 1090
182.	वर्मा, श्री सज्जन	952, 1039, 1048, 1088
183.	विश्वनाथन, श्री पी.	1025, 1130, 1132, 1137
184.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	1037
185.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	1025, 1130
186.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	1032, 1095, 1134
187.	यादव, श्री धर्मेन्द्र	993, 1104
188.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	978, 1086
189.	यादव, श्री ओम प्रकाश	1008
190.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	928, 1122
191.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	951, 1082
192.	यास्खी, श्री मधु गौड	1072, 1111

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	84, 85, 87
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	82, 83, 86, 89, 90, 91, 97, 98
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
नवीन और नीकरणीय ऊर्जा	:	
विद्युत	:	81, 88, 92, 95, 96
पर्यटन	:	
जनजातीय कार्य	:	93
शहरी विकास	:	99, 100
महिला और बाल विकास	:	94

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	922, 923, 924, 926, 930, 937, 939, 940, 942, 944, 948, 955, 957, 962, 963, 964, 972, 973, 976, 978, 982, 984, 985, 986, 988, 995, 998, 1000, 1004, 1006, 1007, 1009, 1012, 1015, 1016, 1018, 1024, 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1043, 1044, 1049, 1056, 1057, 1058, 1070, 1072, 1073, 1074, 1079, 1080, 1081, 1082, 1088, 1094, 1098, 1103, 1104, 1106, 1108, 1117, 1119, 1122, 1128, 1133, 1136, 1147, 1148, 1150
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	921, 929, 931, 941, 953, 956, 960, 965, 966, 967, 970, 975, 977, 981, 987, 989, 990, 993, 997, 999, 1001, 1003, 1107, 1008, 1013, 1017, 1019, 1021, 1026, 1036, 1039, 1045, 1046, 1047, 1051, 1059, 1065, 1068, 1069, 1071, 1075, 1083, 1089, 1091, 1095, 1096, 1100, 1101, 1105, 1111, 1113, 1114, 1118, 1120, 1123, 1125, 1126, 1130, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143

आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	938, 971, 1023
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	950, 952, 983, 996, 1033, 1062, 1084, 1099, 1116
विद्युत	:	927, 928, 933, 934, 935, 945, 958, 959, 1011, 1022, 1035, 1037, 1041, 1042, 1048, 1054, 1055, 1063, 1077, 1085, 1115
पर्यटन	:	925, 949, 1005, 1010, 1025, 1050, 1052, 1066, 1093, 1102, 1124, 1129, 1144
जनजातीय कार्य	:	961, 968, 974, 1067, 1076, 1086, 1131
शहरी विकास	:	936, 943, 946, 947, 951, 954, 969, 979, 992, 994, 1002, 1020, 1031, 1038, 1040, 1053, 1060, 1078, 1090, 1097, 1109, 1127, 1132, 1134, 1145, 1149
महिला और बाल विकास	:	932, 980, 991, 1014, 1061, 1064, 1087, 1092, 1110, 1112, 1121, 1146

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/10/5/2010 (एन०)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।